राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 2] चौदहवीं विधान सभा के दूसरे सत्र का चौदहवां दिवस [संख्या : 11

गुरुवार,

24 जुलाई, 2014

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: नमस्कार, नमस्कार। प्रश्नकाल। श्री गोरधन।

श्री गोरधन (धोद): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से माननीय मंत्री महोदय से क्वेश्चन संख्या 166 के बारे में पूछना चाहता हूं।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, हम असंवैधानिक मंत्रीजी से जवाब सुनना नहीं चाह रहे हैं। (व्यवधान) हम इनको मंत्री नहीं मानते, इसलिए सदन से वाकआउट करते हैं।

श्री अध्यक्ष: पधारो। आओगे तब फिर कह देंगे पधारो। इसलिए कह रहा हूं पधारो। जब आप पधारोगे तब मैं कह दूंगा पधारो, और पधारो।

(कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन किया गया)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रदेश के डार्क जोन क्षेत्र में पेयजल हेतु पांच एच.पी. के कनेक्शन

166. श्री गोरधन (धोद): क्या भू-जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश के किन-किन जिलों को डार्क जोन में घोषित किया गया है?

(2) क्या सभी डार्क जोन क्षेत्रों में ट्यूबवैल खोदना व कृषि कनेक्शन पर पूर्णत: प्रतिबंधित है? यदि हां, तो क्या सरकार दूरदराज व ढाणियों में बसे हुये व्यक्तियों व पशुपालन के लिये 5 एच.पी. तक कनेक्शन देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र धोद में पानी की समस्या से निजात दिलाने व किसानों को सिंचाई के लिये नहर का पानी लाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

जल संसाधन मंत्री (श्री सांवर लाल): (1) राज्य के 243 ब्लाक्स (पंचायत समितियों) में से 172 अतिदोहित एवं 24 विषम (डार्क जोन) श्रेणी में वर्गीकृत है। सूचना परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है।

(2) जी हां। सूचना परिशिष्ट ''ब'' पर संलग्न है। राज्य सरकार ने बजट भाषण वित्तीय वर्ष 2014-15 के बिन्दु संख्या 28 पर किसानों द्वारा विद्युत कनेक्शन चाहे जाने पर उन्हें पूर्ण पूंजीगत लागत और विद्युत विनियामक आयोग द्वारा कृषि हेतु स्वीकृत पूरी दर भुगतान करने पर आन डिमाण्ड कनेक्शन देने का प्रावधान किया गया है।

(3) जी नहीं। वर्तमान में धोद में नहर का पानी लाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(सूचना पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री गोरधन (धोद): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा क्योंकि धोद विधान सभा क्षेत्र डार्क जोन क्षेत्र है, जिसमें पीने के पानी में फ्लोराइड भी है और वहां पानी की समस्या भी है। वहां पर बहुत सारा जो पानी जमीन के अन्दर था उसका दोहन हो गया। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि धोद विधान सभा क्षेत्र में नहर का पानी लाया जाए और उसका प्रस्ताव बनाकर मैं सोचता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय से और केन्द्र सरकार से इसका निवेदन करें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री सांवर लाल (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से माननीय सदस्य की चिन्ता स्वाभाविक है। अण्डरग्राउण्ड वाटर क्वालिटेटिव नहीं होने की वजह से यह समस्या वहां पर है। मैं क्या-क्या मैजरमेंट हो सकते हैं, जैसे आरओ मशीन लगाना, करना, जो भी आवश्यक होगा निश्चित रूप से हम करेंगे।

श्री अध्यक्ष: और कोई पूरक प्रश्न? श्रीमती अलका सिंह। बैठिए अलका सिंहजी, आप अपना पूरक प्रश्न कर लीजिए।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्षजी, आपके माध्यम से मैं मंत्रीजी से यह जानना चाह रही हूं कि जो इन्होंने डार्क जोन जिला घोषित किया है, राजसमन्द को भी डार्क जोन जिला घोषित किया हुआ है। उसमें पूरे जिले को डार्क जोन बनाया, अब कृषि के जो कनेक्शन हैं, कृषि

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

कनेक्शन की यह स्थिति है कि 3 हार्स पावर का भी अगर ये कनेक्शन के लिए अलाउ कर दें, ट्यूबवैल हम लोग नहीं ले पा रहे हैं तो 3 हार्स पावर की मोटर हम लगा सकें तो कम से कम वहां हो जाए, एक ट्यूबवैल भी नहीं खोद सकते, एक हैण्डपम्प नहीं खोद सकते। बहुत मुश्किल आ रही है। इसमें थोड़ा रिलेक्सेशन करें। लोगों के यहां पीने का पानी नहीं है। पेयजल के लिए राजसमन्द विधान सभा क्षेत्र के 56 गांव ऐसे हैं, जो केवल हैण्डपम्प के ऊपर जीवित हैं। वहां पर कोई पाइप लाइन नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसे 56 गांव हैं। वह हैण्डपम्प अगर खराब हो गया, कुछ प्रोब्लम हो गयी तो अब क्या किया जाए, नया हैण्डपम्प खोद नहीं सकते क्योंकि डार्क जोन है। ऐसे कुछ रिलेक्सेशन तो दिलाएं। मेरा माननीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से पूछना है कि क्या ऐसे कोई रिलेक्सेशन दिलाने का विचार रखते हैं आप?

श्री सांवर लाल (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से यह कैटेगरी बनायी गयी है, केवल इसीलिए है कि धरती के नीचे जो पानी है, वह पानी मेंटेन रहे। यदि हम खुली छूट दे देंगे तो पीने के लिए पानी मिलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए यहां पर भी यह व्यवस्था है, अभी मुख्य मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण में इस सम्बन्ध में जरूर चिन्ता प्रकट की, किसानों के लिए व्यवस्था की। मैं पढ़ कर सुनाता हूं ''जल स्तर तेजी से नीचे गिरने के कारण डार्क जोन में कृषि विद्युत कनेक्शन पर प्रतिबंध लगाने की मांग की जा रही है, परन्तु, किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए डार्क जोन में कृषि कनेक्शन दिये जाने पर प्रतिबंध लगाने के स्थान पर राज्य सरकार किसानों द्वारा विद्युत कनेक्शन चाहे जाने पर उन्हें पूर्ण पूंजीगत लागत और विद्युत नियामक आयोग द्वारा कृषि हेतु स्वीकृत पूरी दर का भुगतान करने पर आन डिमाण्ड कनेक्शन देगी।''

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): मेरा सवाल यह था..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप सवाल कर चुकीं। एक पूरक प्रश्न हो गया आपका।

श्री सांवर लाल (जल संसाधन मंत्री): आपका दूसरा पार्ट और है। यह तो व्यवस्था ऐसी है जहां पर पहले से आलरेडी खुदे हुए हैं और लोग-बाग़ कनेक्शन चाह रहे हैं। आपकी मांग यह है कि उस एरिया के अन्दर पानी की समस्या है। निश्चित रूप से मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि पीने के पानी के लिए ट्यूबवैल खोदने सम्बन्धी या दूसरा कोई प्रतिबंध नहीं है, उसके

(श्री सांवर लाल)

लिए कलक्टर के स्तर पर राज्य सरकार ने एक कमेटी बना रखी है। आपको वहां अनुमति पीने के पानी के लिए मिल सकती है।

श्री अध्यक्ष: श्री छोटू सिंह।

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में नहर भी है और नर्मदा का क्षेत्र भी है। हमारे पंचायत समिति तीन हैं जिनमें से दो में पोकरण व जैसलमेर तो डार्क जोन हैं, लेकिन सम में ऐसा कोई नहीं है। सम पंचायत समिति में डार्क जोन नहीं है। कई किसानों ने ट्यूबवैल एडवांस में खुदवा रखे हैं और नहरी क्षेत्र में पानी नीचे पहुंच गया और कई बार नहर में पानी ऐसा भी होता है कि नहर में पानी नहीं होने के बाद में चाहे ट्यूबवैल वगैरह खोद दे, क्या सरकार नहरी क्षेत्र में ट्यूबवैल खोदने के लिए हमें इजाजत देगी? पंचायत समिति सम में इजाजत देगी? इसके लिए आप जवाब दें।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। इसके बाद आपका होगा। आप मंत्रीजी जवाब दीजिए।

श्री सांवर लाल (जल संसाधन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, डार्क जोन घोषित करने के लिए जो फार्मूला भारत सरकार ने बना रखा है उसके तहत घोषित किया जाता है। अब नहरी क्षेत्र है, यहां पर तारानगर है, दूसरा खाजूवाला है, वहां पर सेलाइन वाटर है, खारा पानी है, उसको हम कैटेगरीवाइज गिनते नहीं हैं, उसका दोहन भी उचित नहीं है। इसी प्रकार अगर सम में ऐसी स्थिति है, इसका जो फार्मूला है, माननीय सदस्य, उस फार्मूले के आधार पर ही यह घोषणा हो रही है। यह फार्मूला मैं आपको बता देता हूं भूजल विकास दर=भूजल दोहनxभूजल पुनर्भरणx100, यह अगर 70 परसेंट से ज्यादा आता है तब ये परिस्थितियां बनती हैं, 70 प्रतिशत तक आता है तो यह सुरक्षित माना जाएगा। इसके अलावा सेमी, क्रिटिकल, अति दोहित, इस कैटेगरी में वर्गीकृत है। सम के सम्बन्ध में आप जानकारी चाह रहे हो इसके बारे में एक बार मैं अधिकारियों को कह कर इसकी और रिपोर्ट मंगा लूंगा और आपको अवगत करा दूंगा।

श्री अध्यक्ष: श्री नारायण सिंह। तीन सवाल हो जाएंगे।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि बारिश कम होने से वाटर लेवल काफी

(श्री नारायण सिंह देवल)

नीचे जा रहा है यह राजस्थान के लिए बड़ी चिन्ता का विषय है। परन्तु जो ट्यूबवैल पुराने हैं, जहां किसान काश्त कर रहा है, फसल बोयी है, अंतिम समय में जब ट्यूबवैल में पानी सूख जाता है तो कम से कम आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह विनती करना चाहता हूं कि किसान की जो फसल खड़ी है और उस टाइम में ट्यूबवैल में पानी सूख जाता है तो उसको गहरा करने की अनुमति देने की सरकार की क्या मंशा है? यह मैं जानना चाह रहा हूं।

श्री सांवर लाल (जल संसाधन मंत्री): यह निश्चित रूप से चिन्ता का विषय है, अगर फसल खड़ी है और पानी नहीं मिले इसके लिए ट्यूबवैल गहरा करने की आवश्यकता है तो निश्चित रूप से इसके ऊपर राज्य सरकार विचार करेगी, ऐसा करना जरूरी भी है।

श्री अध्यक्ष: श्री देवासीजी। अब पूरक प्रश्न नहीं होगा। (व्यवधान) सब इम्पोर्टेंट होता है, समय भी इम्पोर्टेंट है।

श्री ओटाराम (सिरोही): अध्यक्ष महोदयजी, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह पूछना चाहता हूं कि सिरोही जिला भी डार्क जोन में है। आज की तारीख में सिरोही जिले में पानी की बहुत बड़ी समस्या चल रही है। इसलिए मेरा निवेदन है कि सिटी सिरोही और सिटी शिवगंज में पीने के लिए पहले एक दिन पानी मिलता था, आज तीसरे दिन पानी मिल रहा है। पानी की बहुत बड़ी दिक्कत है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि तुरन्त इसकी व्यवस्था की जाए। डार्क जोन में बार-बार यह समस्या आ रही है कि जहां भी ट्यूबवैल खोदने की समस्या आती है, बार-बार कहते हैं कि डार्क जोन है, डार्क जोन, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि तुरन्त पानी की व्यवस्था कैसे हो, यह मैं मंत्रीजी से जानना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिए। माननीय मंत्रीजी।

श्री सांवर लाल (जल संसाधन मंत्री): माननीय यह निश्चित रूप से सदस्य की चिन्ता स्वाभाविक है और आज 24 जुलाई हो गई है, मानसून पर्याप्त नहीं आने से भी इस समस्या को बढ़ावा मिल रहा है। इस कारण अण्डरग्राउण्ड वाटर कम पड़ रहा है। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से जो जरूरी है वह निश्चित रूप से आपके सिरोही और जिले के अन्दर जहां भी जरूरी होगा करेंगे।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती अलका सिंह।

फसल बीमा योजना के निर्धारित मानदण्डों में परिवर्तन

167. श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में किसानों के लिए फसल बीमा योजना संचालित है? यदि हां, तो इसके लिए क्या मानदण्ड निर्धारित हैं एवं उक्त राशि किन-किन एजेन्सियों द्वारा किसानों को प्रदान की जाती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि योजना के कुछ मानदण्डों में कमी के कारण किसानों को पूरा मुआवजा नहीं मिल पाता है? यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है?

कृषि मंत्री (श्री प्रभू लाल सैनी): अध्यक्ष महोदय, (1) जी हां। वर्तमान में राज्य में फसल बीमे की दो योजनाएं क्रमश: मौसम आधारित फसल बीमा योजना एवं संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का क्रियान्वयन भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार भारत सरकार द्वारा अधिकृत बीमा कम्पनियों के माध्यम से किया जा रहा है। मौसम आधारित फसल बीमा के मुख्य प्रावधान/मानदण्ड परिशिष्ट-1 एवं संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के मुख्य प्रावधान/मानदण्ड परिशिष्ट-2 पर संलग्न हैं।

कृषकों की फसलों का बीमा करने के लिए राज्य सरकार, केन्द्र सरकार एवं कृषक द्वारा प्रीमियम राशि वहन की जाती है। बीमा क्लेम सम्बन्धित बीमा कम्पनी द्वारा कृषकों को दिये जाते हैं।

(2) उक्त योजनाओं में बीमा क्लेम की राशि निर्धारित मापदण्डानुसार तय की जाती है। भारत सरकार द्वारा वर्तमान में इन योजनाओं की समीक्षा की जा रही है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपका ध्यानाकर्षित करना चाहूंगी कि आफिसर किस तरह के जवाब भेजते हैं। मैंने प्रश्न किया है कि किन-किन एजेन्सियों द्वारा किसानों को यह राशि प्रदान की जाती है और जवाब आ रहा है कृषकों की फसलों का बीमा करने के लिए राज्य सरकार, केन्द्र सरकार एवं कृषक द्वारा प्रीमियम राशि वहन की जाती है। बीमा क्लेम सम्बन्धित बीमा कम्पनी द्वारा दिया जाता है। अध्यक्ष महोदय,

(श्रीमती अलका सिंह)

कभी भी बीमा कम्पनी क्लेम नहीं देती है। वह क्लेम पास करती है और लैंडिंग एजेन्सी बैंक या सोसाइटीज होती हैं तो मैं मंत्री से कहना चाहूंगी कि जरा इसको करेक्ट करवा लें। मेरा पूरक प्रश्न यह है कि मोडिफाइड जो फसल बीमा योजना है उसके अन्दर जो सैण्टर्स स्थापित किये हुए हैं, ह्यूमिडिटी, रेनफाल या केरिएशन इन टेम्परेचर के हिसाब से तो जो रिपोर्ट देते हैं वह प्राइवेट एजेन्सीज के पास है, बीमा कम्पनियां हैं वे प्राइवेट एजेन्सीज हैं तो दोनों की अगर कभी मिलीभगत हो जाए तो इसमें किसानों का अहित होने की गुंजाइश रहती है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह मालूम करना चाहती हूं कि क्या सरकार इस पर मानीटरिंग की कोई व्यवस्था करने का विचार रखती है?

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि आपने कम्पनियों के बारे में कहा कि कौनसी कम्पनियां इसको देखती हैं तो राजस्थान में भारत सरकार के द्वारा लगभग 11 ऐसी कम्पनियां हैं जिनको भारत सरकार ने बीमा करने के लिए पूरे हिन्दुस्तान में अधिकृत किया हुआ है। जहां तक दौसा का प्रश्न है, माननीय अध्यक्ष महोदय, इफको टोक्यो कम्पनी है, प्रीमियम बैंक के द्वारा लिया जाता है और बीमा जो होता है निर्धारित प्रीमियम के आधार पर जो सबसे लोएस्ट आता है उस कम्पनी के द्वारा किया जाता है। उसके बाद आपने यह कहा कि कम्पनी और ये दोनों मिल जाएं तो क्या होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, वेदर बेस्ड इंश्योरेंस जो हमारा बना हुआ है, मौसम आधारित फसल बीमा योजना में थर्ड पार्टी के द्वारा वेदर बेस्ड स्टेशन किये जाते हैं ताकि इसमें बीमा करने वाले और तीसरी पार्टी जो वेदर बेस्ड स्टेशन लगाएगी उनके मापदण्डों के आधार यदि मौसम में फ्लेक्चुएशन होता है तो उसके आधार पर किसानों को मुआवजा देने की कार्यवाही की जाती है। (व्यवधान) रुक तो जाओ, शांति तो रखो। पहले मूल प्रश्नकर्ता का तो आने दो।

श्री अध्यक्ष: बिलकुल नहीं, यहां नोट हो रहे हैं। सीरियल से मेरे यहां नोट हो रहे हैं। दूसरा पूरक प्रश्न।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): क्या गिरदावरी को भी एक यूनिट बनाया गया है तो गिरदावरी में 15-16 गांव आते हैं जिससे वेरिएशंस बहुत ज्यादा आ जाते हैं टेम्परेचर में और रेनफाल भी एक गांव में है, दूसरे में नहीं

(श्रीमती अलका सिंह)

है। तो क्या सरकार यह विचार रखती है कि गिरदावरी सैक्टर की जगह पंचायत सैक्टर को यूनिट बना कर उसके हिसाब से मुआवजा दिया जाए।

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदय।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य जानना चाहते हैं, गिरदावरी का जहां तक प्रश्न है वह संशोधित फसल बीमा योजना के अन्तर्गत है। राजस्थान में 12 ऐसे जिले हैं जहां पर मोडिफाइड फसल बीमा योजना संचालित की जाती है जिसमें दौसा जिला नहीं आता। अध्यक्ष महोदय, मैं फिर भी आपको जानकारी देना चाहूंगा कि 12 जिलों में से 4 जिले ऐसे हैं जिनमें राजसमन्द है, सीकर है, झुन्झुनूं है और टोंक है, इन जिलों में गश्त गिरदावरी का जो काम था उसमें पहले तहसील स्तर को इकाई मानते थे। उसको धीरे-धीरे करते-करते हम पटवार सर्किल तक आ गये हैं और पटवार सर्किल पर जब पहले तहसील स्तर पर 16 क्रोप कटिंग के माध्यम से वहां मुआवजा निर्धारित किया जाता था और अब जब पटवार सर्किल हो गया तो चार क्रोप कटिंग राजस्व मण्डल के द्वारा निर्धारित रेण्डम के आधार पर उनकी फसल की कटाई के बाद उनका जो प्रोडक्शन उसमें आता है उसी के आधार पर बीमा का पैसा तय किया जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य चाहते हैं, इसमें जिला कलक्टर्स को भारत सरकार के नार्म्स के आधार पर सब जगह निर्देश दे रखे हैं कि दोनों स्कीम्स में से कौनसी स्कीम में जिले का बीमा कराना चाहते हैं। मोडिफाइड में कराना चाहते हैं तो मोडिफाइड का और यदि वे वेदर बेस्ड इंश्योरेंस की बात करते हैं तो वहां पर। फिर भी आपका जो सुझाव है, निश्चित रूप से जब भी अगली बार इसकी बात होगी तो हम लोग इस पर विचार करेंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री नवीन पिलानिया। नहीं, आपका नहीं होगा, 5-6 नाम पहले भी आ चुके हैं।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि चाहे फसल बीमा योजना हो चाहे वेदर बेस्ड इंश्योरेंस हो चाहे मोडिफाइड वेदर इंश्योरेंस स्कीम हो, किसानों से, जो लोनी किसान हैं उनसे कम्पल्सरी तौर पर पैसा काटा जाता है। उन्हें कोई कवर नोट नहीं मिलता या उनकी इच्छा होनी चाहिए कि

(श्री नवीन पिलानिया)

कौनसी स्कीम उनके लिए अच्छी है, चाहे वह राष्ट्रीय बीमा हो, चाहे वेदर बीमा हो चाहे मोडिफाइड बीमा हो। आज अगर हम 50 रुपये भी किसी सरकारी काम में लेते हैं तो उसकी भी रसीद मिलती है लेकिन हजारों रुपये उनसे जबरदस्ती, कम्पल्सरी वसूल किये जाते हैं उसके बावजूद उन्हें कोई कवर नोट नहीं मिलता, उन किसानों को यह फ्रीडम नहीं मिलती कि वे कौनसी इंश्योरेंस में लेना चाहते हैं। इसी के साथ-साथ, जो गाइड लाइन है, वह मैं आपको पढ़ कर बताना चाहता हूं – ''Area approach of Unit approach. Defined areas for each notified crop for widespread calamities and on an individual basis for localised calamities such as hailstorm, landslide, cyclone and flood. The Defined Area i.e. unit area of insurance may be a Gram Panchayat, Mandal, Hobli, Circle, Phirka etc. to be decided by the State/UT Govt. However, each participating State/UT Govt. will be required to reach the level of Gram Panchayat as the unit in a maximum period of 3 years.”

श्री अध्यक्ष: माननीय विधायक, सवाल कीजिये।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने अभी भी तहसील को ही यूनिट बना रखा है जबकि उनके लिए यह अनिवार्य है कि तीन साल के अन्दर-अन्दर ग्राम पंचायत तक को यूनिट बनाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: विराजिये, मंत्रीजी जवाब देंगे।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने जानना चाहा है कि जो बीमा होता है उसका कवर नोट किसान को या जो भी प्रीमियमदाता है उसको बैंक द्वारा नहीं दिया जाता। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं लेकिन भारत सरकार, जो यह बीमा 2003 से चला हुआ है उसके अन्तर्गत अभी दो प्रकार के बीमा किसानों के होते हैं। पहला ऋणी किसान और दूसरा गैर ऋणी किसान। जो गैर ऋणी किसान है उनका स्वैच्छिक बीमा होता है और जो लोन लेते हैं क्रेडिट कार्ड से हो या को-आपरेटिव से जो भी लोन लेते हैं, उनका पैसा बैंक के द्वारा ही काटा जाता है, यह व्यवस्था भारत सरकार के नियमों के अन्तर्गत है। हम लोगों ने इसके लिए भारत सरकार को सुझाव भी यह भेजे थे कि जब किसी भी किसान का प्रीमियम उसके ऋण से काटा जाता है तो उसको सूचना देनी चाहिए। इसी बात को ध्यान में रख कर मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अभी हाल ही में भारत सरकार ने पूरे देश के 17 राज्यों में

(श्री प्रभू लाल सैनी)

जहां पर यह मौसम आधारित फसल बीमा चल रही थी उसका अभी रिव्यू किया है 2007 से 2013 तक का। उसमें जो बीमा प्रीमियम अब तक आया है, किसानों को कितना प्रीमियम मिला, इस योजना में कौनसे संशोधन की अपेक्षा है, इसको पंचायत तक लेना चाहिए या तहसील होना चाहिए या गिरदावर सर्किल होना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अभी मोडिफाइड फसल बीमा योजना जो है उसका दायरा पहले तहसील लेवल था फिर उसका दायरा घटाकर अब गिरदावर सर्किल आ गया था, इस साल चार जिलों में उसको पटवार सर्किल तक लेकर आए हैं और इसके परिणाम देखने के बाद भारत सरकार द्वारा इस बीमा को नये तरीके से लागू करने के बारे में जो चल रहा है, उसमें राज्य सरकार से भी सुझाव मांगा है, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इसका जवाब भी दिया है। मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहूंगा कि राजस्थान के हित और किसानों के हित में जो भी आप लोगों के अच्छे सुझाव होंगे, निश्चित रूप से हम भारत सरकार को भिजवायेंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री बृजेन्द्र सिंह ओला।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): अध्यक्ष महोदय, कवर नोट मिलने के बाद किसान को कोर्ट में जाने का आप्शन भी अवेलेबल रहेगा। यह इंश्योरेंस सर्विस के अन्दर आता है। Today Insurance is a service. लोग आज कंज्यूमर कोर्ट में जा रहे हैं। अगर आप कवर नोट दिलवा देंगे तो किसान को कोर्ट में जाने में राहत मिलेगी। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि मंत्रीजी यहां घोषणा करें कि किसान को कवर नोट मिलेगा।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। मंत्रीजी। इसके बाद बृजेन्द्र सिंहजी ओला। (व्यवधान) आपने बटन दबाया था न? (व्यवधान) बीच में नहीं, बीच में नहीं, विराजिये। (व्यवधान) मेरे यहां सब नोट हो रहा है। आप विराजिये। (व्यवधान) हां, यह काम नहीं कर रहा है बटन, तो आप बताइये। शिकायत देखना उनकी। वह उनका बटन काम नहीं कर रहा है, दिखाओ उसको। (व्यवधान) महत्वपूर्ण सब है भई। समय की सीमा भी तो है।

श्री मान सिंह (गंगापुर): ×××

श्री अध्यक्ष: नहीं, इनका अंकित नहीं करें। अंकित नहीं करें।

श्री मान सिंह (गंगापुर): ×××

श्री अध्यक्ष: अब अलाउ किया।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य इस सदन के सबसे वरिष्ठ माननीय सदस्य रहे हैं और आज भी हैं और इनको बिलकुल पांच वर्षों में भी सरकार चलाने का काफी अवसर मिला है। (व्यवधान) उसके पहले भी आप थे लेकिन इस बात की चिंता इनको नहीं हुई जबकि इनको यह चिंता होनी चाहिए माननीय अध्यक्ष महोदय, इनके शासन में 2010 से 2013 तक जो वैदर बेस्ड इन्श्योरेंस हुआ, उसमें प्रीमियम का... आप एक मिनट मेरा जवाब सुन लो।

श्री अध्यक्ष: शांत रहें, शांत रहें, शांत रहें। अब आप विराजिये। (व्यवधान) राजाखेड़ा से आने वाले माननीय विधायक, वे जवाब दे रहे हैं। राजाखेड़ा से आने वाले माननीय विधायक, नहीं, आप विराजिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): अध्यक्ष महोदय, मेरा स्पेसिफिक सवाल है, कवर नोट आप जारी करवायेंगे या नहीं? पिछली सरकार ने कोई गलती की या नहीं की, आप उसी बात को लेकर इस प्रश्न को टालने की कोशिश ना करें कृपया।

श्री अध्यक्ष: वे जवाब दे रहे हैं। वही होगा यहां।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, देर आये दुरस्त आये, मैं स्वागत करता हूं।

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न मत कीजिये, अलग से कीजिये। प्रश्न करना है तो अलग से कीजिये। व्यवस्था है इनसे प्रश्न करने की भी। अभी मत कीजिये।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो कवर नोट की बात कही गई है, वह निश्चित रूप से यह व्यवस्था हम लोगों ने इस वर्ष में की है कि किसान का जो भी पैसा, प्रीमियम के रूप में खाते से काटकर जमा करायी जाएगी, उसकी सारी सूचना मैं सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं, कटने के तुरन्त बाद उन किसानों को उसकी पूरी सूचना बैंक के द्वारा भिजवाई जाएगी।

श्री अध्यक्ष: श्री बृजेन्द्र सिंह ओला। ये बहुत कम बोले हैं। इनको बोलने दीजिये और आपको नहीं बोलने दूंगा, इसलिए कि आपका यहां नोट नहीं हुआ है। नोट होना चाहिए। हरेक सवाल करे, यह जरूरी है क्या? तीन सवाल होने चाहिए। मैं यह तीसरा ले रहा हूं, एक और लूंगा, उसके बाद नहीं।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने बताया है, जो कम्पनियां हैं, उनके बारे में यह पूछना चाहता हूं कि ये कम्पनी निजी क्षेत्र की हैं या कोई सार्वजनिक क्षेत्र की भी कम्पनी इनमें है? दूसरी बात यह है कि कई राज्य सरकारों ने अपनी कम्पनियां बना रखी हैं इन्श्योरेंस के लिए क्योंकि प्राय: यह देखा गया है कि जितना प्रीमियम दिया जाता है, किसी भी साल, एक-दो साल को छोड़ कर, उससे कम ही किसानों को मिलता है, जो राज्य सरकार चुकाती है, भारत सरकार चुकाती है और किसान चुकाते हैं। मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन यह है कि इसमें कोई भारत सरकार की कम्पनी है या नहीं? क्या राज्य सरकार अपनी कम्पनी इन्श्योरेंस के लिए बनाना चाहती है या नहीं?

श्री अध्यक्ष: जवाब दीजिये।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, झुंझुनूं से आने वाले माननीय सदस्य ने जो चिंता व्यक्त की है, वास्तव में अभी जो 11 कम्पनियां भारत सरकार ने जिनको प्रमाणित किया हुआ है या इनको अधिकृत किया हुआ है, उनमें एक कम्पनी सरकार की भी है एग्रीकल्चर इन्श्योरेंस कम्पनी। वह कम्पनी अधिकांश जिलों में एआईसी के द्वारा, जो हमारी कृषि बीमा कम्पनी है, उसके माध्यम से किया जाता है लेकिन अन्य जो प्राइवेट सैक्टर की कम्पनीज भी हैं, जिनका पिछले वर्षों का अच्छा कार्य व्यवहार रहा है या आचरण रहा है तो अधिकृत कम्पनियों को ही दिया जाता है लेकिन आपने जैसा अभी कहा, राज्य सरकार के स्तर पर भी कोई कम्पनी के लिए क्या सरकार मंशा रखती है? तो मैं खुले रूप से कहना चाहूंगा कि इस प्रकार की चूंकि अभी जो व्यवस्था, प्रावधान है, वह भारत सरकार ने यह व्यवस्था कर रखी है कि जो भी होगा, वहां से पहले उसकी अनुमति ली जाएगी, उसके बाद उसको मान्यता दी जाएगी। अच्छी कम्पनी कोई आती है तो निश्चित रूप से मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि उनके प्रस्ताव भिजवायेंगे लेकिन अभी हाल में ही इन सारी बीमा योजना की समीक्षा करने के बाद भारत सरकार, जो कि हमारे माननीय मोदी साहब की सरकार ने यह तय किया है कि हम किसान की आय के आधार पर एक बीमा योजना की नई पहल करना चाहते हैं। पूरे हिन्दुस्तान से, प्रत्येक राज्य से सुझाव मांगे हैं और उसमें कृषक आय बीमा योजना जिसको एफएआईएस के बारे में विचार किया जा रहा है। उसमें गेहूं और धान के बारे में अलग से बीमा करने की योजना सरकार बना रही है क्योंकि किसान का प्रीमियम उसको कम देना पड़ेगा। राज्य सरकार पर

(श्री प्रभू लाल सैनी)

उसका कोई बोझ भी नहीं पड़ेगा और जो प्रीमियम होगा, उस क्षेत्र में जहां इस प्रकार की कृषक आय बीमा योजना होगी, वहां पर एमएसपी का काम होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का, वह बिलकुल नहीं होगा। उसकी आय को यह देखा जाएगा कि कुल कितना इसका प्रोडक्शन हुआ है और एमएसपी की रेट क्या है? इस बीच में जो गैप होगा, वह गैप किसानों को उपलब्ध कराया जायेगा। यह नई प्रकार की योजना भारत सरकार में विचाराधीन है। मुझे भरोसा है, शीघ्र ही यह लागू होगी और राजस्थान के किसान के हित में होगी।

श्री अध्यक्ष: आखिरी पूरक प्रश्न, श्री जयनारायणजी पूनिया। नहीं, अगला सवाल बाद में। जयनारायणजी पूनिया, आपने दिया है ना संकेत पूरक प्रश्न के लिए?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मैंने दिया था सर। मैंने दिया था सर। अध्यक्ष महोदय, मैंने दिया था।

श्री अध्यक्ष: श्री ज्ञानचन्द पारख। नहीं होगा। नहीं होगा। (व्यवधान) सदन अगर राय दे तो मैं सारा एक ही घंटा, क्योंकि 25 मिनट हो गये हैं, आपकी राय हो तो मैं सारा एक घंटा प्रश्नकाल का इसी में बिता दूं? श्री ज्ञानचन्द पारख।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मैंने सबसे पहले बटन दबाया था।

श्री अध्यक्ष: तीसरी बार आया है। विराजिये आप।

घरेलू विद्युत कनेक्शन से वंचित ढाणियां

168. श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि ग्रामीण क्षेत्र में ऐसी विद्युतीकृत ढाणियां जिनमें कुछ परिवार पूर्व में विद्युत सम्बन्ध पर रोक के कारण, विद्युत सम्बन्ध नहीं ले सके थे, क्या सरकार पूर्व में लगाई गई रोक को हटा कर उक्त ढाणियों में विद्युत सम्बन्ध देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विद्युत से वंचित ढाणियों को भी विद्युतीकृत करने हेतु कोई योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कौनसी योजना व कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

ऊर्जा मंत्री (श्री गजेन्द्रसिंह): (1) जी नहीं। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी ढाणियां, जिनका पूर्व में विद्युतीकरण हो चुका है, उनमें विद्युत सम्बन्ध से वंचित परिवारों को विद्युत सम्बन्ध देने पर कोई रोक नहीं लगाई है।

(2) जी हां। राज्य में 100 से अधिक आबादी वाली अविद्युतीकृत ढाणियों के लिए राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना बनाई गई है। उक्त योजना के तहत 27 जिलों की 28 योजनाएं स्वीकृत हो चुकी हैं। पांच जिलों की पांच योजनाएं (जयपुर, जोधपुर, हनुमानगढ़, बांसवाड़ा एवं उदयपुर) बनाकर ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को भिजवाने की कार्यवाही की जा रही है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: चार सवाल आ गये, उसके बाद कुछ नहीं है। क्योंकि आपकी तो आदत पड़ गई है। बार-बार, बार-बार। श्री बृजेन्द्रजी ओला बोल रहे थे तब भी आप डिस्टर्ब कर रहे थे। जो पहली बार बोले हैं मेरे सामने तो। तो ऐसा लिहाज रखा करो। (व्यवधान) विराजिये विराजिये। हां, आप बोलिये। (व्यवधान)

श्री गजेन्द्रसिंह (ऊर्जा मंत्री): शेष एक जिले बाड़मेर की योजना बनाने का कार्य प्रगति पर है। स्वीकृत योजनाओं की निविदाएं पर्याप्त संख्या में प्राप्त होने पर कार्यादेश जारी करने की प्रक्रिया की जाएगी।

दूर-दराज के गांवों एवं ढाणियों, जहां जनसंख्या कम है, के विद्युतीकरण हेतु सौर ऊर्जा आधारित योजना की घोषणा राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2014-2015 के बजट में की गई है। 100 से कम आबादी वाली ढाणियों के विद्युतीकरण हेतु भारत सरकार से भी सहयोग मांगा गया है जो विचाराधीन है।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न। (व्यवधान) जब मैं अलाउ करूंगा, तब चालू होगा। जब मैं आपको अलाउ करूंगा, तब चालू होगा। डिस्टर्ब करने के लिए अलाउ नहीं करूंगा। (व्यवधान) जब मैं अलाउ करूंगा, तब चालू होगा। (व्यवधान) मेरी बिना इजाजत के यहां कोई नहीं बोल सकता और इसलिए जब मैं इजाजत दूंगा, तो बटन चालू हो जाएगा।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): बटन चालू करो हमारा। (व्यवधान)

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि आपने जो उत्तर दिया है कि रोक नहीं है। क्या यह पहले रोक थी? यदि थी तो कब हटाई? यदि नहीं थी तो आपके विभाग के अधिकारियों ने यह कहकर नई फाइलें क्यों लौटा दीं कि रोक लगी हुई है? क्या आप उन अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेंगे? पहला क्वेश्चन तो मेरा यह है।

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

दूसरा मेरा प्रश्न है, जिन ढाणियों में बी.पी.एल. को नि:शुल्क कनेक्शन देने हेतु पूर्व में लाइनें बिछा दी गई हैं, विद्युत लाइन तो उसमें आ गई। क्या उन ढाणियों में अब ए.पी.एल. परिवारों को भी आप विद्युत सम्बन्ध देंगे, इसका भी माननीय मंत्री महोदय, आप जवाब दे दें।

तीसरा मेरा प्रश्न है, शहरी क्षेत्र में कृषि भूमि पर बसी वह बस्तियां जिसमें आधे से कम भूखण्डों पर मकान बने हुए हैं, वहां भी पूर्ववर्ती सरकार ने विद्युत कनेक्शन की रोक लगा दी थी और मकान बन गये तो क्या आप सेल्फ फाइनेंस स्कीम में उनको विद्युत सम्बन्ध देंगे या विधायक कोष में उसको छूट देंगे? इसका भी जवाब दे दें।

चौथा, मेरा पूरक प्रश्न है कि शहरी क्षेत्र में ऐसी बस्तियां जो कृषि भूमि पर बस चुकी हैं और नगर परिषद ने उनका 90-ए करके उनको पट्टे भी जारी कर दिये हैं। वहां भी आपके अधिकारी विद्युत सम्बन्ध दे नहीं रहे हैं तो जो 90-ए में बस्तियां कवर हो चुकी हैं, पट्टे मिल चुके हैं, उनको विद्युत सम्बन्ध देने में आपके अधिकारी ने रोक लगा रखी है, क्या आप उनको विद्युत सम्बन्ध दे देंगे? माननीय मंत्री महोदय यह जवाब भी दें आप मुझे।

श्री गजेन्द्रसिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, फरवरी, 2014 में हमारी सरकार ने एक सर्कूलर निकाला था कि जो भी ढाणियां विद्युतीकृत हो चुकी हैं और उसके अन्दर कोई लोड बढ़ाना चाहे, चाहे कितना भी लोड बढ़ाना चाहे या फिर जैसे पांच कनेक्शन का पहले था पिछली सरकार ने पांच कनेक्शन का एक ग्रुप बनाया था कि पांच ही होने चाहिए। उसको हमने रिलेक्स कर दिया है तो जहां विद्युतीकृत ढाणियां हैं, अगर छह लोग, सात लोग और अगर तीन लोग और जुड़ना चाहें और एक्जिस्टिंग कंज्यूमर जो है वे अगर अपना लोड़ बढ़ाना चाहें तो उस पर कोई रोक नहीं है। चाहे वह लिमिट दस हो, चाहे पन्द्रह हो और लोड उनका तिगुना भी बढ़ जाएगा। वह हमने हटा दिया है यह फरवरी, 2014 में सर्कूलर निकाल दिया गया है। अगर उस ढाणी से, अब ढाणियों की भी परिभाषा है कि बिजली का तंत्र आ गया है। अब एक्स्ट्रा कनेक्शन कितने दूर हैं। 300 मीटर तक तो बिलकुल नि:शुल्क है। उसके बाद प्रति मीटर जो सिंगल फेज और थ्री फेज के अलग तरह क्राइटेरिया बनाए गए हैं वे उसमें लागू हो जाते हैं। पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने बी.पी.एल. कनेक्शन के बारे में फरमाया है। बी.पी.एल. कनेक्शन के लिए जो

(श्री गजेन्द्रसिंह)

बारहवीं पंचवर्षीय योजना है उसमें टार्गेट बनाया गया है। पाली के फीगर्स भी मेरे पास हैं वे सब टार्गेट में ले लिए जाएंगे। कोई बी.पी.एल. कनेक्शन नहीं छोड़ा जाएगा। जो टार्गेट के अन्दर लिए गए हैं वह टार्गेट में मेरे पास हैं, मेरे पास आंकड़े सब हैं।

श्री अध्यक्ष: यह है आपका दूसरा प्रश्न। यह पूरा कर लें तब आपका अधिकार है दूसरा पूरक प्रश्न करने का।

श्री गजेन्द्रसिंह (ऊर्जा मंत्री): तीसरी बात माननीय सदस्य ने जो कहा था कि शहरी एरिया के अन्दर एग्रीकल्चर जमीन है और उसके अन्दर कालोनियां बनी हैं। अध्यक्ष महोदय, इसमें तीन चीजें होती हैं। एक तो कई डवलपर्स, कालोनाइजर्स लोगों को प्लाट बेचकर के वहां से भाग जाते हैं तो उनके वहां पर जाकर के समस्या आती है। अदरवाइज क्या होता है कि जो भी डवलपर होता है वह ही सब बिजली के चार्ज जमा करके फिर वह अपने कालोनी के प्लॉट होल्डर से अलग-अलग पैसा वसूल करता है। जो लोग छोड़ कर के चले जाते हैं और ऐसी जो कालोनियां हैं जहां पर 50 परसेंट से कम लोग वंचित रह गए हैं तो विद्युत विभाग, क्योंकि 50-51 परसेंट तो अगर मान लो विद्युतीकृत हो ही चुका है। अगर 49 परसेंट रह गए हैं तो विद्युत विभाग वह जो एक्स्ट्रा खर्चा लगेगा उनको कनेक्शन पहुंचाने का, वह पर-स्क्वायर यार्ड के अनुसार पर-डेटा उनसे चार्ज करती है। तीसरी, चीज है कि जहां पर डवलपर्स छोड़ कर के चले गए हों, भाग गए हों और लोग फंस गए हों, उसके अन्दर बिजली का तंत्र जो ट्रांसफार्मर लाइन का जो खर्चा होता है वह पर-स्क्वायर यार्ड के अनुसार पूरी कालोनी का केलकुलेशन करके विद्युत कनेक्शन दिए जाते हैं।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मैंने पूरक प्रश्न संख्या दो में पूछा था कि ऐसी कई ढाणियां हैं जहां बी.पी.एल. परिवारों को निःशुल्क कनेक्शन देने के लिए लाइन बिछाई गई थी। लाइन आपकी बिछी हुई हैं, पर उन ढाणियों में ए.पी.एल. परिवार भी रहते हैं। उनको यह कह कर कनेक्शन जारी नहीं किया जा रहा है कि यह बी.पी.एल. परिवारों के लिए बिछाई गई हैं। लाइन तो वहीं की वहीं है, पोल वे के वे हैं। तो क्या आप उन ए.पी.एल. परिवारों को भी जहां लाइनें बिछी हुई हैं उनको विद्युत कनेक्शन

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

देंगे। दूसरा, मेरा पूरक प्रश्न संख्या तीन में भी वापस आपसे आग्रह है कि डवलपर तो भाग गया, आप खुद मान रहे हैं और एग्रीकल्चर पर जो भी परिवार बसे हैं वे निहायत गरीब हैं। जब आप ग्रामीण क्षेत्रों में ढाणियों के विद्युतीकरण में विधायक कोष से राशि लेकर उनका विद्युतीकरण कर देते हो तो क्या इन निहायत गरीब परिवार के व्यक्तियों के विद्युतीकरण के लिए आप विधायक कोष से जहां 25 बसी हुई हैं तो 25 का पैसा देंगे, जहां 30 बसी हुई हैं तो 30 का पैसे देंगे? गांव में भी हम ढाणियों को कवर करने के लिए पैसा देते हैं। इसमें कोई आपका पैसा जाएगा नहीं, हम पैसा देने को तैयार हैं। उन गरीबों को लाइट मिल जाएगी और माननीय मंत्री महोदय मैं यह भी कहना चाहता हूं कि कृषि भूमि पर विद्युत की ज्यादा मांग होती है। क्योंकि सारे के सारे वहां कच्चे मकान हैं आसपास जंगल होता है। छोटे-मोटे जानवर भी रात को आते हैं। हमारी सरकार तो वैसे भी इस क्षेत्र में बहुत दयालु हैं तो आप अपने विभाग के खर्चे से नहीं करें, कम से कम हम विधायकों को अधिकार दे दें इस बात का कि वह विधायक चाहे तो अपने विधायक कोष से वहां विद्युतीकरण करा देगा।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न छोटा कीजिए।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): मैंने पहले जो प्रश्न पूछा उसका जवाब नहीं दिया कि शहरी क्षेत्र में ऐसी बस्तियां जो कृषि भूमि पर बसी थीं, बाद में नगर परिषद ने 90-ए करके वहां के लोगों को पट्टे जारी कर दिये। जब 90-ए जारी हो गया, पट्टा जारी हो गया, वहां विद्युत सम्बन्ध आप जारी करें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय, जवाब दें, पूरक प्रश्न बहुत लम्बा हो गया।

श्री गजेन्द्रसिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि आप मेरे को कोई पर्टिकूलर बता दें कि जहां-जहां बी.पी.एल. के लिए लाइनें बिछा दी हैं और बी.पी.एल. को कनेक्शन नहीं दिया है। मैंने आपसे यही बोला था माननीय सदस्य कि जहां भी विद्युत का तंत्र पहुंच चुका है। मतलब कोई भी ढाणी चाहे उसमें खाली बी.पी.एल. लोगों ने ही कनेक्शन लिए हैं, वहां पर ट्रांसफार्मर है, वहां पर आपकी लाइन पहुंची हुई है तो एपी.एल. को भी मिलेंगे, वह वंचित रहेंगे वहां पर। There is no exception to the Rules. Everybody will be covered in that. यह आपको बता दिया था मैंने। चाहे वह दस हो, बीस हो, लोग अपना लोड बढ़ायें। वह 300 मीटर का जो है, उसके अलावा मैंने आपको बता दिया है

(श्री गजेन्द्रसिंह)

नम्बर एक। नम्बर दो, मेरी जो जानकारी है यह डायरेक्टली मेरे विभाग से सम्बन्धित नहीं है कि एमएलए कोटा से मेरे अनुसार आप कोई कालोनी के अन्दर पर्सनल रेजिडेंसेज को आप फण्ड नहीं दे सकते हो। जहां तक मेरी जानकारी है, यह मेरे विभाग से सम्बन्धित नहीं है पर जहां तक मेरी जानकारी है आप एमएलए फण्ड से कोई कालोनी में कुछ लोगों को आप कनेक्शन नहीं दे सकते हो।

श्री अध्यक्ष: अब तीन पूरक प्रश्न, नहीं, बैठिये आप, तीन पूरक प्रश्न होंगे श्री रामलाल शर्मा, श्री सुखराम बिश्नोई और चन्द्रकांता मेघवाल यह तीन होंगे।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने सबसे पहले बटन दबाया था। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक प्रश्न है ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने सबसे पहले बटन दबाया था, पहले वाले भी दबाया था, अब में भी दबाया है, आगे भी दबाता रहूंगा अगर आप अनुमति देंगे तो मैं बात पूछूंगा।

श्री अध्यक्ष: श्री रामलाल शर्मा, पूरक प्रश्न कीजिए, फिर सुखरामजी बिश्नोई, फिर चन्द्रकांता मेघवाल।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा भी आया हुआ है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आया हुआ है मेरे को मालूम है। इनका पहले आया है, उसका आया और फिर आया है। विराजें आप, इनको जवाब देने दीजिए।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महोदय ने ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये, जोगारामजी आप बैठिये। कृपया बैठिये, आप चर्चा मांग लो ना। लिखित में दे दीजिए।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): हां, वहीं कहते हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने दिया है। मेरा यह निवेदन है, पूरे सदन के सभी सदस्य का एक ही विचार हैं कि इस पर आधे घंटे की चर्चा कराई जाए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्रश्न समाप्त किया जाता है और आधे घंटे की चर्चा इस पर कराई जाएगी। अब आप विराजिए। श्री जयराम जाटव।

अलवर जिले में सड़कों से वंचित ढाणियों को प्रधान मंत्री सड़क योजना से जोड़ने की योजना

169. श्री जयराम जाटव (अलवर ग्रामीण): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा अलवर जिले में सड़कों का डामरीकरण व सी.सी. सड़क निर्माण कराया गया है? यदि हां, तो उपखण्ड क्षेत्र अलवर में विगत चार वर्षों में इस पर कितनी राशि किन-किन गांवों में डामरीकरण व सीसी सड़क निर्माण कराया गया है व इस पर कितनी राशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत 500 की आबादी वाले राजस्व ग्रामों को सड़कों से जोड़ा गया है? परन्तु अनेक ढाणियां ऐसी हैं, जिनकी आबादी 300-800 की हैं, जो राजस्व ग्राम नहीं होने के कारण सड़कों से नहीं जुड़े हैं? क्या सरकार ऐसी ढाणियों को प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना में सड़कों से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? नहीं, तो क्यों?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री युनुस खान): (1) जी हां। राजस्व उपखण्ड क्षेत्र अलवर में गत चार वर्षों (वर्ष 2010 से लेकर 2014) में डामरीकरण व सी.सी. सड़क निर्माण पर किए गए व्यय राशि का विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) जी नहीं। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत राजस्व गांवों को डामर सड़क से जोड़े जाने का प्रावधान नहीं है। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत पेयजल आपूर्ति विभाग के सर्वे 2003 के अनुसार सामान्य क्षेत्र में 500 से अधिक आबादी के बसावट व ढाणियों (हैबिटेशन) एवं मरुस्थलीय व जनजाति क्षेत्र में 250 से अधिक आबादी के बसावट व ढाणियों (हैबिटेशन) को डामर सड़क से जोड़ने का प्रावधान है। वर्ष 2000-2009 तक बसावट/ढाणियों की अलग से चिह्नित सूची एवं उनकी जनसंख्या उपलब्ध नहीं थी। अत: प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत फेज-I से फेज-IX तक राजस्व गांवों को ही बसावट मानकर डामर सड़क से जोड़ने के प्रस्ताव बना कर प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना में स्वीकृत करवाये गये। इसके उपरांत

(श्री युनुस खान)

पेयजल आपूर्ति विभाग के सर्वे 2003 को आधार मान कर सामान्य क्षेत्र में 500 से अधिक तथा मरुस्थलीय एवं जनजाति क्षेत्र में 250 से अधिक आबादी की बसावटों को डामर सड़क से जोड़ने का प्रावधान है। सामान्य क्षेत्र में 300 से 499 तक की आबादी वाली ढाणियों को प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना में वर्तमान में सड़क से जोड़े जाने का प्रावधान नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न। श्री जयराम जाटव।

श्री जयराम जाटव (अलवर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 1 में लिखा है कि कितनी राशि किन ग्रामीणों को डामरीकरण और सीसी रोड्स के माध्यम से जो खर्च हुई। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है मंत्रीजी से कि जो इतनी राशि खर्च की जाती है ग्रामीणों को सड़कों के लिए जो सड़क डामरीकरण की जा रही है और उसमें गांव के बीच में जहां सीसी रोड का निर्माण नहीं किया जाता है और उसके पहले एस्टीमेट बनाया जाता है सार्वजनिक निर्माण विभाग से तो मेरा निवेदन है कि जो सड़क डामरीकरण की सड़क गांव में जा रही है उसमें सीसी रोड की व्यवस्था करायी जाए। दूसरा मेरा प्रश्न है कि जो गांव ढाई सौ की आबादी से ज्यादा आठ सौ या हजार तक की आबादी के गांव हैं उनको पीएमजीएसवाई से जोड़ने की पहले योजना थी लेकिन अब योजना माननीय मंत्रीजी कह रहे हैं कि अब योजना नहीं है तो इस योजना के अलावा उन ढाणियों को जहां आबादी तीन सौ से आठ सौ या हजार तक की है उन ढाणियों को किन योजनाओं से ग्रामीणों को सड़कों से जोड़ा जाएगा माननीय मंत्रीजी ये बताने की कृपा करें।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने ग्रामीण क्षेत्र का जो पोर्शन है उसको सीसी रोड बनाने की बात कही है इससे पहले तो सीसी रोड का प्रावधान नहीं था लेकिन अब माननीय मुख्य मंत्रीजी ने निर्देश दिये हैं कि अब नयी योजना जो बने और नयी सड़क बने, उसमें ग्रामीण क्षेत्र में जो सड़कें निकलती हैं उनके सीसी रोड भी बने और उसके बाद में उसका ड्रेनेज भी प्रोपर हो और नाली भी बने और अभी हमारे जो बजट पेश हुआ है उसमें जो हमारी 9177 ग्राम पंचायतें हैं उनमें आधा किलोमीटर से दो किलोमीटर तक सभी गांव ग्राम पंचायत मुख्यालयों को सीसी रोड से जोड़ने का यानी गौरवपथ की घोषणा माननीय

(श्री युनुस खान)

मुख्य मंत्रीजी ने की है तो उनको हम भविष्य में सीसी रोड से जोड़ेंगे और अब जितनी योजनाएं नयी आएंगी, जो-जो सड़क जिस-जिस योजना में आएंगी, उसमें सीसी रोड का प्रावधान रखेंगे। दूसरा, आपने माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कहा कि हैबिटेशन की बात हमने कही है। प्रधानमंत्री सड़क योजना की जो गाइड लाइन है, उसमें पहले तो राजस्व ग्राम को जोड़ा जाता था एक से लेकर नौ फेज तक जैसा मैंने उत्तर में बताया है, एक से नौ फेज तक जो हमारा हुआ 2000 से लेकर के 2009 तक तब तक तो राजस्व ग्राम को आधार माना गया था और जनगणना का जो आधार था वह 2001 का था लेकिन उसके बाद में भारत सरकार ने कहा कि नहीं आप इस गाइड लाइन के अनुसार ही काम करेंगे तो हमने उसका आधार हैबिटेशन बना दिया। लेकिन बहुत सारे गांव ऐसे थे जो जुडे नहीं तो उनसे आग्रह किया तो उन्होंने 2001 के बाद में 2003 में एक पीएचईडी का सर्वे हुआ था गांवों का उसमें जनसंख्या को आधार माना था तो भारत सरकार ने उसको स्वीकृति दे दी उसके बाद में उस पीएचईडी सर्वे के अनुसार गांव जुडने लगे। अब चूंकि 2013 तक माननीय अध्यक्ष महोदय, 45443 गांव अब तक बन चुके हैं और 2001 की जो जनगणना थी उसमें 39753 गांव थे तो अभी भी लगभग ये सारे हैबिटेशन और गांव और जो नये राजस्व गांव हैं उनको मानते हुए लगभग राजस्थान के साढ़े पांच हजार गांव ऐसे हैं जो सड़कों से नहीं जुड़े हैं। कुछ गांव ऐसे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, जो पांच सौ मीटर की परिधि में किसी न किसी सड़क से जुडे हुए हैं तो उनको भारत सरकार ने जोड़ा हुआ माना है।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न।

श्री जयराम जाटव (अलवर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह आग्रह था माननीय मंत्रीजी से कि जो ढाणियां जिनकी आबादी बहुत ज्यादा है राजस्व रिकार्ड में उनको अभी राजस्व का कोई इस तरह का अभियान चला करके उन ढाणियों को गांव नहीं बनाया गया राजस्व गांव नहीं घोषित किया गया। तब तक उन ढाणियों को सार्वजनिक निर्माण विभाग से किस योजना के माध्यम से सड़कों से जोड़ा जाएगा। इसका जवाब माननीय मंत्रीजी दें। तीसरा मेरा प्रश्न यह है माननीय अध्यक्ष महोदय, ...

श्री अध्यक्ष: तीसरा नहीं दूसरा ही कीजिये पूरक प्रश्न। मंत्रीजी जवाब दें।

श्री जयराम जाटव (अलवर ग्रामीण): एक छोटा सा है। इसी में जोड़ना चाहता हूं कोई अलग से नहीं है। जो आपके जितने रोड्स हैं राजस्थान में हमारे एक पिछली बार चर्चा की थी कि हमारे नटनी के बारा पर जो अवरुद्ध हो रहा है पानी उस रोड पर जो आपका एमडीआर जो रोड है स्टेट हाइवे 44 उस पर जो सीआरएफ का पैसा है उससे वह रोड बना था। उसमें पुलिया नहीं बनाई गई तो एक तो पुलिया निर्माण की वहां आवश्यकता है ऐसे रोड्स पर क्या आपका जो स्टेट हाइवे है और राजस्थान स्टेट हाइवे के जितने रोड्स हैं उन पर काजवे बना कर छोड़ देते हैं तो उन पर पुलिया बनाने की, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं मंत्रीजी से कि उनमें पुलिया बनाने की भी मंशा रखते हैं कि नहीं रखते हैं?

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने अभी जवाब में कहा कि 2001 के बाद में बहुत सारे राजस्व ग्राम बने हैं वे छूटे हुए हैं जुड़ने से और वास्तव में कई गांव ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या 3000 तक है और अलवर जिले की भी अगर हम व्याख्या करें तो लगभग एक सौ आठ गांव ऐसे हैं, जो आज तक नहीं जुड़े हैं तो उनको जोड़ने के लिए जो प्रधान मंत्री सड़क योजना में आ रहे हैं, उनको तो उसमें ले लेंगे बाकी अन्य जो हमारी योजनाएं हैं, उनमें अगले पांच वर्षों में इन सारे साढ़े पांच हजार गांवों की जो मैंने चर्चा की है, इन सबको राज्य सरकार जोड़ने की योजना बना रही है और मैं आपके माध्यम से सदन को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि राज्य सरकार का यह लक्ष्य है कि इन पांच वर्षों में इन सब गांवों को सड़क मार्ग से जोड़ दिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: मानिकजी, वरिष्ठ सदस्य हैं आप बटन दबाने की तो करते नहीं हैं कोशिश लेकिन अब वरिष्ठ सदस्य हैं इसलिए मुझे मौका देना पड़ेगा इसलिए आप बोल लीजिये।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि अब जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में गांव जोड़ेंगे उसमें आबादी 2001 की ही मान्य है या 2011 की मान्य है?

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है अभी तक तो 2001 की ही जनगणना और गांवों की मान्यता मिली हुई है और उसके बाद में जैसा कि मैंने उत्तर में बताया कि 2003 की जनगणना जो कि हमारे

(श्री युनुस खान)

पीएचईडी के द्वारा करवाई गई थी। एक सर्वे हुआ था राजस्थान में उसको मान्यता दी हुई है लेकिन अभी माननीय सड़क परिवहन मंत्रीजी से मुख्य मंत्री जी और हम इसी महीने की चार तारीख को मिले थे तब हमने उनसे लिखित में आग्रह किया है और उनके पास आज की तारीख में ग्रामीण और पंचायत राज विभाग भी है तो उन्होंने कहा कि ये योजना बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी। माननीय अटल बिहारी वाजपेयीजी ने शुरू की थी गांवों को जोड़ने की इसलिए हम चाहते हैं कि यह 2000 की जनगणना को मान्यता मिले तो उसके लिए वो प्रधान मंत्रीजी से बात करेंगे चूंकि ये भारत सरकार से जुड़ा हुआ विषय है उन्हीं के स्तर पर इसका नीतिगत निर्णय लिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: मेरी स्क्रीन पर तीन नाम हैं धर्मपालजी चौधरी, घनश्यामजी और कन्हैया लालजी। अब ये तीन हो जाएं, उसके बाद ... (व्यवधान) एक मिनट आप बैठिये। आपको भी दूंगा चांस। मैं सब सदस्यों के सामने एक स्थिति रख देना चाहता हूं कि ये जो स्क्रीन में चार नाम आने की एक व्यवस्था है। अब चार फटाफट लग गये तो कई बार फटाफट उन्हीं का आ जाता है तो यह कैसे सुधारा जाए, तो ये चार नाम खतम होने के बाद पांचवां नाम स्क्रीन पर आएगा तो इसलिए ये तीन नाम ...(व्यवधान) आप विराजिये। इसको देख लें। मैं यह गलती मंजूर कर रहा हूं इस सिस्टम की ... (व्यवधान) आप विराजिये। इस सिस्टम में जो मैं डिफेक्ट देख रहा हूं वह यह है। इन तीन नाम के बाद नरपत सिंहजी, आपको भी दे दूंगा। श्री धर्मपालजी चौधरी।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय अध्यक्ष महोदय, बटन तो चालू कराओ। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बटन चालू कराते हैं।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि इन्होंने अपनी मांग के अन्दर भी कहा और मैंने पर्सनली भी इनसे रिक्वेस्ट की और लिख कर भी दिया हुआ है। पिछले चार महीने से मंत्रीजी को कागज दिया हुआ है कि इन-इन सड़कों पर घटिया निर्माण हुआ है और इनका गारंटी पीरियड समाप्त होने वाला है। इनकी जांच करनी चाहिए और जांच करके जो दोषी अधिकारी, कर्मचारी और ठेकेदार हैं उनसे पैसा वसूल होना चाहिए तो मंत्रीजी से यह पूछना चाहते हैं कि कितने

(श्री धर्मपाल चौधरी)

दिनों बाद आप शिकायत मिलने के बाद जांच करवाकर उस पर कार्यवाही करेंगे?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज ये माननीय सदस्य कोई भी घटिया सामग्री या घटिया निर्माण की शिकायत करेंगे तो आज शाम को ही जांच का आर्डर कर देंगे। इनसे ले लेंगे और उस पर सात दिन के अन्दर पूरी रिपोर्ट मंगवा कर के कार्यवाही कर देंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री घनश्याम।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि गंगापुर से नादौती सड़क जो राजस्थान की स्टेट हाइवे रोड है, इसके लिए मैंने कई बार आपके माध्यम से निवेदन किया है। आज सड़क की स्थिति यह हो गई कि उसमें सैकड़ों साधन फंसे हुए हैं। पूरी सड़क क्षतिग्रस्त है। उसमें बहुत बड़े-बड़े गड्डे हो रहे हैं। पहले गर्मी के मौसम में रास्ता खेतों में से बना रखा था पर जैसे ही बरसात हुई है, आज टेलीविजन पर, ईटीवी पर भी यह आ रहा है। यह रोड पूरी तरह क्षतिग्रस्त है। कई सालों से इस पर काम नहीं हो रहा है। मैं मंत्री महोदय से एक बात और पूछना चाहूंगा कि यह जो ग्रामीण सड़कों को जोड़ना चाह रहे हैं, क्या पांच साल में इनको सीसी रोड से जोड़ेंगे, या ग्रेवल से जोड़ेगे, या डामरीकरण करेंगे, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह आग्रह है, इसका जवाब दें।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह आप नादौती वाली की, रिडकोर वाले की बात कर रहे हैं बाडौती से गंगापुर से, उसकी बात कर रहे हैं ?

श्री घनश्याम (टोडाभीम): नादौती अपने जो सिकन्दरा से गंगापुर को ...

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): रिडकोर..

श्री घनश्याम (टोडाभीम): स्टेट हाइवे की रोड है।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): रिडकोर की बात कर रहे हैं ना आप ...(व्यवधान)

श्री घनश्याम (टोडाभीम): यह रिडकोर नहीं है, यह स्टेट हाइवे रोड है

(श्री घनश्याम)

और यह बहुत व्यस्त है, इसमें रोड फंसी हुई है, सैकड़ों साधन फंसे हुए हैं आज ईटीवी पर भी यह समाचार आ रहा है कि सारा रोड बंद है।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने नादौती गंगापुर सड़क की चर्चा की है, उसकी हालत खस्ता बताई है, आज ही हमारे उच्च अधिकारियों को वहां भेजकर शीघ्र ही उसकी व्यवस्था करके उसको दुरूस्त करवा देंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री कन्हैयालाल।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): पहले मेगा हाइवे में सैंक्शन किया हुआ है, बीच में आपने इसको निरस्त करके, आपने अब अगर अख़बार में एक सूची और जारी की है, तो उसमें इसको मेगा हाइवे पर पीपीपी माडल पर इसे स्वीकृत दिखाया है।

श्री अध्यक्ष: आप स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): अख़बार के माध्यम से।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिए, जवाब आ रहा है।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो पीपीपी माडल की भी साथ में बात कर रहे हैं, कुछ सड़कें हमने अभी राजस्थान के जितने भी स्टेट हाइवे हैं और जितने एमडीआर हैं उनको 100 परसेंट पीपीपी मोड में ले लिया, यह बात सही है और उनका निर्माण होने में समय लगेगा। चूंकि माननीय सदस्य ने चिंता व्यक्त की है कि उसकी हालत अभी खस्ता है और अभी मोटरेबल नहीं हैं, इसलिए हमारा दायित्व बनता है कि पहले हम मोटरेबल करें, लोगों को असुविधा नहीं हो, तो उसके लिए आज उच्च अधिकारियों को भेजकर सारी व्यवस्था करवाकर उसको दुरूस्त करवा देंगे। बाकी जब भी उस रोड का पुनर्निर्माण का समय आएगा तो उसको पुनर्निर्मित करा देंगे। सीसी रोड, माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण क्षेत्र की सारी सड़के सीसी रोड़ नहीं बना पाएंगे, उसके लिए जो ग्रामीण परेशान हैं, उसी को सीसी रोड बनाने की बात हमने कही है।

श्री अध्यक्ष: श्री कन्हैयालाल।

श्री कन्हैयालाल (मालपुरा): माननीय अध्यक्षजी, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करता हूं कि मेरे मालपुरा टोडारायसिंह स्टेट हाइवे है, लगभग तीन साल से बुरी तरह क्षतिग्रस्त है, उस पर भारी वाहन चलने की

(श्री कन्हैयालाल)

वजह से दो-दो फीट गड्डे हैं। तीन मीटर चौड़ा रोड है, जबकि स्टेट हाइवे सात मीटर होना चाहिए। अभी उसके अन्दर कुछ पोरशन गारंटी पीरियड़ में था, बाकी गारंटी पीरियड़ से उन ठेकेदारों से लगभग 4-5 लाख रुपये की राशि थी उनकी, वह वसूल कर ली और गारंटी से हटाने के लिए भी आपके भिजवा दिया गया है, उनसे गारंटी हटाकर जल्दी से जल्दी ठीक कराने की व्यवस्था करें।

श्री अध्यक्ष: विरजिए। मंत्रीजी।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मालपुरा से आने वाले सदस्य ने जिस सड़क की चर्चा की है वास्तव में उसकी चौड़ाई कम है, ग्रामीण सड़क है और टोडारायसिंह से मालपुरा के बीच में बजरी का बहुत व्यापार है, लोग वहां से बजरी लेकर जयपुर तक आते हैं। ओवरलोडेड ट्रकों की बजह से वह सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है। माननीय सदस्य ने मेरे को पहले भी बताया। तो उसको अलग से निर्माण करने के लिए हम योजना बना रहे हैं। चूंकि उसमें जो संवेदक था उसने बार-बार रिपेयर की लेकिन वह ओवरलोडेड व्हिकल्स की वजह से टूट गया। उसके पैसे भी पूरे वसूल कर लिए, पेनल्टी भी लगा दी और अब उसने हाथ खड़े कर दिए। तो अब उसकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था हम देखेंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री नरपतसिंहजी।

श्री नरपत सिंह राजवी (वियाधर नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक अलग व्यवस्था का ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा मंत्रीजी का। पीएचईडी की जनगणना के अनुसार आप ढाणियों या गांवों की 2001 की आबादी को आधार मानकर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में जोड़ने का काम कर रहे हैं। गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर का कुछ भाग, जैसलमेर इनमें चकबंदी हुई है और हर चक को ग्रामीण राजस्व का दर्जा दिया हुआ है। कोडिंग इसमें, इलेक्ट्रिफिकेशन में भी, रूल इलेक्ट्रिफिकेशन के टाइम में हुई है। जलदाय विभाग का उस क्षेत्र में कुछ नहीं हुआ क्योंकि पीने का पानी उनको डिग्गी में उपलब्ध हो जाता था इसलिए वहां पर कोडिंग नहीं हुई। इन तीन चार जिलों में तो वह रेवेन्यू विलेज, चक बाउण्ड्री कोई जहां कि चक की आबादी है, उसी को आधार मानकर चर्चा करेंगे तो होगा। पंजाब में यही है, हरियाणा में भी यही है। लेकिन यह जैसलमेर में हो सकता है 250 की आबादी वहां पर अभी तक डवलप नहीं हुई है, चकों की आबादी में, वहां पर कोलोनाइजेशन तभी

(श्री नरपत सिंह राजवी)

होगा जब रोड नेटवर्क अच्छा हो जाएगा। जैसे गंगानगर जिले में आज काफी सुधार है, लेकिन मण्डी का पैसा है वह भी पीडब्ल्यूडी को ट्रान्सफर हो रहा है, अब मण्डी के माध्यम से सड़क नहीं बन सकती। पीडब्ल्यूडी वैसे नहीं बनाएगी, तो उस एरिया को वापिस बैकवर्ड की तरफ धकेलना है, तब तो सरकार पीछे, वरना मंत्रीजी को इस पर एक्सरसाइज करके केन्द्र से इस पर रिलेक्सेशन लेना पड़ेगा, इन दोनों तीनों जिलों के बारे में चर्चा करनी पड़ेगी।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): अब अलवर जिले का प्रश्न था उस पर हम बात करना चाहते थे।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये। आप मंत्रीजी से बात कर लेना।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): अलवर के विधायकों को बोलने नहीं दे, कैसे काम चलेगा? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी से बात कर लेना। मंत्रीजी।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विद्याधर नगर से आने वाले सदस्य ने जो चिंता व्यक्त की है उसमें यह बात सही है कि यह राज्य सरकार का नीतिगत निर्णय नहीं है, मैंने जैसा पहले कहा कि भारत सरकार ने 2001 की जनगणना को आधार आज भी माना हुआ है लेकिन राजस्थान में उसके बाद 2003 में जो पीएचईडी की हुई जनगणना उसको आधार लेकर कुछ गांवों को जोड़ा गया। अब आपने चर्चा की जैसलमेर और बीकानेर जिले हैं वह मरूस्थलीय क्षेत्र हैं, उनके लिए अलग योजना है। उनके हैबिटेशन है उनकी भी हमने सूची बना ली। जो गंगानगर और हनुमानगढ़ क्षेत्र है, उसमें वास्तव में चकबंदी है और उनको चकों को घोषित किया हुआ है, उनको भी हम ले लेंगे 1 आपने मण्डी की बात की है, उनका सर्वे भी आ गया, हमने सारे एससीज को यह निर्देश दे दिये कि वह चाहे चक है, चाहे ढाणी है, चाहे मजरा है उन सबको जो बिना सड़कों से जुड़े हुए हैं, उनकी सूची भिजवा दें। हमारे पास लगभग साढ़े पांच हजार गांवों की आ गई है और कोई रह भी गयी तो हम विशेष रूप से जिसकी चर्चा की है, उन जिलों की सूची मंगवा लेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी 476 किलोमीटर सड़कें इंदिरा गांधी नहर परियोजना की...

श्री अध्यक्ष: विराजिए।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): मण्डी की सारी सड़कों को हम पीडब्ल्यूडी...

श्री अध्यक्ष: अगला सवाल...(व्यवधान) मैं चाहता हूं कि वह आ जाए।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): एक सवाल और है मेरा...

श्री अध्यक्ष: आप सीधा जवाब दीजिए।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): एक मिनिट, सवाल नहीं है अध्यक्ष महोदय, एक चीज है। यह आपने जो बटन लगा रखे हैं बहुत सारे सदस्यों को पता नहीं कि कौन सा बटन दबाना होता है, तो कृपया आप यह बताने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष: श्री सुशील कटारा।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): पता नहीं है कई लोगों को।

श्री अध्यक्ष: सारे ठीक कर देंगे, प्रयोग हो रहा है।

जनजाति क्षेत्र में संचालित स्वच्छ परियोजना के कार्मिकों को नियमित वेतन श्रृंखला

170. श्री सुशील कटारा (चौरासी): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार द्वारा संचालित स्वच्छ परियोजना में कार्यरत कार्मिकों को नियमित वेतन श्रृंखला दी गई है? यदि हां तो किस-किस को? श्रेणीवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त परियोजना में कार्यरत खण्ड समन्वयक को नियमित वेतन श्रृंखला दी जा रही है? यदि हां तो जिला डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़ व बारां में कहां-कहां दी जा रही है व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उपरोक्त कार्यरत कार्मिकों को नियमित करने का विचार रखती है? यदि हां तो कब तक व नहीं तो क्यों?

(4) सरकार द्वारा संचालित स्वच्छ परियोजना किन-किन कार्यों का संचालन करती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री सुशील कटारा)

(5) उक्त परियोजना में वर्तमान में कार्यरत खण्ड समन्वयक एवं स्वास्थ्य कर्मियों को कौनसी वेतन श्रृंखला दी जा रही है?

जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री (श्री नन्दलाल मीणा) अध्यक्ष महोदय,

(1) जी नहीं, स्वच्छ परियोजना का संचालन संचालक मण्डल के माध्यम से होता है तथा स्वच्छ परियोजना एक गैर सरकारी संस्था के रूप में पंजीकृत है। जिसका पंजीयन 1996 में किया गया है। स्वच्छ परियोजना में कार्यरत 41 कार्मिकों को स्वच्छ संचालक मण्डल द्वारा सक्षम स्तर से स्वच्छ की निर्धारित वेतन श्रृंखला प्रदान की गई (परिशिष्ट-अ) सरकार द्वारा इसकी कोई स्वीकृति नहीं दी जाती है।

(2) जी नहीं। स्वच्छ परियोजना एक गैर सरकारी संस्था के रूप में पंजीकृत है जिसका संचालन स्वच्छ की सक्षम संचालक मण्डल के माध्यम से होता है तथा संचालक मण्डल के निर्देशों की पालना स्वच्छ परियोजना द्वारा की जाती है। सरकार द्वारा इसकी कोई स्वीकृति नहीं दी जाती है।

(3) जी नहीं। स्वच्छ परियोजना एक गैर सरकार संस्था है तथा संचालक मण्डल के माध्यम से इसका संचालन होता है। कार्मिकों के बारे में कोई भी निर्णय संचालक मण्डल द्वारा ही लिया जा सकता है। सरकार द्वारा इस पर किसी प्रकार का निर्णय नहीं लिया जाता है।

(4) स्वच्छ परियोजना द्वारा मुख्य रूप से विभिन्न विभागों यथा कृषि विभाग, पंचायती राज विभाग, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग एवं नाबार्ड द्वारा स्वीकृत विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है। स्वच्छ परियोजना द्वारा संचालित कार्यों का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(5) स्वच्छ परियोजना में कार्यरत खण्ड समन्वयकों एवं स्वास्थ्य कार्मिकों को योजना में स्वीकृत पारिश्रमिक दिया जा रहा है । जिसमें समय-समय पर योजना के अनुसार सक्षम स्तर पर परिवर्तन किया जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल समाप्त। पूरा कर लिया आपने। (व्यवधान) नहीं, अब नहीं। प्रश्नकाल समाप्त।

श्री सुशील कटारा (चौरासी): अध्यक्ष महोदय, तीन प्रश्नों में पूरा घण्टा खराब हो गया। पांच-पांच पूरक प्रश्न पूछते हैं और पूरे एक घण्टे में तीन ही प्रश्न हुए। इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन था।

श्री अध्यक्ष: आप अगर सहयोग दें तो मैं एक घण्टे में 10, 11, 12...

श्री सुशील कटारा (चौरासी): अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था बनाएं। ऐसे एक घण्टे में दो-दो, तीन-तीन प्रश्न ही आते हैं।

श्री अध्यक्ष: अब आप विराजिये। सदन का सहयोग मिलेगा तो दस तक भी आ सकते हैं, बारह तक भी आ सकते हैं। मुझे कोई एतराज नहीं है। सदन का सहयोग चाहिए मुझे। तय कर लीजिए कि पांच मिनट या सात मिनट से एक प्रश्न पर ज्यादा नहीं जाएं। ज्यादा से ज्यादा अपवाद स्वरूप दस मिनट, यह तय करके मुझे आप निर्देश दे दीजिए तो शायद हमेशा दस तक पहुंच सकते हैं। निर्देश आपका चाहिए।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय अध्यक्ष महोदय, निर्देश तो हम मानेंगे आपका। निर्देश तो आप देंगे।

श्री अध्यक्ष: विराजिये, बैठिये। बैठिये।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :-

1. श्री सुखराम विश्नोई, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सांचौर में नर्मदा नहर परियोजना के अन्तर्गत कार्य पूर्ण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ।

2. श्री धीरज गुर्जर एवं दो अन्य सदस्यों की ओर से प्रदेश के पशुपालकों को दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए डेयरी में दिये जाने वाले दुग्ध पर दो रुपये के स्थान पर चार रुपये प्रति लीटर बोनस देने का वादा करने के उपरान्त बोनस पर पूर्ण रोक लगा देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

3. श्रीमती शकुन्तला रावत एवं अन्य सदस्य की ओर से जिला अलवर में पहाड़ों पर खनन कार्य होने से जिले का सौन्दर्यीकरण बिगड़ने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

4. श्री मनोज कुमार, सदस्य की ओर से राज्य में पूर्व प्राथमिक अध्यापकों के 1148 पदों पर भर्ती की विज्ञप्ति जारी करने तथा परीक्षा तिथि निर्धारित कर देने के उपरान्त बिना किसी कारण परीक्षा स्थगित कर देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

5. श्री मानिक चन्द सुराना, सदस्य की ओर से सार्वजनिक निर्माण विभाग के केन्द्रीय कार्यालय में कर्मचारियों एवं अभियंताओं में हुई

(श्री अध्यक्ष)

मारपीट एवं पथराव की घटना से हुए असामान्य हालात से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री सुखराम विश्नोई, श्री धीरज गुर्जर, श्रीमती शकुन्तला रावत, श्री मनोज कुमार एवं श्री मानिक चन्द सुराना को अपने-अपने प्रस्ताव की विषय वस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

प्रक्रिया के नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

1. श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मुख्यालय चाकसू, जयपुर में मोर्चरी (पोस्ट मार्टम केन्द्र) खोलने के सम्बन्ध में।

2. श्री गिर्राज सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बाड़ी मुख्यालय पर 132 के.वी. जी.एस.एस. का कार्य शीघ्र प्रारम्भ करवाने के सम्बन्ध में।

3. श्री सुरेश सिंह रावत, सदस्य की ओर से श्री पुष्कर राज तीर्थ को टेम्पल टाऊन घोषित करने के सम्बन्ध में।

4. श्री सुशील कटारा, सदस्य की ओर से जिला डूंगरपुर के उपखण्ड सीमलवाड़ा में सरकारी महाविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में।

5. श्री रामलाल शर्मा, सदस्य की ओर से जयपुर जिले की सभी सड़कों पर टोल बूथ लगने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

6. श्री सुखाराम, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मेड़ता की पेयजल समस्या का समाधान करने के सम्बन्ध में।

7. म. रणधीर सिंह भीण्डर, सदस्य की ओर से राज्य के विद्यालयों में 2-3 साल के बच्चों से भी प्रवेश हेतु उनका मूल निवास स्थान प्रमाण पत्र मांगे जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

8. श्री अशोक, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली के नैनवां महाविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया पर रोक लगी होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

9. श्री वासुदेव देवनानी, सदस्य की ओर से अजमेर शहर के मुख्य मार्गों पर यातायात दबाव को संतुलित करने के लिए एलिवेटेड रोड का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

10. श्री गोतम कुमार, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी स्थित जाखम बांध से विद्युत उत्पादन प्रारम्भ करने हेतु आवश्यक कार्यवाही कर शीघ्र अनापत्ति प्रमाण-पत्र करने के सम्बन्ध में।

11. श्री अमृतलाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर की पेयजल समस्या का समाधान करने के सम्बन्ध में।

12. श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या', सदस्य की ओर से जिला चित्तौड़गढ़ के चन्देरिया क्षेत्र में सीमेन्ट फैक्ट्रियों के कारण प्रदूषण एवं धूल-मिट्टी (डस्ट) से क्षेत्रवासियों को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति दें या टेबल पर ले कर दें, ...(व्यवधान) पढ़ने की अनुमति होगी।

दिनांक 24 जुलाई को चिट के द्वारा वक्तव्य के लिये:-

1. श्री हीरालाल नागर, झालावाड़, काली सिंध, द्वितीय चरण का कार्य स्वीकृत कर प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में।
2. श्री सुरेश धाकड़, चित्तौड़गढ़ के चन्देरिया से बिड़ला सीमेन्ट द्वारा गोचर भूमि पर अतिक्रमण कर खनन कार्य करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
3. श्री गोरधन, धोद विधान सभा क्षेत्र में दुजोद पर स्थापित टोल पर पिक-अप गाड़ी का किराया बराबर कराने के सम्बन्ध में।
4. श्री नानालाल अहारी, खैरवाड़ा विधान सभा के दोनदी बांध की घोड़ा की नहरें अधूरी रहने के सम्बन्ध में।

श्री सुखराम विश्नोई।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

सांचौर में नर्मदा नहर परियोजना के अन्तर्गत कार्य पूर्ण नहीं होना

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत सरकार से जानना चाहूंगा कि नर्मदा नहर परियोजना मेरे विधान सभा क्षेत्र में मेरे लगते गुढामलानी, चौहटन दोनों में पिछले पांच साल से सिंचाई हो रही है और 2252 डिग्गियों का निर्माण हो चुका है।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय अध्यक्ष महोदय, पाइण्ट आफ इन्फार्मेशन।

श्री अध्यक्ष: आप विराजिये, विराजिये। पाइण्ट आफ इन्फार्मेशन लिखकर मुझे भेज दीजिए। (व्यवधान) पाइण्ट आफ इन्फार्मेशन लिखकर मुझे भेज दीजिए।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): उनमें से 495 डिग्गी और बिजली के कनेक्शन लग चुके हैं और 1670 डिग्गियों में कमेटियों के चुनाव हो चुके हैं। परन्तु बाकी जो डिग्गियां हैं, न तो उनके चुनाव हुए हैं, न उनमें विद्युत कनेक्शन हुआ है। पांच साल से चल रहा है। अगले वर्ष 2015 में परियोजना का निर्माण कार्य बंद होने जा रहा है। केवल मात्र एक साल बचा है। एक साल के अन्दर डिग्गियों का सिर्फ 20 प्रतिशत काम हुआ है। मैं जानना चाहूंगा कि जो बाकी डिग्गियों का अविलम्ब कार्य पूर्ण किया जाए ताकि किसानों को फायदा मिल सके। वे अपनी रबी की फसल की पिलाई कर सकें। इसके साथ ही यह जो नहर है, इस नहर में कुछ बनाने के बाद डिग्गियां टूट चुकी हैं। जो डिग्गियां टूट चुकी हैं, उनको कब रिपेयर करेंगे, कब उसको ठीक करेंगे, कब किसान पिलाई करेंगे। यह मेरा महत्वपूर्ण मुद्दा है। मैं इसे जानना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री धीरज गुर्जर। खतम कर दिया आपने। बाकी रह गया हो तो आप दो-चार मिनट और ले सकते हैं। श्री धीरज गुर्जर। धीरजजी, बोलिये।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): कुछ रह गया हो तो दो-चार मिनट और ले सकते हैं।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): नहीं, नहीं। आज साहब खुश हैं।

प्रदेश के पशुपालकों को डेयरी में दिये जाने वाले दुग्ध पर दो के स्थान पर चार रुपये प्रति लीटर बोनस देना

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सदन और माननीय मंत्री महोदय की जानकारी में लाना चाहता हूं कि राजस्थान राज्य में पशुपालकों के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है।

एक माननीय सदस्य: ओह हो।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): ओह हो, नहीं। आपके यहां भी डेयरी होगी। ओह हो का अभी आपको अहसास हो जाएगा। आपने भी गरीबी देखी होगी। ओह हो करके मुद्दे को खतम मत करो।

श्री अध्यक्ष: वे आपका समर्थन कर रहे हैं।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): राजस्थान के अन्दर गौ-पालकों को प्रोत्साहन देने के लिये गाय वाली बात सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि प्रति लीटर दो रुपये प्रोत्साहन राशि पूर्ववर्ती सरकार ने शुरू की थी कि जो भी किसान डेयरी संघों के अन्दर अपना दूध बेचेगा, उसको दो रुपये लीटर हम देंगे। राज्य के अन्दर लगभग बीस लाख लीटर दूध रोज आता है। मतलब चालीस लाख रुपये रोज किसानों के पास जाते। गहलोत सरकार ने यह बांटना शुरू किया। सुराज संकल्प यात्रा में आपकी सरकार फील्ड में निकली। आप लोगों ने राजस्थान के पशुपालकों से वादा किया कि दो रुपये तो कम पड़ता है, हम आपको चार रुपये प्रति लीटर का बोनस देंगे, आपको प्रोत्साहन देंगे। किसान आपकी बातों में आ गया। किसान ने आपका विश्वास किया और आज आप सत्ता के अन्दर बैठे हुए हैं। लेकिन दुर्भाग्य राजस्थान के किसानों का, एक अप्रैल, 2014 से राजस्थान राज्य के 21 डेयरी संघों के अन्दर जो पशुपालक अपना दूध देते हैं, उनको दो रुपये प्रति लीटर का बोनस भी बंद हो चुका है। मैं आपके सामने यह मांग करना चाहता हूं कि इन लोगों को बोनस दिया जाए। राजस्थान के अन्दर 21 डेयरी संघों के माध्यम से 12875 दुग्ध समितियों में लगभग सात लाख से ज्यादा किसान प्रतिदिन बीस लाख लीटर दूध बेच रहे हैं और उनको दो रुपए प्रति लीटर की बोनस राशि हम जोड़ें तो 40 लाख रुपए प्रति-दिन का घाटा हो रहा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपस में चर्चा नहीं। चर्चा आपस में नहीं।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): इस कमर तोड़ महंगाई के जमाने में राज्य में बोनस को बंद करवाकर पशु-पालकों को मारने का काम कर रहे हैं। इसके साथ ही मैं एक चीज आपके ध्यान में और लाना चाहता हूं कि मंत्रीजी, भीलवाड़ा जिले के अन्दर करोड़ों की लागत से लाम्बिया के अन्दर पशु-आहार संयंत्र बनकर तैयार खड़ा है। उसका उद्घाटन हो चुका है लेकिन आर.सी.डी.एफ.सी. और डेयरी बोर्ड की आपस की खींचतान के अन्दर वह आज बंद पड़ा हुआ है। जिले के अन्दर बाहर से क्योंकि भीलवाड़ा की डेयरी राजस्थान के अन्दर ऐसी डेयरी है कि उसके अन्दर बाहर से पशु-आहार आता है। उसके ट्रांसपोर्टेशन पर खर्चा बढ़ जाता है और किसानों को बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है। मैं मांग करता हूं कि आर.सी.डी.एफ.सी. और डेयरी बोर्ड के आपसी विवाद का निस्तारण करके सरकार इसे भी तत्काल प्रभाव से प्रारम्भ करवाए।

(श्री धीरज गुर्जर)

साथ ही एक मांग और भी करता हूं कि इसी सरकार के घोषणा-पत्र के अन्दर कहा गया था कि गौ-पालकों को प्रति फेट 6 रुपए लीटर का समर्थन मूल्य देंगे। अभी तक उसकी घोषणा नहीं की। इसमें एक विसंगति है। मैं मानता हूं कि डेयरी दूध किस रेट पर खरीदेगी, यह सरकार नहीं तय करती है, यह डेयरी संघ खुद तय करते हैं। लेकिन कम से कम सरकार का इतना नियंत्रण होना चाहिए क्योंकि आज अजमेर जिस रेट पर दूध खरीद रहा है उससे एक रुपए लीटर कम दूध की दर से, भीलवाड़ा के अन्दर कम में खरीद रही है डेयरी और चित्तौड़ में तो उससे भी एक रुपया प्रति लीटर दूध कम में खरीद रहे हैं। आज तीन की फेट का जो दूध खरीद रहे हैं 20 रुपए 15 पैसे के अन्दर वह दूध खरीद रहे हैं और सरस छाछ जो आप बेच रहे हो, 20 रुपए लीटर छाछ बेच रहे हो तो मतलब, किसानों से आप दूध खरीद रहे हो 20 रुपए लीटर के अन्दर और आप छाछ बेच रहे हो 20 रुपए लीटर के अन्दर, यह किसानों के साथ और पशु-पालकों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। मैं आपसे मांग करता हूं कि इस बात को कहा जाए और पूरे राज्य के अन्दर मिनिमम दर कम से कम सरकार तय करे कि हम कोई एक निश्चित दर तय करते हैं। डेयरी संघ इससे कम राशि के ऊपर दूध नहीं खरीद पाएंगे।

इसके साथ मैं आपसे मांग करता हूं कि चार रुपए अगर आप नहीं दे सकें तो कोई बात नहीं, दो रुपए तो दे दें वरना राजस्थान के पशु-पालकों के साथ तो यह हो गया कि चौबे जी छब्बेजी बनने गये थे, दूबेजी बनकर लौट आए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह चाहूंगा, आपकी कृपा भी होगी, डेयरी मंत्रीजी यहां पर बैठे हैं अगर वक्तव्य दिलवा देंगे तो बहुत-बहुत आपका आभार होगा।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती शकुन्तला रावत।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ इन्फार्मेशन है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इजाजत है?

श्री अध्यक्ष: एक मिनट, इनका पाइंट आफ इन्फार्मेशन है।

सूचना

वकीलों की हड़ताल से उत्पन्न स्थिति

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय अध्यक्ष महोदय, हाई कोर्ट और अन्य कोर्टस में हड़ताल चल रही है। वकील लोग हड़ताल पर हैं इससे न्यायिक कार्य प्रभावित हो रहा है। मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आज वकीलों के समर्थन में हमारे पूर्व मंत्री श्री भंवरलालजी शर्मा भी भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। कृपया इस विषय पर गम्भीरता से विचार करें।

श्री अध्यक्ष: बस, विराजिए।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): दूसरी बात यह कहना चाहूंगा कि जिन लोगों के ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: भंवरलालजी शर्मा का है इसलिए मैंने इन्फार्मेशन आने दी। विराजिए।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): सरकार मध्यस्थता करके हड़ताल को तुड़वायें। (व्यवधान)

श्री राम लाल गुर्जर (आसींद): माननीय अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ इन्फार्मेशन।

श्री अध्यक्ष: हां, पाइंट आफ इन्फार्मेशन आपका है। यह भी बोलेंगे, इसके बाद।

आसींद क्षेत्र में अनजाने धमाके से उत्पन्न स्थिति

श्री राम लाल गुर्जर (आसींद): माननीय अध्यक्ष महोदय, कल भी मेरे भू-गर्भीय हलचल या हो सकता है कि हिन्दुस्तान जिंक से, हो सकता है जिंदल से, हो सकता है श्रीसीमेंट फैक्ट्री से, तीस-चालीस किलोमीटर की दूरी तक धमका हुआ। खिड़कियां वगैरह हिल जाती हैं और सब लोग दहशत में हैं कि यह क्या हुआ? दो दिन पहले फिर इतना ही बड़ा धमका हुआ। वह रेगुलर इधर बार, आसींद, बनरोल, सगरामगढ़ पूरे सर्किल में जाता है और लोग एक बार, पिछले साल भी हुआ तो मैंने जिला कलक्टर महोदय को अवगत करवाया था और मैंने कहा कि इसकी जानकारी करो कि ऐसा क्या हो रहा है? कभी कोई मोटा हादसा नहीं हो जाए।

श्री अध्यक्ष: विराजिए।

श्री राम लाल गुर्जर (आसींद): इसलिए थोडा इस पर ध्यान दें।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती शकुन्तला रावत।

श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर): माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसी की ऐसी घटना हमारे क्षेत्र में भी हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड की माइन्स में हुई।

श्री अध्यक्ष: हां, श्रीमती शकुन्तलाजी रावत।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): माननीय अध्यक्ष महोदय, अब देखिए कि कितने लोगों को आपने मेरे से पहले तीन बार परमिशन दे दी?

श्री अध्यक्ष: आपके लिए शांत हो गया, आप बोलिए। आपका वक्तव्य दीजिए।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): आप दे सकते हैं क्योंकि आप मालिक हैं, सर्वेसर्वा हैं सदन के। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: वक्तव्य दीजिए।

अलवर में पहाड़ों पर खनन कार्य होने से जिले का सौन्दर्यीकरण बिगड़ने से उत्पन्न स्थिति

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): आज नियमों के नियम 50 के तहत स्थगन प्रस्ताव के जरिए निवेदन है कि अलवर अरावली-पर्वत-मालाओं से सुसज्जित एक शहर है जिसके चारों तरफ अरावली की सुन्दरता है लेकिन यह सौन्दर्य-करण दिन पर दिन बिगड़ता जा रहा है कि क्षेत्रों के पहाड़ी खनन के कारण जहां पर क्रेशर के लिए एक जगह अनुमति दी जाती है लेकिन उसमें जोड़कर उसी से उसके रजिस्ट्रेशन के द्वारा कई दूर तक, कई किलोमीटर तक चाहे वहां पर गोचर हो, चाहे सिवायचक हो, वहां तक कब्जा करके अवैध खननों को चालू कर रखा है तो यह एक गम्भीर विषय है। क्योंकि जो पर्वतमालाएं हैं वे रक्षक भी हैं जीवन की ही और इस धरती माता की भी। जैसा कि उदाहरण भी है कि अलवर के पास भरतपुर में भगवान श्रीकृष्ण ने भी रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को उठाया था और यह पूजा के योग्य भी है। अगर इन पर रोक नहीं लगायी गयी तो दिन पर दिन विस्फोटों से आये दिन जो राहगीरों को, आस-पास में रहने वाले ग्रामीणों को जो खतरा होता है और पोल्यूशन भी वहां का बिलकुल दूषित है तो इसलिए जो गैरकानूनी क्रेशर चल रही हैं, उन पर कानूनी रोक लगानी चाहिए जिससे कि यह नुकसान नहीं हो

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

और हम प्राकृतिक सौन्दर्य-करण को बचा सकें। इस तरीके से ही अगर चलता रहा और सारे पहाड़ के पहाड़ नष्ट होते रहे तो यह भूमि पर प्राकृतिक आपदाओं को आने में कोई कमी नहीं रहेगी। आगे भी आ रही है इसी तरीके से चाहे पेड़-पौधे हों, पर्वत पर, पहाड़ों पर जो वन की रक्षा है यह भी अति आवश्यक है। इतना ही मैं कहना चाहूंगी। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री मनोज कुमार।

पूर्व प्राथमिक अध्यापक की परीक्षा स्थगित कर देने से उत्पन्न स्थिति

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया के नियम 50 के तहत पूर्व प्राथमिक अध्यापक भर्ती के सम्बन्ध में चर्चा करना चाहूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी इस संवेदनशील सरकार ने 2003 और 2008 के बीच में एन.टी.टी. के नाम से 26 कालेज की स्थापना की और 26 कालेज स्थापित करके हमारे राजस्थान के बेरोजगार लोगों को एन.टी.टी. के माध्यम से प्रशिक्षित किया। दो साल का छात्रों ने प्रशिक्षण लिया और 2008 के इस प्रशिक्षण के बाद इन्होंने एक भी वेकेंसी उन पूर्व प्राथमिक अध्यापकों के लिए नहीं निकाली और एक वेकेंसी उन अध्यापकों के लिए 2012 में माननीय पूर्ववर्ती सरकार ने 500 छात्रों को भर्ती किया लेकिन उसके बाद पूर्ववर्ती सरकार ने 27.8.2013 को ही एक विज्ञप्ति जारी करके और 1148 पदों की भर्ती निकाली। उसमें 5200 छात्रों ने फार्म एप्लाई किये और उसकी 19.1.2014 को भर्ती की परीक्षा की तारीख तय हो गयी और 1.1.2014 को उसके लिए सभी को आवेदन-पत्र जारी कर दिए और 17 तारीख को अचानक सभी छात्रों के पास किसी प्रकार का लिखित में कोई जवाब गवर्नमेंट का नहीं आया लेकिन एक-एक मैसेज भेजा गया कि आपकी जो परीक्षा 19.1.2014 को होने जा रही है वह स्थगित कर दी गई है। उसके अलावा सरकार की तरफ से उसमें किसी भी प्रकार का जवाब नहीं दिया गया। और यह सरकार जो संवदेनशील सरकार बार-बार कहती है, इन्होंने इस योजना को जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक की परीक्षा थी, उसको इन्होंने 60 दिवसीय कार्य योजना में शामिल कर उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग से इसका पूरा सर्वे करवाने की रिपोर्ट मांगी लेकिन इस सरकार ने अब इन छात्रों के बारे में,

(श्री मनोज कुमार)

जिनका 19.1.2014 को एग्जाम होना था, आज तक न तो लिखित में यह दिया कि यह परीक्षा दुबारा होगी या नहीं होगी या इसको हमने रद्द कर दिया, स्थगित रहेगी या कब तक हम इसका एग्जाम करवा देंगे। इन छात्रों के साथ ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिए। लम्बा कर दिया आपने बहुत।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): इस सरकार ने जो बेरोजगार के साथ अन्याय कर रखा है, विद्यार्थी मित्र इनके आंदोलन पर हैं, नि:शुल्क दवा के कम्प्यूटर आपरेटर इनके आंदोलन पर हैं और पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक जो आंदोलन पर हैं, ऐसी स्थिति में, मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इसके लिए जरूर कोई न कोई व्यवस्था करें और इस परीक्षा को रद्द क्यों किया, इसका जवाब दें।

श्री अध्यक्ष: श्री मानिक चन्द सुराना।

सार्वजनिक निर्माण विभाग के केन्द्रीय कार्यालय में कर्मचारियों एवं अभियंताओं के बीच मारपीट एवं पथराव की घटना

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो नियम-50 के अन्दर सदन की कार्यवाही को रोककर चर्चा करने का निवेदन किया था, माननीय अध्यक्ष महोदय, उसको तो आपने स्वीकार नहीं किया लेकिन आपने जो हमें बोलने का वक्त दिया है, बात को कहने का वक्त दिया है, उसके लिए धन्यवाद।

पी.डब्ल्यू.डी. के केन्द्रीय कार्यालय, जयपुर में स्थितियां पूर्णत: 22, 23 एवं 24 तारीख से बिलकुल असामान्य हो गई हैं। समाचार-पत्रों में बड़े-बड़े हैडिंग आ रहे हैं- 'एक स्टेनोग्राफर की बहाली के मुद्दे पर भिड़े कर्मचारी और अभियंता'।

'पी.डब्ल्यू.डी. परिसर में चले लात-घूंसे', यह पत्रिका की खबर है, अध्यक्ष महोदय, 23.7.2014 की। इसी तरह 23.7 की भास्कर की बड़ी खबर है 'पी.डब्ल्यू.डी. दफ्तर में इंजीनियरों और कर्मचारियों में चले ईंट-पत्थर व गैस चूल्हा-चार जख्मी' अध्यक्ष महोदय, फिर आज की खबर है 'पी.डब्ल्यू.डी. इंजीनियरों ने कहा दबाव मानकर गलत काम करवाना चाहते हैं कर्मचारी'।

अध्यक्ष महोदय, यह पिछले 30 सालों में भी ऐसी स्थिति केन्द्रीय

(श्री मानिक चन्द सुराना)

कार्यालय में, जो जयपुर में है, मैंने कभी नहीं देखी और यह स्थिति इतनी असामान्य है कि साधारण आदमी पी.डब्ल्यू.डी. के केन्द्रीय कार्यालय में प्रवेश नहीं कर सकता। ठेकेदार, जो वहां काम करते हैं, जिनको साधारणतया अपने काम-काज से भी आना-जाना होता है। वह आदमी प्रवेश नहीं कर सकता। मेरा निवेदन यह है कि इस असामान्य स्थिति पर वर्तमान सरकार को और वर्तमान पी.डब्ल्यू.डी. मंत्री महोदय को तत्काल कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिये जिससे कि अभियन्ता और कर्मचारियों के बीच में जो तनाव है, और तनाव और खाई बढ़ती जा रही है, वह वापस सामान्य स्थिति में आए और यदि ऐसा नहीं होता, अध्यक्ष महोदय, स्थिति यहां तक बदतर है कि दोनों तरफ से फौजदारी मुकदमे एक दूसरे के खिलाफ करवाये हुए हैं। अभियन्ता द्वारा एक रिटायर्ड कर्मचारी के विरुद्ध और अन्य 20-25 कर्मचारियों के विरुद्ध मारपीट और राजकार्य में बाधा डालने का मुकदमा तथा दूसरा मामला रिटायर्ड कर्मचारियों द्वारा अभियन्ता व अन्य व्यक्तियों के खिलाफ मारपीट का मुकदमा दर्ज कराया गया है और इन सारी स्थितियों में वहां जो कुछ भी चल रहा है, मेरा निवेदन है कि न तो उसमें कोई जा सकता है, न कोई आ सकता है। सामान्य काम-काज बंद है और इसलिये असामान्य स्थिति को जल्दी से जल्दी साधारण स्थिति में बदलने के लिये बहुत सक्षम कदम माननीय मंत्री महोदय और राज्य सरकार द्वारा उठाने चाहिये और इसी पर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए मैंने यह नियम 50 का प्रस्ताव आपके समक्ष और सदन के समक्ष रखा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यही निवेदन करना है कि राज्य सरकार के मंत्री, पी.डब्ल्यू.डी. मिनिस्टर साहब भी विराजे हैं और उन्हें इस असामान्य स्थिति पर कुछ न कुछ सामान्य करने के लिये कुछ बात कहनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदय, आप रेस्पांड करेंगे?

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य, जो कि वरिष्ठतम भी हैं, और इन्होंने विषय की गम्भीरता को भी देखते हुए आज नियम 50 में यह मुद्दा उठाया है। वास्तव में यह सही है कि इस घटना की जो आपने चर्चा की आज सदन में, यह सारी घटनाएं घटित हुई और, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह शर्म की बात है कि इस तरीके की घटनाएं सरकारी कार्यालयों में वह लोग, जिन पर पूरे राज्य की जिम्मेदारी है, जिन पर लोग

(युनुस खान)

विश्वास करते हैं और वह चूंकि सरकारी कर्मचारी भी हैं, उनके नियम-कायदे भी बने हुए हैं। अगर उनके सामने कोई समस्या हो तो उस समस्या का समाधान करने के लिए सक्षम अधिकारी के पास भी जा सकते हैं तो पिछले चार दिन में जो घटनाक्रम वहां सार्वजनिक निर्माण विभाग में हुआ, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने सारी रिपोर्ट मंगवाई है, मैं सदन को और राजस्थान की जनता को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो लोग दोषी हैं, और जिन्होंने जान-बूझकर के कृत्य किया है और मेरे पास अब तक जो प्राथमिक सूचना आई है, उसमें माननीय अध्यक्ष महोदय, खाली सरकारी कर्मचारी और इंजीनियर और जो हमारे कर्मचारी हैं, वही नहीं, कुछ बाहर के लोग भी इस घटना में इन्वाल्व थे और उन्होंने वहां माहौल बिगाड़ा। दोनों तरफ से एफ.आई.आर. है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि सख्त से सख्त कार्यवाही, जो भी दोषी लोग हैं, उनके खिलाफ करेंगे और जिन्होंने भी वहां इल्लीगल रूप से प्रवेश किया है, उनकी भी वीडियोग्राफी से हम स्टडी कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको और सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करेंगे और जो दोषी लोग हैं, उनको जल्दी ही ढूंढ कर उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे, यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। जो लोग हमारे कर्मचारी नहीं हैं, उनको राजकार्य में बाधा डालने के लिए उनके खिलाफ भी कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष: एक टिप्पणी मैं भी करना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय। इस सदन में आपका व्यवहार और आपका जो कंडक्ट है, वह बहुत ही प्रशंसनीय है, लेकिन प्रशासनिक दृष्टि से चार दिन से यह जो घटना हो रही है, उसमें मुझे लगता है कि आप सख्त नहीं हैं और प्रशंसा के पात्र आप तब बनेंगे, जब यह आपने जैसा कि वादा किया है, इसका समाधान निकाल देंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा हूं कि माननीय मंत्री महोदय ने स्टेटमेंट बिलकुल ठीक दिया है। दो कार्यवाही हैं एक कार्यवाही, जिन्होंने एफ.आई.आर. दर्ज करायी, उन पर पुलिस कार्यवाही करेगी। लेकिन एक कार्यवाही, प्रशासनिक कार्यवाही भी है। हम चार दिन तक इतनी बड़ी घटना होने के बाद में प्रशासनिक रूप से चुप नहीं रह सकते। प्रशासन ने क्या कदम उठाया? सरकारी कर्मचारियों ने जिस प्रकार का व्यवहार किया, आज भी उसी डिपार्टमेंट में वही काम कर रहे हैं, तो प्रशासनिक रूप से तो आज तक इनको निर्णय ले लेना चाहिए था। प्रशासनिक रूप से जो आपने कार्य किया है, वह बताइये। दो अलग-अलग कार्यवाही हैं।

श्री अध्यक्ष: आप रेस्पांड करेंगे?

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा आपने निर्देश दिया और मैंने इस सदन को कहा भी है कि यह सही है कि मैं सख्त से सख्त कार्यवाही करवाऊंगा और नियमानुसार करवाऊंगा और जिन्होंने नियम का उल्लंघन किया है, वह एक भी कर्मचारी-अधिकारी नहीं बचेगा, यह विश्वास मैं आपको दिलाना चाहता हूं। सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रशासनिक बात की कही, उसमें हमने परसों ही यह स्टेप उठा लिए थे और जिनको नोटिस जारी करने थे, उनको नोटिस जारी कर दिये। जो नियमानुसार कार्यवाही हो सकती थी, वह की है। उसके बावजूद भी कुछ लोग वहां बाहर धरना दिये हुए बैठे हैं। आज शाम तक हम जिनके खिलाफ कार्यवाही प्रशासनिक रूप से होने वाली है, वह करेंगे और जो कानूनन एफ.आई.आर. दर्ज हुई है, उसमें चाहे कोई व्यक्ति कहीं से भी जुड़ा हुआ हो, कितना ही बड़ा हो, उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही नियमानुसार और सख्त होगी।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। 295, श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

चाकसू में मोर्चरी (पोस्टमार्टम केन्द्र) खोलना

श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा (चाकसू): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि विधान सभा क्षेत्र मुख्यालय चाकसू, जयपुर से लगभग 40 किलोमीटर दूर स्थित है तथा इस क्षेत्र से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 गुजरता है। चाकसू लगभग 50-60 किलोमीटर की परिधि में बसा हुआ है। इस क्षेत्र में कोथून, चाकसू, फागी, कोटखावदा, मांजी रेनवाल, शिवदासपुरा आदि कई छोटे-बड़े कस्बे बसे हुए हैं। इनकी आबादी 5-6 लाख है तथा लगभग पूरा ग्रामीण क्षेत्र है। इस क्षेत्र में आए दिन प्राकृतिक आपदाएं एवं दुर्घटनाएं होती रहती हैं। अनेक बार दुर्घटनाओं में जीवन की क्षति भी होती है। पीड़ित परिवार के लिए यह समय अत्यधिक दु:ख भरा होता है। नियमानुसार मृतक का पोस्टमार्टम करवाया जाना आवश्यक होता है, जिसके लिए शव को पोस्टमार्टम हेतु जयपुर शहर में स्थित महात्मा गांधी अस्पताल, सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र तक लाया जाता है। अधिक दूरी और लगने वाले समय के कारण पीड़ित परिवार की दु:ख की घड़ियां बढ़ जाती हैं। जब तक शव

(श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा)

पोस्टमार्टम के बाद प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक अनेक लोग दु:खी और बेबस होते हैं। अनेक बार शव 24 घंटे बाद तक प्राप्त नहीं होता, जिससे पीड़ित परिवार व सगे-सम्बन्धियों की दशा खराब हो जाती है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक भी मोर्चरी (पोस्टमार्टम केन्द्र) नहीं होने के कारण ऐसा होता है।

अत: मैं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत इस विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं कि विधान सभा क्षेत्र चाकसू में तत्काल प्रभाव से प्राथमिकता के आधार पर एक मोर्चरी (पोस्टमार्टम केन्द्र) खोलने की घोषणा करें। साथ ही मौजूदा सत्र में वित्तीय स्वीकृति जारी करवा कर मोर्चरी की स्थापना की जाए ताकि क्षेत्रवासियों को दु:ख की घड़ी में राहत प्राप्त हो सके।

श्री अध्यक्ष: आप रेस्पांड करेंगे?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): जी हां। अध्यक्ष महोदय, सरकार पूरी तरह आकर्षित हो चुकी है और इसी वित्तीय वर्ष में चाकसू सी.एच.सी. में मोर्चरी खोल देगी।

श्री अध्यक्ष: श्री गिर्राज सिंह।

बाड़ी में 132 के.वी. जी.एस.एस. की स्थापना

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के जरिये निवेदन करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र बाड़ी में पूर्ववर्ती सरकार ने बाड़ी में 132 के.वी. जी.एस.एस. स्थापित करने की एवं शीघ्र ही उस पर कार्य प्रारम्भ कराये जाने की घोषणा की थी। उक्त उद्देश्य के लिए पिछली सरकार ने भूमि अधिग्रहण करके उसकी चारों तरफ से चारदीवारी (बाउन्ड्री) कर दी गई है परन्तु उससे आगे का कार्य पूर्ण रूप से बंद है। बाड़ी की आम जनता को बहुत परेशानी एवं कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। 10-10, 12-12 घंटे तक लाइट नहीं आती है जिसके कारण चोरी, डकैती, लूटपाट की घटनाएं हो रही हैं एवं जिससे हमारे क्षेत्र का मशहूर पत्थर उद्योग भी चौपट होने के कगार पर है। अब की बार किसानों पर बारिश ने भी कहर बरसाया है। ऐसी स्थिति में, सिंचाई के लिए विद्युत की अव्यवस्था से फसलों की बरबादी हो रही है। किसान बहुत पीड़ित हैं।

मेरा अध्यक्ष महोदय के माध्यम से आदरणीय मुख्य मंत्रीजी से

(श्री गिर्राज सिंह)

निवेदन है कि किसानों, व्यापारियों एवं आम जनता के हितों को ध्यान रखते हुए शीघ्रातिशीघ्र 132 के.वी. जी.एस.एस. बाड़ी का कार्य प्रारम्भ कर अनुग्रहीत करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री सुरेश सिंह रावत।

पुष्कर तीर्थ विकास मण्डल, 1972 का पुनर्गठन

श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर): अध्यक्ष महोदय, विधान सभा क्षेत्र पुष्कर के पुष्कर तीर्थ विकास मण्डल, 1972 को पुनर्गठित कर 'श्री पुष्कर राज तीर्थ' को राज्य का प्रथम धार्मिक, आध्यात्मिक एवं हैरीटेज क्षेत्र के रूप में विकसित करने हेतु टैम्पल टाउन घोषित करने के सम्बन्ध में प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अन्तर्गत विशेष प्रस्ताव के जरिए निवेदन करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि सृष्टि रचयिता श्री ब्रह्माजी का सृष्टि पर प्रथम यज्ञ सम्पन्न करने के मानसिक संकल्प और कर-पुष्प से प्रस्फुटित त्रिपुष्कर, ज्येष्ठ (ब्रह्मा पुष्कर), गध्य पुष्कर (विष्णु पुष्कर), कनिष्ठ (रूद्र पुष्कर) का उद्‌गम होने की मान्यता सर्वविदित है। पुष्कर तीर्थ आदि अनादि तीर्थ है। यह स्वयंभू तीर्थ है। इसके प्राकटय का कोई लौकिक कारण नहीं है।

पुष्कर राज की महिमा और महात्म्य ऋग्वेद 7/33/11, 6/16, यजुर्वेद 11/32, वाल्मीकि रामायण, महाभारत के वन पर्व 82/25, 82/26, श्री मद् भागवत महापुराण, अग्नि पुराण, कर्म पुराण, स्कन्द पुराण, हरिवंश पुराण 9/23, ब्रह्मवैवर्त पुराण 5/70, 71 व पदम पुराण के सृष्टि खण्ड में वर्णित है। भगवान श्रीराम द्वारा अपने पिता श्री दशरथजी के गया कुण्ड पुष्कर में श्राद्ध का उल्लेख पदम् पुराण और गरूड़ पुराण में, भगवान श्री कृष्ण का मथुरा से द्वारका गमन का वर्णन हरिवंश पुराण में वर्णित है। उसी काल का मानबाय मंदिर और अरण्य क्षेत्र आज भी जीवन्त है। नन्दा सरस्वती का उदगम और जल प्रवाह क्षेत्र भी पुष्कर में रहा है। पाण्डव आगमन एवं आवास के प्रमाण पंचकुण्ड क्षेत्र में व गौमुख क्षेत्र का अनन्त महत्व है।

बादशाह जहांगीर के आवास के महल आज भी पुरातत्व विभाग द्वारा सुरक्षित हैं। इसके अलावा, सतयुगीन नाग पहाड़ क्षेत्र विशाल अरण्य क्षेत्र रहा है। जिसमें सतयुगी ऋषि वामदेव, विश्वामित्र, अगस्त्य, मार्कण्डेय, सांख्यशास्त्र

(श्री सुरेश सिंह रावत)

के प्रणेता महर्षि कपिल, 27 कल्पदृष्टा को जानने वाले महर्षि लोमहर्ष, महर्षि जमदग्नि की आराधना व तपोस्थली रूप में विख्यात विभिन्न गुफाएं आज भी विद्यमान हैं जहां पूजा अर्चना निरन्तर जारी है। 51 शक्ति पीठों में से एक शक्ति पीठ पुरूहूता पहाड़ पर चामुण्डा मन्दिर भी आस्था का प्रमुख केन्द्र है।

भगवान आध्य शंकराचार्य द्वारा सातवीं सदी में पुष्कर क्षेत्र से प्राप्त श्री ब्रह्माजी की मूर्ति को स्थापित करने का उल्लेख मिलता है जो विश्व में एकमात्र 'ब्रह्मा मन्दिर' के नाम से विख्यात और पूजित है। रत्नागिरी पर्वत पर सावित्री मन्दिर, मर्यादा पर्वत पर पापमोचनी एवं गायत्री मन्दिर, सदियों पुराने वराह मंदिर, पुराना रंगजी मंदिर, नया रंगजी मंदिर, अटमटेश्वर, कपालेश्वर, वैजनाथ आदि तीर्थ रूप में हिन्दू धर्म के अनुयायियों के प्रमुख आस्था केन्द्र हैं। पुष्कर में विभिन्न सम्प्रदायों के लगभग 150 मन्दिर, पूजा स्थल व आराधना केन्द्र हैं तथा विभिन्न सम्प्रदायों के आश्रम और धर्मशालाएं भी हैं।

पुष्कर में जैन सम्प्रदाय के आचार्य पार्श्वनाथ के आवास और उनके द्वारा स्थापित 'पदमावती नगर' के अवशेष आज भी मिल रहे हैं और वहां विशाल जैन मंदिर भी है। इसके अलावा, धरा पर अवस्थित पांच प्रमुख सरोवर हैं जिनमें पुष्कर का 'ब्रह्मा सरोवर' भी है और बाकी अन्य चार में मानसरोवर (तिब्बत), पम्पा सरोवर (कर्नाटक), बिन्दु सरोवर व नारायण सरोवर (गुजरात) में है। पुष्कर के ब्रह्मा सरोवर की पौराणिक और धार्मिक महिमा अनन्त है। पदमपुराण के सृष्टि खण्ड में वर्णित अनुसार ब्रह्मा सरोवर के दर्शन मात्र से ही मुक्ति और स्नान से सर्व पाप क्षय होते हैं।

पुष्कर के सभी तीर्थों का गुरु होने का उल्लेख भी शास्त्रों में मिलता है। पुष्कर का धार्मिक मेला विश्वविख्यात है और प्रतिवर्ष लगभग 40-50 लाख धार्मिक श्रद्धालु तीर्थ यात्री सभी देश के कोने-कोन से आते हैं और करीब एक लाख विदेशी सैलानी भी पुष्कर भ्रमण करते हैं।

उक्त महत्ता को देखते हुए मेरा अनुरोध है कि पुष्कर प्रवेश की सभी दिशाओं में कुल 07 द्वार सप्तऋषियों के नाम से निर्मित हों, ऋषि दीर्घा एवं संतदीर्घा स्थापित की जाए। आध्यात्मिक विकास केन्द्र हो जिसमें वेद, उपनिषद, पुराण वेदान्त, प्रस्थनत्रयी, गीता, भागवत पर रिसर्च हो, गोष्ठियों का आयोजन करके देश-विदेश के मूर्धन्य विद्वानों को बुलाया जाए। इसके अलावा, प्रदर्शनी स्थल का निर्माण हो। त्रिपुष्कर (ज्येष्ठ, मध्य, कनिष्ठ) के सरोवर में पर्याप्त एवं शुद्ध जल हर समय उपलब्ध हो। पुष्कर घाटी, नाग

(श्री सुरेश सिंह रावत)

पहाड़, पुरूहूता पर्वत, रत्नागिरी पर्वत, पर्यादा पर्वत व अन्य अरण्य क्षेत्रों में वृक्षारोपण किया जाए। इसके अलावा ब्रह्मा मन्दिर में वेद मन्दिर स्थापित हों, जहां निरन्तर वेदध्वनि प्रसारित होती रहे। इनके अलावा अन्य कई विकास के कार्य भी वहां पर करवाये जाने चाहिए।

श्री अध्यक्ष: बहुत अच्छे। अब स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर): अत: मेरा निवेदन है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी की अध्यक्षता वाले 'पुष्कर तीर्थ विकास मण्डल, 1972' को पुनर्गठित कर राजकीय एवं क्षेत्रीय उपयुक्त व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व देकर संकल्प शक्ति सहित कार्य परिणति में लगाया जाए।

श्री अध्यक्ष: श्री सुशील कटारा।

सीमलवाड़ा उपखण्ड जिला डूंगरपुर में महाविद्यालय खोलना

श्री सुशील कटारा (चौरासी): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के जरिये उपखण्ड सीमलवाड़ा जिला डूंगरपुर में महाविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन इस प्रकार है कि उपखण्ड सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर में सरकारी महाविद्यालय नहीं है। सीमलवाड़ा क्षेत्र में पूर्ण रूप से जनजाति एवं कुछ मात्रा में अन्य आबादी निवास करती है। वहां के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए चौरासी विधान सभा क्षेत्र से जिला मुख्यालय तक आने-जाने के लिए 70 से 80 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। जिला महाविद्यालय में पढ़ाई करने के लिए काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है क्योंकि पहाड़ी एवं जनजाति क्षेत्र होने के नाते वहां के विद्यार्थियों के पास इतना धन नहीं है कि वह रोज परिवहन का खर्च उठा सकें। मान्यवर, सीमलवाड़ा मुख्यालय से तो फिर भी छात्रों को बस सुविधा उपलब्ध हो जाती है परन्तु दूर-दराज पहाड़ी क्षेत्र, जहां पर आवागमन की किसी भी प्रकार की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। राज्य परिवहन निगम की बसों की सुविधा की जाए। उन छात्रों के लिए सड़क मार्ग उपलब्ध नहीं है फिर भी किसी प्रकार छात्र तो उच्च शिक्षा प्राप्त करने डूंगरपुर मुख्यालय पहुंचते हैं परन्तु क्षेत्र की बालिकाओं को उच्च शिक्षा अध्ययन के लिए जाना बहुत ही मुश्किल होता है।

(श्री सुशील कटारा)

अध्यक्ष महोदय, हमारी राजस्थान की मुख्य मंत्री महिला हैं और एक महिला होने के नाते चौरासी क्षेत्र की बालिकाओं की वेदना को ध्यान में रख कर उनकी अन्तर आत्मा की आवाज को सुन कर उपखण्ड सीमलवाड़ा में एक राजकीय सरकारी महाविद्यालय इस वित्तीय वर्ष में खोलने पर वे ध्यान देंगी। विधान सभा क्षेत्र चौरासी के भोगीलाल पण्ड्या महाविद्यालय, डूंगरपुर एवं महिला महाविद्यालय, डूंगरपुर अध्ययन करने के लिए 1800 छात्र-छात्राएं हर रोज डूंगरपुर आते हैं।

अतः, मान्यवर, सरकार से आत्मीय निवेदन है कि उपखण्ड सीमलवाड़ा जिला डूंगरपुर में सरकारी महाविद्यालय खुलवाने के आदेश फरमावें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री रामलाल शर्मा।

जयपुर जिले की सभी सड़कों पर टोल बूथ

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि वर्तमान समय में जयपुर जिले से निकलने वाले सभी राष्ट्रीय राजमार्ग में से एक भी ऐसा राजमार्ग नहीं है जिस पर टोल बूथ नहीं लगा हो। महोदय, जयपुर से अजमेर, दिल्ली, सीकर, कोटा व आगरा के राष्ट्रीय राजमार्ग निकलते हैं। आज इन सभी पर टोल बूथ लग चुके हैं।

महोदय, आज जिले की स्थिति यह है कि राष्ट्रीय राजमार्ग के अलावा राज्य मार्गों जिनमें दौलतपुरा, सामोद, कालवाड़ व कालाडेरा आदि स्थानों पर टोल लगे हुए हैं तथा कुछ स्थानों पर टोल लगने वाले हैं।

महोदय, सीकर रोड पर स्थित टांटियावास में जो टोल बूथ लगा हुआ है, वह जयपुर विकास प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार में लगा हुआ है। वह जयपुर विकास प्राधिकरण की अनापत्ति प्रमाण-पत्र लिये बिना ही लगा दिया गया है। इसके अलावा, जहां पर टोल बूथ लगाया गया है उसके पास में ही जयपुर विकास प्राधिकरण की एक आवासीय कालोनी आनन्द लोक की स्कीम भी शुरू की हुई है।

महोदय, टोल संचालकों की हिम्मत इतनी बढ़ी हुई है कि उन्होंने जयपुर विकास प्राधिकरण की आवासीय कालोनी की सड़क पर भी टोल के लिए बेरिकड लगा दिये हैं। जयपुर विकास प्राधिकरण ने एक बार कार्यवाही

(श्री रामलाल शर्मा)

करते हुए उनके बेरीकेडों को हटा भी दिया था। लेकिन कुछ दिन बाद वापस आनंद लोक आवासीय कालोनी की सड़क पर बेरीकेड लगा कर अवैध टोल वसूली की जा रही है। टोल वसूल करने वाले व्यक्ति असामाजिक प्रवृत्ति के हैं जो आने-जाने वाले व्यक्तियों के साथ दुर्व्यवहार भी करते हैं।

महोदय, आज करोड़ों रुपयों का नुकसान जयपुर विकास प्राधिकरण को हो चुका है। आज इस आवासीय कालोनी में कोई भी व्यक्ति बेरिकेड लगे रहने के कारण एक भी मकान नहीं खरीद रहा है। इसके अलावा, जयपुर से सीकर तक सड़क का रख-रखाव करने वाली कम्पनी द्वारा गरीब किसानों व मकान मालिकों को डरा-धमकाकर अवैध वसूली की जा रही है। कम्पनी के द्वारा सर्विस रोड नहीं बनाने के कारण इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर जिन किसानों के खेत व मकान बने हुए हैं, यदि ये लोग सड़क से अपने खेत व मकान में जाने के लिए कच्ची मिट्टी डालकर रास्ता भी बनाते हैं तो उन्हें प्रताड़ित कर अवैध रुप से पैसे वसूलने का कार्य किया जाता है।

महोदय, अत: आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि जयपुर जिले के टोल बूथों पर निजी वाहनों को टोल मुक्त किया जाए। जिससे आम आदमी को राहत मिल सके तथा आनन्द लोक कालोनी के रास्ते पर लगे बेरिकेडों को तत्काल हटाया जाए। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री सुखाराम। आपका पढ़ा हुआ मान लिया जाए। 295 के अन्तर्गत आपका है।

मेड़ता की पेयजल समस्या

श्री सुखाराम (मेड़ता): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र मेड़ता (नागौर) में पेयजल का भारी संकट है। इसके समाधान में मेरे विधान सभा क्षेत्र में पंचायत समिति रिंया बड़ी व मेड़ता के विभिन्न गांवों में नये सिंगल फेस, नलकूप तथा हैण्डपम्प का निर्माण करवाया जाना अति आवश्यक है।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में पूर्व में निर्मित जीएलआर जो बरसों पुराने हैं, वह जीर्ण-शीर्ण अवस्था में होने के कारण उनमें पानी नहीं रहता है। अत: इनके स्थान पर नये जीएलआर का निर्माण कार्य करवाया जाए अथवा इनकी मरम्मत करवायी जाए। साथ ही, कई जीएलआर की पाइप लाइन पुरानी व

(श्री सुखाराम)

क्षतिग्रस्त हो गयी है। इनके स्थान पर नई पाइप लाइन बिछाकर जोड़ने की कार्यवाही भी आवश्यक है।

माननीय मुख्य मंत्री महोदयाजी की असीम कृपा से नागौर जिले को नहर का मीठा पानी देने की योजना स्वीकृत की गयी है। इसके लिए, मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदया का क्षेत्र की जनता की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदया से अनुरोध करता हूं कि नागौर लिफ्ट परियोजना का पानी जो नागौर तक पहुंच चुका है उससे अतिशीघ्र इसी वित्तीय वर्ष में मेरे विधान सभा क्षेत्र मेड़ता तक जोड़ने की कृपा करायें ताकि क्षेत्र की मुख्य मांग पूरी हो सके।

श्री अध्यक्ष: श्री रणधीर सिंह भीण्डर।

राज्य के विद्यालयों में प्रवेश हेतु बच्चों के मूल निवास स्थान प्रमाण-पत्र मांगा जाना

म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि बच्चों के विद्यालय प्रवेश के समय माता-पिता में से एक का मूल निवास प्रमाण-पत्र जरुरी होता था। जबकि वर्तमान में बच्चे का प्रमाण-पत्र मांगा जा रहा है। जहां एक तरफ मूल निवास के लिए 10 वर्ष या उससे अधिक वर्ष तक उस स्थान पर निवास करने वाले को ही मूल निवास प्रमाण-पत्र मिलता है तो फिर 2 या 3 साल के बच्चों का मूल निवास प्रमाण-पत्र कैसे बन सकता है। मूल निवास प्रमाण-पत्र की भी फोटो कापी की जगह मूल क्यों मांगा जाता है।

इसी तरह अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के बच्चों के प्रवेश के समय जाति प्रमाण-पत्र लिया जाता है। जब वह बच्चा उसी विद्यालय में निरन्तर पढ़ रहा होता है तो भी बार-बार प्रमाण-पत्र क्यों मांगा जाता है। फिर वापस छात्रवृत्ति देने के समय भी मांगा जाता है। क्या हर वर्ष उस छात्र की जाति बदल जाती है। अन्य पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण-पत्र स्कूल द्वारा मांगा जाता है। वह आय पर निर्भर होता है। अगर किसी की आय 4.5 लाख या इससे कम होती है तो बार-बार प्रमाण-पत्र की बजाय केवल आय प्रमाण-पत्र ही मांगा जाना चाहिए या तो व्यक्ति को उसके खुद के शपथ-पत्र को मान्य कर भी यह सुविधा दी जा सकती है।

(म. रणधीर सिंह भीण्डर)

ई-मित्र वाले को सरकार पहले प्रमाण-पत्र बनाने के 20 रुपये प्रति प्रमाण-पत्र देती थी जिसमें जाति, मूल निवास, ओबीसी सभी तरह के प्रमाण-पत्र बनाये जाते थे। लेकिन अब 1.07.2014 से नई व्यवस्था से पहले इनकी लिमिट डालने के लिए 30 रुपये किये हैं जिसमें प्रार्थी से लेकर जमा कराने हैं। इससे व्यवस्था को उलझा दिया गया है।

कार्यालयों में पद रिक्त हैं तो जनता के उपरोक्त कार्य कैसे किये जा सकते हैं। अत: आपके द्वारा मैं माननीय मंत्रीजी को निवेदन करना चाहूंगा कि उपरोक्त सभी मामलों में जनहित को देखते हुए उचित निर्णय लेकर कार्यवाही करा जनता को राहत प्रदान करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री अशोक।

नैनवां महाविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया चालू करना

श्री अशोक (हिण्डौली): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि राजस्थान की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने राज्य में उच्च शिक्षा के महत्व को समझते हुए तथा स्थानीय आवश्यकता अनुसार राज्य में पूर्व में ही स्वीकृत स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों को राजकीय महाविद्यालयों का दर्जा दिया है। जिनमें जिला चित्तौड़गढ़ के रावतभाटा एवं बेगूं, पाली के सोजत सिटी, श्री गंगानगर के रायसिंहनगर एवं श्री करणपुर, बारां के छीपाबड़ौद एवं बूंदी के नैनवां महाविद्यालय शामिल हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख शासन सचिव के दिनांक 26 जुलाई, 2013 के एक ही आदेश में चार कालेज जिनमें 2 कालेज श्री गंगानगर के, 1 कालेज बेगूं, चित्तौड़गढ़ एवं 1 कालेज नैनवां, बूंदी सम्मिलित हैं। इन महाविद्यालयों में अलग-अलग आदेशों द्वारा राजकीय प्राचार्यों की नियुक्तियां भी की गयी हैं, जिन्होंने इन कालेजों का सम्पूर्ण राजकीय कार्य सम्पादित किया है। इसके साथ ही, इन महाविद्यालयों की समस्त परिसंपत्तियां भी राजकीय अधिकृत की गयी थीं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सत्र 2014-15 के दौरान इन अधिकृत महाविद्यालयों में नियमानुसार प्रवेश प्रक्रिया के तहत प्रवेश दिया गया है। जिनमें बेगूं में 160 में से 155 प्रवेश, रावतभाटा में 160 में से 145 प्रवेश, छीपाबड़ौद में 160 में से 160 प्रवेश, सोजत सिटी में 80 में से 60 सीटों में

(श्री अशोक)

प्रवेश प्रक्रिया राजकीय महाविद्यालयों के नियमानुसार की गयी है। किन्तु राज्य सरकार द्वारा मेरे विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली के अन्तर्गत नैनवां महाविद्यालय के प्रति द्वेषतापूर्ण व्यवहार अपनाया गया है। जहां आज दिनांक तक भी प्रवेश प्रक्रिया पर रोक लगी हुई है जिससे यहां प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों के भविष्य पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी सम्बन्ध में राज्य सरकार के स्तर पर बताया गया है कि उक्त प्रकरण राज्य की केबिनेट सब-कमेटी के पास विचाराधीन है, तो फिर इन तीन कालेजों में प्रवेश प्रक्रिया किस नियम के अनुसार की गयी है। जबकि नैनवां महाविद्यालय में 1 सितम्बर, 2013 से 14 फरवरी, 2014 तक राजकीय प्राचार्य कार्यरत रहे हैं। राज्य सरकार एक और अपने बजट में नये राजकीय कालेज की घोषणा कर रही है, वहीं दूसरी ओर स्वीकृत कालेज में राज्य कार्मिकों की न तो नियुक्ति कर रही है और न ही नये सत्र हेतु प्रवेश देना चाह रही है। जो कि युवाओं के साथ सीधा-सीधा खिलवाड़ है।

श्री अध्यक्ष: शिक्षा मंत्रीजी, इधर ध्यान दीजिये।

श्री अशोक (हिण्डौली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी का ध्यानाकर्षित कर निवेदन करना चाहूंगा कि जैसा कि चलता आ रहा है, इन दिनों मैं देख रहा हूं विधान सभा की हमारी इस प्रोसीडिंग्स में, तो चाहें तो मंत्रीजी मुझे अपने केबिन में बुलाकर काफी भी पिला सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर दो मिनट बैठ कर चर्चा कर लें ताकि 420 छात्रों के भविष्य बन सके।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): मेरे चैम्बर में तो आप कभी आये नहीं। काफी पिलाई नहीं मैंने।

श्री अशोक (हिण्डौली): आप बुला लीजिये तो मैं आ जाऊंगा, सर।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): आप आ जाना। आपको काफी भी पिलायेंगे और आपका काम भी करेंगें।

श्री अध्यक्ष: चैम्बर में मिल लेना, चैम्बर में।

श्री अशोक (हिण्डौली): थैंक्यू।

श्री गजेन्द्रसिंह (ऊर्जा मंत्री): काफी पीने में कोई आपत्ति तो नहीं है। आपत्ति तो नहीं है ना काफी पीने में ...(व्यवधान) कई लोगों को आपत्ति भी होती है वहां पर।

श्री अध्यक्ष: श्री वासुदेव देवनानी।

अजमेर शहर में एलिवेटेड रोड निर्माण

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के जरिये निवेदन है कि अजमेर शहर के मुख्य मार्गों पर यातायात के भारी दबाव को संतुलित करने के लिए एलिवेटेड रोड का निर्माण कराया जाए।

गत वर्षो में अजमेर शहर में हुए जनसंख्या के विस्तार एवं दिनोंदिन बढ़ती दो पहिया एवं चार पहिया वाहनों की संख्या के कारण शहर के मुख्य मार्गों पर यातायात का भारी दबाव रहने लगा है जिनमें शहर के मध्य से गुजरने वाले स्टेशन रोड, कचहरी रोड एवं पृथ्वीराज मार्ग प्रमुख हैं जिन पर यातायात की सर्वाधिक समस्या है।

अजमेर के ये मार्ग ऐसे हैं जहां से गुजरे बिना किसी का काम नहीं चलता। चाहे अजमेर में स्थित प्रमुख सरकारी कार्यालय जैसे- कलेक्ट्रेट, एसपी आफिस, डीसी आफिस, अजमेर विकास प्राधिकरण, नगर निगम, रेलवे कारखाना व शहर के प्रमुख बाजार आदि हों। चाहे रेलवे स्टेशन या बस स्टैण्ड अथवा शहर के प्रमुख विद्यालय व कालेज तथा मेडिकल कालेज से सम्बद्ध सरकारी अस्पताल हो। इनमें से कहीं तक भी पहुंचने के लिए शहरवासियों को उपर्युक्त मार्गों से ही गुजरना पड़ता है। शहर के प्रमुख मार्ग स्टेशन रोड पर स्थित अजमेर के रेलवे स्टेशन के कारण दिन में आने वाली विभिन्न रेल गाड़ियों के समय तो यातायात बिलकुल जाम हो जाता है तथा ऐसी ही स्थिति उपर्युक्त तीनों मार्गों पर दोपहर में विद्यालयों की छुट्टी के समय होती है।

इसके अतिरिक्त, प्रति वर्ष पुष्कर मेले व उर्स मेले के दौरान बड़ी संख्या में बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं व जायरीनों के कारण शहरवासियों का इन मार्गों से गुजरना मुश्किल हो जाता है साथ ही मेलों की अवधि के अतिरिक्त भी अजमेर में वर्ष भर ख्वाजा साहब की दरगाह एवं तीर्थराज पुष्कर में श्रद्धालुओं व पर्यटकों का आना-जाना लगा रहता है। उनका भी प्रभाव यहां के यातायात पर पड़ता है।

अजमेर के इन मार्गों पर रहने वाले यातायात दबाव के कारण शहरवासियों को तो रोजाना परेशान होना ही पड़ता है, साथ ही कई बार ऐसी स्थितियां भी उत्पन्न हो जाती हैं कि एम्बुलेंस व अग्नि शमन गाड़ी भी इन

(श्री वासुदेव देवनानी)

मार्गों पर तीव्र गति से नहीं चल पाती है। कई बार शहरवासियों की ट्रेन छूट जाती है तो कई बार गम्भीर बीमारों को चिकित्सालय तक पहुंचाने में विलम्ब हो जाता है। शहर के विद्यालयों व महाविद्यालयों में एक ही समय पर आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के समय तथा किसी धार्मिक व सामाजिक उत्सव पर होने वाले आयोजन व शोभायात्रा के दौरान तो ये मार्ग लगभग बंद होने की स्थिति में आ जाते हैं। ऐसे समय में चाहे कितना ही आवश्यक कार्य हो परन्तु कोई भी इन मार्गों पर शीघ्रता से नहीं गुजर सकता।

अजमेर शहर की बसावट के अनुसार इन मार्गों का कोई अन्य सीधा विकल्प वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में यहां की यातायात व्यवस्था के समाधान के लिए निम्नांकितानुसार एलिवेटेड रोड का निर्माण कराये जाने की आवश्यकता है :-

1. पुराने आरपीएससी भवन से कचहरी रोड, गांधी भवन चौराहा, स्टेशन रोड होते हुए मार्टिण्डल ब्रिज तक।
2. मार्टिण्डल ब्रिज से आने वाली उक्त रोड की एक भुजा को गांधी भवन चौराहे से पृथ्वीराज मार्ग होते हुए आगरा गेट चौराहे तक।
3. तोपदड़ा-पाल बीचला से श्रीनगर रोड पर मार्टिण्डल ब्रिज तक।

मेरा सरकार से विनम्र आग्रह है कि उपर्युक्तानुसार अजमेर शहर के मुख्य मार्गों पर यातायात दबाव को संतुलित करने के लिए एलिवेटेड रोड का निर्माण कराया जाए जिससे उक्त मार्गों पर यातायात दबाव कम हो सकेगा तथा शहरवासियों तथा बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं व पर्यटकों को यातायात जाम की समस्या से मुक्ति मिल सकेगी।

श्री अध्यक्ष: श्री गोतम कुमार। (अनुपस्थित)। श्री अमृतलाल।

सलूम्बर में पेयजल समस्या

श्री अमृतलाल (सलूम्बर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के जरिये निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के अधिकांश गांवों में पेयजल हेतु जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा वर्ष 2003-04 में जयसमन्द बांध से मेवल क्षेत्र, वर्ष 2005-06 में जयसमन्द-सराड़ा के लिए एवं वर्ष 2006-07 में सोम, कमला, अम्बा, तीनों ही बड़ी पेयजल योजनाएं भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में ही स्वीकृत हुई थीं।

(श्री अमृतलाल)

राज्य सरकार के करोड़ों रुपये इन योजनाओं पर खर्च हुए। जन स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों की लापरवाही से गरीब जनता उक्त योजनाओं से मिलने वाले पेयजल से आज तक वंचित है। कांग्रेस के विगत 5 वर्षों के शासन काल में भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में बनी करीबन 150 टंकियां खज कर जीर्ण-शीर्ण हो गई। इन योजनाओं में बिछाई गई सभी पाइप लाइनें भी सड़ कर खराब हो चुकी हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, टंकियों पर बनी हुई सीढ़ियां भी बिना पानी भरे हुए ही टूट चुकी हैं। यह भी सभी उच्च अधिकारियों की लापरवाही का द्योतक है। ओ एण्ड एम द्वारा लाइनों का रखरखाव समय पर नहीं होने से क्षेत्र के 27 गांव पेयजल से वंचित हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सलूम्बर नगरपालिका क्षेत्र के वार्ड नम्बर 13, 14 एवं 15 में निवासरत जनता के लिए बड़ी टंकियों का निर्माण किये जाने की जरूरत है तथा सलूम्बर के मेवल क्षेत्र को शुद्ध पेयजल हेतु 14 ग्राम पंचायतों के करीब 75 गांव में निवास करने वाली जनता को यह स्कीम स्वीकृत होती है तो हमेशा-हमेशा के लिए गरीब जनता को शुद्ध पेयजल मिलेगा। अत: सलूम्बर क्षेत्र की आम जनता को पेयजल आपूर्ति हेतु तीनों ही पेयजल योजनाओं को सही करवा कर जनता को राहत प्रदान करावें।

श्री अध्यक्ष: श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या'।

चंदेरिया, चित्तौड़गढ़ की सीमेंट फैक्ट्रियों के कारण प्रदूषण

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के जरिये निवेदन है कि जिला चित्तौड़गढ़ के चन्देरिया क्षेत्र में सीमेंट फैक्ट्रियों के कारण प्रदूषण एवं धूल मिट्टी (डस्ट) से आसपास के ग्रामों में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जनता को काफी परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। सीमेंट फैक्ट्रियों में आने-जाने वाले भारी वाहनों से क्षेत्र की सड़कें जर्जर हो रही हैं। जिससे उनकी हालत दयनीय होती जा रही है, इससे मार्ग के राहगीरों को खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। सभी सार्वजनिक मार्गों पर इनके भारी ओवर लोडेड वाहनों के चलने से जिन मार्गों का सरकार नवीनीकरण करती है वे मात्र एक महीने में ही क्षतिग्रस्त हो जाते हैं जिससे जनता दु:खी हो गई है। इसलिए उक्त मार्गों के नवीनीकरण की जिम्मेदारी भी इन फैक्ट्रियों को ही दी जानी चाहिए।

(श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या')

फैक्ट्री संचालकों द्वारा फैक्ट्री के आसपास की गोचर भूमि पर अवैधानिक कब्जा कर रखा है। उक्त फैक्ट्री के क्रेशर एवं माइन्स भी सरकारी चरनोट एवं गोचर भूमि पर बेरोकटोक संचालित हैं। यदि किसी गरीब आम व्यक्ति द्वारा गोचर भूमि पर अस्थायी निवास भी बनाया जाता है तो प्रशासन उसे अतिक्रमण बता कर उस गरीब का रैन बसेरा ध्वस्त करने तुरन्त पहुंच जाता है किन्तु उक्त फैक्ट्रियों के संचालन के ऊपर प्रशासन की नजर ही नहीं पहुंच रही है।

सरकारी जमीन पर बिना लीज के ही कब्जे कर क्रेशर एवं अन्य अनर्गल कार्यों का संचालन किया जा रहा है जिसकी जांच अति आवश्यक है। उक्त फैक्ट्रियों द्वारा प्रति वर्ष सीएसआर के लिए जो 2 प्रतिशत राशि विकास कार्यों हेतु रखी जाती है, वह भी इनके द्वारा खर्च नहीं की जा रही है। उक्त 2 प्रतिशत राशि भी विकास कार्यों पर खर्च करने के लिए प्रतिबंधित किया जाना जरूरी है। उक्त फैक्ट्रियों के नगर परिषद क्षेत्र के मध्य में संचालित होने के कारण नगर के सभी नागरिक दु:खी हैं क्योंकि चितौड़गढ़ के आम नागरिकों को दिये जाने वाले पेयजल जिस पर सिर्फ यहां के नागरिकों का एकाधिकार होना चाहिए, उसका भी इन फैक्ट्रियों द्वारा क्रेशर एवं माइनिंग कार्यों में दुरुपयोग किया जा रहा है। माइन्स गहरी होने के कारण आसपास के कुओं का पानी भी सूख चुका है। भारी विस्फोटक द्वारा माइन्स खुदाई के कारण आसपास के मकान भी क्षतिग्रस्त होने लगे हैं तथा प्राचीन चितौड़ दुर्ग को भी क्षति पहुंची है। इन माइन्स को पूर्व में न्यायालय द्वारा बंद कराया गया है।

चन्देरिया के निकट धनेत ग्राम पंचायत की गोचर भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए जून माह में सरकार द्वारा उक्त भूमि में कार्यों पर रोक लगाने को चन्देरिया पुलिस थाने को भी निर्देशित किया गया था किन्तु अभी तक उक्त भूमि अतिक्रमण से मुक्त नहीं कराई गई है। ऐसी बहुत सी सरकारी एवं गोचर भूमि हैं जिन पर इनके द्वारा गैर कानूनी अतिक्रमण किया गया है। लीज में दी गई भूमि में कई प्राचीन मंदिर भी आते हैं जो माइनिंग कार्य की वजह से क्षतिग्रस्त होकर जीर्ण-शीर्ण अवस्था में आ गये हैं एवं यहां पूजा कार्य भी बंद करवा दिया गया है। उक्त मंदिरों में पूजा कार्य बंद होने की वजह से श्रद्धालुओं की धार्मिक भावना को ठेस पहुंच रही है जो किसी भी समय विकट स्थिति पैदा कर सकती है।

(श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या')

फैक्ट्रियों के प्रदूषण से आसपास के लोगों एवं पशुओं को गम्भीर बीमारियां फैल रही हैं। यदि शीघ्र ही उक्त समस्याओं का निराकरण नहीं किया गया तो ये बीमारियां महामारी का रूप ले लेगी। अत: उक्त अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा कराने की अनुमति प्रदान कर उचित कार्यवाही करा कर जनता को राहत प्रदान करें।

श्री अध्यक्ष: पर्ची के माध्यम से। श्री हीरालाल नागर।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

कालीसिंध (द्वितीय चरण) का कार्य स्वीकृत कर प्रारम्भ किया जाना

श्री हीरालाल नागर (सांगोद): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पर्ची के माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। पूर्व सरकार के द्वारा वर्ष 2013-14 में बजट में यह प्रावधान रखा गया था कि कालीसिंध परियोजना के द्वितीय चरण की सिंचाई के लिए 228 करोड़ रुपये स्वीकृत किये और उसे बजट में खर्च करने का प्रावधान रखा जिसकी केन्द्रीय स्वीकृति के पश्चात आगामी वर्षों में प्रारम्भ किया जाना था।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कालीसिंध परियोजना के द्वितीय चरण में 39.15 मिलियन घन मीटर जल का प्रावधान रखा जिसके द्वारा सिंचाई हेतु प्रयोग करना था। उसके द्वारा झालरापाटन तहसील के 37 गांव और कोटा जिले की सांगोद तहसील के 63 गांवों को 14478 हैक्टेयर भूमि में सिंचित करने की व्यवस्था थी और साथ ही 100 गांवों को पेयजल उपलब्ध कराना था। कालीसिंध के द्वितीय चरण के बाबत आवश्यक वन भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु भी प्रारम्भिक प्रस्ताव वन विभाग को आवश्यक जांच और संयुक्त मौका मुआयना रिपोर्ट प्रस्तुत की जा चुकी है एवं परियोजना के द्वितीय चरण की प्रारम्भिक रिपोर्ट केन्द्रीय जल आयोग द्वारा दिनांक 22.4.2013 को अनुमति दी जा चुकी है। उक्त परियोजना वर्तमान में 316 मीटर है, उसका जो प्रथम चरण था उसमें प्रावधान किया गया था, उसके अनुसार प्रथम चरण पूरा हो चुका है और उसके निर्माण में आवश्यक इंजीनियरिंग और सिविल कार्यों का जो भी प्रावधान था वह सब प्रथम चरण में परियोजना में लेते हुए प्रथम चरण का निर्माण किया गया। अब केवल मात्र द्वितीय चरण के लिए 3.25 मीटर की

(श्री हीरालाल नागर)

ऊंचाई के लिए उसके गेटों की हाइट बढ़ानी है। गेट की हाइट बढ़ने के बाद उसमें जो डूब क्षेत्र आएगा उसकी वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की स्वीकृति और उसके लिए भूमि के अधिग्रहण के लिए धारा 4 की कार्यवाही बाकी है। अगर यह कार्यवाही समय रहते हो जाती है तो इसका द्वितीय चरण के लिए जो वहां के कालीसिंध थर्मल में जो पावर प्रोजेक्ट बन रहा है उसके लिए 1320 मेगावाट का जो द्वितीय चरण है उसके लिए भी इससे किसानों को सिंचाई हेतु पानी मिलेगा और साथ ही पेयजल हेतु भी पानी मिलेगा। वहां का जो फूड पार्क जो झालावाड़ के झालरापाटन में बन रहा है उसको भी इससे पानी मिलने का प्रावधान है। परन्तु इसमें जो देरी हो रही है उसके कारण से आगामी समय में इसकी लागत बढ़ने की सम्भावना है और इसमें देरी की गयी और लागत ज्यादा बढ़ी तो यह परियोजना खटाई में पड़ सकती है, इसलिए मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि आप इस परियोजना के लिए तत्सम्बन्धी अधिकारियों को निर्देश दें कि इसके लिए जो भी आवश्यक पूर्ति की जानी है वह पूर्ति की जाकर केन्द्रीय जल आयोग को भेजी जाए और जल्दी से जल्दी इस परियोजना की स्वीकृति जारी की जाए क्योंकि इस परियोजना के अभाव में वर्षों से जो जल कालीसिंध में वर्षा ऋतु के दौरान बाढ़ के समय बह कर जा रहा है और उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं उस व्यर्थ जल का भी हम उपयोग कर पाएंगे, उत्पादन भी बढ़ेगा, आर्थिक समृद्धि भी होगी और पेयजल का भी लाभ मिलेगा, इसलिए जल्दी से जल्दी इस परियोजना का लाभ मिले इसका आश्वासन सदन में मौजूद माननीय मंत्री महोदय से मैं चाहूंगा, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदय, इसका रेस्पोंड करेंगे?

श्री सांवर लाल (जल संसाधन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से।

श्री अध्यक्ष: बिलकुल इजाजत है, आप कीजिए।

श्री सांवर लाल (जल संसाधन मंत्री): मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि कालीसिंध द्वितीय चरण केन्द्रीय जल आयोग द्वारा प्राथमिक रिपोर्ट अनुमोदित की जा चुकी है। परियोजना रिपोर्ट तैयार करने एवं भूमि अवाप्ति एवं वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव तैयार कर जांच की प्रक्रिया में है। राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम द्वारा झालावाड़ थर्मल परियोजना की द्वितीय

(श्री सांवर लाल)

चरण की संशोधित जल मांग प्राप्त होने पर बांध की ऊंचाई के सम्बन्ध में निर्णय कर स्वीकृति सम्बन्धी आवश्यक कार्यवाही प्रस्तावित है।

श्री अध्यक्ष: श्री सुरेश धाकड़।

चन्देरिया (चित्तौड़गढ़) में बिड़ला सीमेंट द्वारा गोचर भूमि पर अतिक्रमण कर खनन कार्य

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पर्ची के माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। उद्योग धंधों के लिए सरकार की तरफ से और हम सभी यही चाहते हैं कि उद्योग धंधे लगने चाहिए, किसी भी क्षेत्र में इण्डस्ट्री आनी चाहिए। इण्डस्ट्री आती है तब लोगों को खुशी भी होती है। जैसे चित्तौड़गढ़ जिले की मैं विशेषकर बात करूंगा तो वहां बिड़ला, हिन्दुस्तान जिंक, आदित्य, लाफास, वण्डर, जेके, आरएपीपी रावतभाटा, सभी प्रकार की इण्डस्ट्रीज वहां आ गयी हैं। जब इण्डस्ट्री आती है तो किसान थोड़ा-बहुत दुःखी होता है कि इण्डस्ट्री आ गयी हमारी जमीन चली जाएगी, हमारा क्या होगा। लेकिन वह यह सोचता है कि चलो, हमारी जमीन जा रही है तो कोई बात नहीं है, हमारे बच्चों को, हमारे परिवार से किसी को रोजगार मिल जाएगा, उससे हमारा भरण-पोषण भी होगा, लेकिन होता कुछ अलग है। जब इण्डस्ट्री वाले आते हैं तब बात करते हैं, बड़ी-बड़ी बातें करके चले जाते हैं और कुछ किसानों को गाड़ी में बिठा लेते हैं और अन्दर एसी में बिठाकर चाय-काफी पिला देते हैं और किसान भी खुश हो जाता है कि मुझे कम से कम ये पूछ रहे हैं, सुन रहे हैं। लेकिन जब पर्यावरण की स्वीकृति मिल जाती है, वे एनओसी ले लेते हैं तब तक ये वहां जन-प्रतिनिधि होते हैं सरपंच, प्रधान को भी ये पूछ लेते हैं। उसके बाद कोई उनको पूछने वाला नहीं है। उनको एनओसी मिलने के बाद एयरकंडीशनर के बाहर एक गार्ड खड़ा हो जाता है। जब आप मिलने जाओ, जैसे अभी पर्ची में मेरा नम्बर ऐसे बहुत सारे लोग पर्ची लगाते हैं तो किसी-किसी की पर्ची लगती है। उसको अन्दर बुला लेते हैं और बाकी सबको बाहर से वह गार्ड रवाना कर देते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ चीजें स्वास्थ्य सम्बन्धी बताना चाहता हूं। उसमें ठीक है रिपोर्ट कुछ और आती हो या सरकारी रिपोर्ट में क्या आया, क्या नहीं आया, मैं यह कहना चाहता हूं कि 5 गांव जो इण्डस्ट्रीज से प्रभावित हैं और 5 गांव पड़ोस के भी हैं उन सभी गांवों में मानव और पशु

(श्री सुरेश धाकड़)

दोनों के स्वास्थ्य का परीक्षण कराना चाहिए और उन 5 गांवों की रिपोर्ट और इन 5 गांवों की रिपोर्ट का मिलान करना चाहिए ताकि स्वत: पता चल जाएगा की वहां के रहने वाले आदमी में किसी को दमा हो गया, किसी को टीबी हो गयी, कोई हाइपरटेंशन में है या किसी को चर्म रोग है। जो रिपोर्ट आयी उसको मैं बताना चाहता हूं उस रिपोर्ट में धूल 5-10 गुणा ज्यादा थी। ध्वनि प्रदूषण बिड़ला के द्वारा जो हो रहा था वह तीन परसेंट ज्यादा है। वहां बाहर एक पट्टा चलता है जो बिलकुल खुला है उससे बहुत ज्यादा प्रदूषण होता है और वहां के रहने वाले लोग ही उस पीड़ा को जान सकते हैं कि वास्तव में क्या हो रहा है।

मैं इनमें सीएसआर, कोरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी करके एक बजट होता है। अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें रिसर्च भी कर रहा हूं मुझे ध्यान है, मैंने जब पढ़ा किताबों में, उसमें देखा तो जो लिख रखा है उसका बिलकुल उलटा होता है। वे कागजों में कोई खानापूर्ति कर देते हैं कम्पनी एक्ट के अन्दर देख कर, बाकी कोई ज्यादा काम करते नहीं हैं। बाकी होना यह चाहिए कि वहां के जो जन-प्रतिनिधि हैं उनके साथ बैठ कर जो प्रभावित क्षेत्र है उस क्षेत्र में डवलपमेंट का पैसा कहां जा सकता है, डवलपमेंट का जो दो परसेंट बजट होता है। मैं बहुत सारी कम्पनियों का तो प्रोफिट बता सकता हूं। हमारे वहां हिन्दुस्तान जिंक है, हिन्दुस्तान जिंक का प्रोफिट ही 6500 करोड़ रुपये सालाना है। उसका दो परसेंट वहां लग जाए तो मेरे खयाल से कोई दूसरे विकास की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन ये लोग करते नहीं हैं। वहां जो स्थानीय जन-प्रतिनिधि हैं उन सभी को विश्वास में लेकर यह होना चाहिए।

जहां हम पेयजल की बात करते हैं, हमारे वहां जो फैक्ट्री है वह अवैध रूप से बिड़ला फैक्ट्री वहां से पानी ले रही है जबकि वह पानी चित्तौड़ शहर को देने के लिए आरक्षित कर रखा है। मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं कि ये अपने काले कारनामों को छुपाने के लिए क्या-क्या करते हैं। पहले भी जब हमने 5-7 साल पहले भी एक बात उठायी थी। जब बरसात का टाइम होता है, दोनों के पास नदी होकर निकल रही है। जब बरसात में नदी का पानी बहता है तब अपने ये अपना प्रदूषित पानी होता है उस प्रदूषित पानी को नाले से उस नदी के अन्दर प्रवाहित कर देते हैं। उसका पता नहीं चल पाता है। पिछली बार भी ये पकड़ में इसलिए आ गये कि पानी आया और थोड़ा इन्होंने छोड़ दिया, अधिकारियों ने नीचे ध्यान नहीं रखा होगा और पानी रह गया तथा उसमें मछलियां मर गईं। इससे पता चलता है कि ये ऐसे काम भी कर सकते हैं।

(श्री सुरेश धाकड़)

अभी चित्तौड़ से आने वाले माननीय सदस्य ने भी यह मामला उठाया था कि बिड़ला के वहां पार्किंग की अव्यवस्था है। कोई भी इण्डस्ट्री आती है तो उनका पार्किंग का एक सिस्टम होता है। इनका भी एक सिस्टम होना चाहिए। वहां जमीन भी खूब पड़ी है, लेकिन उससे मिट्टी उड़ती रहती है, इनके ट्रोले आए दिन इधर-उधर घूमते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं। एक्सीडेंट भी बहुत सारे हो चुके हैं। वहां पर अगर सीसी टाइल्स बन जाए, इनकी पार्किंग की व्यवस्था अलग से हो जाए तो व्यवस्था ठीक हो जाएगी। चित्तौड़ शहर में एंट्री करते हैं तो भीड़भाड़ का इलाका लगता है। मेरा विधान सभा क्षेत्र पास में है, गंगरार जाने के लिए मैं इनको कहता भी रहता हूं, आये दिन जाम लगा रहता है। कम से कम यह व्यवस्था तो ठीक करा दो। जो ट्रोले हैं वे वहां खड़े नहीं रहें, इनकी पार्किंग व्यवस्था ठीक हो। इनके पास बहुत सारी जमीन है वहां व्यवस्था हो सकती है। ये पुठोली, गंगरार क्षेत्र सब प्रभावित है।

मैं एक बात यह भी कहना चाहूंगा कि वहां जानवरों की, विशेषकर वहां की गाय-भैंसों की, दो गांवों की तो मैं नामजद बता सकता हूं कि वहां बीलिया और एक गांव और है। वहां यह स्थिति है कि वहां की गाय-भैंसों में प्रजनन तक की तकलीफ है। जिनको गर्भाधान होता है उनका वापस गर्भपात हो जाता है और समय से पहले उनके हो जाते हैं। वहां की आस-पास की फिजिकल रिपोर्ट डाक्टर्स से मंगवायेंगे तो मैं 100 प्रतिशत कन्फर्म कह सकता हूं और मैं दिखा सकता हूं कि ऐसी स्थिति है। यह तो अभी पशुओं पर चल रहा है और थोड़े दिन बाद आस-पास के गावों के लोगों की भी स्थिति हो जाएगी और बांझपन वाली स्थिति वहां पैदा होने वाली है।

अतिक्रमण की जहां तक बात है तो छोटा-मोटा आदमी कोई अतिक्रमण करता है तो हर कोई हटा देता है लेकिन जब प्रभावशाली लोग अतिक्रमण करते हैं और विशेषकर इण्डस्ट्री वाले करते हैं तो उनकी कोई सुनवाई नहीं होती क्योंकि ये सब लोग कहीं न कहीं मिले-जुले रहते हैं। ठीक है, मिले-जुले रहना चाहिए लेकिन सी.एस.आर. के बजट और लोगों के रोजगार पर मिला-जुला रहना चाहिए कि आप सी.एस.आर. का दो प्रतिशत खर्च करो और लोगों को रोजगार दो बाकी धूल-मिट्टी तो हम खा ही रहे हैं और खाते ही रहेंगे लेकिन थोड़ा वहां के लोगों का भला हो जाएगा। इनके खिलाफ एक कोर्ट में भी केस है। सुप्रीम कोर्ट ने इनकी एक माइंस तो बन्द करा दी क्योंकि जो चित्तौड़ दुर्ग है, ये अवैध माइनिंग करते हैं और चित्तौड़ दुर्ग में दरारें आईं, हम

(श्री सुरेश धाकड़)

लोगों ने विरोध किया तो इन लोगों ने माना नहीं लेकिन जब पुरातत्व विभाग की सर्वे टीम आई तो उन्होंने क्या किया कि स्लाइडिंग लगाई, कांच के ग्लास लगाये और उन पर डेट डाल कर चले गये और तीस दिन बाद वापस आकर उन्होंने चैक किया। जब चैक किया तो वे कांच सारे टूटे हुए मिले। फिर पुरातत्व विभाग वालों ने कोर्ट में पेश किया कि इससे दुर्ग को नुकसान हो रहा है और चित्तौड़गढ़ का नाम तो विश्व विख्यात है....

श्री अध्यक्ष: अतिक्रमण के बारे में बोलिये आप।

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): अतिक्रमण इसी में तो आ रहा है। यह अतिक्रमण ही है न। दुर्ग पर अतिक्रमण ही हो रहा है कि एक तरह से यहां ब्लास्टिंग कर रहे हैं और दुर्ग पर हमला हो रहा है तो अतिक्रमण ही है पर यह दिखता हुआ अतिक्रमण नहीं है।

श्री अध्यक्ष: अब आप स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): मैं वैसे बोलता नहीं हूं, इसी पर बोलूंगा और सदन में अभी तक बोला ही नहीं हूं इसलिए थोड़ा इसको तो खतम कर दूं। वहां ब्लास्टिंग में गहरी खानें हो गईं। आस-पास के मकानों की यह स्थिति है कि जो रहने वाले लोग हैं न, माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर हमारे मंत्री महोदय किसी टीम को भिजवा कर दिखवायेंगे तो पता चलेगा कि वहां रहने वाले लोगों की ब्लास्टिंग से क्या हालत होती है। फिर जब कोर्ट ने मना कर रखा है तो क्यों ब्लास्टिंग कर रहे हो? जब उन्होंने हाथ के लिए स्वीकृति दे रखी है कि आप हाथ से माइनिंग कर सकते हो तो यह माइनिंग हाथ से होनी चाहिए।

दूसरा, यहां एक मन्दिर भी है और उस मन्दिर के चारों तरफ खाई लगा दी। वहां एक श्मशान घाट भी है और एक बार डैथ हो गई तो लोगों ने फोन किया कि हम किधर से लेकर जाएं तब मैंने कहा कि अभी तो व्यवस्था कराओ, इनका इलाज बाद में करायेंगे। इसलिए मरने के बाद तो शांति से जल जाए, इसकी व्यवस्था तो कम से होनी चाहिए क्योंकि जीते जी तो हम धूल मिट्टी खा ही रहे हैं।

मेरे कुछ सुझाव हैं। मैं अपने सुझावों में यह कहता हूं कि स्थानीय लोग धूल-मिट्टी खाते हैं और रावतभाटा में रहने वाले लोग तो परमाणु रेडियो एक्टिव विकिरण होती है, आप भी मानते हो कि परमाणु बम से कितना

(श्री सुरेश धाकड़)

नुकसान हो सकता है लेकिन उसका खतरा भी हमारे सब लोगों के शरीर में जा रहा है। हमारा यही कहना है कि ये सब तो सरकार के उपक्रम हैं और देश के विकास के लिए जरूरी भी है। होना भी चाहिए क्योंकि परमाणु सैक्टर में रावतभाटा का नाम भी है और पूरे हिन्दुस्तान में आर.ए.पी.पी. के नाम से पहचान है और वह मेरे विधान सभा क्षेत्र में है। पर मैं इसके लिए यह बात कहना चाहूंगा कि इसके लिए कोई नीति बननी चाहिए और मेरे कुछ सुझाव हैं। मेरा एक सुझाव यह है कि जो जमीन जिससे उद्योगों के लिए ली जाए उसके परिवार से एक आदमी को रोजगार मिलना चाहिए। चाहे उनको पैसा कम मिल जाए क्योंकि किसान को पैसा दे दोगे, उसके 50 लाख आ गये, 10 करोड़ आ गये, यह अभी कोरीडोर में जमीनें गईं तो सब ट्रैक्टर, गाड़ियां, बोलेरो ले आते हैं और घूमते फिरते हैं। पैसा ज्यादा काम नहीं आता है। इसलिए अगर उसके परिवार के एक आदमी को रोजगार मिल जाएगा तो कम से कम उसका घर तर जाएगा।

चित्तौड़ जिले में या जिस क्षेत्र में इण्डस्ट्री लगती है वहां के लोगों को वरीयता दी जाए, उसी राज्य को वरीयता दी जाए। मैं आपको बता सकता हूं कि 60 से 70 प्रतिशत लोग यू.पी. और बिहार के आकर काम कर रहे हैं और हमारे लोग आज भी धक्के खा रहे हैं। हिन्दुस्तान जिंक में आजोल्या खेड़ा और बिरला सीमेंट, दो फैक्ट्रियां उनके पास में हैं और प्रदूषण के कारण से वहां के कम से कम 5-6 गांवों को तो विस्थापित करना जरूरी हो गया है। वह इसलिए भी है कि अगर आप वास्तव में स्वास्थ्य परीक्षण करायेंगे, माननीय चिकित्सा मंत्रीजी भी हमारे बीच में विराजमान हैं, अगर चिकित्सा सम्बन्धी रिपोर्ट वहां से मंगवायेंगे तो हण्डरेड पर्सेंट नेगेटिव रिपोर्ट आएगी। वहां अगर गाय-भैंसों की ही यह स्थिति है तो खेती में या फसल में क्या नुकसान हो रहा है वह मैं बता सकता हूं। वहां के लोगों की या तो जमीन एक्वायर की जाए और अगर आप जमीन एक्वायर नहीं कर सकते हो तो कम से कम सालाना उनका फसली मुआवजा तय होना चाहिए कि आपको मिनिमम यह मिलना चाहिए। एक आदमी के 100 बीघा जमीन है और 4 क्विंटल सरसों हुई। अध्यक्ष महोदय, मैं खुद खेती करता हूं और मुझे पता है कि एक बीघा में 5 क्विंटल सरसों हो सकती है और उसके 100 बीघा में 5 हुई तो वह किसान क्या करेगा? दूसरा, मेरा यह मानना है कि अन-स्किल्ड लेबर और सेमी-स्किल्ड लेबर लोकल ही लगनी चाहिए, उसी डिस्ट्रिक्ट की ही लगनी चाहिए

(श्री सुरेश धाकड़)

और जिस आदमी की जितनी योग्यता है उस हिसाब से लगनी चाहिए। प्रत्येक इण्डस्ट्री में एक सिस्टम होता है, कम्पनी ला में लिखा हुआ भी है....

श्री अध्यक्ष: अब आप समाप्त कीजिये। आपका केवल अतिक्रमण का है और उस पर भी बोल लिये और सारा दे रहे हो आप। एक मिनट में खतम कीजिये।

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): एक अंतिम है। प्रत्येक इण्डस्ट्री में एक ग्रीन बैल्ट डवलपमेंट करने का सिस्टम होता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह ग्रीन बैल्ट कैसे विकसित करते हैं यह मैं बताता हूं। ये क्या करते हैं कि इण्डस्ट्री तो जैसे लगी चित्तौड़ में और फिर 500 बीघा जमीन दूसरी जगह लेकर वहां ग्रीन बैल्ट डवलप करते हैं। मेरा निवेदन यह है कि जहां धूल-मिट्टी खाते हैं उसके 10-15 किलोमीटर के एरिया में ग्रीन बैल्ट विकसित होनी चाहिए।

मेरा अंतिम सुझाव है कि सी.एस.आर. के तहत जो खर्च करने वाली राशि है उस राशि को भी उसी जिले में और जिले की बात भी नहीं करूंगा, मैं उसी क्षेत्र की बात करूंगा कि जिन लोगों को नुकसान होता है वहीं खर्च की जानी चाहिए, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री गोरधन। आप रेस्पोंड कर रहे हैं क्या? गोरधनजी, विराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पर्ची के माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित किया है। अध्यक्ष महोदय, बिरला सीमेंट वर्क्स 1964 से चल रहा है। अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि अप्रैल, 2014 में कम्पनी एक्ट के सैक्शन 135 में एक संशोधन आया था उसमें इण्डस्ट्रीज पर दो प्रतिशत सी.एस.आर. के रूप में खर्च करने का प्रावधान था। माननीय सदस्य ने कहा है, हम इसको दिखवायेंगे और यह एक तरह से बाध्यकारी है इसलिए इसको भी करवायेंगे।

अध्यक्ष महोदय, आपने जिस कोर्ट के निर्णय के हवाले से कहा कि 10 किलोमीटर की परिधि में चित्तौड़गढ़ के गढ़ को देखते हुए खनन कार्य बन्द हुआ था। अध्यक्ष महोदय, इसमें कई तरह के निर्णय आये थे। 19.8.2011 को उच्च न्यायालय में चित्तौड़गढ़ दुर्ग के चारों ओर 10 किलोमीटर की परिधि में खनन कार्य बन्द हुआ था और फिर इसकी पुष्टि, एक दूसरी डबल बैंच में मामला गया, 25.5.2012 को भी हुआ। पर अध्यक्ष महोदय, तत्कालीन सरकार

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सुप्रीम कोर्ट एस.एल.पी. में गई और 18.1.2013 को सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया कि इसमें आप बिना ब्लास्ट के मैन्युअली खनन कार्य कर सकते हो। उसके बाद दुबारा सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और उसमें 29.7.2013 को यह फैसला हुआ कि चित्तौड़गढ़ से 2 किलोमीटर और 10 किलोमीटर की परिधि के बीच में बिना ब्लास्ट किये हैवी मशीनरी से खनन कार्य कर सकते हैं इसलिए यह खनन कार्य उसी के अनुसार हो रहा है।

आपने यह कहा कि वहां अतिक्रमण है। अध्यक्ष महोदय, अभी कुल मिला कर बिरला सीमेंट वर्क्स में 588 हैक्टर का क्षेत्र ऐसा है जिसका नवीनीकरण लम्बित है। उसमें से 86.56 हैक्टर में चरागाह है और चरागाह में भी ब्रोकन-अप में उसका नवीनीकरण करने का प्रावधान कर रखा है। इसके अलावा, आपने यह कहा कि वहां पर वातावरण प्रदूषित हो रहा है और किसी तरह की मेडिकल टीम भेजकर वहां के लोगों का चैक-अप कराने की आवश्यकता है तो निश्चित तौर पर सरकार इसको दिखायेगी और गैर कानूनी रूप से जो कोई भी काम हो रहा है उस पर पाबंदी लगायेगी। अगर सी.एस.आर. का दो प्रतिशत पैसा इण्डस्ट्री ने नहीं दिया है तो उन पर पाबंदी लगायेगी कि वह सी.एस.आर. का दो प्रतिशत पैसा खर्च करे।

श्री अध्यक्ष: श्री राव राजेन्द्र सिंहजी, बहुत सूक्ष्म में।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदयजी से एक बात पूछना चाहता हूं कि हाई कोर्ट ने जब ये स्पष्ट निर्देश दे दिये थे कि 10 किलोमीटर की परिधि के अन्दर आप खनन कार्य नहीं करेंगे। तो निवर्तमान सरकार सुप्रीम कोर्ट में बिरला सीमेंट के साथ मिल कर इस बात को चैलेंज कर रही है कि यह 10 किलोमीटर की परिधि का जो आर्केलोजिकल सर्वे आफ इण्डिया ने अपनी रिपोर्ट दी, जो जियोजिकल सर्वे आफ इण्डिया ने रिपोर्ट दी, ये दोनों ही इकाइयां इस बात की मान्यता नहीं करतीं कि इस प्रकार के खनन कार्य जिससे दुर्ग में, पूरे चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में कई क्रेक्स आ चुके हैं, उन्होंने इनकी अथोरिटी को चैलेंज किया है। मैं मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं कि चांदपोल से जो छोटी चौपड़ तक की मैट्रो अण्डर ग्राउण्ड बन रही है, उसी आर्केलोजिकल सर्वे को मैट्रो जयपुर वालों ने बुला कर यह जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की कि यदि हम ब्लास्टिंग करके नीचे से टनल निकालेंगे तो क्या इन इमारतों को खतरा हो सकता है या

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

नहीं हो सकता। सरकार का विरोधाभाषी यह बयान है या नहीं? वर्तमान सरकार निवर्तमान सरकार के इस आदेश को वापस लेने का मन रखती है या नहीं रखती? मेरे पास स्नोप्सिस हैं सुप्रीम कोर्ट की।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी निवेदन किया, माननीय सदस्य सही कह रहे हैं कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए और जितनी बड़ी संख्या में सैलानी उस इतिहास को देखने के लिए आते हैं उनको देखते हुए हाई कोर्ट ने फैसला किया। हाई कोर्ट ने फैसला किया था 19.8.2011 को। फिर यह एक रिव्यू पिटीशन के माध्यम से हाई कोर्ट में आया और फिर 25.5.2012 को फैसला हुआ और फैसला वही हुआ कि इसकी 10 किलोमीटर की परिधि में किसी प्रकार के खनन की अनुमति नहीं है। पर अध्यक्ष महोदय, उसमें तत्कालीन सरकार जो एस.एल.पी. में गई, सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला कर दिया कि बिना ब्लास्ट के मैन्युअली कर सकते हैं और उसके बाद वापस जब बिरला सीमेंट एस.एल.पी. में गया तब सुप्रीम कोर्ट ने उसको संशोधित करके कह दिया कि बिना ब्लास्ट के हैवी मशीन से कर सकते हैं और अध्यक्ष महोदय, इन दोनों फैसलों पर चूंकि पूर्ववर्ती सरकार ने किये थे और माननीय सदस्य, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए निश्चित तौर पर इस पूरे प्रकरण को एक बार मंगवा कर, चूंकि उच्चतम न्यायालय के निर्णय हैं, इसमें सरकार समीक्षा करके जो भी हो सकेगा, निश्चित तौर पर उसे करेंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री गोरधन।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें पर्याप्त चर्चा...

श्री अध्यक्ष: यह नहीं। यह इसमें बहस नहीं करा सकता मैं। नो, बैठिये। श्री गोरधन।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): इस पर पर्याप्त चर्चा नहीं हुई है, एक मिनट।

श्री अध्यक्ष: सारी। मैं भी आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप बैठिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, यह विषय ऐसा है इस पर पर्याप्त चर्चा होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष: नहीं, इसको बहस का विषय नहीं बनाया जा सकता। श्री गोरधन। विशेष परिस्थितियों में चिट से बोलने की व्यवस्था है।

धोद में दूजोद स्थित टोल बूथ पर पिक-अप वाहन का शुल्क युक्तियुक्त किया जाना

श्री गोरधन (धोद): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पर्ची के द्वारा विधान सभा क्षेत्र धोद का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर बोलना चाहता हूं। स्टेट हाइवे-37 जो कुचामन से कोटपूतली जाता है और वह विधान सभा क्षेत्र धोद से होते हुए जाता है और उस पर एक टोल टैक्स नाका दूजोद पर लगा हुआ है। वैसे उस हाइवे रोड पर पांच टोल टैक्स केन्द्र बने हुए हैं तो मैं माननीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि पिक-अप जो छोटी गाड़ी होती है, जो किसान का एक अपने सामान को, अपने अनाज को, अपने पशुधन को और जो भी रोजमर्रा का सामान होता है, उसको इधर-उधर ले जाने में अच्छा उसका यातायात का साधन है और वह ज्यादातर इस पिक-अप गाड़ी को अपने निजी कार्य में भी लेता है तो इसलिए मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि उसका टोल टैक्स के रूप में जो रुपये लेते हैं, उसमें एक तरफ से जाने के 75 रुपये हैं और आने-जाने में 150 रुपये लगते हैं, जो मैं सोचता हूं कि न्यायोचित नहीं है। यदि 10 किलोमीटर से भी, 15 किलोमीटर से भी गाड़ी चल कर आती है और जीप का किराया 20 रुपये लेते हैं और उसका 75 रुपये लेते हैं तो मैं यह सोचता हूं कि यह न्यायोचित नहीं है।

इसी के साथ, मैं यह भी कहना चाहूंगा, क्योंकि स्टेट हाइवे-37 जो बना हुआ है, उस पर किसानों की जमीन एक्वायर की गई थी लोसल के पास में, जो बाइपास रोड बनी थी और उस बाइपास रोड जो हरिपुरा, भीमा, लोसल के कुछ किसानों की जमीन एक्वायर की गई थी, उन किसानों को अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया जबकि उस रोड को चालू कर दिया है, टोल टैक्स लेना चालू हो गया है और वह रोड कुचामन से लेकर कोटपूतली तक जा रही है और उस पर पूरे साधन जा रहे हैं तो माननीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इसका उचित समाधान किसानों को राहत देने के लिए प्रदान करें।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। मंत्रीजी रेस्पोंड कर रहे हैं।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, धोद से

(श्री युनुस खान)

आने वाले माननीय सदस्य ने आज पर्ची के माध्यम से पिक-अप की चर्चा की है और किसानों के बारे में भी चर्चा की है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगा कि किसानों के जितने भी वाहन हैं, जो कृषि कार्य में आते हैं, वे टोल मुक्त हैं। लेकिन जिस पिक-अप की आप चर्चा कर रहे हैं, वह पिक-अप 'जी' श्रेणी में पंजीकृत हैं और 'जी' श्रेणी में पांच टन से अधिक अगर वह वज़न लेकर जा रहा है तो फिर उसका गुड्स का ही चार्जेज होगा। पिक-अप वाले दो काम कर रहे हैं। या तो वे उसको गुड्स में काम में ले रहे हैं, कृषि कार्यों में नहीं ले रहे हैं या फिर सवारी ढोने के काम में ले रहे हैं, इसलिए उनसे पांच टन से अधिक भार ले जाने की वजह से कामर्शियल व्हीकल का चार्ज लिया जा रहा है। किसान द्वारा खेती के काम में लेने वाले वाहनों पर चार्ज नहीं है।

दूसरा इश्यू आपने उठाया, जो भूमि अधिग्रहीत की गई है। उस अधिग्रहीत भूमि का अगर किसी भी खातेदार को पेमेंट नहीं हुआ है तो आज ही इसको हम दिखवा लेंगे और उस किसान को या जो भी भूमिधारक हैं, उसको उसकी भूमि के अधिग्रहण का जो भी मुआवजा है, वह शीघ्र ही दिलवा देंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री नाना लाल अहारी।

श्री गोरधन (धोद): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि किसान अपनी मंडी में फसल ले जाता है, अपने पशु को ले जाता है, उस पर तो कम से कम चार्ज नहीं लगायें, बाकी तो जो 'जी' नम्बर की या टैक्सी पेमेंट की गाड़ी होती है, उस पर आप ले सकते हैं।

श्री अध्यक्ष: श्री नाना लाल अहारी।

खैरवाड़ा में दोनदी बांध व घोड़ाखोज की नहरें अधूरी होना

श्री नाना लाल अहारी (खैरवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने पर्ची के माध्यम से मुझे बोलने का समय दिया। जब भारतीय जनता पार्टी का राज 2003-2004 में आया। माननीय सिंचाई मंत्रीजी बैठे हैं, इनके माध्यम से ही मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक बांध मैंने स्वीकृत कराया और 17-18 करोड़ रुपये की लागत से वह बांध बना, बन कर तैयार हो गया और नहरों पर भी करीब 381 लाख रुपया लगा, मगर आज भी वह नहरें अधूरी हैं और एक किलोमीटर तक भी पानी नहीं जा रहा है। आज ये सारी सुविधा किसानों के

(श्री नाना लाल अहारी)

लिए की है, किसानों को पानी मिलेगा, किसानों की स्थिति सुधरेगी परन्तु स्थिति यह है कि वहां पर ठेकेदार ने जो काम किया, वह बिलकुल घटिया किया, सारा काम अधूरा पड़ा है तो मैं माननीय मंत्रीजी से चाहूंगा कि ये नहरें पूरी हो जायेंगी?

दूसरा, एक दूसरा बांध और है जो दोनदी बांध पर स्थित है। यह बांध भी अधूरा था, 2005-2006 में इस बांध का रिवाइज एस्टीमेट करके नौ करोड़ रुपये लगाकर वह बांध भी पूरा किया। उसकी 14 किलोमीटर तक नहरें लम्बी हैं मगर वहां पर अभी डेढ़ किलोमीटर तक भी पानी नहीं दिया है तो मेरा आपसे निवेदन है कि यह नहरें भी कब तक पूरी हो जाएंगी?

इसके बाद में मेरे विधान सभा क्षेत्र में सोम कागदर बांध है जिसमें...

श्री अध्यक्ष: पुष्कर से आने वाले माननीय विधायक, आप अपने स्थान पर जाइये।

श्री नाना लाल अहारी (खैरवाड़ा): ...1,200 एमसीएफटी पानी है, उसकी नहरें करीब 50-55 किलोमीटर लम्बी हैं, वहां पानी भी मिल रहा है मगर वहां पर 5-6 माइनर्स हैं, वे माइनर्स आज भी अधूरी पड़ी हैं। रामपुर माइनर, कानपुर माइनर, मसल की ओबरी की माइनर, घोड़ा माइनर, राठौड़ा की माइनर, इन माइनर्स का काम कब तक पूरा हो जायेगा? साथ ही इस नहर का पानी है, वह पानी 25 प्रतिशत नदी में बहकर जा रहा है। नहरें भी जीर्ण-शीर्ण हो चुकी हैं और साथ ही सोम कागदर में 5-6 जगह नहर में गड्ढे पड़े हैं, टूटी है। यदि इसको भी सही करने की आवश्यकता है। अभी कुछ समय बाद में सिंचाई का समय आएगा तो उसके पहले मैं माननीय मंत्रीजी से चाहूंगा कि इन सारी तीनों बांधों की नहरें रिपेयर हो जाएंगी, सही हो जाएंगी तो किसानों को पानी मिलेगा। आपने समय दिया, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी रेस्पोंड कर रहे हैं आप?

श्री सांवर लाल (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो चिंता प्रकट की है, मैं उससे सहमत हूं और मैं यह कहना चाहता हूं कि जो भी आपने शिकायत की है कि घटिया काम हुआ है तो मैं यह कहना चाहता हूं कि इसकी जांच एक महीने के अन्दर-अन्दर चीफ इंजीनियर स्तर के अधिकारी से करा कर, अगर कोई दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्यवाही होगी।

(श्री सांवर लाल)

दूसरा, दोनदी बांध के नहर के कार्य को ईआरएम योजना के अन्दर हमने लिया है और उपलब्ध संसाधन के आधार पर, जल्दी से जल्दी छह माह में इस कार्य को चालू कराने का प्रयास करेंगे।

तीसरा, घोड़ाखोज बांध का काम माननीय वसुन्धराजी की सरकार में ही पूरा हुआ था और मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इसके काम के लिए एक माह में हम टेण्डर आमंत्रित करेंगे और यह कार्य भी जल्दी से जल्दी हो और पानी का खेती-बाड़ी के लिए उपयोग हो, किसानों को फायदा मिले, इस बारे में सरकार चिंतित है और निश्चित रूप से त्वरित गति से कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष: ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। माननीय विधायक श्री ओटाराम देवासी ध्यान आकर्षित करेंगे सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी का।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

भूतपूर्व सैनिकों को संविदा पर नियुक्ति देने के राज्य सरकार के आदेश की पालना में कथित अनियमितताएं

श्री ओटाराम (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सिरोही जिले के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिकों को राज्य सरकार द्वारा संविदा पर नियुक्ति से वंचित होने के सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण करना चाहता हूं। राज्य सरकार सैनिक कल्याण विभाग...

श्री अध्यक्ष: विराजिये, आप विराजिये। मंत्रीजी अपना वक्तव्य देंगे, फिर आप स्पष्टीकरण के लिए सवाल करें। माननीय मंत्रीजी।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से जो माननीय सदस्य ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है। उस सम्बन्ध में राजस्थान एक्स-सर्विसमैन कारपोरेशन का गठन राजस्थान सरकार कैबिनेट नोट दिनांक 3 जनवरी, 2012 के तहत किया गया तथा रेस्को ने मार्च, 2012 में कार्य प्रारम्भ कर अगस्त, 2012 में रेस्को के द्वारा सरकारी विभागों में पूर्व सैनिकों का नियोजन किया।

दो, दूसरे जिलों के पूर्व सैनिकों की नियुक्ति-पूर्ण कोशिश के पश्चात् भी वर्तमान में पूर्व सैनिकों की मांग के अनुसार पाली में 44, सिरोही में 56 व जालौर में 15 पद रिक्त हैं। रेस्को से पंजीकृत इन जिलों का कोई भी पूर्व

(श्री युनुस खान)

सैनिक वेटिंग लिस्ट में नहीं है तथा इन जिलों का कोई पुरुष कभी भी नौकरी पा सकता है। इस प्रकार स्थानीय पूर्व सैनिकों के साथ कोई अन्याय नहीं हो रहा है। उपरोक्त जिलों में पूर्व सैनिकों की संख्या बहुत ही कम है और विभागों की मांग के अनुसार यहां अन्य जिलों के पूर्व सैनिकों का नियोजन करना पड़ता है। उपरोक्त जिलों में बिजली विभाग के उपक्रम ग्रामीण क्षेत्र में स्थित हैं और अन्य जिलों के पूर्व सैनिक ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने के इच्छुक नहीं हैं तथा ये जिला परिवहन कार्यालयों या शहरी क्षेत्र में ही नियोजन स्वीकारते हैं।

तीन, परिवहन विभाग में दूसरे जिलों के पूर्व सैनिकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में- रेस्को का गठन पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए होने के कारण यह पालिसी बनाई गई कि सरकारी विभागों से अनुबंध के समय लगे हुए पूर्व सैनिकों को हटाया नहीं जाएगा। क्योंकि पहले से ही नियुक्त पूर्व सैनिकों को कार्य मुक्त करना उनके साथ अन्याय होगा। इस प्रकार प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, पाली व इसके जिला परिवहन कार्यालय सिरोही, जालौर व आबूरोड में जो पूर्व सैनिक नियुक्त थे। उन सभी को निरन्तर कार्य पर रखा गया। राजस्थान सरकार परिवहन विभाग के निर्देशों के अनुसार जिला प्रादेशिक परिवहन कार्यालयों में नियोजित पूर्व सैनिकों की हर छह माह में बदली करना आवश्यक है। जिसके फलस्वरूप इन कार्यालयों में नियोजित पूर्व सैनिकों की जगह अन्य पूर्व सैनिकों को नियोजित किया जाता है। जिलों में अभी भी पूर्व सैनिकों के रिक्त स्थान हैं तथा नियुक्ति में स्थानीय जिलों के पूर्व सैनिकों को प्राथमिकता दी जाती है। परन्तु अभी इन जिलों का कोई भी पूर्व सैनिक वेटिंग लिस्ट में नहीं है।

चार, बिन्दु संख्या-10 की पालना में लेख है कि इस बिन्दु की व्यवस्था का पूर्ण रूप से पालना की जा रही है। इस बिन्दु में समितियों के विवरण की कोई सम्बद्धता नहीं है। क्योंकि राजस्थान सरकार 1 अप्रैल, 2013 से सभी समितियों के सरकारी विभागों, संस्थानों, निगमों में पूर्व सैनिकों के नियोजन की मान्यता रद्द कर दी गई है। रेस्को और विभागों के बीच अनुबंध एक सहमति के रूप में किया जा रहा है। जिसमें निरस्त क्लाज पहले से ही शामिल है।

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न पूछिए, कोई स्पष्टीकरण करना हो तो।

श्री ओटाराम (सिरोही): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज की तारीख सिरोही जिले में पूर्व सैनिक कितने हैं? दूसरी बात पूरे राजस्थान से सीकर और झुंझुनूं के पूर्व सैनिक आकर वहां सर्विस कर रहे हैं। जबकि वहां के पूर्व सैनिक हैं उनको यह कह कर निकाला जाता है कि आप दूसरे डिपार्टमेंट में जाइए। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं जैसे आपके जिला परिवहन कार्यालय, आबूरोड में आज बाहर के कई सैनिक आकर वहां सर्विस करते हैं तो मेरा आपके माध्यम से यह निवेदन है कि मेरे वहां के सिरोही के जितने भी पूर्व सैनिक हैं। उनको वहां नौकरी मिलनी चाहिए, उनको वहां पोस्टिंग मिलना चाहिए। इस तरह से जो रेस्को के माध्यम जो आपने दिया है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि उन्होंने इस एग्रीमेंट को निरस्त कर दिया है तो सिरोही जिले के जो पूर्व सैनिक हैं उनका यह मामला है तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सिरोही के जितने भी भूतपूर्व सैनिक हैं, वो कहां जाएंगे? जालौर के कहां जाएंगे? और मेरे वहां जालौर और सिरोही के जितने भी भूतपूर्व सैनिक हैं। आपने देखा होगा कि पाली के जो पूर्व सैनिक हैं वे विद्युत घर, नगरपालिका अन्य विभागों में सेवा दे रहे हैं। तो मेरे वहां के जितने भी पूर्व सैनिक हैं उनको भी कहीं न कहीं सैट किया जाए ताकि उनको भी रोजगार उपलब्ध हो सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: आप रेस्पोण्ड करेंगे?

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): जी, माननीय अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यह पूछा कि सिरोही में पूर्व सैनिक कितने हैं? तो सिरोही जिले में अभी जीवित पूर्व सैनिकों की संख्या वह आज की तारीख में सेना से जो पूर्व सैनिक आए हैं उनकी 305 हैं। जो वायु सेना से आये हैं उनकी 71 और जो नौसेना से आये हैं उनकी 72, कुल मिलाकर के 498 लोग इनके यहां पूर्व सैनिक हैं। चूंकि आपने यह भी चर्चा की कि झुंझुनूं, सीकर और नागौर, चूरू इन जिलों के पूर्व सैनिकों को ज्यादा वहां तवज्जोह दी जाती हैं। चूंकि जालौर और सिरोही जो जिले हैं उन जिलों में पूर्व सैनिकों की संख्या कम है और जैसा कि मैंने अभी जवाब में कहा कि जितनी डिमाण्ड है उसमें पाली में अभी भी आज की तारीख में 44 और सिरोही में 56 और जालौर में 15 पद रिक्त पड़े हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो रिक्त पद

(श्री युनुस खान)

हैं उनको भरने के लिए दूसरे जिलों से लिया जा सकता है। वैसे कोई पाबंदी नहीं है, यह है कि अगर उस जिले का पूर्व सैनिक है तो उसी में उसको काम का मौका मिलना चाहिए। यह साधारण नहीं बना रखा है लेकिन उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है कि दूसरे जिले का व्यक्ति काम नहीं कर सकता है, प्राथमिकता है उसको। माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां झुंझुनूं की बात कही तो माननीय सदस्य मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा हिन्दुस्तान में झुंझुनूं जिला वह जिला है जो सबसे ज्यादा सैनिक आज भारत की सेना में और सीमाओं पर काम रहे हैं और आज अगर हम चिड़ावा और झुंझुनूं की संख्या लें तो अकेले चिड़ावा और झुंझुनूं 50 हजार संख्या है और सीकर में भी माननीय अध्यक्ष महोदय, लगभग 25 हजार पूर्व सैनिक हैं। तो ज्यादातर जैसा मैंने चर्चा की कि ग्रामीण क्षेत्र में जैसे बिजली के कार्यालय में हम भेजने की हम बात करते हैं तो लोग जाना नहीं चाहते। वे सिर्फ परिवहन कार्यालयों में ही लगना चाहते हैं फिर भी आपने यह ध्यान दिलाया है, आपके जिले से इस तरीके से सैनिकों का कोई जुड़ा हुआ विषय है उनको नहीं मिल रहा है तो देखेंगे। क्योंकि यह रेस्को जो है वह सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है। वह पूर्व सैनिकों को प्रोवाइड करवाती है। विभाग में अगर कोई शिकायत आ जाती है किसी की, तो विभाग जरूरी नहीं है उसको रखें, उसको हटा भी सकता है। वैसे भी साधारणतया छह महीने में बदलने का रिवाज विभागों में है।

श्री ओटाराम (सिरोही): अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने जो जवाब दिया कि झुंझुनूं जिले में बहुत अधिक संख्या में सैनिक हैं। मेरा यह निवेदन नहीं पूरे राजस्थान में शहीदों की यह धरती है, पूरा राजस्थान शहीदों का है और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर झुंझुनूं में या सीकर में हैं या कहीं पर भी है। मेरा वह मतलब नहीं है, मेरे कहने का मतलब यह है कि मेरे सिरोही के पूर्व सैनिक हैं उनको भी वहां सैट किया जाए। मेरा यह निवेदन है कि राजस्थान का कोई सैनिक आकर वहां सर्विस करे। मेरा निवेदन है कि राजस्थान का कोई भी आये परन्तु कम से कम जो आपने बताई संख्या कि 305 है तो मेरा आपसे निवेदन है कि कम से कम उनको भी वहां कहीं न कहीं सैट किया जाए।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिए। याचिकाओं का उपस्थापन। श्री मेवाराम जैन।

याचिका

बाड़मेर में बढ़ते यातायात दबाव के चलते चौहटन रोड रेलवे फाटक पर अण्डरब्रिज की स्वीकृति

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से जिला मुख्यालय बाड़मेर में बढ़ते यातायात के फलस्वरूप चौहटन रोड रेलवे फाटक पर अण्डर ब्रिज स्वीकृत करने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री भागीरथ चौधरी।

किशनगढ़ स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में व्याख्याताओं की स्वीकृति

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से किशनगढ़ स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में गत 10-12 वर्षों से स्व-वित्तपोषी योजनान्तर्गत वैकल्पिक विषयों में अध्यापन कार्य हेतु आवश्यक व्याख्याता पदों के आबंटन की स्वीकृति शैक्षणिक वर्ष 2014-2015 में कराने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती कीर्ति कुमारी।

माण्डलगढ़ में कतिपय सड़कों की मरम्मत

सुश्री कीर्तिकुमारी (माण्डलगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से माण्डलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में कतिपय सड़कों की मरम्मत कराने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करती हूं।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल।

रामगंजमण्डी के नगर निगम क्षेत्र में आने वाले गांवों को मूलभूत सुविधाओं का अभाव

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी (कोटा) के नगर निगम क्षेत्र में आने वाले सभी गांवों को कच्ची बस्ती में शामिल कर मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराये जाने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करती हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री कैलाश भंसाली।

जोधपुर में रिक्तियां भैरूंजी चौराहे से झालामण्ड चौराहे के मध्य राजकीय सीनियर सैकण्डरी विद्यालय खोला जाना

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से जोधपुर के रिक्तियां भैरूंजी चौराहे से झालामण्ड चौराहे के मध्य राजकीय सीनियर सैकण्डरी विद्यालय खोलने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: मा. रणधीर सिंह भीण्डर।

वल्लभनगर के बड़ा राजपुरा में उच्च माध्यमिक विद्यालय खोला जाना

म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से बड़ा राजपुरा, पंचायत-पीथलपुरा, तहसील-वल्लभनगर में उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री नारायण सिंह देवल।

रानीवाड़ा मुख्यालय पर महाविद्यालय खोला जाना

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से जालौर जिले के रानीवाड़ा खण्ड मुख्यालय पर स्नातक स्तर का कालेज खोले जाने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: परिवर्तित आय-व्यय अनुमान वर्ष 2014-2015, द्वितीय अवस्था, अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान के लिए श्री गुलाब चन्द कटारिया प्रस्ताव करेंगे।

अनुदान की मांग

मांग संख्या-28 ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम की प्रस्तुति

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या-28 ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 7,51,98,40,000/- (अक्षरे रुपये सात अरब इक्यावन करोड़ अठानवे लाख चालीस हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए।

(कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

मांग संख्या-49 स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और समनुदेशन की प्रस्तुति

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या-49 स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और समनुदेशन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 80,53,41,000/- (अक्षरे रुपये अस्सी करोड़ तिरेपन लाख इकतालीस हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए।

(कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

संख्या-50 ग्रामीण रोजगार की प्रस्तुति

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या-50 ग्रामीण रोजगार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 36,48,55,21,000/- (अक्षरे रुपये छत्तीस अरब अड़तालीस करोड़ पचपन लाख इक्कीस हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए।

(कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

श्री अध्यक्ष: आज की डिबेट का प्रारम्भ श्री बनवारी लाल सिंघल।

मांग संख्या 28, 49 व 50 पर विचार

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-28 ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम, मैं अपनी कुछ बात इस विषय पर रखना चाह रहा हूं। अभी सात माह पूर्व राजस्थान में सरकार बदली और अभी लगभग दो माह पूर्व देश में सरकार बदली। एक महानरेगा योजना जिसका देश में और प्रदेश में बड़े जोर-शोर से ढोल-ढमाके बजाकर प्रदेश की सरकार और देश की सरकार, कि हम इस योजना के माध्यम से ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं ये लाभ दे रहे हैं। इस तरह का रोजाना समाचार पत्रों के माध्यम से, इलेक्ट्रोनिक चैनलों के माध्यम से जिस प्रकार से ढोल पीटने का काम किया जा रहा था उसकी कितनी उपयोगिता इस राजस्थान में और देश में साबित हुई। यह देश की और प्रदेश की जनता ने इस देश की कांग्रेस

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

सरकार को और कांग्रेस पार्टी को बताने का काम किया है। मैं बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से नरेगा योजना में प्रदेश की सरकार ने एक-एक व्यक्ति जो इस नरेगा योजना में पंजीकृत था सिर्फ इस उद्देश्य से कि वह व्यक्ति हमारा कांग्रेस पार्टी का वोटर रहे, काम करे या नहीं करे, लेकिन उस तक नकद राशि पहुंचनी चाहिए ताकि आने वाले 2013 के चुनाव में वह व्यक्ति आंख मूंद कर कांग्रेस के पक्ष में मतदान करे। लेकिन ये इनका शेखचिल्ली का सपना साबित हुआ कि इन लोगों के घरों में पैसे पहुंचाये, मैंने यह स्वयं देखा है, अनेक यात्राओं के दौरान मैंने देखा कि कई खेत जिनमें गेहूं की फसल या दूसरी फसल जिनको मशीनों के माध्यम से काटा जा रहा था। प्रदेश में पशुधन के लिए चारे की भयंकर कमी और उसके पश्चात् और दूसरे प्रदेशों से मंगवा कर हार्वेस्टर कंबाइन के माध्यम से फसल को काटना और खेतों में चारे को जलाना। जब इस विषय में मैंने लोगों से पूछताछ की कि आखिर ऐसी क्या व्यवस्था है यहां लोगों को चारे की आवश्यकता नहीं है क्या, तो स्थानीय लोगों ने बताया कि नरेगा योजना ने यहां के श्रमिकों का यह हाल कर दिया है कि रोजाना सौ रुपये, अस्सी रुपये ले जाते हैं कुछ खा लेते हैं और कुछ पी लेते हैं इसके अलावा और उनको काम करने की आवश्यकता नहीं है। अगर हमारे प्रदेश के उस चारे का उपयोग भी उन लोगों को बेकार करके पशुओं के पेट में पहुंचाने के लिए किया जाता, उन लोगों की श्रम शक्ति का उपयोग किया जाता तो निश्चित रूप से आज जितनी बड़ी-बड़ी हमारे सदन में जो आज बातचीत हो रही है चाहे वह पशुओं के चारे की हो या प्रदेश में रोजगार की हो। मेरा मानना है कि इतनी बड़ी चिन्ता करने की आवश्यकता इस प्रदेश की सरकार को नहीं पड़ती। परिणाम हुआ हमारी जो श्रम शक्ति है राजस्थान का श्रमिक, हमारे देश का श्रमिक पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर और सबसे अधिक काम करने वाला श्रमिक माना जाता है। इस नरेगा की योजना ने हमारे प्रदेश के श्रमिक का ऐसा उसको श्रम से विमुख करने का काम किया है। अभी पिछले दिनों, यों तो ये चुटकले जैसा ही है लेकिन वास्तव में घटना भी सच्ची है। मैं सड़क से गुजर रहा था। एक व्यक्ति खड्डा खोद रहा था। दूसरा व्यक्ति उस खड्डे को भर रहा था। मैंने पूछा ये क्या गोरखधंधा हो रहा है, मैं वहां उतरा गाड़ी से और मैंने पूछा कि तुम लोग एक खड्डा खोद रहा है दूसरा भर रहा है तुम क्या कर रहे हो? तो बड़ा शानदार जवाब था। उन्होंने कहा कि साहब हम तीन आदमी काम पर लगाये गये थे नरेगा में। एक का काम था खड्डा खोदना

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

और एक का काम था खड्डा भरना और एक का काम था उस खड्डे में पेड़ लगाना, तो हम दोनों अपना काम कर रहे हैं लेकिन वह बीच का आदमी था पेड़ लगाने वाला छुट्टी पर गया है। एक आदमी खड्डे खोद रहा है दूसरा उस खड्डे को भर रहा है। पेड़ लगाने वाला छुट्टी पर गया। नरेगा योजना में भी यही होता था। सोमवार को दायें हाथ की मिट्टी उठाई और बायें हाथ को डाल दी। मंगलवार को वही मिट्टी वापस उठाई और फिर दायें हाथ को डाल दी। जो हमारे इस बहुत बड़ी राशि का जो विनियोजन करके इस प्रदेश में जिस प्रकार की सम्पदा का निर्माण होना चाहिए था वोटों की खेती ने वोटों के लालच ने प्रदेश की बहुत बड़ी राशि का अपव्यय किया और इस नरेगा योजना का किसी भी प्रकार का कोई भी लाभ इस प्रदेश को नहीं मिला। पिछले दिनों पूर्ववर्ती सरकार के समय की बात है पंचायतों में हुए घपले की जांच के लिए जब मांग उठी प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी। हमने मांग की राजस्थान की सरकार से, राजस्थान की सरकार ने उसकी जांच के आदेश दिये लेकिन बड़ा दुर्भाग्य रहा इस राजस्थान की जनता का। जांच के आदेश दिये और जांच के लिए एजेंसियां निर्धारित की गई एनजीओ। पूर्ववर्ती जो सरकार थी उनकी जो चहेती एनजीओ थी उन एनजीओज को सोशल आडिट करने का काम दे दिया गया। जब इस सोशल आडिट के बारे में हमने प्रश्न उठाये कि जो स्वयं प्रामाणिक नहीं है ये एनजीओज तो कल ये सोशल आडिट करके किस प्रकार की रिपोर्ट देंगे। इस सोशल आडिट को सरकारी एजेंसी के माध्यम से कराया जाए तो राजस्थान की तत्कालीन सरकार ने राजस्थान के जनप्रतिनिधियों के खिलाफ बर्बरतापूर्वक व्यवहार भी किया, मुकदमे भी लगवाये और हम लोगों को प्रताड़ित करने का काम किया। यह इस बात का प्रमाण है कि राजस्थान की तत्कालीन सरकार इस नरेगा के माध्यम से बहुत बड़ा भ्रष्टाचार करके गयी है। मैं मांग करता हूं एनजीओज के माध्यम से जिस प्रकार से इन्होंने सोशल आडिट करवा कर इस पैसे को बरबाद करने का काम किया उसकी जांच की जाए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं। जांच एजेंसी भी ऐसी थी मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि सदन में यह प्रतिबन्ध है कि किसी का नाम जो सदस्य नहीं है उसका नहीं लिया जाए लेकिन पूर्ववर्ती सरकार के मुखिया उनसे सम्बद्ध एक ऐसी एनजीओ थी जिसको खास तौर से यह काम दिया गया था। माननीय सभापति जी, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं ...

श्री अध्यक्ष: स्पीकर साहब।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, सभापतिजी आने वाले थे न इसलिए एडवांस में बोल दिया।

(13.47 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, सभापति, पदासीन)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): उस एनजीओ का नाम भी बता दो।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): बताऊंगा साहब। माननीय सभापति जी, इसी चौदहवीं विधान सभा के बजट सत्र में इसी सदन में बांध और जल भराव क्षेत्रों के विषय पर बहुत चर्चा हुई। आज इस मांग संख्या 28 ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं। प्रदेश के जल भराव क्षेत्रों को सिंचाई विभाग ने पंचायती राज विभाग को सौंप दिया। अधिकतम बांधों को पंचायती राज विभाग को सौंप दिया। ये ऐसी योजनापूर्वक कार्यवाही की गई है। पंचायती राज विभाग को सौंपा। आधा-अधूरा इनका रिकार्ड सौंपा। कहीं नक्शे सौंपे तो कहीं रिकार्ड दिया, कहीं खसरा नम्बर नहीं दिये तो कहीं नक़्शे नहीं दिये। परिणाम यह हुआ कि राजस्थान के सारे बांधों पर कब्जे हो गये। लोगों ने भूखण्ड काट दिये। बड़ी-बड़ी इमारतें बनीं। राजस्थान उच्च न्यायालय को इसमें दखल करना पड़ा। कहीं तोड़ना पड़ा। बहुत भारी धन का अपव्यय हुआ। राजस्थान के सारे स्थानीय निकाय हमारी लोकल बाडीज को जब जानकारी नहीं थी तो इन्होंने भी नक़्शे पास कर दिये। आने वाले समय में राजस्थान में इन जल भराव क्षेत्रों का समाप्त होना तो लगभग तय हो चुका है ऐसा लगता है लेकिन जिस प्रकार से राजस्थान का उच्च न्यायालय देश का सर्वोच्च न्यायालय अब्दुल रहमान बनाम सरकार के उस रूलिंग को आधार मानते हुए जिस प्रकार से निर्णय कर रहा है निश्चित रूप से आने वाले समय में आज जिस तरह का पंचायती राज हमारा देखने को मिल रहा है और पंचायतें आधे-अधूरे रिकार्ड के साथ उन बांधों को बचाने में अपने आपको असहाय महसूस कर रही हैं। आने वाले समय में जैसा पानी का हाहाकार मच रहा है। माननीय सभापति महोदय, अगर इनको नहीं बचाया गया तो निश्चित रूप से प्रदेश में केवल नक्शे पर देखने को मिलेंगे कि यहां कभी बांध हुआ करते थे। अभी पिछले दिनों अलवर में बहुत बड़ी संख्या में अधिकारियों और दूसरे लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए। अगर वहां मौके का

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

सर्वे किया जाए, माननीय मंत्रीजी यहां विराजमान हैं, तो सरफेस लेवल उसका हो गया। मिट्टी बह-बहकर वह जमीन अन्य जमीन के बराबर हो गई। आखिर कहां गए वह बांध, अलवर का जयसमंद बांध जिस पर अभी तीन-चार दिन पहले माननीय मंत्रीजी ने एक कमेटी गठित की है। जब हम जयसमंद बांध की बात करते हैं तो पंचायतों के द्वारा कहा जाता है, हमको बांध तो सुपुर्द कर दिया गया है ग्राम पंचायत को किन्तु कितने खसरा नम्बर इसमें है, कितना रकबा इसका है, कहां से कहां तक है, जल भराव कितना है और केचमेंट कितना है, यह नहीं बताया। कौन बताएगा? ये दो विभाग जब तक समन्वय से काम नहीं करेंगे, तब तक राजस्थान के बांधों की सुरक्षा होना बहुत मुशिकल नजर आता है। मैं माननीय मंत्रीजी से मांग करता हूं कि राजस्थान के जितने भी बांध हैं जलभराव क्षेत्रों का, कैचमेंट एरियाज का पुन: निरीक्षण करवा लिया जाए। प्रदेश स्तरीय समिति बना दी जाए, क्योंकि इसमें छोटे कर्मचारी और अधिकारी बहुत ज्यादा लिप्त है। चाहे पटवारी हो, चाहे वह सिंचाई विभाग का मेट हो, चाहे वह वहां का निरीक्षक हो, कोई अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा है। आनन फानन में सब लोग इस तैयारी में लगे हुए हैं कि बांट दो नक्शे, काट दो प्लाट, और जब प्लाट कट जाता है और लोग-बाग़ 90 बी और दूसरे कामों के लिए जाते हैं तो वहां जाकर बड़ी मशक्कत के बाद पता लगता है कि यह तो बांध भराव क्षेत्र में है। पिछले दिनों अमानीशाह के नाले में जिस तरह से बिल्डिंग्स तोड़ी गई। अलवर में एक बहुत बड़ा प्रकरण हुआ है, सभापतिजी, आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी की जानकारी में ड़ालना चाहता हूं। मेरे अलवर में शहर में एक प्रेमरत्नाकर बांध, जिसको दो बार के मास्टर प्लान में बीस वर्ष तक, मास्टर प्लान से गायब कर दिया गया। बीस वर्ष तक लगातार मास्टर प्लान से प्रेमरत्नाकर बांध गायब रहा। जानकारी में आने के बाद जब इसको डाला गया तो 2031 के मास्टर प्लान पर 2011, 2012 और 2013 में स्थानीय निकाय और पंचायत राज विभाग ने उस बांध को पुन: नक्शे पर स्थापित करने का काम किया। क्या होगा उन लोगों का? पंचायत से जब पूछा जाता था कि यह बांध कहां है, तो पंचायत का जवाब मिलता था हमारे पास इस नाम का कोई बांध नहीं है। सिंचाई विभाग से जब पूछा गया बांध कहां है, तो वे कहते थे हमने पंचायत को इस बांध का पूरा रिकार्ड सौंप दिया, अब हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। माननीय सभापति जी, इस बात की कौन जिम्मेदारी लेगा कि यह बांध कहां

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

गए, हमारे जल स्त्रोत कहां गए? पानी का लगातार दोहन हो रहा है, इस दोहन के कारण से जिस प्रकार की स्थिति हमारे सामने उत्पन्न हो रही है, माननीय पंचायती राज मंत्री जी, हमारे सामने आज यह आवश्यकता है कि जो भी जलभराव क्षेत्र है इनमें अक्सर यह देखने को मिलता है, पंचायतों से पूछा जाता है वह कहते हैं बांध का हमारे पास, बांध सम्बन्धी कोई रिकार्ड नहीं है, सारी खातेदारी की भूमि है।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं सबसे पहले जलभराव क्षेत्रों की, जिन लोगों की खातेदारी है उनकी खातेदारी समाप्त की जाए। उनका वहां से पुनर्वास करके दूसरे क्षेत्रों में उसके समान दूसरी भूमि अलाट की जाए और इनका रिकार्ड पर, नक्शे पर, सभी प्रकार से सीमांकन करके इनको बांध के रूप में दर्शाकर वहां बोर्ड लगाया जाए, ताकि कोई भी भोला भाला व्यक्ति ऐसे क्षेत्रों में न बसने की गलती करें और न कोई व्यक्ति उनको बसाने की गलती करें। हमारे जलभराव क्षेत्रों का निश्चित रूप से इससे बचाव होगा।

मैं एक और गम्भीर विषय की ओर इस सदन का ध्यानाकर्षित कर रहा हूं। मेवात विकास बोर्ड। यह एक ऐसी संस्था है जो मेवात क्षेत्र के विकास के लिए 20 फरवरी, 1987 को गठित की गई थी, माननीय राज्यपाल महोदय की आज्ञा से। इसका योजना का उद्देश्य था, मेवात क्षेत्र में रह रहे मेव परिवारों के आर्थिक और सामाजिक उन्नयन के साथ-साथ क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं का विकास। साथ में कृषि, चिकित्सा, शिक्षा, सड़क, पशुपालन, पेयजल और सामाजिक परिसम्पत्तियों के सृजन पर विशेष ध्यान देना। योजना का कार्य क्षेत्र वर्ष 2002 तक चयनित ब्लाक के किसी भी कार्य, गांव में कार्य स्वीकृत किये जा सकते थे, चाहे वह गांव मेव बाहुल्य है या नहीं है। वर्ष 2002 में एक अमेंडमेंट इसमें लाया गया, जिसमें कर दिया गया कि जिस गांव की आबादी में मेव आबादी 10 प्रतिशत से कम होगी वहां मेवात विकास बोर्ड की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई काम स्वीकृत नहीं किया जा सकेगा। यह राइडर 2002 में लगा। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्रीजी के जानकारी में लाना चाहता हूं, मेवात विकास बोर्ड के गठन के बाद प्रतिनिधि समिति का गठन किया गया 17.2.98 को। अनेक पंचायत समितियों को इसमें समय-समय पर जोड़ने का काम किया गया।

एक गम्भीर बात जिसकी ओर मैं विशेष तौर से ध्यान दिलाना चाहता हूं, एक तरफ तो यह आज की दिनांक तक यह राइडर है, यह रोक है, जिस

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

क्षेत्र में 10 प्रतिशत से कम आबादी है उस क्षेत्र में मेवात विकास बोर्ड के पैसे का विनियोजन नहीं हो सकता, यह कानून है। किन्तु पूर्ववर्ती सरकार के मुखिया जी, हमारे अलवर के तत्कालीन सांसद महोदय, एक पूर्व विधायक जो हमारे साथ थे अलवर ग्रामीण के, अलवर की जिला प्रमुख और अलवर के जिला कलक्टर इन सबने मिलकर राज की हठधर्मिता का उपयोग करते हुए, राज की दादागिरी का उपयोग करते हुए, नियमों के विरूद्ध अलवर शहर विधान सभा क्षेत्र की यूआईटी की कालोनी में मेवात विकास बोर्ड के एक बालिका छात्रावास को जबरन खोलने का काम किया। इसके लिए राजस्थान की सरकार द्वारा एक और इन लोगों की गलत कार्यवाही को मोहर लगाने का काम किया। 5 हजार वर्गमीटर बेशकीमती भूमि, अलवर शहर विधान सभा क्षेत्र में, नगर विकास न्यास को आबंटित करने के निर्देश तत्कालीन सांसद और तत्कालीन विधायक अब पूर्व हो चुके हैं अलवर ग्रामीण के, इनके द्वारा, अलवर की जिला प्रमुख के द्वारा इनको निर्देश दिया गया कि आप यह 5 हजार मीटर भूमि नि:शुल्क मेवात विकास बोर्ड का एक छात्रावास बनाने के लिए उपलब्ध करायें। इस बाबत मैंने विधान सभा में एक प्रश्न पूछा। प्रश्न संख्या 534 था, जिसका क्रमांक 69 था, 10.3.11 को यह लिस्टेड था, जब मैंने इसमें पूछा कि क्या यह आवश्यक है कि जिस क्षेत्र में मेवात विकास बोर्ड की राशि का विनियोजन किया जाएगा, वहां कोई जनसंख्या का कोई राइडर है, सरकार ने कहा, है, जी हां। योजनान्तर्गत दस प्रतिशत मेव परिवार आबादी होना आवश्यक है। इसके पश्चात मैंने जब पूछा कि आपने क्या अलवर में किसी भी प्रकार से कोई भूखण्ड का आबंटन किया है, राजस्थान की सरकार ने कहा जी हां, हमने भूखण्ड का आबंटन किया है। मैंने पूछा किन नियमों के तहत, तो मुझे बताया गया नगरीय भूमि निस्तारण नियम 1974 के नियम 18 के अन्तर्गत यह निर्णय लिया गया है। माननीय सभापति जी, नगरीय भूमि निस्तारण नियम 18 का मैं हवाला देना चाहता हूं 18 Allotment of land to public and charitable Institutions. (1) No land shall be allotted for a price less than the sanctioned reserve price except for categories covered under Rule 17, provided that land for public and charitable institutions may be allotted by the trust on payment of residential reserve price. इसके ही पैरा 2-ए में है ''If any land is required by the Govt. from the trust the following price shall be paid by Govt.(a) Cost of land, if the land was acquired by the Trust by making compensation and cost of development of plot Trust 20% to cover administrative and other establishment charges to the Trust.'' यह इस बात को इंगित करता है कि भूमि का

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

नि:शुल्क आबंटन नहीं किया जा सकता था क्योंकि यह भूमि नगर विकास न्यास अलवर के द्वारा अवाप्त की हुई भूमि थी, जिस पर उस भूमि की अवाप्ति की कीमत प्लस 20 प्रतिशत प्रशासनिक खर्च लिया जाना आवश्यक था। लेकिन अलवर के तत्कालीन राजनेताओं ने, राजस्थान सरकार के तत्कालीन मुखिया ने हठधर्मितापूर्वक इस भूमि का आबंटन कराया। इस भूमि को नगर विकास न्यास के ट्रस्ट में आबंटित करने के निर्देश जारी किए। राज्य सरकार ने नियम विरुद्ध तरीके से इसका नि:शुल्क आबंटन करने की, नगरीय विकास विभाग ने, इसकी अनुमति जारी की। सबसे गम्भीर बात यह है कि जब भी जिला परिषद की कोई बैठक हुई, राजस्थान सरकार के मेवात विकास बोर्ड की बैठक हुई, मैंने और मेरे साथी विधायक जो मेवात क्षेत्र से आते हैं हमने गम्भीर आपत्ति दर्ज कराई किन्तु राजस्थान की सरकार ने अलवर के जिला कलक्टर, अलवर के मुखियाओं ने जिन्होंने राजनीतिक आधार पर निर्णय करते हुए हमारी आपत्ति को दर किनार किया, और प्रतिबंधित क्षेत्र में इस छात्रावास के नाम पर, भूमि पर जो भवन बनाना शुरू किया मैं उसकी, अभी मेरे पास फोटो तो आई है लेकिन वह वाट्सएप पर आई है, अभी फोटो छपकर आना बकाया है, उसको भी मैं टेबल करूंगा, माननीय सभापति जी।

धार्मिक स्थल का निर्माण मेवात विकास बोर्ड की राशि से एकदम प्रतिबंधित है, यह इसके विधान में है जो मेरे हाथ में है। किसी भी धार्मिक स्थल का निर्माण मेवात विकास बोर्ड की राशि से नहीं हो सकता और मैं, कोई आरोप नहीं है, यह प्रमाणित है, उस भवन के जो माडल बनाकर नगर विकास न्यास अलवर में प्रदर्शित किया हुआ है उसको देखने से और भवन को देखने से स्पष्ट प्रमाणित होता है कि वह एक वर्ग विशेष के धार्मिक स्थल का निर्माण हो रहा है। मेवात विकास बोर्ड की राशि से शहर के बीचों बीच इस प्रकार से एक धार्मिक स्थल का निर्माण होना यह एक बहुत गम्भीर विषय है। पूरा का पूरा जिला प्रशासन देख रहा है, नगर विकास न्यास इसकी कार्यकारी एजेंसी है। नगर विकास न्यास के अधिकारी इसका निर्माण करवा रहे हैं। उसका माडल यू.आई.टी. में लगा हुआ है। उसके बाद लगातार प्रतिबंध के बावजूद किस अनदेखी के कारण से, किस राजनीतिक दादागिरी के कारण से, यह क्लीयर-कट लिखा हुआ है, किसी भी प्रकार धार्मिक पूजा स्थल, योजनान्तर्गत नहीं कराये जा सकने वाले कार्य, इसमें 'र', 6 (2) का जो 'र' है, मेवात विकास बोर्ड के विधान में धार्मिक पूजा स्थलों पर पाबन्दी है। यह

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

जो निर्माण हो रहा है, माननीय मंत्रीजी, माननीय सभापतिजी के माध्यम से आपकी जानकारी में डाल रहा हूं। पूर्णतया धार्मिक स्थल का निर्माण हो रहा है। छात्रावास के नाम से पांच हजार मीटर बेशकीमती भूमि ली गई है। इसका उपयोग छात्रावास के लिए नहीं है। क्योंकि अगर किसी भी धार्मिक स्थल किसी व्यक्तिगत, किसी भी धर्म की, जिस प्रकार के भवन बनाये जाते हैं, अगर इस प्रकार का भवन बनता है तो मेवात क्षेत्र की सभी जातियों की बच्चियां किसी भी कीमत पर ऐसे मेवात बालिका छात्रावास में आकर नहीं रह सकतीं। योजनापूर्वक इस भवन का जो निर्माण हो रहा है, वह धार्मिक उपयोग के लिये हो रहा है। मैं यह मांग करता हूं, जिन अधिकारियों की नाक के नीचे, जिनकी देख-रेख में यह माडल वहां स्वीकृत हुआ, इसके नक्शे स्वीकृत हुए और अभी लेण्टर तक की जो बिल्डिंग का निर्माण हो गया है और जो क्लीयर-कट दिखता है कि यह धार्मिक स्थल है, किन-किन अधिकारियों की देखरेख में यह हुआ, उन सब अधिकारियों के खिलाफ गम्भीर धाराओं में, जो भी आज कानून में विद्यमान हैं, उनमें उनके खिलाफ कार्यवाही करने की मैं पुरजोर मांग इस सदन में करता हूं।

माननीय सभापतिजी, पिछले दिनों मैं और मेरे सभी साथी, जो मेवात क्षेत्र से आते हैं, हमने राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी से इस बाबत मांग भी की है कि यह जो दस प्रतिशत का राइडर है, इस राइडर को हटाया जाए। क्योंकि मेवात क्षेत्र जो है, इसके विकास के लिए यह योजना बनाई गई। किसी जाति और वर्ग विशेष के लिये नहीं बनाई गई। मेवात क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराना, सभी तरह के संसाधन वहां उपलब्ध कराना, उस क्षेत्र का विकास करना, इस योजना का जो मूल उद्देश्य है, आज यह मेवात विकास बोर्ड अपने मूल उद्देश्य से भटक कर केवल मात्र एक जाति और एक वर्ग विशेष के लिये काम करने की स्थिति पर आ चुका है। मैं मांग करता हूं कि इस बोर्ड की पूरी जांच की जाए। अलवर में जिस प्रकार का निर्माण हो रहा है, उसकी जांच की जाए। मेवात विकास बोर्ड को जिन उद्देश्यों के कारण से गठित किया गया उन उद्देश्यों पर काम करने के लिये पुन: प्रेरित किया जाए। इसमें जो भी आवश्यक संशोधन हों, उनको किया जाए। जो दस प्रतिशत का राइडर है कि जिन क्षेत्रों में दस प्रतिशत मेवात की आबादी होगी, केवल उन्हीं क्षेत्रों में इस पैसे का विनियोजन किया जाएगा। इससे मेवात का बहुत छोटा क्षेत्र लाभान्वित

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

हो रहा है। सड़कें एक बार की जगह तीन-तीन, चार-चार बार तोड़-तोड़ कर हर वर्ष बनाई जा रही हैं। क्योंकि अन्य स्थान पर पैसा लगाने की अनुमति नहीं है। केवल वहीं लगेगी जहां मेव समाज की आबादी दस प्रतिशत होगी। सड़कें पिछली बार बन गईं, उससे पिछले वर्ष बन गईं, फिर इस बार बना दो, तो आखिर इस पैसे का जो अपव्यय हो रहा है, इसको रोकने के लिये इस राइडर को भी हटाया जाना बहुत आवश्यक है कि मेवात क्षेत्र, पूरा जो मेवात क्षेत्र है, जिसको मेवात के नाम से जाना जाता है, जिन-जिन तहसीलों को, जिन पंचायतों को, जिन पंचायत समितियों को मेवात विकास बोर्ड योजना के अन्तर्गत शामिल किया हुआ है, उनमें समान रूप से कार्य कराने जाने की अनुमति मेवात विकास बोर्ड के माध्यम से हो। मैं यह मांग करता हूं। मुझे बोलने का समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री फूलसिंह मीणा।

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय सभापति महोदय, ग्रामीण विकास विशेष कार्यक्रम मांग संख्या 28 पर आपके माध्यम से मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि ग्रामीण विकास के सन्दर्भ में गांवों को तरक्की पर लाना चाहते हैं तो बरसों से बसे हुए आदिवासी या किसी भी समाज के लोग जो सरकारी जमीन पर बसे हुए हैं, इनको पट्टा दिलाने की कृपा कर बायी हक दिलाने की कृपा करें। साथ ही, जो वर्षों से जंगल में खेती कर रहे हैं उनको वन विभाग वाले धमका रहे हैं कि अब खेती नहीं कर सकते हो। सरकार का आदेश आया है कि इसमें अलग से घास लगाई जाएगी। ये गरीब साल भर इस एक फसल के ऊपर ही विश्वास रखते हैं। वर्ष भर उसी पर निर्भर रह कर अपना जीवन-यापन करते हैं। इसीलिए मंत्री महोदय इन गरीबों को राहत देने के लिए, अच्छा रास्ता निकाल कर संतुष्ट करें। माननीय सभापति महोदय, मंत्री महोदय को मैं अवगत कराना चाहता हूं कि जो गांव पहाड़ों में रहने वाले लोगों को रोड बना कर व लाइट लगा कर सुविधा दिलवानी बहुत जरुरी है। साथ ही, इन सब गांवों को सहकारिता से जोड़ना भी जरुरी है। शिक्षा में भी बहुत दिक्कत आती है। माननीय मंत्री महोदय, गांव में स्कूलें भी बनवा दी हैं और इनमें अध्यापक भी भेजते हैं। मगर वर्षों से वहां पर कहीं-कहीं तो 60-60 बच्चों के ऊपर एक अध्यापक है। सरकार अगर किसी भी अध्यापक को भेजने की कोशिश करती है तो अध्यापक बीमारी का बहाना लेकर या किसी न किसी प्रभावशाली व्यक्ति के मार्फत शहर के नजदीक आ

(श्री फूलसिंह मीणा)

जाता है। पूर्व सरकार में, अभी भी शहर के नजदीक एक स्कूल में दस-दस अध्यापक पढ़ा रहे हैं। वे डेपुटेशन पर रह कर शहर के नजदीक नौकरी कर रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय, जब तक हम इस गरीब जनता के लिए कड़ा रुख अपना कर उन स्कूलों पर अध्यापक लगाने के लिये कड़ी योजना नहीं बनाएंगे, तब तक उन गांवों का भला नहीं हो सकता। कृपया गरीब ग्रामीणों का भला करने की योजना बना कर उनको राहत देने की कृपा करें।

माननीय सभापति महोदय, मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि ग्राम पंचायत का चुनाव होने वाला है। मेरा सुझाव यह है कि सरपंचों को भी सिम्बल देकर चुनाव लड़ाने की योजना हो। क्योंकि जब सरपंच का चुनाव आता है, दस-दस, पन्द्रह-पन्द्रह कैंडिडेट चुनाव लड़ने के लिए तैयार होते हैं। पार्टी सिम्बल होगा तो किसी भी पार्टी का हो, पूरे ग्राम का भला होगा और विकास में तरक्की होगी। इस सुझाव में अगर कोई आपत्ति है तो जिला परिषद व पंचायत समिति का चुनाव, पंचायत का चुनाव नहीं करवा कर तीन या छह महीने का गैप देकर सरपंच का चुनाव कराया जाए। हमारी जनता की भलाई का ही एक नमूना होगा।

माननीय सभापति महोदय, हमारे मंत्री महोदय इन गरीबों के लिए बहुत बड़ा दिल रखते हैं। हर बात इनके ध्यान में भी है। ग्राम पंचायतों को इतना पैसा सरकार ने दिया है। मगर गांव का आज भी विकास नजर नहीं आता है, देख-रेख की कमी के कारण हैं। क्योंकि जो निर्माण कार्य होता है, उसकी गुणवत्ता सही नहीं होने की वजह से मेरे विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में साल भर पहले जो पूर्व सरकार में सी.सी. रोड बनी थी, उस रोड की वर्तमान में यह हालत हो चुकी है कि उस रोड पर आवागमन से चलना तो दूर, पैदल जाना भी मुश्किल हो गया है। उक्त मार्ग पर ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष में दो बार सड़क निर्माण करवाया जा चुका है। परन्तु फिर भी वही हालत नजर आ रही है जैसे कि रोड बनी ही नहीं हो। ग्राम पंचायत के सचिव एवं सरपंच की मिलीभगत से भ्रष्टाचार की बू आ रही है। अत: आपसे निवेदन है कि इसमें जो भी लिप्त भ्रष्टाचारी हों, उनके खिलाफ उचित कार्यवाही की जाए। क्योंकि सी.सी. रोड, सीमेंट का ठेका भी सचिव व सरपंच की मिलीभगत से अपने आदमी को देकर मनमर्जी के बिल उठा लेते हैं व बिल का भुगतान भी ले लेते हैं। माननीय मंत्री महोदय, ग्राम पंचायतों में नरेगा का काम चल रहा है। पूर्व सरकार में जो काम चला है, कहीं-कहीं तो सरपंच खुद जे.सी.बी.

(श्री फूलसिंह मीणा)

ट्रैक्टर व अन्य साधनों से काम करवा कर मनमर्जी मस्टर-रोल भरकर मिलीभगत से भुगतान उठा लेते हैं। माननीय मंत्री महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में, पूर्व सरकार में, अधिकांश हैण्ड-पम्पों पर प्रभावशाली व्यक्तियों का कब्जा किया हुआ है। जैसे उन्होंने अपने पैसों से हैण्ड-पम्प लगाया हुआ हो, उसमें मोटरें लगा कर खुद के काम में ले रहे हैं। ऐसी शिकायतें भी प्राप्त हो रही हैं। माननीय मंत्री महोदय, इनकी जांच करके दोषियों को सज़ा नहीं देंगे, तब तक इनके अपराध बढ़ते जाएंगे।

माननीय मंत्री महोदय, मेरा विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण आदिवासी एरिया होने के साथ-साथ पहाड़ी एरिया भी है। ज्यादा आबादी पहाड़ी एरिया में बसी हुई और पानी की अत्यधिक कमी होने से किसानों को कृषि कार्य में बहुत ही दिक्कत आती है। किसानों को कृषि कनेक्शन सिंगल फेज की योजना बना कर दिलाने की कृपा की जाए ताकि गरीब किसान एक बीघा या इससे भी कम जमीन पर फसल या सब्जी की खेती करके कम खर्च में ज्यादा फायदा किसानों को मिल सकता है। इससे उनके जीवन में आर्थिक सुधार भी हो सकेगा और वह अपना जीवन यापन आसानी से कर सकेगा।

माननीय मंत्री महोदय, ग्राम पंचायतों में जो सहकारी सहायक सचिव कार्यरत हैं। ये सभी स्थानीय पंचायतों के ही निवासी हैं। इनमें से अधिकतर सहायक सचिव स्थानीय होने के कारण भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं। जब तक इनको अन्यत्र जगह पर पदस्थापित नहीं करेंगे तब तक गांवों का विकास हो पाना सम्भव नहीं है। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिस कर्मचारी की शिकायत आती है उसे तुरन्त हटाने की कृपा करें।

वैसे आपके ध्यान में आता है तो हमने पहले भी शिकायत की उनको तुरन्त प्रभाव से आपने ए.पी.ओ. किया है या उनको कहीं अन्यत्र जगह पर लगाया है, वही उम्मीद करते हैं। माननीय मंत्री महोदय, हमारे यहां पर पूरा उदयपुर सम्भाग पहाड़ी व बिखरी आबादी होने की वजह से पंचायत पुनर्गठन में हमारी आदिवासी जनता को राहत देने की मैं मांग करता हूं। उसकी तीन हजार से ज्यादा आबादी का पुनर्गठन का जो प्रावधान रखा है उसमें दो हजार पांच सौ की आबादी अगर रखेंगे तो हमारी बिखरी हुई आबादी में इसको बहुत बड़ी राहत मिलेगी और विकास भी होगा और यह बहुत बड़ा योगदान होगा।

(श्री फूलसिंह मीणा)

माननीय मंत्री महोदय, मैं विधान सभा में बी.पी.एल. परिवारों को लाइट लगाने की जो बात कर रहा हूं, बी.पी.एल. परिवार मेरे विधान सभा क्षेत्र में, मैंने प्रश्न पूछा था तो 1079 बी.पी.एल. परिवारों का आज भी कनेक्शन नहीं हुआ है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय मंत्री महोदय को यह अनुरोध करता हूं कि बी.पी.एल. का सर्वे दुबारा किया जाए ताकि जो वास्तव में इस बी.पी.एल. की श्रेणी में आ रहे हैं उनको पूरा फायदा मिल सके। माननीय मंत्री महोदय, मेरी विधान सभा आपसे कोई अंजान नहीं है। जब एक हैण्डपम्प की दुर्घटना जो मृत्यु हो गयी थी उसमें आप भी हमारे विधान सभा क्षेत्र में जो कि पहाड़ी एरिया है, में गये थे और आपने वहां पर उन गरीबों की हालत देखी थी, उससे आप वाकिफ हो। जब आपने वह पीने का पीला पानी देखा था तब आपने कहा था कि आप बी.पी.एल. में हो क्या? वास्तव में आपने वह देखा है। जिसकी झोंपड़ी वहां पर बनी हुई नहीं थी वहां पर आपने जाकर, वहां का नजारा देखा है।

माननीय मंत्री महोदय, जिसकी झोंपड़ी नहीं है। वह आदमी बी.पी.एल. में नहीं है और जिनके कारें हैं, मोटर-साइकिलें हैं और पक्के मकान बने हुए हैं वे लोग बी.पी.एल. श्रेणी में आ रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय, मुझे उम्मीद है कि आप इस योजना की दुबारा जांच करवा कर वास्तव में जो बी.पी.एल. की श्रेणी में आ रहे हैं आप उनको पूरी मदद दिलवाएंगे, यह मुझे पूर्ण विश्वास है।

माननीय सभापति महोदय, आपके मार्फत मैं बताना चाहता हूं कि पंचायतों के अन्दर करोड़ों रुपये का सरकार प्रावधान रखती है। मैं बताना चाहता हूं कि पंचायत के अन्दर पंचायत समिति, 13वां वित्त आयोग, ग्राम पंचायत, राज्य वित्त आयोग, निर्धन मद ग्राम पंचायत, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, विधायक स्थानीय विकास योजना, इनके मार्फत लाखों रुपये आते हैं। माननीय सभापति महोदय, मैंने तीन पंचायतों का कल रिकार्ड मंगवाया था तो उन पंचायतों में एक साल के अन्दर 60 लाख 63,346 रुपए एक पंचायत का विकास के लिए पैसा आया है और वहां पर आप जाकर देखोगे तो यह पंचायत समिति का रिकार्ड बता रहा हूं। सिर्फ पंचायत समिति का रिकार्ड है। इसके अलावा, पी.डब्ल्यू.डी. से भी आ रहा होगा। अन्य मदों से भी आ रहा होगा, करोड़ों रुपए पांच साल के अन्दर आता है मगर उसका विकास देखो तो उसका विकास जीरो मिलेगा।

(श्री फूलसिंह मीणा)

माननीय सभापति महोदय, आपके मार्फत निवेदन है कि हमारे सभी मंत्री महोदय इस समस्या से वाकिफ हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसी हमने जो शिकायतें दी थीं उनकी ओर आपने पहले भी ध्यान दिया और इसके अन्दर जो भ्रष्टाचार में लिप्त हों, उनको आप कड़े प्रावधान में लेकर सज़ा दिलाने की कृपा करें।

माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या-49-स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और समनुदेशन पर बोलना चाहता हूं। माननीय मंत्री महोदय को स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा राशि और समनुदेशन के कार्यक्रम, मांग संख्या-49 पर निवेदन है कि सन 2009 में उदयपुर जिले में काश्तकारों को फसल बीमा योजना के तहत राशि राज्य सरकार के आपदा प्रबन्धन विभाग ने उदयपुर जिलाधीश कार्यालय को भेजी थी। वह राशि किसानों को वितरण करने के लिए सेंट्रल को-आपरेटिव बैंक को दी गई थी। बैंक ने जिले के प्रत्येक लैम्प्स/पैप्स को उनके द्वारा दी गई प्रभावी किसानों की सूची के अनुसार राशि बांटने को दी थी। लैम्प्स/पैप्स में राजनीतिकरण करते हुए भेद-भाव किया गया। आधे किसानों को राशि बांटी गयी और आधे को नहीं बांटी। जो राशि बच गई थी वह राशि वापस न तो लैम्प्स/पैप्स के व्यवस्थापकों ने अपने ...(व्यवधान)

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दो मिनट, माननीय सभापति महोदय, दो मिनट का समय लूंगा। क्योंकि पहली बार तो बोलने का मौका मिला है। विधान सभा में पहली बार आये हैं। आपका आशीर्वाद हम नये सदस्यों को भी दें ताकि हम भी आगे बोल सकें। (व्यवधान)

श्री सभापति: चलिए, आप दो मिनट और ले लें।

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): व्यवस्थापकों ने अपने ही मिनी बैंकों में एफ.डी. करवायी। अब उस राशि के ब्याज से कोई तो खर्च चला रहे हैं और कोई एफ.डी. खुर्द-बुर्द कर दी गई है। पहले तो काश्तकारों की मुआवजा राशि नहीं देकर अपराध किया गया है और फिर जो राशि बच गयी उसे खुद-बुर्द करके दूसरा अपराध किया गया। क्योंकि यदि किसी कारण से राशि बचती है तो वह पुन: सम्बन्धित विभाग को लौटायी जाती है क्योंकि राशि किसानों के मुआवजे के लिए दी गई थी न कि लैम्प्स/पैप्स के खर्चे या दुरुपयोग करने के लिए दी गई थी।

(श्री फूलसिंह मीणा)

माननीय सभापति महोदय, आपके मार्फत माननीय मंत्री महोदय का मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि उस प्रकरण की जांच करके ऐसे बैंक प्रबंधक के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करके कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाई जाए ताकि कोई दूसरा गलती न करे। एक महीने पहले बैंक के उप-रजिस्ट्रार जयसिंह देवल को रिश्वत लेते भ्रष्टाचार विभाग ने गिरफ्तार किया है। जेल में बंद रहा और फिर पुन: आज भी नौकरी कर रहा है। वह भी उसी बैंक में, उसी पद पर।

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे भ्रष्टाचारी बैंक प्रबंधक के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाए।

मांग संख्या-28, 49 और 50 पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका सादर आभार एवं धन्यवाद। जय भारत, जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री फूलचन्दजी भिण्डा।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): माननीय सभापति महोदय, आज ग्रामीण विकास, उसके कार्यक्रम, पंचायती राज और रोजगार, इस प्रकार के विषय हैं। भारत गांवों का देश है। 80 परसेंट से घटते-घटते 70 परसेंट के लगभग आबादी का स्वरूप आ गया है और 1972 में जो रिजर्व बैंक की कमेटी बनी उसने पहली बार प्रकट किया कि जो 1952 से लेकर 1972 तक, जो बीस साल तक विकास हुआ, प्लानिंग चली, उसके कारण से देश में गरीबी बढ़ी।

गांवों में गरीबी ज्यादा बढ़ी। तब जाकर लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ कि गांव भी इस देश में हैं, जिनमें विकास की भी आवश्यकता पड़ती है। हालांकि पहला जो बजट था, पहला जो प्लान था 1952 में, उसमें पहली बार 26 प्रतिशत गांवों पर और खेती पर खर्च करने की बात कही गयी थी। लेकिन दुर्भाग्य था 1954 में समाजवादी समाज के नाम पर कांग्रेस ने उसको डायवर्ट किया और गांव और खेती की उपेक्षा की।

मैं आपके सामने यह निवेदन करना चाहता हूं कि 1952 से 1957 का जो काल था, उसमें एक रुपये मन गेहूं था। देसी घी चार रुपये में एक किलो था। लेकिन ज्यों ही यह चेंज हुआ उसके बाद देश की क्या स्थिति हुई, 64 में आते-आते हम भूखे मरने लग गये। हमें जहरीली घास के दाने मिला हुआ गेहूं मिलने लग गया। 1972 में आकर तो यह स्थिति हो गयी। इस कारण से 1977 में जब चेंज हुआ तब पहली बार गांवों के विकास की बात हुई। दुर्भाग्य

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

देखिए, प्लानिंग कमीशन बना, वित्त आयोग बना, लेकिन आज तक गांवों की परिभाषा नहीं है। अगर गांव की परिभाषा किसी साहित्य की कृति में है तो वह कौटिल्य अर्थशास्त्र में है। कौटिल्य अर्थशास्त्र में गांव की परिभाषा दी गयी है। लेकिन बाद के जो लिटरेचर हैं, उसमें गांव के बारे में कहा गया कि 5 हजार की आबादी से नीचे ग्रामीण जनसंख्या और 5 से 20 हजार तक अर्द्ध शहरी और उसके बाद शहरी। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि कौटिल्य अर्थशास्त्र में गांव की परिभाषा थी, गांव की व्यवस्थाएं थीं, गांव के दो भाग होते थे, उसको पल्ली कहते थे।

इतना ही नहीं, गांव में एक पणियारा कुआ होता था और वह गांव के ढलान की उल्टी दिशा में होता था ताकि पणियारे कुए का पानी गांव में नहीं आए। इस प्रकार की व्यवस्था थी। चरागाह भूमि थी, जोहड़ था। चार रास्ते होते थे, ऐसा उस कौटिल्य अर्थशास्त्र में विवरण आता है कि चारों दिशाओं में जाने के चार रास्ते होते थे। इतना ही गांव का वर्गीकरण था, आकार था। एक घोड़े की जागीरी, तीन घोड़े की जागीरी, पांच घोड़े की जागीरी, ग्यारह घोड़ों की जागीरी, उसके बाद सीधा बावन घोड़ों की जागीरी, इस प्रकार का विवरण उसमें मिलता है।

इसी प्रकार से प्रशासनिक सिस्टम था। गांव का मुखिया होता था। 8 गांवों का मुखिया होता था, 25 गांवों का मुखिया होता था, 100 गांवों का मुखिया होता था। उसके बाद जनपद होता था। यह विवरण कौटिल्य अर्थशास्त्र में आता है। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि चाहे जैसे हम परिवर्तन करते रहते हैं, चाहे जैसी स्थिति अब आती रहती है।

इस कारण से मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि आज हम ग्रामीण विकास की बात कर रहे हैं। कैसा स्वरूप हो, क्या हो, क्यों हो? इस बात का दृष्टिकोण किसी का नहीं है। जब हम गांव की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, तो फिर हम देखते हैं कि हम क्या गांव को वास्तव में विकसित करना चाहते हैं? अभी गांव बिना कृषि के विकसित नहीं हो सकता, लेकिन 6.07 प्रतिशत एग्रीकल्चर पर बजट है। केन्द्र की भी ऐसी स्थिति है, राज्य की भी यही स्थिति है और आज भी राजस्थान राज्य की आय है, उसमें 52 प्रतिशत योगदान एग्रीकल्चर का है और 6 प्रतिशत हमको करना है। गांव का विकास कैसे होगा और किस आधार पर होगा? आज गांव

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

में हम जाते हैं, गांव सड़ रहे हैं। नालियां सड़ रही हैं। कई बार मैं टिप्पणी करता हूं यह गांव नहीं है, यह बिगड़े हुए गांव हैं और नकल के शहर हैं। इस प्रकार की स्थिति हमने पैदा कर दी पिछले 67 वर्षों में, इस कारण से गांवों में चाहे कर्मचारी वर्ग हो, चाहे व्यवस्था हो, चाहे सड़क हो, चाहे नाली हो, कोई भी नगरपालिका होगी, उसमें हम सफाई की व्यवस्था करते हैं, नाली की व्यवस्था करते हैं, रोशनी की व्यवस्था करते हैं। क्या दस हजार की आबादी के गांव को सफाई कर्मचारी की आवश्यकता नहीं है, क्या नाली की आवश्यकता नहीं है, पानी के ड्रेनेज की आवश्यकता नहीं है, सड़क की आवश्यकता नहीं है? परन्तु इस ओर ध्यान ही नहीं दिया गया। जबकि होता है चाहे वह 1972 का चुनाव हो गरीबी हटाने के नाम पर, चाहे बाद की कोई स्थितियां हों, लेकिन गांव के व्यक्ति को केवल ठगा गया, गांव के गरीब को ठगा गया। गांव और गरीब, दोनों इंटर-रिलेटेड हैं और उसी तरफ देश बढ़ता चला गया। अभी खाद्य सूचना की बात आई थी सदन में। अभी नया डवलपमेंट है खाद्य सुरक्षा एक्ट के आधार पर जो कांग्रेस ने बड़ा देश भर में किया। 67 प्रतिशत आबादी को खाद्य सुरक्षा के अन्तर्गत लाए हैं। अगर उसमें 67 प्रतिशत को लाए हैं, मतलब दो रुपये किलो गेहूं खाने के योग्य है तो फिर देश का तो बंटाधार हो गया 67 वर्ष में। हम तो कह रहे हैं गरीबी को नीचे ले आए हम और आज उसमें भी गांव का विकास खेती के बिना नहीं हो सकता और खेती में भी किसान की प्रोडेक्टिविटी के आधार पर हो, उसके बिना नहीं हो सकता, लेकिन 15 रुपये में गेहूं खरीदकर, जो सड़ता रहता है, तोलने के लिये किसान बैठा रहता है और फिर उसको 15 रुपये में खरीदकर दो रुपये में बेचते हैं। इससे देश का विकास होगा? इससे गांव का विकास होगा? कभी नहीं हो सकता।

देश में जब अकाल होता है, अकाल में किसान प्रभावित होता है, लेकिन मजदूरों को रोजगार मिलता है, किसान को कुछ नहीं मिलता। इस प्रकार की स्थितियां देश में हैं। इस कारण से मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि हम रोजगार के बारे में बड़ी-बड़ी योजनाएं लाएं, नरेगा लाएं। अब नरेगा की स्थिति देखिए, 2008-09 में जब आप स्वयं विधायक थे, तब 6,715 करोड़ रुपये खर्च हुए एक वर्ष में और पिछले वर्ष में 2,614 करोड़ केवल नरेगा पर खर्च हुए। उसमें भी आप स्थिति देखिए राज्य की, केवल 10 प्रतिशत जो चाहते थे 99 लाख लोगों के कार्ड बने हुए हैं जाब के लिए, उसमें से 48 लाख लोगों ने काम मांगा और उसमें से 36 लाख लोगों को काम

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

मिला। उसमें भी 2,614 करोड़ रुपये की बात आई। 100 दिन का जो रोजगार मिला, केवल 10 प्रतिशत लोगों को मिला है। उसके आधार पर गांवों का विकास करना चाहते हैं। गांव के लोगों को रोजगार देना चाहते हैं।

कई जिले तो ऐसे हैं अलवर में 2.72 प्रतिशत को, 3 प्रतिशत भी नहीं, भरतपुर 1.63, दौसा 2.91, जयपुर 2.89 जो राजधानी जिला है, सवाई माधोपुर 2.55, टोंक 1.16 और बूंदी 3.62 इस प्रकार की स्थिति है। इस कारण से नरेगा में एस.सी., एस.टी. की हम बात करें कि उनके पास खेती नहीं होती, दुकान नहीं होती तभी उनको भी एस.सी. के परिवारों को केवल 19 प्रतिशत लोगों को रोजगार मिला, जिन्होंने मांगा उनको। एस.टी. वालों को 24 प्रतिशत मिला है और यह नरेगा किसके आधार पर चल रहा है, महिलाओं के आधार पर। जितना रोजगार जिनको मिला उनमें 69 प्रतिशत महिलाओं ने काम किया। तब नरेगा की स्थिति यह बनी। इस कारण से गांव का विकास की हमारी चिन्ता ही नहीं है। हम चाहते ही नहीं हैं। केवल यह आडम्बर चुनाव की बात है, यह दिखावा की बात है, उस आधार पर गांव का विकास करना चाहते हैं।

श्री सभापति: औसतन 34 मानव दिवस सृजित हुए, 100 दिन की जगह। औसत जो आई है, वह 34 दिन की है। 34 मानव दिवस सृजित हुए 100 दिन में।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): इसी प्रकार से गांवों में पंचायतों का पुनर्गठन हम करने जा रहे हैं। 1994 में पुनर्गठन हुआ पंचायतों का, क्योंकि पंचायत विकास की रीढ़ है। चाहे सांसद कोटा है, चाहे हमारा कोटा है, चाहे टी एफ सी का पैसा है, जितनी योजनाएं हैं, उसमें पंचायत मुख्य है और पंचायत की जो स्थिति है, उसमें जितनी अव्यवस्थाएं हैं गांवों में, पहले कभी इतनी अव्यवस्था नहीं थी। गांव के पांच लोग बैठ कर न्याय कर देते थे, कोर्ट में जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी। अब तो पंचायत का काम गांव में गुटबाजी फैलाना ही है। काम भी होगा, तो आवश्यकता होगी वहां नहीं करेंगे, जहां आवश्यकता नहीं है, वहां करेंगे। ऐसे-ऐसे गांव देखे हैं जिनमें 50 मीटर सड़क बनी हुई है, फिर 20 मीटर खाली है। मैं एक गांव में गया मैंने देखा और मैंने कहा यह क्या है? यह दो परिवार हैं, क्योंकि 15-15 गज के मकान होते हैं, 12-12 गज के मकान थे उनके, तो मैंने कहा यह क्या है? कि इन दो

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

लोगों ने इस सरपंच को वोट नहीं दिया इसलिये 20 मीटर छोड़ दिया, उसके बाद 30 मीटर है। हम गांव के समग्र विकास की बात कर रहे हैं या खण्ड-खण्ड की बात करते हैं। इस प्रकार की स्थिति बनी है। इस कारण से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमने टी.एफ.सी., एस.एफ.सी. का पैसा दिया उसमें लिखा है कि इसमें से कुछ पैसा पानी के लिए, हैण्डपम्प ठीक करना है, या हैण्डपम्प का कोई टूल खराब हो गया, वह डालना है। मोटर जल गयी, मीटर देना है, लेकिन पिछले एक साल में सरकार ने अनुमति दे दी कि जितना पांच साल में आपके पास पैसा इकट्ठा हुआ है अलग-अलग स्कीमों का, उनसे सी.सी. बना दो और सी.सी. में क्या बना? हमारे पास नीमकाथाना में लोकल सीमेंट मिलती है, उसके कट्टे ला-लाकर डाल दिये और वह सड़क तीन महीने में टूट गयी। मैं निवेदन कर दूं आपके माध्यम से मंत्रीजी को कहना चाहता हूं कि गांवों में अगर पक्का निर्माण हो तो वह इंटर-लाक का हो। इंटर-लाक क्योंकि मशीन से दबकर ईंट बन रहा है, कुछ दिन तो चलेगी वह। इस प्रकार की स्थिति बननी चाहिये।

इसी प्रकार से, गांवों में कोई विकास की बात हो, जैसे लाइटों पर खर्च कर दिये। 22 हजार के टैण्डर हैं, ओपन टैण्डर है और सरकार ने उसको मान्यता दे रखी है एकाध कम्पनी को, कि सोलर लाइट का 22 हजार रुपये, 35 हजार रुपये भी उठा लिए, 40 हजार भी उठा लिए।

मैंने एक सरपंच को पांच हैण्डपम्प दिये, उसने कहा, साहब, 60 हजार में नहीं बन सकता। तो मैंने कहा, भाई, दोबारा दे देंगे, बढ़ा कर दे देंगे 70 हजार। जब उसकी एम.बी. भरी गयी तो 55 हजार की भर गयी और जो जे.ईएन. था उसने भी लिख दिया कि 71 हजार रुपये लगेंगे हैण्डपम्प में और उसने जब उस हैण्डपम्प बनने के बाद एम.बी. भरी तो 56 हजार की भर दी, 54 हजार की भर दी। ऐसे खेल भी हो रहे हैं। पी.एच.ई.डी. 60 हजार में हैण्डपम्प गाड़ती है और पंचायत 85 हजार में हैण्डपम्प गाड़ रही हैं। इस पर भी चैक होना चाहिए। सामान्य अंकेक्षण की हम बात तो करते हैं, अधिकारी को वहां जाने की फुर्सत ही नहीं है। अभी आपने अच्छा अभियान चलाया, मंत्रीजी। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि हर शुक्रवार को पंचायत दिवस मना रहे हैं लेकिन अधिकारी नहीं पहुंच रहे हैं, सेक्रेटरी नहीं पहुंच रहा, सेक्रेटरी गायब है, रिकार्ड नहीं है। इस तरह की स्थितियां अभी सामने आयीं।

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से दो-तीन बातें निवेदन करना चाहता हूं। पंचायतों का पुनर्गठन हो रहा है। 94 में पंचायत गठित हुई तब दो हजार की आबादी का आधार था, अब जनसंख्या तीन-साढ़े तीन हजार हो गयी होगी, मेरी खुद की 37 पंचायतों में से 13 पंचायतें ऐसी हैं जो साढ़े तीन हजार से कम आबादी की हैं। अब आपने पुनर्गठन की बात की, कुछ मेरी पंचायतें बीस हजार की भी है, कोई पन्द्रह हजार की भी हैं, कोई अट्ठारह हजार की भी हैं लेकिन अकेले गांव हैं राजस्व गांव के आधार पर, जिसने भी हिसाब लगा कर सरकार को गाइड किया उन्होंने कहा, साहब, आबादी इतनी बढ़ गयी इस कारण से तीन हजार पंचायतें बढ़ जाएंगी। नहीं बढ़ेंगी, गांव टूटेगा तब बनती है, तो गांव टूटता नहीं है। इस कारण से, सभापति जी, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी को निवेदन कर रहा हूं कि इस पर पुनर्विचार करें और साढ़े तीन हजार की आबादी पर पंचायतें बनायें, उसके आधार पर पंचायत समिति भी बढ़ेंगी और इसके कारण से गांवों में कुछ पंचायतें बनने से जो अन-बैलेंस है वह भी ठीक होगा।

कुछ बातें मैं विशेष तौर पर निवेदन करना चाहता हूं कि हम गांव का विकास चाहते हैं। गांव के विकास में रोजगार महत्वपूर्ण है। गांव के व्यक्ति को रोजगार तब मिलेगा जब तीन सैक्टर ऐसे हैं जिनमें रोजगार बढ़ाया जा सकता है। एक तो ग्रामीण विकास की स्कीमें ईमानदारी से लागू हों। 67 सौ करोड़ से 24 सौ करोड़ हो गया नरेगा का, 26 सौ करोड़ हो गया, इतना कम हो गया इसका मतलब या तो लोग रोजगार चाहते नहीं हैं या फिर हम देना नहीं चाहते या अव्यवस्था है। तीनों में से एक चीज तो उसमें है ही। इस कारण से एक तो एग्रीकल्चर का बजट बढ़ाया जाना चाहिए और पर्याप्त मात्रा में बढ़ाया जाना चाहिए। सारी दुनिया के अर्थशास्त्री यह मान चुके कि एक सीमा के बाद में, जहां इंडस्ट्रिलाइजेशन हुआ इंग्लैण्ड में, अमेरिका में, वे भी मान चुके कि एग्रीकल्चर में ही स्थायी रोजगार के साधन लगातार बढ़ सकते हैं बाकी उसमें स्केअरसिटी आएगी, एक सीमा आएगी उसके बाद नहीं हो सकते।

इसी प्रकार से उद्योग है, गांव में कोई टाइम था जब भारत में यह अभियान चलता था जीरो इंडस्ट्री डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद में जनता पार्टी आयी तो उद्योग डिस्ट्रिक्ट के नीचे चले गये। अब गांवों में उद्योग को जाना है, जा भी रहे हैं लेकिन उद्योग की स्थिति क्या है, एक परसेंट भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। बजट में प्वाइंट 84 परसेंट खर्च कर रहे हैं तो गांव के लोगों को रोजगार कैसे

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

मिलेगा? खेती पर छह परसेंट कर रहे हैं। हम कुल सात परसेंट भी खर्च नहीं करना चाहते गांव के रोजगार के लिए। रोजगार इस प्रकार का है केवल मिट्टी डलवाने का है, इस तरह से चलेगा तो नहीं चलेगा। इतना ही नहीं हुआ, आप रिकार्ड उठा कर देखिये कि जो 40 परसेंट पक्का निर्माण होना चाहिए, सम्पदा निर्माण होना चाहिए, देश का पैसा है, पसीने का पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा है उस पैसे से हम केवल ऐसे ही मिट्टी डलवाते रहेंगे क्या, क्या उसमें पक्का निर्माण होगा? 40 परसेंट से 30 परसेंट पर आ गये जिसमें भी पांच परसेंट ऐसा पैसा है जो राजीव गांधी विकास केन्द्र पंचायत में बनाये गये हैं उसमें भी फर्जी मस्टररोल भर-भर कर पैसे को, दस लाख को एडजस्ट किया जा रहा है।

आज मैं एक डाकूमेंट देख रहा था उसमें जिला परिषदों पर कर्जा किस बात का है? वह ऐसा कर्जा है जो राजीव गांधी सेण्टर बनें, उनका कर्जा है। इसी सत्र में सरकार की तरफ से कहा गया था हम ऐसा नहीं करेंगे लेकिन इस कारण से जिला परिषद पर जो कर्जा है वह उन राजीव गांधी सैण्टर्स को बनाने का कर्जा आज भी अंकित है, रिकार्ड पर है।

कुछ बातें मैं कहना चाहता हूं कि गांव का विकास खण्ड-खण्ड नहीं हो सकता, समग्र विकास हो। एक बार अभियान चला था। इसी सदन के नेता थे माननीय स्वर्गीय भैरोंसिंह जी शेखावत, उस वक्त अन्त्योदय चला अन्त्योदय के बाद जो दूसरी स्टेज उन्होंने दी वह दी थी इन्टीग्रेटेड रूरल डवलपमेंट, समग्र विकास। उसको हमने छोड़ दिया, हम तो अलग-अलग कभी क्या जोड़ देते हैं, कभी क्या जोड़ देते हैं। दो साल बाद वे लाये ट्रायसम लाये जिसमें ट्रेनिंग की बात, आज हम कौशल विकास की बात कर रहे हैं, बजट दे रहे हैं लेकिन उस ट्रायसम को क्यों बंद किया गया? किसी को गांव की चिंता नहीं है, समग्र गांव की चिंता नहीं है।

मैं कुछ बातें निवेदन करना चाहता हूं। आज जनसंख्या नियंत्रण भी उतना ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आजादी के बाद में परिवार नियोजन का जो है, मेरी जो थिंकिंग है, आप सहमत हों, नहीं हों, सदन सहमत हो, नहीं हो, सभापति जी, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जनसंख्या नियंत्रण किस पर हुआ, पढ़े-लिखे लोगों पर। जनसंख्या का नियंत्रण का प्रभाव पड़ा पढ़े-लिखे लोगों पर। अनपढ़ आदमी की जनसंख्या उसी तेजी से बढ़ती गयी। टोटल जनसंख्या 36 करोड़ थी उतने ही आज भी अनपढ़ हैं। 36 करोड़ अनपढ़ हैं

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

आज, फिर हमने क्या किया? आजादी के 67 वर्ष तक क्या किया? अनपढ़ आदमी की जनसंख्या को बढ़ने दिया, उसके लिए कोई प्रयास नहीं किया।

आज ड्राप आउट की बात करते हैं, सर्व शिक्षा अभियान माननीय अटल जी ने चलाया, करोड़ों-करोड़ रुपये, 1900 करोड़ रुपये पिछली बार गांव के लिए उस एक स्कीम में। सीधा गांव के लिए जो केन्द्रीय बजट का पार्ट नहीं था, केन्द्रीय अंश का भी पार्ट नहीं था लेकिन उन्होंने इस कारण से दिया। हुआ क्या, शिक्षा संकुल में भी कचरा बीनते हुए दस साल की बच्चियां घूमती मिल जाएंगी, बच्चे घूमते मिल जाएंगे। सर्व शिक्षा का जो आफिस है, प्रदेश का जो आफिस है उसके सामने मिल जायेंगे तो फिर किस की सर्व शिक्षा है? खूब घूमते हुए मिल जाएंगे। क्या उनको रोकने का कुछ है? इतना ही बी.पी.एल. आप लोग उन्हें खूब पैसा दे रहे हैं। बी.पी.एल. का सबको दे रहे हैं, मकान दे रहे हैं, उसको पैसा देते समय, गेहूं देते समय क्या उससे सर्टिफिकेट नहीं ले सकते कि मेरे दो ही बच्चे हैं, दोनो पढ़ने जाते हैं। इसमें क्या दुविधा है? अगर गांव का विकास करना चाहते हो तो यह करना पड़ेगा। जिस आदमी के लिए हम पूरा कोष लुटा रहे हैं, खजाना लुटा रहे हैं उस व्यक्ति से कह नहीं सकते सर्टिफिकेट दें कि मेरे दो ही बच्चे हैं, दोनों पढ़ने जाते हैं लेकिन जो नौकरी लगेगा, जो पंचायत का सरपंच बनेगा उस पर दो बच्चों का प्रतिबंध होगा, उस पर प्रतिबंध नहीं होगा जो बी.पी.एल. में होगा। इसके कारण से कितने केस हैं?

भ्रूण हत्या, इस देश में जो आंकड़े हैं जनसंख्या के उसमें आया है न कि बालिकाएं थोड़ी ही घटी हैं, यह जो मोटर साइकल आयी है न और जो हाई स्पीड के व्हिकल आये हैं इसके कारण से विडो ज्यादा बढ़ी हैं, कन्याएं ज्यादा नहीं बढ़ी हैं। इस कारण से अगले दस वर्ष बाद इसका दुष्परिणाम देखना। भ्रूण हत्या इसलिए हो रही है कि जिस भी युवती के पहला चाइल्ड लड़की होती है वह भ्रूण हत्या करता ही करता है, कितने भी कानून बना लें और वह इस कारण से करता है नौकरी और चुनाव लड़ने के आधार पर वह भ्रूण हत्या करता है। इस प्रावधान को तो हटाइये, सभापति जी, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी को कहना चाहता हूं कि यह भ्रूण हत्या हम कर रहे हैं। यह स्पष्ट संकेत है। आप देख लीजिए जितने भी मुकदमे पंचायत राज में हैं, उस चुनाव में जितने मुकदमे हैं वे बच्चों के ही हैं। पहले मध्यप्रदेश में था, बंद कर दिया। किसी भी स्टेट में नहीं है। राजस्थान की धरती पर पैदा होने वाला कर्मचारी

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

होगा उस पर और वह भी कितना चार क्युमुलेटिव इंक्रीमेंट रुकेंगे, चार बार जब-जब भी डी.पी.सी. बैठेगी तब तक रोकेंगे उसके इंक्रीमेंट, अगर तीन बच्चे पैदा हो गये तो। कैसे-कैसे प्रावधान हैं? इसलिए मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार के प्रावधान जो गांव को बरबाद करते हैं, आज जो गांव में मुकदमे बढ़ाते हैं उन पर चैक लगे।

श्री सभापति: अब समअप कर दें।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): हां, अब ज्यादा नहीं बोलूंगा।

मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं कि हम विकास में केवल पैसे की बात करते हैं। अभी मैं गेहूं का ही उदाहरण दे रहा था, जिस परिवार में एक किलो गेहूं नहीं लगता उसको 15 रुपये के गेहूं को हम दो रुपये में देते हैं लेकिन क्या हमने इसके बारे में कभी सोचा है कि उस परिवार में एक आदमी जो बीड़ी पीता है वह 15 रुपये रोज खर्च करता है। उसके बच्चों को दाल नहीं मिलती, उसके बच्चों को दूध नहीं मिलता, उसके बच्चों को सब्जी नहीं मिलती लेकिन वह 15 रुपये की बीड़ी पीता है और आप 15 रुपये का गेहूं लेकर के 18 रुपये खर्चे का गेहूं दो रुपये में उसको दे रहे हो। इससे विकास होगा क्या? नहीं होने वाला। इसके बारे में हमें चिंता करनी चाहिए कि इसका भी कोई रास्ता निकले।

मैं तीन बातें और कहूंगा। मेरे हिसाब से ग्रामीण विकास के चार सूत्र हैं। पहला सूत्र है ग्राम विकास की जो योजना बने वह पंच तत्वों के आधार पर बनें, वे तत्व हैं जन, जमीन, जंगल, जानवर और जल। इन पांचों एलीमेंट्स को ध्यान में रख कर योजना बनेगी तो वह सफल योजना होगी। एक तो मेरा पहला निवेदन यह है।

दूसरा निवेदन है कि गांव में पांच कष्ट हैं, उनका भी निराकरण होना चाहिए। पहला कष्ट है अज्ञान का, अस्वस्थता, अव्यवस्था। अव्यवस्था केवल रहने-सहने की नहीं है, पटवारी और ग्राम सेवक नहीं हैं, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी को कहना चाहता हूं कि अभी भी दिखवा लें, 90 परसेंट पंचायतों में इस समय तीन बजे सेक्रेटरी नहीं हैं। एस.सी., एस.टी. के, ओ.बी.सी. के सर्टिफिकेट लेकर डोलते रहते हैं, सेक्रेटरी गायब रहता है। खूब टेलीफोन आते हैं बच्चों के हमारे पास।

पटवारी भी गायब है। नकल नहीं मिलती है। सबसे ज्यादा मुकदमे तो

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

नामान्तकरण के होते हैं। जबकि पटवारी का काम ही यही है। एक महीना निकाल दें तो उसके बाद तहसीलदार नामान्तकरण खोलता है। यह अव्यवस्था है। इसी प्रकार से नाली की असुविधा है। पानी की असुविधा है। यातायात की असुविधा है।

माननीय सभापति महोदय, इसी प्रकार से 5 ऐसी चीजें हैं जिनको त्यागना जरुरी है। गांव के कल्चर में यह चीजें आनी चाहिए। पहला है कुपोषण, दूसरा कुरीतियां, कचहरी, मुकदमेबाजी बढ़ रही है। खूब बढ़ रही है। वर्तमान प्रधान मंत्रीजी ने गुजरात में प्रयोग किया, उन्होंने एक कमेटी बैठाई कि गांवों में मुकदमे ज्यादा क्यों बढ़ रहे हैं? उसका परिणाम आया कि पंचायती राज। उन्होंने घोषणा की कि प्रति वर्ष निर्विरोध आने वाली पंचायत को 2 लाख रुपये दूंगा और 5 साल में 10 लाख रुपये दूंगा। 56 परसेंट पंचायतें गुजरात की निर्विरोध आयी हैं। कचहरी भी नुकसान करती है गांवों में। यह भी त्यागनी चाहिए।

चौथी कुसंस्कार और पांचवीं चीज है कर्मचारी बनूं या कर्मकार बनूं लेकिन घर का काम नहीं करूं। वह नहीं करूं। उदाहरण है हमारे सामने, एक बालिका है सरपंच बनी है कैम्ब्रिज से पढ़ कर आयी है वह, एमबीए करके आयी है और वह सरपंच है टोंक जिले में। एक लड़का है आईआईटी ने 6 करोड़ रुपये का पैकेज दिया था, आकर के उसने चाय की दुकान खोली है। यह भी दिमाग से निकलनी चाहिए कि मुझे कर्मचारी ही बनना है। मुझे कर्मकार ही बनना है। यह भी त्यागी जानी चाहिए चीज।

माननीय सभापति महोदय, दो मिनट और लूंगा मैं। इसी प्रकार से ग्रामीण विकास के 5 तत्व हैं। जिसको तंत्र कह दीजिये। पहला पैसा, सब कुछ नहीं है लेकिन काफी कुछ पैसा है। दूसरा प्रयास, क्रिएट करना चाहिए। प्रयास करता ही नहीं है। पहले 26 साल थी एज लिमिट जब मैं नौकरी लगा। उसके बाद 28 हुई, 30 हुई, 33 हो गयी, ओबीसी, एससी, एसटी को 5 और दी, 38 साल तक। 38 साल तक बाल-बच्चे बड़े हो जाते हैं। उसकी आत्मा मर जाती है। वह स्वरोजगार तो कर ही नहीं सकता। वह तो नौकरी के लिए फार्म भरता रहता है। इस प्रकार से प्रयास की प्रेरणा भी दी जानी चाहिए। इसी तरह से ट्रेनिंग, प्रशिक्षण और पांचवां प्रेम, गांवों में, परिवार में, आपस में यह समन्वय पैदा हो तो मुकदमेबाजी और चीजें पार्टीबाजी, वह विकास को नुकसान करती हैं।

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

सभापति महोदय, एक बिन्दु और लूंगा। अंत में पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जी द्वारा कहे दो छोटे वाक्य हैं, इनमें सारी अर्थव्यवस्था है, सारा ब्रह्मांड है ग्रामीण विकास का समाहित है, 'हर हाथ को काम, हर खेत को पानी'। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्री रामचन्द्र।

श्री रामचन्द्र (डग): माननीय सभापति महोदय, आपने मांग संख्या 28 ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम, मांग संख्या 49 स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और समनुदेशन और मांग संख्या 50 ग्रामीण रोजगार पर बोलने का मौका दिया उसके लिए धन्यवाद। बहुत दिनों बाद सदन में बोलने का मुझे अवसर मिला है।

माननीय सभापति महोदय, वैसे मैं बिलकुल ग्रामीण पृष्ठभूमि से हूं और चुनाव के दौरान मैंने पहली बार देखा कि गांवों के, ढाणियों के, मजरों के जो हालात हैं वह इतने बुरे हैं कि इतनी सुदृढ़ पंचायत राज होने के बाद, पूरे 67 वर्ष बीत गये देश को आजाद होने के बाद, हमारा ग्रामीण विकास जस का तस है।

माननीय सभापति महोदय, पिछले कई दिनों से विभिन्न मांगों पर सदन के माननीय सदस्यों द्वारा सड़क पर, शिक्षा पर, चिकित्सा पर अपने अनेकानेक विचार दिये, सुझाव दिये। राजस्थान गौरवशाली प्रदेश है। यहां की परम्परा, यहां के रीति-रिवाज और यहां की आन-बान-शान सब जानी जाती है।

माननीय सभापति महोदय, देश के प्रथम प्रधान मंत्री माननीय जवाहर लाल जी नेहरू जिन्होंने राजस्थान को पंचायत राज के लिए चुना और 2 अक्टूबर, 1959 को नागौर जिले में पंचायत राज की स्थापना की। वह प्रदेश जो पंचायत राज को जन्म देने वाला हो, राजस्थान पंचायत राज का जनक है। इस जनक, इस विदेह राज की गांवों की जो दशा है, वह इतनी दयनीय है, उसका वृतांत तो मैं सुनाऊंगा। चुनाव के दौरान मुझे जब टिकट मिला और पहली बार जब मैं गांवों में गया, मैं इसमें एक भी शब्द मिलावट का और जोड़ने का नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, मैं डग विधान सभा क्षेत्र से हूं और मेरे विधान सभा क्षेत्र के चारों और मध्य प्रदेश राज्य की विधान सभायें लगती हैं। अकेली विधान सभा मध्य प्रदेश की 5 विधान सभाओं से प्रतिस्पर्धा में रहती

(श्री रामचन्द्र)

है। स्थिति इतनी भयावह और इतनी खराब है कि एक ऐसा गांव नहीं, एक ऐसी ढाणी नहीं जिसमें पंचायत द्वारा बनाया गया कोई सीसी रोड हो, कोई इंटरलाकिंग रोड हो, कोई नाली हो। यह बिलकुल सत्य घटना है कि एक जगह मैं जब भाषण दे रहा था तब मैं वहां पर रोया भी था।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लोग वहां पर पाषाण युग में जी रहे हैं। सारे संसाधन होने के बावजूद उस विधान सभा में न रोड है, न नाली है, न मकान है न आवास है। वैसे तो हमारे पास सब कुछ है, राजस्थान की यशस्वी मुख्यमंत्री झालावाड़ से हैं। वह हैं तो सब कुछ हैं। मुझे एक किस्सा इस पर याद है, भगवान कृष्ण ने उनकी बुआ कुंती से पूछा था कि सबने मुझसे वरदान मांगा, हे बुआ, तुम भी मुझसे कुछ वरदान मांगो, तो उन्होंने कहा कि कृष्ण, मुझे सिर्फ दुख दो। कृष्ण जी ने बड़ा आश्चर्य प्रकट किया, भगवान कृष्ण ने कहा कि सब सुख का वरदान मांगते हैं और आप दुख का वरदान मांगती हो। कुंती ने जवाब दिया कि अगर दुख हैं तो कृष्ण तुम हमारे साथ हो।

ऐसा ही झालावाड़ में हम सब लोगों की परिकल्पना है, हमारी सौगात है, हमारा सोपान है, माननीय यशस्वी मुख्य मंत्रीजी हमारी पराकाष्ठा हैं, हमारा वरदान हैं। वह हैं तो सब कुछ होगा। इसलिए इस बजट में जब माननीय यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने श्री योजना का शुभारम्भ किया तो उसमें लगने लगा कि अब ग्राम सुधार की परिकल्पनाओं को साकार रुप देने का एक नया स्रोत शुरू होगा।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के ग्रामीण विकास मंत्री वैसे ही बुद्धिलब्धि के धनी हैं और पूरा दीर्घकाल उनका राजनीति में बीता है। स्वयं भी ग्रामीण क्षेत्र की पृष्ठभूमि से आते हैं और उन्होंने एक बार यह भी कहा था कि अब मैं गांवों को नाली से, सड़क से समुचित जो व्यवस्थाएं हैं उनसे जोड़ने का पूर्ण प्रयास करूंगा। मुझे लगता है राजस्थान सरकार इसलिए बढ़ रही है कि 67 साल देश के आजाद होने के बाद हम जिस ग्राम की कल्पना को लेकर देश आजाद होने से पहले महात्मा गांधी, विनोबा भावे, लाल बहादुर शास्त्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और साक्षात वर्तमान में जीवित हैं हमारे राष्ट्र का गौरव पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनकी परिकल्पना थी कि भारत अगर दिव्य और भव्य बन सकता है तो ग्राम विकास से बन सकता है।

(श्री रामचन्द्र)

माननीय सभापति महोदय, अगर गांव समृद्ध होंगे तो राष्ट्र समृद्ध होगा। लेकिन गांव समृद्ध तो बहुत दूर, गांवों के यह हालात हैं कि महिलाएं एक-एक फीट कीचड़ में से निकलती हैं। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान इस पंचायत राज का जो पैसा इन ग्रामीण पंचायतों में जाता है वह कहां जाता है? यह सारी व्यवस्थाओं पर अंकुश लगाने का है।

प्रश्न इस बात का है कि आपके जिला परिषद से पंचायत समिति तक, पंचायत समिति से पंचायत तक और फिर गांव ढाणी तक पैसा जाता नहीं है। एक पंचायत, दो पंचायत, तीन पंचायत, चार पंचायत, एक सचिव के पास है और कोई बीडीओ ऐसा नहीं, 59 पंचायत हैं मेरे विधान सभा क्षेत्र में कि एक गांव में फिजिकली वह गया हो और गांव की प्राब्लम देखी हो।

मैं कहना चाहता हूं कि मैंने चुनाव के दौरान ही दस व्यक्तियों की टीम तय की थी और उनकी वीडियोग्राफी भी कराई और प्रत्येक गांव की समस्या, चाहे वह छोटी से छोटी नाली हो, चाहे बोर्ड हो, उन सबको एक साथ मैंने लिया कि उस गांव की क्या समस्याएं हैं, चाहे पीने के पानी की हो, चाहे लाइट की हो, चाहे पशुओं की हो, चाहे शिक्षा की हो, चाहे चिकित्सा की हो। मैंने एक इतनी बड़ी किताब यहां दस दिन बाद आते ही मुख्य मंत्री कार्यालय में दी और मुख्य मंत्री कार्यालय में देने के बाद उन सब पत्रों के मेरे पास जवाब आने लगे। जब जवाब आने लगे तो कहते हैं पुराने लोग कि कागज अपना काम खुद करता है।

मुझे लगता है कि राजस्थान का गौरव और हमारी माननीय मुख्य मंत्रीजी ग्रामीण आधारभूत संरचना के लिए, ग्रामीण विकास की जो परिकल्पना है उस परिकल्पना को साकार करने के लिए 'श्री योजना' से और कई अनेकानेक माध्यम से इस राजस्थान को सौगात देंगी। मैं इसलिए एक बात और कहना चाहता हूं, मुझे ज्यादा तो पता नहीं राजनीति का लेकिन मैंने 2003-2008 की सरकार से मेरा साक्षात्कार भी हुआ है। पूरे राजस्थान का जैसा विकास हुआ है वह झालावाड़ में भी पिछले एक दशक में हुआ है। झालावाड़ में न तो कोई बिल्डिंग हुआ करती थी, न कोई वहां कालेज हुआ करते थे, न कोई वहां एनीकट हुआ करते थे, माननीय यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने वहां गगन चुम्बी इमारतें, वहां बड़े-बड़े कालेज, बड़े-बड़े एनीकट और न जाने विभिन्न प्रकार की योजनाएं लाकर झालावाड़ को नए सोपान दिये। वह विकास

(श्री रामचन्द्र)

की एक रफ्तार, विकास को जो एक गति मिली थी उस विकास नाम के शिशु का हंसते-खेलते इस पिछली सरकार ने उसके शैशव काल में दम घोंट दिया। मेरे विधान सभा क्षेत्र में मात्र राजीव गांधी भवन के अलावा कोई एक ईंट नहीं लगी। ऐसा सभी विधान सभा क्षेत्रों में हुआ। और तो और प्रतिपक्ष की नेता जब वसुन्धराजी रहीं तो आपके तत्कालीन पूर्व मुख्य मंत्रीजी ने उनके क्षेत्र में प्रधान मंत्री सड़क योजना जैसी छोटी-छोटी योजनाएं तक रोक दी थीं, उनकी मैं चर्चा नहीं करना चाहता।

विकास को, गांव को और गांव को वैभवशाली बनाने की कई सारी योजनाएं हैं लेकिन मैं इसके बारे में कुछ कहना चाहता हूं। आजाद भारत में भी अभी गुलामी की बू आती है। जिस देश की नींव, जिस पंचायतीराज की नींव इस तरीके से रखी हो, उसमें स्वतंत्र ग्राम विकास की परिकल्पना साकार होने में संशय है। मैं चाहता हूं कि इस सरकार के माननीय मंत्री महोदय, इस परिकल्पना को साकार करेंगे क्योंकि वह बहुत गुणी हैं, बहुत गूढी हैं, बहुत बुद्धि-लब्धि की धनी हैं और हम तो इसलिए आश्वस्त हैं कि राजस्थान की मुखिया, इस प्रदेश की गौरवशाली परम्पराओं से ओतप्रोत हैं, उनकी अपनी एक आभा है, उनमें एक चुम्बकीय आकर्षण है और राजस्थान में भ्रमण करने की उनकी जो दशा थी चाहे वह सुराज संकल्प रथ के माध्यम से हो चाहे सरकार बनने के बाद भरतपुर सम्भाग और बीकानेर सम्भाग में यात्रा का माध्यम हो, मात्र उनका माध्यम ही नहीं लोगों के बीच में जाना, मिलना। मैं इस सदन के माध्यम से उनके बारे में कहना चाहता हूं कि इस राष्ट्र में 9 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको माना जाता है कि एक बार जो सुन लेते हैं, एक बार जिससे मिल लेते हैं, एक बार जो कह देते हैं वह भूलते नहीं हैं, उनमें माननीय मुख्य मंत्रीजी शुमार करती हैं। इनकी याददाश्त की हर कोई दाद देता है और इसलिए यह जिन-जिन गांवों में, जिन-जिन जगह गई हैं, इनको मौखिक रूप से तथ्यात्मक रूप से यह याद है कि उस गांव में उस जगह यह कमी थी। इसलिए गांव-गांव जाकर प्रत्येक व्यक्ति से मिल-मिल कर किसी के भरोसे में न रहने की आदत ऐसी है, वह गांव को, राजस्थान को विकास की एक नई डगर देना चाहती हैं।

इतनी योजनाएं हैं इस विभाग में, उन योजनाओं का वर्णन करते-करते तो एक ग्रंथ लिखा जा सकता है। जितना पैसा शायद इस विभाग में आता है, शायद किसी विभाग में आता हो। मैं इन योजनाओं के नाम बताना चाहता हूं, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार

(श्री रामचन्द्र)

गारंटी योजना, इन्दिरा आवास योजना, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम, डीआरडीए प्रशासन, मेवात विकास, विधायक एलईडी, ग्रामीण जन भागीदारी, डांग, मगरा, मुख्य मंत्री विकास, बीपीएल विकास योजना, राजस्थान ग्रामीण आजीविका मिशन, बायोफ्यूल प्राधिकरण, पंचायती राज संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण और विभिन्न-विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं जो केन्द्र सरकार द्वारा संचालित और राज्य सरकार द्वारा संचालित हैं। इनमें इतना पैसा आता है कि 9,177 पंचायतें हैं और 248 पंचायत समितियां हैं। प्रत्येक वर्ष एक पंचायत को न न करते हुए 1 करोड़ 12 लाख रुपये का बजट मिलता है, कम से कम और कई ऐसी सारी योजनाएं हैं, टीएफसी, एसएफसी, निर्बन्ध, पेयजल है, इसमें कई सारे विभाग भी मिला दिये गये हैं। एक पंचायत को प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ रुपये मिलते हों, पिछले 13 साल को छोड़ दो और बाकी के सालों को जोड़ें तो 50 साल में एवरेज एक पंचायत को अगर बीस, पच्चीस या तीस लाख रुपये मिला हो तो मुझे लगता है कि इन पंचायतों में, एक-एक पंचायत में नहीं-नहीं करते तीस से चालीस करोड़ रुपये एक पंचायत में आ गया लेकिन वह तीस-चालीस करोड़ रुपया कहीं नजर हीं नहीं आता है इसलिए आपके विभाग से उम्मीद है और क्षेत्र में जो समस्याएं हैं, वह दूर हों।

कुछ प्रश्न हैं और कुछ अंकुश है जो मैं लगाना चाहता हूं। गरीबों के लिए इन्दिरा आवास योजना है, 70 हजार रुपये, 1000 ईंट 5000 रुपये में आती है, 1 ईंट 5 रुपये की, पत्थर की ट्रोली लाओ और रेती की ट्रोली तो इतनी महंगी हो चुकी है कि रेती आदमी कोई खरीद ही नहीं सकता, रेती तो आने वाले टाइम में बिलकुल गहने जैसी हो जाएगी। फिर सीमेंट के इतने भाव, एक गरीब 70 हजार में कैसे मकान बना सकता है? यह सोचने वाला प्रश्न है लेकिन आवास बनाने के लिए सरकारी योजना है, 10 हजार रुपये इसमें मुख्य मंत्री आवास योजना के अन्दर शौचालय के लिए मिल जाएं लेकिन इतना बड़ा प्रश्न है कि गरीब आदमी इतना पैसा कहां से लाये? दीवार उसने अगर खड़ी कर ली तो छत कहां से डाले? इसमें विस्तार और पुन: निर्णय की आवश्यकता है।

मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि बीपीएल कार्ड जो है इसमें इतनी खामियां और कमियां हैं कि जिस व्यक्ति को बीपीएल कार्ड चाहिये उस व्यक्ति को बीपीएल कार्ड मिल नहीं रहा है और जिसको बीपीएल कार्ड नहीं होना

(श्री रामचन्द्र)

चाहिए उसको आज बीपीएल कार्ड उपलब्ध है। इतने बुजुर्ग और इतने दयावान, जिन पर करुणा आये ऐसे लोग हैं क्योंकि न तो हमारे कर्मचारी, न हमारे अधिकारी गांवों में जाते हैं और न देखते हैं। जिनके मिट्टी के मकान हैं, मेरे विधान सभा क्षेत्र में तो 70 परसेंट तो मिट्टी के ही मकान मिलेंगे आपको, पक्के मकान तो मिलेंगे ही नहीं। उन मिट्टी के मकानों में उन बुजुर्गों की हालत देखते हैं, माताओं, बहनों की हालत देखते हैं, वे राशन की दुकान पर बिलबिलाते से पुकारते रहते हैं दिन भर, दो किलो ...(व्यवधान) हमें इनके लिए बहुत कुछ करना है। मैंने सर्व शिक्षा अभियान के बारे में जिला परिषद की मीटिंग में भी एक बात उठाई थी। केन्द्र सरकार से संचालित यह योजना है।

सबसे ज्यादा बंटाढार स्कूलों में इसने किया है। एक विद्यालय का मैंने निरीक्षण किया, 7 शिक्षिकाएं थीं और कम से कम 50 कन्याएं थीं वहां एक बाथरूम नहीं। खानापूर्ति पूरी, दो-दो बाथरूम बने हुए हैं। न उनके दरवाजे हैं और न बैठने का स्थान है। एक स्कूल जहां पर शौचालय बना हुआ था एसएसए में, उसका सेफ्टी टैंक बंद था, वहां बच्चे पढ़ते हैं। यह हमारी व्यवस्था है। देहात के अन्दर जितनी भी जनता जल योजना के अन्दर वे लगे हुए हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दो मिनट का समय लूंगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य झालावाड़ जिले से हैं।

श्री रामचन्द्र (डग): मोटर है, तार लगे हुए हैं, लेकिन पानी नहीं मिल रहा है। पानी इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि पिछली सरकार में जल्दी-जल्दी में सब काम किया और मैंने जब जिला परिषद में इस बात को उठाया, मैंने कहा कि इसमें करंट कौन देगा, पानी गांव वालों को कैसे मिलेगा तो सब इधर-उधर देखने लगे। तब मुझे इतना अफसोस हुआ, मैंने कहा अधिकारियों में भी समन्वय की कमी है, हो सकता है वह जानकारी न भी हो। पंचायत उसको चलाए, बिजली विभाग चलाए, इसको भी देखना है। हमारे क्षेत्र के अन्दर कोई सरकारी शौचालय आज तक एक भी नहीं बना। जितनी पिछली सरकार में सेंक्शन हुए थे, खा गये तो पता नहीं। महानरेगा जैसी योजनाओं में पिछली सरकार ने कुछ इनके प्रगाढ़ सम्बन्ध वाले सरपंच रहे हैं, मजदूर तो काम ही नहीं कर रहे हैं, सब जेसीबी से काम करा लिये। मेरा अनुनय-विनय है कि यह

(श्री रामचन्द्र)

विभाग इतना सुदृढ़ और सम्पन्न है, इसमें फाइनैंशियल क्रंच नहीं है। इसमें सारे ऐसे विभाग है, 5 विभागों और जोड़ रखे हैं। मैं सदन के माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से अनुनय-विनय और निवेदन करूंगा कि आने वाले समय में मुझे विश्वास है कि आप ग्राम विकास, समृद्ध गांव, समृद्ध राष्ट्र की परिकल्पना और नव भारत की यह परिकल्पना, दिव्य और भव्य भारत की परिकल्पना गांव सुधार के माध्यम से साकार करेंगे, जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्रीमती राजकुमारी जाटव। (अनुपस्थित) गोविन्द सिंह जी डोटासरा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 28, 49 और 50 के ऊपर चर्चा में भाग लेने के लिए आपने मुझे अनुमति प्रदान की, आपका धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, पूरे भारतवर्ष में जितनी जनसंख्या है उसका करीब 70-75 परसेंट लोग गांवों में निवास करते हैं। केवल 25 परसेंट से भी कम लोग शहरों में निवास करते हैं। निश्चित रूप से गांव के लोग, गांव का विकास पिछड़ा हुआ था। हमारी यूपीए सरकार ने यह सोचा कि गांव के किसान को किस तरह से मजबूत किया जाए। गांव का वह व्यक्ति जो कभी अपनी बेटी के ब्याह में या अपने किसी रिश्तेदार के किसी फंक्शन में जाता तो वह सेठ, साहूकार या जागीरदार की तरफ देखता था कि मुझे अगर 10, 20, 50, 100 रुपये मिल जाएं तो मैं मेरी रिश्तेदारी में जाकर आ जाऊं। अगर मुझे कोई दो-चार हजार रुपये मिल जाएं तो मैं मेरी बेटी के हाथ पीले कर दूं। यह स्थिति हमारे बुजुर्गों ने देखी है। एक-एक पैसे के लिए मोहताज होते थे। हमारी नेता आदरणीय सोनिया गांधीजी ने एक पहल की और इस पहल के साथ में मनरेगा जैसी एक योजना...(व्यवधान) एक को ही नहीं बोलने दूंगा। यह कोई बात होती है, सभापति महोदय, हाउस आर्डर में नहीं होगा तो हमारी बात कैसे कहेंगे।

श्री सभापति: सम्माननीय सदस्य, कोई व्यवधान नहीं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह अधिकार मुझे भी है। जैसे आप चुन कर आये हो वैसे ही मैं भी चुन कर आया हूं। संख्या बल हो सकता है। कभी-कभार बीच में कर लो कोई मनोरंजन। ऐसे थोड़े ही होता है कि हर बात पर वाह, वाह।

श्री सभापति: सम्माननीय सदस्य, कोई व्यवधान नहीं। कभी-कभार आपकी इच्छा हो तो आसन से अनुमति जरूर लें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): बिलकुल ठीक है, धन्यवाद। इस मनरेगा में जब मजदूरी मजदूर के हाथ में आने लगी, उसके बैंक के खाते में पैसा आने लगा तो उसका स्वाभिमान बढ़ा। दलित, आदिवासी और महिलाओं का सशक्तीकरण हुआ। उसको अपने पति के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता, उसको पड़ौसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता। वह नरेगा में जाएगी, उसको जाब कार्ड मिला हुआ है, पैसे उसके खाते में आएंगे, जब उसको जरूरत होगी तो दो रुपये लेकर अपना काम करेगी। सामाजिक बदलाव भी हुआ। गांव में परिसम्पत्तियों का निर्माण भी हुआ और निश्चित रूप से पारदर्शिता और जवाबदेही भी सुनिश्चित की गयी। सोशल आडिट भी हुई, लेकिन इस मनरेगा को जिस प्रकार से बदनाम करने का जो सिलसिला चल पड़ा, मनरेगा से यह हो गया, मनरेगा से यह हो गया वह मैं कहना चाहता हूं ये वे लोग हैं उद्योगपति, बड़े जागीरदार, वे ब्यूरोक्रेट जिनकी काम करने की इच्छाशक्ति नहीं है केवल उन्होंने मनरेगा को बदनाम करने का काम किया है। सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मनरेगा जब शुरू हुई तो 52 दिवस थे, लेकिन जब आप फरमा रहे थे 39, 34 का आंकड़ा आज आ गया। औसत रोजगार दिवस प्रति परिवार 2010-11 में जो 52 था वह घट कर 2013-14 में 49 आ गया। कार्य पर नियोजित परिवारों की संख्या जो पूरे हिन्दुस्तान में 2010-11 में 58.24 लाख थी वह 2013-14 में 29.17 लाख आ गयी। 100 दिन काम जो पूरा करने वाले थे वे भी 2010-11 में 5 लाख थे उनकी संख्या भी 2013-14 में 1.35 लाख आ गयी। औसत व्यय प्रति जिला जो 2010-11 में 100.01 करोड़ था वह 2013-14 में 66.5 करोड़ आ गया। औसत व्यय पंचायतों के हिसाब से 2010-11 में 13.26 करोड़ था वह आज 2013-14 में 8.85 करोड़ आ गया। निश्चित रूप से मजदूर कम मिलने लगे। लेकिन इसको सुधारना पड़ेगा। इसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास हुआ है, लेकिन इस मनरेगा के पैसे का कोई दुरुपयोग हो रहा है, कोई कलक्टर लैपटाप खरीद रहा है, कोई फर्नीचर खरीद रहा है उसकी भी जांच की जानी चाहिए और इस मनरेगा पर पूरे राजस्थान में 85 लाख से अधिक की राशि मनरेगा के जो मापदण्ड हैं उनसे विपरीत खर्च हुई है। उसकी माननीय मंत्री महोदय को जांच करानी चाहिए।

(15.08 बजे)

(श्रीमती किरण माहेश्वरी, सभापति, पदासीन)

एक अलग परिस्थिति भी है। कई जिले ऐसे हैं जिनमें आज काम

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

सेंक्शन नहीं किये जा रहे हैं, पक्के कामों पर अघोषित रोक लगा रखी है कि अभी पक्के काम स्वीकृत नहीं करेंगे। एक पहले जो ब्लाक लेवल की सामग्री और श्रम का रेश्यो था उसको ग्राम पंचायत स्तर पर कर दिया। सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से सुझाव है कि वह ब्लाक लेवल पर ही होना चाहिए क्योंकि कुछ सरपंच ऐसे हैं जो बिलकुल काम नहीं करते, कुछ जगह ज्यादा काम होता है। निश्चित रूप से आप इसको थोड़ी छूट दोगे तो उन ग्राम पंचायतों और उस ब्लाक में परिसम्पत्तियों का निर्माण होगा। एक, जो भारत सरकार की वाटरशैड की योजना है वह बहुत अच्छी योजना है। उसमें भी हमें भारत सरकार जो हमारा बजट देती है उसका मुश्किल से 20-25 प्रतिशत हम खर्च कर पाते हैं। उसमें एक व्यावहारिक कठिनाई है कि उसमें एक अध्यक्ष होगा, सचिव होगा और बीच में सरपंच को फंसा दिया। अब तीनों का एक जैसा कांबिनेशन बैठता नहीं है। जब सचिव और अध्यक्ष अगर काम कर देंगे तो पंचायत का जो सरपंच है वह कहेगा कि मैं साइन नहीं करूंगा तो निश्चित रूप से इस समस्या का समाधान हम करेंगे तो ठीक रहेगा। आज हमारे जो एरिया हैं चाहे बाड़मेर, जैसलमेर, सीकर, लक्ष्मणगढ़ के भी काफी गांव हैं जिनमें मंत्री महोदय, फ्लोराइड है, टांके बनाने की आवश्यकता होती है उन टांकों में जब पानी आता है तो किसान 12 महीने तक उससे काम चला लेता है। इसलिए वहां पर निश्चित रूप से और ज्यादा इस योजना में छूट देकर यदि कोई टांके ज्यादा से ज्यादा, पक्का निर्माण इस वाटरशेड में करें तो इसकी एक सीमा बांध दी गई है, उस सीमा को हटाया जाना चाहिए जिससे उस पैसे का ज्यादा से ज्यादा सदुपयोग हो। इसके अलावा गांवों में भी कीचड़ है, गन्दगी है उसके लिए नाली आदि के लिए अगर इस बजट का सदुपयोग किया जाए तो मैं समझता हूं कि और ज्यादा बढ़िया होगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि एक जनता जल योजना है जिसको हमारी सरकार ने ग्राम पंचायतों को दिया था। इसमें एक व्यावहारिक कठिनाई आज भी हमें आ रही है और वह व्यावहारिक कठिनाई यह है कि जो पैसा बिजली के बिल के लिए दिया जाता है उसमें लगभग-लगभग सरपंच खुर्रे आदि का निर्माण करने में रूचि रखते हैं। मेरा इसमें एक सुझाव है कि जो पैसा आप पंचायत समिति लेवल का हो उसको पंचायत समिति को सीधा दो और उस पैसे को केवल आप बिजली के उपयोग के लिए दे दो तो निश्चित रूप से जो

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

गफलतबाजी है, क्योंकि सरपंच के खाते में सीधा पैसा जाता है, वह देखता है कि मेरे काम में आएगा, वह काम में ले लेता है और फिर कहता है कि आपने बिजली का बिल जमा नहीं कराया तो जो सिंगल फेस के ट्यूबवैल आदि हैं उनके कनेक्शन कटते रहते हैं। इसलिए यह जो व्यावहारिक परेशानी, दिक्कत आ रही है उसका सोल्यूशन होना चाहिए।

सभापति महोदय, एक मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मिड्-डे मील की स्थिति भी अच्छी नहीं है इसलिए इसको भी सुधारा जाना चाहिए।

एक अभी जो बजट में माननीय सदन की नेता ने प्रावधान किया कि हम 9000 से ऊपर की आबादी के ऊपर 1800 करोड़ रुपये की गांवों में सी.सी. सड़कें बनायेंगे। इसमें केवल राइडर आपने लगा दिया कि 9000 की आबादी होनी चाहिए। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि एक तरफ आप पंचायतों को छोटा करने की बात कर रहे हैं, पंचायतों का पुनर्गठन कर रहे हैं और साढ़े सात से नीचे की पंचायतों का पुनर्गठन करके छोटी कर देंगे तो ये 9000 की आबादी की जो शर्त है उसके कारण से हमारे गांवों में एक भी सी.सी. सड़क 500 मीटर से लेकर 2 किलोमीटर तक जो गांवों में आपका कीचड़ मिटाने का सदन की नेता का, मंत्री महोदय का सपना है वह निश्चित रूप से धूमिल हो जाएगा। यह पैसा फिर नगरपालिका जो बनने जा रही हैं उन पंचायतों को मिलेगा इसलिए मेरा करबद्ध निवेदन है कि उसमें सुधार किया जाए और इस राइडर को खत्म किया जाए। जहां आवश्यकता है, गंदा पानी है, जहां कीचड़ है, जिस गांव में सी.सी. की आवश्यकता है, जन प्रतिनिधि मांग करता है वहां पर उस पैसे को दिया जाए।

एक जो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति का सिस्टम है वह जे.ईएन., ए.ईएन. बेस्ड यानी अभियंता बेस्ड बन गया है। कनिष्ठ अभियंता और सहायक अभियंता उस पंचायत समिति का सबसे पावरफुल व्यक्ति होता है। वह इसलिए होता है कि वह मर्जी आये जैसे तो एस्टिमेट का एडजस्टमेंट कर देता है और मर्जी आये जब यू.सी., सी.सी. बनाता है। मंत्री महोदय, आप जांच करा लीजिये, आज पूरे राजस्थान में एक भी ए.ईएन., जे.ईएन. अपनी यू.सी., सी.सी. पर डैट नहीं डालता है। पहले न तो डिटेल एस्टिमेट देता है और जब डिटेल एस्टिमेट नहीं है तो उस सरपंच और ग्राम सेवक को पता नहीं कि इस

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

मकान में कितनी ईंट लगेंगी, इसमें कितना खरंजा डालना है, कितना किस प्रकार से जमाकर इंटरलाक बनाना है और वह बिलकुल उस जे.ईएन., ए.ईएन. के ऊपर निर्भर हो जाता है। वह उसके पास जाता है, उसकी भेंट-पूजा करता है और उसके बाद में भी महीने-दो महीने बाद में जब वह गाड़ी लेकर आता है तब वह जे.ईएन. जाता है। इस सिस्टम को सुधारना पड़ेगा। चाहे सरकार हमारी हो चाहे सरकार आपकी हो, किसी की भी हो लेकिन उस कनिष्ठ अभियंता और सहायक अभियंता के ऊपर रोक लगाने की जरूरी है, चैक करने की जरूरत है।

आज किसी भी पंचायत समिति में कोई बी.डी.ओ. ट्यूर प्रोग्राम प्रधान से एप्रूव नहीं कराता, कोई ए.ईएन., जे.ईएन. बी.डी.ओ. को ट्यूर प्रोग्राम नहीं देता। जब उसको टेलीफोन किया जाता है कि आप कहां हो तो कहता है कि मैं तो यहीं हूं। मेरे यहां सीकर जिले में वाकया हुआ कि मेरे विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ की पंचायत समिति है उसमें बी.डी.ओ. को फोन गया सी.ई.ओ. की तरफ से कि आप कहां हो तो उन्होंने झूठा ही कह दिया कि मैं तो पंचायत समिति में हूं। यहां सी.एम.ओ. से अधिकारी गये थे, वे पंचायत समिति में पहुंचे, वहां नहीं मिला, एक ए.ईएन. मिला उसने पहचाना नहीं, एक पानी की बोतल थमा दी कि पानी पीजिये साहब, आप मेहमान हो। माननीय सभापति महोदय, उस बी.डी.ओ. को सस्पैण्ड किया गया और उस ए.ईएन. को भी सस्पैण्ड कर दिया गया। यह इसलिए हुआ कि अगर ट्यूर प्रोग्राम एप्रूव होता तो उस सी.ई.ओ. के पास भी कापी होती और पता लगता कि आज बी.डी.ओ. अमुक जगह गया हुआ है, आज ए.ईएन. अमुक जगह गया हुआ है। इसके अलावा, ग्राम पंचायतों से सैटिंग ये ए.ईएन., जे.ईएन. ही करते हैं कि तू मेरे को लगवा ले मैं तेरा फायदा कर दूंगा, तू उसको हटवा दे, जाकर बी.डी.ओ. से अड़ जा, एम.एल.ए. से अड़ जा, प्रधान से अड़ जा और अगर तू मेरे को इस ग्राम पंचायत में लगवा लेगा तो मैं तेरे को निहाल कर दूंगा, तेरा एस्टिमेट जो 3 लाख का बनता है उसी खुर्रे का मैं 4 लाख का मिट्टी भराव दिखा कर बता दूंगा। माननीय सभापति महोदय, इस सिस्टम को चैक करना पड़ेगा।

जो ग्राम सेवक हैं, अलबत्ता तो हमारे हैं ही कम, 2-2, 3-3 ग्राम पंचायतों को संभाल रहे हैं और 15 दिन से जाएं तो जाएं, नहीं जाएं तो नहीं जाएं। यह जो सिस्टम है इसको भी ठीक करने की आवश्यकता है।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

एक जो मुख्य मंत्री बी.पी.एल. आवास योजना हमारे मुख्य मंत्रीजी माननीय अशोक जी गहलोत ने चालू की, इसके पीछे उद्देश्य था कि हर गरीब परिवार को, जिसके पास छत नहीं है उसको छत मिलनी चाहिए। बहुत अच्छी योजना थी लेकिन इसमें एक व्यावहारिक कठिनाई आ रही है कि जो लोग अपील के माध्यम से बी.पी.एल. बने हैं उनकी आगे भारत सरकार में कोई एंट्री नहीं है। एस.डी.एम. से जिला परिषद में ले आते हैं, वे पन्ने पड़े रहते हैं, न उनकी फीडिंग होती है, न भारत सरकार में उसकी एंट्री जाती है और जो लोग बाद में बी.पी.एल. बनते हैं जिस उद्देश्य के लिए उनको केवल एक स्वास्थ्य का कार्ड तो दे देते हैं उसके अलावा न उनको मकान की सुविधा है, न उनको अनाज दिया जाता है। सारी की सारी जितनी सुविधाएं हैं वे उस बी.पी.एल. को नहीं मिलती है। इसके लिए भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें भी सुधार होना चाहिए। ग्राम सेवकों का ग्राम पंचायत पर ठहराव हो इस बात की भी व्यवस्था होनी चाहिए।

जो ग्राम पंचायत या पंचायत समिति सिंगल फेस ट्यूबवैल बनाना चाहती है उसमें भी हमारे जिले को बिना वजह से डार्क जोन में दिखा रखा है। अभी हम बाहर से सुन रहे थे, हमारे धोद से आने वाले माननीय सदस्य ने पूछा कि डार्क जोन कौन-कौन से हैं और उनमें क्या प्रावधान है, माननीय मंत्री महोदय, आप वरिष्ठ हैं, आप समझते हैं, उस समय मंत्री महोदय ने जवाब दिया, कहा कि हम फ्लोराइड के लिए आर.ओ. लगा देंगे। हमारी आर.ओ. की तो समस्या ही नहीं है, आर.ओ. की तो बाद की बात है, डार्क जोन नहीं है और उसको डार्क जोन मानकर उस किसान को वे सुविधा नहीं दे रहे हो, उसको ट्यूबवैल नहीं खोदने दे रहे हो, वह पानी के लिए 5 एच.पी. की मोटर लगाना चाहता है तो उसको नहीं लगाने दे रहे हो तो यह कैसा ग्रामीण विकास है, इसको चैक करने की आवश्यकता है। दो मिनट और लूंगा।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): डोटासरा जी, आपके राज में ही लगा हुआ है डार्क जोन तो। (व्यवधान) आपके पाप किये हुए हैं। हम तो कर देंगे। (व्यवधान) हम तो हटा देंगे।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हमने गड़बड़ की तो आप दुगुनी करोगे क्या? फिर दुबारा इधर आ जाओगे। (व्यवधान) सभापति महोदय, अगर आप यही कहते रहे.... (व्यवधान)

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): माननीय सभापति महोदय, ये पाप इन्हीं के किए हुए हैं और जनता भुगत रही है इनके पापों को। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): तो आने वाले साढ़े चार साल बाद में उलटी होगी आपकी। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य। निम्बाहेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य, विराजें आप। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपकी दिल्ली जाने की मंशा है लेकिन पूरी नहीं की तो मैं क्या करूं। (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): आपने क्यों नहीं किया पांच साल? (व्यवधान)

श्री सभापति: आप बैठें माननीय सदस्य और आप अपनी बात को अब सम-अप करें। अब सम-अप करें आप, जल्दी करें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह स्थानीय निकायों का भी है। जल्दी ही कर रहे हैं न हम। अध्यक्ष महोदय तो कड़ा रूख अपना रहे हैं और आप भी अपनाने लग गये। पहली बार बोल रहा हूं।

श्री सभापति: लेकिन समय की अपनी सीमा है, बहुतों को बोलना है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में जो केन्द्र प्रवर्तित योजना थी उसमें सीधा पैसा आता था ग्राम पंचायतों में। उसमें इस बजट में कुछ योजनाओं को सीधा नहीं देकर राज्य सरकार ने अपने पास लेने का जो निर्णय लिया है, हम समझते हैं कि वह ठीक नहीं है। ग्राम पंचायतों को मजबूत करने के लिए पंचायती राज को वह पैसा सीधा जाना चाहिए। जो पांच विभागों को दिया गया था उसमें जितनी कमियां रह गईं उनको सुधारने का आप काम करें। आज पंचायत समिति में बी.डी.ओ. चाहे जिस ग्राम सेवक को हटा रहा है। न प्रशासन समिति की कोई मानता है, न प्रधान की मानता है। प्रशासन स्थापना समिति नाम की कोई चीज ही नहीं है। मेरे यहां पर तीन ग्राम सेवकों को राजनीतिक दुर्भावना से हटाया कि हटा दो इनको। बी.डी.ओ. ने फोन बन्द कर लिया। माननीय मंत्री महोदय, आज 15 दिन से एक एम.एल.ए. का एक कार्यवाहक बी.डी.ओ. जो जे.ईएन. है वह फोन नहीं उठाता है कि साहब मेरे ऊपर दबाव है। किस बात का दबाव है? प्रशासन स्थापना समिति से अनुमोदन लेकर अगर किसी कलक्टर ने या सी.ई.ओ. ने हटा दिया तो दूसरा लगाने का अधिकार है उसको

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

उपयोग में लो। लेकिन ऐसी राजनैतिक दुर्भावना से अगर काम करने लगेंगे तो ये पंचायती राज कमजोर होगा।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि नगरपालिका लक्ष्मणगढ़ है, उसमें सीवरेज की योजना पास की थी, वह सीवरेज की योजना 90 करोड़ रुपये के लगभग थी, उसको निरस्त करने का काम इस प्रदेश की सरकार ने किया है। मैं समझता हूं, यह लक्ष्मणगढ़ शहर के नागरिकों के लिए गम्भीर अपराध करने वाला कृत्य है, उसको ठीक करना चाहिए, उसकी वापस स्वीकृति करनी चाहिए।

श्री सभापति: अब आप विराजें। पंचायती राज के विषय पर आइये। यह पंचायती राज का विषय ही नहीं है जो आप बोल रहे हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): पंचायती राज संस्थाओं में जो गड़बड़ है... यह कैसे नहीं है स्थानीय निकायों का मुआवजा एवं समनुदेशन। यह सब कुछ है मैडम। चलिये, कोई बात नहीं। पंचायती राज संस्थाओं में जो गबन है, जन प्रतिनिधियों से 10 साल, 15 साल, 20 साल का, उसमें एक में भी रिकवरी नहीं हुई है, उसकी रिकवरी करने का काम करें।

आपने जो 2 अक्टूबर से ''श्री योजना'' लाने का काम किया है, यह ठीक बात है, अच्छी बात है। अगर आप उन सबको एक करके किसी तरह से ग्राम पंचायतों को मजबूत करने का काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है।

राज्य वित्त आयोग है, उसका पैसा भी पंचायतों को ज्यादा मिले, इस बात की भी व्यवस्था होनी चाहिए।

मंत्री महोदय ने फरमाया कि एक जगह रहेंगे तीन साल तक पंचायत के कर्मचारी। माननीय मंत्री महोदय, वैसे ही इनको खुली छूट है लूट करने की, अगर इनको तय कर दिया कि तू पांच साल ही रहेगा, तीन साल ही रहेगा तो मैं समझता हूं, उसमें ज्यादा दिक्कत आयेगी और वह ज्यादा निरंकुश होगा और ज्यादा गड़बड़ करेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसमें भी सोचने की, समझने की और दुबारा सुधार करने की आवश्यकता है।

लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति के साथ में मेरे विधान सभा क्षेत्र की सात पंचायतें हैं, वे फतेहपुर पंचायत समिति में आती है। मेरे यहां 37 ग्राम पंचायते हैं, उन सात के लोग प्रधान, पंचायत समिति के लिए या पंचायत समिति के काम के लिए फतेहपुर जाते हैं। आपने बजट में पुनर्गठन का रखा है, इसलिए

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मेरे लक्ष्मणगढ़ विधान सभा क्षेत्र की सात ग्राम पंचायतें जो काफी समय से फतेहपुर पंचायत समिति में हैं, उनको लक्ष्मणगढ़ में करके 44 ग्राम पंचायतें वह हो जाएंगी। 37 और 7 मिलाकर 44 हो जाएंगी तो वह आपका 50 का आंकड़ा भी पूरा नहीं कर रहे हैं, इसलिए वह काम करने का काम भी करें।

श्री सभापति: अब आप विराजिये। अब आप विराजें। श्रीमती रानी सिलौटिया। बस अब आपका समय समाप्त, आप कितनी देर करेंगे।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सभापति महोदय, आपको पहले धन्यवाद, मंत्री महोदय को बाद में धन्यवाद। आपने मुझे मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती रानी सिलौटिया।

श्रीमती रानी सिलौटिया (बसेड़ी): माननीय सभापति महोदय, कटौती प्रस्ताव मांग संख्या 28, 49 और 50 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदया, मेरे विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी में ग्राम सचिवों की कमी के चलते समय पर कार्य पूरा नहीं हो पा रहा है क्योंकि एक सचिव तीन-तीन पंचायतों पर लगे हुए हैं। उनकी पूर्ति की जाए। क्षेत्र के गांवों में पेयजल की स्थिति काफी दयनीय है। मेरे क्षेत्र के खराब हैण्ड पम्पों में भी पेयजल आपूर्ति नहीं हो पा रही है। हैण्ड पम्प ठीक करने वाले तकनीकी कर्मचारियों की कमी के चलते हैण्ड पम्प ठीक नहीं होते हैं। 500 हैण्ड पम्पों पर केवल एक मिस्त्री है। इसलिए मिस्त्रियों की संख्या बढ़ाई जाए जिससे कि हैण्ड पम्प जल्दी से जल्दी ठीक किये जाएं।

माननीय सभापति महोदय, मेरे बसेड़ी विधान सभा क्षेत्र के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं, उनमें अध्यापकों की कमी है और गैर शैक्षिक कर्मचारियों की कमी है, जिससे कि स्कूल के बच्चों को काम में लगाया जाता है, जिससे बच्चों की पढ़ाई में दिक्कत आती है। साथ ही स्कूलों के भवन हैं, वे भी जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं।

माननीय सभापति महोदय, क्षेत्र के राजीव गांधी केन्द्र के भवन समस्त गांवों में दूर निर्मित होने के कारण उक्त राजीव गांधी केन्द्रों का सदुपयोग नहीं हो पा रहा है और न ही किसी प्रकार का उचित रखरखाव हो

(श्रीमती रानी सिलौटिया)

रहा है। मेरा निवेदन है कि इन भवनों में सरकार का करोड़ों रुपया लगा हुआ है, अत: इनकी दुर्गति होने से इनकी रक्षा करें एवं इन भवनों का सदुपयोग करें।

माननीय सभापति महोदय, इन्दिरा गांधी आवास योजना में पैसा समय पर नहीं दिया जाता है। पात्र व्यक्तियों को यदि समय पर मिले तो फायदा होगा।

सभापति महोदया, मनरेगा योजना में मजदूरों को पिछली पांच साल की सरकार में 60-70-30 रुपये दिया जाता था। मजदूरों को उनकी मेहनत का पैसा नहीं मिलता था। मजदूरों का शोषण नहीं हो, इसके लिए उनकी मेहनत के अनुसार पैसा दिया जाए।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में पटवारी हैं, उन पटवारियों को या तो पटवार भवन या गांव की पंचायत में बैठने के लिए पाबंद किया जाए क्योंकि जनता पटवारी के यहां साइन कराने आती है तो वह कहीं मिलते नहीं है, इससे जनता को बड़ी परेशानी होती है।

माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय सदस्य श्रीराम भींचर।

श्री श्रीराम भींचर (मकराना): सभापति महोदया, मांग संख्या-49 के सम्बन्ध में नगर परिषद मकराना में स्वीकृत सीवरेज लाइन एवं सड़क निर्माण कार्य के भुगतान के सम्बन्ध में माननीय स्वायत शासन एवं नगरीय विकास मंत्रीजी से जानकारी चाहता हूं कि नगर परिषद, मकराना में गत वर्ष राज्य सरकार द्वारा सीवरेज लाइन एवं सड़क निर्माण कार्य स्वीकृत हुआ था...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, यह आज नगर परिषद् और नगरपालिकाओं के विषय में नहीं बोलना है। सिर्फ ग्रामीण विकास का ही है।

श्री श्रीराम भींचर (मकराना): नहीं, इसमें है। इसमें है। इसमें नगरीय है।

एक माननीय सदस्य: सभापति महोदय, स्थानीय निकाय भी शामिल है।

श्री सभापति: इसका संशोधन हो गया। संशोधन हुआ है ना। केवल ग्रामीण पंचायती राज संस्था है और ग्रामीण रोजगार है। (व्यवधान) स्थानीय निकाय।

श्री श्रीराम भींचर (मकराना): तीन डिमांड हैं सभापति महोदय।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): इसमें मांग संख्या-49 में केवल जो सरकार का पैसा आता था पहले माइन्स से या कोई पैनल्टी लगाई है या कुछ किया है तो उसके पैसे को डिस्ट्रीब्यूशन होता था, वह नगरपालिका और पंचायत दोनों को होता था। इसलिए मांग संख्या-49 उसकी ही है केवल, नगरपालिका इसमें नहीं है।

श्री श्रीराम भींचर (मकराना): नगरपालिका का कोई बिन्दु नहीं है?

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): नहीं, इसमें नहीं है। इसमें केवल पंचायत पर ही है।

श्री श्रीराम भींचर (मकराना): नहीं, इसमें निकाय है ना।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): है, वह पैसा है मांग संख्या-49 के हैड का जो पैसा है...

श्री सभापति: आप अपनी बात ग्राम पंचायत के ऊपर रखिये ना।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): ...49 के हैड में जो पैसा आता था सरकार के पास विभिन्न प्रकार से, जैसे रजिस्ट्री कराई उसका पैसा आता है। कोई माइनिंग हो रही है उसका आता है। कोई इल्लीगल माइनिंग का पैसा आता है। वह पैसा दोनों में बंटता था नगरपालिका में भी और पंचायत में भी। वह 49 नम्बर का हैड है।

श्री श्रीराम भींचर (मकराना): छोड़िये फिर, बाकी खतम बात।

श्री सभापति: इसके अलावा कुछ भी नहीं है? माननीय सदस्य श्री हरिसिंह जी रावत।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या-28, ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम और 49 और 50 के सम्बन्ध में मुझे मेरे विचार रखने का समय दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, माननीया मुख्य मंत्रीजी ने गांवों के विकास के लिए ग्राम योजना के तहत स्वच्छता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा और विद्युत योजना के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए योजना लागू की है, यह सराहनीय है। हमारी विजिलेंट मुख्य मंत्रीजी ने मगरा विकास योजना हेतु 2005-2006 में मगरा विकास योजना की स्थापना की थी और इसके अन्तर्गत हमारे चार जिलों को जोड़ा गया और चार जिलों के सामाजिक,

(श्री हरिसिंह रावत)

बौद्धिक, आर्थिक विकास हेतु योजना लागू की गई और मुझे बड़ी खुशी है कि इस योजना के अन्तर्गत इस बजट में हमारे 300 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की है, मैं इसके लिए उनको धन्यवाद देना चाहता हूं।

साथ-साथ ही महानरेगा के अन्तर्गत राज्य में रेल अण्डर ब्रिज, खालों के निर्माण के कार्य भी लिये लेकिन मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि महानरेगा के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्य में उत्पादन बढ़ाने के लिए मृदा परीक्षण, प्रयोगशाला का निर्माण, इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करने का प्रावधान तथा सभी कृषि जोतों का पांच साल में एक बार मृदा परीक्षण की सुविधा उपलब्ध कराना, यह भी सराहनीय कार्य है। साथ ही साथ, मैं महानरेगा कार्य योजना के अन्तर्गत मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अभी तक जो कार्य होता है, वह केवल मिट्टी खोद कर, इस महीने मिट्टी खोद कर इधर डाली, दूसरे महीने खोद कर उधर डाली और काम का इतिश्री हो जाता है। मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इस कार्य योजना के अन्तर्गत परमानेंट असेट्स बनाने की अगर योजना बनाएंगे तो मैं समझता हूं कि हमारे गांवों का सर्वांगीण विकास होगा। इसके अन्तर्गत जैसे गांवों में सड़क नहीं है, सड़क बनाई जाए, नाली नहीं है, नाली बनाई जाए, स्कूल भवन नहीं है वह बनाया जाए, सिंचाई सुविधा नहीं तो वह कराई जाए और विशेष जो हमारी खेती के सम्बन्ध में बताना चाहता हूं कि हमारे यहां पर रोजडों का भारी प्रकोप है, जो किसानों की जोत में नुकसान कर जाते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि अगर सामूहिक रूप से बाड़बंदी या पत्थरों की दीवार बनाने की योजना भी लागू करें तो मैं समझता हूं कि किसानों के लिए एक बहुत अच्छी व्यवस्था हो जाएगी। इसके साथ-साथ, इन योजनाओं के अन्तर्गत डोवटेल के अन्दर अगर हमारे एमपी, एमएलए लैड को भी जोड़कर कार्य योजना की जाए तो इसमें हमारा और भी ज्यादा काम हो सकता है तो मेरा आपसे निवेदन है कि डोवटेल के अन्दर यह भी जोड़ा जाए। इसी योजना के अन्तर्गत हमारी मुख्य मंत्रीजी ने रोजगार योजना 2004 में राजस्थान मिशन एवं लाइवलीहुड की स्थापना की थी। यह योजना भी बेरोजगार युवाओं के लिए एक बहुत अच्छा साधन साबित हुई है। रोजगार चाहने वाले युवाओं को नियोजक संस्थाओं से मिलकर उनकी आवश्यकताओं का आंकलन करके उनके अनुसार प्रशिक्षण देना। जिससे बेरोजगार युवकों को रोजगार मिल सके तथा अपना जीवनयापन कर सके।

(श्री हरिसिंह रावत)

इसी बजट में घोषणा की है बेरोजगार युवाओं को रोजगार योग्य बनाने हेतु राज्य सरकार द्वारा राज्य कौशल एवं आजीविका विकास निगम के माध्यम से अगले पांच साल में 13 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान का जो प्रावधान रखा है। यह भी बेरोजगार युवाओं के लिए एक सराहनीय कदम है। मैं इसकी भूरि-भूरि प्रशंसा करना चाहता हूं। सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि विधायक मद में जो दो करोड़ हमारी राशि है अगर इस राशि को दो करोड़ की जगह पांच करोड़ कर दिया जाए तो मैं समझता हूं कि इससे हम गांवों में अच्छा विकास करा सकेंगे। विधायक मद से पूर्व सरकार ने एक राइडर लगा दिया था कि किसी रेवेन्यू विलेज में अगर एक बार कोई सामुदायिक भवन बन गया तो दूसरी बार वह नहीं बना सकता है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं मंत्री महोदय को कि हमारा क्षेत्र एक बिखरा हुआ क्षेत्र होता है और बिखरे हुए क्षेत्र में चार-चार, पांच-पांच ग्राम पंचायतों को मिलाकर एक रेवेन्यू विलेज बनता है। उस रेवेन्यू विलेज में अगर कोई पर्टिकुलर जिस गांव का नाम ले लिया जाए तो उसी के अन्तर्गत वह सामुदायिक भवन बनता है। तो मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि अगर यह राइडर खतम कर दिया जाए और बिखरी आबादी में जहां दो-दो, चार-चार किलोमीटर की परिधि में जो रेवेन्यू विलेज बनता है तो मैं समझता हूं वहां भी हम सामुदायिक भवन बना सकते हैं। दूसरा इन्होंने एक और राइडर लगाया। एक रेवेन्यू विलेज में एक टार्गेट बनाकर के कि चार लाख में वह भवन बनेगा और 460 स्क्वायर फीट का वह भवन बनता है। लेकिन कई जगह ऐसा है कि जगह कम होती है जिसकी वजह से वहां भवन बनाना उपयुक्त नहीं होता है। इसमें मेरा निवेदन है कि अगर यह राइडर भी खतम करें तो मैं समझता हूं कि हमारे एमएलएज के लिए एक अच्छी सौगात होगी। साथ ही साथ हमारी नई ग्राम पंचायतों के गठन का एक प्रावधान आपने लिया है। मेरे विधान सभा क्षेत्र की जो भीम पंचायत समिति है जिसमें सारोठ से बिल्यावास, भीम से डासरिया, बराड से हमाला की बेर, बागाड़ा से चेता, देवगढ़ पंचायत समिति में ताल से अर्जुनगढ़, लसाणी से कलालो की हाथी, पालड़ी से बारसिंगागुडा, सवादिर से माण्डावाडा, जीरण से टोकरा अगर ये हमारी ग्राम पंचायत बन जाती हैं तो मैं समझता हूं कि हमारे लोगों के लिए यहां काफी अच्छी सहूलियत हो जाएगी।

(श्री हरिसिंह रावत)

मान्नीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि राशन कार्ड की एक समस्या भी अभी चल रही है। मेरे विधान सभा क्षेत्र की ही समस्या नहीं है यह पूरे राजस्थान में है। जो भी नए राशन कार्ड बने हैं, जिस भी एनजीओज के थ्रू बने हैं, वह राशन कार्ड सभी त्रुटिपूर्ण हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि तत्काल इन राशन कार्डों को भी सही कराया जाए। ताकि हमारे गांव के जो भोले भाले लोग हैं, जो बीपीएल के लोग हैं उनको राशन सही ढंग से मिल सके। एक ओर निवेदन मैं आपके माध्यम से करना चाहता हूं कि जो एमएलए लैड से कुआं खुदवाया जाता है उसमें एक बड़ी समस्या आ रही है। एक तरफ तो जो पीएचईडी से कुआं खुदवाया जाता है और पंचायत समिति के मार्फत एमएलए लैड से जो कुआं खुदवाया जाता है उसकी बीएसआर में काफी डिफरेंस है। अगर यह बीएसआर रेट पीएचईडी के अनुरूप कर दी जाए तो मैं समझता हूं कि हमारे एमएलए लैड से कुआं खुदवाने में सहूलियत होगी। इसलिए इसमें भी थोड़ा चेंज कराया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर लाइटें जो लगाई जा रही हैं उसमें भी भारी भ्रष्टाचार हो रहा है। आज अगर क्वालिटी के हिसाब से देखें तो मैं समझता हूं कि सोलर लाइटें महीने दो महीने भी शायद नहीं चल पाती हैं और सब लाइटें फेल हो जाती हैं। तो मेरा आपके माध्यम से निवेदन माननीय मंत्री महोदय को है कि इसमें भौतिक सत्यापन कराया जाए कि वास्तव में यह सही है या नहीं है। जो क्वालिटी होनी चाहिए वह है या नहीं है? ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इंदिरा गांधी आवास योजना के अन्तर्गत जो 70 हजार रुपये की राशि रखी गई है मैं समझता हूं कि यह पर्याप्त नहीं है। इस 70 हजार की जगह अगर डेढ़ लाख रुपये रखी जाए तो मैं समझता हूं कि वास्तव में उस गरीब का घर बन सकता है। 70 हजार के हिसाब से मैं समझता हूं कि आज के जमाने में नींव ही नहीं खुद सकती है और एक कमरा भी नहीं बन सकता है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इसमें आप तत्काल आने वाले बजट में सत्तर से डेढ़ लाख कर दें तो जनता के लिए हमारा अच्छा संदेश जाएगा।

माननीय सभापति महोदय, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना, जनता जल योजना, पनघट योजना जो ग्राम पंचायतों के माध्यम से चलाई जा रही है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि यह सब योजनाएं विफल हो रही हैं। कारण क्या है कि पंचायत में इतने कोई ट्रेंड नहीं है या सक्षम नहीं

(श्री हरिसिंह रावत)

हैं जो उस योजना को चला सकते हों और दूसरा बिल भी समय पर नहीं भरने की वजह यह सब हमारी योजनाएं फेल हो रही हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि अगर ये योजनाएं भी पीएचईडी को दे दी जाएं तो इन योजनाओं को सुचारु रूप से चलाया जा सकता है और जहां पेयजल की समस्या है उसका समाधान हो सकेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि एक IWMS सिस्टम यह एमएलए लैड का एक आप्शन नहीं आ रहा है। इसलिए इसको भी इन्क्लूड करें। इस सिस्टम के अन्तर्गत इसको आप्शन में लिया जाए तो मैं समझता हूं कि हमारे लिए काफी सुविधा होगी।

दूसरा, 10 परसेंट जन सहभागिता में 50 लाख मिलते हैं, अगर इसमें एडिशनल 50 लाख रुपये मिलें और इसकी स्वीकृति निकल सकती है। जनता जल योजना का भी जो हमने बताया कि टी.एफ.सी. और एस.एफ.सी. में इसका फण्ड बढ़ाया जाए तो इससे जनता का काफी फायदा होगा। माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र की पंचायत समिति भीम और देवगढ़ में काफी वैकेंसीज हैं। वहां न ए.ई.एन. हैं, न जे.ई.एन. हैं, न पी.ओ. है, न ग्राम सचिव है। एल.डी.सी. की तो आपने भर्ती कर दी है लेकिन सृजित पद अनुसार अभी भी हमारे वहां पद रिक्त चल रहे हैं। जिसकी वजह से नरेगा के अन्तर्गत जो कार्य होता है उसका सुचारु रूप से निर्वहन नहीं हो पाता है। इसलिए मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि मेरे क्षेत्र में जो रिक्त पद हैं उनको तत्काल भरा जाए। मुझे समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: माननीय सदस्य डा. बालूराम चौधरी।

श्री बालू राम चौधरी (सहाड़ा): माननीय सभापति महोदय, सांकेतिक कटौती प्रस्ताव पर बोलते हुए मांग संख्या 28, 49 एवं 50 जिसमें ग्रामीण विकास, पंचायती राज एवं ग्रामीण रोजगार के बारे में मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं। आज देश को आजाद हुए 67 साल हो गए हैं। देश की आजादी के बाद गांवों के विकास के बारे में बहुत सोचा गया था। पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया गया। स्वर्गीय जवाहर लाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर में 2 अक्टूबर, 1959 को इसकी घोषणा की थी और सबकी मंशा थी कि इस पंचायत राज के माध्यम से गांवों का, गरीबों

(श्री बालू राम चौधरी)

का और खेतों में रहने वाले किसानों का एक सर्वांगीण विकास हो। लेकिन पिछले साठ सालों में हम देख रहे हैं कि इन पंचायतों के माध्यम से, विभागों के माध्यम से गांवों की जनता का भला करने के लिए बहुत सारी योजनाएं बनी हैं। तरह-तरह की योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन हुआ है लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि जो अपेक्षित लाभ उस जनता को, उस गांव के किसान को, उस मजदूर को मिलना चाहिए वह अभी हमको देखने को नहीं मिलता है। हर बार कोई न कोई उनके गांव के हितों के लिए नयी-नयी योजनाएं लाते हैं और उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। उसका हमको असेसमेंट करना चाहिए कि वास्तव में यह योजना आई है यह धरातल पर कितनी सफल हुई है और इसमें क्या कमी रह गई। जिस उद्देश्य के लिए यह योजना बनी थी उस उद्देश्य की प्राप्ति हम कर पाए या नहीं कर पाए।

आजादी के बाद आज इतने सालों में जिस तरह का हम गांव का पूरा वातावरण देख रहे हैं वहां की समस्याएं देख रहे हैं अब ऐसा आभास होता है कि राजस्थान दो तरह का राजस्थान हो गया है। एक राजस्थान गांव का राजस्थान है और एक राजस्थान शहर का राजस्थान है। गांव के बारे में अभी भी हम देखते हैं वहां अभी भी आधारभूत सुविधाओं की बहुत कमी है चाहे आप शिक्षा के क्षेत्र में ले लो तो स्कूल्स की कमी मिल जाएगी, पढ़ाने वाले स्टाफ की कमी मिल जाएगी। सड़कों के मामले में रोड नहीं मिलेंगे। चिकित्सा के मामले में आपको एएनएम, हास्पिटल की सुविधा नहीं मिल पाएगी और होस्पिटल खोल भी दिये सरकार ने तो स्टाफ की कमी है स्टाफ नहीं मिल पाया। मैन पावर की बहुत प्रोब्लम रहती है। इसी तरह पीने के पानी की कमी है। बिजली की कमी है। गांवों में बिजली कभी दो घंटे आएगी कभी छह घंटे आएगी कभी आएगी कभी नहीं आएगी। तो मूल रूप से अभी तक इतने सालों में उन गांवों में वे आधारभूत सुविधाएं जो जनता के लिए आवश्यक हैं उनको हम जनरेट नहीं कर पाए हैं। कहीं न कहीं इसमें कमी रह गयी है जिसका अपेक्षित लाभ जो जनता को मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाया है। उसके विपरीत जब हम शहरों में देखते हैं तो शहरों में अरबनाइजेशन बढ़ता जा रहा है। यूनिवर्सिटी पर यूनिवर्सिटी खुलती जा रही हैं। फ्लाइओवर्स बन रहे हैं चौबीस घंटे बिजली मिल रही है। चिकित्सालय बढ़ते जा रहे हैं मेडिकल कालेज बढ़ते जा रहे हैं तो जब गांव के परिवेश का आदमी शहर की तरफ आता है तो अपने आपको चकाचौंध महसूस करता है कि कहां मैं नरक में रह रहा हूं और

(श्री बालू राम चौधरी)

यहां कितनी सुविधाएं हैं तो ये गेप शहरों का और गांवों का दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है इसलिए उसके मन में आता है कि जब इतनी सुविधाएं मुझे शहर में उपलब्ध हो सकती हैं तो मैं वहां गांव में क्यों रहूं। धीरे-धीरे गांव से शहरों की तरफ पलायन बढ़ता जा रहा है और पापूलेशन का बहुत बड़ा हिस्सा शहरों में माइग्रेट होकर यहीं बसने लग गया। गांवों की संख्या तो कम हो ही रही है लेकिन शहरों की जनसंख्या बढ़ रही है ये अपने आप में एक चिन्ता का विषय है और ये शहरों में अरबनाइजेशन में यहां जितनी जनसंख्या बढ़ेगी ये सरकार के लिए भी और सबके लिए आगे जाकर चिन्ता का विषय है।

माननीय सभापति महोदय, नरेगा के माध्यम से जिसमें ग्रामीण रोजगार सृजन करने की ये योजना थी। बहुत अच्छे उद्देश्य के लिए लाई गई थी और शुरू-शुरू में इसने बहुत अच्छा काम किया और सबको लगा कि ये बहुत अच्छी योजना है और आगे बहुत सफल होगी। लेकिन धीरे-धीरे इसमें भी कुछ न कुछ कमियां होती गईं, कुछ गड़बड़ियां होती गईं। भ्रष्टाचार घुसने लग गया। ग्रामों को जो अपेक्षित लाभ मिलना चाहिए वह अभी नहीं मिल पा रहा है। जो जाब कार्ड बनते हैं उसमें भी गड़बड़ियां होने लग गईं। एक ही परिवार के अन्दर एक से अधिक जाब कार्ड बन गये। कई आदमी ऐसे हैं जो प्राइवेट में नौकरी कर रहे हैं और फिर भी जाब कार्ड बना कर के किसी दूसरे को दे दिया है। दूसरा सबसे बड़ा जो काम इसके माध्यम से गांवों में कराया जा रहा है उसमें ऐसे काम कराएं जो लंबे टाइम तक उस गांव में कोई ऐसी परिसम्पत्ति बने या परमानेंट काम हो या प्रोडक्टिव काम हो उस तरह के काम हम जनरेट नहीं कर पाए हैं। तो इस बारे में हमको योजना में कुछ न कुछ और एडिशनल अल्ट्रेशन करना चाहिए जिससे नरेगा के माध्यम से गांव का पूरा विकास कर सकें।

जैसा अभी काफी सदस्यों की यह डिमाण्ड आई है कि गांवों में रोजड़े की बहुत समस्या है। किसान रोजड़ों से बहुत परेशान हैं और कई माननीय सदस्यों ने इसकी चिन्ता भी जताई थी विधान सभा में। कहीं न कहीं हम महानरेगा में ऐसी योजना बना कर जोड़ें जिससे कि किसानों को रोजड़ों से बचाने के लिए इसको कहीं न कहीं लेबर कंपोनेंट का डाल कर या दूसरा कंपोनेंट डाल कर या विधायक कोटे की मद का यूज करके एक ऐसी योजना बनायें जिससे किसानों के खेतों की तारबंदी करवा सकें और जो फसल रोजड़ों के द्वारा या नीलगाय के द्वारा नष्ट की जाती है उससे किसानों को बचाया जा

(श्री बालू राम चौधरी)

सके। दूसरा नरेगा को अन्य योजनाओं के साथ क्लब करके और कुछ ऐसे आधारभूत काम करने चाहिए चाहे उसमें विधायक कोटे को भी मिलाया जाए या दूसरी जो योजनाएं हैं उनको क्लब करके लेबर कम्पोनेंट नरेगा का हो जाए दूसरे कंपोनेंट से परमानेंट काम करायें जिससे गांवों में कुछ ऐसे लंबे उपयोग के काम हों, परिसंपत्तियां बन सकें और इसका एक स्थाई फायदा जनता को मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से प्रार्थना करना चाहता हूं कि गांवों के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी समस्या है वह चरागाह की समस्या है और जो चरागाह का क्षेत्रफल था वह धीरे-धीरे कम होता जा रहा है। मवेशियों को चरने की जगह बहुत कम मिल रही है उसका मूल कारण कि चरागाहों पर बहुत ज्यादा अतिक्रमण होते जा रहे हैं। मेरा निवेदन है कि ऐसी कोई कार्य योजना बने कि चरागाह की भूमि को चिह्नित किया जाए और जिन पर आलरेडी अतिक्रमण हो चुके हैं उनको वहां से हटाया जाए उनका सीमांकन किया जाए और जहां चरागाह की भूमि कम है उस क्षेत्र में जो बेकार पड़ी जमीन है उसको चरागाह के रूप में विकसित करें और इन सारे कार्यों को करने में हम नरेगा का सहयोग ले सकते हैं। ग्रामीणों का सहयोग ले सकते हैं ताकि गांवों में स्थाई रूप से एक निश्चित जमीन किसानों को मवेशियों के चरने के लिए हमेशा उपलब्ध रहे। गांवों में एक सबसे बड़ी समस्या है जो बढ़ती जा रही है धीरे-धीरे ये एक दिन की नहीं है। समय के साथ बढ़ती गई है। जितने पेड़-पौधे काटते जा रहे हैं जो हरियाली राजस्थान में थी वह धीरे-धीरे कम होती जा रही है। जब हरियाली कम होगी तो स्वाभाविक है कि बरसात कम होगी और बरसात कम होगी तो सतही जलस्तर और भू जल दोनों कम होंगे। जब पानी की कमी आएगी तो पेयजल की समस्या आएगी, सिंचाई की समस्या आएगी तो मेरा ऐसा निवेदन है कि ऐसी कोई योजना बने जिसमें गांवों में अधिक से अधिक पेड़ लगाये जाएं चाहे वे वन विभाग के माध्यम से लगाये जाएं, चाहे नरेगा के माध्यम से लगाये जाएं या इसमें स्वयंसेवी संस्थाओं को शामिल करके और राजस्थान को एक हरित क्रांति के माध्यम से हरा-भरा राजस्थान बनायें तो ये जो समस्या है इससे छुटकारा मिल सकता है और काफी मदद मिल सकती है। ग्रामीण विकास की काफी योजनाएं हैं और ये इतने कम समय में कवर करना बड़ा मुश्किल रहता है। केन्द्र द्वारा पोषित योजना जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, मनरेगा,

(श्री बालू राम चौधरी)

इंदिरा आवास योजना, सांसद स्थाई क्षेत्र विकास योजना, सीमावर्ती क्षेत्र विकास योजना, डीआरडीए प्रशासन योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। राज्य की योजनाओं में विधायक क्षेत्र विकास कार्यक्रम, ग्रामीण जन भागेदारी विकास योजना, डांग क्षेत्र विकास योजना, मेवात क्षेत्र विकास योजना, मगरा क्षेत्र विकास योजना, ग्रामीण बीपीएल आवास योजना और मुख्यमंत्री सड़क योजना। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इतनी बढ़िया योजनाएं हैं इनको केवल अच्छा कोआर्डिनेट करके बहुत अच्छी मानीटरिंग करके इसमें जिम्मेदारी फिक्स करें तो उनका समुचित लाभ जनता को मिल सकेगा और इस बजट में माननीय मुख्यमंत्री महोदया ने गांवों के विकास के लिए एक सही योजना चालू की है जिसमें पांच कम्पोनेंट डाले हैं। तो मैं सोचता हूं कि उससे ग्रामीण जनता का सर्वांगीण विकास होगा। सबसे बड़ी समस्या गांवों में अभी जो आ रही है, योजनाएं बहुत अच्छी हैं कार्यक्रम बहुत अच्छे हैं लेकिन मैन पावर की बहुत कमी है। पंचायत स्तर पर सचिवों की बहुत कमी है एक-एक सचिव को दो-दो तीन-तीन पंचायतों का चार्ज दे रखा है। वह अपने काम को बिलकुल जस्टीफाई नहीं कर पाता कभी इस पंचायत में जाता है, कभी उस पंचायत में जाता है। गांव की जनता उसको ढूंढती रहती है, उनका समय पर काम नहीं हो पाता है। यह सचिवों का ही नहीं पटवारियों का भी ऐसा ही है। एक-एक पटवारी को तीन-तीन पटवार मण्डल दे रखे हैं, काश्तकार जाता है नकल के लिए, छोटे-मोटे काम के लिए। आज वह उस पटवार मण्डल पर गया, कल उस पटवार मण्डल पर गया। एक एक आदमी को तीन-तीन जगह का चार्ज दिया है। डेफिनेटली इससे किसानों को भी परेशानी होती है और समय पर जो काम ग्रामीणों का होना चाहिए वह नहीं हो पाता है। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि जो मेनपावर की कमी है चाहे सचिवों की हो, चाहे पटवारियों की हो, ग्राम स्तर पर की-परसन हैं, वे लोग सफिशियंट संख्या में वहां उपलब्ध नहीं होंगे, अपनी सारी योजनाएं जाकर अल्टीमेटली वहीं अटक जाती हैं। उनका इम्प्लीमेंटेशन तभी होगा जब मेनपावर पूरा होगा, स्थाई कर्मचारी होंगे और पूरी संख्या में कर्मचारी होंगे। गांव के विकास के लिए मुख्य आवश्यकता आधारभूत सुविधाओं की है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब समाप्त करें।

श्री बालू राम चौधरी (सहाड़ा): बस दो मिनिट में। हम गांव में

(श्री बालू राम चौधरी)

आधारभूत सुविधाएं डवलप करेंगे तभी योजनाओं का सही क्रियान्वयन होगा। उदयपुर क्षेत्र में, माननीय मंत्री महोदय बहुत अच्छी तरह जानकारी रखते हैं, इनको जितना ज्ञान है और किसी को नहीं हो सकता है। इतना बड़ा आदिवासी क्षेत्र है और इतनी योजनाएं वर्षों से चल रही हैं, स्टेट से और सेन्ट्रल से कितना फण्ड आ रहा है, लेकिन हम अभी भी देखते हैं कि आदिवासी का जितना विकास होना चाहिए, वह नहीं हो पाया है। अभी भी वह वहीं खड़ा है। जितना उसके एजुकेशन लेवल या किसी भी लेवल पर, नौकरी के लेवल, जो अपन अपेक्षित सोच रहे थे कि इतना 60 साल में होना चाहिए, वह नहीं हो पाया है। मेरी बात से शायद मंत्रीजी भी सहमत होंगे। आपने मुझे समय दिया है इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, श्री जोगाराम जी पटेल।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 28, 49 और 50 पर मुझे अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया, इसके लिए आपका आभार। चूंकि यह तीनों ही मांगें करीबन 9127 ग्राम पंचायतों से और राजस्थान की 70 से 75 प्रतिशत जनसंख्या से सम्बन्धित हैं। मैं सुबह से ही यह देख रहा हूं, कि राजस्थान का सबसे बड़ा भूभाग, राजस्थान की सबसे बड़ी जनसंख्या और इस विधान सभा में बैठने वाले 160 विधायकों से सम्बन्धित यह मांगे हैं, परन्तु फिर भी समय की घण्टी बजा दी जाती है। समय कम दिया जाता है। पर यह हमारी खुशकिस्मती है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे चार माननीय सदस्यों ने यह कह दिया है कि हम इस पर विचार प्रकट नहीं करना चाहते हैं। उसका हमें थोड़ा लाभ दें और 5-7 मिनिट हमें हमारी बात कहने का अवसर दें।

माननीय सभापति महोदया, जैसा कि आप स्वयं भी बखूबी परिचित हैं, जब तक राजस्थान के ग्रामीण परिक्षेत्र का विकास नहीं होगा, हम भले ही कितने ही विकास की बातें कर लें, शहर में बड़ी-बड़ी टयूबलाइटें लगा दें, आलीशान रोड बना दें, मैट्रो बना दें, और कुछ भी बना दें लेकिन राजस्थान का विकास करना है तो उस ग्रामीण जनता का विकास करना जरूरी है जो 70 से 75 गांवों के अन्दर रहती है। जैसे डा. साहब, माननीय सदस्य बता रहे थे आज भी उस ग्राम में वह मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं जिसकी वजह से जनता आकर्षित होकर शहर की तरफ बढ़ रही है। हम वैसी ही सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्र

(श्री जोगाराम पटेल)

में उपलब्ध करा दें तो उनका आकर्षित होना बंद हो जाएगा और धीरे-धीरे अपने मूल स्थान पर जाना प्रारम्भ होगा। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री महोदया ने इसी को आधार मानते हुए यह बजट प्रस्तुत किया है। श्री के नाम से पांच कम्पोनेंट की मूलभूत बेसिक आवश्यकता वाले विषय हैं, उसके अन्दर समाहित किए हैं, इसलिए हम उनके बहुत आभारी हैं। यह मान कर चलें कि हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। इसीलिए माननीय मंत्री महोदय भी जो इस पर पूरा ध्यान देने वाले हैं, एक-एक चीज को बारीकी से नोट करने वाले हैं, उनको यह अवसर भी मिला है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह सिर्फ हमारे ग्रामीण जनता को, भगवान का दिया हुआ आर्शीवाद है कि ऐसी हमारी आदरणीय मुख्यमंत्री साहिबा हमको मिली है, हमारे मंत्री महोदय मिले हैं और हमें अवसर है, आप भी आसन पर विराजमान हैं इसलिए सौभाग्य की बात है कि हमको ऐसा अवसर मिलेगा कि हम अपनी बात कह सकेंगे।

माननीय सभापति महोदया, जितनी भी योजनाएं ग्रामीण क्षेत्र के लिए चल रही हैं चाहे वह केन्द्र की योजना हो, चाहे राजस्थान सरकार की योजनाएं हों, या विभाग की योजनाएं हों, सब योजनाओं का एक ही मूलभूत उद्देश्य है कि हम किस तरह से गरीबी को कम करें। आधारभूत सुविधाओं में वृद्धि कैसे करें। गरीबी और मजदूरी आधारित रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर कैसे बढ़ाएं। ग्रामीण क्षेत्र का विकास कैसे करें। आवास में क्षेत्रीय जो असंतुलन है, शहर का और ग्राम का, उसको कम कैसे करें। हमारी ग्रामीण जनता को वह सभी सुविधाएं उपलब्ध कराएं जिसकी वजह से हमारी ग्रामीण जनता स्वाभिमान से आवश्यक सुविधाओं के साथ, भले ही विलासिता नहीं हो लेकिन निर्धारित सुविधाओं के साथ रह सकें। ऐसी अनेक योजनाएं जिनका विवरण अनेक माननीय सदस्यों ने आपके सामने दिया मैं उसके सम्बन्ध में नहीं कहूंगा, आपसे निवेदन नहीं करूंगा।

लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण योजना चल रही है जिसके सम्बन्ध में हमारे प्रतिपक्ष के साथियों ने भी बहुत कहा कि योजना बहुत अच्छी है, इसका मूल उद्देश्य बहुत अच्छा था, उसमें दोराय नहीं। यह योजना बनी इसके पीछे जो उद्देश्य था उसमें दोराय नहीं है। जिस उद्देश्य को लेकर यह योजना बनाई अगर उसी रूप में परिणत होती तो उसका फायदा भी बहुत मिलता, लेकिन इसमें विसंगति आ गई। इसके परिणाम आने लगे वह अब दूसरे परिणाम आने लगे हैं। आपको याद होगा 2004 से 2009 के बीच में राजस्थान की सरकार

(श्री जोगाराम पटेल)

ने इस पर बहुत जोरदार और प्रभावी ढंग से कार्य किया। लगातार तीन वर्षो तक हर जिले में एक प्रभारी मंत्रीजी को भेजा, उसकी मानिटरिंग की, उसका काम करवाया। लगातार तीन वर्ष तक हिन्दुस्तान में, राजस्थान नरेगा में, उस समय नरेगा था बाद में मनरेगा हो गया, उसमें प्रथम रहा। कार्य भी हुए, जनता को भी लगा कि यह ठीक हो रहा है, हम जितना काम कर रहे हैं उतना पैसा मिल रहा है, वह दिल लगाकर काम करते थे। पर धीरे-धीरे इसकी कुसंगतियां आ गईं, विसंगतियां आ गईं और आज हर व्यक्ति यह विचार करता है कि मैं काम क्यों करूं मुझे तो पैसा मिलना चाहिए। तो स्वावलम्बी बनने की जो योजना लाई गई थी वह आज उसकी मानसिकता बनने लगी है। पहला हमारा काम होना चाहिए कि हमारा राजस्थानवासी स्वावलम्बी बने। सिर्फ पैसे पर विचार नहीं करें, वह स्वावलम्बी बने। स्वावलम्बी बन कर वह कार्य करें परन्तु धीरे-धीरे इस योजना में जो कठिनाइयां और कमियां आने लगीं और भ्रष्टाचार पनपने लगा। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि आज की तारीख में अगर हम कहीं आरोप लगाएं, प्रत्यारोप लगाएं, चाहे पक्ष के लगाएं, चाहे विपक्ष के लगाएं, तो अधिकतर आरोप भ्रष्टाचार के लगेंगे तो इस योजना में लगेंगे। आप जानेंगे इस योजना की थोड़े से शब्दों में या कम अंकों में या कुछ आंकड़ों में राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में लें या भारत के परिप्रेक्ष्य में लें 2008-09 में 38 हजार करोड़ का, धन उपलब्धता करवाई गई थी उसके स्थान पर 27 करोड़, 250 का खर्चा हुआ, इतना खर्च हुआ तो यह लगा कि 38 हजार करोड़ के स्थान पर 27 हजार करोड़ समथिंग खर्च हुआ। लेकिन उससे अलग आप लेवें और 2013-14 जब तक आया, यह पूरा अरसा बीता तो 38151 करोड़ का प्रावधान किया गया और उसकी जगह 42272 का खर्चा कर दिया गया। 38 हजार के स्थान पर 42 हजार करोड़ का खर्चा कर दिया। न तो लोगों को लम्बे समय तक मजदूरी का पैसा मिला, न लम्बे समय तक भुगतान हुआ, अनेक विवाद हुए, अनेक जनप्रतिनिधियों के आरोप प्रत्यारोप लगे, आखिर धीरे-धीरे, करते-करते इसमें विसंगतियां आती गईं। आप यूं भी देखें, काम के लिहाज से भी देखें। 2008-09 में 4 करोड़, 51 लाख, 15 हजार, 385 के काम थे उसके स्थान पर 65 लाख, 21 हजार 268 के काम, उन परिवारों ने ही काम किए 100 दिन पूरे। 2010-11 में 5 करोड़, 25 लाख, 30 हजार, 453 काम उपलब्ध कराए गये परिवारों को, लेकिन उसके स्थान पर 70 लाख 83 हजार 663 परिवारों ने ही 100 दिन पूरे किए। अंत में 2013-14 में

(श्री जोगाराम पटेल)

आते-आते 4 करोड़, 76 लाख 84 हजार 864 परिवारों के लिए काम तय किया गया लेकिन उसके स्थान पर सिर्फ 46 लाख 03 हजार 974 परिवारों ने ही 100 दिन काम पूरे किए। तो लगता है कि इस योजना का धीरे-धीरे बड़ा ह्रास हो रहा है और योजना का उद्देश्य था वह फलीभूत नहीं हो रहा है। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में आप देखें 2008-09 में 6275 करोड़ रुपये खर्च किए गए उसके स्थान पर मजदूरी जिन लोगों को मिली वह 26 लाख 31 हजार 892 लोगों को मिली। 2013-14 में आते-आते जो पीरियड मेरे पूर्ववर्ती भाइयों की सरकार का रहा, 2 लाख 05 हजार 994 करोड़ रुपये खर्च हुए।

छह करोड़ से घट कर दो करोड़ हो गये। इसमें जिन परिवारों को रोजगार मिला, वह 4 लाख 46 हजार परिवारों को मिला। तो यह महानरेगा का जो इम्प्लीमेंट होना चाहिए था, जो प्रभावी रूप से उसका कार्य होना चाहिए था, वह कार्य बिलकुल नहीं हुआ। उसके स्थान पर आप देखें। 2006, 2007, 2008 में, वह पूरा प्रभावी कार्य हुआ। जितना पैसा खर्च होना चाहिए था, उतना पैसा खर्च हुआ। जितने परिवारों को रोजगार मिलना चाहिए था, उतने परिवारों को रोजगार मिला। इसलिये हिन्दुस्तान में राजस्थान प्रथम श्रेणी में आया। इतना ही नहीं, सौ रुपये मजदूरी का जो औसत था। उस वक्त 88 रुपये का औसत आया। जब 183 रुपये की मजदूरी की गई, तब 106 रुपये की मजदूरी मिली। इससे यह बखूबी पता लगता है कि राजस्थान में इस योजना का पिछले पांच साल के कार्यकाल के दौरान न तो कोई विकास कार्य के नाम में हुआ, न कोई इम्प्लीमेंट हुआ, न कोई मजदूरी मिली और सब खर्चा ही होता गया। इतना ही देखें, अभी मेरे प्रतिपक्ष के साथी ने यह कहा भी था कि जिन कलक्टरों ने इस महानरेगा की राशि का उपयोग अपने घर पर फर्नीचर लगाने में, अपने दफ्तर में ट्यूबलाइट और कुर्सी लगाने में, अपने कार के टायर बदलवाने में, और ऐसी चीजों में जो खर्च किया है, उसकी जांच होनी चाहिए। मैं तीन लाइनें आपके सामने पढ़ूं। मेरे जिले से सम्बन्धित विषय है। जोधपुर कलक्टर ने निवास स्थान के और दफ्तर में फर्नीचर के करीब 66 लाख खर्च कर दिये। यह 66 लाख है, पर हमने पता किया था तो 75 लाख रुपये महानरेगा की राशि का खर्चा अपने घर पर और अपने दफ्तर में कर दिया। इतना ही नहीं, स्थापना दिवस पर, और किसी में, जब मेहमान आये, उनके खर्चों पर, तो ऐसे कर-कराकर उन्होंने कितने ही करोड़ रुपये खर्च किये

(श्री जोगाराम पटेल)

हैं, वह महानरेगा का रुपया जो था, वह उन्होंने उसमें खर्च नहीं करके दूसरी विलासिताओं की चीजों की तरफ खर्च कर दिया। वह भी अपने दफ्तर में, घर में, स्थापना दिवस पर, ऐसी चीजों पर खर्च किया। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि ऐसे जो फिजूलखर्ची की गई है, उसकी तो जांच होनी चाहिए। सम्बन्धित अधिकारी जो दोषी हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। इतना ही नहीं, अगर आप इंडिया के परिप्रेक्ष्य में या बाहर के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो 24 अप्रैल, 2013 को लोक सभा में कैग की जो रिपोर्ट पेश हुई है, उसमें चौंकाने वाले तथ्य सामने आये हैं। उन्होंने यह कहा है कि 4.33 लाख जाब कार्ड तो सात राज्यों को बिना फोटो लगे हुए मिले हैं। सात राज्यों में 4.33 लाख जाब कार्ड बिना फोटो के मिले हैं। 47.6687 से अधिक मामलों में लाभार्थियों को न तो रोजगार मिला और न ही बेरोजगारी भत्ता मिला। कितना बड़ा घोटाला हुआ होगा। आप अनुमान लगायें। इतना ही नहीं, 23 राज्यों में लाभार्थियों को रोजगार तो मिला, पर मजदूरी नहीं, कहीं भी मजदूरी मिली तो विलम्ब से। नाम लिख दिया, पेमेण्ट हो गया, आधा पेमेण्ट किसी ने लिया होगा, आधा पेमेण्ट किसी ने लिया होगा, उस बेचारे के नाम से पेमेण्ट उठ गया। 60 फीसदी मजदूरी और 40 फीसदी निर्माण सामग्री के लिये आबंटित धन का खर्चा, उसके अनुपात की पालना नहीं हुई। 1960.45 करोड़ रुपये, जो 2011 में जारी हुए थे, उनका आज दिन तक कोई हिसाब नहीं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

थोड़ा-सा, दस मिनट टाइम लूंगा। मैंने पहले ही कहा था कि यह ग्रामीण परिप्रेक्ष्य का विषय है, थोड़ा समय दें आप। थोड़ी आप उदारता बरतें।

श्री सभापति: दस मिनट आलरेडी आपके हो गये हैं। पांच मिनट में समाप्त करें।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): पांच मिनट में पूरा कर दूंगा।

ऐसे करके 2011 में जो धनराशि की है, उसकी कई शर्तों का उल्लंघन किया गया है। इतना ही नहीं, माननीय सभापति महोदया, महानरेगा का धीरे-धीरे ह्रास इतना हो गया है कि आज हमारे गांव में बैठा हर काश्तकार और हर उद्योग चलाने वाला यह कहता है कि इसने हमको बर्बाद कर दिया। खेत में मजदूर नहीं मिलता है, फैक्टरी में मजदूर नहीं मिलता है। यह तो धन्य है बिहार का, हमारे पश्चिमी राजस्थान में तो मैं कम से कम कह सकता हूं कि बिहार का मजदूर वर्ग आया हुआ है, उसकी वजह से उद्योग चल रहा है, या

(श्री जोगाराम पटेल)

खेती का काम हो रहा है। सब माननीय सदस्य, जितने भी बैठे हैं, सब मन में जानते हैं कि इसकी वजह से हमारे उद्योग और हमारे खेती पर कुप्रभाव पड़ता है। इसलिये मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि हम अगर फैक्टरी एक्ट में संशोधन कर सकते हैं, कांट्रेक्ट एक्ट में संशोधन कर सकते हैं तो क्यों नहीं हम महानरेगा एक्ट में भी संशोधन कर ऐसी कोई योजना बनायें कि हमारा यह महानेरगा का कार्य है, वह किसी उद्योग और खेती के साथ जोड़ करके उसको उपयोग में लिया जाए। उसको मजदूरी मिल जाएगी, उसको रोजगार मिल जाएगा। काश्तकार को मजदूर मिल जाएगा, फैक्टरी वाले को मजदूर मिल जाएगा और उसको पूरी मजदूरी भी मिलेगी और उसके मस्तिष्क में एक बात आएगी कि मुझे स्वावलम्बी बनना है, मुझे काम करके पैसा लेना है।

दूसरा मेरा निवेदन है, माननीय सभापति महोदय कि एक हमने जोधपुर जिला परिषद में निर्णय लिया है कि यह महानरेगा का जो काम है, ग्रामीण क्षेत्र में सफाई व्यवस्था करने वाली कोई संस्था नहीं है, न उसका कोई पैसा आता है, न सरपंच, ग्राम पंचायतें उसको मेन्टेन कर पाती हैं। क्यों न हम इसको उस सफाई व्यवस्था के साथ भी एक मस्टर-रोल दे दें, दो मस्टर-रोल दे दें। साल में दे दिया, छह महीने में दे दिया। जो पी.एच.ई.डी. है, इस पी.एच.ई.डी. को लीकेज निकालने में बहुत ज्यादा प्राब्लम होती है। रोज आता है हमारे पास कि मैन पावर नहीं है, हमारे पास मैन पावर नहीं है। क्यों नहीं, हम इस महानरेगा के कार्य को भी पी.एच.ई.डी. को भी दे दें। क्यों नहीं हम बिजली विभाग की कम्पनियों को भी दे दें। उनका जो रोज का मैन पावर नहीं होने की डिमाण्ड होती है, इधर रोजगार मिल गया और इधर उनको मजदूर मिल गया। तो मैन पावर भी मिल गया और मजदूर भी मिल गया। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस बारे में भी माननीय मंत्री महोदय विचार करें।

ग्रामीण क्षेत्र में जो आजकल प्राब्लम आ रही है, जो प्रैक्टिकल प्राब्लम आ रही है, वह यह कि यह जो मैटेरियल कम्पोनेंट और मजदूरी का अनुपात है, इसकी वजह से काम बहुत रुक रहे हैं। आज की तारीख में सभी के पास बहुत मजबूरी होगी, सरपंचों के पास कि मैटेरियल कम्पोनेंट और मजदूरी का मिलता नहीं है, मजदूरी तो मजदूर करते नहीं हैं। वह जे.सी.बी. से काम कराता है फिर फर्जी मस्टर-रोल भरता है। इसलिये इस सम्बन्ध में भी मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि वे कोई न कोई विचार करें।

(श्री जोगाराम पटेल)

दो चीजें मैं विशेष रूप से निवेदन करना चाहूंगा और विशेषकर आपसे निवेदन करना चाहूंगा, सभापति महोदय। हमारे जब 2005 में, शायद 2005 में नहीं होंगे, एक संशोधन किया गया हिन्दू सक्सेशन एक्ट में पार्लियामेंट में। हम उसका स्वागत करते हैं। चूंकि हिन्दू सक्सेशन एक्ट में संशोधन किया गया, वह स्वागत योग्य है। उसके बाद यह कहा गया कि बेटा और बेटी को बराबर का अधिकार है। यह बहुत स्वागत योग्य है। लेकिन इसका एक बड़ा नुकसान हमारे राजस्थान में, एक लिटिगेशन बढ़ाने का बहुत बड़ा नुकसान हो गया। करीब-करीब जो ग्रामीण परिवेश से जो हमारे माननीय सदस्य आते हैं, उनको बराबर है। राजस्थान टीनेन्सी एक्ट का सैक्शन 40 है, वह यह कहता है कि जो काश्तकारी के अधिकार हैं, वे उत्तराधिकार में मिलेंगे। वे उत्तराधिकार में मिलने वाले इस अधिकार का दुरुपयोग होने लगा और आज की तारीख में इतना अधिक दुरुपयोग होने लगा है कि रोज अदालतों में कम से कम दस प्रतिशत से बढ़ करके आज की तारीख में नब्बे प्रतिशत जो मुकदमे बढ़ गये, वे सिर्फ इस बात के बढ़ गये हैं। कोई मेरी दादीजी 85 साल की हैं। उसके भी नाम से ले जाकर के कि मेरा मेरे पिताजी की सम्पत्ति में हक है। कोई मेरी बहन 60 साल की है, वह अपने परिवार के साथ आराम से वहां रह रही है। उसको कोई तकलीफ नहीं है। पर उसका कोई अंगूठा या दस्तख्त करवा कर लिटिगेशन बढ़ाया जा रहा है। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि इस बारे में विचार किया जाए। मैं यह नहीं कहता कि हिन्दू सक्सेशन एक्ट में जो संशोधन किया गया है, वह गलत है। सभी लोग, अब कालूरामजी भी तालियां बजा रहे हैं कि यह बहुत अच्छी बात है। ये टाइम के लिये भी बजा रहे हैं। (व्यवधान) मेरा यह निवेदन है, किसी भी माननीय सदस्य से आप पूछ लें। यह एक बहुत गम्भीर विषय है। इस विषय में हम सब को निर्णय करना चाहिए। न कोई पक्ष है, न कोई विपक्ष है। हमारे राजस्थान में आप अगर आंकड़ें दें। 2005 के बाद में 2012-13 तक अगर आंकड़ें लेंगे तो 90 प्रतिशत जो मुकदमे हैं, वे इसी बात के बढ़ गये। क्योंकि किसी मां या बहन के नाम से कर दिया। हम यह मानते हैं कि वह बेटी के रूप में ले, आराम से लें। वह बहन के रूप में लें, आराम से लें। वह मां के रूप में लें, आराम से लें। वह बहू के रूप में लें, आराम से लें। लेकिन चारों ही कैटेगिरी में एक साथ लेवें तो विचार करने का विषय होता है। जो मेरी बहन या जो मेरी बेटी ससुराल में है, आराम से रह रही है, परिवार के साथ रह रही है और सिर्फ

(श्री जोगाराम पटेल)

किसी न किसी राजनीतिक कारण से या और कोई परिवार में मनमुटाव की वजह से वह इस तरह से मुकदमे कर देती है, इसलिये मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करुंगा कि हिन्दू सक्सेशन एक्ट सैक्शन 40 में संशोधन कर यह करना चाहिए कि जो बहन या बेटी विवाहित है, अपने परिवार के साथ रहती है, वह क्लेम...। दो मिनट, सिर्फ दो मिनट।

श्री सभापति: रिपीट मत करिये, आप। हो गया इश्यू। दूसरों को भी बोलना है।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): बस, नहीं करूंगा। वह रहती है, उसको नहीं मिलना चाहिए।

अगला जो है, सबसे इम्पोर्टेण्ट और, यह म्यूटेशन प्रणाली की नाम की जो बीमारी है, इसको खत्म करना चाहिए राजस्थान में। आज की तारीख में रजिस्ट्रेशन पूरा आनलाइन है। इधर आपकी रजिस्ट्री कराई, इधर पटवारी को पता लग जाता है, तहसीलदार को पता लग जाता है कि फलां प्रापर्टी, फलां को बेच दी है। फलां एग्रीकल्चर लैण्ड फलां आदमी को बेच दी है। उसके बाद यह म्यूटेशन क्यों है? यह म्यूटेशन ही भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी जड़ है। मेरा निवेदन यह है, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करुंगा कि ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज्यादा अगर कोई लूट का साधन है तो यह म्यूटेशन है। इस म्यूटेशन प्रणाली को ही खतम कर देना चाहिए। मेरा निवेदन यह है कि अगर यह म्यूटेशन प्रणाली खतम हो जाएगी, क्योंकि सारा आनलाइन हो गया है तो इससे भी ग्रामीण जनता को बहुत फायदा मिलेगा।

श्री पब्बाराम (फलौदी): जोगारामजी, आप वकालत छोड़ना चाहते हो क्या?

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): वकालत छोड़ना चाहता हूं यह विषय यह नहीं है। ग्रामीण जनता के फायदे की बात होनी चाहिए, यह मेरा निवेदन है। हो सकता है कि मेरा व्यक्तिगत यह हो पर...(व्यवधान)

श्री सभापति: समाप्त करिये।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): लेकिन आखिर में बस एक मिनट ही लूंगा और मेरा यह भी निवेदन है माननीय मंत्री महोदय से कि पटवार सर्किल को आप इक्वल करें, ग्राम सर्किल से पंचायत समिति के सर्किल को इक्वल करें, तहसील के सर्किल से और जिले को या इस तरह से तहसील को इक्वल

(श्री जोगाराम पटेल)

करें, एक विधान सभा क्षेत्र से ताकि आज की तारीख में कई ऐसे मामले हैं, जिसमें तीन विधान सभा क्षेत्र लगते हैं जबकि पंचायत समिति एक है। कई पंचायतें एक हैं। मेरे पास ही पंचायत है जिसमें तीन एम.एल.ए. लगते हैं उस पंचायत में। एक गांव इसमें रह गया, एक गांव इसमें रह गया, एक गांव इसमें रह गया। तो इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है और अंत में माननीय सभापति महोदया, ...(व्यवधान)

श्री सभापति: हो गया अब अंत। अब आप बैठ जाएं।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय सभापति महोदया, एक लाइन ही। माननीय मंत्री महोदय, जो स्टाम्प ड्यूटी का पैसा ग्राम पंचायतों को मिल रहा है वह आज दिन तक ग्राम पंचायतों को नहीं दिया गया है। वह पैसा आज भी वहां पर ही पड़ा है जिससे ग्राम पंचायतों का विकास नहीं हो रहा है इसलिए ग्राम पंचायतों का विकास करना है, आधारभूत विकास करना है, ग्रामीण क्षेत्र का विकास करना है तो उनका जो पैसा आया है उनको समय पर मिले और उनके सम्बन्ध में इस पंचायत अधिनियम का कोई ट्रेनिंग सेंटर भी ग्राम पंचायतों और ग्राम सेवकों का होना चाहिए। उनकी कभी कोई ट्रेनिंग नहीं होती है। वे बन कर आ गये उनको पता नहीं है।

श्री सभापति: टोडाभीम से आने वाले माननीय सदस्य श्री घनश्यामजी।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार।

सुश्री कीर्तिकुमारी (माण्डलगढ़): माननीय सदस्य जोगारामजी ने जो बात कही है उस पर मैं कुछ कहना चाहती हूं।

श्री सभापति: बाद में।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): माननीय सभापति महोदया, आपको तहे-दिल से धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे मांग संख्या-28-ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम, 49-स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और समनुदेशन एवं 50-ग्रामीण रोजगार पर बोलने का मौका दिया।

माननीय सभापति महोदया, पंचायती राज व्यवस्था को सर्वप्रथम हमारे देश में प्रथम प्रधान मंत्री स्वर्गीय श्री जवाहर लाल नेहरू द्वारा 02 अक्टूबर, 1959 को राजस्थान की पावन धरती नागौर से प्रारम्भ किया गया।

(श्री घनश्याम)

नेहरूजी का सपना था कि राजस्थान पिछड़ा प्रदेश है, जहां कि अधिकतर जनसंख्या का मुख्य धंधा खेती और पशुपालन है, जिस पर पूर्णतया निर्भर है, जिससे कि उसका जीवन स्तर प्रदेश में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से ऊंचा उठाया जा सके।

माननीय सभापति महोदया, ग्रामीण क्षेत्रों में केन्द्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा और प्रतिपादित समस्त योजनाओं का क्रियान्वयन, गांव का विकास, पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से आम दूर-दराज की ग्रामीण जनता तक पहुंचाने का मुख्य उद्देश्य रहा है।

माननीय सभापति महोदया, प्रदेश में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सरकार द्वारा 2010 में प्रथम चरण में प्रदेश की ग्रामीण जनता को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से प्रारम्भिक चिकित्सा, कृषि, सामाजिक न्याय, महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से विभिन्न योजनाएं लागू कर इनके क्रियान्वयन हेतु उप समिति का गठन किया गया। जिसका मुख्य उद्देश्य प्रदेश की ग्रामीण जनता को प्रचार-प्रसार के माध्यम से जागरूक कर लाभ पहुंचाने का था।

माननीय सभापति महोदया, भारत सरकार वर्ष 2006-07 में पिछड़े क्षेत्रों में आर्थिक विकास हेतु पिछड़ा अनुदान कोष का कार्यक्रम आरम्भ किया गया जिसमें प्रदेश के 13 जिलों को सम्मिलित किया गया। सरकार द्वारा इन योजनाओं के तहत विकास कोष में शत-प्रतिशत राशि अनुदान के रूप में उपलब्ध करवायी गयी। 2013-14 में इस कार्यक्रम के तहत 1484.33 करोड़ की राशि उपलब्ध करवायी गयी थी। जिसका करीब 93 प्रतिशत उपयोग ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत पिछली सरकार द्वारा किया गया जबकि माननीय सभापति महोदया, आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदया का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि यह राशि अब आपकी सरकार में, सरकार आने के बाद वित्तीय वर्ष 2014-15 में घटाकर ग्रामीण विकास योजना के मद में मात्र 335 करोड़ रुपए कर दी गई है।

माननीय सभापति महोदया, पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा वर्ष 2007-08 में सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम के तहत सरकार द्वारा निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना चलाई गयी। जिसे बढ़ावा देने हेतु वर्तमान सरकार द्वारा बजट का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। इस क्रम में माननीय सभापति महोदया, गत

(श्री घनश्याम)

सरकार में हमारे पूर्व मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत द्वारा ग्रामीण विकास हेतु अनेक योजनाओं को प्रारम्भ किया गया। हमारी सरकार द्वारा 2013-14 में जिला परिषदों के माध्यम से निर्मित होने वाली जन-सुविधाओं के भवनों में 941 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था जबकि सरकार बदलते ही वर्तमान सरकार ने इसमें 2014-15 में इस योजना के अन्तर्गत राशि को घटा कर 235 लाख रुपए का प्रावधान किया है जिससे साफ जाहिर होता है कि सरकार इस सम्बन्ध में कोई ध्यान नहीं देना चाहती।

हमारी सरकार के यशस्वी मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत द्वारा पंचायतों को सशक्त बनाने की दृष्टि से गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों, घुमक्कड़ों, भेड़-पालकों को नि:शुल्क भूखण्ड आबंटित करने की योजना चलाई गयी थी परन्तु वर्तमान सरकार की बजट घोषणा में ऐसे परिवारों के लिए कोई विशेष योजना का प्रावधान नहीं रखा गया है।

माननीय सभापति महोदया, एक सुझाव आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को देना चाहता हूं कि आज प्रदेश में प्रधान, जिला प्रमुखों के चुनाव पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्यों के माध्यम से किये जाते हैं। जिससे इस चुनाव में भारी खरीद-फरोख्त की शिकायतें आती रहती हैं। इन चुनावों को डाइरेक्ट जनता के द्वारा किया जाना चाहिए।

जहां तक नरेगा का सवाल है पिछले छह माह में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। नरेगा का मजदूर दर-दर की ठोकरें खा रहा है। उनकी मेहनत का, मजदूरी का पैसा नहीं मिल रहा है।

माननीय सभापति महोदया, आपने जो समय दिया इसके लिए तो बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं और निवेदन है कि गांवों में जल ग्रहण योजना भी आपने लागू की है उसमें भी बहुत सारी विसंगतियां पैदा हो रही हैं। जल ग्रहण योजना में एक कमेटी बनाई जाती है। वह कमेटी ग्राम पंचायतों के माध्यम से काम करती है। उसमें सरपंच अपनी बात रखता है और उसकी कमेटी के अध्यक्ष अपनी बात रखता है और जो उसमें जे.ईएन. होता है, वह अपनी बात चलाता है तो उसमें 75 परसेंट पैसा तो और अन्य मदों में खर्च कर दिया जाता है। जैसे- ट्यूर प्रोग्राम है, जैसे कोई अपने खाद बनाते हैं या कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम है, वे गांव स्तर पर होते ही नहीं हैं। वे ऐसे ही बिल-वाउचर बना-बना कर पेश कर दिये जाते हैं और उन योजनाओं का कोई लाभ नहीं

(श्री घनश्याम)

मिल रहा है। 25 परसेंट पैसा जो जल ग्रहण में कुंडे बनाने का है तो उसमें भी थोड़ा-बहुत काम ऐसे ही कराके उसको निपटा दिया जाता है।

जल ग्रहण योजना का काम अच्छा है। हमारे एक पर्टिकूलर एरिया है जिसे माड बोलते हैं। माड में जमीन में नीचे पानी नहीं जाता है और कुंडे बना-बना कर किसान उस पानी को इकट्ठा कर लेते हैं। पम्प के द्वारा उस पानी से सिंचाई कर गेहूं और सरसों पैदा की जाती है।

जहां तक सोलर पम्प का सवाल है तो सोलर पम्प का, इसमें ग्रामीण विकास के लिए इनका ज्यादा से ज्यादा टार्गेट सरकार को देना चाहिए। इससे सोलर पम्प से लाइट की भी जरूरत नहीं पड़ती है और किसान मर्जी आये जब अपने खेत में पिलाई कर सकता है। सोलर पम्प का एक फायदा और भी है कि गवर्नमेंट 86 परसेंट अनुदान देती है तो किसान पर ज्यादा व्यय-भार भी नहीं पड़ता है। थोड़ा-बहुत पैसा अपना किसान अपनी जेब से लगा कर, उन सोलर पम्प्स से बहुत सारा फायदा किसानों को हो रहा है पर उसमें बहुत ही कम टार्गेट सरकार की तरफ से दिए जाते हैं।

किसानों के लिए जो कच्चे होद बनाये जाते हैं उसके भी टार्गेट बढ़ाये जाने चाहिए और अनुदान राशि जो 60 हजार रुपए प्रति किसान मिलती है उसको एक लाख रुपए की जानी चाहिए। यह मेरा आपसे अनुरोध है और माननीय मंत्री महोदय मेरा निवेदन है कि नरेगा में जो पैसा लगाया जा रहा है वह नरेगा के थ्रू भी उन कुंडों में उनका टार्गेट बढ़ायें और किसानों को उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: माननीया सदस्या सुश्री कीर्ति कुमारी।

सुश्री कीर्तिकुमारी (माण्डलगढ़): माननीय सभापति महोदया, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय और सदन को बताना चाहूंगी कि लूणी से आने वाले माननीय विधायक ने अभी जो विचार व्यक्त किए उसका मैं कठोर शब्दों में असमर्थन करती हूं।

आज पुश्तैनी जमीन में जो पुत्र और पुत्री को बराबर हक है, वह होना ही चाहिए। देखिए, हम महिलाएं बहुत समझदार हैं, बहुत संवेदनशील हैं। हम अपने परिवार के प्रति जागरूक और कर्तव्य भी ज्यादा निभाती हैं। हमको पता है कि जब भाई गरीब है तो हम स्वयं वैसे ही रिलीज कर देती हैं प्रोपर्टी। पर

(सुश्री कीर्तिकुमारी)

हम महिलाओं को आज के जमाने में कितनी परेशानियां देखनी पड़ रही हैं माननीय सभापति महोदया, मैं आपसे निवेदन करूंगी कि महिलाओं का हक तो बराबर मिलना ही चाहिए।

आज हमारे प्रदेश की यशस्वी मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजेजी सिंधिया हैं, जो महिलाओं के लिए इतने विचार रखती हैं और हमारे माननीय सदस्य ने तो यह बोल दिया कि महिलाओं को, पुत्री को, या बहन-बेटी को हक नहीं मिलना चाहिये। मेरा आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है...

श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर): माननीय सभापति महोदय, हक तो मिलना चाहिये, लेकिन एक जगह ही मिलना चाहिये, दो जगह नहीं मिलना चाहिये।

श्री सभापति: माननीय, बैठिये आप। हो गया।

सुश्री कीर्तिकुमारी (माण्डलगढ़): आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, सभापति महोदय।

श्री सभापति: माननीय सदस्य शुभकरणजी चौधरी।

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): माननीय सभापति महोदय, काफी देर से ग्रामीण विकास और ग्रामीण रोजगार के विषय पर चर्चा हो रही है। कुछ साथी कह रहे हैं हमारे नेताओं ने यह काम शुरू किया, कुछ कह रहे हैं हमारी यह विडम्बनाएं हैं। चार घंटे से जितनी देर से इस बात पर विचार-मंथन हुआ, सभापति महोदय, मैंने अपने विचार और निजी जानकारी के अनुसार इस बात का फैसला किया और इस बात को जब कन्क्लूड किया, तो सामने एक ही बात आई कि इतने 65 साल के प्रजातंत्र में जिस आधार पर प्रजातंत्र का गठन किया गया, कहीं न कहीं हम लोग किसी ऐसी मानसिकता से ग्रसित हैं कि जो भी कोई व्यक्ति ओहदे पर जाकर बैठता है, कभी कोई कहता है कि सारा मसला ब्यूरोक्रेट्स को हल करना चाहिये। कोई कहता है जन प्रतिनिधि को हल करना चाहिये और सारी समस्या की जड़ यह सामने आती है कि जब तक आप इसका कोई आधारभूत फैसला करेंगे, प्रजातंत्र का मान और सम्मान जब तक आप करेंगे नहीं, कि जब जनता किसी को चुन कर भेजती है, फैसला उसको करना चाहिये या जिस प्रकार जोगारामजी अभी कह रहे थे कि कलक्टर ने 70 लाख रुपये का घपला कर दिया और अपने आफिस में फर्नीचर खरीद लिया।

(श्री शुभकरण चौधरी)

माननीय डोटासराजी कह रहे थे कि हमारी सरकार ने नरेगा का काम शुरू किया। पता नहीं हमारी क्या-क्या मंशाएं थीं। मैं तो 1947 से लेकर आज तक, सभापति महोदया जितनी योजनाएं बनी हैं, किसी भी सरकार ने बनाई हो, मैं सारी योजनाओं का सम्मान करना चाहता हूं, करता भी हूं, बस मात्र तय यह करना चाहता हूं और आपके माध्यम से सरकार और मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि अपनी मंशा को स्पष्ट करो। जो कह रहे हैं, वह करो और करते हो, वह कहो। उसके बाद सारी योजनाएं सफल हैं।

आपके सामने बात रखना चाहता हूं सौर ऊर्जा के माध्यम से बहुत-सी लाइटें ग्राम पंचायतों में लगाई गई हैं। मुझे इस बात को कहने में कोई हिचक नहीं है कि उन सौर ऊर्जा की लाइटों में सरपंचों ने पांच-पांच हजार रुपये एक एक लाइट में कमीशन लिया है, इसके पीछे कारण क्या है? बी.डी.ओ. पैसा लेता है, जे.ईएन. पैसा लेता है, ए.ईएन. पैसा लेता है, कलक्टर अपने आफिस में फर्नीचर लगाता है। इसके पीछे वजह क्या है? पैसा चाहे नरेगा का हो, चाहे गांवों में सफाई का हो, चाहे सड़कें बनाने का हो, मंशा मात्र एक तय करो कि भ्रष्टाचार खतम होना चाहिये, यह कैसे हो, बात यह तय करो।

हमने पहले भी इस मुद्दे को बहुत बार उठाया है। पर मैं नहीं कहना चाहता, न कोई सारे अधिकारी भ्रष्ट होते हैं, न राजनेता कोई इस प्रकार के काम करने वाले होते हैं, पर जब तक आप इस पर अंकुश लगाएंगे नहीं, किसी एक विभाग को चाहे वह ब्यूरोक्रेट हो, चाहे जन-प्रतिनिधि हो, बेलगाम अगर आप छोड़ेंगे और आप इतना खुला छोड़ेंगे तो कहीं न कहीं भ्रष्टाचार जरूर होगा, इसमें कोई दोराय नहीं है। बरसों से यह चीज चलती आई है। उन लाइटों में भ्रष्टाचार नहीं होता तो पांच हजार रुपये ठेकेदार कहां से देता? आपके कामों में भ्रष्टाचार नहीं होगा तो सामग्री उपलब्ध कराने वाले लोगों को पैसा कहां से मिलता है? रोजाना एक ही बात आती है, ए.ईएन. ने पैसा लिया, जे.ईएन. ने पैसा लिया, बी.डी.ओ. ने पैसा लिया, ई.ओ. ने पैसा लिया, आखिर में वजह क्या है? कहीं न कहीं आप कमजोर हैं। मंशा स्पष्ट है नहीं, अगर मंशा स्पष्ट होगी तो आपको बताना चाहता हूं हम लोग भी जब योजना बनाते हैं, योजना बनी है, सिंगल पाइंट पी.एच.ई.डी. खुदवाएगी, बिजली बोर्ड तब कनेक्शन देगा जब सरपंच लिखेगा और सरपंच जब कनेक्शन देगा तो पूरे गांव से पूछेगा पानी पीना है तो बिल कौन देगा? जब हम योजना बनाने में ही भ्रष्टाचार कर रहे हैं, पहले ही झूठ का सहारा ले रहे हैं, सरपंच का प्रमाण पत्र

(श्री शुभकरण चौधरी)

लेंगे, फिर गांव के लोग भरेंगे तो फिर मंशा स्पष्ट हुई कहां? तय होना चाहिये आपको, सरकार को तय करना चाहिये, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं स्पष्ट रूप से आदेश निकलने चाहिये। ग्राम पंचायत पैसा देगी तो ग्राम पंचायत को बजट उपलब्ध कराया जाए। गांव के लोगों को पैसा देना है तो फिर तय किया जाए कौनसे मौहल्ले में सिंगल पाइंट खुदेगा, सीधा मौहल्ले को पैसा दो। इतना काम सरकार का यह हम करेंगे और बाकी आप जानो, आपका रख-रखाव जाने, आपका बिल जाने। फिर हजार पचड़ों में पड़ने की जरूरत नहीं है।

सभापति महोदय, मैं बड़े बेहिचक इस बात को कहना चाहता हूं सरकार जिस ट्यूबवैल को खुदवाती है, उसका खर्चा आता है तीन लाख रुपये। मैं जिस ट्यूबवैल को खुदवाता हूं, उसका खर्चा आता है डेढ़ लाख रुपये। फिर डेढ़ लाख रुपये से ज्यादा खर्च करने की जरूरत कहां है? सीधा का सीधा उस गांव में ले-जाकर डेढ़ लाख रुपया दिया जाए। यह रखी आपके वार्ड में एक सिंगल पाइंट स्वीकृत हुआ है, बताइये, ठेकेदार लाइये कितने रुपये में खुदेगा, डेढ़ लाख में खुदेगा। यह डेढ़ लाख रुपये की राशि आप जानो, आपका रखरखाव जाने, आपका बिल जाने। जब ऐसा करना ही है तो फिर पहले से ही क्यों नहीं? कोई भी सरकार चाहे किसी भी समय रही हो, जब पहले से ही तीन लाख रुपये का काम करके डेढ़ लाख का भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो फिर अंकुश कहां से लगाएंगे?

माफ करना, सभापति महोदय, मैं प्रधान भी रहा हूं, मैंने पंचायत समिति भी सम्भाली है, मैंने बैंक भी सम्भाला है। हमने तय किया नवलगढ़ पंचायत समिति में, कि सिंगल पाइंट की कीमत, ठेकेदारों को बुलाओ, कितनी है? एक ठेकेदार ने कहा एक लाख 20 हजार रुपये। हमने एक लाख 20 हजार रुपये में सिंगल पाइंट खुदवाने की बात की। तीन-चार महीने काम चला और लास्ट में बी.डी.ओ. ने और सबने मिलकर हमें भी समय कम मिला, वही सरकारों के टेण्डर हो रहे हैं। पता कर लीजिये पी.ए.इ.डी. में सिंगल पाइंट के टेण्डर की कीमत क्या है? तीन लाख, साढ़े तीन लाख रुपये, ऐसा क्यों? जब पहले से ही अंदेशा इस बात का कर लेते हैं कि ऐसा होगा तो फिर भ्रष्टाचार को कौन रोकेगा? फिर इन कामों पर अंकुश कौन करेगा?

मैं जोगारामजी की बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं। बातें तो करने की

(श्री शुभकरण चौधरी)

हिम्मत नहीं हो रही, क्योंकि हमारी एक चुनी हुई बहन ने कहा है कि महिलाओं का हक मारा जा रहा है। उन बहनजी को यह पता नहीं कि हक इस बात का नहीं मारा जा रहा, हम बात यह कह रहे थे कि पिता की पुत्री को अधिकार तब तो मिले जब ससुराल में कोई व्यवस्था ना हो, पर दो-दो घरों का नहीं मिलना चाहिये बहनों, इतनी बड़ी बात तो मत करो। पर फिर भी कोई बात नहीं, मैं इस बात को आगे यहां बढ़ाना चाहता हूं, सभापति महोदया, एक मंदिर माफी नाम की जमीनों का मामला है। राजस्थान में यह समस्या है, सभापति महोदया, और मंत्री महोदय से बताना चाहता हूं कि कौनसा भगवान आकर खेती करता है। किस बात की मंदिर माफी? बरसों पहले मंदिर माफी इसलिए हुई थी कि लोग मंदिरों की पूजा करवाना चाहते थे, लोग उनमें पूजा करना नहीं चाहते तो तय किया पुजारी के परिवार का पेट पालने के लिये थोड़ी जमीन रख दी जाए। उस टाइम जमीनें बहुत उपलब्ध थीं। सभापति महोदया, बरसों से सैकड़ों बीघा जमीनों पर किसान काश्त करता है, काबिज है पर लोन नहीं ले सकता। बिजली का कनेक्शन नहीं करा सकता। मकान बना हुआ है, आप ऋण नहीं ले सकते। फिर क्यों नहीं सरकार ऐसा प्रावधान करे कि जितनी मंदिर माफी की जमीनें हैं, जो कोई काश्त करता है, उसके नाम से होनी चाहिये और अगर भगवान आकर किसी जमाने में किसी को भरोसा है कि वह खेती करेंगे या पेट पालेंगे या किसी को आबाद करे, या किसी मंदिर में इस वजह से पूजा करेंगे कि मंदिर की जमीन से पूजा होगी तो वह फैसला करें वरना यह मंदिर माफी की जमीनें किसानों के नाम से होनी चाहिये।

सभापति महोदय, ग्राम पंचायतों के गठन के समय यह तय हुआ था कि ग्राम पंचायतें जब बनीं तो पंचायत समिति सदस्यों को बनाया गया, जिला परिषदों सदस्यों को बनाया गया। उनके बाद उनसे प्रमुख बनते हैं, प्रधान बनते हैं। आप भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। आप प्रमुख भी रही हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि पंचायत समिति मैम्बर और जिला परिषद का मैम्बर एक बार प्रधान को वोट देने के बाद, एक बार जिला प्रमुख को वोट देने के बाद किसी काम में आता है? है कोई सदन में ऐसा सदस्य, जो यह कह दे कि पंचायत समिति मैम्बर और जिला परिषद मैम्बर एक बार वोट देने के बाद कोई और काम करते हैं, तो फिर क्यों नहीं कोई ऐसा निर्णय होना चाहिये कि उनको भी विकास में भागीदारी में शामिल किया जाए। सरपंचों की तर्ज पर

(श्री शुभकरण चौधरी)

उनको कोई बजट दिया जाए और क्यों नहीं जब हमारे पास चुने हुए जन प्रतिनिधि दो लोगों को मिलाकर एक टीम बनाई जाए ताकि सरपंच भी भ्रष्टाचार न कर पाए और पंचायत समिति सदस्य भी यह न कहे कि मुझे कुछ नहीं मिला, मुझे विकास का मौका नहीं मिला और अगर ऐसा ही करना है तो फिर इस सिस्टम को बदलना चाहिए। प्रधानों के और जिला प्रमुखों के चुनाव किसी और तरीके से करने चाहिए, जैसे पहले होते थे और ऐसा नहीं करना चाहते तो फिर पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्यों को अधिकार मिलना चाहिये।

सभापति महोदय, हाल ही में सरकार पंचायत समितियों का पुनर्गठन कर रही है। इस पुनर्गठन में हमने तय किया है कि राजस्व ग्राम के टुकड़े नहीं होने चाहिये, विधान सभा क्षेत्र के टुकड़े नहीं होने चाहिये। मैं जिस विधान सभा से आता हूं, वहां नवलगढ़ पंचायत समिति में से 10 कि.मी. मेरे विधान सभा क्षेत्र के दो गांव ऐसे हैं जो नवलगढ़ पंचायत समिति के गांव हैं और मेरे विधान सभा क्षेत्र के दो गांव ऐसे हैं जो आठ किलोमीटर चल कर नवलगढ़ में जाते हैं, तो वह उसमें शामिल होते हैं। इसमें सरकार को कोई न कोई सरलीकरण करना चाहिये। मैं नहीं कहता आप विधान सभा क्षेत्र के टुकड़े करो। मैं मानता हूं चुनाव आयोग का इस पर प्रतिबन्ध है। पर सरकार को कोई इस प्रकार का एक दृढ़ निश्चय करना चाहिये कि इस प्रकार के एक-एक, दो-दो ग्राम या राजस्व ग्राम या पंचायतें, जो टुकड़े होकर भी मिलती हों और जनता को सहूलियत मिलती है, दोनों प्रकार के अधिकारियों से बात की जा सकती है, ग्राम के सरपंचों से पूछा जा सकता है। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) पर उससे थोड़ा सा सरलीकरण कर के और हमें इसमें रिलैक्स करना चाहिए ताकि ग्राम पंचायतों को ठीक तय किया जाए। (समय-समाप्ति सूचक घंटी) ...(व्यवधान)

ग्राम पंचायतों में और स्थानीय निकायों में अच्छी बात है, बहनजी ने दी है, कोई शिक्षा का स्तर तय होना चाहिए। आठवीं या दसवीं से कम पढ़े-लिखे लोग बहुत से सरपंच हैं। मेरे यहां एक सरपंच का मुकदमा लड़ते फिर रहे हैं हम, पट्टा जारी कर दिया और कहता है, साहब, मर गया, चार सौ बीसी का मुकदमा दर्ज हो गया, जेल जाने की स्थिति में है। मैंने कहा, कर

(श्री शुभकरण चौधरी)

क्यों दिया, बोला क्या बाप का सर कर दिया, मेरे से कहा तो मैंने अंगूठा लगा दिया। अब जब तक पढ़ना नहीं आता आप उनको ज्यूडीशियरी के अधिकार देते हैं। आप उनसे पट्टे करवाते हैं और चाहते यह हैं कि वह पूरा न्याय करे। अब ग्राम सेवक उसे जो कहता वह करवा लेता है।

सभापति महोदय, बातें तो बहुत ज्यादा हैं, समय आपके पास बहुत कम है पर इतना ही कहना चाहता हूं हमारे मंत्री महोदय चले गये, सरकार के और लोग बैठे हैं, राजेन्द्रजी राठौड़ बैठे हैं इसलिए जरूर कहूंगा, सभापति महोदय, आपके माध्यम से कि 'अब फैसला जो भी हो मन्जूर होना चाहिए, जंग हो कि इश्क हो भरपूर होना चाहिए, कट चुकी है उम्र इन हाथों को पत्थर तोड़ते', मंत्री महोदय, 'अब इन हाथों में कोहीनूर होना चाहिए।' अब ऐसा कोहीनूर किसान के हाथों में पैदा करो कि हम आपको दुआएं दें और किसान हमको छाती पीट कर कहें, अब की बार मैंने ऐसे 163 चुन कर भेजे जिन्होंने डोटासराजी की जुबान बंद कर दी। हमने अब की बार ऐसे चुन कर भेजे जिन्होंने मन्दिर माफी का हक दिला दिया, हमने अब की बार ऐसे चुन कर भेजे जिन्होंने ऐसा निर्णय कर दिया कि विपक्ष अब की बार तो बीस है, अब की बार दस में निपट जाए, मैं तो ऐसा करना चाहता हूं।

कुछ ऐसा फैसला करो और इनको बताओ ...(व्यवधान)

चिंता क्यों कर रहे हो, घनश्यामजी भाई साहब, हमको दुनिया ने बसा रखा है दिल में अपने। चिंता मत करो, हमको दुनिया ने बसा रखा है दिल में, हम किसी हाल में बेघर नहीं होने वाले, ये जो सूरज लिये फिरा करते हैं कंधों पर अपने, ये किसी हाल में राजेन्द्र राठौड़, गुलाबचन्द कटारिया नहीं होने वाले, ये मर भी जाएं तो ऐसा नहीं करने वाले।

अब आपका थोड़ा सा वक्त बचा है चार साल का, अब कहना चाहता हूं कि आपका गुजरा हुआ पांच साल का वक्त, भूल जाओ इस बात को और यकीन कर लो दोबारा वह लौट कर आपका वक्त नहीं आने वाला।

इसलिए निश्चिंत रहो और कुछ ऐसा करो कि यह जो बातें मैंने निवेदन की हैं, गांवों में कीचड़ की सफाई करने के लिए नालियां बनें, आधारभूत ढांचा बने। नरेगा की चर्चा हो रही थी, वाकई ही बहुत बड़ी बाते हैं, बहुत से सजेशन दे सकता था। टेण्डरों में कमी है, आपने जो अनुपात सामग्री और लेबर का किया है वह ठीक नहीं है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपने अपना विषय रख लिया सारा, विराजें।

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): बातें तो इतनी हैं कि आधे घंटे में पूरी नहीं हो सकती इसलिए बैठना ही पड़ेगा। एक बात और कहना चाहूंगा तो इतना ही बताना चाहता हूं कि अब जो हो रहा है उस पर थोड़ा सा अंकुश हो। इन दो बातों के साथ कहना चाहूंगा, राठौड़ साहब ने मुझे कहा कि आज मैं हूं इस बात का मंत्री इसलिए कहूंगा कि, राठौड़ साहब, नयी हवाओं की सोहबत बिगाड़ देती है, कबूतरों को खुली छत बिगाड़ देती है, जो जुर्म करते हैं वो इतने बुरे नहीं होते, जुर्म किया है लोगों ने पहले, 60 लाख की बात हो रही थी, 70 लाख की बात हो रही थी, पर जो जुर्म करते हैं इतने बुरे नहीं होते, सज़ा ना देकर उनको अदालत बिगाड़ देती है। इसलिए उनको सज़ा दो, उनका रास्ता साफ करो, चाहे जे.ईएन. हो, चाहे ए.ईएन. हो, चाहे कलक्टर हो, चाहे बी.डी.ओ. हो, सज़ा दोगे तो मंशा साफ कर लो, यह काम सुधर जायेगा और चाहे नरेगा हो, चाहे ग्रामीण रोजगार हो, चाहे पंचायत राज हो हम लोग ईमानदारी के साथ काम करेंगे और उनको सज़ा देंगे तो सामने रिजल्ट आएगा और गांवों का विकास होगा।

आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। राम राम साहब।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, श्री जीतमलजी खांट।

श्री जीतमल खांट (गढ़ी): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग संख्या-28, 40, 50 ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम, स्थानीय निकाय और पंचायत राज संस्थाओं को मुआवजा और समनुदेशन, ग्रामीण रोजगार पर चर्चा हो रही है।

माननीय सभापति महोदय, सभी माननीय सदस्यों ने अपने-अपने बहुमूल्य विचार इस सदन में पेश किये हैं मैं भी अपनी बात को जोड़ते हुए आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी का और सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

पंचायती राज व्यवस्था किसी समय इस धरती पर मानव जाति का प्रादुर्भाव हुआ उस आदि काल में भी कबीला रूप में रहना शुरू किया और पंचायती राज, यह पंच शब्द जो आया है उस कबीलों में रहने वाले लोगों ने अपनी-अपनी व्यवस्था, अपना-अपना रहने-सहने का ढंग था, उस जमाने से यह पंच शब्द की उत्पत्ति हुई है।

(श्री जीतमल खांट)

मैं आपके माध्यम से बिना कोई भूमिका के कहना चाहता हूं क्योंकि हमें लिमिट दे रखी है। हमारे देश की आजादी का जैसे ही समय प्राप्त हुआ महात्मा गांधीजी ने एक बात कही थी कि मेरा भारत गांवों में बसता है और उस गांव में रहने वाला, ढ़ाणी और मजरों में रहने वाला किसान, मजदूर, मध्यम वर्ग का आदमी, सबके सामने इनका एक ही सोपान था, दृष्टांत था कि गांव में रहने वाले व्यक्ति को मूलभूत साधन, सुविधाएं मिलनी चाहिए। देश में सबसे बड़ा भू-भाग गांवों का है और गांव में रहने वाले उस व्यक्ति का विकास होना चाहिए, गांव का विकास होना चाहिए, ढाणी और मजरों का विकास होना चाहिए। मुझे यह कहते हुए बड़ी खुशी है कि महात्मा गांधी के मुखारबिंद से निकला था कि देश में राम राज्य होना चाहिए, देश में ग्राम राज आना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, जिस ढंग से आज हम देख रहे हैं, पंचायती राज की व्यवस्था 2 अक्टूबर, 1959 को नागौर जिले के, देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने शुरूआत की। किसी समय पंचायतों को और पंचायतों के खजाने में कितना रुपया मिलता था, उस ग्राम पंचायत में कोई कल्पना नहीं कर सकते थे उस शुरूआती दौर में। आज हम उस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, प्रत्येक ग्राम पंचायत के खजाने में विभिन्न प्रकार की योजनाओं का लगभग-लगभग 70-80 लाख रुपया मिलता है।

माननीय सभापति महोदय, हमारे चुनाव हो जाने के बाद हमें जो प्रचण्ड बहुमत मिला। उस प्रचण्ड बहुमत के माध्यम से राजस्थान की जन-जन की प्रिय नेता वसुन्धराजी राजे सिंधिया के नेतृत्व में राजस्थान की सरकार बनी और सरकार बनाने के बाद में इन्होंने अपना एक विजन पूरे राजस्थान को पेश किया है। उसी के दरमियान हमारे पंचायती राज मंत्री सम्माननीय कटारिया साहब अपने पूरे जीवन का अनुभव लेकर के पंचायती राज व्यवस्थाओं में उनके नेतृत्व में पूरा राजस्थान, सबसे बड़ा महकमा है। मैं कहना चाहूंगा कि किसी समय हमें बहुत कम पैसा मिलता था। आज उस ग्राम पंचायत के अन्दर 70 और 80 लाख रुपया मिल रहा है। कटारिया साहब ने तो यहां तक कहा है कि आने वाले समय यानी इस वसुन्धराजी के राज में एक-एक ग्राम पंचायत में करोड़-करोड़, डेढ़-डेढ़ करोड़ रुपया मिलेगा। इस तरीके की उनकी सोच है।

(श्री जीतमल खांट)

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि आधारभूत सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान की सरकार के खजाने से उस ग्राम पंचायत में जो पैसा जा रहा है यह तो हमारे सब के लिए स्वागत योग्य बात है लेकिन जिस तरीके से पंचायती राज में घोटाले हो रहे हैं और उस घोटाले में जिस तरह से माननीय सदस्य जो अभी अपनी स्पीच दे रहे थे उसमें कहा कि यह सरपंच के बलबूते की बात नहीं है, यह वहां के सचिव के बलबूते की बात नहीं है इसमें बड़े-बड़े लोगों का हाथ है तब जाकर के इतना बड़ा घोटाला होता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस ग्राम राज के अन्दर, यह पंचायती राज नहीं यह ग्राम राज है और ग्राम राज का मतलब यही होता है कि किसी जमाने में दिल्ली से लगा कर जयपुर और जयपुर से लगा कर कलक्टर योजना को पास करता था। आज ग्राम पंचायतों के पास में करोड़, डेढ़ करोड़ रुपया आने के बाद में हमारी योजनाएं गांव से शुरू होती हैं।

ग्राम के लोग ग्राम सभा में तय करते हैं कि हमें इस ग्राम पंचायत में कौनसी योजना लागू करनी है। कौनसे कार्य हमें स्वीकृत करने हैं। आज हमें इतना बड़ा फंड मिल रहा है। हम उन फंड्स के माध्यम से सारी योजनाओं को मूर्त रुप दे रहे हैं। स्थिति क्या हो रही है कि ग्राम पंचायत का सरपंच, हो सकता है कि एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, लेकिन यह देखने में आया है कि पिछली बार जब सत्ता कांग्रेस की थी, अभी हमारे माननीय सदस्य नरेगा के बारे में कह रहे थे, नरेगा को बदनाम करने का काम किया है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि 2013 के अन्दर जितना भी नरेगा के माध्यम से काम हुआ। मैं मेरे जिले की बात बता रहा हूं। नरेगा के तहत 2013 के अन्दर जितना भी काम हुआ, जितना भी कच्चा वर्क था, सारे सरपंचों ने, सारे पंचायत समिति और जिला परिषदों तक सारा बोर्ड जिले से लगाकर गांव तक का कांग्रेस का था, सारे मजदूरों को साल भर के लिए कह दिया कि आपको रोजगार गारंटी का घर बैठे पैसा मिलेगा। आप तो मस्टर-रोल में अपना नाम भराओ और हाजिरी हम भर देंगे। साल भर तक पूरे बांसवाड़ा जिले के अन्दर कोई काम नहीं करवाया। खुले

(श्री जीतमल खांट)

आम भ्रष्टाचार किया गया। घर बैठे लोगों की आदत बिगाड़ने का काम इस कांग्रेस सरकार ने किया सिर्फ चुनाव को जीतने के लिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इस महानरेगा के विषय में एक बात कहना चाहूंगा, बांसवाड़ा जिले के अन्दर 6 सौ करोड़ रुपये से माही डैम का निर्माण हुआ। आज माही डैम के निर्माण से पूरा बांसवाड़ा ही नहीं, डूंगरपुर का हमारा आधा हिस्सा, सागवाड़ा भी सिंचित होता है। जहां एक तरफ 6 सौ करोड़ रुपयों में दोनों जिले सरसब्ज हो रहे हैं। वहीं इस महानरेगा में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि वागड़ में मनरेगा के एक अरब का हिसाब गोल है। नरेगा में वागड़ में वित्तीय वर्ष 2013-14 के एक अरब से अधिक की राशि का हिसाब-किताब नहीं है। सूबे में बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र समायोजन की यह राशि सर्वाधिक है। जिसे लेकर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विकास विभाग ने असंतोष जताया है। बांसवाड़ा जिले में 72 करोड़ रुपया व डूंगरपुर जिले के अन्दर 32 करोड़ रुपये की राशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र बकाया हैं। अब सरकार ने राशि समायोजन के लिए 31 जुलाई का समय देते हुए चेताया है कि इस अवधि तक प्रक्रिया नहीं अपनायी जाने पर जिले की सीए रिपोर्ट अस्वीकार की जाएगी। साथ ही केन्द्र सरकार की ओर से यह राशि सम्बन्धित जिले के पास उपलब्ध मानकर इसे कम कर आगामी निधि में जारी की जाएगी।

माननीय सभापति महोदय, यहीं तक नहीं जयपुर से पंचायती राज विभाग को पहले भी सख्ती के साथ में सरकार उपयोगिता प्रमाण-पत्र के मामले में पूर्व में भी आदेश कर चुकी है। कितनी बार? 31 मार्च, 30 अप्रैल, 14 मई, 12 जून, उसके बावजूद भी बांसवाड़ा जिले के अन्दर जो ढर्रा था, वह ज्यों की त्यों चल रहा है। जो लोग पंचायती राज व्यवस्था के अन्दर सीईओ से लगा कर बीडीओ हो, चाहे ए.ईएन. और जे.ईन. हो, एक स्थान पर 3-3, 4-4 सालों से बैठे हुए हैं। इनको तत्काल प्रभाव से वहां से हटा देना चाहिए और कहीं दूर बाड़मेर, बीकानेर की तरफ भेज देना चाहिए और बाड़मेर, बीकानेर के लोगों को बांसवाड़ा की तरफ भेज देना चाहिए। ताकि पता लगे कि भ्रष्टाचार करने में किस तरह का परिणाम सामने आता है और उनका क्या हश्र होता है।

माननीय सभापति महोदय, इतना ही नहीं, हमारे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं में रहने वाले लोग हम एक अधिकारी को 4 साल तक

(श्री जीतमल खांट)

एक जगह बैठाये रखते हैं, इनके सब तरीके के रिश्ते वहां के लोगों के साथ हो जाते हैं, इनका मेलजोल बढ़ जाता है। इससे इनको भ्रष्टाचार करने का अवसर मिलता है।

मानसीय सभापति महोदय, मैं ज्यादा कोई बात नहीं कहूंगा। मैं एक बात जरुर कहना चाहूंगा कि हमारा यह बहुत बड़ा सौभाग्य है कि पहली बार पंचायती राज का 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ और हमारे राजस्थान के अन्दर 33 प्रतिशत महिलाएं जिनको भैरोंसिहजी शेखावत के नेतृत्व में इन्होंने अपनी सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित की और तत्पश्चात् राजस्थान की आज जो मुख्य मंत्री हैं वसुंधरा राजे सिंधिया के नेतृत्व में 2003 में 50 परसेंट महिलाओं की सत्ता में पुन: भागीदारी करने का योगदान दिया। मैं उसी परिप्रेक्ष में कहना चाहूंगा कि हमारे राजस्थान में 2001 के अन्दर जिस ढंग से यहां पर राजस्थान पेशा कानून, 1996 और राजस्थान पेशा नियम, 2011 के संदर्भ में मैंने जनजाति उपयोजना क्षेत्र के अन्दर इस पेशा कानून को लागू कराने का था, यह पेशा कानून जो है, यह हमारा बहुत बड़ा अधिकार है। इस अधिकार के माध्यम से उस क्षेत्र के अन्दर पंचायत एक्सटेंशन ओवर शिड्यूल्ड एरियाज एक्ट, 1996 इसी राजस्थान की विधान सभा में पास किया हुआ है। लम्बा समय हो गया है। जब-जब भी राजस्थान के अन्दर सरकार चाहे भैरोंसिहजी शेखावत साहब की बनी हो, चाहे हमारी वसुंधरा राजेजी सिंधिया के नेतृत्व में बनी हो, उदयपुर डिवीजन के अन्दर यह कानून लागू होने के बाद में उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के जितने भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो छोटे-मोटे झगड़े होते हैं इस कानून के तहत अपने गांव में, ग्राम सभा बुला कर के मामले निपटा सकते हैं और पुलिस के शिकंजे से हम बाहर निकल सकते हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पेशा एक्ट हमारे दक्षिणी राजस्थान, उदयपुर सम्भाग के लिए बना है, 1996 में बना है। जिसको आज इतना समय हो गया है। मैं चाहूंगा कि इस पेशा एक्ट को बड़े प्रभावी ढंग से हमारे क्षेत्र में लागू करें। मैं इस अवसर पर एक-दो अपनी बात कहना चाहूंगा और मांग करता हूं कि रिवाल्विंग फंड लम्बे समय से, लोगों ने काम करना बंद कर दिया है, उस क्षेत्र में श्रम पेटे, सामग्री के पेटे जो पैसा मिलना था, वह नहीं मिल पा रहा है। साल-साल भर हो गया है। पंचायतों का जितना भी पक्का वर्क था वह अधूरा पड़ा है। मैं चाहूंगा कि यह रिवाल्विंग फंड अति शीघ्र जारी करें।

(श्री जीतमल खांट)

माननीय सभापति महोदय, साथ ही साथ, पिछली सरकार ने मुख्यमंत्री बीपीएल आवास योजना शुरू की, 2011, 2012 और 2013 में इसमें से 2011 का तो पैसा दे दिया, प्रथम किश्त, लेकिन 2012 और 2013 और 2014 की एक-एक किश्त मिलने के बाद में लाभार्थी को अभी तक पैसा नहीं मिला है। मैं चाहूंगा कि जिस गरीब ने अपना घर खोल दिया। अपनी छत ढकने के लिए उसके पास में पैसा नहीं है, उसने अपना खेत कहीं गिरवी रख दिया। अपने गहने गिरवी रख दिये। मुख्यमंत्री बीपीएल आवास योजनान्तर्गत जो भी पैसा बकाया है। वह शीघ्र जारी करें।

माननीय सभापति महोदय, आखिर में एक बात कह कर मैं मेरी बात समाप्त करना चाहूंगा कि उदयपुर डिवीजन ही नहीं, पूरे राजस्थान में बजरी पर और जो चुनाई का पत्थर है उसके ऊपर जो रोक लगी हुई है, पूरे क्षेत्र के अन्दर जितने भी भौतिक साधन हैं या भौतिक सुख-सुविधाएं हैं, जिनका हम दिन-रात उपयोग करते हैं। बजरी और खनन पर प्रतिबंध लगने के बाद में वहां इंस्पेक्टर राज आज चल रहा हे। मैं चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट का एक कानून है वहां पर इस तरह की कोई अड़चन आयी है। सरकार भी इस तरफ पहल करे और उस पूरे उदयपुर सम्भाग ही नहीं, पूरे राजस्थान में बजरी और खनन पर जो रोक लगी है, वह हटे और आम जनता के हित में काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ में मेरी समाप्त करता हूं। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: माननीय सदस्य श्री गुरजण्ट सिंहजी।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): एक मिनट, गुरजण्ट सिंहजी। सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय दो घंटे के लिए बढ़ाया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि क्या सदन का समय दो घंटे के लिए बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय दो घंटे के लिए बढ़ाया गया।

मांग संख्या 28, 49 व 50 पर विचार

श्री गुरजण्ट सिंह (सादुलशहर): माननीय सभापति महोदय, मैं आज मांग संख्या 28 ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम पर मंत्री महोदय और सदन को थोड़ी-बहुत जानकारी मेरे एरिया की दिलाना चाहता हूं। हमारी विधान सभा सादुलशहर और जिला गंगानगर की जितनी भी पंचायतें हैं उनके टेंडर सिस्टम के लिए, पंचायतों और पंचायत समिति के टेंडर के लिए क्योंकि वह पंचायत समिति बहुत बड़ी है। उसमें 45-46 पंचायतें हैं, उनके टेण्डर एक महीने बाद वहां जाते हैं क्योंकि सारे लोग उसमे देखते हैं। एक महीने बाद वह टेण्डर कैंसिल हो जाता है। या तो इस दौरान सीमेंट का रेट बढ़ जाता है या ईटों का रेट बढ़ जाता है। इस कारण जितनी भी पंचायत समितियां हैं वहां के सरपंच उस पैसों को वहां नहीं लगा सकते। कुछ ऐसी पंचायतें हैं जो पाकिस्तान के बोर्डर के साथ लगी हुई हैं, वहां पाकिस्तान से आए हुए लोग बसे हैं, शरणार्थी आकर बसे हुए हैं, वहां कम से कम गंगानगर की पंचायत समिति तो चालीस किलोमीटर दूर है।

मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि उन पंचायत समितियों की बीएसआर से क्रम कर दें तो सरपंच अधिक काम करवा लेंगे और उनको ज्यादा फायदा होगा। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जो पंचायतें बोर्डर के साथ लगी हुई हैं वहां हरिजन और पाकिस्तान से आये हुए लोग बसे हैं, ऐसी मेरे यहां कई पंचायतें हैं, कोठा, ओड़की, केरी, पक्की, फतही है, उन पंचायतों को प्रत्येक चीज की सुविधा मिले, वे लोग बोर्डर पर बैठे हैं, फौज की तरह मदद करते हैं, उनके मकान भी पक्के नहीं हैं, वहां स्कूल भी नहीं हैं, वहां के लोग साधन सम्पन्न भी नहीं हैं, वह अपने बच्चों को दूर पढ़ा नहीं सकते, गंगानगर चालीस किलोमीटर दूर पड़ता है। इसलिए वहां स्कूल खोला जाना चाहिए। मैं आदरणीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि उनको कुछ न कुछ बोनस देकर, कुछ नम्बर देकर उनको दूसरे बच्चों के बराबर करें क्योंकि वहां के बच्चे पढ़ कर मण्डी, शहर में पढ़े हुए बड़े लोगों के बच्चों का मुकाबला नहीं कर सकते।

माननीय सभापति महोदय, मेरा यह भी निवेदन है कि आदरणीय मुख्य मंत्रीजी हिन्दूमल कोट गई थीं, वे वहां के लोगों की हालत देखकर आई हैं, जो पाकिस्तान के बोर्डर पर रह रहे हैं। सारा हिन्दूमल कोट पिण्ड गांव ऐसा है कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान के बिलकुल पास सटा हुआ है। सरकार जब

(श्री गुरजण्ट सिंह)

भी बोर्डर खोले तो यहां पर भी राजस्थान-पाकिस्तान बोर्डर खोले इससे वहां के लोगों को सुविधा होगी। वहां बहुत से रायसिख, नायक और भील बहुत सारे वहां रहते हैं, उन लोगों की जो दशा है, वह खराब है, थोड़ी जमीन मिली है, मजदूरी करने के लिए कहीं बाहर जा नहीं सकते तो मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि उनको वहां रोजगार की सुविधा दी जाए।

माननीय सभापति महोदय, मेरा दूसरा निवेदन है कि सारी पंचायत समितियों में जेईएन की कमी है, वहां डिपार्टमेंट में कोई भी जेईएन नहीं है, वहां जेईएन पंचायती विभाग से रखें जाएं। जो जेईएन इर्रिगेशन विभाग में गये हैं, मेरे खयाल से उन्होंने वहां कुछ नहीं किया इससे वहां इर्रिगेशन में बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। पिछली सरकार ने मेरे विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर में पांच जेईएन और एक एसडीओ की पोस्ट है, एक भी पोस्ट पर नहीं लगाया, इससे बहुत सारा नुकसान हुआ है। मैं आपके माध्यम से सरकार को विनती करना चाहूंगा कि उनमें पंचायती राज में जेईएन लग जाएं, इर्रिगेशन में जो जेईएन हैं उनको छोड़ा जाए, दोनों तरफ से काम हो जाएगा। मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने बोलने का मौका दिया और मैं चाहूंगा कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही जिससे नुकसान हो, प्रत्येक सरपंच के खाते में कम से कम पन्द्रह लाख रुपये पड़े हैं, उनमें पक्के और कच्चे काम करवाये जाएं, वहां के लिए बीएसआर कम करवाई जाए, वहां के जेईएन और सैक्रेटरी की यह ड्यूटी है कि कोई अनियमितता हो तो उसको दूर करे और वहां काम करवाये, यही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं। जय हिन्द। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, प्रतापलालजी भील।

श्री प्रताप लाल भील (गोगुन्दा): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 28, 49, 50 पंचायती राज पर मुझे बोलने का जो मौका दिया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। आज हमारे राजस्थान में कुल 9177 ग्राम पंचायतें अपने क्षेत्र में सेवाएं दे रही हैं। इनके माध्यम से हमें मूलभूत सुविधाएं मिलती हैं, चाहे वह बिजली हो, शिक्षा हो, सड़क हो, पर्यावरण हो, महिला एवं बाल विकास परियोजना हो या जनहित के जो भी काम हैं वह हम सभी पंचायतों के द्वारा ही ग्रामीण क्षेत्र में सम्पन्न करवाते हैं।

हमारे पूर्व मुख्य मंत्री, स्वर्गीय भैरोंसिंहजी शेखावत एवं वर्तमान माननीय मुख्य मंत्रीजी, वसुन्धरा राजेजी ने पंचायतों को और मजबूत करने के लिए और सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व मिले, इसके लिए हमारे पिछड़े, एससी,

(श्री प्रताप लाल भील)

एसटी, ओबीसी, महिला, सभी को पंचायती राज से जोड़ने का जो अद्भुत कार्य किया है, इसके लिए भी मैं हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करता हूं। बाकी हमारे अभी सभी सदस्य बता रहे थे कि पंचायती राज में बहुत सारा पैसा आता है पर गांव में विकास का कोई कार्य नजर नहीं आता है तो इसका एक मूल कारण यह है कि जो अभी रोजगार गारंटी भी अपने क्षेत्र में चल रही है और उसमें जिस प्रकार से भ्रष्टाचार हो रहा है, पहले मस्टररोल से सरपंच एवं सचिव भुगतान करता था, सरकार ने देखा कि यह फर्जी मस्टररोल भर कर पेमेंट उठा लेते हैं उसके बाद सरकार ने उनके खाते के अनुसार भुगतान किया जाए यह व्यवस्था की तो वर्तमान स्थिति यह है कि भुगतान खाते द्वारा किया जाता है तो भी उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है। इसमें मिनी बैंक में जो व्यवस्थापक है, सरपंच, सचिव, सहायक सचिव और मेट मिल कर फर्जी मस्टररोल भर देते हैं और सारा जो भुगतान होता है वह सरपंच, सचिव मिल कर मिनी बैंक से उठा लेते हैं और खा जाते हैं।

माननीय सभापति महोदय, इसका सारा मेरे पास रिकार्ड है, जाब कार्ड वाइज रिकार्ड निकलवा कर मैंने इकट्ठा किया है। मैं आपको बताऊं कि एक महिला है जिसकी 2005 में भर्ती हो गई थी और 2013 तक उसका मस्टररोल चला। इसी प्रकार मैं आपको और बताऊं आपको एक व्यक्ति ने 2009 तक काम किया और वह कह रहा है कि मैं 2009 के बाद कभी रोजगार गारंटी के काम पर नहीं गया। उसके बाद भी उसका 2013 तक मस्टररोल चला और उसका भुगतान उठा। आप देखिये कि इतनी सारी प्रोब्लम होते हुए भी सरकार की ओर से कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। मैंने कई बार इस बारे में शिकायत की लेकिन उन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपके पास जो भी सारे पेपर्स हैं वह सारे यहां मंत्रीजी को दे दीजिये ताकि उनकी जांच हो सके।

श्री प्रताप लाल भील (गोगुन्दा): इसी प्रकार से सीएम आवास योजना में भी मिनी बैंक के द्वारा भुगतान उठा लिया और सरपंच और सचिव ने 25 हजार का भुगतान है और 18-20 हजार रुपये दे दिया और बाकी का पैसा सरपंच और सचिव ने अपनी जेब में रख लिया। ऐसे भी मेरे पास से बहुत सारे उदाहरण आ रहे हैं। इसमें मेरा एक सुझाव है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के पेराफेरी में जो गांव आते हैं जैसे बड़गांव, लोयरा, लखावली, पेराफेरी, वहां नगर

(श्री प्रताप लाल भील)

विकास न्यास सड़क का काम कर देती है, लाइट का काम करती है लेकिन पेयजल और दूसरे जो काम हैं वे नहीं करती है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से मांग करूंगा कि पेयजल में भी हमारे नगर विकास प्रन्यास उसमें सहयोग करे। बाकी हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने बताया था कि पंचायती राज में पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद् सदस्यों का जो चुनाव होता है और वह चुनाव होने के बाद में प्रधान और जिला प्रमुख बन जाते हैं।

उसके बाद में न तो जिला परिषद वाले को पूछते हैं, न पंचायत समिति वालों को कोई पूछता है। मेरा इसमें यह सुझाव था कि इनको भी ऐसा कोई फण्ड का अधिकार दिया जाए ताकि वे अपने-अपने क्षेत्र में कोई विकास का कार्य कर सकें।

मेरा एक सुझाव और था। पूर्व सरकार ने प्रत्येक ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद में एक भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र का भवन निर्मित किया था तो उसमें मेरा एक सुझाव था कि राजीव गांधी सेवा केन्द्र के नाम से हटा कर भारत निर्माण सेवा केन्द्र अंकित किया जाए।

इसी प्रकार मेरे विधान सभा क्षेत्र में पंचायतों में सचिव, जेईएन, एईएन, बाबू की पोस्टें खाली हैं तो उनको भी प्राथमिकता से भरने की कार्यवाही की जाए। पंचायती राज का पुनर्गठन हो रहा है, उसमें मेरा विधान सभा क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र है, आदिवासी बाहुल्य है, उसमें भी 2 हजार, ढाई हजार की जनसंख्या के आधार पर पुनर्गठन में हमको भी उपयोजना में जो लाभ दिया जा रहा है वह हमारे इस विधान सभा क्षेत्र को भी दिया जाए। आप सबने मेरो जो छोटी-सी बात को सुना इसके लिए आप सबका धन्यवाद, जय भारत।

श्री सभापति: माननीय सदस्य श्रीमती अमृता मेघवाल।

श्रीमती अमृता मेघवाल (जालौर): सभापति महोदया आपके माध्यम से मांग संख्या 28, 49, 50 पर मुझे बोलने का मौका मिला, धन्यवाद। राजस्थान में करीब 9737 ग्राम पंचायतें हैं, इनमें ग्राम सचिवों की संख्या पर्याप्त नहीं है जिससे ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों में अवरोध आता है, इसलिए ग्राम सचिवों के रिक्त पदों को अविलम्ब भरा जाए।

ग्राम पंचायतों के अधीन जनता जल योजना के तहत पम्प आपरेटरों

(श्री अमृता मेघवाल)

की भर्ती नहीं होने से पेयजल की आपूर्ति नहीं हो पाती है। इसलिए पम्प आपरेटरों की भर्ती की जानी चाहिए। ग्रामों में मिड-डे-मील के तहत संचालित योजना में बहुत सारी पंचायतों के भवन निर्माण नहीं होने से भोजन व्यवस्था का प्रबंध एवं गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, अत: जिन स्कूलों में किचनशैड नहीं हैं, उन्हें तुरन्त बनाया जाए।

माननीय सभापति महोदय, गांवों में हैण्डपम्पों की संख्या पर्याप्त नहीं है, लेकिन इनकी रखरखाव की कमी के कारण बंद पड़े हैं, जिन्हें शीघ्र ठीक कराया जाए।

सभापति महोदय, गांवों में मिडिल स्कूलों में अध्यापकों की कमी के कारण बच्चों की पढ़ाई पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। स्कूलों की साफ-सफाई आदि के लिए बच्चों से कार्य कराया जाता है। मेरा सुझाव है कि मिडिल स्कूलों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का पद सृजित कर भरा जाना चाहिए। मेरे विधान सभा क्षेत्र में प्राइमरी व उच्च प्राइमरी स्कूलों में बच्चों की संख्या के हिसाब से भवनों की कमी है। जो भवन हैं वे वर्षों पुराने हैं जो कि नाकारा हो चुके हैं। ऐसे भवनों की रिपेयर होनी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, गत कांग्रेस सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों के निर्माण कार्य हेतु टेण्डर प्रक्रिया लागू की गयी है जिससे एक ही कार्य के अलग-अलग तकमीने होने के कारण विकास कार्यों में अवरोध उत्पन्न होता है। प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए जिला स्तर की बीएसआर दरों के अनुसार ग्राम पंचायतों में निर्माण कार्य की छूट प्रदान की जानी चाहिए। मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय सदस्य श्री नवनीतलालजी निनामा।

श्री नवनीत लाल (घाटोल): मान्यवर सभापति महोदय, आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद। काफी समय से माननीय सदस्यों का भाषण व प्रवचन सुना। मेरा ऐसा आग्रह है कि पंचायती राज, यानी ग्राम पंचायतें, हमारे देश के राष्ट्रीय नेताओं ने गांधीजी, सरदार वल्लभभाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, श्यामाप्रसाद मुखर्जी ऐसे सज्जनों ने जो निर्णय लिया होगा, जिस समय निर्णय लिया होगा अंग्रेजों का राज था। उस समय पढ़ाई तो नहीं करायी, वैसे कायदे से पढ़ाई करने के बाद संगठन, संगठन के बाद लड़ाई और आंदोलनों का नियम है, लेकिन अनपढ़ व्यक्तियों को आंदोलन में झोंक कर आजादी तो प्राप्त

(श्री नवनीत लाल)

कर ली और उसी आजादी के आधार पर आज दिन तक हम वही प्रक्रिया चला रहे हैं। आजादी के बाद स्कूल खोलने की योजना बनायी। अब अनपढ़ व्यक्तियों के आधार पर आज भी जो हमारी राजस्थान विधान सभा चल रही है, अनपढ़ व्यक्तियों की सलाह से ही आज हम यहां राज करने के लिए बैठे हुए हैं। इसलिए मेरा आग्रह है कि व्यक्ति पढ़ा-लिखा, समझदार, कानून की कुछ प्रक्रिया को समझे तभी जाकर भ्रष्टाचार मिटे।

मान्यवर, 1957-58 में ग्राम पंचायतों के चुनाव हुए उस वक्त चुनाव अधिकारी जो आता था वह एक पुस्तक लेकर आता था। कम से कम 5-7 लाइनें उस सरपंच को पढ़ाता था, जो लाइन पढ़ता था, उस व्यक्ति का फार्म पास होता था। जो व्यक्ति हिन्दी की 3-4 लाइनें नहीं पढ़ सकता था उसका फार्म रिजेक्ट कर देता था। लेकिन वह प्रक्रिया सारी बदल गई। इसलिए मेरा आग्रह है कि अभी पंचायती राज में जो भ्रष्टाचार, अन्याय, अफसरों पर आरोप, सही काम हो नहीं रहा, ये सारी योजनाएं हमारे देश भारत में कृषि प्रधान देश होने के नाते जो निर्णय लिया था उस निर्णय के आधार पर हम प्रभावशाली ढंग से कानून बना पाये, लेकिन कानून चलाने वाला व्यक्ति व्यवस्थित नहीं है। ऐसी स्थिति में, जो हमारा बजट आता है, बजट दिल्ली से जयपुर आता है, जयपुर से गांव और जिले की तरफ जाता है। लेकिन उस बजट के पीछे निगरानी करने वाला व्यक्ति नहीं पहुंच रहा है। अभी कामचलाऊ नरेगा का काम चल रहा है। हर व्यक्ति कह रहा है काम चलाओ। हमारे ग्राम पंचायत में काम नहीं है, लेकिन यह योजना बननी चाहिए कि वह पैसा जा रहा है तो क्या हम पटवार मण्डल बनाएंगे, कोई क्वार्टर बनाएंगे या कोई तालाब बनाएंगे या वहां पर कोई भवन का निर्माण करेंगे। बिना योजना से पैसा गांव की तरफ रवाना हो जाता है। मैं रेगिस्तान की तरफ से जानकारी देना चाहता हूं कि रेगिस्तान में नाले और खाले बनाने के काम होते हैं, यहां पानी बहता नहीं है। हमारे दक्षिणी राजस्थान में नाले और नदी अपने आप बहते ही रहते हैं। अब हमारे वहां नरेगा का काम चल रहा है। नालों के अन्दर ही नाला बनाया जा रहा है। जब बारिश आएगी तो वह बह जाएगा, अपने आप वह नाला समतल हो जाएगा। बिना सोचे-समझे जो पैसा सरकार का जा रहा है उस पर विचार करना बहुत जरूरी है। अत: मेरा आग्रह है कि पंचायत राज का जो राजस्व का पैसा है, राजस्व, वन विभाग, चरागाह, आबादी, तालाब, सड़क की ये जमीन बंट गयी है। जमीन खाली नहीं रही। इसलिए मेरा पंचायती राज

(श्री नवनीत लाल)

मंत्रीजी से आग्रह है कि इन जमीनों को देखते हुए आगे जमीन किसानों के हक में है नहीं, इसलिए पंचायती राज के द्वारा छोटे खेतों में बगीचे का रूप दिया जाए, उसमें फलदार पौधे लगाये जाएं, पालेदार पेड़ लगाये जाएं ताकि पशुओं का भी आधार हो और फलदार पौधों से अपना जीवन निर्वाह कर सकें। खेती कम हो, फसल कम पक रही है, ऐसी स्थिति पर भी ध्यान देना जरूरी है।

मेरा आग्रह है अभी ग्राम पंचायतों के अन्दर माध्यमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं, इन विद्यालयों के अन्दर ग्राउण्ड आज से करीब 15 साल पहले एक पुस्तक राज्य सरकार की तरफ से निकली थी कि आठवीं क्लास का ग्राउण्ड 8 बीघा, माध्यमिक का 11 बीघा, प्राइमरी का 5 बीघा होगा। मेरा ऐसा आग्रह है कि क्या उस प्राथमिक विद्यालय को आठवीं क्लास घोषित नहीं की जाएगी?

अब यह पढ़े-लिखे लोगों की कितनी कमजोर समझ है कि 5वीं को 8वीं करेंगे तो वह ग्राउण्ड तो छोटा हो गया। पड़ौस में नाजायज कब्जे हो गये। जब स्कूल क्रमोन्नत होगा तो वह 8 बीघा जमीन कहां से पूरी होगी। इसी तरह से जो माध्यमिक स्कूल का 11 बीघा जमीन का निर्णय हुआ। तो जो स्कूल क्रमोन्नत होगा, 8वीं की स्कूल को माध्यमिक में क्रमोन्नत करेंगे तो उस स्कूल के पास में 11 बीघा जमीन कहां से आयेगी। इसलिए अनपढ़ व्यक्ति और पढ़े-लिखे व्यक्ति में, अपन अपने मुंह से पढ़े लिखे हैं और अपना शरीर अन्दर से पढ़ा-लिखा नहीं है, उस भावना से प्रकट किया जाता है पुस्तक और किताब के अन्दर। तो मेरा ऐसा आग्रह है कि इस प्रकार स्कूलों के ग्राउण्ड हैं ही नहीं। लड़कों के लिए खेलने के लिए ग्राउण्ड ही नहीं हैं। इसलिए मेरा ऐसा आग्रह है कि स्कूल खोलते वक्त यह ध्यान रखना चाहिए कि स्कूल क्रमोन्नत हो या वहां पर कोई सब्जैक्ट खोला जाएगा तो कमरे बढ़ाये जाएंगे तो जगह के बिना कमरे बढ़ते नहीं हैं। इसलिए जहां स्कूल क्रमोन्नत करते हैं या ग्रामीण विकास की ओर ध्यान देना चाहते हैं तो उसकी ओर विशेष ध्यान रखने की जरूरत है।

माननीय अटल बिहारीजी वाजपेयी के समय में प्रधान मंत्री सड़क योजना या जनसंख्या आवागमन सड़क योजना का देश के प्रधान मंत्रीजी के द्वारा कार्यक्रम दिया गया। आज गांव-गांव में जनसंख्या के आधार पर डीलर, जनसंख्या के आधार पर गांव, पंचायत, यह जो आंकड़ों को ध्यान में रख कर

(श्री नवनीत लाल)

विचार किया गया है इसी अनुसार माननीय पंचायती राज मंत्री महोदय से निवेदन है कि अभी पंचायतों का गठन होने वाला है तो उस पंचायती राज के गठन में जो बड़े गांव हैं, उसके पास में गांव बनने लायक वार्ड हैं उन वार्डों को गांव घोषित करके पंचायतों का निर्णय किया जाए तो वहां उस क्षेत्र की जनता को लाभ होगा। आवागमन की दृष्टि से जो व्यवस्था, जो वार्ड हैं उनको ऐसा न कह कर ग्राम पंचायत में लोग हैं, हमारे वहां उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं कि हमारी ग्राम पंचायत घाटोल है जिसमें आज 23 वार्ड हैं। अब उनको गांव घोषित किया नहीं है, आदिवासी एरिया ग्रामों में है और उन आदिवासियों को उसका कोई फायदा मिल नहीं रहा है। वहां न सड़क बन रही है, न वहां स्कूल बन रही है, न विकास हो रहा है। क्योंकि बिखरी हुई आबादी है और गांव घोषित नहीं है। इसलिए, सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन है कि इस प्रकार के जो बड़े गांव हैं और उनके वार्ड बड़े-बड़े हैं इनको छोटा रूप दिया जाकर के ग्राम पंचायत का गठन किया जाए तो जन-साधारण की पीड़ा के निवारण होने का आधार हो।

अंत में, मैं यह कह रहा हूं कि हमारी राजस्थान की माननीय मुख्य मंत्रीजी के द्वारा जो पंचायती राज और गांधी का सपना याद कराने की योजना के अनुसार जो बजट बनाया है उस बजट के अनुसार आगे हमारा काम हो ताकि जिस प्रकार हम कहते हैं उसको करना भी चाहिए। इसी बात को कह कर अपनी बात को यहीं विराम देता हूं। जय भारत।

श्री सभापति: माननीय सदस्य श्री विद्याशंकरजी नन्दवाना।

श्री विद्याशंकर नन्दवाना (पीपल्दा): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 28 ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम पर मुझे बोलने का अवसर दिया। माननीय सभापति महोदय, पंचायती राज की इस बहस के अवसर पर सदन में सभी माननीय सदस्यों द्वारा पंचायती राज विषय पर अपने-अपने विचार व्यक्त किये गये। मैं यह कहना चाहूंगा कि 2008 में विधान सभा के चुनावों के अवसर पर कांग्रेस पार्टी के द्वारा अपने घोषणा पत्र में पंचायती राज को मजबूत करने की बात कही गई थी। माननीय सभापति महोदय, कांग्रेस ने साहस भी किया और पंचायती राज व्यवस्था में पांच विभाग पंचायती राज को हस्तांतरित किये और उनके फण्ड, फंक्शन और फंक्शनरी भी देने की बात की गई। लेकिन वह बात अपने आप में पूर्णरूपेण एक बेइमानी थी। पूरे पांच साल के शासनकाल में जहां पंचायती राज को सभी स्तर पर मजबूत करने की बात

(श्री विद्याशंकर नन्दवाना)

कही गई लेकिन वह मजबूत नहीं हो पाई। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि बाद में लगातार ऐसी स्थिति बन गई कि जहां पंचायती राज को जो कुछ मिलना चाहिए था, वह नहीं मिल पाया। माननीय सभापति महोदय, इस सारी व्यवस्था के बाद जहां हम यह कहते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था में मजबूती आये लेकिन उसके लिए नियंत्रण की आवश्यकता है। सभी माननीय सदस्यों द्वारा चिंता व्यक्त की गई कि पंचायती राज में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। मैं भी यह बात मानता हूं लेकिन इसके साथ ही मैं यह महसूस करता हूं कि यदि समय-समय पर पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा की जाए तो इस भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सकता है।

पूर्ववर्ती सरकार द्वारा इस पर विशेष कार्य नहीं किये जाने के कारण भारत सरकार के नियंत्रक एवं महालेखाकार के प्रतिवेदन जो 31 मार्च, 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राजस्थान सरकार द्वारा 2008 से 2013 की अवधि के दौरान उपलब्ध निधियों, जो इन्दिरा आवास के निमित्त थीं उनमें 2111.38 करोड़ में से केवल मात्र 1636.68 करोड़ यानी 77.52 प्रतिशत को ही समायोजित किया गया। यह देखा गया है कि 2008 से 2013 की अवधि के दौरान सभी चयनित जिलों में निधियों का उपयोग मात्र 5 प्रतिशत से लेकर 86 प्रतिशत के मध्य ही रहा जिसके कारण केन्द्रीय सहायता की कटौती की गई और 2008 से 2013 के मध्य भारत सरकार द्वारा जो हमें राशि मिलनी चाहिए थी उसमें से 23.90 करोड़ की कटौती की गई। माननीय सभापति महोदय, इस 23.90 करोड़ की कटौती की राशि से 5851 आवासों का निर्माण हो सकता था जिसके कारण 5851 बी.पी.एल. परिवारों को, जिनको इन्दिरा आवास का लाभ मिलना चाहिए था वे उससे वंचित रहे।

माननीय सभापति महोदय, 2011 से 2014 के मध्य पूर्ववर्ती माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा मुख्य मंत्री बी.पी.एल. आवास योजना को क्रियान्वित किया गया और यह कहा गया कि राजस्थान में हम किसी भी बी.पी.एल. परिवार को आवासहीन नहीं रहने देंगे। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इन तीन वर्षों में जहां 6 लाख 80 हजार आवासों के निर्माण की बात कही गई और उसके लिए लगातार टार्गेट पूरे करने के लिए दबाव बनाया गया जिसका परिणाम भी उससे कोई अच्छा नहीं रहा। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने ग्रामों की आधारभूत संरचना को मजबूत करने के निमित्त गांवों में स्वच्छता, चिकित्सा एवं

(श्री विद्याशंकर नन्दवाना)

स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा एवं विद्युत योजनाओं को सम्मिलित करते हुए एक SHREE योजना का आगाज किया है। बी.पी.एल. परिवारों को केन्द्र बिन्दु बना कर व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं के साथ जोड़ते हुए लाभान्वित करने का अनुकरणीय उदाहरण दिया है।

माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 48 – स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और समनुदेशन के सम्बन्ध में चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं को उनकी जनसंख्या के अनुपात में राशि उपलब्ध कराई जाती है। 13वें वित्त आयोग के अनुसार जिलेवार 3 प्रतिशत राशि जिला परिषदों को, 12 प्रतिशत राशि पंचायत समितियों को और 85 प्रतिशत राशि ग्राम पंचायतों को सीधी हस्तान्तरित की जाती है।

मेरा इसमें एक सुझाव है कि ग्राम पंचायतों को यदि 80 प्रतिशत, 15 प्रतिशत पंचायत समितियों को और पांच प्रतिशत यदि जिला परिषदों को दी जाती है तो जिला स्तर पर बनने वाली योजनाओं और जिसके तहत हमने थ्री-टियर सिस्टम के तहत पंचायती राज का स्वरूप निर्मित किया है, उसको भी मजबूती मिलेगी।

जिला नवाचार योजना के तहत जहां हम एक करोड़ रुपये की राशि जिला परिषदों को देते हैं। यहां मेरा यह भी आग्रह है कि 50 लाख रुपये की राशि यदि इस योजना में पंचायत समितियों को भी दी जाए तो उचित होगा।

निर्मल गांव पुरस्कार, पंचायत विकास के तहत ग्राम पंचायतों को राज्य स्तर पर लाभान्वित करने के उद्देश्य से 2007-2008 की योजना का क्रियान्वयन किया जाता रहा है। योजना में वर्तमान में दिये गये दिशा निर्देशों के तहत 10,000 की राशि में से रुपये 4,600 योजना में और रुपये 5,400 नरेगा में दिये जाने का प्रावधान रखा गया है। नरेगा योजना में डवटेल से सम्पूर्ण राशि रुपये 10,000 का प्रावधान है। योजना में शौचालय बनाने हेतु सम्पूर्ण जिले में एक ही प्रकार की सोखते गड्ढे के शौचालय बनाने का मापदण्ड रखा गया है। जबकि प्रदेश की भौगोलिक स्थिति अलग-अलग है और भौगोलिक स्थिति के अनुरूप ही शौचालय में सोखता बनाने का अधिकार भी दिया जाना चाहिए।

योजना में पंचायत के चयन हेतु एसएलडब्ल्यूयूएस प्लान बनाने के

(श्री विद्याशंकर नन्दवाना)

पूर्व में ही जिलों को निर्मल ग्राम पंचायत किये जाने चाहिए ताकि निरीक्षण दल जब भी पंचायतों के निरीक्षण के लिए आये तो चिह्नित ग्रामों में पक्की नालियां, शौचालय, स्वच्छता इत्यादि कार्य पूर्ण मिले और जिसके कारण ग्राम पंचायतों का चयन करना सम्भव हो सके।

माननीय सभापति महोदय, इस योजना के प्रति हम कितने गम्भीर हैं, इसके प्रति मैं अपनी चिंता व्यक्त करते हुए बताना चाहूंगा कि गत वर्ष जहां राजस्थान सरकार के प्रयासों के बाद राजस्थान में मात्र 36 ही निर्मल ग्राम पंचायतें बन पाईं और उसके विपरीत हमारे पडोसी राज्य मध्य प्रदेश में 2,063 ग्राम पंचायतें निर्मल ग्राम बनीं। यह हमारी इच्छा शक्ति को दर्शाता है।

माननीय सभापति महोदय, सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम की हम बात करें तो 2002 से 2012 तक भारत सरकार द्वारा सम्पूर्ण राज्य में स्वच्छता कार्यक्रम चलाया गया था लेकिन जिसका क्या हश्र हुआ, यह आप हम सभी के सामने है।

मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने वर्तमान बजट में 2,500 ग्राम पंचायतों को निर्मल गांव के लिए चयन करने का लक्ष्य रखा है।

समनुदेशन की हम बात करें, तो राज्य सरकार द्वारा संग्रहित किये जाने वाले करों, शुल्कों में से पंचायती राज संस्थाओं का हिस्सा राशि, क्षतिपूर्ति और समुचित समनुदेशन के रूप में 2011-2012 में हस्तान्तरित करने का प्रावधान रखा गया था। मुख्य रूप से करों, शुल्कों में से पंचायती राज संस्थाओं को हिस्सा राशि एवं समनुदेशन के अन्तर्गत उपलब्ध कराने का प्रावधान रखा गया था जो निम्न प्रकार है: खनिजों पर रायल्टी, पेट्रोलियम पर रायल्टी, देशी-विदेशी शराब, स्टाम्प शुल्क, माल के प्रवेश पर शुल्क, डीटीएच पर मनोरंजन कर, भू-राजस्व पर, सरकारी भूमि पर, चरागाह भूमि पर अतिक्रमण से, भू-रूपान्तरण से, अवैध खनन से प्राप्त होने वाली राशि पर समनुदेशन देने वाली बात कही गई थी जिसके विपरीत केवल राजस्थान में चरागाह भूमि पर जुर्माने से लेकर, खनिज पर ही रायल्टी दी जाती रही है, समनुदेशन दिया जाता रहा है। यहां मेरा यह भी कहना है कि यदि हम पंचायती राज व्यवस्थाओं को मजबूत करना चाहते हैं तो खनिज पर जुर्माने की राशि, अवैध खनन पर जुर्माने पर राशि वसूल की जाती है, स्टाम्प शुल्क

(श्री विद्याशंकर नन्दवाना)

पर राशि ली जाती है और रायल्टी पर जो पैसा मिलता है एवं देशी-विदेशी शराब पर भी कर के रूप में जो अधिकार दिया है, उसे भी लेकर पंचायती राज के स्वरूप को मजबूत कर सकते हैं।

मांग संख्या-50 ग्रामीण रोजगार, माननीया मुख्य मंत्रीजी द्वारा 2014-2015 के बजट में ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को रोजगार योग्य बनाने हेतु राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम के माध्यम से अगले पांच वर्षों में 13 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही आईटीआई के माध्यम से युवाओं को तकनीकी शिक्षा प्रदान करने हेतु प्रदेश में 45 नई आईटीआई सार्वजनिक क्षेत्र अथवा निजी सहभागिता से बनाये जाने की घोषणा, युवाओं में रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।

आजीविका परियोजना के अन्तर्गत दो लाख महिलाओं को लाभान्वित करने एवं ग्रामीण रोजगार के लिए अद्भुत कदम है। केन्द्र सरकार द्वारा 2005 में एक महत्वाकांक्षी योजना महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना चलाई गई थी। 2 फरवरी, 2006 से प्रथम चरण में राज्य के छह जिलों में इस योजना का श्रीगणेश किया गया था। मैं यहां कहना चाहूंगा कि जिस नरेगा योजना को कांग्रेस ने बढ़-चढ़ कर प्रचारित किया, उस नरेगा योजना का सबसे ज्यादा हश्र भी कांग्रेस के शासन में ही किया गया। मैं इसके लिए आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि 2012-2013 की प्रगति रिपोर्ट जो सरकार द्वारा जारी की गई है, उसमें मात्र 42 प्रतिशत व्यक्तियों को ही रोजगार उपलब्ध कराया गया। जहां 100 दिन की गारंटी की बात करते हैं तो अलवर में मात्र 2 प्रतिशत, भरतपुर में मात्र 1 प्रतिशत, दौसा में मात्र 3 प्रतिशत, जयपुर में मात्र 3 प्रतिशत, सवाई माधोपुर में 2 प्रतिशत, टोंक में 1 प्रतिशत ही लाभार्थी ही 100 दिन पूरे कर पाये हैं। 2009 से 2014 के मध्य लगातार रोजगार के अवसरों में कमी आती गई।

भारत निर्माण राजीव गांधी केन्द्रों की बात करें तो जिन आधुनिक तकनीकी से सुसज्जित करने की बात कही गई थी, आज तक भी किसी केन्द्र पर सेटकाम प्रशिक्षण सुविधा व इंटरनेट की सुविधा कहीं उपलब्ध नहीं है।

माननीया मुख्य मंत्रीजी की इस बात को स्वीकार करते हुए महानरेगा योजना को सम्पत्ति से सृजित करने वाले कार्यों को भी सम्मिलित कर लिया गया है जो अत्यन्त महत्वपूर्ण कदम है।

मैं यहां एक सुझाव देना चाहूंगा कि ग्राम सचिवालय योजना, जो

(श्री विद्याशंकर नन्दवाना)

पूर्ववर्ती सरकार द्वारा चलाई गई थी। उस योजना को यदि प्रभावी तरीके से पुन: चलाया जाता है तो पंचायती राज व्यवस्था को प्रभावी बनाये जाने में अपने आप में एक कदम होगा।

मैं अपने अनुभवों के आधार पर यह भी बताना चाहूंगा कि हम यदि जिला स्तर से जिला प्रमुख सहित सभी स्टाफ को वर्ष में दो बार पंचायत समिति स्तर पर सभी योजनाओं की समीक्षा के लिए भेजें तो इन सरकारी योजनाओं में जो कमियां निकल कर आ रही हैं, उनका समय-समय पर सही उपयोग हो सकता है, सही मार्गदर्शन होता है, जो मैंने अपने अनुभवों के आधार पर कोटा जिले में इस योजना के तहत वहां की सभी योजनाओं को प्रभावी स्वरूप दिया है। मुझे आपने अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: माननीय सदस्य श्री राजकुमार रिणवा।

श्री राज कुमार रिणवां (रतनगढ़): Hon'ble Chair. I can speak in English, Hindi, Rajasthani, Sanskrit and Bengali but I want to convey my ideas on village development programme in Rajasthani i.e. 'Mayad Bhasha'. We always talk in our home in Rajasthani not only in home but also in the State and country where the Rajasthanis live. We always try to fight for recognization of our 'Mayad Bhasha' but the importance is not being given to us. Therefore, I love, respect and honour to my Rajasthani i.e. 'Mayad Bhasha'. So I am going to speak in Rajasthani. सम्माननीय सभापतिजी...

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): आप सभी भाषा में थोड़ा-थोड़ा बोलो। (व्यवधान)

श्री राज कुमार रिणवां (रतनगढ़): क्या मालूम, उस दिन काफी थोड़ा... (व्यवधान)

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): यह आप सबके लिए संकेत था कि सारी भाषाओं के ज्ञान के बाद भी राजस्थानी का स्थान है और उसी बात को हाइलाइट करने के लिए माननीय सदस्य ने यह बात रखी है। यहां राजस्थानी में बोल रहे हैं, इसका आशय यह नहीं कि हिन्दी-अंग्रेजी नहीं जानते ठीक से।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): मतलब उदाहरण है इनका, उन्होंने जो बात रखी है, सभी भाषाओं में बोलें तो अपन को भी जानकारी मिले। इनका भी थोड़ा...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजें आप। माननीय राजकुमारजी, आप बोलिये। (व्यवधान)

श्री राज कुमार रिणवां (रतनगढ़): अगर आप इजाजत दे दें तो मुझे कोई प्रोब्लम नहीं है। मैं बोल लूंगा, कर लूंगा। मैं बंगाल में पढ़ा हूं खुदीराम बोस कालेज में और यूनिवर्सिटी लाज, कलकत्ता से मैंने की है तो मुझे कोई प्रोब्लम नहीं है, बंगाल में रहा हुआ हूं मैं और ब्राह्मण हूं तो संस्कृत तो मेरा मूल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। राजस्थानी-हिन्दी की कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश मेरी मीडियम थी तो इसमें कोई बात नहीं है। अगर इजाजत देंगे तो जैसा बोलेंगे, मैं करूंगा, कोई दिक्कत नहीं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप अपनी बात शुरु करें।

श्री राज कुमार रिणवां (रतनगढ़): अगर इजाजत देंगी तो जैसा बोलेंगे, मैं करुंगा। सम्माननीय सभापतिजी, अपने जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं कटारिया साहब, वे राजनीति में एक दुर्लभ व्यक्ति हैं। आज भी मेवाड़ की शान की झलक देखने में विरासत में मिले हैं।

(17.30 बजे)

(श्री घनश्याम तिवाड़ी, सभापति, पदासीन)

मेरा चूरू जिला काफी पिछड़ा हुआ है। सबसे ज्यादा गर्मी 48-50 डिग्री और सबसे ज्यादा सर्दी माइनस में वहां रहती हैं। जब टेलीविजन देखते हैं रात को तो सारी सर्दी और गर्मी का कष्ट हम भूल जाते हैं कि हमारा नाम टेलीविजन में आ रहा है तो हिन्दुस्तान के लोग देखते हैं कि चूरू जिला है वहां के लोग इतनी गर्मी और सर्दी को सहन करते हैं। बाकी आज मैं बहुत बड़ी पीड़ा से बोल रहा हूं, सभापति महोदय, कि अगर राजस्थान में सबसे पहले मरु भूमि का नाम आता तो चूरू जिला का आना चाहिए। उस चूरू जिला को मरुस्थल से निकाला जा रहा है या शामिल नहीं किया जा रहा है। यह बहुत बड़ा दर्द है जिसको मैं आज यहां प्रकट कर रहा हूं। हम लोग वास्तव में चूरू जिले के शेखावटी के नहीं हैं। सभापति महोदय, हम लोग वास्तव में बीकानेर वाटी के हैं। धन्य, धन्य म्हारो देश बीकाणा रे। जिसका एक विश्व प्रसिद्ध लोक गीत हुआ करता था धरंती धोरां री. आ तो सुरगां न सरमाव, ईं पर देव रंमण न आव, ईं रो जस नर नारी गाव, धरती धोरा री ! यह चूरू जिले के कन्हैयालाल सेठिया की लिखी हुई है। जो विश्व प्रसिद्ध कवि हुआ करते थे वे चूरू जिले के ही थे। कितनी-कितनी धोरां की धरती के सैकड़ों लोक गीत हैं। हाथी पर पिवणा पड्या नागर रे, धोरा हला देश जाग रे, अब खोल हुणी दिया करयां रे, सपना री मीठी निंद खोल रे। तालरिया मालरिया यह मोरू थारा

(श्री राज कुमार रिणवां)

लारह रहया, आयो यो धोरा रो देश बिरो बिणजारो रे। धोरा बाई बाजरी, डेरा बायो र ग्वार, खेता पाकी काकडी, इबर पाकी नार। एक नहीं कई सैकड़ों लोक गीत हैं।

श्री सभापति: अब तो गंवार नहीं, अब तो सुजान है आपके यहां पर। राजेन्द्र सिंहजी राठौड़ सुजान आदमी हैं, गंवार आदमी नहीं हैं वे।

श्री राज कुमार रिणवां (रतनगढ़): सभापति महोदय, उस धोरां की धरती ने अगर मरुस्थल से निकाल दे तो बड़ी पीड़ा होती है। हमें चाहे उसका कोई लाभ मिले या नहीं मिले कोई दिक्कत की बात नहीं है। परन्तु हमारा एक गौरव है, नाम है। कहीं पर जाएं कि हम उस धोरां की धरती के हैं। उस धोरा के अन्दर खेल-खेलकर इतना बड़े हुए हैं। उसे धोरां की धरती से अलग करते हैं तो दुख होता है। मरु नाम धोरा को है और मेरू नाम पर्वत का होता है। पर्वत पत्थर का होता है और मरु बालू का होता है, बस इतना ही अंतर होता है। यहां गर्मी और सर्दी का कारण भी यही होता है कि टीला जल्दी गरम होते हैं और जल्दी ही ठण्डे होते हैं। आज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आप बता रहे हैं मेरे जिले के कैबिनेट मंत्री माननीय राजेन्द्र सिंहजी राठौड़ साहब यह बहुत ही काबिल और होनहार हैं, समर्थ हैं और कटारियाजी और आप दोनों अगर मिल जाएं तो आप दोनों विभूतियां चाहें तो कोई ऐसी बात नहीं कि उस मरु के अन्दर वापस जिला नहीं लिखा जाए। हमारी जो लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी हैं वह तो जन कल्याण के लिए, परमार्थ के लिए, देश और प्रदेश की उन्नति के लिए, लोगों के सुख सम्पन्नता के लिए राजनीति में आई हैं। निश्चित रूप से अगर उनको पता चलेगा कि जिले की बहुत पीड़ा है, काफी लोगों में वहां पर आक्रोश हो रहा है, काफी अखबारों में भी आ रहा है कि राजस्थान में चूरू जिले के साथ में क्या हो रहा है? तो मेरा निवेदन है आप दोनों विभूतियां से कि आप निवेदन करेंगे मेरी तरफ से मुख्य मंत्रीजी ने कि आप इस जिले को मरु जिले में लें और कल कोई केन्द्र से सम्बन्धित बात हो तो मुख्य मंत्रीजी...

श्री सभापति: आप कहलाना क्या चाहते हो, वह तो बताया ही नहीं आपने, पीड़ा ही पीड़ा बता रहे हो। मरु का क्या करना चाहते हो?

श्री राज कुमार रिणवां (रतनगढ़): मरु तो धोरां को कहते हैं और मेरू कहते हैं पर्वत को। इसलिए हमारा तो मरु प्रदेश है वहीं खेले हैं, वहीं से बड़े

(श्री राज कुमार रिणवां)

हुए हैं। इसलिए मेरे चूरू जिले को मरु प्रदेश या मरुस्थल बनाया जाए यही निवेदन है।

श्री सभापति: मरुस्थल तो है ही वह, बनाएगा कौन?

श्री राज कुमार रिणवां (रतनगढ़): नहीं, निकाल दिया है।

श्री सभापति: एक मिनट, माननीय मंत्रीजी आप कुछ कह रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सभापतिजी, पहले चूरू जिला डीडीपी प्रोग्राम में सम्मिलित था, हमें सहायता भी मिलती थी। अभी पिछली सरकार ने बिना कोई विचार किए अभी हमारे जिले के अन्दर सभापति महोदय 67 परसेंट अन-इर्रिगेटेड लैंड हैं। अगर कहीं सैण्डड्यून्स बचे हैं तो हमारे जिले में बचे हैं इसलिए माननीय सदस्य इस बात को कह रहे हैं।

श्री राज कुमार रिणवां (रतनगढ़): इसलिए मेरा निवेदन है कि मेरे चूरू जिले को वापिस मरुस्थलीय बनाया जाए। अब बात आती है ग्रामीण विकास कार्यक्रम की तो सम्माननीय कटारिया साहब ग्रामीण विकास मंत्री मेरे क्षेत्र में अभी गए थे। जब 19 से 26 तक बीकानेर सम्भाग का कार्यक्रम था तो इन्होंने मेरे गांवों को भी देखा है। मेरे गांवों में मूल तो पानी की समस्या है। एक तो पीने के पानी की और एक पानी के निकासी की। थोड़ी सी बरसात होते ही वहां बच्चे बाहर नहीं निकल सकते, औरतें खेत में जाने के लिए नहीं निकल सकतीं और पीने की भी समस्या है। पीने की समस्या के लिए मेरा निवेदन है कि आधे खेतों में और घरों में तो कुण्ड हैं। प्राचीन समय से ही पीने के पानी की समस्या कुण्डा से, तालाबों से होती थी। तो जहां-जहां कुण्डा नहीं बनी हुई है, खेत में या घर में वहां अगर कुण्ड दे दें तो निश्चित रूप से 50 परसेंट पीने के पानी की समस्या का निराकरण हो जाएगा। सम्माननीय श्रीमती वसुंधराजी ने एक हजार आरओ दिये हैं, यह एक बहुत बड़ी बात है। गांवों में हम देखते हैं कि 40 वर्ष के बाद में लोग बुड्ढे से दिखते हैं। जो टीडीएस है, फ्लोराइड का जो पानी है वह उनकी एकदम सी विचित्र स्थिति कर देता है। ज्यादातर तो स्थिति यह है कि कई बार बैठक में जाते हैं तो वहां वे लोग कहते हैं कि साहब उम्र तो होगी। मैंने कहा क्या होगी तो बोले 60 वर्ष के हो गए हैं। 60 वर्ष के मरने को दुख ही नहीं है? 60 वर्ष को तो वहां जीवन माना जाने लगा कि जीवन 60 वर्ष को हो गया। जबकि पहले तो द्वापर, त्रेता और सतयुग में तो ज्यादा उम्र होती थी कलियुग में 100 वर्ष तो हम मानते ही हैं। और अपनी ऋचाओं के अन्दर तो लिखा है यह जो संध्या

(श्री राज कुमार रिणवां)

करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि- 'पश्येम शरद: शतं जीवेम शरद: शत श्रृणुयाम शरद: शतं प्रब्रवाम शरद: शतमदीना: स्याम शरद: शतं भूयश्च शरद: शतात्' हे प्रभु, मैं सौ वर्ष तक सुनूं, सौ वर्ष तक देखूं, सौ वर्ष स्वस्थ रह हूं और सौ वर्ष जीवित रहूं।

श्री सभापति: अगर ऐसा रहे, यह चीज सौ वर्ष तक रहे तो सौ वर्ष और जीऊं, यह भी आगे लिखा हुआ है।

श्री राज कुमार रिणवां (रतनगढ़): हां। तो वह 'शरद: शतात्' मैं और जीऊं। यह सारी बातें भगवान से मांग रहे हैं। कई संत कहते हैं कि यह मनुष्य जीवन इतना छोटा बताया है।

श्री सभापति: अभी सुनिये, गुलाबजी जब जवाब देंगे तो आपको यह चीजें दे देंगे। अपने विषय पर आ जाओ अब।

श्री राज कुमार रिणवां (रतनगढ़): जो आर.ओ. दिए हैं उनसे निश्चित रूप से 70 परसेंट जहां पानी की बीमारियां होती हैं आर.ओ. से काफी कम होंगी। हम देखते हैं जो व्यवस्था चल रही है वह ब्लीचिंग पाउडर की व्यवस्था चल रही है। जिस जगह टी.डी.एस. या जिस फ्लोराइड है इनसे जाने वाला नहीं है। आर.ओ. लगाते हैं और उनकी व्यवस्था सही ढंग से हो तो निश्चित रूप से गांवों का बहुत बड़ा भला होगा। इससे बहुत बड़ी पानी की समस्या का समाधान होगा। पानी निकासी जहां तक हो तो जल ग्रहण कुआं या कोई बड़ा पाइप लगाकर बाहर अपन पानी को निकाल सकते हैं। यदि जोहड़ या तालाब बन जाए तो उनके अन्दर भी पानी निकासी का काम हो सकता है। अब बात आती है रोजगार की, रोजगार में गांवों में तो मोटा-मोटा खेती का काम है, पशुपालन का काम है। अगर इन्हें अपन बढ़ावा दें। अभी ऊर्जा मंत्रीजी कह रहे थे कि हम झोंपड़े को भी लाइट के बिना नहीं रखेंगे तो अगर बिजली दे दें और सिंगल फेज ट्यूबवैल बन जाए गांवों के अन्दर, आपको बताता हूं कि हर खेत में पांच दस बीघा तो है ही और एक बीघा के अन्दर रीजको बोते हैं गायों के लिए, चार पांच बीघा में और कोई धान बो लेता है, दस पन्द्रह क्यारियों में सब्जी वगैरह बो लेता है। मैं आपको बताता हूं कि खेतों और ढाणियों में गायें रखते हैं। तो इससे बड़ा कोई रोजगार नहीं हो सकता। पशुओं के लिए भी बढ़िया होता है और किसानों के लिए भी बढ़िया होता है। मैं देखता था हमारे गांवों में औरतें दूसरे के खेतों में मजदूरी करती थी लेकिन आजकल न तो कच्चा माल मिलता है और न ही कोई लोन वगैरह की व्यवस्था है। तो अगर

(श्री राज कुमार रिणवां)

व्यवस्था हो सके सिलाई मशीनों की, क्योंकि कई औरतों के ग्रुप बने हुए हैं चरखों का भी सिस्टम है तो ग्रामीण विकास मंत्रीजी बहुत बढ़िया हैं बहुत भावुक आदमी हैं तो निश्चित रूप से इनके मन में बहुत पीड़ा है गांव की। अभी फूल चन्दजी मीणा साहब बता रहे थे कि कितनी-कितनी झोंपड़ियों में इन्होंने खुद जाकर देखा कि लोग कितनी तकलीफ पा रहे हैं तो ये जमीन से जुड़े हुए हैं इनको सारी समस्याओं का पता है तो निश्चित रूप से जो मंत्रालय इनको मिला है, अगर देखा जाए तो राजस्थान की 70-80 परसेंट जनता गांवों में ही रहती है तो गांवों का अगर भला हो जाएगा तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात है।

एक लास्ट बात मैं और कहना चाहता हूं, सभापति महोदय, कि गांवों का नाश हो गया। ये जो चुनाव है इसने इतनी वैमनस्यता फैला दी गांवों में। लोकतंत्र का मतलब था कि चुनाव हो गये तो हो गये। पन्द्रह दिन बाद में अपने दिमाग में यह नहीं रहनी चाहिए कि क्या हुआ लोकतंत्र में हमने जिसको चुन लिया वह चुन लिया गया बाकी मैं देखता हूं कि ऐसी धड़ेबंदी वहां हो जाया करती है।

श्री सभापति: विषय पर आइये माननीय सदस्य।

श्री राज कुमार रिणवां (रतनगढ़): तो ठीक है साहब, मैं तो यही कहता हूं कि ग्रामीण विकास पर ज्यादा से ज्यादा काम हो और रोजगार ज्यादा से ज्यादा दिये जाएं। आपने मुझे समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: विराजिये। धन्यवाद आपको। श्री मेवारामजी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सभापति महोदय, कई दिनों बाद आपने यह भाषा सुनी होगी जो आपकी खुद की मातृभाषा है।

श्री सभापति: नहीं-नहीं, बड़ा आनन्द आया। बहुत अच्छा।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): आदरणीय सभापति महोदय, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पंचायती राज पर चर्चा हो रही है और सभी माननीय सदस्य चाहते हैं राजस्थान में सत्तर परसेंट आबादी गांवों में रहती है और पंचायती राज कैसे मजबूत हो कैसे गांवों का विकास हो इसके लिए सभी चर्चा कर रहे थे और पंचायती राज के बारे में कई वर्षों से चाह रहे हैं कि पंचायती राज को पावर दो। किस तरह से ये पंचायतें मजबूत हों इसके लिए खूब प्रयास

(श्री मेवाराम जैन)

हुए। फिर भी हम जिस तरह से चाहते हैं कि पंचायतें मजबूत हों, पंचायती राज मजबूत हो, अभी तक नहीं हुआ।

श्री सभापति: आपको मेवारामजी, ध्यान है श्री गुलाबचन्दजी कटारिया की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी उसने सिफारिश की थी कि ये चीजें उसमें दी जानी चाहिए। अब वे ही मंत्री हैं खुद, इसलिए चिन्ता मत करो, काम बहुत जल्दी होगा।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): अच्छी बात है कटारियाजी की अध्यक्षता में और कमेटी भी बनी और कटारियाजी खुद अब मंत्री हैं बहुत ही सुलझे हुए और जानकार भी हैं तो आशा है कि पंचायती राज मजबूत होगा। जो पंचायती राज में पुनर्गठन का एक बहुत बड़ा कार्य आपने हाथ में लिया है और आपके घोषणा पत्र में भी था कि पंचायती राज में किस तरह से पंचायत समिति, तहसील, एसडीओ हैडक्वार्टर ये एक हों तो ये बहुत ही अच्छा निर्णय है अगर इस निर्णय को आप फलीभूत कर दोगे तो मैं उदाहरण के तौर पर कहना चाहूंगा कि बाड़मेर में अब बाड़मेर तहसील और बाड़मेर शहर और एसडीओ हैडक्वार्टर और विधान सभा क्षेत्र एक है और उसमें बाड़मेर में तहसील में शिव की बीस पंचायतें, चौहटन की आठ पंचायतें, धोरीमन्ना की एक पंचायत इस ढंग से चार पंचायत समितियों की उसमें पचांयतें आ रही हैं तो मैं चाहता हूं कि जो आपने घोषणा पत्र में ये घोषणा की है उस ढंग से आप इनका गठन करें ताकि जनता को फायदा मिल सके। अब बाड़मेर तहसील की छह पंचायतें बायतू में डाली हुई पड़ी हैं जो बाड़मेर से पचास-साठ किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है। बारह पंचायतें सिणदरी में डाली हुई पड़ी हैं तो कुल मिला कर बाड़मेर तहसील के तीन टुकड़े करके पंचायत समितियों में अलग-अलग डाले हुए हैं अगर एक तहसील और एसडीओ हैडक्वार्टर पर ही पंचायत समिति बन जाती है तो लोगों को बहुत ही फायदा होगा और जिस तरह से मनरेगा पर बात हो रही थी माननीय सदस्य काफी इस पर चर्चा कर रहे थे ये जो योजना लाई गई थी यूपीए सरकार ने ये बड़ी सोच समझ कर लाये थे कि इसमें इसके पीछे भावना थी कि गरीब को किस प्रकार रोजगार मिले, किस प्रकार से गांवों का विकास हो। उस भावना से इस योजना की शुरूआत हुई और निश्चय ही इसमें लोगों को फायदा मिला और इसमें जिस भावना के साथ करना चाह रहे थे उस भावना में कुछ भटकाव जरूर हुआ है उसकी वजह से ये योजना सफल नहीं हो पा रही है इसलिए इसमें सुधार की आवश्यकता है। मेहनत करने की

(श्री मेवाराम जैन)

आवश्यकता है। इसमें मैं चाहूंगा कि इसमें लोगों को रोजगार कैसे मिले, एक तो 60:40 का रेश्यो है इसको 50:50 अगर कर दिया जाए तो इसमें पक्के कार्य होने की गुंजाइश रहती है आज गांवों में आवश्यकता है सड़क की है नाली की है गांवों में जो नाडियां बनी हैं उनको पक्की नाडी बना दी जाए तो उनमें पानी की व्यवस्था हो। गांवों में टांके कैसे बने। पक्के टांके हो जाएं तो आज बारिश में उस पानी का सदुपयोग कैसे हो ये नरेगा में बन जाए। आज ऐसी स्कूलें हैं जहां भवन नहीं हैं चारदीवारी नहीं है तो इस प्रकार पक्के काम इसके साथ जुड़ें तो ये जनता को ज्यादा फायदा होगा।

पंचायती राज में मैं कहना चाहूंगा कि जनता जल और हैंडपम्प ये पंचायती राज को दिया हुआ है। पिछले पांच साल में आपने सुना होगा सभी एमएलए शायद चाह रहे थे कि ये योजना वापस पीएचईडी के पास जाए। शहर में भी कई शहरों के लिए पानी की योजना नगरपालिकाओं को दे रहे हैं तो ये योजना करीब-करीब फेल सी है पंचायतों में यह योजना किसी भी हालत में।

श्री सभापति: ये पंचायतों को सशक्तीकरण करने के लिए है।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): ये सशक्तीकरण इससे तो होगा नहीं। ये योजना ऐसी है इस योजना में आप अभी भी गांवों को सर्वे कर लें। जनता जल में जो ट्यूब वैल हैं, बंद पड़े हैं हैंडपम्प हैं तो खराब पड़े हैं, ठीक होने नहीं हैं और पिछली सरकार में हमने खूब प्रयास भी किया पर अधिकारियों की जिद के कारण नहीं कर पाए और अब भी मैं कह रहा हूं कि अब आप भी प्रयास करें तो ये हो नहीं पाएगा। अगर यह होता है तो जनता के लिए ये बहुत ही लाभकारी कदम होगा क्योंकि पानी की व्यवस्था हो जाएगी। सभी स्कीमें करीब-करीब ठप्प पड़ी हैं आज एसएफसी, टीएफसी के फंड काफी समय से नहीं आ रहे हैं। पंचायतों के पास पैसा नहीं है। मोटर जल गई तो आप ठीक कैसे करो। बिजली के पैसे भरने हैं आप कैसे भरोगे आपके पास फंड ही नहीं है तो ये वापस अगर पीएचईडी को देते हैं तो जनता का भला होगा।

बीपीएल आवास के जो दस लाख आवास सैंक्शन हुए थे उसमें भी मानीटरिंग की आवश्यकता है। पहले फर्स्ट किश्त मिल गयी सैकण्ड किश्त भी काफी जगह नहीं मिली है और कई तो अभी तक बीपीएल ऐसे हैं जिनकी शुरूआत ही होनी है। आज गरीब को छत मिल जाए तो ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण बात है तो ये होना जरूरी है। आज पंचायती राज की अपन बात

(श्री मेवाराम जैन)

कर रहे हैं कि किस तरह से मजबूत करें। ये जो चुनाव प्रणाली है आप पंचायत समिति सदस्य हैं, चाहे जिला परिषद सदस्य हैं, चुनाव होने के बाद उनका महत्व कुछ नहीं रहता है इसलिए चुनाव लड़ने में अगर उनके पास कोई बजट नहीं, प्रधान के चुनाव और जिला प्रमुख के चुनाव होने के बाद कोई उनको पूछता नहीं तो ये इस प्रणाली में उनको कुछ पावर दें तो ये मजबूत होगी संस्था। ये भी मेरा सुझाव है। बाकी आज वाटरशैड योजना बहुत अच्छी योजना है पर इसके अन्दर भी कमेटी बन कर और उस योजना को चलाएगी। करोड़ों रुपये और कमेटी में क्या होता है सरपंच और गांव में झगड़ा। झगड़ा आप समझ रहे हैं कि किस बात का झगड़ा है। आपस में झगड़ कर और उस योजना को एक-एक दो-दो साल तो कमेटी नहीं बनेगी और कमेटी बनती है तो फिर उसमें आपस में किस तरह से विवाद है एक अच्छी योजना है जिसका किसी तरह से ऐसा हल निकले ताकि ये योजना बहुत अच्छी योजना बने। गांवों में पानी की समस्या का समाधान हो जाए और भी इस योजना में बहुत कुछ लिया हुआ है उसमें फायदा हो सकता है।

आज भारत राजीव गांधी सेवा केन्द्र हर पंचायत समिति में बनी है उसके ऊपर सौर ऊर्जा की बैट्रियां वगैरह, लाइट की व्यवस्था की हुई। पर अधिकांश

(17.50 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, सभापति, पदासीन)

देखो तो वह सारी बैट्रियां, सौर ऊर्जा का सामान है, चोरी हो गया। ऐसी गैंग बनी हुई है कि वह उठा कर ले जाते हैं। न तो आज तक पुलिस उसकी कार्यवाही कर रही है। मैं बाड़मेर की बात करना चाह रहा हूं, अधिकांश जगह उठा कर ले गए। आज पंचायतों को सशक्त करने की बात कर रहे हैं, खनिज है, पेट्रोल है, यह गांवों में निकल रहा है, पंचायतों को उसके हिस्से की राशि मिलनी चाहिए, वह नहीं मिल रही है। अगर वह मिलती है तो पंचायत अपने आप सक्षम होगी। आज टेण्डर प्रणाली पंचायतों की बात करें, पंचायतों के अन्दर दो ग्रुप तो होते ही हैं। उसमें ठेका, जो सामने हारा सरपंच है वही कापी लेकर उसमें डाल देगा, नीची रेट डालेगा। उसका मतलब है कि यह काम नहीं होने देना और वह काम लटकता रहता है। पंचायत का काम समय पर नहीं हो रहा है। जो बीएसआर है, पीडब्ल्यूडी में हर साल बीएसआर बनाए, उसके अन्दर विभाग के अनुसार जो भी कटौती है, चाहे माइनिंग है, सैल्स टैक्स है, जो भी है कटौती काट कर बीएसआर पर अगर पंचायतों के काम होते हैं तो सरपंचों

(श्री मेवाराम जैन)

को काफी राहत मिलेगी। जो विकास के काम जगह- जगह रूके पड़े हैं वह रूकेंगे नहीं। बीडीपी योजना बोर्डर एरिया के लिए लागू हुई है। इस योजना में आज से पांच साल पहले यह था कि पूरा ब्लाक इस बीडीपी योजना के अन्दर कवर हो रहा था। पांच साल पहले केन्द्र सरकार में एक ऐसा सर्कूलर लाए कि बोर्डर के 10-15 किलोमीटर के अन्दर ही हम काम कराएंगे। अब 6 साल से कन्टीन्यू उस 15 किलोमीटर के अन्दर ही, जहां सड़क की जरूरत नहीं है, जितनी थी सड़कें बन गईं, बिल्डिंग बनानी हैं, जो कुछ बनाना है सब बन गया फिर भी उसी जगह पैसे खर्च हो रहे हैं। मैं चाहता हूं कि पहले पूरे ब्लाक के अन्दर पैसे खर्च हो रहे हैं तो पूरे ब्लाक का विकास होता है, इसमें सुधार हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है, फायदा होगा।

पंचायतों को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, रोजगार देने की बात कर रहे हैं। गांवों में सरपंच, ग्राम सेवक, प्रधान और बीडीओ, आपका इनका सामंजस्य देखो, बीडीओ प्रधान को पूछता नहीं है। ट्रान्सफर हो, पोस्टिंग हो, किस काम से हो, काम सैंक्शन करना हो, नहीं करना हो, आपस में तालमेल नहीं होगा तो क्या हाल होना है। पंचायतों के अन्दर भी ग्राम सेवकों, पहली बात तो यह है कि सभी पंचायतों में ग्राम सेवक नहीं है, फिर आपस में क्या हालात हैं, किस तरह से भ्रष्टाचार की बात हो रही है तो फिर कैसे पंचायतें सुदृढ़ होंगी। इस पर विचार करना होगा कि पंचायतों को हम कैसे मजबूत करें। इसके लिए हम सबको मिल कर, हमें खुशी है कि गुलाबजी भाई साहब इसमें मंत्री हैं। इन सारे बिन्दुओं को लेकर किस तरह से हम पंचायती राज को मजबूत करें, किस तरह से लोगों को रोजगार मिले। सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री भागीरथ चौधरी।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): सम्मानीय सभापति महोदय, मांग संख्या 28 ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम और मांग संख्या 50 ग्रामीण रोजगार, पर बोलने का आपने मुझे मौका दिया उसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार, धन्यवाद।

सभापति महोदय, ग्रामीण क्षेत्र का विकास कैसे हो, पूरा भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है, गांव से ही विकास की गंगा आगे बढ़ती है। पंचायत राज कैसे सशक्त हो पिछले 4-5 घण्टों से माननीय सदस्यों ने अपनी-अपनी राय प्रकट

(श्री भागीरथ चौधरी)

की। माननीय सभापति महोदय, गांव, खेत और खलिहान से निकल कर इस देश का विकास हो सकता है। अभी पूर्व माननीय सदस्यों ने कहा कि पंच शब्द निकला है यह अनादि काल से है। हमारे इस देश में तो पंचों ने न्याय किया है, फैसला किया है। उसी के आधार पर ग्राम पंचायत का गठन हुआ है। परन्तु दुर्भाग्य है कि देश के आजाद होने के 67 साल बाद भी बेकारी, भूखमरी, बेरोजगारी ज्यों की त्यों है। गांवों का हाल बेहाल है। आज यह स्थिति है कि बड़े से बड़ा जन प्रतिनिधि हो, वह जनता की नजरों से ओझल हो चुका है। आज से 50 साल पहले गांव का सरपंच होता था, उसका बहुत बड़ा सम्मान होता था। जनता उसको सिर आंखों पर बिठा कर रखती थी। परन्तु दुर्भाग्य से आज जन प्रतिनिधि का जो सम्मान होना चाहिए वह सम्मान अब नहीं रहा। कहीं न कहीं जन प्रतिनिधियों की इसमें कोई गिरावट आई है।

सभापति महोदय, मैं मनरेगा की बात करुं, मेरा यह मानना है रोजगार गारंटी योजना के अन्दर सब को रोजगार मिलना चाहिए। परन्तु मुझे लगता है कि यह एक विदेशी साजिश है। आज विदेशों में भी यदि कोई बेरोजगार है तो उनको बेरोजगारी भत्ता मिलता है, यहां भी इस देश में, यह व्यवस्था होनी चाहिए। परन्तु एक साजिश के तहत, हमारा भारतवासी, गरीब, किसान, मध्यवर्ग, जो स्वाभिमान से जीता था उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने के लिए, यह अभी कह रहे थे कि यूपीए की सरकार ने, यह रोजगार गारंटी के तहत, मैं तो कहता हूं कहीं न कहीं यह बहुत बड़ी साजिश है। यदि इसकी बजाए, रोजगार के बजाए उसको बेरोजगारी भत्ता मिले, उसका अकाउण्ट खुले, सीधे उसके अकाउण्ट में पैसा जाए तो सीधा उस व्यक्ति को फायदा भी हो जाएगा और वह कामचोर होने से भी बच जाएगा। यह एक बहुत बड़ी साजिश है और यह साजिश है कि यह कृषि प्रधान देश है इस देश की खेती को कैसे बरबाद किया जाए। आज पूरे विश्व की नजर, हमारे देश का बहुत बड़ा बाजार है, सवा सौ करोड़ से ज्यादा की जनसंख्या है, वह टकटकी लगा कर इस बाजार को हथियाने के लिए बैठे हैं। इसलिए मेरा तो यह मानना है कि सबसे पहले इन्होंने कृषि को बरबाद करने के लिए, सभापति महोदय, मुझे लग रहा है आने वाले 10-15 साल बाद किसान का बेटा खेती करना बंद कर देगा। अब वह समय चला गया है बिना हिसाब लगाए खेती का कार्य करते जाएं। आज जितना मोटा किसान है उतना ही ज्यादा कर्जदार हो गया है। आज यदि सबसे ज्यादा कोई दुःखी है तो किसान है। मजदूर सुखी है जो अपना और

(श्री भागीरथ चौधरी)

अपने परिवार का पेट तो पाल सकता है। आज किसान के सामने रोजी रोटी का सवाल खड़ा हो गया है। मेरा यह मानना है कि यह मनरेगा है, मुझे पता है मेरे विधान सभा क्षेत्र में है। अरूणा राय, जो विदेशी बैंक, वहां उनका आना जाना रहता है। यह हम नहीं कह रहे कि रोजगार मिलना चाहिए, रोजगार तो पहले भी मिलता था। आज यह हालत हो गई है, कितना भ्रष्टाचार इसमें चल रहा है। मनरेगा में कुछ नहीं है, एक भ्रष्टाचार का अड्डा हो गया है। फर्जी हाजरियां चल रही है। यह हालात हैं, कई तो ऐसे हैं जो बाहर रहते हैं, दस-दस साल से अपने गांव नहीं आते हैं, उनकी भी उसमें हाज़री चल रही है। उससे हजार, दो हजार रुपये लेते हैं और उसका बाकी पैसा उठा लेते हैं। सभापति महोदय, इसलिए मेरा तो यह निवेदन है कि यह मनरेगा है इसकी जगह हर व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए। जो सरकारी पद के ऊपर नौकरी है, उसके अलावा जो भी है, चाहे किसान है, चाहे मजदूर है, उसको बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए। आज विदेशों में भी यही प्रक्रिया है। उनको बेरोजगारी भत्ता मिलता है। मेरे पास में यहां पुष्कर है। जो फोरेनर्स आते हैं तो हम देखते हैं कि यह बहुत बड़े सम्पन्न होंगे। परन्तु मैंने उनसे पूछा, तो कहा कि हम बहुत गरीब हैं। हमारे को बेरोजगारी भत्ता मिलता है। वहां मंहगाई है, इसलिए हम यहां आते हैं। ज्यों ही समय सीमा होती है, वापस चले जाते हैं, फिर वापस वीजा बना कर आ जाते हैं। इसलिये मेरा मानना है कि इस मनरेगा की जगह हमारे देश में बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए ताकि किसान बर्बाद होने से बच सके। हमारे यहां पर किसान बरबाद हो गया। सारे उद्योग चौपट हो गये। हालात यह हैं कि यहां पहले इतना हार्ड-वर्क करते थे, आज यह हालत है कि खेती के कारण काम करना बंद कर दिया। चाहे कोई भी उद्योग हो, वहां काम करना बंद कर दिया। फर्जीवाड़ा चल रहा है। मेरा तो यह मानना है, सभापति महोदय कि यह एक बहुत बड़ी विदेशी साजिश है, इस मनरेगा को चलाकर। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयीजी ने नदियों को जोड़ने के लिए जो पैसा इकट्ठा किया उसको मनरेगा के नाम से, सभापति महोदय, मुझे पता है 2008 के अन्दर कांग्रेसी यह कहते थे, मैं यह कह सकता हूं कि 2003 से 2008 में मनरेगा के अन्दर काम भी हुआ एवं आम के आम और गुठली के दाम भी हुए। हर क्षेत्र में विकास के कुछ काम भी हुए मनरेगा के तहत। परन्तु ज्यों ही कांग्रेस की सरकार आई, इन्होंने इसको फेमिन वर्क बना दिया। 2008 में यह कहा गया, देखो, कांग्रेस ने कभी, मारवाड़ी में, देखो, लुगाइयां,

(श्री भागीरथ चौधरी)

कदे एक तगारी नाकने जरुरत पड़ी कै थ्हाने, म्हांके राज में, नहीं, देखो वसुंधराजी ने तो आपकी कमर ही झुका दी। महिलाएं भोली-भाली, उन्होंने देखा, यह कांग्रेसी, वास्तव में एक तगारी नाकने की जरुरत नहीं है मिट्टी की। ऐसे बहका कर, उन्होंने मनरेगा, जो पहले कार्य हुआ 2003 से 2008 में आदरणीय वसुंधराजी के समय में, उसका इन्होंने भट्ठा बैठा दिया। इन्होंने हर आदमी को कामचोर बना दिया। आपको पता है, इससे हमारा देश बरबाद हो जाएगा। इसलिए सभापति महोदय, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि इस मनरेगा की जगह आम जनता को फायदा देने के लिए बेरोजगारी भत्ता या कोई न कोई योजना बनानी चाहिए ताकि भ्रष्टाचार भी रुक जाएगा और उनको फायदा भी हो जाएगा।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): वह बनाओ, अब आप बनाओ।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): हां बनाएंगे। अटलबिहारी वाजपेयीजी ने नदियों को जोड़ने के लिए जो पैसा इकट्ठा किया, उसको मनरेगा में सब साफ कर दिया। बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का। यदि नदियां जुड़ जातीं, मैं तो यह कह रहा हूं। आज अपन ग्रामीण रोजगार की बात करते हैं। यदि नदियां जुड़ जाएं, हर खेत को पानी मिल जाए, हर हाथ को काम मिल जाए तो बेरोजगारी खतम हो जाए और गांव में खुशहाली आ जाए। इसलिए विपक्ष के नेताजी, मैं तो यह कह रहा हूं कि हमें सोचने की जरुरत है। पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है। यह सच्चाई है। यह एक बहुत बड़ी साजिश है कि हमारा हिन्दुस्तानी जो हमेशा कड़ी मेहनत करता था, उसके स्वाभिमान को चोट पहुंचा कर उसको निकम्मा किया जाए और देश को बरबाद किया जाए और इस देश के ऊपर कब्जा किया जाए। इसलिए मेरा तो यही मानना है कि इस मनरेगा की जगह कोई दूसरी योजना बनाई जाए।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने इस नरेगा को जिस तरीके से हमारा सबका, आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि हमारा सबका यह ध्येय है कि रोजगार मिले और उसको अच्छी तरीके से रोजगार मिले। मनरेगा जो है, मनरेगा, आपका जो कानून बना हुआ है, उस कानून के तहत मजदूर जो है, चाहे खेतीहर मजदूर हो, चाहे शहर में रहने वाला जो मजदूरी करता हो, उस मजदूर की आज दिहाड़ी, उसके दिनभर की कमाई चार सौ रुपये के करीब हुई है, जब नरेगा नहीं आई थी, उस वक्त में सत्तर रुपये थी, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से कहना चाह

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

रहा हूं, सत्तर रुपये उस मजदूर की मजदूरी थी। इस नरेगा आने के बाद में आज चार सौ रुपये के अन्दर आपको लेबर नहीं मिल रही है। यह सारा का सारा श्रेय मनरेगा को जाता है। इसमें आप कह रहे हो सुधार की बात है। (व्यवधान) एक मिनट।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): सभापति महोदय, आप एक पहलू की तरफ ध्यान दे रहे हो, दूसरा पहलू देखो। यदि किसान खेती करना बंद कर देगा, उसका पड़ता नहीं खा रहा है। आपको पता है, आज यह हालत है, आज कृषि की ...(व्यवधान) हां करेंगे। हथेली में सरसों उगती नहीं है। अब करेंगे। अब हमारे नरेन्द्र भाई मोदी आये हैं। हमारा विजन सही है, हमारी नीयत सही है। इसलिए होगा, अब यह सब काम होगा। पर आपने तो वोटों की खातिर सब कुछ कबाड़ा कर दिया। इसलिये मेरा यह कहना है। आप एक पक्षीय बात कर रहे हो। पहले कौनसा मजदूर काम करता था। सब कुछ था। हमारी खेती भी चलती थी। आज यह हालत है। धीरे-धीरे खेती करना बंद कर देगा किसान। क्या खाने जाओगे आप? क्या होगा उस किसान का? वह किसान कहां जाएंगे? जब बेरोजगार हो जाएंगे किसान तो इस देश की क्या स्थिति बनेगी यह तो देखिये आप। सभापति महोदय, मेरा यह कहना है कि आज जो इतना पैसा आ रहा है। मैं तो यह कह रहा हूं, ग्रामीण विकास की बात कर रहे हो, आपके 2008 से 2013 में जो बजट ग्रामीण विकास के लिए आया, क्या आपने उसको काम में लिया। वापस लौट कर चला गया। आपने तो भट्ठा बैठा दिया इस प्रदेश का। जितना पैसा, जो फण्ड आया, उस फण्ड का आपने उपयोग ही नहीं किया। इसलिए, सभापति महोदय, मेरा यह कहना है कि पंचायत राज विकास के लिए बना। आज यह हालत है, सबसे बड़ी हालत है, गिरावट आई है चारों तरफ से। आप तो यह कह रहे हो, जो यह हालत है, जो नरेगा में मेटों की मेहरबानी, ऐसी हालत हो रही है कि उनके जचे जो वह कर रहे हैं। फर्जी हाजिरी लगा रहे हैं। मेरा तो यह मानना है कि इस राज्य में नरेगा योजना में मेटों की मनमानी रोकने हेतु कामगारों की उपस्थिति हेतु टेबलेट, टाइमकीपर, मशीन के उपयोग की आवश्यकता है अभी ताकि भ्रष्टाचार रुके। वास्तव में जो मजदूर हैं, जो वहां जा रहा है, उसको पूरा पेमेण्ट मिले। फर्जी हाजिरी की वजह से जो वास्तव में काम करते हैं उनको पूरा भुगतान ही नहीं हो पा रहा है। आज हालत यह है कि जो जितना पैसा मिलना चाहिए, वह पैसा नहीं मिल पा रहा है। तो यह आपकी पूर्ववर्ती सरकार ने यह सब कबाड़ा किया है। आप

(श्री भागीरथ चौधरी)

जानो, आपने पांच साल में ऐसी हालत खराब कर दी तो सुधरने में तो टाइम लगेगा। सभापति महोदय, मेरा तो यह कहना है कि इस नरेगा के जो कार्य हैं उसमें 60 प्रतिशत श्रमिक और 40 प्रतिशत सामग्री के अनुपात में अभी चल रहा है। इसको 50:50 प्रतिशत करना चाहिए ताकि पक्के काम हो सकें। यह 60:40 के रेश्यो से वास्तव में काम हो रहे हैं, श्रमिकों द्वारा जो कच्चे कार्य नियोजित किये जा रहे हैं, उन कार्यों की किसी प्रकार की उपयोगिता नहीं हो पा रही है। इसलिए सभापति महोदय, आपके द्वारा मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाह रहा हूं कि इस 60:40 के अनुपात को 50:50 प्रतिशत करें ताकि अच्छे और पक्के काम हो सकें। सभापति महोदय, मेरा यह मानना है कि आज जो ग्रामीण विकास की बात है, उसके अन्दर वास्तव में जो राज्य वित्त आयोग, एस.एफ.सी. द्वारा पंचायत समितियों को मिलने वाली राशि है उसमें वृद्धि की आवश्यकता है। आज एक पंचायत को एक वर्ष में चार-पांच लाख रुपये दिये जा रहे हैं। सभापति महोदय, इस मंहगाई के समय में बजरी, सीमेण्ट हर चीज मंहगी है। पत्थर मंहगे हैं। ऐसी स्थिति में चार-पांच लाख रुपये से, कुछ ग्राम पंचायतें तो इतनी बड़ी हैं कि उसमें कोई पूरा काम हो ही नहीं सकता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस फण्ड को बढ़ाया जाए ताकि उसमें स्वच्छता, पेयजल आदि हैं, सी.सी. रोड हैं, वह सही ढंग से बन सकें। सभापति महोदय, मेरा यह कहना है कि वास्तव में यह तो सही है कि पंचायत राज बना विकास के लिए और जब पहले उस समय की परिस्थितियां थीं, परन्तु अब पंचायत राज राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के लिए, यह राजनीति बनी विकास के लिए, परन्तु अब यह विनाश के लिए बन गई है और इससे गांव में इतनी बड़ी वैमनस्यता हो गई है और यह हालत है कि इतना भेदभाव हो गया है कि एक-दूसरे के विकास में रोड़े अटकाने की कोशिश करते हैं। अभी माननीय सदस्य ने जो बताया कि इतने नीचे बी.एस.आर. कर लेते हैं और फिर वह काम ही नहीं करते हैं। दूसरा सभापति महोदय, मेरा यह मानना है कि आज गांवों में भी, शहरों में ही नहीं, गांवों में भी जीवन शैली बदल गई है। अब शहर की तरह गांव का व्यक्ति भी रहना चाह रहा है। गांव में अपने घर के अन्दर लेट्रीन, बाथरूम वगैरह सब बना लिये हैं। वह पानी घर के बाहर चला जाता है। लेकिन उसके निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिये मेरा कहना है कि इस बजट को बढ़ाकर गांव में और विशेष तौर से गांव के अन्दर सी.सी. रोड बननी चाहिए, नाली बननी चाहिए, नहीं तो अब हालात बड़े खराब होने

(श्री भागीरथ चौधरी)

लग गये हैं। इतना कीचड़ है कि उससे असंख्य तरह की बीमारियां पैदा होने लग गईं इसलिए मेरा, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यही निवेदन है कि सी.सी. रोड जरूरी है क्योंकि वह डामर तो बनती है और हाथों-हाथ उखड़ जाती है।

दूसरा, ग्रामीण गौरव पथ की बात है। नौ हजार की जनसंख्या। माननीय सभापति महोदय, नौ हजार की जनसंख्या कहां, किसी भी विधान क्षेत्र में? एक गांव भी नहीं मिलेगा तो फिर मेरा यह निवेदन है कि इसकी संख्या को कम किया जाए ताकि गौरव पथ का गांवों को लाभ मिल सके।

गांवों के अन्दर ही सबसे ज्यादा समस्या है। सड़क नहीं है, पीने का पानी नहीं है, सारी समस्याएं हैं। आज हालत यह है कि गांवों में टीचर नहीं हैं, डाक्टर्स नहीं हैं, मास्टर्स नहीं है, हालत बड़ी खराब है। कोई कर्मचारी गांवों में नहीं जाना चाहता है इसलिए मेरा यह निवेदन है कि गांवों को सशक्त करने के लिए, गांव के विकास के लिए, गांव में जो भी कर्मचारी जाए उसको उल्टा, पता नहीं यह अंग्रेजों के समय से यह कौनसी पद्धति, वर्षों-वर्षों तक इन्होंने ही राज किया है और यह तो यही चाह रहे हैं कि गरीब गरीब ही बना रहे, गांव का विकास नहीं हो, तब तक इनके चंगुल में फंसे रहें।

इसलिए, माननीय सभापति महोदय, मेरा मानना है कि गांव के विकास की चिंता करनी चाहिए। गांव में जाने वाला कोई कर्मचारी हो उसको ज्यादा प्रोत्साहित करना चाहिए। उसको ज्यादा, हाउस भत्ता आज शहर में रहने वाले को ज्यादा दे रहे हैं और गांव वाले को कम जबकि इसका उल्टा करना चाहिए। वह तो सब चाहते हैं कि हम शहर में रहें जबकि गांवों में रहने वाले को चौगुना करना चाहिए। शहर में रहने वाले को कम करना चाहिए। इसलिए माननीय सभापति महोदय, मेरा आपसे यही निवेदन है कि इन ग्राम पंचायतों को सशक्त किया जाए। इनको पूरी राशि दी जाए और यह जो मनरेगा में धांधली हो रही है, इस पर अंकुश लगाया जाए तब ही यह गांव का विकास हो सकता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं दो मिनट में खतम करूंगा। गांवों में कृषि क्षेत्र में सोलर ऊर्जा के उपकरण के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि पहले जो सब्सिडी 86 प्रतिशत थी उसको घटाकर 60 प्रतिशत कर दिया गया है। उसको वापस कम से कम 70 प्रतिशत किया जाए। सोलर ऊर्जा का जब संयंत्र

(श्री भागीरथ चौधरी)

लगेगा तो इससे कम से कम 25 हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य हम पूरा कर सकते हैं और गांवों के अन्दर किसान को दिन में भी बिजली मिलेगी तो पानी का भी सदुपयोग होगा तो इसलिए इसके अन्दर और ज्यादा सरकार द्वारा सब्सिडी मिलनी चाहिए, मेरा आपसे यह निवेदन है। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार।

श्री सभापति: श्री जयराम जाटव।

श्री जयराम जाटव (अलवर ग्रामीण): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या-28 ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम, मांग संख्या-49 स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और समनुदेशन एवं मांग संख्या-50 ग्रामीण रोजगार, इन मांगों पर मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, कई दिनों से पक्ष और विपक्ष इस चिंता में है कि इस प्रदेश का भला कैसे हो। कल मैं देख रहा था कि चिकित्सा की मांग के बाद में जब चिकित्सा मंत्री का भाषण हुआ तो बीच-बीच में कई बार सत्ता पक्ष के लोगों ने मेजें थपथपा कर अभिनंदन किया। विरोधी पक्ष कांग्रेस के माननीय सदस्य इस चिंता में थे कि जो यह अपना बजट आया है चिकित्सा विभाग का, वह आ कैसे गया।

सबसे पहले तो मैं कोटि-कोटि आभार और धन्यवाद प्रस्तुत करना चाहता हूं इस प्रदेश की यशस्वी माननीया मुख्य मंत्रीजी को कि पहली बार यह चिंता की है इस ग्रामीण विकास के लिए, उन्होंने गांव में जो सड़कों की बात कही है कि गांव में किस तरह का विकास हो, उसमें निर्मल ग्रामीण सड़क योजना के माध्यम से जो सड़कों का काम, इतने माननीय सदस्यों ने बात कही है यहां पर उसमें सबसे बड़ी बात जो गांव में गंदगी, कीचड़ क्यों हो रहा है।

माननीय सभापति महोदय, मैं 1988 में सरपंच बना था और 1990 में पंचायती राज कानून बनाने के लिए दिल्ली हमको बुलाया गया जब इस देश के प्रधान मंत्री राजीव गांधी थे और यह चिंता, चार दिन तक पंचायती राज सम्मेलन चला। इस प्रदेश से टोंक के जिला प्रमुख हुआ करते थे द्वारका प्रसादजी बैरवा और सीकर के जिला प्रमुख थे आपके पिछली बार जो उसके मंत्री थे, सारी, चेयरमैन थे मोरदिया साहब और यहां से, राजस्थान से सारे

(श्री जयराम जाटव)

जन-प्रतिनिधि शिड्यूल्ड कास्ट के, मैं शिड्यूल्ड कास्ट की बात कर रहा हूं, वहां पर गये। पूरे देश में से कहीं से भी कोई जन-प्रतिनिधि नहीं आया। नोमिनेट जन-प्रतिनिधि आये और यह चिंता व्यक्त की कि इस पंचायती राज को कैसे मजबूत किया जाए, कैसे ग्रामीण, गांवों का, इस देश का भला हो और विकास कार्य हो। उसमें यह भी चिंता व्यक्त की कि जो सदियों से पिछड़े लोग हैं चाहे वे अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं को आरक्षण की व्यवस्था उसमें की थी और जब पिछली बार 2003 से 2008 तक हमारे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट थी और श्रीमती वसुन्धराजी मुख्य मंत्री थीं उन्होंने 50 परसेंट आरक्षण महिलाओं को दिया। 1994 धारा-8 के अनुसार यह जो आरक्षण की व्यवस्था हुई, आज अपन जाते हैं और जाकर देखते हैं, मैं पंचायत समिति की जनरल बोडी की मीटिंग में गया तो वहां पर जो ग्राम पंचायत की सरपंच हैं लेकिन वह सरपंच नहीं सरपंच का या तो पति सरपंच बना बैठा है या उसका ससुर बैठा है या उसका देवर बैठा है। मुझे पता ही नहीं था कि इस ग्राम पंचायत की एक सरपंच महिला थीं। मैंने जब विधान सभा का चुनाव जीता तो लिस्ट देखी तो मैं एक वकील था, उसी को सरपंच जानता था। उसको भगवान दास के नाम से सरपंच कहा करता था। आज यह जो आरक्षण की व्यवस्था की है, आरक्षण का लाभ उस वर्ग को मिलना चाहिए जो वर्ग सदियों से पिछड़ा हुआ है। आज हमारे इस विधान सभा में हमारी बराबर कई विधायक महिला इस अधिकार की बात पर चिंता कर रही हैं कि इस अधिकार को कैसे, जो हमको मिला है, उसका उपयोग कैसे किया जाए।

हमारे प्रदेश का आम आदमी, पहले 80 प्रतिशत आबादी गांव के लोगों की बताते थे लेकिन अब 70 ही बच गई। गांव का पढ़ा-लिखा व्यक्ति होकर गांव छोड़ कर चला जाता है। शहर में चला जाता है सुरक्षा की दृष्टि से और बच्चों को पढ़ाने के लिए या वहां पर व्यवस्था के लिए, बिजली, पानी, सड़क सब कुछ आएगा।

गांव में जो बच जाता है उसके बाद में उसका गांव का विकास कैसे हो? जब कोई जन-प्रतिनिधि गांव में विधायक, प्रधान या सांसद जाता है तो गांव के लोग बार-बार यह मांग करते रहते हैं कि मेरे मोहल्ले में सड़क नहीं है। हमारे गांव में पानी की व्यवस्था नहीं है। हमारे गांव में लाइट की व्यवस्था नहीं है। आज 67 साल की आजादी के बाद भी गांव का आदमी विकास के लिए तरस रहा है। इसमें केवल ऐसा नहीं है कि गांव का आदमी विकास के

(श्री जयराम जाटव)

लिए तरस रहा है तो कहीं दोषी जन-प्रतिनिधि भी रहे हैं। ऐसा एक कानून बनाया पिछले दस साल पहले राजस्थान गवर्नमेंट ने कि पंचायत का जो ग्राम सेवक, जो सरपंच का, ग्राम सेवक होता है सचिव, उसको भी बराबर की पावर दे दी। अगर कोई विकास का काम करवाने के बाद चैक निकालना है तो बराबर के साइन होंगे। यह पावर सचिव को इसलिए दी गई थी कि कहीं कोई विकास कार्यों में गडबड़ नहीं हो या गबन नहीं हो। यदि गबन भी होता है तो सैक्रेटरी बराबर का जवाबदेह है लेकिन अब उलटा हो रहा है। ग्राम पंचायत में हम विकास की बात करते हैं। जो हमारे यहां पर किसी भी तरह का फण्ड जाता है और वह सरपंच है न उसको रोकड़ का पता नहीं। उसके जो राजीव गांधी भवन बने हैं पंचायतों से हटाकर, उस सरपंच को रोकड़ का पता नहीं, उसकी चैक बुक का पता नहीं, किसी भी तरह के दस्तावेज आपको ग्राम पंचायत के राजीव गांधी भवन में नहीं मिलेंगे। यह ग्राम पंचायतों के सरपंच की पीड़ा है। मेरा एक आग्रह है, ग्रामीण विकास मंत्रीजी तो नहीं हैं लेकिन शायद हमारी बात को अंकित कर रहे होंगे।

मेरा एक आग्रह है कि जो ग्राम पंचायत सैक्रेटरी है, अगर राजस्थान के इस पंचायत राज को और सरपंचों को अधिक शक्तियां देने की बात करते हैं तो ग्राम पंचायत सैक्रेटरी को उस फण्ड से बराबर के हिस्से से अलग करना चाहिये। सरपंच को पावर होनी चाहिये। सरपंच केवल ग्राम सचिव का काम करे। समय बड़ा परिवर्तित हो गया। उसके बाद में मैं 1995 में जिला पार्षद जिला। हमारे माननीय विधायक भी कह रहे थे जिला परिषद का सदस्य, पंचायत समिति का सदस्य बनने के बाद में केवल वोट डालता है, या फिर वह जब बाडी की मीटिंग होती है जिला परिषद या पंचायत समिति में, वहां आकर उसको जो नाश्ता मिल गया, आकर वह चला गया और वह अपनी बात रखकर आया। उसके बाद में उसका कुछ अता-पता नहीं।

माननीय सभापतिजी, मेरा एक आग्रह और है माननीय मंत्रीजी से। यह जो ग्राम पंचायतों में चाहे ग्राम सभा हो, पंचायत समितियां जिला परिषद की मीटिंगों में, जो जनरल बाडी की मीटिंगें होती हैं, उनमें जो भी सदस्य अपनी बात रखता है, क्या उसकी समीक्षा की जाती है आपके कार्यकारी अधिकारी के द्वारा? कभी पूरे जिले में किसी पंचायत समिति या जिला परिषद की मीटिंग की समीक्षा की जाती है? उस मीटिंग में किस सदस्य ने अपनी बात रखी थी और उसके बाद में उसकी क्रियान्विति हुई कि नहीं, उसका काम

(श्री जयराम जाटव)

हुआ या नहीं हुआ? इसमें माननीय सभापतिजी, मेरा आग्रह है कि इसमें संशोधन करने की जरूरत है। इसमें खूब बजट आता है। बजट पूरा लगता क्यों नहीं है? कहीं बी.सी.आर. कुछ हैं, कहीं पहाड़ी इलाका है, कहीं रेतीला इलाका है। हमारे सदस्य महानरेगा की बात बहुत कर रहे थे। हमारे जिले में नरेगा के मजदूर नहीं मिलते हैं। हमारा दिल्ली-हरियाणा से लगता हुआ जिला है। हमारे यहां नरेगा के मजदूर मिलते ही नहीं हैं। मण्डावर, किशनगढ़, तिजारा, बानसूर यहां नरेगा के काम इसलिए नहीं हो पाते हैं। यह अच्छी बात है कि गरीब को रोजगार मिलता है।

माननीय सभापतिजी, जो शक्तियां प्रदान करने की बात आई, गांव का आदमी जाता है ग्राम पंचायत में सरपंच के पास जाता है कि मुझे जाति प्रमाण पत्र चाहिए, मूल निवास प्रमाण पत्र चाहिए और वह तहसील में जाता है। किसी बच्चे को, छात्र को स्कूल में एडमिशन लेना है और उसको आवश्यकता है। अब तो ओ.बी.सी. के लोगों को भी आवश्यकता पड़ गयी, लेकिन वह सरपंच लिखकर दे देता है उसी दिन, सरपंच अपनी जेब में मोहर रखता है और मोहर लगाकर गांव की बुराई की वजह से वह दे देता है। वह छात्र आठ दिन तक तहसील के चक्कर लगाता रहता है। जब सरपंच की बिना अनुशंसा के या उसको प्रमाणित किये बिना तहसीलदार उसको नहीं बनाकर देगा तो ग्राम पंचायत सरपंच को ही पावर दे देनी चाहिए। जिला परिषद के सदस्यों को यहां तक पावर नहीं है, पंचायत समिति के सदस्यों को यहां तक पावर नहीं कि वह रिकमण्ड नहीं कर सकता कि फला गांव का, फला जाति का आदमी है। केवल सरपंच ही करेगा। हम पंचायत राज की बात कर रहे हैं। हम ग्रामीण विकास की बात कर रहे हैं। योजनाओं का खूब पैसा आता है, लेकिन लगता क्यों नहीं है? ग्राम पंचायत का सरपंच, जिला पार्षद या पंचायत सदस्य, इनको प्रशिक्षण दिलाया जाता है। गवर्नमेंट इनको ट्रेनिंग देती है कि आपको यह काम करना है, यह आपके अधिकार हैं। पंचायतों के पास अधिकार बहुत हैं। लेकिन पंचायतों के अधिकार, पंचायत का जो सरपंच है, उसको अगर कोई बताये भी तो उन अधिकारों को इस्तेमाल नहीं करता। चूंकि जिस दिन सरपंच का चुनाव होता है, उस दिन से दूसरा चुनाव जब तक नहीं आ जाए, तब तक दूसरी पार्टी जो हारी है, वह सब इस कोशिश में रहते हैं कि इसका विकास कहीं रूकवाओ, गलत माल डाल रहा है, सीमेंट सही नहीं डाल रहा। ऐसा भी नहीं कि सारे लोग खराब होते हैं।

(श्री जयराम जाटव)

माननीय सभापतिजी, मेरा आग्रह यह है कि पंचायत समिति के जितने कर्मचारी, अधिकारी हैं या जिला परिषद के हैं, इनको सबको पता है कि जब एस्टीमेट बनता है, तखमीना बनाया जाता है ग्राम पंचायत की सड़क का, नाली का और उसके बाद में जब उसकी जांच होती है और दो महीने के बाद में उसकी जांच होती है कि इसमें कितना काम हुआ, उसकी एम.बी. कितनी भरी गयी? छह महीने तक एम.बी. का पता नहीं चलता पंचायत समिति में जे.ईएन. का, ए.ईएन. का, उसकी एम.बी. का कुछ पता नहीं है। कितना एस्टीमेट बना, कितनी उसकी एम.बी. भरी गयी, उसका कितना भुगतान हुआ? कई सरपंच तो सैक्रेटरी के पीछे यू.सी. लेकर घूमते हैं।

मेरा आग्रह है, माननीय सभापतिजी, माननीय ग्रामीण विकास मंत्रीजी से आग्रह है कि इसमें चौकीदारी करने की आवश्यकता है। पंचायत राज में जब तक विकास नहीं हो सकता इस राजस्थान में, जब तक यहां पंचायत समितियां, जिला परिषद के कर्मचारी, अधिकारियों को, जो अधिकार हैं, जो पंचायत ग्राम में जाकर उनको चैक करने का, उनको काम मौके पर करने का, सरपंच के चुनाव से तीन महीने पहले, तीन महीने पहले उनको डर लगता है कि जो पैसा है, उस पैसे को हम पता नहीं तीन महीने पहले से अधिकार बंद कर दिये जाएंगे, चैक नहीं देंगे। इसलिए, माननीय सभापतिजी, मेरा आग्रह है, मेरा निवेदन है ग्रामीण विकास मंत्रीजी से, कि उनको इस तरह का जो पंचायत समिति के जो कर्मचारी, अधिकारी हैं, ...(व्यवधान) एक मिनट, एक बात और रह गई। भाषण लम्बा नहीं दूंगा। मैं शोर्ट में ही दूंगा। (व्यवधान)

श्री सभापति: यह आपका शोर्ट भाषण था क्या?

श्री जयराम जाटव (अलवर ग्रामीण): मेरा कोई राजनीतिक भाषण ऐसा नहीं, जो शायद इधर विधायकों को चुभ रहे हो और इधर कोई ...(व्यवधान)

श्री सभापति: नहीं-नहीं, आप संक्षिप्त में बोलिये। बोलिये संक्षिप्त में।

श्री जयराम जाटव (अलवर ग्रामीण): मैंने पंचायत राज की बात कही है। मैंने यह कहा है कि पंचायत का विकास होना चाहिये। सड़क के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। कांग्रेस के जो यह माननीय विधायक हैं, यह भी दिल से तो धन्यवाद दे रहे हैं, ऊपर से नहीं, मुंह से तो नहीं कह रहे माननीय मुख्य मंत्रीजी को, पर दिल से तो यह भी धन्यवाद दे रहे हैं कि गांवों में

(श्री जयराम जाटव)

सड़कों के कामों के लिए घोषणा की है। निर्मल गांव की बात आई। कांग्रेस में 30 बने। हम यह नहीं कहते 250 बने, 300 बने, लेकिन भला हो, विकास हो।

मेरी अन्त में एक बात बच रही है, उसे मैं रखना चाहता था कि माननीय सभापतिजी, पंचायतों में कई बार गबन हो गये। गबन में रिकवरी हुई आज तक? कोई रिकवरी नहीं हुई। जिला परिषद के कार्यकारी अधिकारी को, जिला कलक्टर को अधिकार है, वह पावर देते हैं। आज तक कोई राजस्थान में बता दे, कहां रिकवरी हुई है। जो खा गया, सो खा गया। आज पैसा विकास के लिए दिया जाता है।

मेरा अन्त में, एक और निवेदन है गांव में आवश्यकता है पैसे की, विकास की। हमारे जो विधायक कोष से पैसा मिलता है, माननीय सभापतिजी, यह चाहे शहर के विधायक हैं, चाहे वह गांव के हों, सबको पैसा बराबर मिलता है। शहर में आज जयपुर में विधायक कोष का पैसा कहां लग रहा है? मैं चला गया महेश नगर की तरफ, मैं जब 2003 से 2008 तक विधायक था, उसके एक साल के बाद में मेरी बेटी है महेश नगर, मैं वहां गाड़ी से गया तो मैंने देखा तो उस गेट पर लिखा हुआ था कि माननीय कालीचरण सर्राफ, विधायक जयपुर। आगे गया तो वहां भी गेट लगा हुआ था। तीसरी जगह भी देखा। मैंने सोचा कि कालीचरणजी सराफ ने इतनी कालोनी कैसे बना दी? कालीचरण सर्राफजी की इतनी कालोनी तो हो ही नहीं सकती। फिर मुझे किसी ने बताया यह विधायक कोष का पैसा है। वहां कोई चौकीदार नहीं है। वह गेट मेरे खयाल में 5-5 लाख के होंगे। बहुत भारी-भारी गेट हैं। गांव के लोग तो सड़कों के लिए तरसते हैं, पानी के लिए तरसते हैं। पंचायत राज में टी.एस.पी. का पैसा लगा पांच साल तक, मैं आरोप नहीं लगा रहा, मैं सच्ची बात कह रहा हूं। पांच साल में टी.एस.पी. का ग्राम पंचायतों को पावर देकर पैसा लगा, उस पैसे को ग्राम पंचायतों के प्रभावशाली लोगों ने अपने घर में बोरिंग लगवा लिये, घरों में हैण्डपम्प लगवा लिये। टी.एस.पी. के पैसे का दुरुपयोग हुआ पांच साल तक और नरेगा में तो लोग ऐसे कहते हैं जो करेगा वह भी मरेगा, नहीं करेगा वह भी मरेगा। पंचायत के सरपंच रोते रहते हैं। इस कानून को तो बदलने की आवश्यकता है। यह जो कानून है, इसको केन्द्र में हमारे माननीय जो पहली बार इस देश के प्रधान मंत्री बने हैं, नरेन्द्र भाई मोदी, उनको चिन्ता है कि इस कानून को बदला जाए महानरेगा। हमारा कोई आरोप नहीं है लेकिन नरेगा में कुछ समझ में नहीं बैठता।

(श्री जयराम जाटव)

दूसरा, मैं एक छोटी-सी अपील करना चाहता हूं, माननीय सभापतिजी, गांव के बी.पी.एल. लोगों को, चयनित परिवार को इंदिरा आवास का मकान दिया जाता है और जब उसका मकान सैंक्शन होता है वह बड़ा खुश होकर अपनी झोंपड़ी हटा देता है और जब उसकी बुनियाद भर जाती है तो एक किश्त दी जाती है और उसके बाद में जब पटाव होता है, दूसरी किश्त दी जाती है। जब उसका पटाव नहीं डलता उससे पहले तीसरी किश्त के लिए कहते हैं पटाव डाल कर ले जाओ। वह धक्के खाता है पंचायत समिति में कम से कम छह महीना, उसको पेमेंट नहीं मिलता। उसको मौके पर पेमेंट नहीं मिलता और दूसरा वह छप्पर से भी गया। मेरा यह आग्रह है कि जब मकान बन रहा है, ग्राम पंचायत का पट्टा मिला, नहीं मिला, या तो पट्टे की कंडीशन पहले होनी चाहिए और मकान बनने के बाद में उसको पेमेंट नहीं मिलता तो दोष किसका है?

माननीय सभापति महोदय, बी.पी.एल. के साथ जो अन्याय राजस्थान में, मैं अनुभव के आधार पर बता रहा हूं, इसलिए उनके साथ जो अन्याय होता है, गरीब के साथ उसके लिए जांच के लिए पंचायत समिति में या जिला परिषद से जितने बी.पी.एल. हैं, क्या अब तक सर्वे हुआ कि कितने बी.पी.एल. के लोगों को लाभ मिला, किसको नहीं मिला?

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं आपको ज्यादा लम्बी बात नहीं कहते हुए मेरी तीन मांगों को मेरा समर्थन और मेरी तीन मांगों के साथ पंचायत राज की मांग पर जो मेरे को बोलने का मौका मिला, आपको सब को बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री जगसी रामजी।

श्री जगसी राम (रेवदर): सभापति महोदय, मांग संख्या-28- ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम, मांग संख्या-49- स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और समनुदेशन, मांग संख्या-50- ग्रामीण रोजगार पर चर्चा हो रही है।

सभापति महोदय, आज पक्ष और विपक्ष ने अपनी-अपनी बात रखी और ज्यादातर महानरेगा की जो बात सामने आयी, 2003 से 2008 के बीच में महानरेगा में जो काम हुए वे पक्के काम हुए थे और उस समय सरकार परिवर्तन होने के बाद में पिछले साल के कांग्रेस के कार्यकाल में जो भी काम हुए वे सारे कच्चे काम हुए। महानरेगा के माध्यम से 2003 और 2008 के

(श्री जगसी राम)

बीच में जो काम हुए उस समय में किसानों के कुओं पर पक्की नालियां, किसानों के खेतों पर पक्के चैक डेम और हमारे सिरोही जिले में पक्के काम हुए। उस समय रेवदर विधान सभा क्षेत्र सिरोही तहसील में लगा हुआ था, उस समय हमारे सिरोही के प्रधान लुम्बा रामजी चौधरी थे उनको माननीय मुख्य मंत्रीजी वसुन्धराजी ने सम्मानित किया था।

पिछली कांग्रेस की सरकार में सारे जो कच्चे काम हुए, अभी मेरे से पूर्व माननीय सदस्य जो बात बता रहे थे बिलकुल सही बता रहे थे कि नरेगा में जो हुआ है वह सारा भ्रष्टाचार हुआ है लेकिन तुलनात्मक देखने जाएं तो कार्य करवाने वाली जो बागडोर है वह बागडोर यदि कमजोर है तो निश्चित तौर पर वे काम भी कमजोर होंगे।

सभापति महोदय, आज मैं निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्रीजी वसुन्धरा राजेजी ने अपने घोषणा पत्र में गुरु गोलवलकर योजना एवं सहभागिता योजना पुन: चालू की है, वाकई में सराहनीय है ताकि अपने क्षेत्र की जनता को और गांवों को सीधा-सीधा फायदा मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, ग्राम पंचायतों में पिछली सरकार ने जो राजीव गांधी सेवा केन्द्र और मिनी सचिवालय खोल रखे हैं, वे बता रहे थे कि पूरा सचिवालय रहेगा, बाकी पिछले पांच साल में एक भी मिनी सचिवालय में एक भी अधिकारी पूरे कार्यकाल में नहीं बैठा।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पूरे रेवदर विधान सभा क्षेत्र में काफी ग्राम पंचायतों में सचिव के पद भी रिक्त पड़े हैं, तो मैं इस अवसर पर मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे रेवदर विधान सभा क्षेत्र के रिक्त पड़े सचिवों के पदों को भी भरने की आप व्यवस्था करावें।

महानरेगा के माध्यम से पिछली सरकार में वृक्षारोपण का जो कार्यक्रम रखा था उस कार्यक्रम में कांग्रेस के राज में सिर्फ कागजों तक सीमित रखा था। तो वाकई में उस समय जो भ्रष्टाचार हुआ था। जो सरकार का पैसा और जनता का पैसा है उस पैसे का सदुपयोग होना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, राज्य सरकार ने प्रदेश में जिस पंचायत समिति में सबसे बड़ी जो ग्राम पंचायत होती है उसको निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना के तहत सम्मिलित किया है।

माननीय सभापति महोदय, मैं रेवदर पंचायत समिति की ग्राम

(श्री जगसी राम)

पंचायत मंडार, जो सबसे बड़ा कस्बा आया हुआ है वह उसमें सम्मिलित किया हुआ है, वहां पर कई ऐसे काम जो सेंक्शंड हुए हैं लेकिन अधिकारियों की लापरवाही से सेंक्शन किये हुए काम आज तीन महीने से अटके हुए पड़े हैं। मंडार कस्बा मेन सड़क से जुड़ा हुआ है, एक मिनी रोड के नाम से जाना जाता है वहां पर पूरे गांव का गंदा पानी होकर निकलता है लेकिन आज तक उसको सेंक्शन नहीं किया। मैंने जिला परिषद में मुख्य कार्यकारी अधिकारी को बात बतायी लेकिन वे बता रहे हैं कि वह फाइल जयपुर है तो मैं मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे छोटे-छोटे कामों के लिए भी जयपुर तक फाइल ना आये, उसको जिला स्तर पर ही सम्मिलित किया जाए तो जनता के लिए हित में रहेगा।

इसी तरह से, माननीय सभापति महोदय, मुख्य मंत्रीजी और मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि ग्राम पंचायतों में प्रत्येक जुड़े हुए हैं, जब 2003-08 में विधायक फण्ड से जो अपनी ग्राण्ट होती थी वो सामुदायिक भवन है, एक ग्राम पंचायत के अन्दर जैसे पांच या सात गांव हैं और एक ग्राम पंचायत बड़ी है तो उसमें इस कोने से उस कोने के बीच में विधायक अपनी अनुशंसा पर जब सामुदायिक भवन की घोषणा करता था तो वे जनता के उपयोग में काम आते थे लेकिन कांग्रेस की सरकार आने के बाद में वह योजना बंद करवा दी है, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि विधायक फण्ड से जो अपनी अनुशंसा पर सामुदायिक भवन है, जो जनता के काम में आने वाले हैं, बैठने के लिए जो व्यवस्था की जाती है उनको पुन: चालू करावाएं ताकि गांवों में एक सहूलियत मिले।

माननीय सभापति महोदय, मैं इस अवसर पर निवेदन करना चाहूंगा कि पेयजल के लिए, गांवों में पीने के पानी के लिए और गांवों के विकास के लिए अपन जो बात कर रहे हैं, मैं इस अवसर पर निवेदन करना चाहूंगा कि रेवदर विधान सभा क्षेत्र और सिरोही जिला फ्लोराइड से लगभग जुड़ा हुआ है, मैं इस अवसर पर निवेदन करना चाहूंगा कि फ्लोराइड स्ट्रेन्थन यंत्र लगायें ताकि गांवों के अन्दर स्वच्छ और सुन्दर लोग रहें और मजबूत लोग रहें। ऐसा आपसे मेरा निवेदन है।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में स्थानीय निकायों

(श्री जगसी राम)

में वर्षो पुरानी पाइप लाइन बिछाई हुई है उनको यदि बदला जाए तो क्षेत्र की जनता के बड़ा हित में रहेगा।

माननीय सभापति महोदय, प्रदेश में महानरेगा के माध्यम से चल रहे कच्चे कार्य, निर्माण चल रहे हैं यदि 2003 से 2008 के बीच में जो पक्की नालियां और किसानों के कुओं पर चैक डेम हैं उनको पुन: चालू किया जाए ताकि किसानों और क्षेत्र की जनता के बड़ा हित में रहेगा।

मैं आज के इस अवसर पर निवेदन करना चाहता हूं कि जो बरसात का पानी बह कर चला जाता है, छोटे-छोटे टांके आवश्यकतानुसार जो गांव की गोचर भूमि है या बिलानामा है वहां पर टांके बनाये जाएं ताकि गांव का पानी वहां ही स्टोरेज हो ताकि उसी धरती के अन्दर रहे तो किसानों के कुओं पर काम में आएगा।

नरेगा के माध्यम से समतलीकरण के लिए व तारबंदी के लिए यदि इस योजना से जोड़ा जाए तो किसानों के और जनता के हित में रहेगा। मंत्री महोदय से भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि विधान सभा क्षेत्र रेवदर में पंचायत समिति रेवदर और पंचायत समिति आबू रोड में स्टेट हाई-वे पर स्ट्रीट लाइट व सौर ऊर्जा लगायी गयी है उसमें जो खरीदी, लगायी गयी है उसमें कई प्रकार की, दोनों पंचायत समितियों में अनियमितता है तो मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि जो उसमें दोषी अधिकारी हैं उन पर आप कार्यवाही करें। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जो उसमें दोषी अधिकारी हैं उनके ऊपर कार्यवाही करें। वह जनता का पैसा है। सरकार का पैसा है। उसका सदुपयोग हो सके। मुझे बोलने का मौका दिया। उसके लिए धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: नेता, प्रतिपक्ष आप कुछ कहना चाह रहे थे।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मेरा था पाइंट आफ इन्फार्मेशन।

श्री सभापति: नेता, प्रतिपक्ष कह देंगे।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): एक मिनट साहब, मेरे इलाके की घटना है। मैं एक मिनट बोल देता हूं।

श्री सभापति: वह सूचना ही तो देनी है। नेता प्रतिपक्ष दे देंगे।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मैं भी दे दूंगा।

सूचना

नागौर में बलात्कार की घटना

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय सभापति महोदय, बहुत ही गम्भीर मामला है नागौर जिले का। नागौर जिले में परबतसर तहसील में पीलवा थाना है, पीहे गांव के अन्दर, आज की घटना है, ढाई साल उम्र की शिड्युल्ड कास्ट की एक बच्ची के साथ में रेप करके, उसका गला काट करके उसको जलाने की कोशिश की। आधा उसका शव जला और उसके बाद में गांव वाले आ गये। गांव वालों ने उसको पकड़ कर रखा है। मैं सरकार से यह निवेदन करना चाह रहा हूं कि अभी तक कलक्टर या सम्बन्धित अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा है। इसको गम्भीरता से लेते हुए सरकार उचित कदम उठाये। यह बहुत ही गम्भीर मामला है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सभापति महोदय, एक मिनट।

श्री सभापति: आन पाइंट आफ इन्फार्मेशन, मैंने सम्माननीय नेता प्रतिपक्ष को इजाजत दे दी। एक बार इन्फार्मेशन अगर आ जाती है तो बार-बार वह रिपीट नहीं हो सकती It is not allow during debate. यह सूचना आ गयी। मैं संसदीय कार्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सभापति महोदय, एक मिनट।

श्री सभापति: आप इसको दिखवा लें और आगे की कार्यवाही हम चालू करेंगे। एक मिनट, माननीय सदस्य, आप विराज जायें। संसदीय कार्य मंत्रीजी, मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जहां तक मंत्रीमंडल के सदस्यों की बात है, वह आफिसर्स गैलेरी में बात कर सकते हैं, सामान्य सदस्यों को आफिसर्स गैलेरी में बात करने की आसन इजाजत नहीं देता। इसका आप कठोरता से पालन करायें।

श्री सुरेश सिंह रावत।

मांग संख्या 28, 49 व 50 पर विचार

श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर): माननीय सभापति महोदय, आज पंचायती राज के बारे में सुबह से विचार-विमर्श हो रहा है। इस उपलक्ष्य में सबसे पहले मैं परम सम्माननीय स्वर्गीय श्री भैरोंसिंहजी शेखावत को नमन

(श्री सुरेश सिंह रावत)

करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं कि पंचायती राज को सशक्त बनाने के लिए उन्होंने आवश्यक कदम उठाये। इसके लिए उनका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, एससी, एसटी का नागरिक कभी सोच नहीं सकता था कि वह सरपंच बनेगा, प्रधान बनेगा, पंचायत समिति का सदस्य बनेगा, जिला परिषद का सदस्य बनेगा। लेकिन यह सब सम्भव भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने करके दिखाया। कांग्रेस कई वर्षों तक एससी, एसटी के नाम और वोट बैंक पर राजनीति करती रही। लेकिन कभी भी इन्होंने उनके विकास के लिए, उनके भले के लिए काम नहीं किया।

माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 28 और मांग संख्या 50 पर बोलते हुए मैं मांग करता हूं कि पंचायती राज की बीएसआर को पीडब्ल्यूडी की बीएसआर के समकक्ष किया जाए। यह बहुत पुरानी कहावत है और इसकी हम हर मौके पर बात भी करते हैं कि भारतवर्ष की आत्मा गांवों में बसती है। गांवों के विकास की रीढ़ की हड्डी पंचायती राज है।

माननीय सभापति महोदय, लेकिन पंचायती राज के अन्दर इतनी खामियां हैं कि उनको सुधारे बिना इस पंचायती राज का सुदृढ़ीकरण सम्भव नहीं है। आज जो कुशल श्रमिक है उसकी पंचायती राज की जो आरक्षित दर है वह 375 है, जबकि आप और हम सब जानते हैं कि उनकी बाजार रेट 500 और 600 रुपये के बीच है। एक मजदूर है उसकी मजदूरी की आरक्षित रेट 165 रुपये है, जबकि आम तौर पर साढ़े 300 रुपये से लेकर के 400 रुपये के बीच में हमें मजदूर मिलता है।

माननीय सभापति महोदय, हम सरपंचों को और पंचायती राज संस्थाओं को कितना ही दोष दे दें कि इसमें भ्रष्टाचार है। लेकिन भ्रष्टाचार करने के लिए मजबूर कौन करता है? भ्रष्टाचार करने के लिए मजबूर हमारे नियम, कायदे जो बनाये हुए हैं, वह करते हैं। कोई भी सरपंच बनता है तो उसकी नैतिक जिम्मेदारी है कि वह गांव का विकास कराये। आप ही बतायें कि 375 रुपये में कौनसा कारीगर काम करेगा? 165 रुपये में कौनसा मजदूर आयेगा? मजबूरन उसको घालमेल करना पड़ता है। नियम विरुद्ध काम करना पड़ता है।

माननीय सभापति महोदय, हम बात करते हैं कि पंचायती राज से इस राजनीति में लोग आएंगे और आगे बढ़ेंगे। लेकिन हमारे कानूनों में इतनी

(श्री सुरेश सिंह रावत)

खामियां हैं कि उसको सरपंच बनते ही 5 साल में वह भ्रष्टाचार में इतना ट्रेंड हो जाता है कि उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। इसके लिए हम जिम्मेदार हैं। हमें तत्काल प्रभाव से पंचायती राज के एक-एक कानून में जो खामियां हैं, उसके लिए एक कोई कमेटी बना कर के, धरातल पर उसकी समीक्षा करके आज जो मार्केट की बाजार दर है, चाहे वह सामग्री की हो, चाहे निर्माण कार्य हो, उसमें हमें बदलाव करने की अति आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदय, नियम 181 में संशोधन कर जिन योजनाओं में ठेका पद्धति पर प्रतिबंध नहीं है, उन योजनाओं में निर्माण कार्य ठेकेदार के माध्यम से कराये जाते हैं। अत: पीडब्ल्यूडी व अन्य विभागों की बीएसआर दरों में जो कांट्रेक्ट बेनिफिट्स शामिल होता है वह ग्रामीण कार्यों में भी लागू किया जाए।

माननीय सभापति महोदय, पंचायती राज में बहुत सारे रिक्त पद हैं, जिनकी वजह से काफी कार्य प्रभावित होते हैं। एक ग्राम सचिव के पास 3-3, 4-4 ग्राम पंचायतों का भार है। लाइन विभाग, जिसमें जल संसाधन विभाग, वन विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग आदि आते हैं, महानरेगा कार्य में कुल बजट का 45 प्रतिशत कार्य कराया जाना होता है जबकि लाइन विभाग 45 प्रतिशत कार्य नहीं कराते हैं। उन पर सरकार द्वारा किसी प्रकार का दबाव नहीं होता है तथा पंचायती राज पर सम्पूर्ण 100 प्रतिशत कार्य करने का दबाव रहता है। इससे पंचायतों पर अधिक दबाव बनता है तथा कर्मचारियों की कमी होने के कारण कई तरह की परेशानियां उठानी पड़ती हैं। माननीय सभापति महोदय, लाइन विभाग 43 प्रतिशत कार्य करे इसके लिए पूर्ण रुप से उसकी जवाबदेही निश्चित की जाए।

माननीय सभापति महोदय, ग्राम सचिव और सरपंच तकनीकी रुप से ट्रेंड नहीं होते हैं। इस बात की न तो कोई सरकार द्वारा व्यवस्था की गयी है और दूसरे सभी निर्माण कार्यों का तकनीकी उत्तरदायित्व सरपंच और सचिव पर ही निर्धारित किया जाता है। जबकि अन्य विभागों में तकनीकी अधिकारियों को ही शत प्रतिशत रुप से उत्तरदायी माना जाता है। यहां पर भी इस भेदभाव की नीति को समाप्त किया जाना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, अजमेर जिले के अन्दर 8 विधान सभा क्षेत्र हैं। 2 विधान सभा शहरी क्षेत्र से हैं और 6 विधान सभा ग्रामीण क्षेत्र से

(श्री सुरेश सिंह रावत)

हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पुष्कर विधान सभा क्षेत्र के अन्दर एक भी पंचायत समिति हैड क्वार्टर नहीं है। श्रीनगर पंचायत समिति और पीसांगन पंचायत समिति जो हैं वह नसीराबाद विधान सभा में आती है। एक सिलोरा पंचायत समिति है वह किशनगढ़ में आती है। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि पुष्कर विधान सभा क्षेत्र में नरवर और रूपनगढ़ 2 नई पंचायत समिति बनाई जाएं।

माननीय सभापति महोदय, महानरेगा योजना को कृषि के साथ जोड़कर महानरेगा मजदूरों से कृषि कार्य सम्बन्धी कार्य कराये जाने का प्रावधान करने की आवश्यकता है। गांवों में बेरोजगारी दूर करने के लिए गांवों के शिल्पकारों, लुहारों, कुम्हारों, मिट्टी और मार्बल की मूर्ति बनाने वाले तथा और भी अन्य छोटे-छोटे लघु उद्योगों में रूचि रखने वाले कारीगरों को विशेष ऋण इत्यादि देकर, प्रशिक्षण देकर प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, पुष्कर विधान सभा क्षेत्र में महानरेगा के कार्यों में सामग्री मद का भुगतान समय पर नहीं किया जा रहा है जिससे उनको काम करने में काफी समस्या हो रही है। आपके माध्यम से मंत्री महोदय से मांग है कि आप तत्काल प्रभाव से उनका भुगतान करावें।

माननीय सभापति महोदय, प्रदेश में ग्राम पंचायतों द्वारा संचालित जनता जल योजना, स्वजल धारा, हैंडपम्पों की मरम्मत का कार्य जलदाय विभाग को दिलाया जाए। प्रदेश में ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर सूचना बोर्ड लगा कर ग्राम पंचायत स्तर के अधिकारी, कर्मचारी, ब्लाक स्तर के जन प्रतिनिधि के नाम व दूरभाष नम्बर अंकित करने की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि ग्राम के लोगों को सुविधा हो सके। मनरेगा योजना में स्थायी व रचनात्मक परिसम्पत्तियों के निर्माण के सम्बन्ध में भी निर्णय लेना अति आवश्यक है।

माननीय सभापति महोदय, पंचायती राज के स्तर को सुधारने के लिए हमें पंचायती राज के चुनाव लड़ने वाले चाहे वह सरपंच हों, चाहे पंचायत समिति के सदस्य हों, चाहे जिला परिषद के सदस्य हों, इन सबका हमें शिक्षा का मानदण्ड तय करना होगा। चाहे वह दसवीं पास हो, चाहे वह बारहवीं पास हो, चाहे जो भी हो लेकिन इसका एक स्तर तय होना चाहिए। अभी माननीय पूर्व सदस्य महोदय ने बताया कि चरागाह में फर्जी पट्टे काट दिये। चरागाह

(श्री सुरेश सिंह रावत)

में पट्टे काट नहीं सकते, उस सरपंच के जेल जाने की स्थिति है लेकिन उस सरपंच को पूछा तो वह बोलता है कि मेरे को सैक्रेटरी ने जहां कहा वहां अंगूठा लगा दिया। माननीय सभापति महोदय, जिसको पढ़ना नहीं आता वह अंगूठा लगाकर क्या ग्राम का विकास करेगा इसलिए यह अति आवश्यक है कि हमें शिक्षा का स्तर तय करना होगा पंचायती राज के अन्दर। माननीय सभापति महोदय, आज गांवों के अन्दर गौ वंश की बड़ी दुर्दशा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन करता हूं कि ग्राम पंचायत के स्तर पर आवश्यक रूप से गौ वंश के लिए एक भू-खण्ड आरक्षित हो ताकि सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से उसका संचालन किया जा सके। आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री रमेश।

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 28, 49 और 50 पर आपने मुझे बोलने का समय दिया उसके लिए आपका आभारी हूं। आज पंचायती राज, ग्रामीण विकास और रोजगार से सम्बन्धित आज पूरे दिन चर्चा इस बात पर रही कि इसमें कैसे सुधार हो, आगे विकास के कार्य कैसे सम्पन्न हों और गुणवत्ता कैसे आये। इसके लिए सबसे पहले हमारे पूर्व प्रधान मंत्री राजीव गांधीजी 1994 में 73वां संशोधन लाये थे। उसकी धारा 28 और 29 के तहत प्रधान और जिला प्रमुख के चुनाव कराये गये। उनकी मंशा स्पष्ट थी कि स्वराज की स्थापना हो, पंचायतों का विकास हो, गांवों को मूलभूत सुविधाएं मिलें। आज हम सब सभी सत्ता पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्य इस प्रोसीडिंग्स में अपना नाम दर्ज करवा देंगे और यह रिकार्ड हो जाएगा। इस विभाग के जो मंत्री हैं कटारियाजी, मैं दिल से उनका सम्मान करता हूं और इस सरकार में सबसे अच्छे मंत्री हैं, मैं अपेक्षा करता हूं उनसे कि यह मौका है उनको कि इस पंचायती राज में सुधार हो और क्वालिटीवाइज काम हो और जो इसमें करप्शन है उसको कैसे खतम कर सकते हैं, इस पर कार्य करें। यह तो मैं नहीं कह सकता कि वह सौ परसेंट कर देंगे लेकिन उनके जो मन में, उनके जो दिल में करुणा है और मन में...

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय 2 घंटे के लिए और बढ़ाया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि क्या सदन का समय 2 घंटे के लिए और बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय 2 घंटे के लिए और बढ़ाया गया।

मांग संख्या 28, 49 व 50 पर विचार

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय सभापति महोदय, मंत्रीजी को मैं कहना चाहता हूं कि उनके मन में करुणा है और काम करने की क्षमता है, यदि सरकार ने उनको पूरी तरह से समर्थन दिया तो निश्चित रूप से पंचायती राज में बिलकुल व्यवस्था में सुधार होगा और इस करप्शन पर अंकुश लगेगा, ऐसी मुझे मंत्रीजी से आशा है। आज जो व्यवस्था है पंचायती राज की जड़ कहां से शुरू होती है सबसे पहले, प्रधान और जिला प्रमुख के चुनाव होते हैं, सदस्य बनाये जाते हैं, सदस्यों की खरीद-फरोख्त होती है और वह जिला प्रमुख कितने पैसे में बनता है, प्रधान कैसे बनता है यह सभी आप लोग जानते हैं, मेरे यहां ज्यादा चर्चा करने का विषय नहीं है। हम यह चाहते हैं कि सरकार सीधे चुनाव कराये नगर निगम, नगरपालिका की तरह और इस प्रस्ताव को सरकार भारत सरकार को पहुंचाये जिससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लग सके।

दूसरी व्यवस्था हमने ग्राम सभाओं की रखी कि ग्राम सभा होती है लेकिन गण पूर्ति होती है और केवल मात्र की खानापूर्ति होती है लोगों को पता लग गया, शुरू-शुरू में ग्राम सभाएं हुईं लोगों की भीड़ लगी लेकिन जब देखा कि सरपंच के घर पर यह खानापूर्ति हो रही है और वहीं वार्ड मैम्बर आ रहे हैं और साइन कर रहे हैं। यह व्यवस्था ऐसी मजबूत हो ग्राम सभा की कि लोगों को विश्वास जमे कि ग्राम सभा होगी, हमारे काम होंगे, हमारे गांव का विकास होगा।

एसएफसी, टीएफसी, अनटाइड फण्ड का जो पैसा आता है, सरकार ने सीधी व्यवस्था कर रखी है कि आनलाइन उसके अकाउण्ट में चला जाता है लेकिन वह पैसे का सदुपयोग नहीं कर पाता है क्योंकि वह एस्टीमेट देता है, जेईएन के माध्यम से जिला परिषद में जाता है, पंचायत समिति में जाता है और जब तक उस पर वज़न नहीं रखा जाता तब तक उसको परमिशन नहीं मिलती, उसको ले आउट नहीं मिलता। तो व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि चाहे जन प्रतिनिधि हो, चाहे अधिकारी हो, टाइम बाउण्ड कार्यक्रम हो और उसके पैसे का सदुपयोग हो और उसी हिसाब से तखमीना बने। एस्टीमेट बनाने के

(श्री रमेश)

लिए हमारे सरपंच लोग जगह-जगह भटकते हैं तो जेईएन, एईएन, जो अधिकारी होता है वह कहता है कि फलां जगह से बनवा के लाओ एस्टीमेट और ले भी जाता है बनाकर के तो उसको कैंसिल कर दिया जाता है, विशेष जगह यह एस्टीमेट बनते हैं। एक सरपंच के प्रति वर्ष इन कामों के लिए चक्कर काटने के लिए चालीस से पचास हजार रुपये खर्च हो जाते हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी को कहना चाहूंगा कि विभागीय एस्टीमेट बनाये जाएं। सरपंच इतना इन्टेलीजेंट नहीं होता या सभी नहीं होते तो वह चक्कर काटने पड़ते हैं। हमारे इस पंचायती राज में पचास परसेंट महिलाएं भी हैं जिनमें काफी पढ़ी-लिखी भी होती हैं लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो समझ नहीं पाते, बहुत चक्कर काटने पड़ते हैं इसलिए इस व्यवस्था में सुधार हो।

तीसरा, मेरा यह है कि सरपंच और ग्राम सेवक तकनीकी रूप से सबको कोई जानकारी नहीं होती, सभी पढ़े-लिखे होते हैं उसके बाद भी वे टेक्नीकल आदमी नहीं होते हैं तो उसके विकास कार्य जो होने चाहिए उसके गांव में उसको यह पता नहीं रहता कि मुझे कौनसे काम कहां कराने हैं, उसकी टेक्नीकली बिन्दु क्या होंगे, किस चीज से क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा क्योंकि इन ग्राम पंचायतों में राजस्थान में जो व्यवस्था है, एक जेईएन जो होता है, जूनियर इन्जीनियर, उसके पास बीस-बीस ग्राम पंचायतें होती हैं, पन्द्रह-पन्द्रह ग्राम पंचायतें होती हैं और एक ग्राम सेवक है उसके पास तीन-तीन ग्राम पंचायत होती हैं। ग्राम सेवक टैक्निकल आदमी नहीं होता है तो उसके बाद सरपंच क्या करता है कि कोई भी पैसा किसी मद में आया, पांच लाख रुपये आये, दस लाख रुपये आये, दो लाख रुपये आये, वह सीधा कहता है कि कोई पेटी पर ठेकेदार मिल जाए और पांच लाख का काम दो लाख में ले ले, तीन लाख में ले ले, वह तय कर देता है उसके बाद उसमें किस रेशो में उसका सीमेंट लगना है, किस रेशो में उसकी सेंड लगनी है, किस हिसाब से उसकी तराई होगी, किस हिसाब से उसकी क्योरिंग होगी, यह सारी व्यवस्था कहीं उस पर तालाब के पानी का सोर्स डवलप करना है, स्ट्रक्चर बनाना है तो उसको ही पता नहीं रहता है। डिस्चार्ज इधर होगा या उधर होगा या नाली में किधर पानी का ढलाव रहेगा, सड़क पर पानी भरेगा, ऊपर होगा, नीचे होगा, इसमें ग्रेडेशन की क्या व्यवस्था है, उसके पास कोई रोलर इक्विपमेंट या मिक्सचर या कोई काम्पेक्शन के या अदर्स जो भी टेक्नीकली उसके पास जो

(श्री रमेश)

होने चाहिए इक्विपमेंट वह नहीं होते हैं तो वह सिर्फ एक खाना पूर्ति होती है। आज गांवों में जाओ आप, सीसी हो रही है, पीछे से झाड़ू लगा दो, झाड़ू लग जाएगा तो हमारा जो पैसा है वह साइफन हो रहा है, उस पैसे को आप रोकें। आज आपने ग्राम पंचायत, पंचायती राज में पंचायत को जो पैसा दिया है, राजस्थान सरकार ने बजट में वह बजट का 17 परसेंट है, और उसके बाद जो पैसा मिला है, 19 परसेंट पावर में दिया है तो एक अच्छा पैसा दिया है लेकिन उस पैसे का सदुपयोग हो।

तीसरी मेरी बात यह है कि कोई भी सरपंच मान लो ईमानदार सरपंच है और वह काम करना चाहता है वह डाइवर्जन नहीं करना चाहता लेकिन इस पंचायती राज का सिस्टम ऐसा बन गया है कि जब तक आप पैसा नहीं देंगे तो एक ग्राम सेवक से लेकर उसको जिला परिषद और कलक्टर तक सिस्टम में जाना होना अदरवाइज उसका काम सैंक्शन नहीं होगा और उसको धक्के खाने पड़ेंगे और फिर वही सिस्टम बीडीओ के पास, जिला प्रमुख के पास, सीईओ के पास, एक्सईएन के पास, एईएन के पास गुजरेगा तो वह सोचेगा कि जब सारे लोग ही, सारे अधिकारी ही इस सिस्टम को करप्ट कर रहे हैं तो वह भी पीछे क्यों रहेगा तो इस व्यवस्था को भी आपको बदलना होगा।

तीसरा बिन्दु मेरा यह है कि इंदिरा आवास, मुख्य मंत्री आवास में जितना करप्शन है, वह देखेंगे, अन्दर तक जाएंगे तो पता लगेगा कि गरीब लोगों को वास्तव में मकान नहीं मिल रहे हैं चाहे आप 50 हजार कर दें, चाहे 70 हजार कर दें, चाहे इसको डेढ़ लाख कर दें क्योंकि सरपंच चाहेगा उसका बीपीएल में नाम जुड़ेगा, अगर बीपीएल में किसी कारणवश नाम आ गया है तो वह रिपोर्ट में बता देगा कि पक्का मकान बना हुआ है तो वह उस सुविधा से वंचित हो जाएगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्रीजी को कहना चाहूंगा कि जैसे-तैसे बीपीएल में नाम है और उसको फर्स्ट किस्त मिल जाती है उसके बाद सैकण्ड और थर्ड किस्त तब मिलेगी जब वह सिस्टम में आएगा, अदरवाइज उसका मकान नहीं बनेगा, उसका सपना साकार नहीं होगा, वह वहीं का वहीं रह जाएगा। कुछ लोग यह सोच लेते हैं कि 70 हजार मिल रहे हैं, 20 हजार सरपंच खा जाएगा, 10 हजार और चले जाएंगे, 30 या 40 मिलेंगे तो मकान बनाने से क्या फायदा, जो मिल रहा है उसको रख लो। तो उसका मकान का सपना पूरा नहीं होता।

(श्री रमेश)

इसी प्रकार आपकी पेंशन योजना है इसमें यही हाल है। पेंशन में नरेगा के माध्यम से आपने बिठा रखे हैं, डाटा एंट्री करते हैं वे किसका नाम जोड़ना है, किसका हटाना है, किसका आनलाइन करना है, 100-200 रुपये में गरीब का नाम सर्वे होकर आया, उसको हटा दिया, उसको पेंशन नहीं मिलती है।

इसी प्रकार हमारी जल ग्रहण योजना है इसमें सरपंच अध्यक्ष हो जाता है, सिस्टम में कमेटी बनती है, एक सचिव होता है उसमें जलग्रहण कमेटी का इंचार्ज सहायक अभियन्ता होता है। ये तीनों मिलकर कमेटी बनाएं और इसमें जब पैसा निकालने का वक्त आए तो बैंक अकाउंट में अभियन्ता की भी जिम्मेदारी हो कि पैसा निकलेगा तो वह भी उसमें शामिल हो। इससे जो डायवर्जन होता है कि गांवों में जलग्रहण हो, जल का विकास हो, जल को रोकने के साधन, सिस्टम हो, चारा पैदा हो, मवेशियों को पानी मिले, गांव वालों को भी पानी की सुविधा मिले। जलग्रहण का जो काम हो रहा है वह खानापूर्ति का साधन हो गया है। आज कमेटी बनाने के लिए आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा झगड़े हो जाते हैं। झगड़े इसलिए हो जाते हैं कि लोगों को पता लग गया कि इसमें कुछ सिस्टम है खाने का।

माननीय सभापति महोदय, इसी प्रकार हमारे विधायक और सांसद कोटे का पैसा है वह निर्धारित समयावधि में सैंक्शन होना चाहिए। हमारा पैसा सरपंच के अकाउंट में चला जाता है और हमें पता नहीं होता कि सरपंच काम करेगा या नहीं करेगा। सरपंच का कार्यकाल पूरा हो जाता है और पैसा खाकर वह चला जाता है। तो मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि जो सरपंच समय समाप्त होने के बाद विधायक कोष का पैसा खा जाता है तो उसके खिलाफ भी कार्यवाही हो और एमएलए, एमपी कोटे के माध्यम से जो विकास के कार्य जनता के उपयोगी हों उन्हीं कार्यों को कराएं, नहीं तो लोग कुछ एमपी कोटे से, एमएलए कोटे से ग्राम पंचायतों के आगे स्वागत द्वार बनवा देते हैं और उस पर लिखवा देते हैं फलाना सरपंच, फलाना बीडीओ, फलाना सचिव। ये जनता के काम नहीं आते, जनता का पैसा जनता के हित में ही लगना चाहिए।

तीसरा निवेदन है कि विधायक कोटे के कार्य की जो प्रोग्रेस है हर विधायक को छह महीने में जिला परिषद के माध्यम से दी जानी चाहिए कि हमने कितने कार्य अलाटमेंट किये

(श्री रमेश)

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

क्या प्रोग्रेस है और कितना पैसा हमारा शेष है जिससे हमें पता लगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं दो मिनट और लूंगा। हमारे डांग क्षेत्र में मंत्रीजी ने हमें बुलाकर सभी बीजेपी और कांग्रेस के विधायकों को बुलाकर कह दिया है कि जिन्होंने इंटरलाकिंग और ड्रेनेज का प्लान बनाया है वह बहुत बढ़िया सिस्टम डवलप किया है इन लोगों ने। एक ग्रेड तय कर दी जाएगी कि कौनसी ग्रेड की है एम-30, एम-20, एम-50, जिस ग्रेड की इंटरलाकिंग लगेगी और एक अच्छा विकास का काम गांव में होगा तो मंत्रीजी को इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। इसी तरह मंत्रीजी जो बीआरजीएफ का पैसा है उसका भी आप क्वालिटीवाइज निर्धारण करें और उसका भी विकास का काम लोगों के काम आ सके।

हमारे करौली जिले में खनन का पैसा जो वन परसेंट जिला परिषद को मिलना चाहिए, इसी प्रकार वन विभाग में ग्राम पंचायतों को वन उपज का हिस्सा मिलना चाहिए वह हमें नहीं मिल रहा है। हमारी भारत स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत जो शौचालय गांवों में बनाये उनका लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। इंदिरा आवास और मुख्य मंत्री विकास आवास के माध्यम से जो शौचालय बने उनमें एनजीओ ने अनियमितताएं कीं, मिलीभगत कर ली और उन्होंने शौचालय नहीं बनाये। माननीय सभापति महोदय, मंत्री महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि मेरे करौली जिले में शौचालय के काम में में भारी भ्रष्टाचार हुआ है। इस बारे में आप जांच कराएं।

सोलर के बारे में आपने पहले ही हमें बता दिया कि इसमें जांच होगी। करौली जिले में भी सोलर लाइटें लोगों ने घरों में लगा लीं जहां पहले से ही विद्युत व्यवस्था है, लेकिन एक घर पर सरपंच ने चार-चार लाइटें लगा दीं। इस व्यवस्था का भी निराकरण हो।

जन सहभागिता का पैसा जो आपने दिया है इसका थोड़ा सा दायरा बढ़ाएं। वैसे तो सरपंच वे ही काम कराते हैं जिसमें उनको सुविधा होती है कि इसमें दो पैसे मिलेंगे अदरवाइज जन सहभागिता में पैसा कोई जमा नहीं कराते। सरपंच को लगता है कि जरूरी है, इसमें कुछ मुझे भी फायदा होगा, कुछ पब्लिक को भी फायदा होगा। ऐसी व्यवस्था करें इस पैसे का सही सदुपयोग हो।

(श्री रमेश)

पोषाहार में जितनी भी अनियमितता होती हैं उस पर भी आप कंट्रोल कीजिए क्योंकि नामांकन ज्यादा दिखाते हैं, बच्चे कम होते हैं इसमें जो भी इक्वीपमेंट, बर्तन वगैरह खरीदे जाते हैं उसमें भी करप्शन होता है। आपका सामाजिक अंकेक्षण है उसमें लोकल फण्ड की जो आडिट होती है वह सिर्फ चौथ वसूली का काम करती है। इस पर भी आप नियंत्रण करें।

मैं ज्यादा न कहकर थोड़ा सा नरेगा के बारे में बताना चाहता हूं कि मस्टररोल समय पर सैंक्शन हो। सरपंचों के माध्यम से जो विशेष सौजन्य का प्रोग्राम लिया जाता है वह उन्हीं लोगों को मिल पाता है जो नरेगा के रेश्यो के अनुसार जो भी काम करवाएं। ऐसे स्ट्रक्चर डवलप करें कि पानी के साधन हों, पक्के कार्य हों, अपना खेत अपना काम योजना है उसको सभी लोगों के लिए आगे बढ़ाएं। इस नरेगा में पैसा कम मिल पाता है, समय पर नहीं मिल पाता है। आज भी लोगों को मस्टररोल का पैसा नहीं मिला है। जो पैसा सरपंच को मिलता है उसमें जब सीईओ के पास पैसा पहुंचता है तो सरपंचों के माध्यम से इतना डायवर्जन हो जाता है कि सिर्फ पेमेंट के लिए 5 से 10 परसेंट पैसे का

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

साइफन होता है मेरा एक निवेदन लास्ट और है, सभापति महोदय ने घंटी बजा दी है, नरेगा में जो पोस्ट आफिस के माध्यम से जाता है और पेंशन का भी पैसा पोस्ट आफिस के माध्यम से जाता है इसमें भी गरीब लोगों को बड़ी तकलीफ होती है। पोस्ट मास्टर बड़ी परेशानी पैदा करते हैं और इसमें डायवर्जन होता है। इस ओर ध्यान दें मंत्री महोदय, क्योंकि मंत्रीजी, आप अभी कहीं चले गये थे, मैं आपसे जो आशा रखता हूं, अपेक्षा रखता हूं कि आप सरकार में एक ईमानदार मंत्री हैं। हम चाहते हैं कि आपके समय में यदि इस भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लगा तो हमें आशा नहीं है कि इस सरकार में कोई अंकुश लगा पाएगा (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) इस विधान सभा के सदन में आप काम करेंगे तो आपका जो इतिहास है वह स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री देवेन्द्र कटारा। मैं आप सब लोगों से निवेदन करूंगा कि अभी 10 व्यक्तियों को और बोलना है। मैं घण्टी इसलिए नहीं बजाना चाहता कि आप लोगों के तारतम्य में फर्क पड़ जाता है। अगर आप लोग अपने कलिग्स का ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर आसन को मजबूरी आपके बीच

(श्री सभापति)

में व्यवधान डालना पड़ेगा। मैं आशा यह करता हूं कि आप सब लोग अपने-अपने कलिग्स का ध्यान रखकर आगे अपने विचार व्यक्त करें।

श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर): सभापति महोदय, मांग संख्या 28, 49 और 50 पर मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए डूंगरपुर विधान सभा क्षेत्र की जनता की ओर से और मेरी ओर से बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय, पंचायती राज की भारत में सबसे पहले स्थापना राजस्थान में नागौर से शुरू हुई थी और जवाहरलालजी नेहरू ने जिस जगह पर बैठकर पंचायती राज की स्थापना की घोषणा की थी उस चबूतरे को ऐतिहासिक रूप में आज तक न तो विकसित किया और वास्तव में जिस पंचायती राज के बारे में हम कहते हैं विकास की एक कड़ी है, इस बारे में मैं माननीय पंचायती राज मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि पूर्व में वसुन्धराजी ने इस सम्बन्ध में कार्य योजना तैयार की थी और इसको लागू करना था, लेकिन सरकार बदल गई, पश्चातवर्ती कांग्रेस शासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया।

माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जिस चबूतरे पर बैठकर घोषणा की थी उस चबूतरे को एक ऐतिहासिक रूप में विकसित करने के लिए कार्य योजना तैयार कर आप उसको एक इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाए, इस रूप में कार्य योजना तैयार करके कार्यवाही शुरू करावें, ऐसी मैं मांग करता हूं।

सभापति महोदय, विशेष तौर से पंचायती राज की स्थापना उस सुदूर ग्रामीण, गरीब, पिछड़े और सुविधाओं से दूर रहने वाले लोगों के विकास के लिए, उस क्षेत्र के उत्थान के लिए एक बहुत बड़ी सोच के साथ की गई थी। मैं विशेषकर स्थापना से लेकर अब तक के इतिहास के बारे में नहीं कहना चाहूंगा लेकिन आज सच्चाई यह है कि पंचायती राज के माध्यम से जितना भी बजट हम पंचायतों को देते हैं वह उन पिछड़े और गरीबों के उत्थान के लिए देते हैं। परन्तु वास्तव में उस बजट का विकास के लिए पूरा-पूरा उपयोग नहीं होता और स्थिति यह बन गई है कि जो भी बजट जाता है उसमें सीधा सा परसेंटेज का सवाल उठता है कि कितना परसेंट कहां पर खर्च होगा, किसको दिया जाएगा, कितना कमीशन होगा। इसके अलावा धरातल पर कोई वास्तविक विकास नहीं हो रहा है। वास्तव में जो बजट हम खर्च करते हैं, जो राजस्थान

(श्री देवेन्द्र कटारा)

की जनता का और पूरे देश की जनता का, पाई-पाई का जो टैक्स के माध्यम से और दूसरे तरीकों के माध्यम से जो राजस्व हमारा इकट्ठा होता है उस पैसे को विकास के नाम से हम खर्च करते हैं। लेकिन सच्चाई धरातल पर हम देखते हैं तो स्थिति यह है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत मोदर जहां पर 2009 में जितने भी काम स्वीकृत हुए, जिला परिषद द्वारा जांच हुई तो उसके कुछ नमूने आपको बताना चाहूंगा। 2008 में जो काम स्वीकृत हुए मनरेगा के तहत उसमें मोदर गांव में धरती माता तक ग्रेवल सड़क और इसकी जांच में पैरा लगा उसमें 3 लाख 49 हजार 778 की रिकवरी करने का आदेश हुआ। इसी तरह राजकीय प्राथमिक विद्यालय कोलाडेरा में पंथाल तक सड़क का काम तय हुआ और जांच में 4 लाख 10 हजार 322 रुपये वसूली योग्य पाया गया। वहां मौके पर काम नहीं था। इसी तरह से ऐसे कुल 14 काम सैंक्शन हुए और उन 14 कामों में 12 कामों में वसूली के लिए आर्डर हुए। दुर्भाग्य है कि वहां की जनता के नाम से, उस क्षेत्र में सुविधा के नाम से हमारे कार्य सैंक्शन कराये जाते हैं और क्षेत्र की जनता को रोजगार मिले इससे, इसके पीछे यह भी उद्देश्य होता है। जब मौके पर काम ही नहीं हुआ और मस्टररोल भरे गये तो पूरे के पूरे मस्टररोल फर्जी पाये गये। इसलिए मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि नरेगा के माध्यम से जिस तरह से काम स्वीकृत हुए हैं वे काम पूरे के पूरे फर्जी पाये गये। मौके पर न मैटेरियल पाया गया, न किसी प्रकार का काम हुआ और न किसी प्रकार का कोई मेट, मजदूर लगा। ऐसी स्थिति में सारा का सारा पूरा जो बजट था वह पूरा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। यह एक पंचायत का सवाल नहीं है, मेरे विधान सभा क्षेत्र में 48 पंचायतें हैं और सभी पंचायतों में यही हाल है।

इतना ही नहीं, विधायक मद से सैंक्शन निकलीं, वह सैंक्शन भी 2011-12 में जहां काम बताया गया वही 2012-13 में बताया गया, वही 2013-14 में बताया गया। मतलब स्थिति यह हो गई मोदर पंचायत की कि एक ही जगह नाम बदल-बदल कर सैंक्शन सी.सी. सड़कों की निकली। पूरी तरह से हालात यह हो गये हैं कि पंचायती राज के माध्यम से हम विकास का सोचते हैं लेकिन वास्तव में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए हमने न तो कोई नीति बनाई, न कोई नियम बनाये और वास्तव में जो दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ में जो प्रभावी तरीके से कार्यवाही करनी चाहिए वह कार्यवाही नहीं हुई और इसी का नतीजा है कि आज भी डूंगरपुर जिला पूरी तरह से

(श्री देवेन्द्र कटारा)

पिछड़ा हुआ जिला, गरीब जिला, दु:खी जिला और रोजगार की दृष्टि से आज भी हमारा आदिवासी पूरी तरह से गुजरात की तरफ पलायन को मजबूर है।

(19.14 बजे)

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

अध्यक्ष महोदय, विशेषकर डूंगरपुर विधान सभा क्षेत्र में जो पिछले समय में रोजगार गारंटी के लिए प्रपत्र 6 में आवेदन करना होता है तो हमारा वहां का मजदूर आवेदन करता है लेकिन वहां की पंचायतों की इतनी मनमानी होती है कि उन आवेदनों को लिया ही नहीं जाता है। अगर ले भी लिया जाता है तो कम्प्यूटर में जिस तरह से चढ़ाना होता है वह चढ़ाया नहीं जाता है। स्थिति यह बनती है कि मजदूर को कह दिया जाता है कि तुम्हारा कम्प्यूटर में नाम नहीं आया। हालात यह बन गये हैं कि रोजगार गांरटी योजना रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए कार्यक्रम है लेकिन फिर भी हमारे क्षेत्र का जो मजदूर है वह रोजगार के लिए दूसरे राज्यों की ओर पलायन के लिए मजबूर है। अध्यक्ष महोदय, कहावत है कि 'जो भी ठेके पर जावे वह बरबाद होवे'। हमारे यहां पर पंचायती राज में जो टेंडर होते हैं मैटेरियल के नाम, किसी ओर के नाम से, सामग्री के नाम से तो स्थिति यह बन जाती है कि जिस तारीख को टेंडर होता है, टेंडर बेचने का दिन होता है उस दिन सरपंच, सचिव और वहां पर ताले लगे हुए होते हैं और टेंडर बेचा नहीं जाता, अपनी मनमर्जी से वह टेंडर निकाल लिये जाते हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि उसमें पारदर्शिता लाने के लिए पंचायत स्तर पर टेंडर होने चाहिए उसमें कोई शक नहीं है लेकिन टेंडर करने का जो स्थान है वह जिला मुख्यालय होना चाहिए ताकि उसमें पूरी तरह से पारदर्शिता हो, भाई-भतीजावाद नहीं हो और अपने निजी, फ्राड नामों से जो फर्में चला रखी हैं उनके नाम से टेंडर न हों।

अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पर एमएलए, एमपी और दूसरे मदों से हैण्डपम्प तो खोदे जाते हैं लेकिन उनके रखरखाव के लिए व्यवस्था नहीं हो पाती। बीच में जिला परिषद की मीटिंग में भी यह बात उठी थी कि हैण्डपम्प तो खोद दिये लेकिन हमारे पास मैटेरियल नहीं है। उसके लिए या तो एमएलए या किसी भी हैड से हैण्डपम्प खोदे जाते हैं तो उन हैण्डपम्पों के रखरखाव के लिए पर्याप्त अगर राशि पंचायतों को उपलब्ध नहीं करायेंगे तो निश्चित है कि

(श्री देवेन्द्र कटारा)

वो नकारा घोषित हो जाते हैं, कोई खराब घोषित करके उनको बन्द कर दिया जाता है।

श्री अध्यक्ष: कृपया स्थान ग्रहण करें। आप एक मिनट में कर दीजिये छोटा सा निवेदन। 11 मिनट ले चुके हैं।

श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन और करना चाह रहा हूं कि हमारे यहां पर सामुदायिक भवनों का निर्माण पंचायतों द्वारा कराया गया है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि डूंगरपुर विधान सभा क्षेत्र में जितने भी सामुदायिक भवन बने हैं वे सारे के सारे सरकारी जमीन पर नहीं बनकर निजी जमीन पर बने हुए हैं और उनका उपयोग पूरी तरह से निजी तौर पर किया जा रहा है। कई सामुदायिक भवनों में तो यह स्थिति है कि पूरा परिवार का परिवार बस गया और जनता को कोई बैनेफिट नहीं हो रहा है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि डूंगरपुर विधान सभा क्षेत्र में जितने भी सामुदायिक भवन बने हैं, वास्तव में निजी जमीन पर बने हैं या सरकारी जमीन पर बने हैं उनकी पूरी तरह से जांच कराकर पूरी तरह से कार्यवाही की जाए। साथ ही भ्रष्टाचार को खतम करने के लिए मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि डूंगरपुर विधान सभा क्षेत्र की सभी पंचायतों में अगर गांवों में जाते हैं तो आज भी वहां की जनता एक तरह से अपनी मांग करते-करते रोती है, यह स्थिति पैदा हो गई। इस भ्रष्टाचार को खतम करके विशेष टीम गठित कर क्षेत्र में जांच कराकर जनता को लाभ दिलायें यही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण करें, स्थान ग्रहण करें। श्री जितेन्द्र गोठवाल। स्थान ग्रहण कीजिये। 10 के बजाय 12 मिनट हो गये हैं। श्री जितेन्द्र गोठवाल। आप विराजिये।

श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर): आपको धन्यवाद देने के लिए बोल रहा हूं कि आपने समय दिया, धन्यवाद।

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (खण्डार): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 28 और 49 पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण विकास पर चर्चा चल रही है। ग्रामीण विकास की अवधारणा संविधान के निर्माताओं की शायद ऐसी रही होगी कि हमारे

(श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल)

गांवों में रहने वाला प्रत्येक किसान जो कि सुविधाओं से वंचित रह जाता है उसे हर सुविधा का है और उसे मिलनी चाहिए। ग्रामीण विकास के लिए जो पैसा आता है उसका सदुपयोग होने के बजाय उसका दुरुपयोग होने लगा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आप जानते हैं कि गांवों में काम करने की जो कड़ी है वह पंचायत का सरपंच, सैक्रेटरी, सहायक सैक्रेटरी है। आये दिन हम लोगों के पास इस तरह की समस्या और इस तरह के विषय लेकर गांव के लोग आते हैं। गांव के लोगों की शिकायत रहती है कि सैक्रेटरी ने फलां साइन करने के लिए इतने पैसे लिये, सैक्रेटरी ने फलानां काम करने के लिए यह कहा। इस तरह की अवधारणा गांव के लोगों की सेक्रेटरी और सचिव के प्रति बन गई है, उसे हमें रोकना चाहिए जिससे कि हमारे गांव में विकास किया जा सके।

महोदय, हमने कई बार देखा है कि गांव के लोग विकास के लिए बीडीओ के पास, पंचायत समिति, सीईओ के पास, कई अधिकारियों के पास जाते हैं। उनके आगे अपनी मांग रखते हैं और वह मांग अधिकारियों के माध्यम से और जन प्रतिनिधियों के माध्यम से पूरी करने का आश्वासन मिल जाता है।

इसी तरह से बहुत सारी योजनाओं में पैसा पंचायत समिति में आता है, उसका सदुपयोग नहीं हो पाता। मुझे लगता है, सबसे पहले तो मैं मंत्रीजी से आग्रह करता हूं कि गांवों के लोगों को ग्रामीण विकास की जितनी योजनाएं हैं, उनकी जानकारी के लिए हमे पंचायत स्तर पर कैम्प लगाने चाहिए ताकि गांव का आदमी, जिसको यह जानकारी हो कि किस मद में कितना पैसा इस पंचायत में आया। जब गांव के आदमी को यह जानकारी रहेगी तो वह भ्रष्टाचार रोकने में हमारी मदद कर सकता है।

आज हमारी मुख्य मंत्रीजी ने हर गांव में शौचालय बनाने की बात कही। हमारी आवश्यकता है, बनने चाहिए। मंत्रीजी ने भी इसकी ओर विशेष ध्यान दिया लेकिन हम शौचालय का पैसा स्वीकृत करके भेजते हैं। मेरे से पहले भी कई माननीय सदस्यों ने कहा कि इन्दिरा आवास का पैसा आता है, उसकी किस्त मिलने तक, आधी किस्त तो सैक्रेटरी और सचिव ले जाते हैं। ऐसा न हो, कहीं हम शौचालय का पैसा दें और उसका सदुपयोग न हो क्योंकि पिछली सरकार ने नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार करने की ऐसी आदत डाली है लोगों की, उसको सुधारना बड़ा कठिन है मंत्रीजी। ऐसा लगता है कि हमारी

(श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल)

सरकार के सामने बहुत बड़ा चैलेंज यही एक है कि हमें भ्रष्टाचार को खतम करना है।

गांवों में सड़कों की दृष्टि से देखें तो मेरे खण्डार की बात कहना चाहूंगा। 350 गांवों में से एक भी गांव ऐसा नहीं है जिसके लिए हम यह कह सकें कि हमारे गांव की सड़कें पूर्णत: अच्छी हैं और हम जिस पर चल सकते हैं। एक भी गांव ऐसा नहीं है।

इसी तरह मैं आपका ध्यान पंचायत समिति द्वारा जो हैण्ड पम्प लगते हैं, उनकी ओर ले जाना चाहूंगा। आप किसी भी पंचायत समिति को उठाकर देखेंगे, पंचायत समिति का हैण्ड पम्प जो स्वीकृत होता है, उसमें पाइप डालने का जो पैसा लिया जाता है, वह तो 400 फीट का लिया जाता है मगर उसमें पाइप 200 फीट ही डलता है। आपके ध्यान में मैं लाना चाहूंगा, जब पूरे प्रदेश का आप अनुपात लगाकर देखोगे तो पीएचईडी द्वारा जो हैण्ड पम्प लगाये गये हैं, उसके अनुपात में पंचायत समिति के 90 प्रतिशत हैण्ड पम्प आपको खराब मिलेंगे क्योंकि उस काम की गुणवत्ता बिलकुल नहीं रही।

आदर्श ग्राम योजना के नाम पर हम जो गांव बनाना चाह रहे हैं, उसमें गांव पूरी तरह लाभान्वित हो, उसके लिए हमें कोई विशेष योजना बनानी पड़ेगी।

इसी तरह विस्थापन का विषय है। विस्थापित गांवों को आधारभूत सुविधा देने के लिए मंत्रीजी, हमें खुद अपनी ओर से कुछ ऐसे प्रयास करने पड़ेंगे जिससे गांव के लोगों को बार-बार अधिकारियों के पास जाना न पड़े। कई बार तो ऐसा होता है, लोग हताश होकर अपने घर बैठ जाते हैं और उस पैसे का उपयोग पता नहीं कौन-कौन करता है। मुझे लगता है, गांवों में कीचड़, गंदगी को खतम करने के लिए हमें हर हैण्ड पम्प या बोरिंग के पास में एक हार्वेस्टिंग का प्लांट लगाना चाहिए। गांवों का पानी रोड्स पर जाकर कीचड़ करता है या तालाब में भर जाता है जिससे गंदगी होती है, उससे मल्टी-परपज काम होगा। हमारे हार्वेस्टिंग के प्लांट से वाटर लेवल भी बढ़ेगा और गांवों में गंदगी भी कम होगी।

मैं आपको खण्डार के बारे में एक जानकारी देना चाहूंगा कि एक भी गांव ऐसा नहीं है, जिसमें गांव के प्रवेश में गंदगी का ढेर न हो और गंदा तालाब न हो और जिसमें पानी की सुविधा पर्याप्त हो। जबकि प्रत्येक वर्ष कई

(श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल)

पंचायतों के लिए हैण्ड पम्प स्वीकृत होते हैं और वे नहीं लगते, ऐसी जानकारी आपको मिलेगी।

किसानों को जब-जब भी पंचायत समिति की ओर से कोई सुविधा मिलती है, उसमें सबसे बड़ा रोड़ा मैंने आपको पहले भी बताया, सेक्रेटरी, उसके बाद तहसीलदार, उसके बाद बीडीओ। इन लोगों से साइन कराने के लिए गांव का आदमी अपने गांव से 50-100 रुपये खर्च करके पंचायत समिति तक जाता है और असफल होकर कई बार आता है। इसके लिए हमें कोई विशेष ध्यान देना चाहिए कि पंचायत समिति के ऊपर, पंचायत हैडक्वार्टर पर सेक्रेटरी हमेशा उपलब्ध रहे। उसका ड्यटी टाइमिंग बाउण्ड हो। अगर उस समय में वह वहां नहीं रहता है तो उसके ऊपर कोई न कोई कार्यवाही होनी चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री भीमा भाई।

शासकीय वक्तव्य (सूचना)

नागौर में बलात्कार की घटना

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने एक बहुत ही गम्भीर विषय सदन के सामने रखा। एक छोटी बच्ची के साथ रेप होना और उसकी कुल्हाड़ी से गर्दन काटने के बारे में कहा। जो जानकारी मैं टेलीफोन से ले सका, वह मैं आपके सामने रख रहा हूं।

आज दिनांक 24 जुलाई, 2014 को वक्त 9.45 ए.एम., जरिये टेलीफोन पुलिस थाना पीलवा पर सूचना मिली कि ग्राम पीह की ढाणी में एक बच्ची की एक लड़के ने गर्दन काटकर हत्या कर दी और उसको जला रहा था। उक्त सूचना पर थानाधिकारी मय जाप्ता के उस ढाणी में पहुंचा तो खटीकों की ढाणी में एक डेढ़ साल से दो साल के मध्य उम्र की बच्ची मधु पुत्री पुखराज जाति खटीक निवासी पीह की मुलजिम द्वारका प्रसाद पुत्र टीकूराम खटीक निवासी बस्सी ने उक्त बच्ची को उसकी दादी की गोद से, जो उसमें सूचना है, वही मजदूरी करता है जिस जगह से इस बच्ची को ले गया है और बच्ची को खिलाते-खिलाते ले गया। 200 मीटर दूर जाकर जब उसने बच्ची को काटा और जलाने का प्रयास कर रहा था, किसी ने दूर से उसे देख लिया और लोगों की आवाज होने से लोग इकट्ठे हुए। उन्होंने उस मुलजिम के साथ इतनी मारपीट की कि अभी वह होश में नहीं है। उसका मेडिकल बोर्ड से

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

मेडिकल टैस्ट हुआ है। जो भी होगा, अगर रेप हुआ तो भी आ जाएगा, बाकी कोई चीज हुई है तो हुई है। वास्तव में जघन्य अपराध है, निंदनीय है। लेकिन जो कुछ भी उसमें तुरन्त कार्यवाही हो सकी, वह पुलिस ने कार्यवाही की।

श्री अध्यक्ष: बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने सूचना दे दी। श्री भीमा भाई।

मांग संख्या 28, 49 व 50 पर विचार

श्री भीमा भाई (कुशलगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 28, 49 और 50 पर मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा।

साथ ही, पंचायती राज के ऊपर माननीय सदस्यों ने सदन में अपने-अपने सुझाव रखे। इस मौके पर मुझे मौका मिला, मैं भी मेरी ओर से सदन में मेरे सुझाव रखना चाहता हूं कि पंचायती राज को सशक्तीकरण करने के लिए लम्बे अरसे से कई प्रकार के कानून बने, कई प्रकार के अमेंडमेंट हुए और इतने वर्ष निकलने के बाद भी आज सभी माननीय सदस्यों का पूर्ण तर्क लग रहा था कि पंचायती राज भ्रष्ट है, पंचायती राज यह है पर मेरा एक सुझाव है कि एक चुनी हुई संस्था को हम सीधे तौर पर नहीं कह सकते हैं कि सभी लोग इस तरह से बदमाश और चोर हैं। उसके लिए सबसे पहले तो अगर पंचायती राज के ढांचे को और मजबूत करना है तो जितने पद स्वीकृत हैं या पद रिक्त हैं, उन पदों को हम लोग पूरी तरह से भरपाई नहीं कर पाएंगे, तब तक पूरी तरह से जो हम चाहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में जिस तरह से विकास होना चाहिए, वह उसके ऊपर कहीं न कहीं रूकावट पैदा हो रही है। पंचायती राज में इतनी सारी विभिन्न योजनाओं का पैसा जा रहा है और एक ग्राम पंचायत में ही सचिव नहीं है, तीन-तीन, चार-चार ग्राम पंचायतों के बीच में एक ग्राम पंचायत का सचिव काम कराता है। इसलिए कहीं न कहीं यह हम सबको लगता है कि यहां पर इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, इतना बड़ा यह हो रहा है, वह हो रहा है। यह हो रहा है और कहीं न कहीं यह बड़े पैमाने के स्तर पर हो रहा है। इसलिए माननीय सदस्यों ने यहां अपनी-अपनी राय रखी है और मेरा तो सुझाव यह है कि ग्राम पंचायत आठ घंटे खुली हो, वहां पर सहायक सचिव बैठा हुआ रहना चाहिए, वहां का जो बाबू है वह भी उस पंचायत में होना चाहिए। दूसरी, बात मैं यह कहना चाहता हूं कि टी.एफ.सी. और एस.एफ.सी. में जो हैण्डपम्प खुदते हैं, पेयजल का जो पैसा मिलता है।

(श्री भीमा भाई)

सांसद मद से उस ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प खुदते हैं, विधायक महोदय उस ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प की सेंक्शन करता है, बड़े पैमाने पर हर पंचायत में इतने बड़े हैण्डपम्प खोदे और हमारा हैण्डपम्प मिस्त्री भी दो तीन पंचायतों के ऊपर एक हैण्डपम्प मिस्त्री है। हम चाहते हैं कि हमारी पंचायत में जो समस्याएं हैं एट ए टाइम दुरुस्त हो जाए। यह सारी समस्याएं हमारे पास पर्याप्त मात्रा में स्टाफ नहीं होने के कारण से हम कहीं न कहीं कमजोर हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है मंत्री महोदय से कि मंत्री महोदय का इस राजस्थान में बहुत लम्बा अनुभव है जो पंचायती राज में जितने पद हमारे रिक्त पड़े हैं। उन रिक्त पदों को हम पर्याप्त मात्रा में नहीं भर पाएंगे तब तक हम यह नहीं कह सकते कि हम ईमानदारी से ग्रामीण क्षेत्रों में हम हमारी संस्थाओं से काम करा सकते हैं।

दूसरा, मेरा निवेदन यह है कि पंचायती राज के अन्दर जो बीएसआर रेट है, वह बीएसआर रेट अन्य विभागों से बहुत लो है। इसलिए पंचायती राज में कहीं न कहीं निर्माण कार्यों में कमी, खामी और उसकी कमजोरी रह जाती है। उसका मैन कारण एक तो यह महानरेगा का काम होता है। ग्राम सभा ग्राम पंचायत में होती है और उस ग्राम सभा के माध्यम से एक वार्षिक योजना बनती है। वह वार्षिक योजना बड़े पैमाने पर हो जाती है इसके बाद पंचायत समिति में उसका अनुमोदन किया जाता है, जिला परिषद में अनुमोदन किया जाता है और समय सीमा के अनुसार प्रस्ताव को जिला परिषद में स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। उसके दरमियान में हमारे पास पर्याप्त मात्रा में जे.ईएन नहीं होने के कारण मौक़े पर पचास लाख का एनिकट बनना है या पचास लाख का कोई चैक डेम बनना है। वहां पर हम सात लाख, दस लाख का एनिकट सैंक्शन करा लेते हैं या चैक डेम सैंक्शन करा लेते हैं। उसके कारण वह काम टिकाऊ नहीं हो पाता है। इसमें मेरा एक सुझाव है कि मौक़े पर सबसे पहले उसका एस्टीमेट प्लान ऐसा हो कि एक करोड़ रुपये की लागत से अगर काम होता है तो उतना ही पैसा उसके ऊपर सैंक्शन हो। एक किलोमीटर की लम्बी सड़क है, दो किलोमीटर की सड़क है लम्बी और एक किलोमीटर की हमने सैंक्शन निकलवा दी तो वह काम भी हमारा अधूरा रह जाएगा और अगले साल उसको हम वार्षिक योजना में नहीं लेंगे तो वह सड़क भी अधूरी रह जाएगी। हमारे पास में पर्याप्त मात्रा में जे.ईएन नहीं हैं, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में जो अधिकारी होने चाहिए, वे अधिकारी नहीं होने के

(श्री भीमा भाई)

कारण हमारा विकास अवरूद्ध हो रहा है। दूसरा, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी नरेगा की योजना हो या अन्य कोई योजना हो, उसका लम्बे समय रिवाल्विंग फण्ड की जो रूकावट पैदा हो रही है तो अध्यक्ष महोदय, मेरा अनुरोध है कि रिवाल्विंग फण्ड समय पर हमको मिलना चाहिए। उस फण्ड के अभाव में काफी सारी समस्याएं बढ़ी हुई हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि इसके लिए समय सीमा तय हो जानी चाहिए कि इतने समय में डिमाण्ड होगा और इतने समय तक उसका भुगतान हो जाना चाहिए।

दूसरा, मेरा निवेदन यह है कि रोजगार गारंटी में कृषि कार्य के लिए भारत सरकार ने अभी-अभी जो घोषणा की है कि इसे कृषि कार्य के साथ में जोड़ा जाए और पूर्व में भी केशव बाड़ी के नाम से हमारे बांसवाड़ा जिले में हज़ारों की तादाद में ओपन वैल, कुएं खोदे गए थे। नोन-कमाण्ड क्षेत्र में एक वर्ष में उन काश्तकारों को हम सुविधा दे सकते हैं तो मेरा अनुरोध है कि महानरेगा योजना में केशव बाड़ी योजना के अन्तर्गत काश्तकार को व्यक्तिगत निर्माण कार्य में, कृषि कार्य में केशव बाड़ी के नाम से उसको जोड़ा जाए और काश्तकारों को उसका लाभ दिया जाए। हमारा क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र है, ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र है और अभी हमारी सदन की नेता ने, हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री महोदया ने और ग्रामीण विकास मंत्रीजी ने छोटी पंचायतों को करने के लिए जो पुनर्गठन कार्यक्रम हाथ में लिया है। उसके लिए उनको मेरी तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद देते हुए मैं मेरी बात समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री अमराराम चौधरी।

श्री अमराराम (पचपदरा): सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

श्री अध्यक्ष: आपके इधर से किसी का नाम है नहीं, सचेतक महोदय ने भेजा नहीं है।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): पर्ची दे रखी है।

श्री अध्यक्ष: बिलकुल नहीं, आप विराजिए।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): टेबल कर देती हूं साहब जो कुछ मेरे पास में है।

श्री अध्यक्ष: सचेतक महोदय से जो सूची आई है उसी से मैं बुलवा रहा हूं।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): सचेतक महोदय ने ही कहा है बोलने के लिए इसलिए मैं रुकी हुई हूं। मैं टेबल कर देती हूं मेरी जो भी क्षेत्र की समस्याएँ हैं, उनको।

श्री अध्यक्ष: इनको बोलने दीजिए। सूची आती है उसके हिसाब से ही बुलवाएंगे और कितना आगे बढ़ाएंगे? टेबल करवा देंगे आपका।

श्री अमराराम (पचपदरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, 2 अक्टूबर, 1959 को नागौर में सबसे पहले हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहर लालजी नेहरू ने पंचायती राज की नींव रखी थी और यह कल्पना की थी कि यह पंचायती राज जो जनता के लिए होगा और ग्रामीण जनता में इसका बहुत ही अच्छा जो असर आएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि...

श्री अध्यक्ष: आपसी चर्चा नहीं करें।

श्री अमराराम (पचपदरा): यह जो भारत है यह गांवों का देश है। हम 75 प्रतिशत लोग गांवों में बसते हैं तो यह कल्पना थी कि हमारे गांव बहुत सुंदर बनें, हमारे गांव स्वच्छ बनें और गांवों में जो मूलभूत कठिनाइयां हैं, आम जनता जिनको झेल रही है उनको अच्छी सुविधा मिले, यह कल्पना थी। उसी अनुसार एक ढांचा तैयार किया गया। पंचायत समितियां बनाई गई, जिला परिषद बनाई गई और धीरे-धीरे इन पंचायत समितियों के माध्यम से और जिला परिषद के माध्यम से हर पंचायत के अन्दर उसकी मानिटरिंग करके और हर गांव के अन्दर विकास के कार्य किए गए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज कितनी ही योजनाएं हैं जो पंचायती राज और इस ग्रामीण विकास के लिए हैं और पंचायती राज मजबूत बने और हमारे गांव के लोगों को रोजगार मिले। इसके लिए कई योजनाएं हमारे लिए बनाई गई। मरू विकास का कार्यक्रम हो सूखा सम्भावित क्षेत्र के लिए, बंजर भूमि के विकास के कार्यक्रम के लिए और महात्मा गांधी नरेगा गारंटी योजना इस प्रकार क्षेत्रीय सांसद स्थानीय विकास, विधायक कोष और इस प्रकार डांग क्षेत्र में डांग क्षेत्रीय कार्यक्रम, मगरा क्षेत्र में मेवात कार्यक्रम और सीमान्त जो जिले हैं गंगानगर है, बाड़मेर है, जैसलमेर है, बीकानेर है, इन जिलों में सीमान्त कार्यक्रम योजना बनाई गई। इनके अलावा स्वविवेक व जिला विकास योजना बनाई गई और इन्दिरा आवास योजना बनाई गई, स्वर्ण जयंती व ग्राम स्वरोजगार योजनाएं

(श्री अमराराम)

बनाई गई। इस प्रकार से कम से कम 16-17 ऐसी योजनाएं हैं जो गांवों का विकास करने के लिए बनाई गई हैं। उन सब पर अगर प्रकाश डाला जाए तो बहुत समय लगेगा। मैं तो इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि ग्राम किस प्रकार से स्वच्छ रह सकें और हमारे इस बजट में भी ग्रामीण आधारभूत संरचना जो हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री ने ये कल्पना की है कि राज्य सरकार द्वारा गांव के समग्र विकास के दृष्टिकोण से एक श्री योजना के तहत पांच योजनाएं ग्राम स्वच्छता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, सड़क और शिक्षा और विद्युत योजनाओं को ग्राम स्तर पर कन्वर्जेंस किया है। इस प्रकार बीपीएल परिवार को केन्द्र बिन्दु बना कर एक स्वावलम्बन योजना अन्तर्गत विभिन्न व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं का कन्वर्जेंस का उन्हें भी लाभान्वित करने का प्रयास किया जाएगा। इस योजना के लाभों के डिलीवरी व मानीटरिंग भामाशाह प्लेटफार्म से की जाएगी। ये है हमारे यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने जो बजट भाषण के दौरान जो बात कही थी और उसी के अनुरूप हमारे पंचायत राज मंत्रीजी ग्रामीण विकास मंत्रीजी जो इस बारे में आज बड़ी लगन के साथ में, मैं सात महीनों से देख रहा हूं इन्होंने हर प्रकार से उन ग्रामीण ढांचे को अच्छी तरह से समझा है किस प्रकार से ग्रामों में जो योजनाएं जाती हैं उनका लाभ जनता को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कहां भ्रष्टाचार है। स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधीजी ने कहा था कि हम केन्द्र से रुपया भेजते हैं लेकिन गरीब के पास पन्द्रह पैसे तक ही जाता है। यह बात सही है आज भी कई ऐसी पंचायतें हैं जिनमें गरीबों को काम नहीं मिलता है और आज नरेगा पर भी है तो मैं आपको अर्ज करना चाहूंगा कि औरतें ही काम करती हैं आदमी को आपने कभी भी काम करते देखा नहीं होगा नरेगा पर। सारी औरतें ही हैं करती हैं और वही पांच किलोमीटर के अन्दर-अन्दर अब वो नाडियां कई बार खुद चुकी। आपके भवन कई बार बन चुके हैं। अब डामर सड़क बनाने के लिए नरेगा में डामर सड़कों को लिया गया। मैंने यह देखा है, माननीय अध्यक्ष महोदय, उन्होंने पांच साल के अन्दर दो किलोमीटर डामर सड़क नहीं बनाई। मैं उन बहनों से पूछता था बहनों आप कल भी यहां थीं और आज भी यहीं कंकर इधर-उधर कर रही हो, बात क्या है, तो बताया कि फिर हमको काम कहां मिलेगा, हम कहां जाएंगी। इस प्रकार इस नरेगा में बहुत भारी गलतियां हुई हैं इनको

(श्री अमराराम)

सुधारा जाए। ये नरेगा का पैसा जिस प्रकार से बंदरबांट हुआ है अगर किसी योजना के लिए लगा देते। किन्हीं नदियों को जोड़ने में मजदूरों को लगा देते ये पैसा तो आज हमारी जो स्थिति है वह वैसी नहीं रहती। हम बहुत ही आगे जाते और हमारी आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ हो जाती। माननीय मंत्री महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से ये जो आज चाहे सांसद का फंड हो, चाहे एमएलए का फंड हो कोई भी वहां से जो निकलते हैं कई जगह से पिछले पांच सालों में हमने देखा है, हजार रुपये देते थे तो बाबू काम करता था, फटाफट आज का आज और नहीं तो तीन-चार महीने वहीं पड़ा रहता है। इस प्रकार के जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं उन पर आपके आने से माननीय मंत्री महोदय बहुत अंकुश लगा है। फटाफट आज कागज दिया है तो तीन दिनों में कागज निकल जाता है। इस प्रकार की अगर व्यवस्था आप जिस प्रकार से अभी काम कर रहे हैं और उसी मजबूती के साथ काम करते रहे तो ये भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। अगर खुद आदमी नहीं सुधरेगा पहले निज पर शासन फिर अनुशासन ये सब आदमी पर निर्भर करता है अगर आदमी खुद भ्रष्ट नहीं है तो मैं आपको यह कह रहा हूं कि कोई दूसरे भी हिम्मत नहीं करेंगे भ्रष्ट होने की इसलिए हम जो इस विधान सभा में आये हैं तो इस पंचायत राज में हम गांवों का विकास करना चाहते हैं। गांवों को सुन्दर बनाना चाहते हैं तो ये संकल्प लें कि हम हर प्रकार से उन गांवों में लगने वाले पैसे का ध्यान रखेंगे।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री अमराराम (पचपदरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने दो कटौती प्रस्ताव दिये हैं। मेरे बालोतरा पचपदरा विधान सभा क्षेत्र है और पचपदरा जिसकी जनसंख्या करीब 11 हजार के करीब है अब उस गांव में जो सरकार से जो पैसा मिलना चाहिए, वहां आमदनी का कोई जरिया नहीं है लोग लाइट के पैसे भी खर्च करते हैं और सफाई के पैसे भी खर्च करते हैं तो कम से कम सरकारी फंड से भी उनको अनुदान के रूप में एक करोड़-डेढ़ करोड़ रुपये दें। ताकि उस गांव में जो टूटी हुई सड़कें हैं वे भी ठीक हो सकें और वहां लाइट का भी प्रबंध हो सके।

श्री अध्यक्ष: कृपया स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री अमराराम (पचपदरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, महिलाओं के लिए तो आज जो भी हमारी महिलाएं सरपंच बनती हैं।

श्री अध्यक्ष: श्री शंकर सिंह रावत।

श्री अमराराम (पचपदरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो महिलाएं सरपंच बनती हैं जो अनपढ़ हैं अभी तक, उन्हीं का फायदा सचिव उठाते हैं और आज जो ये भारत निर्माण राजीव गांधी जो भवन बनाये हुए हैं। पांच साल में इन्होंने पहले तो अपना समय खर्च किया सरकार का पैसा खर्च किया शिलान्यास करने में फिर उसके बाद में उद्‌घाटन करने में पांच साल में ये ही काम किया इस पिछली सरकार ने और कोई काम नहीं किया। पहले भी अच्छे-अच्छे हमारे पंचायत घर बने हुए थे उसमें कम्प्यूटर लगा सकते थे लेकिन ये राजीव गांधी के नाम से भारत निर्माण जो इस प्रकार के भवन पर करोड़ों रुपये खर्च किये हैं ऐसा नहीं होना चाहिए और जो पहले पंचायतें हैं उसी में ही सारा काम चल सकता था। आज जो इन्होंने कहा कि हम बाबू लगा देंगे, हम कम्प्यूटर लगा देंगे...।

श्री अध्यक्ष: कृपया स्थान ग्रहण कीजिये। मैंने नया नाम पुकार लिया। श्री शंकर सिंहजी रावत।

श्रीमती अनीता (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बीच में इंटरवीन करना चाहती हूं कि माननीय सदस्य कह रहे हैं कि जो महिला अनपढ़ होती हैं उनका सचिव फायदा उठाते हैं लेकिन मैं यह पूछना चाहती हूं कि जो पुरुष अनपढ़ होते हैं उनका फायदा कौन उठाता है? आप ऐसे कैसे कहते हो?

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): हम सब पढ़े-लिखे हैं और बोलना चाहते हैं यहां कोई पति नहीं है। सदन में कोई पति नहीं है हम सब बोलना चाहते हैं। एक भी महिला का नाम लिखा नहीं है उसके अन्दर। (व्यवधान)

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): अनपढ़ महिलाएं ही नहीं होतीं, पुरुष भी अनपढ़ हैं कई सरपंच हैं ...(व्यवधान).

श्रीमती कमसा (भोपालगढ़): आज अपनी इस विधान सभा के अन्दर भी पुरुष अनपढ़ बैठे हैं। आज भी एक एमएलए हैं जिन्होंने शपथ भी नहीं ली थी ...(व्यवधान)

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): ...(व्यवधान) अंगूठा टेक महिलाएं ही नहीं होतीं, पुरुष भी हो सकते हैं...(व्यवधान) एक विधायक ऐसे हैं विधान सभा में जिन्होंने शपथ नहीं ली। (व्यवधान)

श्रीमती अनीता (नगर): ...(व्यवधान) महिलाओं के बारे में कुछ उलटा नहीं सुनेंगे हम...(व्यवधान)

श्री अमराराम (पचपदरा): महिलाओं का तो सम्मान है। (व्यवधान)

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): अनपढ़ पुरुष भी आए हैं इस विधान सभा में जिनको शपथ भी लेना नहीं आया ऐसे अनपढ़ पुरुष भी हैं इस विधान सभा में।

श्री अमराराम (पचपदरा): आप जैसी पढ़ी-लिखी महिला होगी तब पंचायत बहुत अच्छी चलेगी। अनपढ़ महिलाएं हैं ...(व्यवधान)

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): ...(व्यवधान) पढ़ा-लिखा सरपंच अगर पुरुष भी होगा तो पंचायत अच्छी चलेगी ये भी बोलिये आप।

श्री अमराराम (पचपदरा): अनपढ़ पुरुष है मतलब दोनों ही जो है जब तक उनमें ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आसन अपने पैरों पर है।

श्रीमती कमसा (भोपालगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो भी खड़ा हुआ सबने आरोप लगाये महिलाओं पर बिलकुल गलत आरोप लगाये हैं सब महिलाएं सक्षम हैं ...(व्यवधान) नाम लिखवा रहे हैं बोलने में ...(व्यवधान)

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): माननीय अध्यक्ष महोदय, महिलाएं अनपढ़ होंगी तो भी घर तो महिलाओं को ही चलाना है। आपके घर तो महिलाओं के भरोसे ही चल रहे हैं सबके।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): ...(व्यवधान) हमें बुलवा कर तो देखिये आप फिर हम आपको बतायेंगे कि महिलाएं कैसी होती हैं। (व्यवधान)

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): ऐसे बड़े पंचायती राज के अन्दर, इस भवन में ऐसी चर्चा ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: सब विराजिए। देखिये आपका प्रोटेस्ट ...(व्यवधान) उन तक भी पहुंच गया और सारे सदन तक भी पहुंच गया। आपका जो प्रोटेस्ट था, सबने सुन लिया, इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि आप विराजिए। श्री शंकरसिंह रावत।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): माननीय अध्यक्ष महोदय, पंचायती मांगों पर, मांग संख्या 28, 49 और 50 के ऊपर आपने...

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): माननीय अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष: बैठिये, बैठिये।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): बोलने का मौका दिया उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): मैं टेबल करती हूं साहब, महिलाओं को बोलने का मौका नहीं दोगे तो मैं टेबल करती हूं।

श्री अध्यक्ष: बिलकुल कर दीजिए।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): मेरे क्षेत्र की समस्याएं हैं।

श्री अध्यक्ष: बिलकुल कर दीजिए। (व्यवधान)

(माननीय सदस्य श्रीमती चन्द्रकांता मेघवाल (रामगंजमण्डी) द्वारा मांग संख्या 28, 49 व 50 के सम्बन्ध में अपना वक्तव्य सदन पटल पर रखा गया)

(लिखित वक्तय के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार पंचायत में अपन सुधार की ओर कदम उठाते हैं तो मैं बिना भूमिका के सीधी अपनी बात को कहना चाह रहा हूं। पंचायत में सुधार तभी हो सकता है, पंचायत समिति का सदस्य और जिला परिषद का सदस्य यह दोनों जीतकर जिस दिन आते हैं इनके ऊपर एक नियम बनना चाहिए, जो जिस दल से जीतकर आया है वह उसी दल को वोट दें अन्यथा उसकी सदस्यता रद्द हो, यह सुधार होना चाहिए। ताकि भ्रष्टाचार के ऊपर अंकुश लग सकेगा। दूसरा स्टार्टिंग भ्रष्टाचार वहीं से शुरू होता है इसलिए उसके ऊपर अंकुश लगे, यही मेरा निवेदन है। जिस प्रकार आज ग्राम पंचायतों के अन्दर बच्चों को स्कूल जाने के टाइम पर जो प्रमाण पत्र लिये जाते हैं वह तहसीलदार के द्वारा 6 महीने के अन्दर बना हुआ जाति प्रमाण पत्र ही वेलिड माना जाता है। आपके माध्यम से मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि 6 महीने के अन्दर उसकी जाति बदल नहीं जाती है, तो जाति का प्रमाण पत्र तो जीवन में एक ही बार उनका बनना चाहिए, ऐसा मेरा निवेदन है। आय प्रमाण पत्र, कहीं न कहीं आय जरूर बढ़ सकती है तो उसका साल में हो, दो साल में हो लेकिन स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को तो इसमें लागू होना चाहिए, ताकि सरकारी स्कूलों में जाने वाले बच्चे परेशान नहीं हों।

(श्री शंकर सिंह)

मूल निवास प्रमाण पत्र है, ऐसा है इसमें भी सुधार होना चाहिए। गौशाला के लिए हर ग्राम पंचायत के ऊपर एक सरकारी गौशाला होनी चाहिए, ताकि गायों की रक्षा आराम से हो सके।

सहभागिता योजना के अन्तर्गत, सहभागिता योजना में 90 परसेंट राज्य सरकार और 10 जनसहयोग राशि से जनसहभागिता योजना मंजूर की जाती है उसमें मेरा निवेदन है कि विधायक कोष की राशि को 10 परसेंट राशि मानते हुए 90 परसेंट राज्य सरकार की राशि मानी जाए, तो निश्चित रूप से विकास के कार्य हो सकते हैं। जिस प्रकार अभी आबादी, चरागाह और सिवायचक यह भूमियां ग्राम पंचायत के अन्दर रहती हैं और आबादी और चरागाह के अन्दर पंचायतों का कब्जा रहता है लेकिन इस भूमि को आबंटन करने के समय जिला कलक्टर के द्वारा किसी प्रकार...

श्री अध्यक्ष: कृपया बातचीत मत कीजिए।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): ग्राम पंचायत की अनुमति नहीं ली जाती है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बातचीत मत कीजिए। (व्यवधान)

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): भूमाफियाओं के द्वारा भूमि पर कब्जे किए जाते हैं। जिस प्रकार ...(व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): राज़ी करने के लिए गए हैं, वह नाराज हो रही हैं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बैठना चाहें तो बैठ सकते हैं, बातचीत मत कीजिए।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): ग्राम पंचायतों के अन्दर जिस प्रकार मत्स्य पालन के जो ठेके लेते हैं इसमें ग्राम पंचायतों के तालाब के ऊपर डिपार्टमेंट के अधिकारी आकर उनका टेण्डर निकाल ले जाता है। तो ग्राम पंचायतों के हक का, उनके साथ अन्याय होता है। अभी एक आसन के अन्दर भी टेण्डर हुए हैं, उसको भी, मत्स्य पालन के अधिकारी जबरन जाकर टेण्डर करते हैं, उसके ऊपर भी रोक लगनी चाहिए ताकि ग्राम पंचायतों को हम मजबूत करने जा रहे हैं, वह हो। ग्राम पंचायतों के अन्दर जिस प्रकार ग्राम सेवक, बीडीओ और अन्य पद खाली हैं, मिस्त्री हैं, कहीं जेईएन हैं तो एईएन नहीं हैं, सब पद पूरे भरे जाएं ताकि पंचायत कार्य करने में सक्षम रह सके, ऐसा निवेदन है। जिस प्रकार पूर्ववर्ती सरकार ने, राजीव गांधी आईटी सेंटर का निर्माण किया गया था

(श्री शंकर सिंह)

यह सरकार के पैसे थे, कोई कांग्रेस के पैसे नहीं थे। हर ग्राम पंचायत के अन्दर राजीव गांधी आईटी सेंटर जिस प्रकार पूर्व में इस सरकार ने राजीव गांधी के नाम से स्कूलें बनाई थीं, सरकार के पैसे लगे उसका वापस सुधार हुआ और राजकीय विद्यालय का नाम हुआ। इसमें भी मेरा निवेदन है कि राजीव गांधी आईटी सेंटर का निर्माण किया गया है इसमें राजकीय पैसे लगे हैं और राजकीय नाम संशोधन होना चाहिए, ऐसा मेरा निवेदन है।

जिस प्रकार इस गांधीवादी सरकार ने, जो पूर्व पांच साल का कार्यकाल निकला उसके अन्दर मेरा निवेदन है कि जहां-जहां पर राजस्थान में अधिक वोटों से जीतकर आने वाले सदस्य थे, उस जगह पर जांचें करवाई गईं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय समाज कल्याण मंत्रीजी, वक्ता का ध्यान आकर्षित होता है, मैंने कहा था बातचीत मत कीजिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रीजी को महिला बाल विकास मंत्रालय भी दिला दीजिए।

श्री अध्यक्ष: आप विराजिए। (व्यवधान)

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): जिस प्रकार, अधिक वोटों से जीतकर आने वाले विधायकों के क्षेत्र के अन्दर इस कांग्रेस की सरकार ने, एक कार्य की पांच पांच बार जांचें करवाईं, उन ग्राम पंचायतों के सरपंचों से उसका बदला लिया गया। ऐसा ही घटना क्रम ब्यावर विधान सभा क्षेत्र के अन्दर क्योंकि बहुत अच्छे वोटों से जीतकर आये थे, तो उनकी सबकी जांचें 5-5 बार हुईं। वहां पर द्वेषता से जांच करवाने के टाइम कार्य का माप लिया गया एमबी के अनुसार, उनका भुगतान कर दिया, कार्य का समायोजन कर दिया गया और उसके उपयोगिता प्रमाण पत्र भी पेश कर दिए गए। उसके बाद द्वेषता के नाते उन कार्यों की दुबारा जांच करवाई गई। एमबी भरने वाले जांच अधिकारियों ने वहां रिपोर्ट की है उसमें यहां जयपुर से भेजी गई टीम ने वहां जाकर माप किया उसमें ग्राम पंचायत मालोता की बैर का जिस प्रकार एक बीडीओ पुष्पा मानावत, सरपंच गणपतसिंह, ग्राम सेवक, एईएन मग्गाराम, जेईएन और कोई है, नरेगा का जेटीओ, यह सारे के सारे लोग, द्वेषता से जांच करने के बदले में आज भी जेल भुगत रहे हैं चार साल से। मेरा आपसे निवेदन है कि इस प्रकार

(श्री शंकर सिंह)

द्वेषता की राजनीति नहीं होनी चाहिए। उनकी जांच हुई तो कोर्ट के अन्दर जांचकर्ता ने बयान दिए कि साहब एमबी के ऊपर सही नहीं, जांच कमेटी में मैं मैम्बर था और मेरे सामने कोई कार्य का माप नहीं लिया गया, अंदाज से माप भरे गए हैं, यह कोर्ट में बयान है। दूसरा व्यक्ति कह रहा है ...(व्यवधान) आपसे प्रार्थना है थोड़ा शांति से विराजो। जो 6 व्यक्ति आज जेल में है उनको न्याय मिले ऐसी आपसे प्रार्थना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत निवेदन करना चाहता हूं आज उनके बीवी बच्चों के साथ क्या कुठाराघात होता होगा। उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी? इनके द्वेषता का खामियाजा आज वह जेल में भुगत रहे हैं। कभी-कभी वे मिले, उनके बयान की कापी मुझे दी गई कि साहब कोर्ट में हमारे बयान, मैं तो आरआई में डयूटी पर था, यह आप कहें तो सारा का सारा रिकार्ड टेबल कर सकता हूं। उनके बयान है कि साहब मैं आरआई में डयूटी पर था, मेरे तो खाली, जांच अधिकारी जयपुर से आए थे उन्होंने मेरे साइन करवाए थे। ऐसे कागज के डाक्यूमेंट कोर्ट में दिए है और एमबी जितनी भी भरी गई...

श्री अध्यक्ष: माननीय विधायक, अदालत निर्णय दे चुकी है, उसकी आलोचना आप यहां करके क्या...

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): अदालत की नहीं कर रहा हूं साहब।

श्री अध्यक्ष: वही कर रहे हैं आप, इसलिए आप दो मिनट और हैं आपके।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): मेरा निवेदन है कि जो अंदाज से भरी गई एमबी है, हम किसी को नौकरी तो लगा नहीं सकते हैं लेकिन उन कांग्रेस के लोगों की बदले की भावना से अगर कोई आज जेल में है, वापिस न्याय हो, ऐसा मेरा निवेदन है। वह कभी भी बरी हो, इस रूप में आगे न्याय मिले। हम सबको भी उनके लिए न्याय मिलेगा। दोषी है जेल जाए, हमें कोई गम नहीं, लेकिन बदले की भावना से एक कार्य की 5-5 बार जांच करें। आप जांच कर रहे हो, नींव तो देखो। नींव तो खोदकर लेनी चाहिए कि इतनी गहराई में नींव है लेकिन अंदाज से नाप भरकर उनको जेल में डाला गया। आपसे निवेदन है उनके ऊपर कोई न कोई ऐसा हो...

श्री अध्यक्ष: कृपया स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): ऐसा मेरा निवेदन है। साथ में जो...

श्री अध्यक्ष: श्री सुखराम विश्नोई।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्य मंत्री आदरणीय भैरोंसिंहजी शेखावत साहब, हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री आदरणीय मैडम वसुन्धराजी, इन सबको बहुत-बहुत हार्दिक आभार...

श्री अध्यक्ष: मैंने नाम पुकार लिया है, आप स्थान ग्रहण कीजिए। श्री सुखराम विश्नोई।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): कि इन्होंने पंचायती राज के अन्दर सुधार करके हर जाति को बोलने का मौका दिया, चुनाव लड़ने का सपना सोचा उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष) अध्यक्ष महोदय,...

श्री अध्यक्ष: माननीय प्रतिपक्ष के नेता।

सूचना

बीकानेर जेल में गोलीबारी की घटना

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, पाइण्ट आफ इन्फार्मेशन के तहत जो अभी सूचना मिली है कि बीकानेर जेल के अन्दर, वहां आमने-सामने गोलियां चलीं, तीन कैदियों के गोली लगी और वे मर गये। उसमें जिस तरीके से गोलीबारी हुई उस समय कई कैदी अन्दर थे। आमने-सामने गोलियां चली हैं। मैं बताना चाह रहा हूं, निवेदन करना चाह रहा हूं सरकार से। इस कानून व्यवस्था, अभी मैंने पहले एक पाइण्ट रखा था, बहुत ही सीरियस, गम्भीर जो बिन्दु था नागौर का, उसके बाद अभी पीछे भी सीकर जेल के अन्दर जो हथियार गया, इसमें चर्चा भी हुई। सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों की तरफ से यह कहा गया कि आपके राज के अन्दर मोबाइल गया था जेल के अन्दर। यह कोई अच्छी बात नहीं, मोबाइल गया वह भी गलत है। आज किस तरीके का लॉ एण्ड आर्डर है। आज सरेआम कैदी सुरक्षित नहीं हैं, अध्यक्ष महोदय। मैं निवेदन करना चाह रहा हूं सरकार से कि आप इस लॉ एण्ड आर्डर को सुधारो। नहीं तो राजस्थान में आने वाला समय आम जनता के लिए अच्छा नहीं होगा। कैदी सुरक्षित नहीं हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: विराजिये, विराजिये।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, पाइण्ट आफ इन्फार्मेशन तो इतना ही होता है।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं, यह बहुत सीरियस मामला है। यह कोई कम नहीं है।

श्री अध्यक्ष: माननीय प्रतिपक्ष के नेता, माननीय प्रतिपक्ष के नेता।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): हम पक्ष और विपक्ष की बात नहीं कर रहे।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): सरकार के नोटिस में आ गया है, इसका इलाज हो जाएगा।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): तीन कैदी मर गये, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: आप इन्फार्मेशन दे चुके। आपने पाइण्ट आफ इन्फार्मेशन लिया था, इन्फार्मेशन दे चुके। श्री सुखराम विश्नोई।

मांग संख्या 28, 49 व 50 पर विचार

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत आज जो विषय है ग्रामीण विकास के विशेष प्रयास, स्थानीय निकाय को मजबूत करने और ग्रामीण रोजगार का, यह पूरा का पूरा विषय गांवों से जुड़ा हुआ है। आज जो गांव में पंचायती राज के, पंचायत समिति के, जिला परिषद के जो हालात हैं, यह पंचायत राज सिस्टम इसलिए तैयार किया गया था कि गांवों में एक जाजम पर बैठ करके पंच जो निर्णय करते थे, वह निर्णय सर्वोपरि हो, वह स्वीकार्य हो। उस भावना को लेकर के पंचायत राज का गठन हुआ था। परन्तु आज इतने सारे कानून, इतनी सारी योजनाएं, इतनी सारी पेचीदगियां डाली गई हैं कि एक सरपंच, एक प्रधान, एक जिला प्रमुख, एक निकाय का अध्यक्ष व्यवस्थित तरीके से, सही तरीके से काम नहीं कर सकता। माननीय अध्यक्षजी, मैं आपके मार्फत कहना चाहूंगा कि पंचायत राज को पांच विभाग दिये गये। माननीय पंचायत राज मंत्री विराजमान हैं। पंचायत राज में पांचवीं तक की शिक्षा, आठवीं तक की एलीमेंट्री पूरी की पूरी पंचायत राज को दी गई। परन्तु शिक्षा मंत्री लेकर बैठे हैं। यह पंचायत राज के पास होनी चाहिए थी। आज पंचायत राज के पास होती तो स्कूल जो बंद करने की बात की जा रही है, वह बंद नहीं होते। इस पर विचार किया जाए। सुराज संकल्प यात्रा के तहत वादा किया गया था कि हम पंचायतों का पुनर्गठन करेंगे। अब पुनर्गठन की कार्यवाही चल रही है प्रोसेस में है। पुनर्गठन कार्यक्रम को चलाने के लिए मोनिटरिंग करने के लिए एक यहां आयोग का गठन करेंगे और उसकी देखरेख में काम होगा। माननीय अध्यक्षजी, मैं पंचायत राज मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि अगर पुनर्गठन आप करने जा रहे हो, आयोग होगा तब तो उसकी निष्पक्ष जांच होगी, उस पर निर्णय होगा। आयोग न होने से मनमर्जी होगी।

(श्री सुखराम विश्नोई)

जो सत्तापक्ष के लोग हैं, वे मनमर्जी तरीके से पंचायतों का पुनर्गठन करेंगे, उसमें फेरबदल करेंगे। तो सुराज संकल्प यात्रा में जो वादा किया गया था, उस वादे को पूरा किया जाए। इसमें साथ ही ग्राम पंचायत स्तर पर पहले वाली बात नहीं रही, माननीय अध्यक्षजी, आज प्लास्टिक चला गया गांव में। हर-एक सब्जी लेकर जाता है, कोई सामान लेकर जाता है, प्लास्टिक की थैली साथ में लेकर जाता है और गांव में बसने से पानी का भी, नालियों के न होने से गंदगी हो रही है। इसलिये, पिछली सुराज संकल्प यात्रा में तय किया था कि प्रत्येक पंचायत स्तर पर एक सफाईकर्मी को रखेंगे। वह भी इस बजट में प्रावधान नहीं किया गया। पंचायत समिति के सदस्य और जिला परिषद सदस्य, माननीय सभी सदस्य, विधायकगण बैठे हैं। उन पंचायत समिति के सदस्यों को और जिला परिषद के सदस्यों को प्रमुख और प्रधान बनने के बाद में कोई नहीं पूछता है। वह +++ , उसको पूछे तो पंचायत समिति के सदस्य की पूछ हो। यह गांव में लोग कहते हैं, यह कौन है, यह एलीगेंट है। यह गांव की भाषा अलग बनी हुई है। वहां बोलो सरपंच को तो कहते हैं जन प्रतिनिधि। एलीगेंट, मतलब यह कोई काम का नहीं है। उनकी कोई तवज्जोह नहीं है। तो थोड़ा महत्व दिया जाए उनको। उनका मानदेय तय किया जाए ताकि उनको भी सम्मान मिले। इसके साथ ही जो भर्ती प्रक्रिया है, मैं माननीय अध्यक्षजी, आपके मार्फत कहना चाहूंगा कि 15 लाख भर्तियां देने की बात की।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, पंचायत समिति, जिला परिषद के सदस्यों को +++ यह तो अच्छा शब्द नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, इनको अलाउ किसने किया। (व्यवधान) मुख्य सचेतकजी को अलाउ किया है, नहीं किया है।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): गांव में कहते हैं। (व्यवधान) तो व्यवस्था कर दो ना। (व्यवधान) आप व्यवस्था कर दो ना।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): किसी भी इंसान को +++ नहीं कहते हैं। (व्यवधान)

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): आप दे दो मानदेय, कुछ नहीं कहेंगे। (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): कभी किसी इन्सान को +++ कहते हैं क्या? (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपको थोड़े ही कहा है, माननीय सदस्य।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): आपको तो कहा नहीं है। उनका सम्मान बढ़ाओ।

एक माननीय सदस्य: वह भी जन प्रतिनिधि है। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): +++ नहीं कहते।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): हम समर्थन करते हैं, जोगारामजी।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, +++ पंचायत समिति और जिला परिषद के डाइरेक्टर को नहीं कहा। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): किसी को भी कहा है। जन-प्रतिनिधि को +++ नहीं कहना है। (व्यवधान)

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो आरोप लगाया है, असंसदीय भाषा का उपयोग किया है, उसको सदन की कार्यवाही से निकाला जाए। (व्यवधान)

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): मैं थोड़े कहता हूं। लोगों की बात, गांव में लोग कहते हैं।

श्री अध्यक्ष: कृपया आप चालू रखिये। (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): मैं तो कहता हूं, जो चुने हुए जन प्रतिनिधि हैं। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): भाषा का आपने उपयोग किया है वह ठीक नहीं है, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): मैं तो कहता हूं जो चुने हुए जन प्रतिनिधि हैं ना। (व्यवधान)

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): माननीय सदस्य, वह भी आपकी तरह जन-प्रतिनिधि हैं।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): जन प्रतिनिधि को +++ कहना गलत है। (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): वे भी चुनकर आते हैं और ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जन-प्रतिनिधियों के ऊपर। (व्यवधान)

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): मैं खुद एडवोकेट हूं। (व्यवधान) इस बात को तूल मत दो। (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): आप चुनकर आये हो वैसे ही वे भी चुनकर आये हैं और उनको +++ कह रहे हो। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): चीफ व्हिप साहब, आपको नहीं कहा है, आपको नहीं कहा है।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): आप उनको दे दो ना मानदेय। (व्यवधान) आप मानदेय दे दो। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): मेरा प्रतिपक्ष के नेता, आपसे निवेदन है किसी जन प्रतिनिधि को +++ कहना ठीक नहीं। चाहे वह वार्ड पंच से लगाकर कोई भी हो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): चीफ व्हिप साहब को नहीं कहा हमने। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: विराजिये। (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): एक मिनट, माननीय सदस्य जो लूणी वाले कह रहे हैं, उनको पंचायत समिति और जिला परिषद के हिसाब से शब्द यूज नहीं किया। इनके कहने का जो भाव था कि जिस तरह +++ को ...(व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): हां, तो वही हुई।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): माननीय नेता महोदय, आपको पता है कि दूसरे लोग क्या कहते हैं, सदन के बाहर, वह बात अलग है, आप यहां सदन के अन्दर गणमान्य सदस्य हैं और आप उनको +++ कह रहे हो। (व्यवधान)

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): आपको उनका उदाहरण नहीं देना चाहिए। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: माननीय सदस्य, ऐसे शब्द इसमें यूज नहीं किये जा सकते। ...(व्यवधान)...

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): आप बताइये, आपने कैसे कहा।

श्री अध्यक्ष: विराजिये, चीफ व्हिपजी, विराजिये, शांत। आप जारी रखिये।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): लूणी से आने वाले माननीय विधायकजी, मैंने आपको तो कहा नहीं। लोग कह रहे हैं, उनकी बात कही मैंने। लोग जो कह रहे हैं, उनके बारे में कहा। लोग उनके बारे में कह रहे हैं।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): यहां लोगों की बात नहीं कहनी चाहिए। अपनी बात कहो आप। लोग क्या कहते हैं, उस बात को कहने से क्या मतलब है। आप क्या बात कहना चाहते हो, कहो ना।

श्री अध्यक्ष: माननीय मुख्य सचेतक विराजिये, माननीय मुख्य सचेतक विराजिये।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): अध्यक्षजी, मेरा निवेदन है कि पंचायत राज मंत्रीजी विराज रहे हैं। रोजगार की जहां तक बात आती है, गांव में रोजगार की। पन्द्रह लाख रोजगार देने की बात की जा रही है पांच साल के अन्दर। मेरा माननीय अध्यक्षजी, सत्ता पक्ष के मंत्रीगण विराजमान हैं। अभी मैं उद्योग भवन में जाकर आया। सात हजार कर्मचारी बैठे हैं। उनको पन्द्रह लाख की तो बात छोड़ो। 24 हजार तो विद्यार्थी मित्र हैं, 3200 कम्प्यूटर टीचर हैं, एक हजार खान विभाग में पुलिस वाले हैं, एक हजार एन.टी.टी. के हैं और 3200 नि:शुल्क दवा वितरण में कम्प्यूटर मैन हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि टोटल 31 हजार हुए, और पन्द्रह हजार की बात। कल शिक्षा मंत्री ने जो कट मोशंस का जवाब दिया, सवेरे अख़बार में आया कि तेहत्तर हजार कुछ, लोगों ने हमारे को पूछा, इतने रोजगार कैसे, तेहत्तर हजार कुछ रोजगार चार महीने में दे देंगे। मेरा माननीय अध्यक्षजी से निवेदन है कि जो 31 हजार लोग बैठे हैं, उनकी तो आप सुनो। ताकि उन गांव वालों को रोजगार मिले। मेरा माननीय अध्यक्षजी से निवेदन है कि ग्रामीण विकास के लिए विशेष जो कार्यक्रम चलाये गये, उनमें बहुत सारी कमेटियां बनी हुई हैं। उन कमेटियों के माननीय जो साथी बैठे हैं, उनको भी शायद जानकारी नहीं होगी। गांव वालों को तो होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, आजीविका परियोजना। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: दो मिनट और हैं, आपके।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय अध्यक्षजी, जब मैं बोलता हूं तब श्रीमान आप विराजमान होते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: देखिये, मैं सबके साथ ...(व्यवधान) मैं सबके साथ।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): ये डोटासराजी नम्बर बाद में देते हैं। (व्यवधान) दस मिनट तो दीजिए। बीच में मेरा डिस्टर्ब हो गया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैं कह रहा हूं, दो मिनट बाकी हैं आपके। मैंने घण्टी बजाई।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): वह घण्टी बजती है तो हम भूल जाते हैं, क्या बोलें, साहब।

श्री अध्यक्ष: आठ मिनट तक बोल चुके आप, मैं वहां से देखकर। (व्यवधान) नहीं, यह आरोप मत लगाइये। (व्यवधान)

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): पांच मिनट ही हुए हैं, साहब, पांच मिनट सिर्फ और दे दें।

श्री अध्यक्ष: मैं सबके साथ समान व्यवहार कर रहा हूं। दो मिनट आपके बाकी हैं, आप बोलिये।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय अध्यक्षजी, मेरा निवेदन है। मैं तो बैठ जाऊंगा। माननीय अध्यक्षजी, मेरा निवेदन है कि आप 82 वर्ष के हो चुके और वृद्ध हैं, वृद्धाश्रम में, चार होते हैं युवावस्था, बाल्यावस्था, गृहस्थ अवस्था, सन्यास आश्रम।

श्री अध्यक्ष: यह व्याख्या मत कीजिए। (व्यवधान) अपना भाषण चालू रखिये।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): मेरे को सुनिये साहब, वृद्ध आदमी हैं वे दूसरों की रक्षा करते हैं। इसलिए कम से कम मेरे को बोलने का पांच मिनट का समय दिया जाए। दो मिनट में क्या बोलूंगा?, नीचे बैठ जाऊंगा।

श्री अध्यक्ष: आप तो दो मिनट बोल लीजिए। दो मिनट तो आपने ऐसे ही खो दिए।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): इतना समय तो इन्होंने खराब कर दिया। (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, इनका बोलने से आपकी उम्र से क्या सम्बन्ध है?

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): मेरे पूरे दस मिनट तो इन्होंने ले लिए। (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): आप वृद्ध कह रहे हैं। आसन पर बैठने वाले माननीय अध्यक्ष कभी वृद्ध नहीं होते हैं।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): गलत कहां पर कह रहे हैं? 82 में नहीं चल रहे हैं क्या? गलत कहां हुआ? (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): आप इनको वृद्ध कैसे कह रहे हो? आप वृद्ध कह रहे हो। (व्यवधान)

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): गलत कहां क्या? यह गलत बात है क्या? 82 साल के हैं यह। (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): आपने आसन को इंगित करते हुए कहा कि आप वृद्ध हैं।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): नहीं-नहीं, गलत कब कहा मैंने?

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): अभी बोले आप।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): नहीं, ऐसा नहीं कहा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): इन्होंने तो आपके लिए कहा है।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): मैंने ऐसा कब कहा है?

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): मेरे लिए नहीं कहा। (व्यवधान) तो फिर किसके लिए वृद्ध कहा?

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): ऐसा कहते तो माननीय अध्यक्ष ही कह देते।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): आपने आसन को इंगित करके कहा कि चार होती हैं स्टेज जिसमें वृद्धाश्रम भी है। आप वृद्ध हैं इसलिए मुझे बोलने का अवसर दीजिए। यह कहा है। यह गलत कहा है। वृद्ध हैं इसलिए आप बोलने का अवसर मांग रहे हो। (व्यवधान)

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): मैंने तो इसलिए कहा है कि वृद्ध आदमी रक्षा करते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया स्थान ग्रहण कीजिए, आपका टाइम हो गया है। श्री छोटूसिंहजी।

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मांग संख्या-28, 49 एवं 50 पर मैं अपना व्याख्यान देना चाहता हूं।

सभी माननीय सदस्यों ने पूर्व में अपने-अपने विचार और सुझाव इस विषय में दिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राष्ट्र के मामले में हमारे राजस्थान प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल है और इस प्रदेश के अन्दर आज ग्रामीण, जिस हिसाब से योजना चल रही है, फिर

(श्री छोटू सिंह)

भी आज 67 साल निकलने के बावजूद भी मैं यह कहूं कि समस्या का भी समाधान नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, उस राजस्थान में बड़ा क्षेत्रफल, एक जैसलमेर जिले का है, जहां से मैं निर्वाचित होकर आता हूं।

जनसंख्या के घनत्व में हम कम, क्षेत्रफल में हम सबसे बड़े हैं। योजनाओं में जिस प्रकार जो बजट मिलता है, वह जनसंख्या के अनुपात पर मिलता है। उस बजट के हिसाब से जैसलमेर का तो एक ही गांव उस योजना से नहीं जुड़ पाता है लेकिन दूसरे जिलों के चार-पांच गांव जुड़ जाते हैं तो लाभकारी योजना में इस 67 साल के बीते सालों में सब गांव करीब-करीब जुड़ गये होंगे लेकिन जैसलमेर का एक गांव जुड़ता है तो मान लीजिए कि 67 गांव ही जुड़े होंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, उस बड़े क्षेत्र के अन्दर करीबन 700 गांव और ढाणियां हैं। इस हिसाब से हमारी करीबन 653 ढाणियां आज भी वंचित हैं। आज हम यह नहीं जानते हैं कि हमारे गांव के घर से नाली में पानी भी चलता है। कई माननीय सदस्यों ने कहा है कि नाली निर्माण होना चाहिए। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि नाली किसके लिए? बरसात के पानी के लिए तो निर्माण होनी ही चाहिए लेकिन नल के पानी से निकलने के लिए, जैसलमेर के गांवों में निकलने की मेरी ख्याल में आवश्यकता बहुत कम रहती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हम नहीं चाहते, हमारे गांव के लोगों को यह पता नहीं है कि टोंटी से पानी भी निकलता है क्योंकि जिस हिसाब से गाइड लाइन बनी हुई है कि चार हजार की आबादी होने पर ही गांवों में हर गली में नल कनेक्शन लगेगा। हम यह भी नहीं जानते हैं कि घर में घुसने के बाद माचिस से तिल्ली लगाकर लाइट करनी पड़ेगी। आज ऐसे भी गांव और ढाणियां हैं जिनमें स्विच नहीं दबता है। जेब से माचिस निकलती है, तिल्ली लगाने के बाद लालटेन की मोमबत्ती, उसको ऊपर-नीचे करते हैं। तब जाकर अंधेरे से वह उजाला होता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इससे भी बहुत बड़ी समस्या है। जैसलमेर में पेयजल के लिए नहर आयी है और 70 परसेंट इलाके के अन्दर धरातल में पानी भी हो गया है। यह कुदरत और इन्द्र देव की मेहरबानी से नर्मदा का पानी उधर से निकला है। इतनी पूरी व्यवस्था होने के बावजूद भी पूर्ववर्ती सरकार ने इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की जिससे कि हमें पेयजल के

(श्री छोटू सिंह)

लिए मीठा पानी मिले और हमें उजाले के लिए लाइट मिले। आज राष्ट्र को और प्रदेश को यदि जरूरत है तो प्रदेश पूरे में, सीधा हिन्दुस्तान में यदि दिखता है तो जैसलमेर दिखता है कि वहां का धरातल और वहां का क्षेत्रफल बहुत है पर लाइट भी पैदा कर देंगे, नहर जाएगी तो इर्रिगेशन भी होगी। लेकिन वहां की जनता आज भी भूमिहीन है। ग्रामीण जनता आज भूमिहीन है। ग्रामीण जनता आज उजाले के लिए मोहताज है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे जैसलमेर में 2500 मेगावाट बिजली आज पैदा हो रही है लेकिन जैसलमेर का गांव का वासी आज अंधेरे में है। निवेदन इस बात का करना चाहते हैं कि मंत्री महोदय विराजे हुए हैं, हम चाहते हैं कि कोई भी योजना हो तो उस योजना के अन्दर विशेष जैसलमेर का ध्यान रखा जाए। क्योंकि जैसलमेर एक धरातल के पीछे की साइड में है। यहां से गाड़ी रवाना होती है बजट लेकर और जैसलमेर साढ़े सात सौ किलोमीटर जाती है तो थक जाती है। इंजन को रेस्ट चाहिए और कलक्ट्रेट के अन्दर जाती है तो थोड़ा कूलिंग होता है तो बिलकुल ठंडी हो जाती है और हमारे गांवों तक वह बजट पूर्णतया पहुंच नहीं पाता है मतलब, 50 परसेंट भी नहीं पहुंचता है।

उसके साथ में, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक आर.यू.डब्ल्यू.एम.पी., एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम की एक क्लस्टर योजना अब चली है। उसके अन्दर भी करोड़ों का बजट आता है लेकिन उसका हिसाब-किताब हमने देखा तो पांच साल की पूर्ववर्ती सरकार में इस हिसाब से बंटाढार हुआ, उस पैसे का कोई जमा-खर्च भी नहीं है। उसका नतीजा तो सामने विराजे हुए माननीय सदस्यों को सबको पता पड़ गया कि इन पांच साल में हमने कुछ नहीं किया। जनता जैसे कहती है, उस विश्वास पर हम बिलकुल झूठे उतरे।

श्री अध्यक्ष: आप विषय पर बोलिए।

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस चीज का यह प्रूफ है। विशेषकर हमारी जैसलमेर की विकट समस्याएं हो गईं, समय कम है, हो सकता है आपकी रिंग लग जाए। क्योंकि स्विच आपके हाथ में है, मेरे हाथ में स्विच नहीं है, मैं तो बोलने वाला सदस्य हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, विशेषकर एक डी.एन.पी. की, जिसे कहते हैं डेजर्ट नेशनल पार्क, उस गांव में हम आज से नहीं पूर्वजों के काल से रह रहे

(श्री छोटू सिंह)

हैं। उसमें हमें यह भी खुशी है कि पर्यावरण सुधर रहा है। तरह-तरह के जानवर वहां पर रहते हैं। जानवरों को पानी भी मिलता है और पेड़ों की छाया भी मिलती है, उसमें बैठते हैं। लेकिन गांव का निवासी उस क्षेत्र में, डी.एन.पी. क्षेत्र में जो गांव बसा हुआ है वहां नल भी नहीं लगा सकता। वह टांका नहीं खोद सकता। वह अपना अच्छा मकान नहीं बना सकता। वह ट्यूबवैल नहीं खोद सकता। वह अपनी खुद की जमीन को बेच नहीं सकता और ले भी नहीं सकता।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी पूर्वजों की प्रोपर्टी, जो आज नहीं पूर्वजों के काल से चली आ रही है, उस पर हमें अधिकार नहीं और बीच का नया कानून मिला, उसमें हम बिलकुल वंचित रह गये। मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं कि सुदासरी, जो चारों तरफ से फेन्सिंग करके पक्षियों को रखा हुआ है, अच्छी बात है। उसके सेंटर में एक काश्तकार, एक किसान का खेत आया हुआ है। आज डी.एन.पी. को कम से कम 25 साल हो गये हैं। उसको अन्दर तक नहीं घुसने दिया। वह अपने खुद के खेत को बोने से भी वंचित है। खूब सारी टीमें भी आयीं बाहर से, राष्ट्रीय लेवल पर भी आयीं, हमने इसकी फरियाद भी की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से आज मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहते हैं, सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि इस प्रकार की डी.एन.पी. की जो रोक है, हमें उस लाभान्वित सरकार के द्वारा, जो योजनाएं बनाई गई हैं, एस.एफ.सी., टी.एफ.सी., निर्मल और नरेका, जिसका तो नाम ही नरेका है। उन योजनाओं में उन गांवों को एक पैसे का भी बेनिफिट नहीं। इससे दूसरा कौनसा सौतेला व्यवहार हो सकता है?

माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा की कमी, पेयजल की कमी, चिकित्सा की कमी, यह नहीं कहना चाहते हैं कि गांवों में कर्मचारी रहना नहीं चाहता है। क्यों नहीं चाहता है? उसको चूल्हा लगाने के लिए लकड़ी चाहिए, उसको पानी लेने के लिए, वह बाहर से लाएगा ...(व्यवधान)

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय अध्यक्ष महोदय, उसको लाइट लगाने के लिए लालटेन चाहिए। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कर्मचारी का वहां पर ठहराव होना चाहिए। वह पटवारी हो, चाहे ग्राम सेवक हो, चाहे मास्टर हो, चाहे कोई दूसरा

(श्री छोटू सिंह)

अधिकारी हो। इसके लिए विशेष पहाड़ी योजना में जिस प्रकार से लोगों को भत्ता दिया जाता है, विशेषकर जैसलमेर जिले या जो भी अपने सीमांत क्षेत्र के जिले हैं उनके कर्मचारियों को तो देना चाहिए। यही ठहराव होगा इसका और कोई इलाज नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, ज्यादा नहीं कहते हुए आपका स्विच दब गया है। विशेषकर यह बात जरूर कहना चाहता हूं कि जैसलमेर एक पछाड़ी में है, जिसको कहते हैं अंतिम छोर में है। क्षेत्रफल के हिसाब से माननीय मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूं। पांच-सात तरह की जो योजनाएं हैं, उसमें सबसे ज्यादा बजट दिया जाए। या फिर ऐसा हुक्म दिया जाए कि हम क्षेत्रफल के हिसाब से जनसंख्या बढ़ाएं ताकि हम सड़क से भी जुड़ जाएंगे, हम पानी से भी जुड़ जाएंगे, हम लाइट से भी जुड़ जाएंगे, या इस प्रकार का हुक्म दो तो हमारी 36 कौमों में ऐसी जाति भी है जो आबादी बढ़ाने में फटाफट कर देंगे, बढ़ा देंगे।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): क्या व्याख्यान है साहब? वाह-वाह।

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ज्यादा नहीं कहते हुए स्विच दबा हुआ है मैं निवेदन करना चाहता हूं मंत्री महोदय से, कि इस बजट की मांग को ऐसा लिखो जिसको हर साल बार-बार पढ़ा जाए और इसमें से भी अच्छा कुछ ऐसा काम करें जिसके बारे में बार-बार अच्छा लिखा जाए। इन्हीं आशाओं के साथ आपने समय दिया है, उसके लिये धन्यवाद।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): वाह-वाह। वाह महाराज श्री को प्रणाम।

श्री अध्यक्ष: श्री अमृतलालजी ।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): अध्यक्ष महोदय, इनको आबादी बढ़ाने की परमिशन दिलाओ साहब, जैसलमेर वालों को।

श्री अध्यक्ष: आप शांत रहिये। अमृतलालजी।

श्री अमृतलाल (सलूम्बर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 28, 49 एवं 50 पंचायती राज के मामले में, रोजगार के मामले में मैं आपके सामने बोलना चाहता हूं। जब पंचायती राज का गठन हुआ 1959 में, 55 साल निकलने के बाद भी जिस समय सोचा होगा, समझा होगा, पंचायत के माध्यम

(श्री अमृतलाल)

से गांवों में, ढाणियों में, मजरों में सड़कों का, शिक्षा का, चिकित्सा का, स्वास्थ्य का, शुद्ध पेयजल का विकास हो, उस माध्यम से आज 55 वर्ष हो गये, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में हालत उससे भी ज्यादा खराब हो रही है। पिछले 5 वर्ष के कार्यकाल में जब नरेगा शुरू हुआ था 2006 में, और दो वर्ष तक भारतीय जनता पार्टी का शासन शेष रहा था और उसमें बहुत काम हुए। सड़कों का निर्माण हुआ, कुओं-धोरों का निर्माण हुआ, एनिकट भी बने, नहरों का सुदृढ़ीकरण किया गया, तालाब भी बनाये गये और उस समय सारा कार्य नया था। राज भारतीय जनता पार्टी का था, वसुन्धराजी का था। उसके बाद नरेगा का जो स्तर गिरता गया, वह आज 2013 में ग्राम पंचायत के सचिव ने, सहायक सचिव ने, कम्प्यूटर आपरेटर ने और मेट ने और साथ में सरपंच और जे.टी.ओ. द्वारा पंचायत समिति के बी.डी.ओ. की दक्षता कम होने की वजह से पंचायतों में जो सम्पूर्ण राजस्थान में किया है, उससे नरेगा का यह कार्यक्रम गिरता गया। आज सरपंचों की हालत यह है कि वे सचिवों के आगे हाथ जोड़ते-फिरते हैं, क्योंकि पेमेंट का मामला है। उसमें सीधा-सीधा जिले के जिलाधिकारियों का भी हाथ है। इन सारी व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए मैं आपके सामने इसी बैंच पर एक सरपंच के खिलाफ, लैम्प्स अध्यक्ष के खिलाफ और व्यवस्थापक के खिलाफ, पंचायत समिति खैरवाड़ा का मामला है और उन तीनों के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज हुई है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उदयपुर सी.ई.ओ. साहब को, उन्होंने आदेश देकर 196/14 में दिनांक 23.7.2014 को धारा 420, 406, 467, 468, 471 और 120 बी के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज करने के लिए कहा है। माननीय मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि इनके ऊपर तत्काल कार्यवाही हो, ताकि दूसरे जो कर रहे हैं, यह इस वाले मामले में सरपंच पति, महिला सरपंच थी, सरपंच व्यवस्थापक था लैम्प्स का, चैक काटना, देना, करना सारा उनके हाथ में था और मुख्य मंत्री आवास योजना में जितने भी मकान स्वीकृत हुए, उस एरिया के, उस पंचायत के, एक को भी पेमेंट नहीं दिया इन तीनों व्यक्तियों ने। यह व्यवस्था मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी है, जहां कई सरपंचों ने, सचिवों ने और रेती-भाटे, पत्थर डालने का ठेका स्वयं ने लिया है। उनकी पेमेंट होने वाली पास बुक उनके पास रखी है और लैम्प्स का सरपंच, सचिव और नरेगा का मेट मिल कर यह पेमेंट करते हैं और हजारों मस्टररोल, जब पंचायत समिति से इश्यू होते थे और उनकी अगर जांच की जाए, हमारे माननीय सदस्य महोदय गोगुन्दा वालों ने बताया, एम

(श्री अमृतलाल)

एल ए साहब ने जो कहा वह सच्ची बात है। उस एरिया में बहुत बड़ा मामला था पूर्ववर्ती सरकार में।

मेरा सजेशन है, राय है कि इनकी जांच के लिए पंचायत स्तर पर सतर्कता कमेटी गठित हो और जिस प्रकार पी.डब्ल्यू.डी. में टेण्डर होता है, उस व्यवस्था की तरह हो। सामग्री वहां 60 प्रतिशत हो और श्रम का 40 प्रतिशत हो। सारे कच्चे कामों को बंद किया जाए और इंटरलाक ईंटों का पंचायत स्तर पर कार्य किया जाए ताकि गिरे तो भी पता लग जाए कि इतनी ईंटें लगीं। 60 प्रतिशत सामग्री पर, 40 प्रतिशत मजदूरी हो। मेरा आपसे निवेदन है कि जिन-जिन पंचायतों में चाहे सचिव हो, चाहे सहायक सचिव हो, चाहे जे.टी.ओ. हो, अपने उस कार्यकाल में तीन बरसों से ज्यादा नहीं रहना चाहिए। बहुत बड़ी समस्या है।

मेरा आपसे निवेदन है इस बीच में, रोजगार गारण्टी का काम हो गया। मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो पंचायत समितियां हैं, एक नगरपालिका एरिया है और वह नगरपालिका का 1955 में निर्माण हुआ सलूम्बर का... (व्यवधान) उसका अगर बजट सदन के माध्यम से, अध्यक्षजी के माध्यम से, मंत्रीजी के माध्यम से अगर उस नगरपालिका का भवन बन जाता है तो बहुत बढ़िया रहेगा। धन्यवाद । जय हिन्द। जय राजस्थान।

श्री अध्यक्ष: श्री मंगलाराम कोली। (अनुपस्थित) मंगलारामजी नहीं हैं। मुझे माननीय सदस्यों को एक निवेदन करना है कि मैं उन्हीं माननीय सदस्य को यहां आमंत्रित करता हूं जिनकी सूची सत्ताधारी पार्टी बीजेपी से आती है या प्रतिपक्ष कांग्रेस से आती है। मेरे विवेक में इतना ही है कि जो निर्दलीय हैं या दूसरी पार्टियां हैं, उनको आमंत्रित करूं। कल मैंने माननीय मानिक चन्दजी को बुलाया था निर्दलीय के रूप में। आज मैं श्री नन्दकिशोर महरियाजी को बुला रहा हूं निर्दलीय के रूप में, बहस में भाग लेने के लिये। इसके बाद गुलाबजी, आपका वक्तव्य होगा।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 28 ग्रामीण विकास, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा विभाग है, मैं सिर्फ इसके एक-दो बिन्दु पर बोलना चाहूंगा।

स्वच्छता, स्वास्थ्य से सीधा जुड़ा हुआ है। आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि भारत वर्ष के

(श्री नन्दकिशोर महरिया)

जितने भी गांव हैं उनकी उम्र दस-बीस साल से लेकर हजारों साल से ऊपर है और वे सारे ही गांव किसी न किसी नदी, जोहड़ या तालाब के आसपास बसे हुए हैं। जो अच्छी नदियां थीं उनके आसपास जो बसे थे वे आज शहर बन गये लेकिन जो गांव जोहड़ के चारों ओर बसे वे उस जोहड़ के उस तालाब के कैचमेंट एरिया में बसे इसलिए गांव का जो मुख्य चौक है, गांव का जो सेन्टर है वह खड्डे में है और खड्डे में होने की वजह से गांव का बारिश का सारा पानी उस गांव के मुख्य चौक में आता है। जिस तरह से अभी गांव में आर.सी.सी. सड़कें बनने की बात हुई है, एक बड़ी अच्छी योजना, अभिनव योजना जिसकी वर्षों से जरूरत थी, माननीय सदन की नेता लायी हैं। उसी तरह से गांव के इन खड्डों से पानी की निकासी की कोई योजना माननीय मंत्रीजी दें, मुख्य मंत्री जी दें तो पूरे प्रदेश में इसका बहुत बढ़िया और बहुत ही लाभदायक काम होगा। हर गांव में यह स्थिति है कि गांव का मुख्य चौक पानी, कीचड़ से भरा हुआ रहता है, सभी माननीय सदस्य यहां बैठे हैं, शायद सभी की इसमें सहमति होगी। इस पानी को चाहे बड़े नालों से निकाला जाए, पाइप लाइन से निकाला जाए, पाताल तोड़ कुआं खोदा जाए या लिफ्ट किया जाए, कोई भी व्यवस्था की जाए लेकिन गांवों में आज के दिन सबसे बड़ी समस्या पानी की निकासी की समस्या है। तो इस ओर माननीय मंत्रीजी का मैं आपके माध्यम से ध्यान दिलाना चाहूंगा।

इसके अलावा जैसा कि पता ही है कि पानी ढलान में जाएगा और यह भी तय है कि हमारे मुख्य मंत्रीजी की यह जो सरकार है यह भी आमजन की सुविधा के लिए दूरदर्शी सोच के साथ ही चलेगी और इसी का यह परिणाम है गांव में गौरव पथ वाला, सड़क बना रहे हैं। इस सड़क को कुछ हद तक यह पानी जरूर खराब करेगा इसलिए अगर इसके साथ-साथ इसकी योजना बन जाए, यह योजना तो बहुत पहले बन जानी चाहिए थी लेकिन अब भी बनी वह बहुत बढ़िया है। पानी की भी अगर साथ में बन जाए तो बहुत अच्छा रहे वरना वर्षों बाद अपने को निश्चित रूप से इसको बनाना पड़ेगा, दोगुना खर्चा आएगा।

हमारे गांव ही नहीं जो छोटे नगर हैं, शहर हैं उनमें भी पानी निकासी की बहुत बड़ी समस्या है। मैं जिस क्षेत्र फतेहपुर से आता हूं, माननीय मंत्रीजी अच्छी तरह जानते हैं कि वहां के बस स्टैण्ड पर पांच-पांच, छह-छह फीट पानी हर साल भर जाता है और यह आज की समस्या नहीं है यह वर्षों पुरानी

(श्री नन्दकिशोर महरिया)

समस्या है। बावड़ी गेट के पास, बावड़ी गेट मतलब किसी जमाने में राजा-महाराजाओं ने बावड़ी बनायी थी पानी इकट्ठा होने के लिए, खड्डे में था और वहां आज बाजार बन गया, बस स्टैण्ड बन गया, पूरे पश्चिमी राजस्थान से जो बसों में आते हैं उधर से होते हुए इधर आते हैं और सभी परेशान रहते हैं, व्यापारी परेशान रहते हैं। गांव वाले वहां खरीददारी के लिए आते हैं। बसों में बैठने को महिलाओं को, माताओं-बहनों को दिक्कत होती है, चढ़ नहीं सकती, यह स्थिति हो जाती है। तो उसके लिए एक विशेष योजना फतेहपुर छतरिया बस स्टैण्ड के पानी निकासी के लिए मेरा निवेदन है कि अलग से एक विशेष योजना बना कर उस समस्या से निजात दिलायी जाए।

हमारे पूर्व राष्ट्रपति माननीय अब्दुल कलाम साहब ने एक योजना एक बार चलायी थी, माननीय अध्यक्षजी को पूरा ध्यान होगा, प्रोविजन आफ अरबन एमेनिटीज इन रूरल एरियाज, शहरी क्षेत्रों में जो सुविधाएं दे रहे हैं अगर वे गांवों में देना शुरू कर दें, चाहे बिजली हो, पानी हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, रोजगार हो तो गांव के लोग शहर में आएंगे नहीं। वहां सुविधा मिल जाएगी, शहर में परेशानी नहीं होगी। अभी जैसे 24 घंटे बिजली दी है, मैं आपको बताऊं कि निश्चित रूप से शहरीकरण रुकेगा। गांवों से बहुत से परिवार सिर्फ इसलिए विस्थापित होते थे कि उनके बच्चों को पढ़ाई के लिए लाइट नहीं रहती थी। इसी तरह से अगर बाकी काम भी किये जाएं तो शहरीकरण पर रोक लगेगी और गांवों में जो लोग रह रहे हैं वे बड़े आराम से रहेंगे। गांव को ही अगर शहर बना दें तो गांव का कोई व्यक्ति शहर में नहीं आएगा।

प्रत्येक घर में शौचालय निर्माण के लिए सहायता राशि बढ़ायी जानी चाहिए। हमारी सदन की नेता चाहती हैं कि पूरा राजस्थान बाहर शौच जाने की समस्या से बाहर निकले, मुक्त हो पर बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हालात यह हैं कि हम जिस सदन में बैठे हैं, मैं कल सुबह ही घूमने गया था, यहां सामने क्वार्टर मिला है, घूमने गया था, जिस सदन में बैठे हैं उससे सिर्फ पांच सौ मीटर की दूरी पर सैकड़ों महिलाएं खुले में शौच के लिए जाती हैं। तो बहुत गम्भीर विषय है। हम पूरे राजस्थान को सुधारने की बात कर रहे हैं, अभी तो जयपुर, विधान सभा के आसपास के एक किलोमीटर के क्षेत्र की यह हालत है। तो इस पर अपने को बहुत गम्भीरता से विचार करना पड़ेगा।

(श्री नन्दकिशोर महरिया)

जोहड़, पायतन, गोचर भूमि पर गांवों में जो लोग वर्षों से बसे हुए हैं, मेरे क्षेत्र के कारिंगा, जालेऊ, फतेहपुर बीड़ में कई गांवों में लोगों के पास 15-20 साल पुराने पट्टे हैं, वे पट्टे उनको बी.डी.ओ. या सरपंच ने दिये हुए हैं अब पता नहीं कब वे जमीनें वन विभाग में चढ़ गयीं, सिवाय चक में चढ़ गयीं तो जिन लोगों को वाजिब तरीके से पट्टे मिले हुए हैं उनको बेदखल नहीं किया जाए और जो वर्षों से वहां रह रहे हैं उनका नियमन किया जाए तो अच्छा होगा।

स्वरोजगार योजना के माध्यम से ग्रामीणों को रोजगार देने के लिए जो कर्ज की प्रक्रिया है उसका थोड़ा सरलीकरण हो जाए तो बेरोजगारों के लिए बहुत अच्छा होगा और अपने जो भी ग्रामीण स्वरोजगार की योजना हैं उनका प्रचार-प्रसार थोड़ा कम है, उस पर थोड़ा सा और जोर दिया जाए तो निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष: माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री, कटारियाजी, अब आपका वक्तव्य।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: मैं क्षमा चाहता हूं।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): आप मेरी बात तो सुनें।

श्री अध्यक्ष: नहीं, मैं क्षमा चाहता हूं।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): बात तो सुनिये, साहब, बात सुनने का आपका दायित्व भी है कि आप बात सुनें।

मेरा निवेदन यह है कि माननीय मंत्रीजी के 15 मिनट बाद बोलने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष: नहीं, यह फिर आगे बढ़ता जाएगा। तो एक सीमा तो करनी पड़ेगी।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): आप मेरी बात सुन लें। मैं सिर्फ एक मुद्दे पर बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष: आप विराजिये, आप विराजिये, कल बोल लीजिए आप।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): मुझे लिखित वक्तव्य तो देने का अधिकार है न। मेरा लिखित वक्तव्य मैं दे रहा हूं टेबल पर।

श्री अध्यक्ष: हां, लिखित वक्तव्य दें। पार्सल आफ द रिकार्ड होगा।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): हां तो मैं वही कर रहा हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: पार्सल आफ द रिकार्ड होगा, आपका लिखित वक्तव्य दें ...(व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): मैं यही अर्ज कर रहा हूं। हां तो मुझे मेरा वक्तव्य तो ले-डाउन करने दीजिए।

श्री अध्यक्ष: इसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए, रिकार्ड में लेना है।

(माननीय सदस्य श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) द्वारा मांग संख्या 28 49 व 50 के सम्बन्ध में अपना वक्तव्य सदन पटल पर रखा गया)

(लिखित वक्तव्य के लिए कृपया परिशिष्ट-5 देखें)

श्री अध्यक्ष: माननीय गुलाब चन्दजी कटारिया।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के सभी माननीय सदस्य का बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज इस राजस्थान की 70 से 75 प्रतिशत जनता से सम्बन्धित मांग संख्या-28, 49 और 50 पर 406 कटौती प्रस्ताव आप सब माननीय सदस्यों ने दिये हैं और कई माननीय सदस्यों ने अपनी भावना भी यहां सदन में प्रकट की है।

मैं इन सब कटौती प्रस्तावों का आपको कल शाम तक उत्तर पहुंचा दूंगा और मैं स्वयं आपके कटौती प्रस्ताव को भी और आज की पूरी डिबेट को व्यक्तिशः एक-एक लाइन पढ़ कर के जो कुछ भी मुझ से सम्भव हो सकेगा उसको मैं करने का आश्वासन देता हूं आपको क्योंकि आपकी और मेरी सब की इच्छा एक ही है कि यह जो विभाग है, मैं एक तो ईश्वर की कृपा मानता हूं और मुख्य मंत्री की भी कृपा मानता हूं कि मुझे एक ऐसा विभाग दिया है जिससे मैं गांव और गरीब का कुछ काम करके उस तक इस लोकतंत्र की जो सुविधाएं हैं वे पहुंचा सकूं। इसके लिए उनका आभार व्यक्त करता हूं।

मैं अपनी बात महात्मा गांधी की इस बात से शुरू कर रहा हूं- जब भी तुम्हें संदेह हो या तुम्हारा अहम तुम पर हावी होने लगे तो यह कसौटी आजमाओ। जो सबसे गरीब और कमजोर आदमी तुमने देखा हो उसकी शक्ल याद करो और अपने दिल से पूछो कि जो कदम उठाने का तुम विचार कर रहे हो वह उस आदमी के लिए कितना उपयोगी होगा? क्या उससे कुछ लाभ पहुंचेगा? क्या उससे वह अपने ही जीवन और भाग्य पर कुछ काबू रख

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

सकेगा? यानी क्या उससे उन करोड़ों लोगों को स्वराज्य मिल सकेगा जिनके पेट भूखे हैं और आत्मा अतृप्त है? तब तुम देखोगे तो तुम्हारा संदेह मिट रहा है और तुम्हारा अहम समाप्त हो रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, वास्तव में मुझे जो काम मिला है, मैं राजस्थान की 75 प्रतिशत जनता के भले के लिए काम कर सकता हूं। मुझे राजस्थान की 9 हजार 177 पंचायतें एवं 44 हजार गांव में कुछ कर गुजरने का एक अवसर मिला है। मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है और मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं कि जो बजट मेरा पिछले साल 10 हजार करोड़ का था उसको इस साल बढ़ाकर उन्होंने लगभग 15 हजार करोड़ रुपया करके राजस्थान के उस ग्रामीण क्षेत्र को कुछ राहत पहुंचाने का प्रयास किया है।

मैं आप सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि यह 5 साल का बजट 75 हजार करोड़ से भी अधिक जाता है, क्योंकि अगले साल और बजट बढ़ सकता है। हमारे राजस्थान में 9 हजार 177 पंचायतें हैं और 44 हजार गांव हैं। अगर हम सब माननीय सदस्य राजनीति से ऊपर उठकर प्रदेश के भले के लिए कुछ सोचते हैं तो मैं सोचता हूं कि कोई गांव ऐसा नहीं होगा छोटा से छोटा जिसको 1 करोड़ रुपया नहीं दिया जा सके। बड़ी से बड़ी पंचायत को 5 करोड़ से लेकर 7 करोड़ तक इन 5 सालों में हम उस गांव की समस्याओं को हल करने के लिए जुटा पा रहे हैं। अगर आप किसी व्यक्ति को कहो कि तुम्हें मैं 5 करोड़ रुपया देता हूं तुम तुम्हारे गांव की समस्याओं का हल करो तो मेरी गारंटी है कि अगर लीकेज नहीं हो तो हैंड्रेड परसेंट इस 5 साल में हम मिनिमम जो आवश्यकताएं होती हैं गांव की, उसकी पूर्ति में जरुर सफल हो जाएंगे। लेकिन उसमें आपका और मेरा स्वयं का कमिटमेंट होना चाहिए कि हम केवल बोलते हैं या कुछ कर गुजरने की इच्छा रखते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, वास्तव में मैंने जैसा आपको कहा प्रत्येक में इस बार जिस ढंग से पैसा बढ़ा है, पंचायती राज में जो पिछले साल 4 हजार 97 करोड़ रुपया था इस बार 6 हजार 59 करोड़ है। नरेगा में जो 2 हजार 459 करोड़ था वह इस बार 4 हजार 850 करोड़ है। ग्रामीण विकास के लिए जो 1 हजार 620 करोड़ था वह 2 हजार 39 करोड़ है। मिड-डे मील में जो 750 करोड़ रुपया था वह आज 765 करोड़ है। जल ग्रहण विकास में जो

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

350 करोड़ की योजना थी, इस बार 500 करोड़ से अधिक है। पिछले साल का बजट 9 हजार 276 करोड़ था, इस साल का बजट 14 हजार 213 करोड़ का है। निश्चित रुप से यह पिछले साल से 53 प्रतिशत बजट में जिस प्रकार की बढ़ोतरी हुई है और जिस मंशा से दी है, उसके पीछे भावना यही है कि हम गांव और गरीब की जो मिनिमम आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति कर सकें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आलोचना की दृष्टि से नहीं, मैं तथ्यों की दृष्टि से कह रहा हूं कि हमारे पास पैसा पर्याप्त मिलता है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हम खर्च नहीं कर पाते। हमारा पैसा ऐसे ही चला जाता है। 2010-11 में पिछली सरकार के समय में 371 करोड़ रुपया हमें मिला, केवल 74 करोड़ रुपया खर्च हुआ, केवल 20 प्रतिशत। यह आलोचना की दृष्टि से नहीं, अपने आपके अंत:करण में और अपने आप में झांकने की आवश्यकता है कि आखिर कहां लीकेज है, कहां गड़बड़ी है, कहां उदासीनता है। कहां काम में कमी है जिसके कारण से एक तरफ हमारे पास पैसा पड़ा है और दूसरी तरफ गांव का व्यक्ति अभाव में जी रहा है। इन दोनों के बीच में कहीं न कहीं तालमेल बैठाने का प्रयत्न करना पड़ेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 2011-12 में हमारे पास 905 करोड़ था, केवल 250 करोड़ रुपया किया, 27 प्रतिशत। 2012-13 में हमारे पास 1 हजार 608 करोड़ था, केवल 377 करोड़ रुपया हम खर्च कर पाये, केवल 23 परसेंट। उसके बाद हमारे पास 2013-14 में 2 हजार 248 करोड़ रुपया था और हमने 1 हजार 198 करोड़ रुपया खर्च किया, 53 परसेंट।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह अभिमान के लिए नहीं कह रहा हूं। लेकिन जबसे मैंने काम संभाला है, मैंने लगातार मानिटरिंग करके इस बार जो बजट था उसका 53 प्रतिशत हम खर्चा कर पाये हैं। वास्तव में एक सुखद समय है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो वित्त आयोग का पैसा है वह भी इसी तरह से है। 2010-11 में हमको 411 करोड़ रुपया मिला और उसमें से एक पैसा खर्च नहीं हुआ। एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ, जीरो। 2011-12 में हमको 881 करोड़ मिला, 201 करोड़ रुपया खर्च किया, केवल 22 परसेंट। उसके बाद 2012-13 में हमको मिला 1 हजार 659 करोड़ और हम 401 करोड़ रुपया खर्च कर पाये, 24 प्रतिशत। उसके बाद हमको 2013-14 में मिला 2 हजार 216

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

करोड़ रुपया, हम 1 हजार 236 करोड़ खर्च कर पाये, 55 प्रतिशत खर्चे पर लाये हैं। केवल हमें 4 महीने का समय मिला, दिसम्बर, जनवरी, फरवरी और मार्च। उसका कारण है कि लगातार मानीटरिंग करने से विभाग के सभी अधिकारियों ने भी अपनी पूरी ताकत लगा दी और जो पैसा हमारे पास उपलब्ध है उसका हम ठीक प्रकार से उपयोग करें। मैं उन सबको भी अपनी ओर से धन्यवाद देता हूं कि उन सबकी मेहनत से यह हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, निर्बन्ध राशि योजना, मैं यह सब केवल आलोचना की दृष्टि से नहीं कि आपने नहीं किया, जो किया वह गया, लेकिन आगे के लिए हम कम से कम इस बात की कोशिश करें कि हमारे पास धन उपलब्ध है। 3 वर्ष का जो निर्बन्ध राशि का पैसा हमको मिला था पहले साल 2011-12 में 699 करोड़ और खर्च कर पाये हम 113 करोड़, मात्र 16 प्रतिशत। उसके बाद 2012-13 में हमको मिला 1 हजार 363 करोड़, हम खर्च कर पाये 335 करोड़। 2013-14 में मिला हमको 1 हजार 797 करोड़ और हम खर्च कर पाये 1 हजार 42 करोड़, 57 प्रतिशत। यह मैं सब आंकड़े इसलिए बता रहा हूं कि यदि इस विभाग में जैसा कुशलगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा और कई माननीय सदस्यों ने कहा इसको सुधारा जा सकता है। अगर इसकी मानीटरिंग व्यवस्था को बहुत ज्यादा प्रभावी और दबाव बनाया जाए तो कैसा भी कमजोर आदमी होगा, उससे बार-बार पूछा जाएगा तो वह निश्चित रुप से अपने काम में सुधार करेगा।

बीआरजीएफ में भी इसी प्रकार से है। बीआरजीएफ में पूरा केन्द्र सरकार का पैसा मिलता है। अब केन्द्र से जो पैसा मिलता है उसमें भी हमारी स्थिति क्या है? 2009-10 में हमको 327 करोड़ रुपया मिला और हम 221 करोड़ रुपया खर्च कर पाये, यानी 67 परसेंट। उसके बाद अगले साल 2010-11 में हमको 373 करोड़ मिला और हम 236 करोड़ खर्च कर पाये, 66 परसेंट। उसके बाद 2011-12 में मिला 433 करोड़, हम 237 खर्च कर पाये, 54 परसेंट। इसके बाद 2013-14 में हमको मिला 2 हजार 957 करोड़ और हम खर्च कर रहे हैं 1 हजार 896 करोड़, 64 परसेंट पर ले गये। एवरेज जो चल रहा था 59 से लेकर के 60-61 के बीच में, हमने प्रयास किया 2-4 परसेंट हम इसको बढ़ा पाये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं इन आंकड़ों को छोड़ता हूं। पिछले 6 माह में विकास योजना को गति देने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था के सुधार

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

हेतु हमने क्या काम किया। कई बार आलोचनाएं होती हैं कि आपने कुछ नहीं किया। मैं कहता हूं कि यह जो 'श्री' योजना हम लाये हैं और जिस मन से लाये हैं, मैं सदन में सब लोगों से चाहता हूं कि आप अपने विकास को भी इसी 'श्री' योजना की तरफ मोड़ें ताकि कम से कम गांव में, यह जो मिनिमम 5 आवश्यकताएं हैं, जो हमने 'श्री' योजना के नाम से, अंग्रेजी का शब्द जरूर है, एस का मतलब सेनिटेशन हो, एच का मतलब हैल्थ हो, आर का मतलब रुरल कनेक्टिविटी हो, ई का मतलब एजुकेशन हो और ई का मतलब एनर्जी हो।

इस 'श्री' से शुरू किया है इसलिए मेरा विश्वास है कि जब हम कोई भी काम 'श्री' से शुरू करते हैं तो ईश्वर हमारी मदद जरुर करता है। हमने जिस योजना से और जिस भावना से इन गांवों की कायाकल्प करने के लिए किया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 5 साल में हम राजस्थान के उस गांव तक अपनी सारी सुविधाएं जो हमने यहां मार्क की हैं, आप सबके सहयोग से निश्चित रुप से पहुंचाकर यह कहने की स्थिति में होंगे कि हमने मिनिमम आवश्यकताएं उसकी पूरी कर दी हैं।

हम लोगों ने प्रयत्न किया कि आखिर इस काम को सुधारें कैसे, तो हमने पंचायत दिवस के रुप में काम शुरू किया। हर शुक्रवार के दिन हर ब्लाक की दो टीमें बनती हैं और 2 पंचायतों को पहले से तय करके उनके यहां जाकर के अपना कैम्प लगाते हैं। पब्लिक को भी सामने बुलाते हैं और सारा रिकार्ड जो भी उनको हमने पैसा दिया, वह कहां खर्च किया। कैश बुक उन्होंने ठीक मेनटेन की या नहीं की। जो भी परिसम्पत्तियां बनाईं उसका कोई रिकार्ड रजिस्टर है या नहीं है। उस गांव के लोगों के सामने ही हमने इस काम को किया।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय, एक मिनट। समय बढ़ाना है।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय माननीय मंत्रीजी का जवाब आकर, मांग पारित हो जाए तब तक के लिए बढ़ाया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि क्या मांगें पारित होने तक समय बढ़ाने की आपकी सहमति है?

(स्वीकृत)

मांगें पारित होने तक समय बढ़ाया गया।

मांग संख्या 28, 49 व 50 पर विचार

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): इस कारण से जून में हमने चार का मतलब हर ब्लाक में आठ और इस महीने के भी आठ, लगभग सोलह पंचायतें हरेक, एक दिन शुक्रवार को हम राजस्थान की लगभग दो हजार पंचायतों का रिकार्ड हम अप टू डेट कर रहे हैं। अब इस महीने के अंत तक आठ कैम्प हमारे हो जाएंगे। सोलह सौ कम्पलीट कर लेंगे और चार महीने में हम राजस्थान के प्रत्येक पंचायत हैडक्वाटर का रिकार्ड अप टू डेट बनाकर जनता के सामने रख देंगे कि इस प्रकार का यहां पैसा मिला, यह हुआ, उसमें जहां-जहां भी कमियां पाई गई हैं, उनके खिलाफ भी हमने अपनी कार्यवाही शुरू की है। इस काम को आगे बढ़ाने के लिए हमारे यहां एक बहुत बड़ी टीम है। मैं सोचता हूं मैं भाग्यशाली हूं कि मेरे पास पांच-पांच, छह-छह आईएएस आफिसर्स हैं और लगभग आरएसएस आफिसर्स तो पैंतीस-चालीस हैं। डिपार्टमेंट में इन सब लोगों का भी हमने उपयोग किया, हरेक को एक-एक जिले का इन्चार्ज बनाया और महीने में एक दिन, दो दिन जाकर वह जिले में बैठे और जिले की सारी की सारी स्कीमों की मोनिटरिंग करें, उसका काम उन्होंने किया है।

हमारे यहां ग्राम सेवकों की कमी है, माननीय सदस्यों ने भी कहा था, अभी भी दो हजार ग्राम सेवकों का हमारे पास अभाव है और इसके कारण से जो भी वहां पर कनिष्ठ लिपिक है उसको एक पंचायत सुपुर्द की है और इस तरह से राजस्थान की सारी पंचायतों को किसी न किसी व्यक्ति से कवर करने का प्रयास किया है। कुछ लोगों ने इधर-उधर जाने में जरूर दिक्कत है, सेंट परसेंट शायद वह लोग नहीं गये होंगे तो हम उनको वहां तक ले जाने का काम करेंगे।

एक काम जो हमने स्वराज संकल्प यात्रा के समय कहा था कि हम पंचायतों का पुनर्गठन करेंगे। यद्यपि हमारे पास समय कम था लेकिन फिर भी भरतपुर में ही जब मंत्रिमण्डल की बैठक हुई थी उसमें इस बात की स्वीकृति लेकर के हम आगे बढ़े और उसके कारण से हमने जो अपना शिड्यूल्ड एरिया

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

है, उसमें आबादी हमने साढ़े तीन हजार से छह हजार के बीच में पंचायत की रखी और जो सामान्य एरिया है उसमें पांच हजार से साढ़े आठ हजार। अभी चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने अपनी मन की व्यथा कही है, मैं एक बार फिर से अपने सारे रेकार्ड को टटोलूंगा, अगर वह पहले मरुस्थलीय क्षेत्र में आता था और अब कहीं गलती से छूट गया या किसी कारण से रह गया तो दुबारा देखूंगा और उसमें से कुछ हल निकाला जा सकता है तो प्रयत्न करूंगा।

पंचायत समितियों के गठन के लिए भी हमने ढाई लाख, एक तरह से जो शिड्यूल्ड एरिया है उसमें दो लाख की आबादी और पचास पंचायतें और जो बाकी एरिया है उसमें ढाई लाख और पचास पंचायतें और उससे अधिक होगी तो उसका बाइफर्केशन होगा। मैं आज सदन के सामने यह भी रख रहा हूं कि इस गठन का काम हमने शुरू किया है, कलक्टर को इसका इन्चार्ज बनाया। हमने 14 जुलाई से 12 अगस्त तक, 30 दिन का कलक्टर को काम दिया है। जिला कलक्टर द्वारा नई ग्राम पंचायतों एवं पंचायत समितियों के प्रस्ताव तैयार कर प्रकाशन के लिए। उसके बाद 30 दिन दिये हैं हमने 30 अगस्त से 11 सितम्बर तक पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 101 के तहत प्रस्तावों पर आपत्तियां आमंत्रित करने के लिए समय है, दस दिन का समय 12 सितम्बर से 21 सितम्बर तक। प्राप्त दावा प्रस्तावों के सम्बन्ध में प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई का समय है। फिर उसके बाद दस दिन हैं 22 सितम्बर से 1 अक्टूबर तक सुनवाई के उपरान्त प्रस्ताव तैयार कर सम्बन्धित सम्भागीय आयुक्त को भिजवाना और उसके बाद 2 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक सम्भागीय आयुक्त द्वारा प्रस्तावों को राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन करवाने का समय है। मैं माननीय सभी सदस्यों से भी प्रार्थना करता हूं कि वह अपने-अपने जिले में अपनी-अपनी विधान सभा क्षेत्र में जो भी एसडीओ और बाकी हैं, उनके साथ लाइजनिंग करके इन पंचायतों का ऐसा पुनर्गठन करें कि जिसमें पंचायत और हमारा पटवारी का सर्कल एक मिले, कोशिश करें कि उसमें से हमारे थाने का सर्कल एक मिले, तहसील का भी उसके साथ जुड़ाव है, एसडीओ का जुड़ाव है। मुख्य मंत्रीजी का आग्रह है और हमारे एक सेवानिवृत्त आईएएस परमेशजी को इसका इन्चार्ज बनाया है कि ये सब एक लाइन में कैसे आयें। जिसके कारण से व्यवस्था को करने में हम सबको सुविधा रहे।

मिड-डे मील के बारे में सामान्यत: कमियां हैं, इसमें कोई दो राय

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

नहीं, परफेक्ट तो नहीं कह सकते लेकिन यदि आप सब लोगों का भी सहयोग रहा और समय-समय पर आप लोग भी कभी जिले में निकलते हैं, इसको देखने का प्रयत्न करेंगे तो निश्चित रूप से इसमें सुधार होगा। मैं सोचता हूं कि कक्षा एक से आठ तक 85273 विद्यालय हैं और उसमें 67.71 लाख बच्चे सरकारी विद्यालयों में पढ़ते हैं या इसके अन्दर कवर होते हैं। हमने कोशिश की कि रसोई घर निर्माण की दृष्टि से हमारा जो अनुभव है कि जो केन्द्रीयकृत रसोईघर है जिसमें हमारे स्कूल में ही भोजन बनता है वह कुल विद्यालय हैं जिनमें बन रहा है 79705, जिसमें विद्यार्थियों की संख्या 63.45 लाख है। केन्द्रीय रसोई घर 6 हैं जिनमें 3434 कुल विद्यालय हैं और उसमें 2.39 लाख बच्चे उसमें कवर होते हैं। अन्नपूर्णा महिला सहकारी समिति से 255 हैं जिसमें 2134 स्कूल हैं और 1.87, ऐसा मिलाकर 85273 यह जो हमारे भोजन बनाने के स्थान हैं और उसमें हम 67.71 लाख बच्चों को भोजन की सुविधा देते हैं। रसोइघर निर्माण करने की दृष्टि से हमने जो लक्ष्य रखा था वह 76977 रसोई घर के लिए हमने स्वीकृति जारी की, इसमें से 44250 बन चुके हैं, 4921 अभी निर्माणाधीन हैं। इन रसोईघर के लिए जो पहले था उसमें 90 हजार रुपये में ये रसोई घर बनते थे लेकिन अब इसकी कीमत 1.05 के लगभग पहुंच गई है। मैं सरकार की विभिन्न योजनाओं से इसमें सहयोग करके 1.05 लाख रुपये बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हमने कोशिश की कि सभी किचन जो हमारे विद्यालयों में हैं उनमें गैस कनेक्शन हो और उस गैस कनेक्शन के हिसाब से वर्ष 2009-10 में 29815 विद्यालयों में गैस कनेक्शन दिये गये थे 11.92 करोड़ रुपये से और हमने अभी जो शेष रहे 47192 विद्यालय हैं इनमें सब में गैस कनेक्शन के लिए 21.24 करोड़ रुपये उनको उपलब्ध कराया है। मेरा विश्वास है कि 30.6.14 तक की हमने जो तारीख दी थी, शायद अभी रिकार्ड नहीं आया लेकिन बहुत जल्दी ही सारे के सारे विद्यालय गैस कनेक्शन से जुड़ जाएंगे। बर्तन सुविधा की दृष्टि से भी हमने प्रत्येक विद्यालय को पर्याप्त जितना वे आवश्यकता महसूस करते हैं उतने उनको बर्तन उपलब्ध कराये हैं।

निर्मल भारत अभियान, मैं सोचता हूं मेरे और आप सबके लिए भी एक शर्म की बात है कि इतने साल की आजादी के बाद भी हमारी माताएं, बहनें जो कभी हम निकलते हैं सड़क पर तो सड़क पर शौच करने के लिए बैठी मिलती हैं। यह वास्तव में एक दु:खद बात है, इतने साल के प्रयत्न करने के बाद भी हम इसको कर नहीं पाये। मैं सोचता हूं कि इस दृष्टि से केन्द्र

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

सरकार ने पूरे मन से हमको पूरी मदद की है और वह यह चाहते हैं कि 2020 तक हम प्रत्येक गांव को इस समस्या से मुक्त कर लें। लेकिन मैं मुख्य मंत्रीजी को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि राजस्थान के लिए वर्ष 2017-18 तक ही सारे राजस्थान को इस प्रकार की समस्या से मुक्त कराने के लिए उन्होंने हमको आर्थिक सहयोग किया है।

राजीव गांधी पंचायती राज सशक्तीकरण के लिए इन दो महीनों में 2012-13 में हमको 13.61 करोड़ रुपये मिले उसके तहत एक रुपया भी खर्च नहीं हुआ। वर्ष 2013-14 में जो हमको इस साल के अन्दर में मिला 33.69 लाख रुपये मिले हैं उसमें हमने 16.36 लगभग 48 परसेंट इसको खर्च किया है, फिर भी हम बहुत पीछे हैं। हमारे पास पैसा होते हुए भी पंचायती राज के प्रशिक्षण के लिए हमारे यहां व्यवस्था है। हमारे यहां पंचायती राज संस्थान है। तीन सम्भाग मुख्यालय पर, जोधपुर, अजमेर और उदयपुर में पंचायत प्रशिक्षण केन्द्र संचालित किये थे। वर्ष 2012-13 में आपके ही पिछली सरकार ने तीन पंचायत प्रशिक्षण केन्द्र की और स्वीकृति दी थी उसमें बीकानेर और कोटा का भवन तैयार हो गया और भरतपुर का भी बहुत जल्दी, भूमि विवाद के कारण से इसमें विलम्ब हुआ है, इन छहों केन्द्रों पर जन प्रतिनिधि और पंचायती राज में काम करने वाले लोग हैं उनको हम वर्ष में ट्रेनिंग देकर ठीक प्रकार से शिक्षण प्रशिक्षण देंगे।

कई बार कहते हैं कि आपने 60 दिन में क्या किया? मैं आज आपको बता रहा हूं कि हमने 60 दिन में जो लक्ष्य तय किया था, मैं और मेरा विभाग एक तरह से सुखद महसूस करते हैं कि मेरे सब अधिकारियों की मेहनत के कारण से सेंट परसेंट उपलब्धि हासिल की है, जो बिन्दु हमने बनाये हैं। निर्मल भारत अभियान में शौचालय जो हमको बनाने थे 50 हजार बनाने थे 60 दिन में उसकी जगह हमने 51,140 बनाये हैं। हमको आंगनबाड़ी केन्द्रों के शौचालय एक हजार बनाने थे उसकी जगह हमने 1121 बनाये। 2013-14 में 250 गांवों को पूर्णत: खुले शौचालय से मुक्त करना था 252 गांवों को हम पूर्णत: इस समस्या से मुक्ति दिला पाये। 1000 विद्यालयों में पानी की व्यवस्था करनी थी, हमने 1021 विद्यालयों में हैण्डपम्प लगा कर बच्चों को पानी की सुविधा से जोड़ने का प्रयास किया। 283 नवीन पंचायत भवन हमें बनाने थे उसमें से हम 249 बना पाये, अभी 34 हमारे निर्माणाधीन हैं। मिड-डे मील की दृष्टि विद्यालय में 200 रसोई घरों का निर्माण करना था, हम 289 बना चुके

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

हैं। एक हजार विद्यालयों में बर्तन उपलब्ध कराना था उसकी जगह हमने 2465 विद्यालयों में बर्तन उपलब्ध करा दिये। एकीकृत जल ग्रहण प्रबंध में हमें 200 जलग्रहण समितियों का गठन करना था, 172 जलग्रहण समितियों का ही गठन कर पाये। 3 हजार जल एकत्र संरचना का निर्माण हमको करना था, उसकी जगह हमने 3423 जल एकत्र संरचना तैयार की है।

विभाग को 5 विभाग हस्तांतरित किये हैं, लेकिन आधे-अधूरे मन से करते हैं इसके कारण से जितनी इसकी उपलब्धि आनी चाहिए वह वास्तव में उपलब्धि नहीं आ पाती, क्योंकि फण्ड, फंक्शन और फंक्शनरीज पूरी नहीं देंगे तब तक इन विभागों की ठीक प्रकार से देखभाल करना शायद सम्भव नहीं होगा क्योंकि स्टेट लेवल पर हमारे पास इन विभागों को संभालने का कोई मैकेनिज्म नहीं है केवल जिला परिषद और ब्लाक लेवल पर अभी तक इसकी व्यवस्था हो पायी है। इसमें भी जो नोडल डिपार्टमेंट हैं उन्हीं के द्वारा काम होता है।

एक समस्या जो आज के नौजवान के सामने सबसे ज्यादा मुंह बाए खड़ी है और हम सबको भी आप कभी बताते हो, उद्योग मैदान में यह हो रहा है, वास्तव में बहुत दुखद है। बच्चों का गुस्सा होना स्वाभाविक है, आज की तारीख में कोई भी बच्चा बेरोजगार होकर घर पर लौटता है तो उसका जीवन देखने लायक होता है और मन में बहुत अफसोस होता है। लेकिन फिर भी व्यवस्था इस ढंग की बनी है जिसके कारण से हम चाहते हुए भी कई कामों को नहीं कर पाये।

ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग में 2013 में कनिष्ठ अभियन्ता के 2186, सहायक कार्यक्रम अधिकारी 249, कम्प्यूटर अनुदेशक 460, लेखा सहायक 1870, कोआर्डिनेटर ट्रेनिंग 54, कोआर्डिनेटर ईआईसी 44 और कोआर्डिनेटर सुपरवाइजर के 50 पदों की भर्ती हेतु आनलाइन आवेदन आमंत्रित किये। आवेदनों के दस्तावेजों का सत्यापन किया जा चुका है और अनुभव आधारित 10, 20, 30 अंक देने के कारण से चुनौती हो गई। राजस्थान हाई कोर्ट की डबल बैंच ने फैसला दे दिया कि आप अधिक से अधिक 15 अंक ही दे सकते हैं, लेकिन आपकी मजबूरी थी क्योंकि आपके सामने चुनाव था। आपने इसको ले जाकर सुप्रीम कोर्ट में डाल दिया और उसके कारण से समस्या उलझी हुई है। मैं आज आश्वस्त करता हूं सरकार की मानसिकता है कि हम एसएलपी विड्रा करेंगे और वास्तव में उन बच्चों को जो अपनी योग्यता रखते हैं वे उसमें से अपने काम पर लगेंगे।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

कनिष्ठ लिपिक के 19515 नवीन पदों का सृजन, जिसके अन्तर्गत 7765 पर तो हमने कनिष्ठ लिपिक बना दिया, लेकिन उसके बाद वही समस्या उनके सामने भी आ गयी। सर्वोच्च न्यायालय में फिर वही रिट है, फिर उसके कारण से पेंडिंग है। मैं समझता हूं कि एसएलपी विड्रा करने के बाद 19 हजार पदों पर बच्चे लगने हैं, ये भी निश्चित रूप से लगेंगे।

तृतीय श्रेणी अध्यापकों की भर्ती के बारे में भी अध्यापक सीधी भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा, 2012 की विज्ञप्ति में 39544 पदों के विरुद्ध उस समय 37317 अध्यापक लग चुके थे। इसके प्रथम स्तर के 9 हजार कुछ, बाकी 27 हजार। तृतीय श्रेणी भर्ती का फिर वही सवाल हुआ कि वर्ष 2013 में 20 हजार पदों के लिए 11 हजार प्रथम लेवल के और 9 हजार द्वितीय लेवल के। समस्त जिला परिषदों द्वारा परीक्षाएं आयोजित की गयीं, परन्तु माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर एसएलपी संख्या इतना, उसके कारण से यह भी पेंडिंग है, मैं सोचता हूं इसका भी उसी आधार पर निर्णय होकर इन सब बच्चों को काम मिलेगा।

ग्रामीण विकास की 5 वर्ष की जो प्रोग्रेस है, उसको मैं बता रहा हूं। वास्तव में हमारे पास पर्याप्त पैसा है। यह विभाग बहुत भाग्यशाली है कि इसके पास करोड़ों रुपया है। अगर इसमें सब लोग पूरी मेहनत और ईमानदारी से यह सोच कर कि जिसके लिए यह चीज जानी है उसने आपको और मुझे यहां बिठाया है। मैं और आप जिस कालेज में पढ़ कर आये हैं, वह केवल मेरे पिताजी का नहीं था, राजस्थान के उस गरीब इंसान के टैक्स के पैसे से आप और मैं उस कालेज में पढ़ कर आये, लेकिन हम यहां बैठने के बाद उसको देखना भूल जाते हैं उसकी तरफ ध्यान जाना हमारा कम हो जाता है इसके कारण से समस्या आती है।

2009-10 में हमारे पास रूरल डवलपमेंट के लिए जो फण्ड था वह 1540 करोड़ रुपया उपलब्ध था, हम केवल 965 करोड़ खर्च कर पाये। उसके बाद 2010-11 में 1762 करोड़ था, 1031 करोड़ रुपया खर्च कर पाये, केवल 58 प्रतिशत। उसके बाद 2011-12 में 2221 करोड़ हमारे पास था हम 1286 करोड़ खर्च कर पाये, 57 प्रतिशत। उसके बाद 2012-13 में हमारे पास 2208 करोड़ था, हमने केवल 1317 करोड़, 59 प्रतिशत खर्च किया। 2013-14 में हमारे पास 2666 करोड़ था हम 1750 करोड़ रुपया ही खर्च कर पाये, 65 प्रतिशत। वास्तव में इस कारण से जब हम पूरा पैसा खर्च नहीं करते हैं तो हमको इसका नुकसान भी भुगतना पड़ता है।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

महात्मा गांधी नरेगा योजना के बारे में अधिकांश सदस्यों का कहना है कि इसमें बहुत ही लीकेज हैं। जितने आपने सुझाव दिये, मैं प्रयत्न करूंगा उन लीकेज को कम करने का। मैं मिटा दूंगा, इसका अभिमान तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैं मेरी तरफ से पूरा प्रयास करूंगा, अपने सहयोगी-साथियों के सहारे कि इसको कैसे ठीक किया जाए। मुझे यह कहते हुए बहुत दुख है कि हमारे पास पर्याप्त पैसा होते हुए भी हम निरन्तर नरेगा में काम की दृष्टि से घटते रहे। 2008-09 में राजस्थान में 6175 करोड़ रुपया खर्च कर पाये थे और उसमें 48.29 करोड़ मानव दिवस का सृजन किया था। अभी 2013-14 में हम केवल 18.38 करोड़ मानव दिवस ही सृजित कर पाये, लगभग वन थर्ड के थोड़ा ऊपर है और हम केवल 2600 करोड़ रुपया मात्र खर्च कर पाये। इस बार हमने प्रयास किया है कि नरेगा को हम राजस्थान के विकास के साथ कैसे जोड़ सकें, इसके लिए हमने राज्य सरकार द्वारा आयुक्त स्तर पर एक स्वतंत्र आईएएस अधिकारी को लगाया है जो इसकी बराबर प्रोपर मोनिटरिंग कर रहा है।

मुख्यालय पर प्रभावी रूप से कार्यभार वितरण करते हुए सघन मोनिटरिंग प्रारम्भ की है। व्यक्तिगत लाभ के कार्यों को अधिकतम स्वीकृत राशि की सीमा में 1.5 की बजाय, यानी डेढ़ लाख की जगह व्यक्तिगत कामों के लिए 2 लाख की हमने सीमा बढ़ायी है। क्रय की जाने वाली सामग्री भुगतान और मजदूरी दोनों ही डाइरेक्ट होती है। अब जो आपस में, बीच में लगता है कि यह खा जाएगा, वह खा जाएगा, कुछ लोगों को तकलीफ जरूर हुई, लेकिन मजदूरी का पेमेंट भी अब उसके खाते में होगा और कोई ठेकेदार माल भी सप्लाई करेगा तो सीधे ठेकेदार के खाते में ही पैसा जाएगा। इससे इस लीकेज को जितना सम्भव हो सकता है, उतना रोकने का प्रयास किया है।

अभी हमने एक अभिनव प्रयोग शुरू किया है, कितना सफल होगा यह तो साल-दो साल बाद पता लगेगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत में 10 राजकीय भवनों में वृक्षारोपण करने के लिए चार वर्ष की अवधि तक रखरखाव का पैसा भी देकर हमने इस काम को प्रारम्भ किया है ताकि राजस्थान हरा-भरा हो सके।

राज्य स्तरीय मुख्य बैंक खाते में श्रम, सामग्री और प्रशासनिक मद के सभी व्यय भुगतान सभी ग्राम पंचायतों, समितियों में नरेगा योजना के खातों में अवशेष पड़ी, आश्चर्य है कि 125 करोड़ रुपया इन विभिन्न जिले और ब्लाक हैं उनके लेवल पर डम्प खाते में पड़ी थी, हमने वह 125 करोड़ रुपया निकाल कर उसका उपयोग किया है। प्रत्येक प्रगतिरत कार्य का राज्य के सभी

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

जिलों में एक ही दिन जिला कलक्टर के माध्यम से, किसी को यह जानकारी भी नहीं थी कि कुछ होगा, हमने एक साथ जिला कलक्टर को तैयार करके 3045 टीमें बनायीं और चलते हुए नरेगा कामों को हमने देखने का प्रयास किया। 16500 कामों को हमने एक ही दिन में देखा और इसमें लगभग 5500 कामों में अनियमितता पायी है उनके खिलाफ हमने कार्यवाही शुरू की है। राज्य भर में सभी पंचायत समितियों में प्रशिक्षण आयोजित किये गये हैं। समस्त ग्राम सेवक, ग्राम रोजगार सहायक, कनिष्ठ लिपिक, कार्यरत मेटों का, 60 हजार लोगों का प्रशिक्षण हमने इस पीरियड में कराया है।

अभिनव पहल के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक परम्परागत जल स्रोत, हमने हर ग्राम पंचायत को कहा है कि आपके यहां जो भी जल स्रोत है जो अपने पूर्वजों ने, पुरखों ने दे रखा है उसको ठीक करने के लिए आप प्रयत्न करें और उसमें 1600 तालाब की स्वीकृतियां राजस्थान में जो प्रत्येक गांव में है उसकी जारी कर दी।

27000 चारदीवारी युक्त राजकीय परिसरों में वृक्षारोपण करने के लिए इस वर्ष 12 लाख वृक्ष लगाने की स्वीकृति हमने जारी की है और 170 करोड़ रुपया इसके लिए दिया है जिसमें चार साल का रखरखाव भी उसके साथ सम्मिलित है।

महात्मा गांधी नरेगा योजना में रोजगार का मैंने बता दिया कि हर साल घटता चला गया और उन आंकड़ों को अब ज्यादा कहने का कोई अर्थ नहीं है।

इन्दिरा आवास योजना, एक बहुत ही सामान्य व्यक्ति के लिए अगर उसको छत मिल जाए तो उसके जीवन में इससे बड़ा सुख नहीं होता। हमने प्रयत्न किया लेकिन ठीक प्रकार से इसको पहुंचा नहीं पाये। क्योंकि इसमें 70 हजार रुपया उसको आवास के लिए मिलता है और अगर रिपेयरिंग कराना चाहे तो 15 हजार रुपया मिलता है। सामान्यतया महिला के नाम से हमारी प्राथमिकता रहती है स्वीकृति देने में या पति-पत्नी दोनों को देते हैं या कोई विशेष मामला है तो परिवार की किसी महिला को करते हैं। कुल आबंटित राशि का कम से कम 60 प्रतिशत हिस्सा, यह जो इन्दिरा आवास में देते हैं, अनुसूचित जाति को देते हैं, 15 प्रतिशत अल्पसंख्यकों को और 3 प्रतिशत विकलांगों को इस कोटे के तहत मकानों को उपलब्ध कराया जाता है। राशि का हस्तान्तरण सीधे लाभार्थी के खाते में करते हैं। पहले 2010-11 तक दो किश्तों में पैसा देते थे 50 प्रतिशत पहले और 50 प्रतिशत बाद में। उसके बाद 2011-

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

2012 से इनको तीन किश्तों में दिया है जिसमें 50, 40 और 10 प्रतिशत के हिसाब से। उसके बाद फिर 2014-15 में इसका रेशो कुछ बदला है। किस्तें तो तीन ही देते हैं लेकिन कई बार पहली किस्त के 50 प्रतिशत दे देने से वे अपनी जेब में रख कर घूमता है और वह सोचता है कि इसको जितने दिन तक जेब में रखो उतने दिन चलेगा। इस कारण से मजबूर होकर अब पहली किश्त हम केवल 25 प्रतिशत देते हैं। उसके बाद लेंटर लेवल तक जब आता है तो 60 प्रतिशत देते हैं और उसके बाद अंतिम किस्त के रूप में 15 प्रतिशत देते हैं। यह अंतिम किस्त तब देते हैं कि जब वह साथ में शौचालय बना ले। उसके लिए भी हम निर्मल भारत की तरफ से 4600 रुपये देते हैं और अगर वह वास्तव में स्वयं काम करेगा तो 5400 रुपये उसको देकर 10 हजार रुपये में उसके शौचालय को बनाने के लिए करते हैं। स्वयं अगर वो काम करना चाहे तो 70 हजार तो उसको मकान के लिए और अगर मजदूरी करे तो 90 दिन की मजदूरी अर्थात् लगभग 15 हजार रुपये हम और सहयोग करके 85 हजार में मकान बनाने की सुविधा हमने उपलब्ध कराई है।

मुख्य मंत्री बी.पी.एल. आवास योजना, एक बहुत ही विस्तृत योजना बनाई थी। इन्दिरा आवास योजना में तो उपलब्धि फिर भी इतनी ज्यादा खराब नहीं है। इन्दिरा आवास में जितना पैसा अब तक शुरू से जब से यह योजना शुरू हुई तब से लेकर हमें 8 लाख 93 हजार 266 मकानों का पैसा मिला और इसमें 8 लाख 98 हजार, 292 किये। कुछ आंकड़ों में है। इस साल हमको 2014-15 में केन्द्र सरकार की तरफ से इंदिरा आवास में 1 लाख 1 हजार 15 मकानों की स्वीकृति मिली है और हम इस काम को समय पर पूरा करने का प्रयास करेंगे।

मुख्य मंत्री आवास योजना के तहत वास्तव में हमको पैसा बहुत मिला लेकिन हम काम नहीं कर पाये। पहले चरण में हमने 2 लाख 80 हजार मकानों की स्वीकृति निकाली और क्योंकि यह 2011-12 में निकली थी, इसमें से 1 लाख 96 हजार 333 मकान बन गये। दूसरी में फिर 2 लाख की दी, इसमें मात्र 60740 मकान बने। तीसरी बार फिर हमने 2 लाख मकान दिये इसमें मात्र 6357 बने हैं। यह बात जरूरी है कि यह 2013-14 की स्वीकृति है, हो सकता है कि मकान बनने में कोई विलम्ब हो लेकिन यह आंकड़ा देख कर कि 6 लाख 80 हजार मकान की जो स्वीकृति हमने दी उसके अगेंस्ट में केवल 2 लाख 63 हजार 430 मकान ही हम बना पाये। यह पैसा भी हमने सारा का सारा लोन लिया है और यह लोन भी जिला परिषद को चुकाना होगा।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)
मैं सोचता हूं इसका परिणाम आगे चलकर क्या आयेगा यह तो समय ही बतायेगा। ग्रामीण बी.पी.एल. आवास योजना, यह मैं बता चुका।

राजस्थान के इस पंचायती राज को विभिन्न स्कीमों में भी बहुत पैसा आया है। यह जो मेवात क्षेत्र है इसमें अबकी बार जो मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है वह 5 साल में 300 करोड़ की है जबकि इसके पहले हमको 50 करोड़ रुपया मिलता था। अब इसकी भी जो खर्च करने की स्थिति है तो आपने देखा होगा कि 2012-13 में हमको इसके तहत 20 करोड़ रुपया मिला था और हम मात्र 15 करोड़ रुपया खर्च कर पाये। 2013-14 में हमको 50 करोड़ रुपया मिला और हम मात्र 27 करोड़ रुपया खर्च कर पाये। इस बार 2014-15 में 50 करोड़ रुपया मिला है, इस 2014-15 के अभी तीन महीने ही हुए हैं और हमने 1 करोड़ 19 लाख रुपये खर्च किये हैं। इसमें 6 पंचायत समिति आती हैं राजसमन्द की, अजमेर की दो आती हैं, पाली की दो, भीलवाड़ा की तीन और चित्तौड़ की एक आती है। ये 14 पंचायत समितियां हैं और इनमें 1426 गांव हैं और हमारे पास 300 करोड़ रुपया है। अगर हम ईमानदारी से पांच साल में काम करें तो शायद इसमें से एक भी गांव ऐसा नहीं बचेगा जिसकी मिनिमम आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर सकें। तो पैसे की दृष्टि से वास्तव में मैं मान सकता हूं कि विभिन्न योजना के तहत हरेक ने यह सोचा कि इन पिछड़े क्षेत्रों का विकास होना चाहिए और उसी के हिसाब से हमेशा पैसा हमारे पास है।

मेवात में हमारी 8 पंचायत समितियां हैं और इसमें दोनों ही जिलों अलवर और भरतपुर में 799 कुल गांव हैं और इन 799 गांवों में भी खर्चे की स्थिति वैसी ही है। यानी जितना पैसा मिला, उतना हम खर्च नहीं कर पाये। यह मैं केवल इसलिए बता रहा हूं आपको कि 799 गांव हैं और 300 करोड़ रुपये आपके पास हैं। यह एवेरज भी, सबको बराबर डिस्ट्रिब्यूट करें तो 40 से 50 लाख रुपया पांच साल में हमारे पास उपलब्ध है। मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करता हूं कि इस सारे के सारे क्षेत्र में पांच साल का मास्टर प्लान बनायें और फेजवाइज इसको पूरा करके हण्डरेड प्रतिशत इनकी जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करने का अगर प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से हम उस क्षेत्र के लोगों को लाभ पहुंचा सकते हैं।

डांग क्षेत्र में भी हमारे 8 जिले हैं जो सवाई माधोपुर, करौली, कोटा, बूंदी, बारां, धौलपुर, भरतपुर, झालावाड़ हैं। 22 पंचायत समितियां हैं और केवल

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

371 गांव हैं। केवल 371 गांव हैं और यहां भी हमारे पास 300 करोड़ रुपये हैं। मैं सोचता हूं कि अगर इस लीकेज को बन्द कर सकें और इसको ठीक ढंग से जमीन पर उतारने का प्रयास करें तो हर गांव को एक करोड़ रुपया मिल सकता है और एक करोड़ रुपये मैं सोचता हूं कि कोई विकास का काम बाकी नहीं रह सकता है।

हमारा यह जो सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम है इसके तहत भी हमको केन्द्र सरकार से पर्याप्त पैसा मिलता है लेकिन हमारा खर्चा जिस प्रकार से इसमें है, इसमें 2010-11 में हमें जो पैसा मिला वह 86 करोड़ रुपया मिला, पूरा खर्च हुआ। 2011-12 में हमने 114 के अगेंस्ट में 104 खर्च कर दिया और उसके बाद 2012-13 में हमें 138 करोड़ रुपया मिला और कुछ जो पुराना हमारे पास था उसको मिला कर 151 खर्च किया। जितना मिला उससे भी अधिक पुराना बैलेंस भी इसमें खर्च किया। लेकिन उसके बाद 2013-14 में आकर वापस हम ढीले हो गये और 139 करोड़ के अगेंस्ट में 107 करोड़ रुपये ही खर्च कर पाये। मैं चाहता हूं कि इन सब पैसों का उपयोग करने में सांसद निधि, मेरी आप सबसे भी प्रार्थना है कि जहां कहीं भी आप नरेगा का उपयोग लेना चाहें तो नरेगा आपको सब जगह मदद करने को तैयार हैं। अगर गांव में कहीं आप सी.सी. रोड भी बना रहे हैं तो उसका प्रारम्भिक वर्क हम करके, जितना भी काम है वह हम करके दे सकते हैं। यहां तक कि हम गिट्टी रोड बना कर भी आपको दे सकते हैं और उसके बाद का जो इंटरलाकिंग का काम अगर आप करें तो निश्चित रूप से आप उस काम को पूरी तरह से कर सकते हैं। 175 करोड़ रुपया हमको सालाना केवल 25 एम.पी. से मिलता है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): स्वीकृति साथ में निकलेगी या अलग।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): मैटेरियल का पैसा अलग होगा। सैंक्शन साथ-साथ हो सकती है। हमने डिपार्टमेंट को भी कहा और आप चाहें तो पी.डब्ल्यू.डी. की मदद लेकर ये इंटरलाकिंग जितनी भी सड़क बनाना चाहते हैं, नरेगा और पी.डब्ल्यू.डी. दोनों को मिला कर गांव में आप बना सकते हैं। नालियां और सड़क, दोनों काम आप कर सकते हैं।

श्री रमेश (सपोटरा): नरेगा में डोवटेल जो काम करवाना चाहते हैं, आज की तारीख में कोई भी सरपंच काम करने के लिए तैयार नहीं है, आप नरेगा की बात कर रहे हो?

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): सरपंच तैयार नहीं है तो अपन पीडब्ल्यूडी को काम देंगे। उसके भरोसे बैठे नहीं रहेंगे कि काम सफर करेगा।

श्री रमेश (सपोटरा): हां, वह एक चीज है। पीडब्ल्यूडी के पास अपने विभाग का इतना वर्क है तो वह दूसरे काम करते ही नहीं हैं। आदरणीय, मैं तो आपको बता रहा हूं, मेरा सुझाव है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आपके पास अनुभव है ना ठेकेदारी का, आपको दे देंगे हम। (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): सांसद निधि का भी अपने पास पर्याप्त पैसा है। 35 सांसद हैं, प्रत्येक सांसद का पांच करोड़ रुपया है। अगर अपन इसको पांच साल का एक साथ मिला कर सोचें। ऐसा का ऐसा एमएलए फण्ड भी 400 करोड़ रुपया साल का है, 2,000 करोड़ रुपया पांच साल का बनता है। दोनों को मिला दें तो लगभग 2,850 करोड़ रुपया अपने पास होता है। अगर हम सब विधायक महोदय भी फेजवाइज छांटकर, यह ना सोचें कि इसने वोट दिया है, इसने नहीं दिया, नहीं दिया उसकी मर्जी। लेकिन हमको 100 परसेंट उन गांवों को टच करना है जो आज अभाव में हैं। अगर इस बात को लेकर प्रयत्न करेंगे तो हम 100 परसेंट सफल हो जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।

गुरु गोलवलकर योजना को वापस शुरु किया है। उसमें हमने जितने भी कब्रिस्तान और श्मशान हैं, उसमें 10 प्रतिशत जन सहयोग और 90 प्रतिशत राज्य सरकार की तरफ से सहयोग राशि के रूप में मिलेगा। जो सामान्य क्षेत्र हैं, वहां 30 प्रतिशत अगर जनता करेगी तो 70 प्रतिशत सरकार उसमें सहयोग करेगी और ट्राइबल क्षेत्र में 20 प्रतिशत अगर जनता सहयोग करेगी तो 80 प्रतिशत हम लोग उसमें सहयोग करेंगे। अगर कोई दानदाता आपको मिलता है और 51 प्रतिशत वह खर्चा करता है वह चाहे सड़क हो, चाहे स्कूल हो, चाहे और कोई चीज हो, उस पर उसका नाम लिखने की भी हमने स्वीकृति दी है ताकि इसके कारण से भी दानदाता हमारी ओर आकर्षित हों।

ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से, वैसे प्रयत्न कई बार किये हैं गरीबी को दूर करने के लिए, पर हम असफल हो गये। हमने कई स्वयं सहायता समूह लाखों की तादाद में बना दिये। कई बार इतने बड़े-बड़े एनजीओ आते हैं, बड़े-बड़े दिखावटीपन करते हैं। दुर्भाग्य से इन एनजीओ से बचा कैसे जाए और एनजीओ को ठीक समझ कर कैसे काम किया जाए, इसके बारे में

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

जरूर प्रयत्न करें और इसीलिए अब की बार राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद का गठन किया है और इसमें भी हमारे पास पर्याप्त पैसा है। राजस्थान ग्रामीण आजीविका परियोजना, यह सारा का सारा विश्व बैंक से हमको सहयोग के रूप में है। 18 जिलों के 51 ब्लाक हैं, वह इसमें दिये हुए हैं। लगभग अब तक हमने 13,140 स्वयं सहायता समूह बनाये हैं।

इसके बाद पश्चिमी राजस्थान गरीबी शमन परियोजना है। इसमें भी हमारे पास छह जिले हैं और उनके केवल छह खण्ड हैं, 4,996 समूह बनाये हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका परियोजना, इसमें हमारे पास सात ब्लाक हैं और 1,174 स्वयं सहायता समूह बनाये हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, यह राज्य के और अन्य समस्त जिलों में जो बच गये थे, उनको इसमें कवर किया है और हमने इसके लिए 10 साल का प्लान बनाया है। इन 10 साल में हम राजस्थान के 100 प्रतिशत ब्लाक, 100 प्रतिशत गांव और 100 प्रतिशत जिलों को कवर करके, यद्यपि यह दूर है 2023-2024 में जाकर यह पूरा होगा। लेकिन हमने अभी जो काम शुरु किया है, वह केवल 23 जिलों में इस साल शुरु किया है। उसमें 34 ब्लाक हमने लिये हैं, 4,900 गांव हमने लिये हैं और 3.9 लाख परिवारों को इससे जोड़ा है और इसमें हमने 36,000 स्वयं सहायता समूह बनाये हैं। यह सारा काम हम 2022-2023 में पूरा कर पायेंगे।

मांग संख्या-49 है, उसके बारे में मैं सोचता हूं कि मुख्य मंत्रीजी को इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि विभिन्न योजनाओं के तहत पंचायत को और नगरपालिकाओं को सरकार के पास जो आई हुई आमदनी है, उसका पैसा मिलता है, भू-राजस्व का मिलता है, सरकारी भूमि पर अतिक्रमण पर पैनल्टी पर मिलता है, चरागाह भूमि पर अतिक्रमण की पैनल्टी मिलती है, भू-रूपान्तरण शुल्क मिलता है अवैध खनन और खनिज क्षेत्र में अतिक्रमण पर पैनल्टी मिलती है। तेंदु पत्ता और वन लघु उपज की आय का मिलता है। डीटीएच पर मनोरंजन कर मिलता है। खनिज पर तीन प्रतिशत की रायल्टी मिलती है। पैट्रोलियम पर तीन प्रतिशत की रायल्टी मिलती है। देशी शराब और आईएमआई की दुकानों पर दो प्रतिशत मिलता है। स्टाम्प शुल्क पर 10 प्रतिशत मिलता है। माल के प्रवेश पर हमको 25 प्रतिशत मिलता है। लेकिन इसको लेकर, अभी आपने देखा होगा कि हमारे यहां अतिरिक्त मुख्य सचिव के नेतृत्व में एक टीम बनी थी और उनसे सुझाव मांगा था और उनके सुझाव से उन्होंने इसमें कुछ बढ़ाने-घटाने की बात कही थी।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

उसके बाद बी.डी. कल्ला साहब को इसका चेयरमैन बनाया था और उन्होंने कहा था कि सरकार की जितनी आमदनी होती है, उसका पांच प्रतिशत सीधा का सीधा पंचायती राज को ट्रांसफर किया जाए। मुझे तो आश्‍चर्य है वास्तव में, मुख्य मंत्रीजी ने इसको भी बढ़ा कर, जितनी भी हमारी सरकार की आय है, उसमें 7.1 प्रतिशत अब नियमित रूप से बजट पंचायत राज को मिलेगा। इसी के कारण से हमको पिछले साल 957 करोड़ रुपया मिला, इस बार हमको 2,073 करोड़ रुपया इसके तहत मिला। मैं सोचता हूं कि वास्तव में काम करने की अभी हमारे ऊपर चुनौती है कि हम इस काम को किस ढंग से कर सकते हैं।

माननीय सदस्यों ने जो कुछ भी बात कही है, उसमें से कुछ को मैं कर पाया हूं। अधिकांश तो मेरी सब बात में कवर हुई है। एक ही राक्षस है जो आपको और मुझे, सबको खा रहा है, वह है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार के इस राक्षस से लड़ने के लिए जब तक हम एक मन होकर, ईमानदारी से सोचकर अगर प्रयत्न नहीं करेंगे तो मैं आपको यह विश्‍वास दिलाता हूं, मेरी तरफ से एक इंच या एक बूंद भी ऐसी नहीं होगी, जिसमें इसमें किसी प्रकार का आपका सहयोग नहीं करूंगा। मैं 100 प्रतिशत चाहता हूं, ईमानदारी से काम हो। पैसा ठीक प्रकार से जहां पहुंचना चाहिए, वहां पहुंचे। इसके लिए इन पांच विभागों के बारे में जो नन्दवानाजी ने कहा, मैंने उसका उत्तर दिया। विधायक निधि का छह महीने में आपके पास रिकार्ड आये। मैं निश्‍चित रूप से अपने सीईओज को पाबंद करूंगा कि हर छह महीने में जो आपने स्वीकृतियां जारी कीं और आपका जो काम हुआ, उसकी रिपोर्ट आपके पास निश्‍चित रूप से आये।

रतनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य श्री राजकुमारजी रिणवां ने जो कहा था कि मेरा चूरू क्यों नहीं है तो मैंने जैसा कहा, हम दिखायेंगे। अगर वास्तव में कहीं गलती हुई है तो उसको सुधारने में हमें कोई संकोच नहीं होगा।

जिला कलक्टर्स ने नरेगा में लाखों रुपये की खरीद की है। मैं इसकी जांच कराऊंगा। जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ जरूर कार्यवाही होगी।

अन्य कार्य जो नरेगा के साथ जोड़ कर किया जा सकता है। डाक्टर बालूराम जी ने अपनी बात कही। देवेन्द्रजी ने डूंगरपुर और कई माननीय सदस्यों ने भ्रष्टाचार की कई बातें यहां बताई हैं। वे सारी नोट हैं। मैं उनकी जांच करा कर बताऊंगा। गोगुन्दा से आने वाले माननीय सदस्य ने भी अपनी

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

छियाली पंचायत के बारे में मुझे सारे कागज दिये हैं। गोठवालजी ने भी भ्रष्टाचार के बारे में कहा है। कुशलगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि प्रस्ताव में विलम्ब बहुत होता है। पहले पंचायत स्तर पर होता है अनुमोदन, फिर ब्लाक लेवल पर और फिर जिला परिषद में होता है। अब की बार मैं आप सबको एक तरह से अपनी तरफ से कह रहा हूं कि जो भी काम इस साल स्वीकृत होना है, वह 31 दिसम्बर के पहले-पहले स्वीकृत होंगे और 31 मार्च तक उन कामों को समाप्त करके ही रिपोर्ट लूंगा, तब जाकर इस पैसे का सही उपयोग होगा।

श्री गोविन्द सिंहजी ने कहा जनता जल योजना। यह बात जरूर है वास्तव में, एक अच्छी योजना होते हुए भी लड़खड़ा रही है। इसका कारण यह है कि पंचायत के पास इतना मैन पावर नहीं है, इतने हमारे पास लोग नहीं हैं और मुख्य मंत्रीजी का एक तरह से था कि नहीं, चाहे टीएफसी, एसएफसी का पैसा भी लगाना पड़े और सरकार की तरफ से भी हमको पूरा टेक्निकल स्टाफ ब्लाक लेवल पर देने के लिए उन्होंने आश्वस्त किया है। मैं प्रयत्न करूंगा कि जनता जल योजना, जो लड़खड़ा रही है, उसको फिर से उसके पैरों पर खड़ा किया जा सके। माननीय सदस्यों ने और भी जो कुछ कटौती प्रस्ताव...

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय, जो इंटरविन करना चाहते हैं...

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): श्री फूलचन्द जी भिंडा ने जिस बात को उठाया...

श्री अध्यक्ष: एक मिनट विराजिये।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): जनता जल योजना में आपके ध्यान में ला रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट तक आदेश हो गये हैं कि जनता जल योजना में जो कार्यकर्ता हैं, उनको मिनिमम वेजेज का 50 प्रतिशत पेमेंट किया जाएगा और उनको अभी भी वर्तमान में 500 रुपये माहवार मिल रहे हैं और 50 प्रतिशत का मतलब है कि 83 रुपये रोज उनको मिलना चाहिए और 83 रुपये का मतलब है कि महीने में उनको 2,400 रुपये से ऊपर मिलना चाहिए। यह हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद, खास तौर से मेरे क्षेत्र में जनता जल योजना के जो सैकडों कार्यकर्ता हैं, उनको जो 500 रुपये वेतन महीने में मिलता है। मेरा निवेदन है कि आप आदेश जारी करके, उसमें अभी वित्त विभाग की स्वीकृति नहीं हुई है। मैं आपके माध्यम से निवेदन कर रहा हूं कि वित्त विभाग की स्वीकृति करायें और जनता जल योजना के लोगों को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आर्डर के अनुसार 83 रुपये रोज देने की कृपा करें।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य...

श्री अध्यक्ष: नहीं, यह नहीं। नो नो। (व्यवधान) मंत्रीजी का भाषण पूरा होने दीजिये। नो नो नो। (व्यवधान) नहीं नहीं नहीं।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक प्रश्न है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नो, नो, यह प्रश्न नहीं होंगे। माननीय मंत्रीजी किसी का जवाब मत दीजिए।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य से यह कहना चाहता हूं कि जो 83 रुपये कोर्ट का फैसला है। उसकी हमने पालना कर ली है। उसके आदेश हमने जारी कर दिए हैं, वह पैसा उनको मिलेगा। अलवर से आने वाले माननीय विधायक ने मेवात क्षेत्र की अनियमितता के बारे में जो कहा, मैं उस प्रकरण की जांच करके उनको इसके बारे में जानकारी दे दूंगा। गोविन्द सिंह जी ने जो कहा था इसमें कि जे.ईएन और यह जो सारा स्टाफ है यह तारीख नहीं लगाते हैं, दस्तखत करके छोड़ देते है। मैं निश्चित रूप से सडन चैकिंग करके ऐसा जहां भी पाया उसके खिलाफ कार्यवाही होगी और भविष्य में जिस दिन दस्तखत करेगा उसी दिन तारीख डालेगा, इसकी व्यवस्था करुंगा।

विधायक श्री जोगारामजी ने जिला कलक्टर के बारे में जो कहा था कि 67 लाख की उन्होंने कोई परचेज की है अपने स्वयं के घर पर या आफिस में, उसकी जांच होगी। जीतमलजी खांट ने भी अपने कुछ सुझाव रखे थे। आप सभी माननीय सदस्यों को, देवेन्द्रजी कटारा ने भी भ्रष्टाचार पर बोला, मैं आपको पूर्णत: आश्वस्त करता हूं कि जितना जो भी मुझसे सम्भव होगा और मुझे बहुत इस बात की खुशी है कि मुझे जिस प्रकार की टीम मिली है। उस टीम के आधार पर मैं निश्चित रूप से पंचायती राज के इस काले धब्बे को जितना मिटा सकता हूं, उतना मिटाने का प्रयत्न करुंगा। आप सबसे प्रार्थना है कि मांग को स्वीकार करें।

मांगों का पारण

मांग संख्या-28 का पारण

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि मांग संख्या-28 ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम के सम्बन्ध में 31, मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में

(श्री अध्यक्ष)

किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 7,51,98,44000/- (सात अरब इक्यावन करोड़ अठानवे लाख चवालीस हजार रुपये) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-49 का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-49 स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और समनुदेशन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 80,53,41000/- (अस्सी करोड़, तिरपन लाख, इकतालीस हजार रुपये) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-50 का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-50 ग्रामीण रोजगार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 36,48,55,21000/- (छत्तीस अरब, अड़तालीस करोड़, पचपन लाख, इक्कीस हजार रुपये) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

सदन की बैठक शुक्रवार दिनांक 25 जुलाई, 2014 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनंतर सदन की बैठक 21.33 बजे शुक्रवार, दिनांक 25 जुलाई 2014 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

सदन में नहीं लिए जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

भीम के गांवों को बीसलपुर परियोजना से पेयजल की आपूर्ति

171. श्री हरिसिंह रावत (भीम) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र भीम की पेयजल समस्या के स्थाई समाधान हेतु प्रत्येक ग्राम को बीसलपुर या चम्बल से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में जनता जल योजना व राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना एवं पनघट योजना विधान सभा क्षेत्र भीम में कहां-कहां व किसके द्वारा संचालित की जा रही है? क्या उक्त योजनाएं सफलतापूर्वक चल रही हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त योजनाएं समय पर बिल न भरने एवं संचालित करने वाले कर्मचारी को उचित दर पर भुगतान नहीं होने से विफल हो रही है? क्या सरकार उपभोक्ताओं को समय पर शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हेतु उक्त योजना को स्वयं द्वारा संचालित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं । विधान सभा क्षेत्र भीम के अन्तर्गत शहरी क्षेत्र में कस्बा देवगढ़ में सोपरी बांध के अप/डाउन स्ट्रीम में निर्मित तथा स्थानीय जल स्रोतों से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है।

विधान सभा क्षेत्र भीम के 273 ग्रामों में भू-जल/सतही जल स्रोतों से जल उपलब्धता अनुरूप विभिन्न जल योजनाओं एवं स्थापित हैण्डपम्पों से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है।

उक्त क्षेत्र के कस्बा देवगढ़ एवं समस्त ग्रामों में पेयजल आपूर्ति वर्तमान में सुचारू एवं संतोषप्रद होने के कारण इस क्षेत्र को बीसलपुर अथवा चम्बल सतही जल स्रोतों से जोड़ना विचाराधीन नहीं है ।

(2) विधान सभा क्षेत्र भीम के ग्रामीण क्षेत्र में 18 जनता

(स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

जल योजनाओं, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना अन्तर्गत पूर्ण की गई 14 योजनाओं एवं विभिन्न मदों में निर्मित 144 पनघटों (सिंगल फेज नलकूप) का सम्बन्धित ग्राम पंचायतों द्वारा तथा नगरपालिका क्षेत्र देवगढ़ में स्थापित 26 पनघटों का नगरपालिका द्वारा सफलतापूर्वक संचालन एवं संधारण किया जा रहा है। वांछित विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। कार्यालय जिला परिषद, राजसमन्द से प्राप्त सूचना के अनुसार विधान सभा क्षेत्र भीम की पंचायत समिति, भीम एवं देवगढ़ में जनता जल योजनाएं सफलतापूर्वक संचालित हो रही हैं तथा कोई योजना विद्युत बिल के भुगतान के अभाव में बन्द नहीं है । जनता जल योजनाओं में अंशकालीन पम्प चालकों को समय पर भुगतान किया जा रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम के तहत निर्मित ग्राम कमेरी (ग्राम पंचायत, माद) तथा स्वजलधारा योजना के तहत निर्मित ग्राम देवपुरा (ग्राम पंचायत, ईशरमण्ड) की जल योजनाएं अन्य कारणों से बन्द हैं।

विभिन्न ग्रामीण एवं शहरी योजना अन्तर्गत उक्तानुसार स्थापित पनघटों के विद्युत बिलों का भुगतान सम्बन्धित ग्राम पंचायतों एवं नगरपालिका, देवगढ़ द्वारा किया जा रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना अन्तर्गत पूर्ण की गई 14 जल योजनाओं के केवल विद्युत बिलों का भुगतान जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा किया जा रहा है ।

दिनांक 01.04.2011 के पश्चात् से जनता जल योजनाओं का संचालन एवं संधारण ग्राम पंचायतों के माध्यम से करने का निर्णय लिये जाने के कारण, इन योजनाओं का संचालन कार्य जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा नहीं किया जाना है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अलवर जिले में संचालित पशु चिकित्सालय

172. . डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला अलवर में कुल कितने पशु चिकित्सालय संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले में ऐसे कितने पशु चिकित्सालय हैं जहां पशुओं के आपरेशन की सुविधा/आपरेशन थियेटर संचालित हैं?

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

(3) गत दो वर्ष में उक्त जिले में कितने पशुओं का आपरेशन कर इलाज किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला अलवर में विभिन्न श्रेणी के कुल 105 पशु चिकित्सालय संचालित हैं। विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जिला अलवर में एक बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय है, जहां पशुओं के आपरेशन की सुविधा/आपरेशन थियेटर संचालित है।

(3) बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय अलवर में वर्ष 2012-13 में 233 एवं वर्ष 2013-14 में 250 पशुओं का आपरेशन किया गया।

परिशिष्ट-1

अलवर जिले में विभिन्न श्रेणी के संचालित पशु चिकित्सालयों का विवरण

क्र.सं.	पशु चिकित्सालय की श्रेणी	संख्या
1.	बहुद्देशीय पशु चिकित्सालय	1
2.	प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय	34
3.	पशु चिकित्सालय	70
	कुल	**105**

अलवर में सोलर प्लांट लगाने की योजना

173. श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में सोलर प्लांट से विद्युत उत्पादन हेतु प्रोजेक्ट लगे हुए हैं? यदि हां, तो कहां-कहां? सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार अलवर शहर विधान सभा क्षेत्र के आसपास विद्युत उत्पादन हेतु सोलर प्लांट लगवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) क्या सरकार भविष्य में घरों में सोलर उर्जा को प्रोत्साहित करने हेतु कोई योजना चलाने के लिए इस मद में कोई अनुदान वर्तमान व भविष्य में देने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी हां। प्रदेश में सोलर प्लांट्स से विद्युत उत्पादन हेतु स्थापित प्रोजेक्ट्स का विवरण प्रपत्र- 'क' पर उपलब्ध है।

(2) सोर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना हेतु स्थान का चयन निजी सोलर पावर उत्पादकों द्वारा ही किया जाता है। वर्तमान में अलवर शहर विधान सभा क्षेत्र में किसी भी निजी सोलर पावर उत्पादक ने कोई प्रस्ताव नहीं दिया है।

(3) जी हां। राजस्थान सरकार का राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के माध्यम से घरों में सोलर ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहित करने हेतु एक किलोवाट फोटो वोल्टिक (पीवी) क्षमता तक के उपकरणों को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार की योजना के तहत देय 30 प्रतिशत अनुदान का लाभ प्रदान करते हुए योजना क्रियान्वित किये जाने का प्रस्ताव है। राज्य सरकार द्वारा इस मद में कोई अनुदान देय नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

मिसिंग लिंक एवं धार्मिक स्थलों को डामर सड़कों से जोड़ने की योजना

174. **श्री बाबू सिंह** (शेरगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में राष्ट्रीय पेयजल सर्वे 2003 में चयनित ढाणियों की जनसंख्या को आधार बनाकर एकल व समूह (क्लस्टर) 250 तक की हैबीटेशन को जोड़ने के लिये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत डामर सड़कों की कार्य योजना प्रारम्भ की गई है? यदि हां, तो दिसम्बर, 2008 से अब तक कितनी सड़कें उक्त योजना में स्वीकृत की गईं, स्वीकृत की गई सड़कों के एकल व बनाये गये समूह (कलस्टर) का ढाणी व ढाणी की जनसंख्या सहित कुल समूह की जनसंख्या जिसके लिये सड़क स्वीकृत की गई है, का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत प्रदेश के पहाड़ी/मरूस्थलीय क्षेत्रों में 250 तक की जनसंख्या को सड़कों से जोड़ने के लिये एकल ढाणी की जनसंख्या के अतिरिक्त ढाणियों की जनसंख्या का समूह (कलस्टर) बनाकर सड़कें स्वीकृत करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री बाबू सिंह)

(3) क्या यह सही है कि जोधपुर जिले के विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ से जनप्रतिनिधियों द्वारा उक्त क्लस्टर सड़कों के प्रस्ताव बनाकर सरकार को भिजवाये गये हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्रस्तावों का सर्वे करवाकर सडकें स्वीकृत करने का विचार रखती है?

(4) क्या सरकार डामर सड़कों से वंचित अब तक घोषित राजस्व गांवों को सड़कों से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार मिसिंग लिंक व धार्मिक स्थलों को डामर सडकों से जोड़ने की कार्य योजना बनाकर स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक, किस प्रकार व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या सरकार जोधपुर जिले की जोधपुर से देचु वाया तिंवरी-चेराई-चामू को रामदेवरा पैदल यात्रियों के अत्यधिक आवागमन व असुविधा को मध्येनजर रखते हुए उक्त सड़क को दो लेन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(7) क्या सरकार सड़क नवीनीकरण के लिये नवीन नीति व कार्य योजना बनाकर नवीनीकरण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस प्रकार, कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 2008-09 में शून्य कार्य, वर्ष 2009-10 में शून्य कार्य, वर्ष 2010-11 में शून्य कार्य तथा वर्ष 2011-12 में 1076 सड़क कार्य वर्ष 2012-13 में 687 सड़क कार्य, वर्ष 2013-14 में 187 सड़क कार्य स्वीकृत किये गये विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) वर्तमान में एकल ढाणियों की जनसंख्या के अनुसार ही स्वीकृति प्रदान की जा रही है, परन्तु प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के निर्देशानुसार समूह में 500 मीटर की त्रिज्या में यदि एक से अधिक ढाणियों की कुल जनसंख्या 500 व अधिक हो तो उन्हें क्लस्टर के प्रावधान के तहत स्वीकृत किया जा सकता है। वर्तमान में इस तरह का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है एवं ये प्रस्ताव पूर्व में स्वीकृत कराये जा चुके हैं।

(3) जी हां। माननीय विधायक शेरगढ़ से राष्ट्रीय पेयजल सर्वे 2003 के आधार पर पंचायत समिति बालेसर व शेरगढ़ के 250 से 499 तक जनसंख्या वाली 3099 ढाणियों के कुल 644 क्लस्टर के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

इन प्रस्तावों का विभागीय स्तर पर सम्बन्धित अभियन्ताओं द्वारा मौके की वस्तुस्थिति का परीक्षण किया गया।

3099 ढाणियों में से पी.एम.जी.एस.वाई. योजना में 8 ढाणियां स्वीकृत हैं तथा 27 ढाणियां डामर सड़क से जोड़ा जाना प्रस्तावित है। 16 ढाणियां जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निर्माणाधीन सड़कों पर स्थित हैं तथा 22 ढाणियां डामर सड़कों पर स्थित हैं। शेष 3026 ढाणियों को पी.एम.जी.एस.वाई. की गाइड लाइन के अनुसार 500 मीटर की त्रिज्या में नहीं होने से कलस्टर समूह बनाकर उक्त योजना में प्रस्तावित किया जाना सम्भव नहीं है। विवरण परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है।

(4) जी हां। जोधपुर जिले में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 1836 राजस्व गांव हैं। जिनमें से 1103 गांव डामर से, 159 गांव ग्रेवल सड़क से जुड़े हुए हैं तथा 574 गांव किसी भी प्रकार की सड़क बिना जुड़े हैं। इस प्रकार कुल 733 गांव डामर सड़क से बिना जुड़े हैं, इनमें से 19 गांव विभिन्न योजनाओं में सड़क से जोड़ने हेतु स्वीकृत हैं तथा वर्ष 2011 की जनगणना के पश्चात् 13 नवीन घोषित राजस्व गांव हैं जो वर्तमान में किसी भी प्रकार की सड़क से नहीं जुड़े हैं। विवरण परिशिष्ट-3, 4 एवं 5 पर प्रस्तुत है। सड़क से बिना जुड़े कुल 727 (733-19+13) राजस्व गांवों को सड़क से जोड़ना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

(5) जी हां। मिसिंग लिंक व धार्मिक स्थानों को डामर सड़कों से जोड़ना राज्य सरकार के वितीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

(6) जी नहीं। जोधपुर से देचू वाया तिंवरी-चिरई-चामू सड़क की कुल लम्बाई 108 कि.मी. में एम.डी.आर.-104 की लम्बाई 40 कि.मी. (0/0 से 40/0) डबल लेन है एवं एम.डी.आर-32 की लम्बाई 68 कि.मी. (12/0 से 80/0 तक) सिंगल लेन है। उक्त सड़क पर यातायात का दबाव (पी.सी.यू.) 4316 है जो कि डबललेन सड़क के लिये आवश्यक पी.सी.यू. 6000 से कम है। परन्तु पैदल तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिये सरकार द्वारा दिनांक 19.07.2014 को की गई घोषणानुसार सुगम मार्ग बनाया जाना प्रस्तावित है।

(7) जी हां। सरकार की बजट घोषणा 2014-15 के अनुसार राज्य की

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

स्टेट हाइवे एवं एम.डी.आर. सड़कों का सुदृढ़ीकरण/नवीनीकरण पी.पी.पी. योजना के अन्तर्गत एवं अन्य ग्रामीण सड़कों को आउट पुट एण्ड परफोरमेन्स बेस्ड रोड कान्ट्रेक्ट (ओ.पी.आर.सी.) पद्धति के अनुसार करवाया जाना प्रस्तावित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अलवर में धीरियावास मसीत बांध के भराव क्षेत्र पर अतिक्रमण

175. मास्टर मामन सिंह यादव (तिजारा) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार धीरियावास मसीत सिंचाई बांध के भराव क्षेत्र में बिल्डरों द्वारा फ्लेट बनाकर किये जा रहे अतिक्रमण को रोकने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या उक्त बांध में राजस्व गांव धीरियावास मसीत व नौगावां की भूमि पानी के भराव क्षेत्र में आती है यदि हां, तो बिल्डरों को बिल्डिंग एवं फ्लेट बनाने की अवैधानिक मंजूरी किस एजेंसी एवं अधिकारी द्वारा दी गई है? नाम सहित सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उपरोक्त एजेंसी और अधिकारियों के द्वारा दी गई अवैधानिक मंजूरी को निरस्त करते हुए सम्बन्धितों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) धीरियावास और मसीत बांध में से मसीत बांध के जल भराव क्षेत्र में मै. सिटी लाइफ स्पेस प्रा. लि. एवं ओवरफ्लो के डाउन स्ट्रीम में मै. वाई.के. डवलपर्स प्रा. लि. के पक्ष में 90ए की कार्यवाही के पश्चात आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान स्वीकृत किये जाने की शिकायत पर दोनों फर्मों एवं अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अलवर द्वारा प्रकरण संख्या 192/2014 व 193/2014 दिनांक 30.05.2014 दर्ज किये गये हैं। जांच में प्रकरण अवैधानिक पाये जाने पर नियमानुसार कारवाई की जानी प्रस्तावित है।

(2) राजस्व ग्राम धीरीयावास तहसील तिजारा की भूमि, जो मसीत बांध के जल भराव एवं ओवरफ्लो के डाउन स्ट्रीम में स्थित है, प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा 90ए की कारवाई पश्चात आवासीय प्रयोजनार्थ हेतु ले-आउट

(जल संसाधन मंत्री)

प्लान, नगरीय विकास न्यास भिवाड़ी की ले-आउट प्लान समिति की 17वीं बैठक दिनांक 02.05.2013 को अनुमोदित किये गये। कार्रवाई विवरण, जिसमें सभी अधिकारियों एवं कर्माचारियों के नाम वर्णित है, की प्रति परिशिष्ट- 'अ' पर संलग्न है।

(3) उक्त प्रकरणों में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की अलवर इकाई द्वारा मै. वाई.के. डवलपर्स प्रा. लि. के विरुद्ध एफ.आई.आर. संख्या 192/2014 दिनांक 30.05.2014 एवं मै. सिटी लाइफ स्पेस प्रा. लि. के विरुद्ध एफ.आई.आर. संख्या 193/2014 दिनांक 30.05.2014 दर्ज की गई है, जिसमें सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों एवं मालिकों को संदिग्ध अभियुक्त बनाया गया है। एफ.आई.आर. की प्रतियां परिशिष्ट-'ब' एवं 'स' पर संलग्न है।

प्रकरणों में जांच उपरान्त अवैधानिक पाये जाने पर फर्मों एवं अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कारवाई की जानी प्रस्तावित है।

जल संसाधन विभाग के अधिकारियों द्वारा जारी की गई एन.ओ.सी. के बारे में विभागीय जांच कराई जावेगी एवं दोषी पाये जाने पर उनके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कारवाई की जावेगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बीजों की जेनेटिक गुणवत्ता की जांच

176. श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में राज्य बीज निगम द्वारा खरीफ व रबी फसलों के कौन-कौन से बीज उत्पादन कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं?

(2) उक्त बीजों की राज्य में मांग, उत्पादन ओर आपूर्ति की जिलेवार स्थिति क्या है?

(3) उक्त उत्पादन द्वारा आपूर्ति कम होने की स्थिति में शेष बीजों की आपूर्ति कहां से व कैसे की जाती है?

(4) क्या उक्त आपूर्ति से पूर्व उनकी जेनेटिक गुणवत्ता की जांच की जाती है? यदि हां, तो किसके द्वारा व नहीं, तो उसकी जेनेटिक गुणवत्ता की गारंटी किसके द्वारा ली जाती है?

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य बीज निगम द्वारा खरीफ में बाजरा, ज्वार, मक्का,

(कृषि मंत्री)

धान, मूंग, मोठ, उड़द, अरहर, चवला, सोयाबीन, मूंगफली, तिल, ग्वार व कपास तथा रबी में गेहूं, जौ, चना, सरसों, तारामीरा, जीरा, मेथी, आदि के आधार व प्रमाणित बीज उत्पादन कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं।

(2) उक्त बीजों की राज्य में मांग, राजस्थान राज्य बीज निगम द्वारा उत्पादन, आपूर्ति एवं कुल बीज वितरण का जिलेवार, फसलवार विवरण परिशिष्ट-1 से 20 पर संलग्न है।

(3) राजस्थान राज्य बीज निगम द्वारा उत्पादित बीज की आपूर्ति के अतिरिक्त राज्य में उन्नत बीज की आपूर्ति सार्वजनिक क्षेत्र की अन्य संस्थाओं यथा राष्ट्रीय बीज निगम (स्टेट फार्म कारपोरेशन आफ इण्डिया, जो अब राष्ट्रीय बीज निगम में समाहित) तिलम संघ, कृभको एवं इण्डियन फार्म फोरेस्ट्री डवलपमेंट को-आपरेटिव तथा निजी क्षेत्र की बीज संस्थाओं के द्वारा उनके डीलर नेटवर्क के माध्यम से की जाती है।

(4) सार्वजनिक क्षेत्र की बीज संस्थाओं द्वारा बाह्य संस्थाओं/फर्मों से प्राप्त संकर बीजों की आपूर्ति करने से पूर्व जेनेटिक गुणवत्ता की जांच नहीं करवाई जाती है। यद्यपि ऐसे आपूर्तित बीजों के प्रत्येक लोट के नमूने जेनेटिक गुणवत्ता जांच (जीओटी) हेतु आहरित कर राजकीय बीज परीक्षण प्रयोगशाला में भिजवाये जाते हैं। उक्त बीज नमूनों में से रेण्डम आधार पर एवं बुवाई उपरान्त गुणवत्ता की शिकायत प्राप्त होने पर सम्बन्धित किस्म के शिकायत वाले लोट का ग्रो-आउट टेस्ट करवाया जाता है, जिसके परिणाम दो से तीन माह उपरान्त प्राप्त होते हैं। अधिसूचित एवं गैर अधिसूचित किस्मों के बीजों की गुणवत्ता की गारण्टी स्वयं बीज उत्पादक संस्था द्वारा ली जाती है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

उदयपुर में विद्युत कनेक्शन से वंचित बी.पी.एल. परिवार

177. **श्री फूलसिंह मीणा** (उदयपुर ग्रामीण) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में कितने बी.पी.एल. परिवारों को विद्युत कनेक्शन दे दिये गये हैं एवं कितने शेष हैं? सरकार द्वारा शेष रहे परिवारों को कब तक विद्युत कनेक्शन दे दिया जायेगा व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र उदयपुर के ग्रामीण क्षेत्र में स्वीकृत राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत 11293 बी.पी.एल. परिवारों को विद्युत कनेक्शन दिये जा चुके हैं। उक्त योजना में शेष रहे 1079 बीपीएल परिवारों को 12वीं पंचवर्षीय योजना में विद्युत कनेक्शन दिया जाना सम्भावित है। जो प्रक्रियाधीन है। जिसका विवरण प्रपत्र-'अ' पर उपलब्ध है।

दूर-दराज के गांवों एवं ढाणियों, जहां जनसंख्या कम है, के विद्युतीकरण हेतु सौर उर्जा आधारित योजना की घोषणा राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2014-15 के बजट में की गई है। 100 से कम आबादी वाली ढाणियों के विद्युतीकरण हेतु भारत सरकार से भी सहयोग मांगा गया है जो विचाराधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सपोटरा में क्षतिग्रस्त सड़कें

178. श्री रमेश (सपोटरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र सपोटरा में वर्तमान में कौन-कौन सी सड़कें क्षतिग्रस्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त क्षतिग्रस्त सड़कों की कुल लम्बाई कितने कि.मी. है और कितने कि.मी. सडक क्षतिग्रस्त है? सड़कवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सपोटरा से कुणगांव, सपोटरा से नारायणपुरा टटवाड़ा, सपोटरा से कैलादेवी व सपोटरा से बगीदा सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है? उक्त सड़कों का निर्माण कब कराया गया और क्या ठेकेदार/फर्म द्वारा निविदा की शर्तों अनुसार सड़कों का नियमानुसार रख-रखाव किया गया है? यदि नहीं, तो सम्बन्धित के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

(4) क्या यह सही है कि उक्त सड़कों में से कुछ सड़कों से भारी वाहन गुजरते हैं, जिससे यह सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसी सड़कों की क्रस्ट थिकनेस भारी वाहनों के आवागमन के अनुसार बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(5) क्या यह भी सही है कि कई सड़कें अभी गारंटी पीरीयड में हैं? यदि हां, तो सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार द्वारा इसकी मरम्मत या पुनर्निर्माण क्यों नहीं किया जा रहा है?

(श्री रमेश)

(6) सरकार अब कब तक सपोटरा से बुणगांव, सपोटरा से नारायणपुरा टटवाड़ा, सपोटरा से कैलादेवी, सपोटरा से बगीदा एवं विधान सभा क्षेत्र सपोटरा की अन्य क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत या पुनर्निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सपोटरा में कुल 13 सड़कें क्षतिग्रस्त स्थिति में हैं। विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) उक्त सड़कों की कुल लम्बाई 100 कि.मी. में से 91.10 कि.मी. क्षतिग्रस्त स्थिति में हैं। विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(3) जी हां। विधान सभा क्षेत्र सपोटरा में सपोटरा से कुडगांव, सपोटरा से नारायणपुरा टटवाड़ा, सपोटरा से कैलादेवी, सपोटरा से बगीदा सड़क अत्यन्त क्षतिग्रस्त है। इन सड़कों के निर्माण वर्ष, संवेदक का नाम एवं संवेदक के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है।

(4) जी हां। भारी वाहनों के गुजरने से उक्त सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं।

जी हां। बजट घोषणा 2014-15 के अनुसार उक्त क्षतिग्रस्त सड़कों में से एम.डी.आर. सड़क पर सुदृढ़ीकरण/नवीनीकरण का कार्य पी.पी.पी. योजनान्तर्गत एवं ग्रामीण सड़कों पर आउटपुट एवं परफोरमेन्स बेस्ड रोड कोन्ट्रेक्ट (ओ.पी.आर.सी.) के अन्तर्गत कराया जाना प्रस्तावित है।

(5) जी हां। गारण्टी अवधि में संवेदक द्वारा सड़कों की मरम्मत नहीं करने पर उनके हर्जे-खर्चे पर विभाग द्वारा मरम्मत करवाई जा रही है। विवरण परिशिष्ट-1 एवं 2 पर प्रस्तुत है।

(6) जी हां। बजट घोषणा 2014-15 के अनुसार उक्त क्षतिग्रस्त सड़कों में से एम.डी.आर. सड़क पर सुदृढ़ीकरण/नवीनीकरण का कार्य पी.पी.पी. योजनान्तर्गत एवं ग्रामीण सड़कों पर आउटपुट एवं परफोरमेन्स बेस्ड रोड कोन्ट्रेक्ट (ओ.पी.आर.सी.) के अन्तर्गत कराया जाना प्रस्तावित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

नवलगढ़ के गांवों में पेयजल व्यवस्था

179. डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार प्रदेश के प्रत्येक गांव को उसकी आबादी व पशुधन की संख्या को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का

(डा. राजकुमार शर्मा)

विचार रखती है? यदि हां, तो किस प्रकार व कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ के अनेक गांवों/कस्बों/ढाणियों में स्थित आबादी व पशुधन के अनुसार पेयजल उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है और क्षेत्र में पेयजल की गम्भीर समस्या व्याप्त है? यदि हां, तो सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के विभिन्न कस्बों/ग्रामों/ढाणियों में मनुष्यों व पशुधन को पर्याप्त स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु विशेष योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नही, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। विभाग द्वारा राज्य के मरुस्थलीय जिलों के ग्रामीण क्षेत्र में 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जिसमें व्यक्तियों के लिये 40 लीटर प्रतिदिन एवं पशुओं के लिये 30 लीटर प्रतिदिन की जल मांग सम्मिलित है तथा अन्य गैर-मरुस्थलीय जिलों के ग्रामीण क्षेत्र में 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदन के मानदण्ड के अनुसार पेयजल योजनाएं स्वीकृत की जाती हैं।

समेकित प्रबन्धन सूचना तंत्र (आई.एम.आई.एस.) के अनुसार दिनांक 1 अप्रैल, 2014 को राज्य में कुल चिन्हित 1,21,133 हैबिटेशन में से 69,085 पूर्ण लाभान्वित, 28,092 आंशिक लाभान्वित तथा 23,956 गुणवत्ता प्रभावित हैं। आंशिक लाभान्वित एवं गुणवत्ता प्रभावित हैबिटेशन को वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार चरणबद्ध रूप से लाभान्वित किया जा रहा है।

(2) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ के 2 कस्बों एवं 109 ग्रामों को पेयजल उपलब्ध कराने के दीर्घकालीन उपाय के तहत एकीकृत तारानगर-झुन्झुनूं-सीकर-खेतड़ी वृहद् पेयजल परियोजना के द्वितीय चरण में सम्मिलित किया गया है। योजना की स्वीकृति पर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार निर्णय लिया जायेगा

टोडाभीम में फैल रही पशुओं की बीमारी की रोकथाम के उपाय

180. श्री घनश्याम (टोडाभीम)) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में वर्तमान में

(श्री घनश्याम)

पशुओं में भयंकर बीमारी फैल रही है, जिससे रोजाना पशुओं की मृत्यु हो रही है?

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में चिकित्सकों की विशेष टीम भेजकर पशुओं को बचाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में वर्तमान में पशुओं में बीमारी की सूचना नही है। रोग प्रकोप की आपातकालीन स्थिति हेतु इस क्षेत्र के लिए तहसील स्तरीय पशुधन आरोग्य चल इकाई, जिला स्तर पर कार्यरत जिला शल्य पशु चिकित्सा इकाई एवं जिला रोग निदान प्रयोगशाला कार्यरत है।

बांसवाड़ा में स्थापित ताप विद्युत गृह

181. श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या बांसवाड़ा में ताप विद्युत गृह एवं आणविक विद्युत गृह की स्थापना की जा रही है? यदि हां, तो उक्त परियोजनायें किस वर्ष में स्वीकृत की गईं?

(2) उक्त विद्युत गृहों की क्षमता कितनी होगी तथा परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है व परियोजनाएं कब तक पूरी होंगी?

(3) प्रदेश में विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिए कितनी परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बांसवाड़ा में ताप विद्युत गृह निजी एवं राज्य क्षेत्र में क्रमश: दिनांक 13.01.09 एवं दिनांक 24.06.10 को राजस्थान सरकार द्वारा स्वीकृत किये गये हैं। आणविक विद्युत गृह की परमाणु ऊर्जा विभाग, भारत सरकार के पत्र दिनांक 16.09.11 के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।

(2) निजी क्षेत्र (2x660 मेगावाट) एवं राज्य क्षेत्र (2x660 मेगावाट) के ताप विद्युत गृहों की कुल क्षमता 3640 मेगावाट प्रस्तावित है। आणविक विद्युत गृह की क्षमता 4x700 = 2800 मेगावाट होगी। प्रगति का विवरण क्रमश: परिशिष्ट-'अ', 'ब' एवं 'स' पर उपलब्ध है।

(ऊर्जा मंत्री)

(3) प्रदेश में विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिए वर्तमान में चार परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है, विवरण परिशिष्ट-'द' पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

भादरा एवं नोहर में आर.यू.बी. एवं आर.ओ.बी. का निर्माण

182. श्री संजीव कुमार (भादरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि हनुमानगढ़-सादुलपुर रेलवे लाइन के आमान परिवर्तन (ब्राडगेज) का कार्य शुरु होने के उपरान्त भादरा एवं नोहर विधान सभा क्षेत्र में कई जगह आर.यू.बी. (रेलवे अण्डर ब्रिज) और आर.ओ.बी. (रेलवे ओवरब्रिज) बनाने की मांग क्षेत्र की जनता द्वारा की गई है? यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त क्षेत्रों के नागरिकों की परेशानियों को देखते हुए सरकार उक्त स्थानों पर आर.यू.बी./आर.ओ.बी. बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नही, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। भादरा एवं नोहर विधान सभा क्षेत्र में जनता द्वारा 8 स्थानों पर आर.यू.बी. एवं 1 स्थान पर आर.ओ.बी. निर्माण (कुल 9 स्थानों पर) की मांग की गई। विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) जी हां। उक्त स्थानों पर आर.यू.बी./आर.ओ.बी. का निर्माण राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अजमेर में पेयजल हेतु नई पाइप लाइन डाले जाने में विलम्ब

183. श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि अजमेर शहर में जवाहर लाल नेहरू नवीनीकरण मिशन के तहत पेयजल की सप्लाई (आपूर्ति) हेतु नई पाइप लाइन

(श्रीमती अनिता भदेल)

डाले जाने व अनेक स्थानों पर उच्च जलाशयों के निर्माण हेतु कार्य कराया जाना प्रस्तावित है? यदि हां, तो उक्त कार्य किस स्तर पर प्रक्रियाधीन हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त समस्त निर्माण कार्यों का ठेका हैदराबाद की एक ही फर्म को दिया गया है? जिसने निर्धारित समय में ना तो कार्य प्रारम्भ किया है और ना ही कार्य की गति बढ़ाई है? फर्म को ठेका कितनी अवधि के लिए दिया गया? कार्य कब प्रारम्भ किया जाना था? कार्य पूर्ण होने की अवधि क्या है? फर्म को कितनी राशि का ठेका दिया गया है? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें?

उत्तर

(1) जी हां। जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन योजना के अन्तर्गत अजमेर एवं पुष्कर शहर में बीसलपुर योजना का पेयजल उपलब्ध कराने हेतु स्वायत्त शासन विभाग द्वारा दिनांक 21.01.2008 को राशि रुपये 166.42 करोड़ की योजना की स्वीकृति जारी की गई थी।

अजमेर शहर में पेयजल आपूर्ति हेतु नई पाइप लाइन बिछाने, उच्च जलाशयों के निर्माण करने एवं नये पम्पसैटों की स्थापना इत्यादि कार्यों को चरणबद्ध रूप से पूर्ण करने हेतु उक्त योजना के कार्यों को पांच पैकेजों में विभक्त किया गया। पैकेजवार स्वीकृत कार्य एवं इनकी प्रगति का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। उक्त स्वीकृत योजना के पांच पैकेजों के अन्तर्गत 6 कार्यादेश अलग-अलग फर्मों को जारी किये गये हैं। इन कार्यादेशों सम्बन्धी पूर्ण विवरण (यथा कार्यादेश तिथि, समयावधि, कार्य की राशि इत्यादि) संलग्न परिशिष्ट-अ में निहित है।

इनमें से एक पैकेज संख्या-4 का कार्यादेश मैसर्स मेघा इंजीनियरिंग एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, हैदराबाद को दिनांक 13.03.2013 को राशि रुपये 45.46 करोड़ का जारी किया गया था। कार्यादेश अनुरूप यह कार्य 15 माह की अवधि पश्चात् दिनांक 22.06.2014 तक पूर्ण करना था।

फर्म द्वारा कार्य धीमी गति से करने के कारण अनुबंध के प्रावधान के क्लाज-2 (देरी के लिये क्षतिपूर्ति) के तहत रुपये 1.02 करोड़ की क्षतिपूर्ति राशि फर्म के बिलों से काट ली गई है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जोधपुर में पंजीकृत गौशालाओं हेतु आबंटित भूमि

184. श्री अर्जुनलाल (बिलाड़ा) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर जिले में कई पंजीकृत गौशालायें चल रही हैं? यदि हां, तो कहां-कहां एवं कितनी-कितनी गायें प्रत्येक गौशाला में विद्यमान हैं? पंचायत समितिवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा उक्त गौशालाओं को प्रति पशुधन के अनुसार अनुदान उपलब्ध करवाया जा रहा है? यदि हां, तो कितना-कितना कब से एवं नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त गौशालाओं के लिये सरकार द्वारा भूमि आबंटित की गई थी? यदि हां, तो किन-किन गौशालाओं को कब-कब कितनी-कितनी भूमि आबंटित की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि गत पांच वर्षों में सरकार ने प्रदेश की कई गौशालाओं के लिये आबंटित भूमि को निरस्त कर दिया है? यदि हां, तो किन-किन गौशालाओं की कितनी-कितनी भूमि का कब-कब आबंटन निरस्त किया गया? सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जोधपुर जिले की पंजीकृत गौशालाओं का पंचायतवार/ पंचायत समितिवार तथा उनमें उपलब्ध पशुओं का विवरण परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

(2) वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग के माध्यम से अभावग्रस्त क्षेत्र में अभाव अवधि के दौरान, राज्य आपदा मोचन निधि से प्रति छोटे पशु रु. 25 तथा प्रति बड़े पशु रु. 50 की अनुदान की दर निर्धारित है।

वर्तमान में जोधपुर जिले की गौशालाओं के लिए अनुदान दिये जाने की स्वीकृति जारी की जा चुकी है, अनुदान दिया जाना प्रक्रियाधीन है।

(3) जी हां। जोधपुर जिलें में जिला प्रशासन द्वारा गौशालाओं को आबंटित भूमि का विवरण परिशिष्ट-ब पर उपलब्ध है।

(4) जी हां। तहसील क्षेत्र जोधपुर में शारदा गौशाला को ग्राम पालड़ी खिचियान के खसरा नम्बर 93/8 रकबा 15.00 बीघा भूमि का आबंटन किया

(पशुपालन मंत्री)

गया था। जिसे बाद में कलक्टर जोधपुर द्वारा निरस्त कर दिया गया। कलक्टर जोधपुर के इस आदेश को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त करने पर उक्त गौशाला को ग्राम पालड़ी खिचियान में ही खसरा नं. 167 में 15.00 बीघा भूमि का आबंटन किया गया जिसका नामान्तरण संख्या 313 दिनांक 16-06-14 के द्वारा, शारदा गौशाला के नाम दर्ज कर दिया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

विद्युत कम्पनियों का महालेखाकार से विशेष अंकेक्षण

185. श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में विद्युत कम्पनियों की आडिट कराने के सरकार के निर्णय की क्या स्थिति है? आडिट को एनर्जी आडिट में क्यों बदला गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार घाटे की लगातार बढ़ती स्थिति में वर्ष 2000 से 2014 तक की विशेष आडिट महालेखापरीक्षक से कराने का विचार रखती है? जिससे विद्युत कम्पनियों के असल घाटे के कारण का पता किया जा सके ।

(3) क्या घाटे का कारण किसानों व बी.पी.एल. को दी गई सब्सिडी है या प्रशासनिक व्यवस्था व अनियमितता? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) राजस्थान की पांचों निगमों की आडिट मुख्य महालेखाकार (CAG) द्वारा किया जाता है। यह कहना कि आडिट को एनर्जी आडिट में बदला गया है सही नहीं है।

(2) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(3) घाटे के मुख्य कारण विद्युत खरीद की दरों में शनैः शनैः वृद्धि, छठे वेतन आयोग के कारण संस्थापन खर्चों में वृद्धि, कम्पनी अधिनियम, 1956 के लेखा मानक की पालना करने की वजह से वास्तविक दायित्व (Actual Liabilities) का खर्चे में प्रावधान करना, पारेषण व वितरण हानियां, बैंकों तथा वित्तय संस्थाओं से लिये गये ऋण के कारण ब्याज के भार में वृद्धि होना एवं कृषि कनेक्शन अधिक मात्रा में जारी करने से पूंजीगत खर्चे में बढ़ोत्तरी तथा प्रति यूनिट राजस्व की दर कम होने के कारण, इसके अतिरिक्त वर्ष 2004 से 2011 तक बिजली की दरों (टैरिफ) में वृद्धि नहीं किया जाना है।

जमवारामगढ़ की क्षतिग्रस्त मिसिंग लिंक सड़कें

186. श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण करने, क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत करने की कार्य योजना प्रस्तावित है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में बनाई गई अधिकांश मिसिंग लिंक सड़कें क्षतिग्रस्त हैं? यदि हां, तो उक्त सड़कों की मरम्मत कब तक कर दी जाएगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा। प्रदेश में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत बजट घोषणा वर्ष 2014-15 के अनुसार आउट पुट एण्ड परफोरमेन्स बेस्ड रोड कान्ट्रेक्ट (ओ.पी.आर.सी.) पद्धति के अनुसार किया जाना प्रस्तावित है।

(2) जी नहीं। मिसिंग लिंक में निर्मित सभी सड़कें संतोषजनक स्थिति में हैं। विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सिंगल नाकों को पक्के खालों से जोड़ने की योजना

187. श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (करणपुर) : क्या सिंचित क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार सी.ए.डी. स्कीम में सिंगल नाकों को पक्के खालों से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। सीएडी की चक की स्कीम अनुमोदित होने के पश्चात पक्के खालों का निर्माण किया जाता है। पक्का खाला निर्माण कार्य के दौरान प्रत्येक मुरब्बों मे जहां सिंगल नाका की आवश्यकता होती है वहां सिंगल नाके का निर्माण कर पक्के खाले से जोड़ा जाता है एवं जहां डबल नाके की आवश्यकता होती है वहां डबल नाके का निर्माण कर पक्के खाले से जोड़ा जाता है।

चित्तौड़गढ़ में पशु चिकित्सकों के रिक्त पद

188. श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ में वर्तमान में कितने पशु चिकित्सालय कहां-कहां पर संचालित हैं? ग्राम पंचायत वार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त पशु चिकित्सालयों में पशु चिकित्सकों एवं अन्य चिकित्सा कर्मियों के कितने-कितने पद किस-किस स्तर के सृजित हैं तथा उक्त में से कितने पद रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ में 36 पशु चिकित्सालय कार्यरत हैं। विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) इन पशु चिकित्सालयों में पशु चिकित्सकों एवं अन्य चिकित्सा कर्मियों के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(3) जी हां। रिक्त पदों को कार्मिको की उपलब्धता अनुसार भरा जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

विद्युत कम्पनियों द्वारा खम्भे रोपने में अनियमितता की जांच

189. म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विद्युत कम्पनियों में ठेकेदारों द्वारा खम्भे रोपने के क्या नियम बनाये गये हैं?

(2) क्या विद्युत कम्पनियों द्वारा खम्भे रोपने के पश्चात् इसकी जांच कराई जाती है? यदि हां, तो इसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है?

(3) विद्युत कम्पनियों द्वारा खम्भे सही नहीं लगाने वाले ठेकेदारों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई?

(4) उक्त लगाये गये खम्भों में से जो खम्भे लगाने के 6 माह में ही लटक जाते हैं, उसके लिये कितने ठेकेदारों को ब्लेक लिस्ट किया गया व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) वर्तमान में विद्युत वितरण निगमों में लागू बेसिक शेड्यूल रेट (बी.एस.आर.) के अनुसार सी.एल.आर.सी. दरों पर रजिस्टर्ड ठेकेदारों द्वारा खम्भे रोपने का कार्य कराया जा रहा है। बी.एस.आर. में 8 मीटर/9 मीटर/10 मीटर/11 मीटर के खम्भे को रोपने, कंक्रीटिंग करने, पत्थर डालने इत्यादि सम्बन्धी मापदण्ड वर्णित है, जिनकी प्रति प्रपत्र 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। खम्भे रोपने के पश्चात खम्भे सही तरीके से रोपे गये हैं या नहीं इसकी सम्बन्धित अधिकारी द्वारा जांच की जाती है। जिसके अन्तर्गत कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा शत प्रतिशत, सहायक अभियन्ता द्वारा 20 प्रतिशत एवं अधिशासी अभियन्ता द्वारा 5 प्रतिशत जांच करने के लिए अधिकृत है और वे ही कार्य के लिए जिम्मेदार है।

(3) सम्बन्धित अभियन्ता द्वारा निरीक्षण के दौरान ठेकेदार द्वारा किये गये कार्य की गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर तत्काल कमी को दूर करने के निर्देश देते हुये ठीक करवाया जाता है।

(4) कभी-कभी तेज आंधी व तूफान के कारण सही गुणवत्ता का कार्य किये जाने के पश्चात भी खंभे टेढ़े हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में टेढ़े हुये खम्भों को पुन: सीधा करवाया जाता है। विद्युत वितरण निगमों में खम्भे लगाने के पश्चात 6 माह में ही लटक जाने का कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है, इसलिए किसी भी ठेकेदार को ब्लेक लिस्ट नहीं किया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बाइपास से जुड़े हुए गांवों की सड़कों का रख-रखाव

190. श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि प्रदेश की अनेक सड़कों के फोरलेन में तब्दील करने पर आबादी क्षेत्रों के निकट बाइपास निकाले गए हैं और पूर्व की सड़कों को सम्बन्धित गांवों को सुपुर्द कर दिया गया है? यदि हां, तो उक्त सुपुर्द की गई सड़कों का रख-रखाव कौन व किस प्रकार करेगा? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

उत्तर

जी नहीं। उक्त पूर्व की सुपुर्द की गयी सड़कों का रख-रखाव

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है। हालांकि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय केन्द्र सरकार की नीति के अनुसार बाइपास निकालने के उपरान्त पूर्ण मार्ग राज्य का हो जाना है।

इस विषय में केन्द्र सरकार के समक्ष प्रकरण उठाया गया है कि उक्त पूर्ण मार्ग को विधिवत् गजट नोटिफिकेशन द्वारा नेशनल हाइवे से डिनोटिफाई करवाकर अच्छी स्थिति करके राज्य सरकार को सौंपा जाना चाहिए। जिस पर निर्णय किया जाना अपेक्षित है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

सुमेरपुर की ''जवाई प्रोजेक्ट योजना''

203. श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के अनेक गांवों को 'जवाई प्रोजेक्ट योजना' के तहत शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाया जाएगा? यदि हां, तो किन-किन को व कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के अनेक गांव अब भी 'जवाई प्रोजेक्ट योजना' में सम्मिलित नहीं किए गए हैं? यदि हां, तो क्यों तथा उन्हें कब तक सम्मिलित कर लिया जायेगा?

(3) क्या यह भी सही है कि विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के अनेक गांव पेयजल के लिए स्थानीय स्रोत पर निर्भर हैं? यदि हां, तो उन्हें उक्त योजना से जोड़कर कब तक लाभान्वित कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां। जवाई पाइप लाइन परियोजना में विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के कुल 161 ग्रामों में से 150 ग्रामों को सम्मिलित किया गया है जिसमें से 105 ग्राम उक्त परियोजना अन्तर्गत जवाई बांध से पूर्व में ही लाभान्वित हैं। 45 अन्य ग्रामों को कलस्टर वितरण प्रणाली द्वारा स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जायेगा। इस कार्य हेतु जवाई कलस्टर परियोजना-प्रथम की स्वीकृति दिनांक 27.09.2011 को राशि रुपये 199.40 करोड़ की जारी की गई तथा इसका कार्यादेश दिनांक 22.08.2012 को राशि रुपये 142.00 करोड़ का जारी किया गया। योजना के प्रगतिरत कार्यों से उक्त 45 ग्रामों को माह मार्च, 2015 तक लाभान्वित करना प्रस्तावित है। ग्रामों की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के कुल 161 ग्रामों में से 11 ग्राम जवाई पाइप लाइन परियोजना की स्वीकृति में सम्मिलित नहीं हैं। जवाई-हेमावास बांध में 75 प्रतिशत निर्भरता अनुरूप बांध में उपलब्ध पानी अनुसार पाली जिले के 561 ग्राम, 9 नगरों तथा सिरोही जिले के शिवगंज शहर हेतु उक्त पेयजल परियोजना की स्वीकृति जारी की गई थी। अत: उक्त निर्भरता

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

अनुरूप जवाई-हेमावास बांध में उपलब्ध पानी के परिपेक्ष्य में विधान सभा क्षेत्र, सुमेरपुर के शेष ग्रामों को वर्तमान में नहीं जोड़ा गया है।

इन ग्रामों में स्थानीय पेयजल स्रोतों से सुचारू जलापूर्ति की जा रही है।

(3) जी हां। विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के 45 ग्राम जिनको लाभान्वित करने की योजना का कार्य प्रगति पर है तथा 11 ग्राम जो जवाई परियोजना में सम्मिलित नहीं हैं, इस प्रकार कुल 56 ग्रामों की पेयजल आपूर्ति वर्तमान में स्थानीय भू-जल स्रोतों पर पूर्णतया निर्भर है।

जवाई-हेमावास बांध में 75 प्रतिशत निर्भरता अनुरूप उपलब्ध पानी के परिपेक्ष्य में उक्त क्षेत्र के शेष 11 ग्रामों को वर्तमान में नहीं जोड़ा जाना है ।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

पुष्कर में बीसलपुर योजना से पेयजल आपूर्ति

204. श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र पुष्कर के ग्रामों एवं कस्बों को बीसलपुर योजना से पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा योजना कब स्वीकृत की गई थी और उक्त योजना के तहत किन-किन ग्रामों/कस्बों को कब तक पेयजल उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया था? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना कब प्रारम्भ की गई? वर्तमान में उक्त योजना के तहत जनवरी, 2014 तक किन-किन ग्रामों/कस्बों को बीसलपुर योजना से पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है और शेष ग्रामों/कस्बों को कब तक पेयजल उपलब्ध करा दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र पुष्कर के कस्बा पुष्कर हेतु जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन योजना के अन्तर्गत बीसलपुर योजना का पेयजल उपलब्ध कराने हेतु योजना की स्वीकृति स्वायत्त शासन विभाग द्वारा दिनांक 21.01.2008 को राशि रुपये 166.42 करोड़ की जारी की गई थी।

विधान सभा क्षेत्र पुष्कर में सम्मिलित कुल 125 ग्रामों में से एक ग्राम लीला सेवड़ी को स्थानीय नलकूपों से तथा 2 ग्राम क्रमश: दौराई एवं भावता को अजमेर शहर की जल योजना से बीसलपुर का स्वच्छ पेयजल

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

उपलब्ध कराया जा रहा है। क्षेत्र के शेष 122 ग्राम बीसलपुर बांध से स्वीकृत मुख्य चार योजनाओं के अन्तर्गत सम्मिलित हैं। योजनाओं की स्वीकृति का विवरण परिशिष्ट-अ पर तथा इनमें सम्मिलित ग्रामों का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(2) बीसलपुर से पुष्कर कस्बा एवं पुष्कर क्षेत्र के 122 ग्रामों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु उक्त स्वीकृत योजनाओं के प्रारम्भ होने का विवरण संलग्न परिशिष्ट-अ में निहित है। इन स्वीकृत योजनाओं से माह जनवरी, 2014 तक विधान सभा क्षेत्र पुष्कर के कस्बा पुष्कर एवं 70 ग्रामों को तथा जनवरी, 2014 के उपरान्त 3 अन्य ग्रामों को लाभान्वित किया जा चुका है। शेष 49 ग्रामों की योजनाओं के कार्य प्रगति पर हैं तथा इन ग्रामों को चरणबद्ध रूप से माह मार्च, 2015 तक लाभान्वित करना प्रस्तावित है। वांछित पूर्ण विवरण संलग्न परिशिष्ट-ब में निहित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जमवारामगढ़ में स्वीकृत पेयजल योजनाएं

205. श्री घनश्याम (टोडाभीम) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में वर्ष 2008 से दिसम्बर, 2013 के मध्य किस-किस ग्राम पंचायत में पेयजल हेतु कौन-कौनसी योजना में कितनी-कितनी राशि स्वीकृति की गई? ग्राम पंचायत वार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त अवधि में पेयजल हेतु स्वीकृत सभी योजनाओं का कार्य पूर्ण कर जनता को शुद्ध पेयजल मुहैया करवाया जा रहा है? यदि हां, तो किस-किस ग्राम पंचायत में व नहीं, तो क्यों? पृथक-पृथक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था सुचारू एवं सामान्य बनाये रखने हेतु वर्णित अवधि में 5 हैण्डपम्प, 539 सिंगल फेज नलकूप तथा 25 संवर्धन/पुनर्गठित जल योजनाओं की स्वीकृति राशि रुपये 2590.55 लाख की आवश्यकतानुसार जारी की गई। ग्राम पंचायतवार स्वीकृत योजनाएं मय राशि सम्बन्धी वांछित विवरण क्रमशः परिशिष्ट-अ, ब एवं स पर संलग्न है।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

(2) उक्त स्वीकृति के विरुद्ध समस्त 5 हैण्डपम्प एवं 539 सिंगल फेज नलकूप तथा 12 जल योजनाओं के कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं। ग्राम मंहगी एवं बहलोड़ हेतु स्वीकृत दो जल योजनाओं में प्रावधित एक-एक भू-तल जलाशय के निर्माण हेतु स्थल चयन में विवाद के कारण इनका निर्माण एवं सम्बन्धित राइजिंग पाइप लाइन का कार्य पूर्ण करना सम्भव नहीं हो सका है परन्तु इन ग्रामों में स्वीकृत दो-दो नलकूपों का निर्माण कर योजनाएं वर्तमान में चालू हैं।

उक्तानुसार स्थापित किये गये 5 हैण्डपम्प एवं 539 सिंगल फेज नलकूप तथा पूर्ण की गई 14 जल योजनाओं से सम्बन्धित ग्रामों में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति की जा रही है। शेष 11 संवर्धन/पुनर्गठित जल योजनाओं के कार्य प्रगति पर हैं। वांछित विवरण क्रमश: संलग्न परिशिष्ट-अ, ब एवं स में निहित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जैसलमेर में खजूर की पैदावार हेतु भूमि का आबंटन

206. श्री छोटू सिंह (जैसलमेर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जैसलमेर जिले में किन-किन स्थानों पर कितने क्षेत्रफल पर खजूर के पौधे लगाये गये हैं तथा वर्तमान में उक्त भूमि से प्रति वर्ष कितनी खजूर की पैदावार हो रही है? उक्त खजूर के पौधों का रखरखाव किस विभाग/एजेंसी द्वारा किया जा रहा है? लगाये गये पौधों हेतु क्या भूमि आबंटित की गई है? यदि हां, तो किस राजस्व गांव में कितने बीघे पर किस संस्था/विभाग को भूमि आबंटित की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) खजूर पौधा रोपण में प्रति पौधा कितना व्यय होता है तथा कितने महीने में पौधा पैदावार देता है? क्या सरकार जैसलमेर जिले के किसानों को खजूर के पौधे लगाने हेतु प्रेरित करने हेतु कोई योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जैसलमेर जिले में राजकीय फार्म सगरा भोजका पर खजूर के पौधे 98.00 हैक्टेयर क्षेत्र पर लगाये हुये हैं। उक्त फार्म पर गत वर्ष से फलन की शुरूआत हुई है, जिससे लगभग 1100 पौधों पर अनुमानित फलन 110

(कृषि मंत्री)

क्विं. आंका गया था, जिसकी खुली बोली द्वारा नीलामी से अधिकतम बोली राशि रु. 70100/- प्राप्त हुई तथा इस वर्ष 6550 पौधों पर फलन आया जिसका अनुमानित वजन 540 क्विं. आंका गया है एवं जिसकी खुली बोली द्वारा नीलामी से अधिकतम बोली राशि रु. 797000/- प्राप्त हुई है। सगरा भोजका खजूर फार्म का रख-रखाव विभाग द्वारा अनुबन्ध के तहत मैसर्स राजस्थान हाइटेक एग्री प्रोडक्टस कम्पनी श्रीगंगानगर द्वारा करवाया जा रहा है। उक्त फार्म की भूमि राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर द्वारा राजस्थान हार्टीकल्चर डवलपमेंट सोसायटी को खजूर परियोजना हेतु हस्तान्तरण की गयी है। उक्त भूमि राजस्व गांव सगरा, भोजका में स्थित है तथा इसका क्षेत्र 606 बीघा है।

(2) खजूर पौधा रोपण में प्रति पौधा लगभग राशि रुपये 2700 का व्यय होता है तथा ये पौधा 48 महीने में पैदावार देना शुरू करता है। जैसलमेर जिले के किसानों को खजूर के पौधे लगाने के लिए प्रेरित करने हेतु उद्यान विभाग द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अन्तर्गत कृषकों के खेतों पर खजूर पौध रोपण परियोजना वर्ष 2009-10 से संचालित की जा रही है। अब तक कुल 59 हैक्टेयर क्षेत्र में पौध रोपण कर 16 कृषकों को लाभान्वित किया जा चुका है, जिसकी सूची संलग्न है।

संलग्नक

जैसलमेर जिले में खजूर बगीचे लगाने वाले किसानों की सूची

क्र. सं.	कृषक का नाम मय पिता/पति	गांव	ग्राम पंचायत	क्षेत्रफल (है.)
1	निशान्त चौधरी/करणाराम चौधरी	राजमथाई	राजमथाई	2
2	मोहमद नासिर/जीवन खां	मण्डाउ	मोहनगढ़	4
3	दिलीपसिंह/नरेन्द्रसिंह	डाबला	डाबला	2
4	रिपुदमनसिंह/रघुवीरसिंह	छायण	एकां	2
5	लूकमानखां/अलशेर खां	बान्धेवा	बान्धेवा	1
6	मोहम्मद इकबाल/अब्दुल रहमान	खारा	पोकरण	3
7	मोहम्मद आरिफ/जीवणखां	7एम 2एम	मोहनगढ़	4
8	शान्ति/ताराचन्द जाटोल	धायसर	धायसर	5
9	प्रियम कुमारी/बलवीर सिंह	सोढाकोर	चांधन	2

क्र. सं.	कृषक का नाम मय पिता/ पति	गांव	ग्राम पंचायत	क्षेत्रफल (है.)
10	गुरविन्द्र सिंह/जलवीरसिंह	भोजका	चांधन	4
11	मन्दीपसिंह/गुरराजसिंह	भोजका	चांधन	4
12	सुखपालसिंह/कुलवन्तसिंह	भोजका	चांधन	4
13	कुलविन्द्रसिंह/रणजीतसिंह	सगरा	चांधन	4.5
14	गुरविन्द्रसिंह/मलकीतसिंह	सगरा	चांधन	4.5
15	मनोज विश्नोई/रामसिंह विश्नोई	24 पीडी	सुल्ताना	3
16	अनिल/हरिश भाई सगतानी	लाठी	पोकरण	10
	योग			**59.00**

सिकराय में नवीन किसान सेवा केन्द्र की स्वीकृति

207. श्रीमती गीता वर्मा (सिकराय) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र सिकराय में कितनी ग्राम पंचायत स्तर पर किसान सेवा केन्द्र स्वीकृत हैं? उनमें कितने पद ग्राम सेवकों के स्वीकृत हैं व उनमें कितने कार्यरत हैं एवं कितने रिक्त हैं?

(2) उक्त में से कितने किसान सेवा केन्द्रों के भवन बन गये हैं व कितने किसान सेवा केन्द्र भवन विहीन हैं?

(3) किसान सेवा केन्द्रों पर किसानों के कृषि कल्याण हेतु कौन-कौन सी योजनायें संचालित हैं? क्या किसानों को किसान सेवा केन्द से बीज एवं दवाइयां मुफ्त दी जाती है?

(4) क्या किसान सेवा केन्द्र के माध्यम से मिलने वाले बीजों में गुणवत्ता का ध्यान रखा जाता हैं?

(5) क्या सरकार भविष्य में किसानों को सुविधा उपलब्ध कराने व ग्राम सेवकों के रिक्त पद भरने, नवीन किसान सेवा केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सिकराय में ग्राम पंचायत स्तर पर 38 किसान सेवा केन्द्र स्वीकृत हैं। कुल 38 कृषि पर्यवेक्षकों के पद स्वीकृत हैं। उनमें से 24 पदों पर कृषि पर्यवेक्षक कार्यरत हैं तथा 14 पद रिक्त हैं।

(2) विधान सभा क्षेत्र सिकराय में 6 किसान सेवा केन्द्र बन गये हैं तथा 4 किसान सेवा केन्द्रों पर कार्य प्रगति पर है। 28 किसान सेवा केन्द्र भवन विहीन हैं।

(3) किसान सेवा केन्द्रों पर किसानों के कल्याण हेतु कृषि व उद्यान विभाग की योजनायें यथा ड्रिप सैट, फव्वारा सैट, पाइप लाइन अनुदान, जल हौज, फार्म पौण्ड अनुदान, कृषि एवं पौध संरक्षण अनुदान आदि योजनायें संचालित हैं। किसानों को विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये बीज मिनिकिट नि:शुल्क वितरण किये जाते हैं। विभागीय प्रदर्शनों में दिशा निर्देशानुसार पौध संरक्षण रसायन सहकारी समितियों के माध्यम से कृषकों को अनुदान पर उपलब्ध कराये जाते हैं।

(4) किसानों को दिये जाने वाले बीजों की गुणवत्ता का ध्यान विभाग द्वारा रखा जाता है तथा क्षेत्रीय अनुसंधान एवं विस्तार सलाहकार समिति के द्वारा सिफारिश की गई किस्मों तथा भारत सरकार द्वारा अधिसूचित व राज्य के लिये अनुशंसित किस्मों का बीज ही कृषकों को वितरित किया जाता है।

(5) कृषि विभाग में ग्राम सेवकों के पद स्वीकृत न होकर कृषि पर्यवेक्षक के पद स्वीकृत हैं। विभाग के अधीन कृषि पर्यवेक्षक के 2224 रिक्त पदों को सीधी भर्ती से भरने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। चयन प्रक्रिया पूर्ण होने पर आवश्यकता अनुसार प्राथमिकता क्रम में कृषि पर्यवेक्षक के रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही की जायेगी। वर्तमान में एक से दो ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर किसान सेवा केन्द्र होने से नवीन किसान सेवा केन्द्र खोलने का कोई विचार नही है। किसानो को सुविधा विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के अन्तर्गत उपलब्ध करवाई जा रही है।

प्रदेश में कृषि की नवीनतम योजनाओं हेतु अभियान/शिविर का आयोजन

208. श्री हीरालाल नागर (सांगोद) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री हीरालाल नागर)

(1) जनवरी, 2009 से मई, 2014 तक किसानों को कृषि की नवीनतम तकनीकी एवं योजनाओं की जानकारी के लिए कोई अभियान या शिविर लगाए गए थे? यदि हां, तो उक्त अभियान या शिविर कब, कहां एवं कितने दिनों के लिए तथा किस संस्था या एजेंसी द्वारा लगाए गए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना के तहत लगाए गए शिविरों, अभियानों के लिए कितना बजट निर्धारित किया गया था तथा कितना बजट किस-किस संस्था या एजेंसी को दिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या इन शिविरों, अभियानों में किसानों को खाद एवं बीज का वितरण किया गया था? यदि हां, तो किस क्षेत्र में कब व किस प्रकार के खाद एवं बीज का वितरण किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। कृषि विभाग के निर्देशन में कृषि से सम्बद्ध विभागों यथा - उद्यान, पशुपालन, कृषि विपणन, सहकारिता एवं राजस्थान राज्य बीज निगम के द्वारा खरीफ एवं रबी मौसम पूर्व अभियानों के दौरान राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक दिवसीय शिविरों का आयोजन किया गया। आयोजित किये गये शिविरों के समय का वर्षवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है ।

(2) अभियानों के अन्तर्गत लगाए गए शिविरों के लिए जनवरी 2009 से मई, 2014 तक कुल बजट 3789 लाख रुपये का प्रावधान किया गया था। कृषि विभाग, उद्यान, पशुपालन, सहकारिता, कृषि विपणन विभाग एवं कृषि विपणन बोर्ड के वर्षवार बजट का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) जी हां। किसानों को खाद एवं प्रमाणित बीज का विक्रय राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड, जीएसएस व निजी विक्रेताओं द्वारा क्षेत्र के किसानों की मांग अनुसार शिविरों में किया गया था। विभाग द्वारा बीज मिनिकिटों का नि:शुल्क वितरण महिला कृषकों को किया गया। खाद व बीज का विक्रय एवं बीज मिनिकिटों का वितरण का विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है ।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

चौहटन में बी.ए.डी.पी. योजनान्तर्गत निर्मित सड़कें

209. श्री तरुण राय कागा (चौहटन) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि गत वर्ष विधान सभा क्षेत्र चौहटन के गांव बाघनिया (गंगासरा) से मेघवालों की बस्ती व हालोपोंतरों की बस्ती तक बी.ए.डी.पी. योजना के तहत सड़क का निर्माण किया गया था, लेकिन सड़क में घटिया सामग्री के प्रयोग से सड़क चंद दिनों में ही उखड़ गई थी? यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त घटिया निर्माण की ग्रामीणों द्वारा की गई शिकायतों की जांच की गई थी? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त घटिया निर्माण की जांच राजनीतिज्ञों के दवाब में रोक दी गई थी? यदि हां, तो क्या सरकार जांच पुन: प्रारम्भ करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी नहीं। सड़क की प्रारम्भ की 150 मीटर लम्बाई (0/0 से 0/150) में पेचेज पड़ गये थे एवं कि.मी. 2 में 38 मीटर, कि.मी. 3 में 91 मीटर लम्बाई में सड़क ज्यादा ढलान के कारण सीलकोट खराब हो गया था, उक्त सड़क पांच वर्ष की गारण्टी अवधि में होने के कारण संवेदक द्वारा 27.06.2014 को दुरुस्त कर दिया गया था। सड़क की वर्तमान स्थिति संतोषजनक है।

(2) जी हां। सड़क की गुणवत्ता की जांच अधीक्षण अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग गुण नियंत्रण वृत-जोधपुर की अध्यक्षता में गठित तीन सदस्य जांच दल द्वारा दिनांक 20.03.2014 को की गई थी, जिसमें कार्य संतोषजनक पाया गया था। जांच रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(3) जी नहीं। जांच करायी जा चुकी है। अत: पुन: जांच की आवश्यकता नहीं है। जांच रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

जयपुर स्थित राजकीय आवासों में मरम्मत हेतु आबंटित बजट

210. श्री बाबू सिंह (शेरगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि गांधी नगर, सहयोग अपार्टमेन्ट प्रथम एवं द्वितीय, विद्याधरनगर जयपुर में स्थित राजकीय आवासों की मरम्मत से सम्बन्धित कार्यों के लिए एक साथ ही बजट आबंटन का प्रावधान किया हुआ है? यदि हां, तो गत तीन वर्ष में किस-किस कार्य के लिए कितना-कितना बजट आबंटित किया गया? उक्त में से गत तीन वर्ष में वर्षवार किस-किस कार्य पर कितना-कितना व किस-किस स्थान पर व्यय किया गया?

(2) उक्त स्थानों के लिए आबंटित बजट में से व्यय अनुपातिक रूप (आवासों की संख्या के अनुसार) में किया जाता है अथवा अन्य प्रकार से व्यय किया जाता है? इस सम्बन्ध में क्या कोई नियम/प्रक्रिया निर्धारित है? यदि हां तो क्या व नहीं, तो कब तक नियम बना लिये जायेंगे।

(3) उक्त स्थानों पर स्थित राजकीय आवासों में सफेदी डिस्टेम्पर एवं दरवाजों पर रंग करवाने में क्या नियम हैं? यदि नहीं, तो इनमें डिस्टेम्पर/सफेदी/गेटों पर रंग कब-कब करवाये जा सकते हैं?

(4) क्या उक्त राजकीय आवासों में मरम्मत की शिकायत के निवारण के सम्बन्ध में कोई गाइडलाइन बनी हुई है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो अब कब तक बना ली जावेगी? वर्तमान में शिकायत निवारण करने में कम से कम एवं अधिकतम कितना समय लगता है।

(5) क्या यह भी सही हे कि उक्त आवासों में लगे हुये सभी उपकरण ठीक करवाने या नया लगवाने का भी प्रावधान है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या यह सही है कि उक्त आवासों में मरम्मत के कार्य करवाने हेतु निविदायें वर्ष भर की एक साथ निकाली जाती हैं? यदि हां, तो गत तीन वर्ष में किस-किस मद की निविदा का कार्य किस-किस एजेन्सी को किस-किस दर पर दिया गया व कितना-कितना भुगतान कब-कब किया गया ।

(7) क्या यह सही है कि उक्त तीनों स्थानों का बजट एक साथ होने के कारण व्यय करने में असुविधा होती है? यदि हां, तो क्या सरकार गांधीनगर एवं सहयोग अपार्टमेन्ट का पृथक-पृथक बजट आबंटित करने का विचार है? यदि हां, तो कब तक? नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। गांधीनगर सहयोग अपार्टमेन्ट प्रथम व द्वितीय विद्याधर नगर जयपुर स्थित आवासों की मरम्मत/मेन्टीनेन्स से सम्बन्धित कार्यों के लिए एक साथ ही बजट का प्रावधान किया जाता है।

गत तीन वर्षों में आवासों की वार्षिक संधारण मरम्मत हेतु वर्षवार बजट आबंटन, व्यय स्थानवार का विस्तृत विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) उक्त स्थानों के लिए बजट का आबंटन एवं व्यय स्थान विशेष की दिन प्रतिदिन की साधारण मरम्मत की प्रकृति एवं आवश्यकतानुसार किया जाता है। इस सम्बन्ध में कोई नियम या प्रक्रिया निर्धारित नहीं है, अपितु मरम्मत की प्रकृति वरीयता एवं आवश्यकतानुसार व्यय किया जाता है। इस सम्बन्ध में नियमों का बनाया जाना राज्य सरकार की नीतियों पर निर्भर करता है।

(3) राजकीय आवासों से सफेदी डिस्टेम्पर एवं गेटों का रंग साधारणत: तीन वर्षों में आवश्यकतानुसार करवाया जाता है। साथ ही आवास का नये आबंटी द्वारा कब्जा लेते समय आवश्यकता एवं आवासकर्ता की मांग के मध्यनजर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता को देखते हुए रंग सफेदी का कार्य भी सम्पादित करवाया जाता है। सार्वजनिक निर्माण विभाग के मैन्यूल की प्रति परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है।

(4) राजकीय आवासों में मरम्मत मेन्टीनेन्स की शिकायत का निवारण के लिए प्रत्येक सहायक अभियन्ता कार्यालय (चौकी) में शिकायत रजिस्टर रखा गया है, जिसमें आवासकर्ता द्वारा शिकायत दर्ज की जाती है तत्पश्चात् सहायक अभियन्ता द्वारा उपलब्ध संसाधनों एवं शिकायत की वरीयतानुसार समाधान कराया जाता है।

शिकायत समाधान में लगने वाला समय कार्य की प्रकृति वरीयता एवं संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

साधारणत: रिपेयर/टूटफूट/सेनेट्री डिफेक्ट इत्यादि की शिकायत 7 दिवस में दुरुस्त कर दी जाती है।

(5) जी हां। सरकारी आवास में नियमानुसार लगे उपकरण/आइटमों की मरम्मत करवाने एवं मरम्मत योग्य नहीं होने की स्थिति में बदलवाने का प्रावधान है। यह सभी कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार करवाये जा रहे हैं।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(6) जी हां। आवासों में मरम्मत मेन्टीनेन्स के कार्यों को करवाने के लिए आवश्यकतानुसार वार्षिक अनुबन्ध किये जाते हैं तथा कार्य की प्रकृति अनुसार आवश्यकता होने पर पृथक भी टेण्डर लगाये जाते हैं।

गत तीन वर्षों में दी गई निविदाओं की एजेन्सी का नाम व भुगतान का विवरण परिशिष्ट-3 पर प्रस्तुत है।

(7) जी नहीं। बजट एक साथ आबंटन होने से कोई असुविधा नहीं होती। अपितु तीनों स्थानों पर कार्य की प्रकृति एवं वरियता देखते हुए मेन्टीनेन्स कार्य सुविधाजनक रूप से सम्पादित किया जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बूंदी में प्रधानमंत्री सड़क योजना में स्वीकृत सड़कें

211. श्री अशोक डोगरा (बूंदी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रधानमंत्री सड़क योजना में बूंदी विधान सभा क्षेत्र में बरूंधन से बैरवा बस्ती तक तथा तीरथ से छोटी तीरथ तक सड़क की स्वीकृति कब जारी की गई थी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त सड़कों की लम्बाई व स्वीकृत राशि कितनी-कितनी थी?

(3) सरकार द्वारा उक्त सड़कों का निर्माण कब तक पूर्ण करा दिया जावेगा?

उत्तर

(1) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में बूंदी विधान सभा क्षेत्र में बरुंधन से बैरवा बस्ती नाम से सड़क की स्वीकृति नहीं हुई है। बरुंधन गांव के पीछे नदी के पार बैरवा की झोंपड़ियां (532) बसावट है, जिसे नमाना रोड कि.मी. 4/500 से डामर सड़क से जोड़ा जाना प्रस्तावित है। तीरथ से छोटी तीरथ (608) बसावट को भी तीरथ गांव से डामर सड़क से जोड़ा जाना प्रस्तावित है। उक्त दोनों सड़कों की स्वीकृति उप सचिव (पथ), सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्रांक एस.ई./पी.एम.जी.एस.वाई. (ए. एण्ड एफ.एस.) पार्ट-4/2009/डी-3045 दिनांक 19.06.2012 से प्राप्त हुई थी। स्वीकृति की प्रति परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(2) नमाना कि.मी. 4/500 से बैरवा की झोपड़ियां (532) की लम्बाई 3.20 कि.मी. है एवं स्वीकृत राशि रुपये 101.01 लाख की है एवं तीरथ से छोटी तीरथ (608) की लम्बाई 1.50 कि.मी. है एवं स्वीकृत राशि रुपये 50.92 लाख की है।

(3) उक्त सड़कों के निर्माण के पैकेज संख्या आर.जे.-09-डब्ल्यू.-बी.-20 में सम्मिलित कर निविदा सूचना संख्या 54/पी.एम.जी.एस.वाई./2014-15 से आमंत्रित की गई थी। जो दिनांक 07.07.2014 को प्राप्त की गई है। निविदा स्वीकृति पश्चात् कार्य प्रारम्भ करवाया जाकर निर्धारित समयावधि 8 माह में पूर्ण कराया जाना प्रस्तावित है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

बारां की सड़कों का सुदृढ़ीकरण

212. श्री ललित कुमार (किशनगंज) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 में बारां जिले में सड़कों का सुदृढ़ीकरण एवं नया निर्माण किया जाना प्रस्तावित है? यदि हां, तो कितनी लम्बाई की कौन-कौन सी सड़कें? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार बारां जिले की सड़कों की चौड़ाई बढ़ाने का एवं नवीनीकरण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कौन-कौन सी सड़कों का? विधान सभा क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बजट घोषणा वर्ष 2014-15 के अनुसार प्रदेश में सड़कों का सुदृढ़ीकरण आउटपुट एण्ड परफारेमेन्स बेस्ड रोड कान्ट्रेक्ट (ओ.पी.आर.सी.) पद्धति के अनुसार किया जाना प्रस्तावित है। बारां जिले में भी उक्तानुसार कार्य कराये जावेंगे।

बारां जिले में नवीन सड़कों के निर्माण राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

(2) बारां जिले में सड़कों का चौड़ाईकरण का कार्य यातायात गणना, राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

बारां जिले में सड़कों के नवीनीकरण का कार्य आउटपुट एण्ड परफारेमेन्स बेस्ड रोड कान्ट्रेक्ट (ओ.पी.आर.सी.) पद्धति के अनुसार कराया जाना प्रस्तावित है।

श्रीमाधोपुर (सीकर) में प्रधानमंत्री सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत सड़कें

213. श्री झाबर सिंह खर्रा (श्रीमाधोपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गत तीन वर्षों में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा प्रदेश में कब-कब क्या-क्या प्रस्ताव मांगे गये? मांगे गये प्रस्तावों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र श्रीमाधोपुर (सीकर) की किन-किन सड़कों के प्रस्ताव पंचायत समिति द्वारा पारित करने के उपरान्त जिला परिषद द्वारा स्वीकृत किये गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) विधान सभा क्षेत्र श्रीमाधोपुर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत कौन-कौन सी सड़कें गत 5 वर्षों में स्वीकृत की गईं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त सड़कों के लिये कब-कब निविदा जारी की गई? निविदा की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त कार्य कितनी अवधि में पूर्ण किया जाना था तथा कब पूर्ण किया गया? क्या यह सही है कि निश्चित समयावधि में उक्त कार्य नहीं किया गया? यदि हां, तो समय पर कार्य पूर्ण नहीं करने में कौन दोषी हैं व उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जो केन्द्र सरकार द्वारा 25 दिसम्बर, 2000 से शुरू की गई थी, के तहत सामान्य क्षेत्र में 500 व इससे अधिक आबादी एवं जनजाति क्षेत्र व मरूस्थल क्षेत्र में 250 व इससे अधिक आबादी की बसावटों को डामर सड़क से जोड़ने का प्रावधान रखा गया था। चूंकि वर्ष 2000 में बसावटों की आबादी की सूचना उपलब्ध नहीं थी। अत: राजस्व गांवों को बसावट मानते हुए प्रस्ताव तैयार कर स्वीकृत करवाये गये

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

एवं फेज-प्रथम से फेज-नवम् तक राजस्व गांवों के प्रस्ताव तैयार कर स्वीकृत किये जा चुके हैं। इसके पश्चात् पेयजल आपूर्ति विभाग की सर्वे 2003 के अनुसार बसावटों के प्रस्ताव तैयार कर स्वीकृत कराये गये। वर्तमान में सामान्य क्षेत्र में 500 व इससे अधिक आबादी की बसावटों के सभी प्रस्ताव स्वीकृत किये जा चुके हैं तथा जनजाति एवं मरूस्थल क्षेत्र में 350-499 के आंशिक प्रस्ताव तैयार कर स्वीकृत किये जा चुके हैं एवं 350-499 (शेष प्रस्ताव) व 250-299 के प्रस्तावों के तकमीने तैयार किये जाकर स्वीकृति हेतु भारत सरकार को भेजे जायेंगे। इस प्रकार प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत गत तीन वर्षों में मांगे गये/स्वीकृत प्रस्तावों की प्रति परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) पंचायत समिति द्वारा पारित करने के उपरान्त जिला परिषद द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव का विवरण परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है।

(3) विधान सभा क्षेत्र श्रीमाधोपुर के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में गत 5 वर्षों में स्वीकृत की गई सड़कों का विवरण परिशिष्ट-3 पर प्रस्तुत है।

(4) उक्त सड़कों के लिये जारी की गई निविदाओं का विवरण परिशिष्ट-3 पर प्रस्तुत है।

(5) उक्त कार्य के पूर्ण करने की अवधि परिशिष्ट-3 पर प्रस्तुत है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में नदियों को जोड़ने की प्रस्तावित योजना

214. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार ने नदियों को आपस में जोड़ने का कोई निर्णय लिया है? यदि हां, तो कौन सी नदियों को आपस में जोड़ा जायेगा एवं कब तक? मार्ग सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। ब्राह्मणी नदी को बनास नदी से जोड़ने का निर्णय लिया गया है।

जिला चित्तौड़गढ़ की तहसील बेगूं में ब्राह्मणी नदी पर बांध निर्माण

(जल संसाधन मंत्री)

कर बीसलपुर बांध में पानी अपवर्तन के कार्य हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करवाई जायेगी, जिसे स्वीकृति उपरान्त संसाधन उपलब्धतानुसार करवाया जाना प्रस्तावित है।

धौलपुर-भरतपुर हेतु चम्बल लिफ्ट योजना से पेयजल आपूर्ति

215. श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि धौलपुर से भरतपुर के लिये चम्बल लिफ्ट योजना के अन्तर्गत पेयजल हेतु वाया सैपऊ से जो पाइप लाइन डाली गई है, उस पाइप लाइन में से सैपऊ क्षेत्र के 44 ग्रामों को पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु पाइप लाइन डाली जानी थी? इसके लिये निविदायें आमंत्रित कर वर्क आर्डर भी दे दिये गये थे लेकिन सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा अभी तक कार्य प्रारम्भ नहीं करने के क्या कारण हैं? सरकार इस कार्य को अब कब तक प्रारम्भ कराने का विचार रखती है?

उत्तर

जी हां। चम्बल-धौलपुर-भरतपुर पेयजल परियोजना के अन्तर्गत धौलपुर से भरतपुर के लिये जाने वाली मुख्य ट्रांसमिशन लाइन के सैपऊ आफ-टेक से, सैपऊ क्षेत्र के 44 ग्रामों को पेयजल उपलब्ध कराने के कार्य हेतु मैसर्स श्री राम ई.पी.सी. लिमिटेड, चेन्नई को एकल बिन्दु दायित्व के आधार पर 10 वर्ष के संचालन एवं संधारण सहित दिनांक 17.07.2013 को राशि रुपये 34.65 करोड़ का कार्यादेश जारी किया गया था ।

फर्म द्वारा सैपऊ हैडवर्क्स पर रा-वाटर रिजरवायर एवं बाउण्ड्री वाल का निर्माण कार्य प्रगति पर है । कार्य धीमी गति से करने के कारण विभाग द्वारा अनुबंध के प्रावधान क्लाज-2 (देरी के लिये क्षतिपूर्ति) के तहत दिनांक 29 अप्रैल, 2014 व 10 जून, 2014 को तथा क्लाज-3 के तहत दिनांक 4 जुलाई, 2014 को फर्म को 'कारण बताओ नोटिस' जारी किया गया है । इसके उपरांत भी यदि कार्य की गति नहीं बढ़ाई जाती है तो फर्म के विरुद्ध अंतिम रूप से नियमानुसार कार्यवाही करते हुए फर्म की रिस्क एण्ड कोस्ट पर उक्त कार्य को रिसाइण्ड करने की कार्यवाही की जावेगी ।

प्रतापगढ़ जिले के ग्राम वडली खेड़ा में तालाब निर्माण हेतु सर्वे

216. श्री नवनीत लाल (घाटोल) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला प्रतापगढ़ की पंचायत समिति पीपलखूंट की ग्राम पंचायत परलीपुरा में बेबवाला नाला से वर्षा का पानी बह कर माही डेम तक आता है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त बेबवाला नाला पर तालाब बांध कर रबी की फसल में किसानों के खेतों में पानी देने योग्य बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो इस स्थान का सर्वे कराने की क्या योजना है?

(2) क्या यह सही है कि पंचायत परतीपुरा के गांव बडलीखेड़ा में वेवनाला पर तालाब निर्माण कर गांव परतीपुरा खडीयावाणी खरवाडा बडलीखेडा नेगटीया पाडा व माडली तक किसानों के खेतों में पानी वितरण होकर किसानों को लाभ दिलाने की सरकार की कोई योजना है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखे ।

(3) क्या यह सही है कि वडलीखेड़ा तालाब निर्माण हेतु जल संसाधन विभाग द्वारा सर्वे किया जा चुका है? यदि हां, तो सर्वे होने के बाद भी बडलीखेड़ा का निर्माण स्थगित रखने का क्या कारण है? विवरण सदन की मेज पर रखे।

उत्तर

(1) जी हां। जिला प्रतापगढ़ की पंचायत समिति पीपलखूंट की ग्राम पंचायत परथीपुरा में देवनाला स्थित है। देवनाला निर्मित माही बजाज सागर परियोजना के जलग्रहण क्षेत्र का भाग होने से तालाब बांध कर रबी फसल में किसानों के खेतों में पानी देने योग्य बनाना विचाराधीन नहीं है।

(2) जी नहीं। ग्राम पंचायत परथीपुरा के गांव बडलीखेड़ा में देवनाला, निर्मित माही बजाज सागर परियोजना के जलग्रहण क्षेत्र का भाग होने से तालाब निर्माण विचाराधीन नहीं है।

(3) जी नहीं। वडलीखेड़ा तालाब का क्षेत्र, निर्मित माही बजाज सागर परियोजना के जलग्रहण क्षेत्र का भाग होने से कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

गरडदा बांध (बूंदी) के पुनर्निर्माण हेतु आबंटित राशि

217. श्री अशोक डोगरा (बूंदी) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) बूंदी के गरडदा बांध के टूटने के बाद इसके पुन: निर्माण के लिये कितनी राशि की जरूरत थी, और इसके विपरीत कितनी राशि का बजट स्वीकृत किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) गरडदा बांध के पुन: निर्माण के लिये स्वीकृत राशि में इसकी क्षतिग्रस्त हुई नहरों के लिये प्रावधान किया गया है अथवा नहीं?

(3) सरकार द्वारा गरडदा बांध व इसकी नहरों के पुन: निर्माण का कार्य कब तक पूर्ण करा लिया जावेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बूंदी जिले के गरडदा बांध के टूटने के बाद इसके पुन:निर्माण एवं शेष बांध के सुरक्षात्मक उपायों हेतु राशि रुपये 5545.45 लाख की, तकनीकी स्वीकृति अनुसार जरूरत थी। इस राशि में क्षतिग्रस्त बांध के पुन: निर्माण हेतु राशि रुपये 1756.94 लाख व बांध के शेष हिस्से के रेमेडियल मेजर्स हेतु राशि रुपये 3788.51 लाख का प्रावधान है। इस वित्तीय वर्ष 2014-2015 में 201.54 लाख का बजट आबंटन किया गया है।

(2) गरडदा मध्यम सिंचाई परियोजना के स्वीकृत संशोधित तखमीने में इसकी नहरों की मरम्मत हेतु राशि रुपये 25.00 लाख प्रावधान किया गया है।

(3) गरडदा बांध का पुन: निर्माण कार्य एवं इसकी नहरों का कार्य माह जून, 2017 तक संसाधन उपलब्धतानुसार पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

बहरोड़ की ढाणियों में सिंगल फेज घरेलू कनेक्शन

218. डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गत पांच वर्षों में विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में राजस्व रिकार्ड के आधार पर चिन्हित कितनी ढाणियों को सिंगल फेज घरेलू विद्युत कनेक्शन दिये गये एवं कितनी ढाणियों को कनेक्शन दिया जाना शेष है? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में कृषि भूमि पर स्थित 200 या उससे ऊपर की आबादी वाली ढाणियों को सिंगल फेज विद्युत कनेक्शन देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) गत पांच वर्षों में विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में राजस्व रिकार्ड के आधार पर चिन्हित 40 ढाणियां जो कि बहरोड़ उपखण्ड में स्थित हैं एवं 3 ढाणियां जो कि मांडन उपखण्ड में स्थित हैं, में घरेलू विद्युत कनेक्शन जारी किये गये हैं। वर्तमान में मांडन उपखण्ड में 1 ढाणी में कनेक्शन दिया जाना शेष है।

(2) जी हां। राज्य में 100 से अधिक आबादी वाली अविद्युतिकृत ढाणियों के लिए राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना बनाई गई है। उक्त योजना के तहत 27 जिलों की 28 योजनाऐं स्वीकृत हो चुकी हैं। 5 जिलों की 5 योजनाएं (जयपुर, जोधपुर, हनुमानगढ़, बांसवाडा एवं उदयपुर) बनाकर ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को भिजवाने की कार्यवाही की जा रही है। शेष एक जिले बाड़मेर की योजना बनाने का कार्य प्रगति पर है। स्वीकृत योजनाओं की निविदाऐं पर्याप्त संख्या में प्राप्त होने पर कार्यादेश जारी करने की प्रक्रिया की जावेगी। 100 से कम आबादी वाली ढाणियों के विद्युतीकरण हेतु ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को प्रस्ताव भिजवाना विचाराधीन है।

किशनगढ़ बास में 33/11 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन

219. श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गत पांच वर्षों में विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास में 33/11 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन कहां-कहां स्वीकृत किये गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि स्वीकृत 33/11 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन बघाना, पुर, देवता, कतोपुर, रातां खुर्द में निर्माण कार्य पूर्ण कर चालू नहीं किये गये हैं? यदि हां, तो उक्त कार्य में देरी के लिये कौन-कौन अधिकारी दोषी है और अब कब तक निर्माण पूर्ण कर सुचारू रूप से प्रारम्भ कर दिया जावेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री रामहेत सिंह यादव)

(3) क्या सरकार खैरथल व हरसौली में 132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास में गत पांच वर्षो में स्वीकृत 33/11 केवी सब स्टेशनों का विवरण निम्नानुसार है:-

1. माहूंद, 2. बोलनी, 3. बाघोडा, 4. बहादरपुर, 5. मरहमपुर, 6. देवता, 7. कोलगांव, 8. किथूर, 9. जहारखेडा, 10. नांगलझिडा, 11. नांगल सालिया, 12. धीरधोका, 13. डिंगली, 14. जटियाना, 15. सालखर, 16. पुर, 17. कतोपुर, 18. राताखुर्द, 19. रीको खैरथल एवं 20. भगाना।

(2) उपरोक्त स्वीकृत सब-स्टेशनों में से पुर, देवता, कतोपुर एवं रातां खुर्द सब स्टेशनों के निर्माण का कार्य प्रगति पर है, जिन्हें निर्माण का कार्य पूर्ण होते ही चालू कर दिया जायेगा एवं भगाना सब-स्टेशन की जमीन अभी आबंटित नहीं हुई है।

उक्त सब-स्टेशनों का निर्माण कार्य निर्धारित प्रक्रिया के द्वारा किया जा रहा है। अत: कोई अधिकारी दोषी नहीं है।

(3) खैरथल व हरसौली में 132 केवी ग्रिड सब-स्टेशन बनाने के प्रस्ताव का तकनीकी व आर्थिक परीक्षण किया जा रहा है तथा इसके राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप तकनीकी आर्थिक परीक्षण में साध्य पाये जाने पर तथा संसाधनों की उपलब्धता एवं विभिन्न योजनाओं की प्राथमिकता के आधार पर आगे की कार्यवाही की जायेगी।

प्रदेश की मुख्य आबादी से सटी कृषि भूमि हेतु विद्युत कनेक्शन

220. श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश में मुख्य आबादी से सटी हुई कृषि भूमि के निवासियों को घरेलू विद्युत कनेक्शन पर रोक लगाई गई है?

(2) क्या सरकार उक्त विद्युत कनेक्शन पर लगी रोक को हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र झुंझुनूं के कृषकों ने घरेलू

(श्री बृजेन्द्र सिंह ओला)

विद्युत कनेक्शन हेतु आवेदन कर रखा है? यदि हां, तो उपखण्डवार आवेदकों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार गैर मुमकिन आबादी व खातेदारी भूमियों पर बसी ढाणियों पर घरेलू विद्युत कनेक्शन के लिए लगाई गई रोक हटाकर कनेक्शन देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(5) क्या सरकार समूह के अतिरिक्त एकल ढाणियों को भी घरेलू विद्युत कनेक्शन देने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस प्रकार एवं कब तक व नहीं, तो क्यों?

(6) क्या सरकार घरेलू उपभोक्ताओं को 24 घण्टे व किसानों को कृषि कार्य हेतु 8 घण्टे बिजली देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) उपरोक्तानुसार।

(3) विधान सभा क्षेत्र झुंझुनूं के कृषकों द्वारा घरेलू विद्युत कनेक्शन हेतु प्राप्त आवेदनों का उपखण्डवार विवरण प्रपत्र 'अ' पर उपलब्ध है।

(4) सरकार द्वारा गैर मुमकिन आबादी व खातेदारी भूमियों पर बसी ढाणियों में घरेलू विद्युत कनेक्शन देने पर कोई रोक नहीं लगाई हुई है। प्रचलित नियमानुसार घरेलू विद्युत कनेक्शन जारी किये जा रहे हैं। यह एक सतत् प्रक्रिया है।

(5) गैर आबादी क्षेत्र में पूर्व में स्थापित ट्रांसफार्मर से 500 मीटर की परिधि में अधिक से अधिक 5 घरेलू विद्युत कनेक्शन दिये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त "स्व-वित्त पोषित योजना" के तहत कनेक्शन जारी किये जा रहे हैं।

(6) जी हां। ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं को 24 घंटे सिंगल फेज एवं किसानों को 8 घंटे थ्री फेज बिजली उपलब्ध करवाने हेतु विद्युत तंत्र के सुदृढ़ीकरण के कार्य करवाये जा रहे हैं एवं विद्युत उत्पादन क्षमता को भी बढ़ाया जा रहा है।

वर्तमान में सामान्यत ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू उपभोक्ताओं को 20-22 घण्टे विद्युत उपलब्ध कराई जा रही है एवं कृषि कार्य हेतु साप्ताहिक दिन-रात

(ऊर्जा मंत्री)

के ब्लाकों में विद्युत सप्लाई की जाती है, जिसमें रात्रि के ब्लाक में सात घण्टे व दिन के ब्लाक में साढ़े छह घण्टे विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

प्रपत्र-अ

अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर

विधान सभा क्षेत्र झुंझुनूं में मुख्यमंत्री सबके लिए विद्युत योजना के तहत घरेलू कनेक्शन हेतु लम्बित आवेदनों का उपखण्डवार विवरण-

अ. प्रथम चरण में 675 आवेदकों के मांग पत्र जमा है जिनके कनेक्शन जारी किये जा रहे हैं :-

उपखण्ड	प्रथम चरण
(ग्रा.) झुंझुनूं	350
(वि.) बगड़	55
(वि.) सुलताना	190
(वि) चनाना	80
योग	**675**

ब. द्वितीय चरण में 3520 आवेदनआवेदन जमा हैं जिनके मांग पत्र जारी नहीं किये हैं :-

उपखण्ड	द्वितीय चरण
(ग्रा.) झुंझुनूं	1155
(वि.) बगड़	495
(वि.) सुलताना	950
(वि) चनाना	920
योग	**3520**

अधीक्षण अभियन्ता (योजना)

फलौदी के लम्बित 33/11 ग्रिड सब-स्टेशन

221. श्री पब्बाराम (फलौदी) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र फलौदी में वित्तीय वर्ष 2013-14 में 33/11 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन कहां-कहां स्वीकृत किये गये हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्वीकृत ग्रिड सब-स्टेशन में से कितनों का कार्य पूर्ण हो चुका है एवं कितने किन कारणों से लम्बित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त ग्रिड सब-स्टेशन को शीघ्र पूर्ण कर प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नही, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र फलौदी में वित्तीय वर्ष 2013-14 में 33/11 केवी के निम्नलिखित ग्यारह सब स्टेशन स्वीकृत हुए हैंः- भोपाजी की ढाणी, बामनू, ददीसरा, जगारिया, चतरीडीनाडी, जडगासर, सोनलपुरा नेवा, मोडकिया, कानासी, जेतरी एवं बारू।

(2) उक्त स्वीकृत सब-स्टेशनों में से जडगासर का कार्य प्रगति पर है। शेष स्वीकृत सब-स्टेशनों के लिए भूमि आबंटन नहीं होने के कारण कार्य लम्बित है।

(3) उक्त शेष स्वीकृत सब-स्टेशनों के लिए भूमि आबंटन होने के बाद उपलब्ध संसाधनों, वित्तीय प्रबन्ध एवं प्राथमिकतानुसार कार्य शीघ्र पूर्ण कर चालू किया जा सकेगा।

प्रदेश में विद्युत हादसों के पीड़ितों को मुआवजा

222. श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गत दस वर्षों में प्रदेश में विद्युत हादसों में कितने लोगों की मृत्यु हुई है? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त मृतकों/आश्रितों या परिजनों को देय मुआवजे के क्या प्रावधान हैं तथा अब तक कितनी राशि मुआवजे के रूप में दी गई तथा किन-किन की राशि बकाया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त प्रकार के हादसों की रोकथाम के लिए तथा मानवाधिकार

(श्री हनुमान बेनीवाल)

कानूनों के मद्देनजर सरकार की क्या कार्य योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) दस वर्षों में प्रदेश में विद्युत हादसों में राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम को छोड़कर मृतक व्यक्तियों का वर्षवार व निगमवार विवरण प्रपत्र- 'अ-1 से अ-4' पर उपलब्ध है।

राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम में गत दस वर्षों में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई।

(2) विद्युत निगम के किसी कर्मचारी की कार्य के दौरान विद्युत दुर्घटना में मृत्यु होने पर कर्मचारी क्षतिपूर्ति/कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम (जो भी लागू हो) के प्रावधानों के अन्तर्गत मुआवजा राशि देय होती है। विद्युत निगमों की समन्वय समिति द्वारा दिनांक 15.02.13 से लागू की गई विशेष क्षतिपूर्ति योजना के अन्तर्गत विद्युत दुर्घटना में मृत्यु होने पर कर्मचारी के आश्रितों को 10.00 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति राशि दी जाती है, जो उक्त अधिनियमों के अन्तर्गत देय मुआवजा राशि के अतिरिक्त है।

निगम की विद्युत लाइन टूटने अथवा विद्युत लाइन या ट्रांसफार्मर/पोल/स्टे वायर आदि में करंट आने से आमजन की मृत्यु होने पर रु. 5 लाख की मुआवजा राशि दिये जाने का प्रावधान है, परन्तु विद्युत चोरी के प्रयास अथवा उपभोक्ता या आमजन की स्वयं की लापरवाही से घटित होने वाली विद्युत दुर्घटनाओं में मुआवजा देय नहीं है।

विगत दस वर्षों में विद्युत दुर्घटनाओं में मृत्यु होने पर मृतक कर्मचारियों/आमजन के आश्रितों को निगमवार दी गई मुआवजा राशि का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	**निगम का नाम**	**मुआवज राशि (राशि रुपये में)**
1	रा.रा.वि. प्रसारण निगम	1,39,87,366
2	रा.रा.वि. उत्पादन निगम	4,76,716
3	जयपुर विद्युत वितरण निगम	13,85,68,739
4	अजमेर विद्युत वितरण निगम	12,43,56,574
5	जोधपुर विद्युत वितरण निगम	14.09 करोड़ रुपये

(ऊर्जा मंत्री)

मृत व्यक्तियों के आश्रितों द्वारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एफआईआर आदि दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाने अथवा निगम स्तर पर जांच लम्बित रहने के कारण जिन प्रकरणों में अभी तक मुआवजा राशि तय नहीं की जा सकी है, ऐसे लम्बित प्रकरणों का निगमवार विवरण प्रपत्र 'ब-1' से 'ब-3' तक उपलब्ध है। राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम में मुआवजा राशि देने के लिए कोई प्रकरण लम्बित नहीं है। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम में विद्युत दुर्घटना में हुई मृत्यु की क्षतिपूर्ति के अन्तर्गत मुआवजा राशि 4,76,716 रुपये श्रम न्यायालय में दिनांक 08.3.2013 को जमा करवा दी गई है।

(3) विद्युत दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से निगम द्वारा विशेष योजना बनाकर विद्युत तंत्र सुधार के कार्य आरम्भ किये गये हैं। जिनमें ढीले तारों को कसना, टेढ़े हो गये खम्भों को सीधा करना एवं स्थापित विद्युत लाइनों के तारों को उंचा करने हेतु लाइन के बीच-बीच में अतिरिक्त खम्भे लगाना आदि कार्य प्रमुख है।

इसके अतिरिक्त कर्मचारियों को आवश्यक संख्या एवं अच्छी गुणवत्ता के सुरक्षा उपकरण प्रदान किये जा रहे हैं तथा उनको कार्य स्थल पर ही व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। साथ ही विद्युत उपभोक्ताओं व आमजन को भी विद्युत लाइनों/उपकरणों से दूरी बनाये रखने एवं अवैध रूप से छेड़छाड़ एवं स्वयं के स्तर पर ठीक करने के प्रयास न करने के बारे में भी व्यापक प्रचार-प्रसार के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अंता व फागी में 765 के.वी.जी.एस.एस. की जारी निविदा

223. श्री शत्रुघ्न गौतम (केकड़ी) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा 765 के. वी. के दो ग्रिड सब स्टेशन का निर्माण अंता ओर फागी में करवाया गया था? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि इनका निर्माण करने हेतु किसी तरह की कोई निविदा या सूचनाएं नहीं दी गई थीं? यदि हां, तो किस-किस ने टेण्डर प्रस्तुत किये और कार्य को सम्पूर्ण करने की सूचना दी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री शत्रुघ्न गौतम)

(3) क्या यह भी सही है कि के. एम. सी. और एल. एन. टी. को इन कार्यों के निष्पादन में वी. एस. आर. से 40 प्रतिशत की अधिक दर से स्वीकृति जारी की गई? यदि हां, तो इसके क्या कारण रहे?

(4) क्या निविदा देने की प्रक्रिया में पक्षपात करने की शिकायतें प्राप्त हुई थीं? यदि हां, तो क्या और उनका निष्पादन कैसे किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) छबड़ा, कालीसिंध एवं कवई विद्युत उत्पादन केन्द्रों से उत्पादित ऊर्जा के निष्पादन हेतु विभाग द्वारा अन्ता (जिला बारां) एवं फागी (जिला जयपुर) में 765 केवी ग्रिड सब-स्टेशनों का निर्माण करवाया जा रहा है।

(2) जी नहीं। 765 केवी ग्रिड सब-स्टेशन के निर्माण हेतु प्रदेश व देश के मुख्य समाचार पत्रों में दिनांक 18.12.2009 को निविदाएं प्रकाशित की गई थीं। निम्न फर्मों ने टेण्डर प्रस्तुत किये थे :-

<u>टी.एन.-1 (फागी)</u>

1. मैसर्स अरेवा
2. मैसर्स एल. एण्ड टी. (in JV with CGL)
3. मैसर्स ए.बी.बी.
4. मैसर्स सीमन्स

उपरोक्त निविदाओं के तकनीकी तथा कामर्शियल विश्लेषण के बाद मैसर्स सीमन्स की निविदा पूर्ण न होने के कारण निरस्त की गई तथा बाकी सभी 3 निविदाकर्ताओं की निविदाएं मूल्य आंकलन हेतु खोली गई।

<u>टी.एन.-2 (अन्ता)</u>

1. मैसर्स अरेवा
2. मैसर्स क्राम्पटन
3. मैसर्स ए.बी.बी.
4. मैसर्स सीमन्स

उपरोक्त निविदाओं के तकनीकी तथा कामर्शियल विश्लेषण के बाद सभी 4 निविदाकर्ताओं की निविदाएं मूल्य आंकलन हेतु खोली गई।

(ऊर्जा मंत्री)

(3) जी नहीं। राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम में इन कार्यों के लिए किसी प्रकार के बी.एस.आर. का प्रावधान नहीं है। निविदा के समय फागी ग्रिड सब-स्टेशन की अनुमानित लागत 779 करोड़ रुपये एवं अन्ता ग्रिड सब स्टेशन की अनुमानित लागत 575 करोड़ रुपये आंकी गई थी जिसके सापेक्ष प्रतिस्पर्धात्मक निविदा के पश्चात फागी ग्रिड सब-स्टेशन का कार्यादेश 463 करोड रु. एवं अन्ता ग्रिड सब-स्टेशन का कार्यादेश 386 करोड़ रुपये पर जारी किया गया है जो अनुमानित लागत से क्रमश: 41 प्रतिशत एवं 33 प्रतिशत कम दर पर है।

(4) निविदा के सम्बन्ध में मुख्यमंत्री कार्यालय के माध्यम से शिकायतें प्राप्त हुईं जिनकी वस्तुस्थिति से प्रमुख शासन सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय को पत्र दिनांक 28.08.2012 से अवगत कराया जा चुका है। प्रति परिशिष्ट-'अ' पर उपलब्ध है।

उक्त कार्यादेश विधि पूर्वक निविदा जारी कर एवं नियमानुसार आंकलन के पश्चात जारी किये गये हैं।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

केशोरायपाटन की ढाणियों का विद्युतीकरण

224. श्री बाबूलाल वर्मा (केशोरायपाटन) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन में कितने गांव व ढाणियां सरकार द्वारा विद्युत कनेक्शन देने के लिए स्वीकृत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से कितने गांवों एवं ढ़ाणियों में विद्युत कनेक्शन अभी तक स्वीकृत नहीं किए गये? उन प्रार्थना पत्रों की लम्बित वरीयता की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) केशोरायपाटन विधान सभा क्षेत्र में 100 से अधिक आबादी वाले गांवों व ढाणियों के विद्युतीकरण के लिए राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में 12 अविद्युतीकृत ग्रामों, 23 अविद्युतीकृत ढाणियों का विद्युतीकरण एवं 276 विद्युतीकृत गांवों एवं 63 विद्युतीकृत ढाणियों का सघन विद्युतीकरण किया जाकर घरेलू कनेक्शन देना प्रस्तावित है, जिनका विवरण प्रपत्र 'अ' पर उपलब्ध है।

(ऊर्जा मंत्री)

इसमें 691 बीपीएल परिवारों एवं 6462 सामान्य परिवारों को घरेलू विद्युत कनेक्शन दिया जाना सम्भावित है।

(2) वर्तमान में उपरोक्त स्वीकृत योजना में कोई भी घरेलू कनेक्शन स्वीकृत नहीं किया गया है। उपरोक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु निविदा जारी कर दी गई है। निविदा खुलने की दिनांक 30 जुलाई, 2014 से दिनांक 1 अगस्त, 2014 रखी गई है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश की विद्युत उत्पादन क्षमता

225. **डा. राजकुमार शर्मा** (नवलगढ़) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में वर्तमान में विद्युत की मांग व खपत कितनी है? 01 जनवरी, 2014 से माहवार व जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में विभिन्न स्रोतों से वर्तमान में कितनी विद्युत का उत्पादन हो रहा है? इकाईवार व स्रोतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितनी व कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) वर्तमान में विद्युत तंत्र में टी.एण्ड डी. लासेज कितना है? डिस्कामवार विवरण सदन की मेज पर रखें। सरकार इस टी.एण्ड डी. हानि को रोकने के क्या-क्या उपाय कर रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) वर्तमान में प्रदेश की विद्युत कम्पनियों पर कितना कर्जभार है? सरकार इस कर्जभार को कम करने हेतु क्या उपाय कर रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में दिनांक 1 जनवरी, 2014 से बिजली की मांग व खपत का माहवार विवरण प्रपत्र-'अ' पर उपलब्ध है।

(2) राज्य में स्थित विभिन्न स्रोतों से वर्तमान में उत्पादन 1337.95 लाख यूनिट प्रतिदिन है, जिसका स्रोतोंवार, इकाईवार विवरण प्रपत्र 'ब' पर उपलब्ध है।

(3) जी हां। वर्तमान में राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम द्वारा

(ऊर्जा मंत्री)

राज्य क्षेत्र में स्वीकृत 3650 मेगावाट की परियोजनाओं के निर्माण कार्यों की प्रगति का विवरण प्रपत्र-'स' पर उपलब्ध है। राज्य क्षेत्र में 2640 मेगावाट की परियोजनाओं के लिए प्रारम्भिक कार्यवाही शुरू की जा चुकी है। जिनका विवरण प्रपत्र-'द' पर उपलब्ध है।

(4) तीनों विद्युत वितरण निगमों के वर्ष 2012-13 में T&D Losses का विवरण निम्नालिखित है:-

डिस्काम का नाम	T&D Losses
जयपुर डिस्काम	23.64 प्रतिशत
अजमेर डिस्काम	25.11 प्रतिशत
जोधपुर डिस्काम	22.75 प्रतिशत

छीजत को कम करने हेतु किये गये कुछ महत्वपूर्ण प्रयास निम्न प्रकार हैं:-

1. कृषि कार्य के लिए छोटे विद्युत ट्रांसफार्मरों की स्थापना।
2. एल.टी. लाइन में ए.वी. केबल का उपयोग।
3. ग्रामीण घरेलू कनेक्शनों के लिए आरमर्ड केबल डालना।
4. पुशफिट मीटरों की स्थापना कर ऊर्जा खपत का सही आंकलन करना।
5. भार केन्द्र पर ट्रांसफार्मरों की स्थापना।
6. ग्रामीण फीडरों को शहरी फीडर से अलग करना।
7. विद्युत चोरी पर प्रभावी कार्यवाही।
8. विद्युत तंत्र का समय सीमा में कुशलता पूर्वक विस्तार।

(5) राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम पर वर्तमान में कर्जभार का विवरण प्रपत्र-'य' पर उपलब्ध है। उक्त निगम पर कोई अतिरिक्त ऋण भार नहीं है।

राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम पर दिनांक 31.03.2014 को विभिन्न वित्तीय संस्थाओं/बैंकों का कर्जभार रु. 8024.44 करोड़ (दीर्घकालीन रु. 7999.44 करोड़ एवं अल्पकालीन ऋण रु. 25.00 करोड़) है। उक्त कर्जभार

(ऊर्जा मंत्री)

को कम करने हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रसारण निगम की विभिन्न परियोजनाओं में अपनी हिस्सा पूंजी 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत करना प्रस्तावित है, जिससे प्रसारण निगम का कर्जभार कम किया जा सकता है।

राज्य के विद्युत वितरण निगमों का माह जून, 2014 तक (प्रोविजनल) कर्जभार निम्नानुसार है:-

डिस्काम का नाम	अल्पकालीन ऋण राशि	दीर्घकालीन ऋण राशि
जयपुर डिस्काम	18416.12	6568.86
अजमेर डिस्काम	20246.79	4947.18
जोधपुर डिस्काम	18521.95	5208.74
कुल	**57184.86**	**16724.78**

कर्जभार को कम करने हेतु भारत सरकार की वित्तीय पुर्नसंरचना योजना दिनांक 5 अक्टूबर, 2012 के तहत दिनांक 31.03.12 को निगम की बकाया लघु अवधि ऋणों की 50 प्रतिशत राशि को बैंकों द्वारा आगामी 10 वर्षो के लिए पुनर्गठित कर दिया गया है, जिसके अनुसार उक्त ऋणों का भुगतान दिनांक 1 अप्रैल, 2015 से सात समान किश्तों में प्रतिवर्ष विद्युत वितरण निगमों द्वारा किया जायेगा। शेष 50 प्रतिशत राशि के लिये निगमों द्वारा बाण्डस दिनांक 18 अक्टूबर, 2013 को जारी किये जा चुके हैं, जिन्हें राज्य सरकार वित्तीय वर्ष 2014 से 2017 तक प्रतिवर्ष अधिगृहित करेगी एवं जिस पर ब्याज एवं मूल देय राशि की देयता राज्य सरकार की ही होगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

लालसोट में संचालित पशु चिकित्सा केन्द्र/उपकेन्द्र

226. डा. किरोड़ी लाल (लालसोट) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र लालसोट में कितने पशु चिकित्सा केन्द्र एवं उपकेन्द्र संचालित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) वर्ष 2004 से 2013 तक उक्त विधान सभा क्षेत्र में कितने-कितने पशु चिकित्सा केन्द्र/उपकेन्द्र खोले गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(डा. किरोड़ी लाल)

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र के कितने ग्राम पंचायत मुख्यालय ऐसे हैं जहां पशु चिकित्सा सुविधा नहीं है, सरकार द्वारा अब कब तक उक्त सुविधा उपलब्ध करवा दी जायेगी?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र लालसोट में कुल 24 पशु चिकित्सा संस्थाएं संचालित हैं। सूची परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

(2) वित्तीय वर्ष 2004 से 2013 तक विधान सभा क्षेत्र लालसोट में निम्नलिखित पशु चिकित्सा उपकेन्द्र खोले गये :-

क्र.सं.	स्वीकृत पशु चिकित्सा उपकेन्द्र
1.	गुदडिया
2.	देवली
3.	कोलीवाडा
4.	नयावास
5.	लाखनपुर
6.	हरिपुरा
7.	बगडी

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में कुल 27 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर वर्तमान में पशु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है। जिन ग्राम पंचायतों में वर्तमान में पशु चिकित्सा संस्था संचालित नहीं है, वहां पशुधन आरोग्य चल इकाई के माध्यम से शिविर आयोजित कर पशु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है।

पशु चिकित्सा संस्थाएं उपलब्धता एवं आवश्यकता अनुसार खोली जाती हैं।

परिशिष्ट-अ

विधान सभा क्षेत्र लालसोट में संचालित पशु चिकित्सा संस्थाएं

क्र.सं.	संस्था का नाम
1	प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय लालसोट
2	प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय रामगढ पचवारा

क्र.सं.	संस्था का नाम
3	पशु चिकित्सालय होदायली
4	पशु चिकित्सालय सलेमपुरा
5	पशु चिकित्सालय राहूवास
6	पशु चिकित्सालय मंडावरी
7	पशु चिकित्सालय बिलोना कलां
8	पशु चिकित्सालय डीडवाना
9	पशु चिकित्सालय श्यामपुरा कलां
10	पशु चिकित्सालय बगडी
11	पशु चिकित्सालय कल्लावास
12	पशु चिकित्सालय खेडला खुर्द
13	पशु चिकित्सालय डिगो
14	पशु चिकित्सालय सोनड
15	पशु चिकित्सालय उपकेन्द्र खटवा
16	पशु चिकित्सालय उपकेन्द्र हरिपुरा
17	पशु चिकित्सालय उपकेन्द्र देवली
18	पशु चिकित्सालय उपकेन्द्र गोल
19	पशु चिकित्सालय उपकेन्द्र गुदड़िया
20	पशु चिकित्सालय उपकेन्द्र कोलीवाड़ा
21	पशु चिकित्सालय उपकेन्द्र बिलोना खुर्द
22	पशु चिकित्सालय उपकेन्द्र नयावास
23	पशु चिकित्सालय उपकेन्द्र लाखनपुर
24	पशुधन आरोग्य चल इकाई लालसोट

अजमेर नगर निगम क्षेत्र में संचालित डेयरी बूथ

227. **श्रीमती अनिता भदेल** (अजमेर दक्षिण) : क्या डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्तमान में अजमेर के नगर निगम क्षेत्र में अजमेर दूध डेयरी के कितने बूथ स्थापित हैं? कितने बूथ ऐसे हैं, जो शहर के मुख्य बाजार में रेलवे स्टेशन, केन्द्रीय बस स्टैण्ड के आस-पास व शहर की मुख्य सड़कों पर स्थित हैं? उपरोक्त स्थानों पर स्थित बूथों की एक बूथ से दूसरे बूथ की दूरी कितनी

(श्रीमती अनिता भदेल)

है? बूथ किस व्यक्ति को आबंटित किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में अजमेर नगर निगम क्षेत्र में बूथ आबंटित किये जाने की क्या प्रक्रिया है? नगर निगम में आज दिनांक तक ऐसे कितने आवेदक हैं, जिन्होंने बूथ स्थापित करने हेतु आवेदन नगर निगम को दिया हुआ है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अजमेर नगर निगम क्षेत्र में अजमेर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. (अजमेर दुग्ध डेयरी) के कुल 169 बूथ स्थापित हैं।

शहर के मुख्य बाजार में रेलवे स्टेशन के आस-पास, केन्द्रीय बस स्टैण्ड के आस-पास व शहर की मुख्य सड़कों पर कुल 77 बूथ स्थापित हैं।

उपरोक्त स्थानों पर स्थित बूथों की एक बूथ से दूसरे बूथ की दूरी लगभग 10 मीटर (न्यूनतम) से लगभग 400 मीटर (अधिकतम) है।

जिन व्यक्तियों को बूथ आबंटित हैं, उनकी सूची परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(2) वर्तमान में अजमेर नगर निगम क्षेत्र में बूथ आबंटित किये जाने की प्रक्रिया का विवरण परिशिष्ट ख पर संलग्न है।

नगर निगम में आज दिनांक तक 160 आवेदकों ने बूथ स्थापित करने हेतु आवेदन नगर निगम को दिया हुआ है । विवरण परिशिष्ट ग पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सिरोही जिले में दुग्ध उत्पादक समितियों से दुग्ध का क्रय

228. श्री ओटाराम (सिरोही) : क्या डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जसमूल संघ द्वारा दी जा रही दुग्ध दर 4.50 रुपये प्रति फेट दुग्ध का तापमान 84 सेंटीग्रेड 9 एम. एन. एफ. सी. आर. एल. के आधार पर दी जा रही है, जबकि बनास संघ द्वारा दुग्ध का तापमान 60 सेंटीग्रेड 9 एम. एन. एफ. पर दी जा रही है, जिसे सिरोही में दुग्ध तापमान 84 सेंटीग्रेड होने के कारण दुग्ध उत्पादकों के दुग्ध की दर संघ

(श्री ओटाराम)

द्वारा निर्धारित दर से कम मिलने के कारण दुग्ध उत्पादकों पर प्रतिकूल प्रभाव सिरोही जिले में पशुपालन व्यवसाय से जुडे पशुपालकों पर पड़ रहा है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि सिरोही जिले की समितियों का दुग्ध संघ द्वारा 3.5 फेट से क्रय किया जा रहा है, जबकि गाय के दुग्ध का न्यूनतम 3.0 फेट आती है, जो संघ गायों का दुग्ध क्रय नहीं कर रही है, जबकि प्रदेश के अन्य संघ न्यूनतम 3.0 फेट से दुग्ध क्रय कर रहे हैं? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार सिरोही जिले के दुग्ध उत्पादक समितियों को राहत प्रदान करने एवं पशुपालन व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिये जालौर-सिरोही संघ में दुग्ध का तापमान 60 सेंटीग्रेड 9 एफ. एन. एफ. तथा गाय का दुग्ध का न्यूनतम 3.0 फेट पर क्रय करने का विचार रखती है? यदि हां,तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं । जालौर-सिरोही जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. रानीवाड़ा द्वारा वर्तमान में रुपये 550 प्रति किलो फेट की क्रय दर (6.5 प्रतिशत फैट एवं 9.0 प्रतिशत एसएनएफ के आधार पर) दी जा रही है ।

राज्य के समस्त जिला दुग्ध संघों में दुग्ध परीक्षण हेतु 84 डिग्री फैरेनाइट तापमान पर कैलिबरेटेड लैक्टोमीटर से दुग्ध लेने की प्रक्रिया प्रभावी है ।

(2) जी नहीं । संघ द्वारा अपने सम्पूर्ण कार्यक्षेत्र, जिसमें सिरोही जिला भी सम्मिलित है, की समितियों से गाय एवं भैंस का मिश्रित दूध न्यूनतम 3.0 प्रतिशत फेट से क्रय किया जा रहा है ।

दुग्ध संघ में लागू दुग्ध क्रय दर 6.5 प्रतिशत फेट एवं 9.0 प्रतिशत एसएनएफ के आधार पर आधारित है ।

(3) राज्य के समस्त जिला दुग्ध संघों में दुग्ध परीक्षण हेतु 84 डिग्री फैरेनाइट तापमान पर कैलिबरेटेड लैक्टोमीटर से दुग्ध लेने की प्रक्रिया प्रभावी है ।

सिरोही जिले की दुग्ध उत्पादक समितियों में गाय का दूध न्यूनतम 3.0 प्रतिशत फैट के आधार पर क्रय किया जा रहा है ।

जनजाति उप योजना क्षेत्र में आबंटित राशि का उपयोग

229. श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में वर्ष 2003-04 से 2013-14 तक कुल राज्य योजना की कितनी प्रतिशत राशि का जनजाति उप योजना क्षेत्र के लिये व्यय किया गया? मदवार आबंटित व व्यय राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश की कुल जनसंख्या में से कितनी प्रतिशत जनसंख्या जनजाति उप योजना क्षेत्र के अन्तर्गत आती है एवं उस पर प्रदेश के कुल खर्च की कितनी प्रतिशत राशि व्यय की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा आदिवासियों के विकास के लिये वर्ष 1999-2000 में प्रदेश में महाराष्ट्र पैटर्न लागू किया गया है? यदि हां, तो गत पांच वर्षों में कितना बजट प्रावधान किया गया तथा वास्तविक व्यय कितना किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि महाराष्ट्र पैटर्न पर श्री गुलाब सिंह शक्तावत कमेटी द्वारा राज्य योजना मद की 8 प्रतिशत राशि जनजाति उप योजना क्षेत्र के लिये आबंटित करने की अनुशंसा की गई थी? यदि हां, तो उक्त अनुशंसा के अनुसार इस वर्ष कितना प्रतिशत बजट आबंटन किया गया व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या जनजाति क्षेत्र के लिये आबंटित राशि का उपयोग सम्बन्धित विभागों द्वारा पूर्ण रूप से किया गया है? यदि हां, तो भौतिक उपलब्धियां क्या रहीं? यदि पूर्ण उपयोग नहीं किया गया है तो क्यों एवं भविष्य के लिये कौन से सुधारात्मक उपाय प्रस्तावित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में वर्ष 2003-04 से 2013-14 तक कुल राज्य योजना की 10.76 प्रतिशत राशि का जनजाति उपयोजना के लिये व्यय किया गया। वर्षवार राज्य योजना मद एवं जनजाति उपयोजना मद में आबंटित राशि व व्यय राशि विवरण अनुलग्नक-"अ" पर संलग्न है ।

(2) राज्य की कुल जनसंख्या का 13.47 प्रतिशत जनजाति जनसंख्या है। वर्ष 2014-15 हेतु कुल राज्य बजट 4698933.18 लाख (छियालीस हजार नौ सौ निवासी करोड तैतीस लाख) रुपये मे से 646984.62 लाख रुपये (छह

(जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री)

हजार चार सौ उनत्तर करोड़ पिचासी लाख) जनजाति प्रवाह हेतु रखा गया है, जो राज्य योजना का 13.77 प्रतिशत है। विगत 10 वर्षो में कुल राज्य योजना की 10.76 प्रतिशत राशि का जनजाति प्रवाह हेतु व्यय किया गया है।

(3) जी हां। राज्य सरकार (वित्त विभाग) के यू.ओ. नोट दिनांक 31 दिसम्बर, 1999 द्वारा जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग में महाराष्ट्र प्रणाली अपनाये जाने सम्बन्धित प्रस्तावों को स्वीकार किया गया था जिसके सम्बन्ध में विस्तृत प्रकिया अनुलग्नक "ब" पर संलग्न है। पिछले पांच वर्षो में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग में जनजाति कल्याण निधि अन्तर्गत 75484.67 लाख रु. (सात सौ चौपन करोड़ पिचासी लाख) का संशोधित बजट प्रावधान किया गया तथा वास्तविक व्यय 59784.09 लाख रु. (पांच सौ सत्यानवें करोड़ चौरासी लाख) किया गया। वर्षवार एवं मदवार प्रावधान एवं व्यय का विवरण अनुलग्नक "द" पर संलग्न है।

पुन: राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.10(25) आयोज/गुप-5/09 दिनांक 30.09.2010 द्वारा राज्य योजना के 12.56 प्रतिशत राशि का प्रावधान जनजाति उपयोजना मद में करने के निर्देश दिये गये। आदेश की प्रति अनुलग्नक "स" संलग्न है। जनजाति उपयोजना प्रवाह अन्तर्गत गत 10 वर्षो मे 23702.70 करोड रुपये (दौ सौ सैतीस करोड़ एवं तीन लाख) के आबंटन के विरुद्ध विभिन्न विभागों द्वारा 21269.85 करोड़ रुपये (दौ सौ बारह एवं सत्तर लाख) व्यय किये गये। वर्षवार विवरण अनुलग्नक "अ" पर संलग्न है।

(4) यह सही है कि महाराष्ट्र पेटर्न पर श्री गुलाबसिंह शक्तावत कमेटी द्वारा राज्य योजना मद की 8 प्रतिशत राशि जनजाति उपयोजना के लिये आबंटित करने की अनुशंसा की गई थी । पिछले पांच वर्षो में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग में जनजाति कल्याण निधि अन्तर्गत 75484.67 लाख रु. (सात सौ चौपन करोड़ पिचासी लाख) का सशोधित बजट प्रावधान किया । वर्षवार एवं मदवार प्रावधान एवं व्यय का विवरण अनुलग्नक "द" पर संलग्न है।

जनजाति उपयोजना प्रवाह अन्तर्गत वर्ष 2014-15 हेतु कुल राज्य बजट 4698933.18 लाख रुपये (छियालीस हजार नौ सौ निवासी करोड़ तैतीस लाख) में से बजट उपशीर्ष 796 मांग सख्या 30 में 646984.62 लाख रुपये

(जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री)

(छह हजार चार सौ उनत्तर करोड़ पिचासी लाख) जनजाति प्रवाह हेतु रखा गया है। जो राज्य योजना का 13.77 प्रतिशत है ।

(5) जी हां। सम्बन्धित विभागों द्वारा जनजाति क्षेत्र के लिए आबंटित राशि का उपयोग किया जा रहा है। राज्य योजना अन्तर्गत जनजाति उपयोजना मद हेतु राशि विभिन्न विभागों को उनके बजट मद में ही प्राप्त होती है एवं विभागीय बजट को उनके द्वारा व्यय किया जाकर उपलब्धियां हासिल की जाती हैं। जनजाति उपयोजना हेतु व्यय भी उनके द्वारा किया जाकर निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति की जा रही है विभिन्न विभागों द्वारा जनजाति उपयोजना मद में गत पंचवर्षीय योजना (2007-08 से 2011-12) एवं बारहवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम दो वर्षों (2012-13 एवं 2013-14) में वर्षवार भौतिक उपलब्धियों का विवरण अनुलग्नक "य" पर संलग्न है ।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश के आश्रम छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों में सौर ऊर्जा संयंत्र

230. श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में विभाग के कितने आश्रम छात्रावास एवं आवासीय विद्यालय संचालित हैं?

(2) उक्त समस्त आश्रम छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की बजट 2012-13 में घोषणा की गई थी? क्या सभी छात्रावासों एवं विद्यालयों में सौर ऊर्जा संयंत्र चालू हो गए हैं व इन पर कितना व्यय किया गया है?

(3) क्या सभी सौर ऊर्जा संयंत्र पूर्ण क्षमता से संचालित हैं? इनकी भौतिक स्थिति क्या है?

उत्तर

(1) प्रदेश में शिक्षा सत्र 2013-14 में 280 आश्रम छात्रावास एवं 19 आवासीय विद्यालय संचालित हैं ।

(2) समस्त आश्रम छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों में सौर उर्जा संयंत्र स्थापित करने की बजट घोषणा वर्ष 2012-13 में नहीं की जाकर वर्ष 2013-14 में की गई।

(जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री)

अब तक 225 आश्रम छात्रावास एवं 9 आवासीय विद्यालयों में 9028 घरेलू सोलर स्ट्रीट लाइट एवं 332 सोलर स्ट्रीट लाइट की आपूर्ति कर स्थापित की जा चुकी है । स्थापित की गई सभी लाइटें चालू हालत में है तथा अब तक 10,48,34,350 रुपये व्यय किए गए है ।

(3) हां। सभी सौर उर्जा संयंत्र की लाइटें चालू हालत में हैं। संयंत्रों की गारण्टी/वारण्टी आगामी तीन वर्ष की अवधि है।

प्रदेश में डी श्रेणी कृषि मण्डियों के विकास हेतु कार्य योजना

231. श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (करणपुर) : क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार द्वारा डी श्रेणी कृषि उपज मण्डियों के विकास हेतु कोई कार्य योजना प्रस्तावित है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं। सरकार द्वारा डी श्रेणी की कृषि उपज मण्डी समितियों के सम्बन्ध में पृथक से कोई योजना तैयार नहीं की हुई है। राजस्थान कृषि मण्डी अधिनियम 1961 की धारा 18 के तहत प्रत्येक मण्डी में मण्डी समिति निधि का प्रावधान है। मण्डी समितियां उक्त निधि में से विकास कार्य हेतु व्यय कर सकती है। अधिनियम की धारा 22एच के तहत मण्डी विकास निधि (Marketing Development Fund) का भी प्रावधान है। धारा 22जे के तहत उक्त मण्डी विकास निधि का उपयोग आर्थिक दृष्टि से कमजोर मण्डी समितियों को ऋण एवं दान के रूप में सहायता देने हेतु भी किया जाता है।

जोधपुर में संचालित कृषि उपज मण्डियां

232. श्री अर्जुनलाल (बिलाड़ा) : क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर जिले में विभिन्न कृषि उपज मण्डियां संचालित हो रही हैं? यदि हां, तो कब-कब से, कहां-कहां और किस-किस श्रेणी की एवं नहीं, तो क्यों?

(2) उक्त कृषि उपज मण्डियों में गत पांच वर्षों से किस-किस जिन्स की कितनी-कितनी मात्रा की आवक हुई? वर्षवार मण्डीवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री अर्जुनलाल)

(3) क्या यह भी सही है कि गत पांच वर्षों में जोधपुर जिले में स्थित कृषि उपज मण्डी समितियों को मण्डी शुल्क के रूप में आय भी प्राप्त हुई है? यदि हां, तो जिन्सवार, वर्षवार, मण्डीवार कितनी-कितनी एवं किस-किस दर से वसूली गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या गत पांच वर्षों में उक्त मण्डियों में मण्डी शुल्क की चोरी बाबत् कोई प्रकरण/मामलों की शिकायतें सचिव को प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो कहां-कहां, किस-किस की कब-कब और उन पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जोधपुर जिले में 5 कृषि उपज मण्डी समितियां संचालित हैं। विवरण निम्नानुसार है-

क्र.सं	**नाम मण्डी**	**श्रेणी**	**स्थापना वर्ष**
1	बिलाड़ा	स	25.03.1965
2	फलौदी	द	29.09.2009
3	पीपाड़शहर	द	25.03.1965
4	जोधपुर (फ.स)	अ	22.11.1990
5	जोधपुर (अनाज) विशिष्ठ		09.03.1967

(2) गत पांच वर्षों में जोधपुर जिले की कृषि उपज मण्डी समितियों में हुई आवक का जिन्सवार, वर्षवार एवं मण्डीवार विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(3) जी हां। गत पांच वर्षों में जोधपुर जिले की कृषि उपज मण्डी समितियों में हुई मण्डी शुल्क की आय/मण्डी शुल्क की दर का जिन्सवार, वर्षवार, मण्डीवार विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(4) जी नहीं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर हेतु भूमि का आबंटन

233. श्री बाबू सिंह (शेरगढ़) : क्या तकनीकी शिक्षा (कृषि) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर स्थाई जगह के अभाव में कृषि अनुसंधान केन्द्र मण्डोर के गेस्ट हाउस में संचालित हो रहा है? यदि हां, तो कब से?

(श्री बाबू सिंह)

(2) क्या सरकार विश्वविद्यालय के लिए स्थाई भूमि उपलब्ध करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि विश्वविद्यालय में स्टाफ की कमी एवं स्थाई जगह के अभाव में विद्यार्थियों की पढ़ाई के साथ-साथ कृषि से सम्बन्धित शोध कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 07.10.2013 से संचालित हो रहा है।

(2) जी हां। 500 हैक्टेयर भूमि आबंटन का प्रकरण यू.डी.एच. विभाग में प्रक्रियाधीन है।

(3) जी हां। पूर्व सरकार द्वारा अन्तिम छह माह में लिए गये समस्त निर्णयों की समीक्षा करने का नीतिगत निर्णय लिया गया है। उक्त निर्णय अनुसार तीनों नवीन कृषि विश्वविद्यालयों के गठन की समीक्षा होने तक रिक्त पदों पर नियुक्ति नहीं लिये जाने का निर्णय लिया गया है।

परिशिष्ट-1

मांग संख्या-28 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-28 मुख्य शीर्षक ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये-

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर):

1. प्रदेश में मनरेगा के तहत किसानों, उद्यमियों व सरकारी/गैर सरकारी संस्थाओं में मजदूर लगवाने के विषय पर चर्चा के लिए।

श्री हरिसिंह रावत (भीम):

2. विधान सभा क्षेत्र भीम में नई ग्राम पंचायतों का गठन, सचिव एवं स्वास्थ्य सचिव के रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री सुशील कटारा (चौरासी):

3. विधान सभा क्षेत्र चौरासी के झौपरी में नई पंचायत समिति बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।
4. विधान सभा क्षेत्र चौरासी में चिखली को नई पंचायत समिति बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर):

5. प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक घर में शौचालय निर्माण के लिए सहायता राशि बढ़वाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री सुशील कटारा (चौरासी):

6. विधान सभा क्षेत्र चौरासी में पंचायत समिति डूंगरपुर की 8 एवं पंचायत समिति बिछिवाडा की 9 ग्राम पंचायतों की नवीन गठित होने वाली ग्राम पंचायतों को मिलाकर नई पंचायत समिति बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।
7. विधान सभा क्षेत्र चौरासी की बड़ी पंचायतों के पुर्नगठन के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री अमृतलाल (सलूम्बर):

8. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में पंचायतों के पुर्नगठन की स्थिति पर चर्चा के लिए।
9. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर की सलूम्बर व सराड़ा पंचायत समितियों में आर.सी.सी. व इन्टरलाक ईटों द्वारा सड़कों के निर्माण कार्य की स्थिति पर चर्चा के लिए।
10. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में सामुदायिक भवन, श्मशान एवं चौराहों के निर्माण की स्थिति पर चर्चा के लिए।

11. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर की सराड़ा एवं सलूम्बर पंचायत समितियों में पानी की निकासी हेतु नालियां बनाने व ड्रेनेज व्यवस्था सही करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

12. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में निर्मल ग्राम योजना के अन्तर्गत शौचालय निर्माण की स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री रमेश (सपोटरा):

13. ग्राम पंचायत टोड, पंचायत समिति सपोटरा में अनियमितताओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

14. पंचायत समिति सपोटरा में महानरेगा के कार्यों का भुगतान समय पर नहीं होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़):

15. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में बी.पी.एल. व स्टेट बी.पी.एल. चयनित परिवारों के अतिरिक्त आवास विहीन परिवारों के लिए भी आवास उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

16. प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालयों रहित घरों में शौचालय निर्माण हेतु दी जाने वाली सहायता राशि को बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मान सिंह (गंगापुर):

17. ग्राम पंचायतों द्वारा संचालित सफाई व्यवस्था, पेयजल एवं चरागाह विकास पर चर्चा के लिए।

18. विधान सभा क्षेत्र गंगापुर सिटी की सबसे बड़ी पंचायत वजीरपुर हेतु विकास एवं ग्रामीण न्यायालय की व्यवस्था की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत):

19. विधान सभा क्षेत्र सोजत के ग्रामीण क्षेत्रों में बसों के संचालन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

20. सोजत से रेन्दडी, भैसाण, सिसरवादा, सोजत रोड एवं मारवाड़ जंक्शन तक के मार्गो पर बसें चलाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री हीरालाल (निवाई):

21. विधान सभा क्षेत्र निवाई में स्टाफ की कमी को दूर करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं):

22. ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए एक साथ डी.पी.आर. तैयार की जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़):

23. महानरेगा योजना में स्थाई परिसम्पत्तियों का सृजन करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

24. ग्रामीण विकास योजनाओं में जन सहभागिता बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर):

25. विधान सभा क्षेत्र बानसूर के सभी राजस्व ग्रामों को सड़क से जोडे जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़):

26. विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ (सीकर) में मनरेगा के कार्यों के सामग्री मद का भुगतान समय पर नहीं होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

सुश्री कीर्तिकुमारी (माण्डलगढ़):

27. विधान सभा क्षेत्र मांडलगढ़ पंचायत स्तर पर सामुदायिक भवन बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्रीमती कमसा (भोपालगढ़):

28. टांका निर्माण का लाभ प्रार्थी स्वयं को सीधा मिले अन्य किसी संस्था को नहीं मिले, के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

29. विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ के गांवों में पानी की निकासी के लिए नाली निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

30. विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ के ग्रामों के प्रत्येक घर में शौचालय निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

31. विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ के ग्रामों में पानी के लिए फ्लोराइडेशन यंत्र लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

32. विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ में ग्राम पंचायत स्तर पर मनरेगा में ग्रेवल निर्माण हेतु स्वतंत्र कमेटी जिला लेवल पर बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण):

33. विधान सभा क्षेत्र जैतारण में महानरेगा योजना में अनियमितताओं एवं व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री अमराराम (पचपदरा):

34. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में महानरेगा योजना के अन्तर्गत किये गये कार्यों की गुणवत्ता पर चर्चा के लिए।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा):

35. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में इन्दिरा आवास योजना एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण बी.पी.एल. आवास योजना में निर्मित आवासों के निर्माण के समय ही शौचालय निर्माण, पेयजल एवं विद्युत कनेक्शन जारी करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

36. प्रदेश में ग्राम पंचायतों द्वारा राजस्व ग्रामों एवं ढाणियों में स्ट्रीट लाइट (सौर ऊर्जा प्रकाश स्तम्भ) लगाने हेतु खरीदी गई लाइटों की दरों एवं खरीद में अनियमितताओं एवं घोटाले की जांच नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

37. प्रदेश में निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना के अन्तर्गत होने वाली द्वेषपूर्ण कार्यवाही के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

38. जोधपुर जिले के बिलाड़ा के पास स्थित ग्राम उचियाड़ा में निर्मल भारत अभियान के अन्तर्गत कार्य नहीं होने से महिलाओं एवं ग्रामीणों को मुख्य डामर सड़क की पटरी पर खुले में शौच जाने के बाध्य होने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

39. बिलाड़ा विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2010-11 से 2013-14 तक ग्रामीण जन भागीदारी विकास योजना (जी.जे.वी.वाई) अन्तर्गत रोजगार सृजन एवं सामुदायिक सम्पत्तियों का निर्माण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

कु. जगत सिंह (कामां):

40. विधान सभा क्षेत्र कामां में नरेगा श्रमिकों को काम नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री राज कुमार रिणवां (रतनगढ़):

41. विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ में ग्रामों में वर्षा के पानी के निकासी की

व्यवस्था एवं घरों तथा खेतों में कुण्डों का निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़):

42. प्रदेश में कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा उपकरणों पर राज्य सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 70 प्रतिशत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बंशीधर (खण्डेला):

43. ग्राम पंचायतों के सरपंच व ग्राम सेवकों द्वारा निर्मित सड़क, नाली व अन्य कार्यों की गुणवत्ता सुधारने हेतु बी.डी.ओ., ए.ई.एन, एवं जे.ई.एन. को जिम्मेदारी देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन):

44. विधान सभा क्षेत्र कपासन में ग्रामीण लोगों को शुद्ध पानी, अच्छी सड़कें, गन्दे पानी की निकासी के लिए नालियां, रोड लाइट बालकों को पढ़ने के लिए विद्यालय एवं अच्छे स्वास्थ्य के लिये चिकित्सालय की व्यवस्था पर चर्चा के लिए।

45. निर्वाचन क्षेत्र कपासन की ग्राम पंचायतों के सभी ग्रामों की सड़कों का डामरीकरण कर मुख्य सड़कों से जोड़ने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

46. विधान सभा क्षेत्र कपासन के गांवों के किसानों को आवागमन के लिए आवश्यक साधनों के संचालन पर चर्चा के लिए।

47. प्रदेश के गांव की गलियों एवं मोहल्लों में सी.सी. सड़कों के निर्माण पर चर्चा के लिए।

श्री पब्बाराम (फलौदी):

48. प्रदेश में स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं के उत्थान हेतु सिलाई एवं अन्य कलाओं के प्रशिक्षण दिये जाने हेतु एन.जी.ओ.एस. के माध्यम से प्रशिक्षण आयोजन कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री नवनीत लाल (घाटोल):

49. विधान सभा क्षेत्र घाटोल में गरीब व आदिवासी किसानों के खेतों में फलदार पौधे लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

50. विधान सभा क्षेत्र घाटोल के नोन कमाण्ड क्षेत्र में काश्त की भूमि पर किसानों को निजी कुओं का ऋण स्वीकृत कराने की स्थिति पर चर्चा के लिए।

51. विधान सभा क्षेत्र घाटोल में उच्च माध्यमिक विद्यालय, सेनावासा व उच्च प्राथमिक विद्यालय, गरनावट के ग्राउण्ड को समतलीकरण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

52. विधान सभा क्षेत्र घाटोल में पंचायत सेनावासा की ग्राम जेथोर पाडा व ग्राम पंचायत कुवानिया के ग्राम गाढ़ापाड़ा को मुख्य सड़क से जोड़ने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़):

53. प्रदेश के ग्रामों में पुन: देशी खेलों खो-खो, कबड्डी, कुश्ती, रूमाल झपट्टा, काणी लकड़ी, गुल्ली डण्डा इत्यादि खेलों के कम्पीटीशन/टूर्नामेंट प्रारम्भ किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गोरधन (धोद):

54. प्रदेश में ग्रामों के खिलाड़ियों के विकास के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत को एक वर्ष में एक लाख रुपये का बजट देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री हीरालाल नागर (सांगोद):

55. प्रदेश में ग्राम पंचायतों द्वारा संचालित जनता जल योजना, स्वजल धारा एवं हैण्डपम्पों के मरम्मत का कार्य जलदाय विभाग को दिलाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

56. प्रदेश में ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर सूचना बोर्ड लगाकर ग्राम पंचायत स्तर के कर्मचारी/अधिकारी, ब्लाक स्तर के अधिकारी एवं जन प्रतिनिधियों के नाम व दूरभाष नम्बर अंकित करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

57. विधान सभा क्षेत्र सांगोद की सभी ग्राम पंचायतों में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

58. प्रदेश के ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर ग्राम मिनी सचिवालय की स्थापना के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

59. विधान सभा क्षेत्र सांगोद की ग्राम पंचायत आंवा एवं ग्राम पंचायत भाण्डाहेड़ा को आदर्श ग्राम पंचायत घोषित किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री बाबू लाल वर्मा (केशोरायपाटन):

60. विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन में ग्रामीण विकास विभाग के समस्त रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री प्रेमचन्द बैरवा (दूदू):

61. विधान सभा क्षेत्र दूदू में ग्रामीण विकास विभाग के समस्त रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

62. विधान सभा क्षेत्र दूदू में ग्राम पंचायतों के माध्यम से सरकारी भवनों में शौचालय निर्माण करवाने में विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

63. विधान सभा क्षेत्र दूदू के जर्जर ग्रामीण सरकारी भवनों की मरम्मत का कार्य करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

64. विधान सभा क्षेत्र दूदू के विभिन्न ग्रामों में सी.सी. रोड एवं नाली निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़):

65. प्रदेश में ग्रामीण विकास के लिये मजदूरी एवं मैटेरियल के अनुपात को हटाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

66. प्रदेश में गांवों के विकास हेतु पंचायती राज संस्थाओं को नगर परिषदों के बराबर अनुदान दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

67. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में विधवा पेंशन चालू करना एवं रोकी गई पेंशन को पुन: चालू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

68. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में बी.पी.एल. परिवारों को इन्दिरा आवासीय योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली राशि को बी.एस.आर. के अनुसार बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

69. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में मनरेगा में पक्के निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर):

70. विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर में स्थायी परिसम्पत्तियों के निर्माण बढ़ाने, ग्राम सेलत, पारेवर, मोती किलो की ढाणी में पेयजल की व्यवस्था व अन्य ग्राम में जी.एल.आर. तथा पशु खेली की मरम्मत कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा (चाकसू):

71. प्रदेश के सभी गांवों में हैण्डपम्प तथा हैण्डपम्प मिस्त्री लगवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

72. प्रदेश के सभी गांवों में शौचालय बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

73. प्रदेश के सभी ग्रामों में पानी, बिजली व सफाई की व्यवस्था पर चर्चा के लिए।

74. प्रदेश के गांवों में सी.सी. रोड़ व नालियां बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर):

75. विधान सभा क्षेत्र आहौर की ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी):

76. विधान सभा क्षेत्र बाड़ी के राजस्व गावों में नाली निर्माण एवं खरन्जा निर्माण हेतु बजट आबंटित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी):

77. प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु ग्रामों को आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल, सड़क की विशेष सुविधा दिये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

78. विधान सभा क्षेत्र लूणी के सभी गांवों तथा कस्बों में जिनमें राजीव गांधी भवन नहीं है उनमें भवन बनाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

79. विधान सभा क्षेत्र लूणी की 3000 से ऊपर जनसंख्या वाले समस्त ग्रामों की दशा सुधारने हेतु सभी गांवों को गौरव पथ से जोड़ा जाने एवं गांव के अन्दर के रास्ते को सी.सी. रोड से जोड़ा जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

80. विधान सभा क्षेत्र लूणी में स्थित सभी बड़े कस्बों की दशा सुधारने हेतु उन्हें आदर्श ग्राम घोषित कर तदनुसार उनमें विकास कार्य करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री ललित कुमार (किशनगंज):

81. बारां जिले एवं किशनगंज, शाहबाद विधान सभा क्षेत्र में लघु उद्योग स्थापित करने एवं रोजगार देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

82. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में नवीन ग्राम पंचायत/पंचायत समिति के गठन की नीति के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

83. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में नरेगा कार्यों में प्राप्त अनियमितता की शिकायतों के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

84. प्रदेश में वन विभाग में हो रहे खनन को वन विभाग से अलग कर लीज पर देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

85. खनिज नीति एवं खनिज आबंटन लीज के सम्बन्ध में किये गये प्रावधानों के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर):

86. विधान सभा क्षेत्र नोहर के ग्रामीण अंचल में ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रमों का लाभ गांव के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाने के लिए योजना बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

87. मनरेगा के तहत जिला हनुमानगढ़ तथा गंगानगर में पक्के खाले बनवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण):

88. प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

89. प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

90. प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत कनेक्शनों के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

91. प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की सुविधा के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर):

92. जिला परिषद् झालावाड़ द्वारा पिछले चार वर्षों में विभिन्न योजनाओं में खर्च की गई राशि के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

93. जिला झालावाड़ की पंचायत समिति खानपुर/बकानी में रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

94. विधान सभा क्षेत्र खानपुर की बकानी पंचायत समिति में विकास राशि का पंचायत समिति द्वारा दुरूपयोग किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

95. प्रदेश में बी.पी.एल. की सूची का कार्य जिला परिषदों द्वारा आन लाइन किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

96. विधान सभा क्षेत्र खानपुर की ग्राम पंचायत खानपुर में पिछले साढ़े चार वर्ष में किये गये कार्यों के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (करणपुर):

97. वर्तमान में राज्य में बी.पी.एल. परिवारों को सर्वे में जारी कोड संख्या 0 व 1 को आवास दिया जा रहा है। लेकिन कोड 2 जिसमें आंशिक पक्का मकान है उन्हें शामिल नहीं किया गया है। उन्हें शामिल किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

98. गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों का पुन: सर्वे कर सूची तैयार करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

99. विधान सभा क्षेत्र करणपुर में ग्राम पंचायतों के नक्शे व पट्टों का रिकार्ड संधारण एवं कम्प्यूटराइजेशन करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

100. ग्राम पंचायत एवं पंचायत समितियों में रिक्त पदों को शीघ्र भरे जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

101. पंचायतों में निर्माण सामग्री खरीदने हेतु बी.एस.आर. रेट पंचायत समिति स्तर पर किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री सुन्दरलाल (पिलानी):

102. राजीव गांधी सेवा केन्द्रों पर आये दिन कम्प्यूटर आदि उपकरणों की चोरियां होने के कारण सुरक्षा की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

103. राज्य की पंचायत समितियों में विकास अधिकारी पद पर कार्यरत प्रतिनियुक्त कार्मिकों को हटाकर आर.ए.एस./आर.डी.एस. अफसरों को नियुक्त करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

104. प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत पर होने वाली मासिक बैठक (ग्राम सभा) को 3 माह में एक बार कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री बालू राम चौधरी (सहाड़ा):

105. ''सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान योजना'' में विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में वर्ष 2013-14 में शौचालयों के निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

106. विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में ''राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान योजना'' में हुए कार्यों एवं पंचायतों को इस योजना से हुये लाभ के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

107. विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में ''निर्मल ग्राम पुरस्कृत पंचायत विकास योजना'' के अन्तर्गत पुरस्कृत पंचायतों एवं पंचायत समितियों के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

108. विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा भीलवाड़ा में ''राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना'' के तहत पंचायत भवनों के निर्माण और लम्बित भवनों के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री रामचन्द्र (डग):

109. विधान सभा क्षेत्र डग की भवानी मण्डी में पंचायत समिति खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

110. विधान सभा क्षेत्र डग में ग्रामीण परिवारों को स्वयं के शौचालय निर्माण हेतु सहायता राशि बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

111. विधान सभा क्षेत्र डग की ग्राम पंचायतों में रिक्त पड़े पद भरे जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

112. विधान सभा क्षेत्र डग में मनरेगा को कृषि क्षेत्र से जोड़े जाने व मनरेगा के माध्यम से नहरों की साफ-सफाई एवं रख-रखाव का कार्य करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

113. विधान सभा क्षेत्र डग की ग्राम पंचायतों में बी.पी.एल. परिवारों का सर्वे पुन: करवाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (कोटपूतली):

114. कोटपूतली की ग्राम पंचायत बुचारा, देवता, बनार एवं भोनावास को भारत सरकार की वाटर रोड स्कीम में जोड़ने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़):

115. प्रदेश में स्वजल धारा योजना, गुरु गोलवलकर योजना एवं सहभागिता योजना को पुन: शुरू करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

116. महानरेगा अन्तर्गत हरित राजस्थान योजना में किसानों को सम्मिलित कर काश्तकार के माध्यम से उसी की भूमि पर पौधे लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जयराम जाटव (अलवर ग्रामीण):

117. विधान सभा क्षेत्र अलवर ग्रामीण के पंचायत राज संस्था की ग्राम सभाओं में जिला प्रशासन के अधिकारी की उपस्थिति की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

118. विधान सभा क्षेत्र अलवर ग्रामीण में बड़े-बड़े गावों में महिला समूह बनाकर सामाजिक सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़):

119. राज्य वित्त आयोग द्वारा पंचायत समितियों को मिलने वाली राशि में वृद्धि की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू):

120. विधान सभा क्षेत्र बायतू के गिडा और पाटोटी को पंचायत समिति बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

121. मनरेगा के तहत गांवों में बनने वाली सड़कों को अच्छी गुणवत्ता से बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

122. विधान सभा क्षेत्र बायतू में समन्वित जल ग्रहण विकास व नए कलस्टर स्वीकृत करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

123. ग्रामीण विकास और स्व-रोजगार को बढ़ाने के लिए उप खण्ड मुख्यालय बायतू और परेऊ में ग्रामीण हाट बाजार की व्यवस्था करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

124. स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार व ग्रामीण स्वरोजगार योजना में बाड़मेर जिले को अतिरिक्त अनुदान राशि स्वीकृत करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री गुरजण्ट सिंह (सादुलशहर):

125. ग्राम पंचायतों में निर्माण कार्य हेतु निविदा प्रथा समाप्त कर जिला स्तरीय दरों का निर्धारण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

126. पंचायत समितियों में कनिष्ट अभियन्ताओं की नियुक्ति पंचायती राज विभाग के द्वारा कर रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली):

127. विधान सभा क्षेत्र बाली की पंचायत समिति देसूरी व पंचायत समिति बाली में रिक्त पड़े सहायक अभियन्ता, कनिष्ट अभियन्ता व ग्राम सेवकों के पदों को भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

128. विधान सभा क्षेत्र बाली में नरेगा के तहत संविदा पर कार्यरत कनिष्ट अभियन्ता, कनिष्ट लेखाकार, सहायक सचिव को नियमित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

129. प्रत्येक गांव में स्थानीय विधायक विकास योजना के तहत सार्वजनिक, सामुदायिक भवन आबादी को आधार बनाकर बनाये गये नियमों में संशोधन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

130. स्थानीय विधायक विकास योजना को दो करोड़ रुपये प्रतिवर्ष से चार करोड़ रुपये प्रतिवर्ष किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

131. बाली विधान सभा के मांडा क्षेत्र में जिसकी आबादी 95 प्रतिशत से ज्यादा अनुसूचित जनजाति की है, को ट्राइबल सरप्लान एरिया में शामिल किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़):

132. गांवों में अतिक्रमण के जिम्मेदार पटवारी, गिरदावर, ग्राम सचिव, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार को जिम्मेदार मानकर उनके विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

133. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ में भूमि, सवाइचक भूमि कस्टोडियम एवं मंदिर माफी जमीन से अतिक्रमण हटाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

134. ग्रामों में चरागाह सवाइचक, कस्टेडियम, मंदिर माफी जमीन, श्मशान भूमि एवं कब्रिस्तान पर अवैध रूप से हो रहे अतिक्रमण से मुक्त करवाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

135. ग्रामों में हो रहे अतिक्रमण को रोकने एवं अतिक्रमण हटाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

136. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ में श्मशानों व कब्रिस्तानों से अतिक्रमण हटाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर):

137. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को अपने आवास में शौचालय निर्माण करवाने के लिए, सहायता राशि बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़):

138. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी):

139. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी की पंचायत समिति में रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

140. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में बायोगैस की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

141. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ठ संगठन योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

142. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में लघु उद्योग की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री घनश्याम (टोडाभीम):

143. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में नरेगा के अन्तर्गत कराये गये कार्यों की मजदूरी समय पर नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

144. प्रदेश में ग्राम पंचायत स्तर पर विकास कमेटी गठित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

145. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में टी.एफ.सी. व एस.एफ.सी. में बजट में किये गये प्रावधान के अनुसार राशि का वितरण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री राजेन्द्र सिंह भादू (सूरतगढ़):

146. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ के असिंचित क्षेत्र की दो-तीन पंचायतों एवं गांवों को ग्रामीण जल ग्रहण योजना से जोड़े जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

147. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में पुराने बसे हुए गांव एवं नये बसे हुये चकों में ग्राम पंचायतों द्वारा पट्टे नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

148. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में वन विभाग, जोहड़ पायतन गोचर भूमि पर सभी मकानों को नियमित कर पट्टे जारी करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

149. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ का राजीयासर स्टेशन के लिए पंचायत द्वारा पट्टे जारी नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

150. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ के ग्रामीण अंचल में असिंचित क्षेत्र के किसानों के खेतों में एक लाख लीटर पानी का कुण्ड बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा):

151. गांवों में घूमने वाले आवारा पशुओं के लिए गौ-अभयारण्य बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

152. प्रदेश में नरेगा के पैसों का दुरूपयोग रोकने के लिए विशेष उपाय किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर):

153. विधान सभा क्षेत्र जोधपुर के ग्रामों में ग्रामीण विकास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों का समग्र विकास करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी):

154. प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना व विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना में विधायक कोष से ट्यूबवेल लगाने की स्वीकृति देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

155. स्व-विवेक जिला योजना के अन्तर्गत स्वीकृत राशि का भुगतान समय पर न होने से विकास कार्यों में आ रही बाधा को दूर करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

156. प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में इन्दिरा आवास योजना तथा मुख्य मंत्री ग्रामीण बी.पी.एल. आवास योजनाओं में हो रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री गोरधन (धोद):

157. विधान सभा क्षेत्र धोद की ग्राम पंचायत धोद एवं सीकर ग्रामीण में तहसील मुख्यालय की स्थापना करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्रीमती अनीता (नगर):

158. विधान सभा क्षेत्र नगर की पंचायत समिति नगर में लेखाकार की कमी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

159. मेवात क्षेत्रीय विकास बोर्ड द्वारा स्वीकृत विकास कार्य गुणवत्ता के अनुसार न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

160. विधान सभा क्षेत्र नगर में सैमला कला पंचायत के सरपंच पर भ्रष्टाचार के आरोप की जांच धीमी चलने से रिकार्ड में हो रही हेरा-फेरी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

161. मेवात विकास क्षेत्रीय बोर्ड में जाति आधार पर विकास कार्य करवाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द) :

162. विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द की रेलमगरा पंचायत समिति को मगरा क्षेत्र विकास योजना में सम्मिलित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

163. ग्रामीण विकास योजनाओं में सृजित सम्पत्तियों के अभिलेखन, अनुरक्षण एवं संरक्षा पर चर्चा के लिए।

164. विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द में इंदिरा आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, जल ग्रहण विकास योजना एवं स्वर्ण जयन्ती ग्राम योजना में हो रही शिथिलता के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

165. विधान सभा क्षेत्र राजसमंद में गांव की समग्र योजना (मास्टर प्लान) बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

166. विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द में तेरहवें वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग एवं मुख्यमंत्री निधि के अन्तर्गत हुये कार्यों में गुणवत्ता के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री लादूराम (गुढामालानी) :

167. जनता जल योजना को चालू रखने हेतु पंचायत समितियों को राशि आबंटित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

168. विधान सभा क्षेत्र गुढामालानी की ग्राम पंचायतों को नाली, सड़क एवं अन्य विकास कार्य हेतु अनुदान उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

169. विधान सभा क्षेत्र गुढामालानी में पेयजल योजना स्वीकृत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

170. विधान सभा क्षेत्र गुढामालानी में पेयजल, सड़क एवं ऊर्जा योजनाओं को स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

171. विधान सभा क्षेत्र गुढामालानी में जल ग्रहण विकास योजना के अन्तर्गत कलस्टर निर्माण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) :

172. प्रदेश के गांवों में प्रत्येक घर में शौचालय निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

173. प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में गोचर भूमि पर चरागाह लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

174. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन की मेजर रोड को दो भागों में बांटकर उस पर रोड लाइटें लगाकर सौन्दर्यीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

175. मारवाड़ जंक्शन पंचायत में सीवरेज का प्लान बनाकर पानी निकासी करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

176. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन की ग्राम पंचायतों में नालियों का निर्माण कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) :

177. प्रदेश के सभी ग्रामीण बस स्टैण्ड पर महिला/पुरुष शौचालय के निर्माण कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

178. प्रदेश में ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम के तहत गांवों में जल, मल एवं अन्य अपशिष्टों की निकासी के लिए पर्याप्त प्रबन्धन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं) :

179. राज्य के सभी ग्रामों के प्रत्येक घर में शौचालय बनवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

180. प्रदेश में ग्रामीण विकास हेतु पेयजल, नालियों तथा समग्र विकास के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री संजीव कुमार (भादरा) :

181. प्रदेश के ग्रामों में सी.सी. सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

182. प्रदेश में बी.पी.एल. सर्वे करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री भीमा भाई (कुशलगढ़) :

183. विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ के इन्दिरा आवास व मुख्यमंत्री आवास योजना में पर्याप्त राशि नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

184. विधान सभ क्षेत्र कुशलगढ़ में महानरेगा योजना में भुगतान समय पर नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

185. विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ में पंचायती राज कर्मचारियों के पद रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

186. विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ के प्रत्येक ग्राम पंचायत पर ग्राम सेवक नहीं होने से हो रही कठिनाइयों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

187. विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ में महानरेगा योजना में व्यक्तिगत कार्यों से केशवबाड़ी योजना को पुन: प्रारम्भ करवाकर नोन कमाण्ड क्षेत्र के काश्तकारों को सुविधा पहुंचाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना) :

188. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में स्वीकृत आई.डब्ल्यू.एम.पी. योजना के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

189. विधान सभा क्षेत्र सिवाना की बड़ी ग्राम पंचायतों सिवाना, सिणधरी, समदड़ी, मोकलसर, पादरू, खण्डप आदि में रोड लाइट व्यवस्था में सुधार एवं रख-रखाव के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

190. वर्ष 2014-15 की बी.आर.जी.एफ. की राशि आबंटन के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

191. इन्दिरा आवासीय योजना के मद में राशि बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

192. सिवाना पंचायत समिति के पश्चिमी राजस्थान की गरीबी शमन परियोजना को एम पावर परियोजना में सम्मिलित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर) :

193. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में निर्मल ग्राम योजना के तहत प्रति वर्ष पांच-पांच लाख रुपये न मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

194. छितरी आबादी योजना के तहत अनुसूचित जनजाति के आबाद गांव में विकास के कार्य न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

195. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के तहत कार्य न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

196. मगरा क्षेत्र विकास की भांति अन्य जिलों में जहां ढाणियां ज्यादा हैं उन जिलों में भी क्षेत्रीय ग्रामीण विकास योजना लागू नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

197. स्वर्ण जयन्ती रोजगार योजना के समकक्ष वैकल्पिक योजना विराटनगर में लागू न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री कन्हैया लाल (मालपुरा) :

198. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के गैर टी.एस.पी. एरिया के एस.सी. लोगों को सहायता देने के सम्बन्ध में चर्चा क लिए।

199. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के गरीब लोगों का बी.पी.एल. में चयन हेतु सही सर्वे करवाकर चयन करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

200. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा में जन-कल्याणकारी योजनाओं को प्रारम्भ करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री ओमप्रकाश (महुवा) :

201. महुआ के पिछडे गावों को विकसित करवाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री जगसी राम (रेवदर) :

202. विधान सभा क्षेत्र रेवदर में ग्राम पंचायत मुख्यालय की पंचायत से जुडे गांवों को सड़कों से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

203. विधान सभा क्षेत्र रेवदर में ग्रामीण विकास के तहत आंगनबाड़ी के भवन निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री ओटाराम (सिरोही) :

204. विधान सभा क्षेत्र सिरोही की ग्राम पंचायतों में सड़क-नाली बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्रीमती शिमला बावरी (अनूपगढ़) :

205. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ की ग्राम पंचायत रावला, 24 ए.एस. (सी.), 2 के.एल.डी. में बरसाती पानी व गन्दे पानी की निकासी के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर) :

206. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर के ग्राम सिधमुख की मुख्य सड़क को सीमेन्ट की बनवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) :

207. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में ग्रामीण विकास योजना की विभिन्न योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर) :

208. प्रदेश में जिला परिषदों द्वारा कराये जा रहे कार्यों के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर) :

209. विधान सभा क्षेत्र खींवसर के असहाय लोगों को विशेष सहायता देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

210. विधान सभा क्षेत्र खींवसर में पानी बिजली तथा सड़क कार्यक्रमों को विशेष योजना से जोड़कर प्रभावी बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

211. विधान सभा क्षेत्र खींवसर में प्रभावी योजनाओं का प्रबन्ध कर विकास करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

212. विधान सभा क्षेत्र खींवसर की सभी ग्राम पंचायतों में नरेगा के कार्यों की पुख्ता मानिटरिंग करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री धनसिंह रावत (बांसवाड़ा) :

213. प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में केशव बाड़ी योजना पुन: प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

214. प्रदेश में एस.सी. के किसानों को नि:शुल्क कृषि कनेक्शन देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री राजकुमार रिणवां (रतनगढ़) :

215. विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ के ग्रामों में पीने के पानी की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

216. विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ के ग्रामों में पानी निकासी के लिए नालियों का निर्माण कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्रीमती सोना देवी (रायसिंहनगर) :

217. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के धार्मिक स्थल मन्दिर, गुरूद्वारा में पीने का पानी, धर्मशाला, सड़क बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

218. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में नरेगा के मजदूरों को 60-70 दिन से ज्यादा काम नहीं मिलने पर उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

219. प्रदेश के ग्रामों में बी.पी.एल. परिवारों को पेंशन देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी) :

220. प्रदेश की ग्राम पंचायतों की जनसंख्या कम करके समुचित विकास कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

221. प्रदेश के गांवों में सी.सी. सड़कों एवं नालियों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर) :

222. प्रदेश के ग्रामों में खेत समतलीकरण व मेड बंदी करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

223. प्रदेश के ग्रामों में नदी व नालों की रिंगवाल के निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

224. प्रदेश के ग्रामों में पशुवाड़ा व पशुघरों के निर्माण के लिए योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

225. प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय व स्नान घर निर्माण की योजना बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

226. प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में केशवबाड़ी योजना के तहत नि:शुल्क बोरवेल व विद्युत कनेक्शन मय विद्युत मोटर पर लाइन दिये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर) :

227. प्रदेश के ग्रामों के बीच गंदगी व पानी निकासी के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

परिशिष्ट-2

मांग संख्या-49 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-49 मुख्य शीर्षक स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और समनुदेशन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर):

1. प्रदेश में आर्थिक दृष्टि से कमजोर स्थानीय निकायों को विकास के लिये अतिरिक्त अनुदान देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।
2. प्रदेश में स्थानीय निकायों में वर्षों पूर्व बिछाई गयी पानी की पाइपलाइन बदल कर विस्तार करके पेयजल उपलब्ध करवाने के लिये पंचायतों को देय अनुदान के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अमृतलाल (सलूम्बर):

3. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में पेराफेरी क्षेत्र के अन्तर्गत पंचायतों को मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।
4. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में उपखण्ड सराड़ा एवं सलूम्बर क्षेत्र की पंचायतों में सड़कों के निर्माण में आ रही सिंचित भूमि के मुआवजे के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।
5. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में राजकीय कार्य हेतु अधिकृत खातेदारी भूमि के लिये पंचायतों को मुआवजा देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।
6. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के पेराफेरी में आ रही ग्राम पंचायतों को अनुदान देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री शंकरसिंह (ब्यावर):

7. पंचायत समिति जवाजा के सरपंचों एवं ग्राम पंचायतों का वर्ष 2008 से 2013 तक का भुगतान नहीं करने से देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर):

8. प्रदेश में सरपंचों का कार्यकाल तीन माह रहने पर भी कार्य चालू नहीं कराने के उपरान्त खाते से पैसे निकालने वाले सरपंचों एवं सचिवों के खिलाफ शीघ्र कार्यवाही करने से देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

9. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में सरपंचों की शिकायतों पर विकास अधिकारी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने से देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री अमराराम (पचपदरा):

10. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा की पंचायत समिति बालोतरा की 54 पंचायतों को मुआवजा देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

11. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा की पंचायत समिति बालोतरा की ग्राम पंचायत पचपदरा को जनसंख्या के आधार पर मुआवजा देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़):

12. प्रदेश में पंचायत राज संस्थाओं के क्रमबद्ध विकास के लिए देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

कु. जगत सिंह (कामां):

13. प्रदेश में ग्राम पंचायत स्तर पर सफाई हेतु हरिजनों के मस्टररोल जारी नहीं करने के लिये देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

मास्टर मामनसिंह यादव (तिजारा):

14. विधान सभा क्षेत्र तिजारा में पंचायत समिति तिजारा के क्षतिग्रस्त भवन का नवीनीकरण नहीं करवाने के लिये देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री ललित कुमार (किशनगंज):

15. प्रदेश की ग्राम पंचायतों को राज्य सरकार द्वारा अनुदान नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

16. प्रदेश में ग्राम पंचायतों द्वारा निर्माण कार्यों की स्वीकृति के अधिकारों का दुरूपयोग से देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण):

17. प्रदेश की पंचायतों की साफ सफाई नहीं होने से देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

18. प्रदेश की पंचायतों के सहायक सचिवों के लिये देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण):

19. विभिन्न वित्त आयोगों द्वारा स्थानीय निकायों को दी जाने वाली

आर्थिक सहायता/मदद और समनुदेशन की राज्य स्तर पर ही उपयोग कर लिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

20. स्थानीय निकायों को चुंगी, मुआवजा और समनुदेशन तथा अन्य करों के पेटे से दी जाने वाली राशि को बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू):

21. विधान सभा क्षेत्र बायतू ग्राम पंचायत में अवैध खनन व खनिज क्षेत्र में अतिक्रमण पर शास्ति में नियत समुदेशन की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

22. स्थानीय निकायों, जिला परिषद, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत को भू-रूपान्तरण शुल्क में समनुदेशन के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

23. खनिज पदार्थों से प्राप्त होने वाली रायल्टी का एक निश्चित हिस्सा स्थानीय जिला परिषद, पंचायत समिति और स्थानीय ग्राम पंचायत के विकास कार्यों के लिए उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

24. देशी शराब व भारत निर्मित विदेशी शराब (IMFL) की दुकानों पर बिक्री से प्राप्त राशि का एक निश्चित हिस्सा सम्बन्धित स्थानीय निकायों, जिला परिषदों, पंचायत समिति और स्थानीय ग्राम पंचायत को मुआवजा राशि के रूप में प्रदान करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी):

25. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी की पंचायत समिति खेतड़ी की अधीनस्थ पंचायतों को बी.एस.आर. दरों पर निर्माण सामग्री क्रय नहीं करने की स्वीकृति जारी करने के लिये देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द):

26. विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द की पंचायत समिति राजसमन्द और रेलमगरा में वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 में विभिन्न योजनाओं में उपलब्ध करायी गयी धनराशि के उपयोग एवं अंकेक्षण के आक्षेपों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

27. विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द की पंचायत बामनटुकड़ा के राजस्व ग्राम डाबला और खेतोंकीभागल के तहसील एवं पटवार मण्डल में जनभावनाओं के विपरित परिवर्तन करने के लिये देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

28. पंचायत राज संस्थाओं को मुक्त निधि, वित्त आयोग एवं अन्य सहायता के लिये जनगणना के आधार वर्ष 2001 के स्थान पर 2011 करने से देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

29. विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द की प्रत्येक पंचायत को वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 में विभिन्न योजनाओं में उपलब्ध करवाई गयी धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र समय पर नहीं देने से देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

30. राजसमन्द जिला परिषद को वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 में विभिन्न योजनाओं में उपलब्ध करायी गयी धनराशि के उपयोग के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं):

31. प्रदेश की पंचायती राज संस्थाओं को अधिकार सम्पन्न बनाने के लिये देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

32. प्रदेश की पंचायती राज निकायों का सुदृढ़ीकरण करने के लिये देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा):

33. प्रदेश में पंचायती राज सम्पदा का आंकलन, संवर्द्धन एवं संरक्षण सुनिश्चित करने के लिये देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

34. राज्य सरकार द्वारा जनता से वसूले गये टैक्स में से स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं को निर्धारित वैधानिक हिस्सा राशि देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना):

35. सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान योजना में सिवाना पंचायत समिति स्तर पर अनुबंध के आधार पर कार्डेनेटर की व्यवस्था के लिये देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर):

36. ग्राम पंचायत छापुकाखुर्द में व्याप्त भ्रष्टाचार में दोषी पंचायत सचिव

के खिलाफ 5 वर्ष बाद भी कार्यवाही न होने से देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री जगसी राम (रेवदर):

37. विधान सभा क्षेत्र रेवदर आबूरोड नगरपालिका शहर की सफाई व्यवस्था सुधारने के लिये देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर):

38. स्थानीय निकायों मुंडवा कुचेरा व नागौर को विगत पांच वर्षों में राज्य सरकार व अन्य वित्त आयोग द्वारा अलग-अलग वर्षों में दिये गये मुआवजे के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

39. पंचायत समिति मुंडवा, नागौर व मेड़ता में विगत पांच वर्षों में अलग-अलग मद में दिये गये मुआवजे के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

40. ग्राम पंचायतों को टीएफसी व एसएएफसी सहित अन्य मदों से दिये जाने वाली राशि के अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर):

41. रायसिंहनगर ग्राम पंचायतों में पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर):

42. प्रदेश में ग्राम पंचायतों को दिया जाने वाला समनुदेशन में पंचायत समिति सदस्य के लिए 30 प्रतिशत, जिला परिषद सदस्य के लिए 30 प्रतिशत एवं पंचायत सदस्य के लिए 40 प्रतिशत बजट के कार्यों की अनुशंसा व सहमति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

परिशिष्ट-3

मांग संख्या-50 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-50 मुख्य शीर्षक ग्रामीण रोजगार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये-

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर):

1. प्रदेश में मानसून काल में किसानों को कृषि कार्य हेतु मजदूर मिल सके, इसलिए, उस दरमियान 'मनरेगा' स्थगित करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह रावत (भीम):

2. प्रदेश के युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर):

3. प्रदेश में बेरोजगारों को कुटीर उद्योग हेतु प्रेरित कर स्वरोजगार को बढ़ावा देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री सुशील कटारा (चौरासी):

4. प्रदेश के काश्तकारों को रोजगार दिलाने के लिए स्थानीय आधार पर रोजगार सृजित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।
5. रोजगार में दिनों की संख्या में वृद्धि करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।
6. प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों को नरेगा के साथ जोड़ने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।
7. प्रदेश में ग्राम पंचायतों की आवश्यकतानुसार ग्राम स्थलों पर रोजगार के अवसर पैदा करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अमृतलाल (सलूम्बर):

8. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के शिक्षित युवाओं को बैंकों द्वारा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर स्वरोजगार को बढ़ावा देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।
9. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के बेरोजगारों को कम्प्यूटर एवं आई.टी.आई. प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार को बढ़ावा देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।
10. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के सराड़ा उपखण्ड में बेरोजगारों को प्रशिक्षण देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

11. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देकर रोजगार उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

12. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर ग्रामीण क्षेत्रों में महिला स्वयं सहायता समूह को प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार को बढ़ावा देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर):

13. महानरेगा के तहत विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में सीसी सड़क, नालियां एवं पक्की नाड़ी निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर):

14. विधान सभा क्षेत्र सांचौर में ग्राम स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मानसिंह (गंगापुर):

15. गंगापुर सिटी में नरेगा कार्यों को पक्के कार्यों से जोड़ने एवं ठेकेदारों द्वारा की जा रही सप्लाई व्यवस्था के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत):

16. पंचायतों में चल रहे महानरेगा कार्यों की राशि को नदियों में लिये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर):

17. विधान सभा क्षेत्र बानसूर में रोजगार के लिए कुटीर उद्योग धन्धे खोलने के लिए विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती गीता वर्मा (सिकराय):

18. विधान सभा क्षेत्र सिकराय में रोजगार के लिए कुटीर उद्योग-धंधे खोलने के लिए विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़):

19. विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ में मनरेगा में पक्के कार्य स्वीकृत नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं):

20. ग्रामीण रोजगार हेतु ग्रामीणों को वोकेशनल ट्रेनिंग के माध्यम से रोजगार दिलाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा):

21. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा के पंचायत समिति बिलाड़ा में जल संसाधन विभाग/सार्वजनिक निर्माण विभाग को आबंटित वार्षिक कार्य योजना के कार्य समय पर पूर्ण नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

22. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में मनरेगा योजनान्तर्गत वार्षिक कार्य योजना में प्रस्तावित कार्यों की समय पर स्वीकृति नहीं होने के कारण राजस्व ग्राम गोलिया, मालकोसनी, आसण्डा, पालासनी, रसीदा इत्यादि गांवों में मजदूरों को कार्य नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

23. मनरेगा योजना में रोजगार पाने वाले कृषक परिवारों को उन्हीं के खेतों में कच्चे कृषि कार्य करवाने हेतु नियोजन नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन):

24. स्थानीय लोगों को मनरेगा से जोड़कर रोजगार उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री पब्बाराम (फलौदी):

25. उपखण्ड मुख्यालय बाप में रोजगार बढ़ाने हेतु स्थानीय युवाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़):

26. प्रदेश के बेरोजगारों को शिल्प उपं कुटीर उद्योगों का प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार को बढ़ावा देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल नागर (सांगोद):

27. विधान सभा क्षेत्र सांगोद के बेरोजगार युवकों को राजस्थान आजीविका मिशन से ट्रेनिंग देकर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल वर्मा (केशोरायपाटन):

28. ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के साधन अत्यधिक मात्रा में मुहैया करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री प्रेम चन्द बैरवा (दूदू):

29. ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के साधन मुहैया करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़):

30. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में युवकों को विशेष रोजगार प्रशिक्षण देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।
31. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के गांवों में कुटीर उद्योग लगाने में विभागीय पहल कर स्वरोजगार को बढ़ावा देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।
32. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में मनरेगा में समय पर मजदूरी का भुगतान नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
33. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में कृषि आधारित उत्पादों का प्रोसेसिंग प्लांट लगाकर रोजगार उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
34. मनरेगा को रोजगार के लिए कृषि को जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा (चाकसू):

35. सभी गांवों में मनरेगा के तहत रोजगार सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर):

36. प्रदेश में मनरेगा के अन्तर्गत कृषि कार्यों को जोड़ने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

मास्टर मामनसिंह यादव (तिजारा):

37. विधान सभा क्षेत्र तिजारा के तिजारा में औद्योगिक इकाइयों में स्थानीय ग्रामीण बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी):

38. ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार देने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक आई.टी.आई. खोले जाने के लिये विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
39. ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार युवकों व युवतियों को कुटीर उद्योग लगाने

हेतु प्रोत्साहित कर स्वरोजगार को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

40. बेरोजगार युवकों को बेरोजगारी भत्ता देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

41. ग्रामीण क्षेत्रों में आई.टी.आई. सर्टिफिकेट प्राप्त बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार देने के लिए अतिरिक्त राशि के लिए विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

42. मनरेगा के तहत प्रत्येक बेरोजगार को रोजगार देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर):

43. विधान सभा क्षेत्र नोहर के युवाओं को ग्रामीण रोजगार योजनाओं का प्रचार-प्रसार करके रोजगार उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

44. राजस्थान के बेरोजगार युवाओं के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज तथा विशेष भत्ता देने पर कार्य योजना बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण):

45. ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

46. प्रदेश के गांवों में रोजगार दिलाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास) :

47. ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगार युवाओं के लिए कम्प्यूटर सेंटर एवं आई.टी.आई. संस्थान खोल कर स्वरोजगार को बढ़ावा देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

48. मनरेगा योजना में पक्के कार्य स्वीकृत कर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

49. गांवों में शिल्पकारों को आर्थिक सहयोग एवं कुटीर उद्योग का प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार को बढ़ावा देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर):

50. झालावाड़ जिले के गावों में मनरेगा योजना के अन्तर्गत पूरे साल भर एक भी दिन रोजगार नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

51. विधान सभा क्षेत्र खानपुर में बेरोजगारी भत्ता देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़):

52. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में भूतपूर्व सैनिकों को निजी क्षेत्र में सुरक्षा प्रहरी के रूप में प्रशिक्षण देकर रोजगार दिलवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

53. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में महानरेगा योजना के अन्तर्गत ग्रामीणों की मांग के अनुसार रोजगार उपलब्ध न होने, महानरेगा में पारदर्शिता लाने एवं श्रमिकों को पूर्ण भुगतान करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

54. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में आजीविका स्किल्स प्रोजेक्ट के तहत ग्रामीण युवाओं को रोजगार देने के लिए आधुनिक कौशल प्रशिक्षण शिविर लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री दलीचन्द डांगी (मावली):

55. विधान सभा क्षेत्र मावली के बेरोजगारों को रोजगार देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री जयराम जाटव (अलवर ग्रामीण):

56. विधान सभा क्षेत्र अलवर ग्रामीण में रोजगार की छोटी-छोटी यूनिट को हाथकर्घा उद्योग के समूह द्वारा संचालित कराकर रोजगार दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

57. विधान सभा क्षेत्र अलवर ग्रामीण में युवा बेरोजगारों को रोजगार दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़):

58. राज्य में मनरेगा योजनान्तर्गत मेटो की मनमानी रोकने के लिये एवं कामगारों की उपस्थिति हेतु टेबिलेट टाइम कीपर मशीन के उपयोग की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

59. राज्य में मनरेगा कार्यों में 60 प्रतिशत श्रमिक एवं 40 प्रतिशत सामग्री के अनुपात को परिवर्तित कर 50-50 प्रतिशत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू):

60. मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए जरूरी कदम उठाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

61. ग्रामीण विकास विभाग की नवीन योजनाओं को क्रियान्वित करवाने के सम्बन्ध में पंचायत समिति मुख्यालय पर युवाओं व महिलाओं के लिए रोजगार मेलों का आयोजन करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

62. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के माध्यम से पक्के निर्माण कार्यों को करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (करणपुर):

63. मनरेगा योजना को कृषि के साथ जोड़कर मनरेगा मजदूरों से कृषि सम्बन्धी कार्य करवाये जाने का प्रावधान करने की आवश्यकता के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

64. मनरेगा योजना में नहरों की साफ-सफाई को शामिल किया जाकर जिससे बंदी के दौरान सिल्ट निकालने व सफाई कार्य से रोजगार उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली):

65. गुरु गोलवलकर योजना के तहत बजट में प्रावधान 50 करोड़ से बढ़ाकर 100 करोड़ रुपया किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

66. मनरेगा योजना में कार्यरत श्रमिकों का भुगतान पोस्ट आफिस के माध्यम से होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर):

67. मनरेगा में व्याप्त भ्रष्टाचार व उसके कारण कृषि मजदूरी पर पड़ रहे व्यापक दुष्प्रभाव के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़):

68. गुजरात माडल पर महिला समूह बनाकर ग्राम में महिलाओं को विशेष प्रशिक्षण देकर बड़ी, पापड़, दूध डेयरी एवं दूध से उत्पादित वस्तुओं का निर्माण करवाकर विशेष हाट लगाये जाकर मार्केट उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

69. गांवों में बेरोजगारी दूर करने के लिए गांवों के शिल्पकारों, लुहारों, बढ़इयों, कुम्हारों, मिट्टी एवं मारबल मूर्ति बनाने वाले कारीगरों को विशेष ऋण इत्यादि देकर एवं प्रशिक्षण देकर प्रोत्साहित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

70. गांवों में रोजगार के लिए कुटीर उद्योग लगाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर):

71. सुमेरपुर ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने के लिये कुटीर उद्योग स्थापित करने के लिये ग्रामीणों को प्रोत्साहित करने एवं प्रशिक्षण दिलवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम (टोडाभीम):

72. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में ग्रामीण बेरोजगारों के रोजगारोन्मुखी योजनायें बनाकर लाभान्वित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र सिंह भादू (सूरतगढ़):

73. केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा स्वरोजगार योजना के माध्यम से ग्रामीणों को रोजगार देने के लिये कर्ज की प्रक्रिया का सरलीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

74. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ के टिब्बा क्षेत्र के थर्मल पावर स्टेशन में शिक्षित एवं अशिक्षित युवाओं को रोजगार नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

75. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ के सभी गांवों में मनरेगा में 100 दिन तक पूरा रोजगार देना सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर):

76. विधान सभा क्षेत्र जोधपुर में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिये आई.टी.आई. में सीटें बढ़ाने के लिये विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी):

77. ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा योजना के माध्यम से रोजगार मांगने पर भी 15 दिन के अन्दर रोजगार उपलब्ध न कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर):

78. खेत में जल कुण्डों के निर्माण ग्राम पंचायत से कराने के स्थान पर कुंडों का निर्माण लाभार्थियों के माध्यम से ही कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

79. मनरेगा के श्रमिकों को तालाबों व जोहड़ खुदाई में लगाकर प्रदेश के बारानी इलाकों में प्रति वर्ष 6 लाख से 9 लाख लीटर क्षमता के कुंड निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

80. ग्रामीण रोजगार में प्रत्येक ग्राम पंचायत में दर्ज जाब कार्ड होल्डर्स के हस्ताक्षर फार्म नं. 6 पर कराने हेतु ग्राम सेवक व ग्राम सहायक की ड्यूटी लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

81. प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के घटते अवसर से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

82. ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को बड़े पैमाने पर बारानी क्षेत्रों में जलकुण्ड निर्माण जिनकी क्षमता एक लाख लीटर जल भण्डारण की हो, उससे जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द):

83. विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द में राष्ट्रीय ग्रामीण योजना में रोजगार के भुगतान में विलम्ब होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

84. विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द की प्रत्येक ग्राम पंचायत में सृजित रोजगार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री लादूराम (गुढामालानी):

85. प्रदेश में ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत कृषि एवं बागवानी कार्यों को सम्मिलित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

86. विधान सभा क्षेत्र गुढामालानी में मनरेगा के तहत पक्के निर्माण कार्य स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर):

87. विभाग द्वारा प्रदेश में नागरिकों को समूह में गठित करके उनके रोजगार हेतु बैंकों से ऋण सुलभ करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं):

88. आर.एम.ओ.एल. कार्य प्रणाली द्वारा स्वरोजगार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

89. आर.एस.एल.डी.सी. के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम कराकर स्वरोजगार को बढ़ावा देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

90. विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री संजीव कुमार (भादरा):

91. प्रदेश में मनरेगा कार्यक्रम अधिकारी की नियुक्ति अलग से करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

92. प्रदेश में मनरेगा में 60:40 के अनुपात करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा):

93. राज्य में पंचायती राज संस्थाओं में मनरेगा योजना के तहत चल रहे कार्यों में रोजगार उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

94. मनरेगा योजना में स्थायी व रचनात्मक परिसम्पत्तियों के निर्माण कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बालूराम चौधरी (सहाड़ा):

95. विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में रोजगार कार्यालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

96. विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में मध्यम व कुटीर उद्योग हेतु रोजगारोन्मुखी ट्रेनिंग देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

97. विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में मनरेगा को कृषि से जोड़ने व मजदूरों की उपलब्धता बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना):

98. प्रदेश में मनरेगा में सी.सी. रोड निर्माण करवाते समय साइड में पक्की नाली का निर्माण, ढलान के अनुसार कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

99. प्रदेश में मनरेगा में भी पी.पी.पी. माडल से जन सहभागिता से काम शुरू करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

100. प्रदेश में महानरेगा के अन्तर्गत पूर्व में निर्मित ग्रेवल सड़कों की मरम्मत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

101. प्रदेश में महानरेगा के अन्तर्गत किसानों के लिये विशेष कार्यक्रम के तहत तारबन्दी एवं एनीकट को कृषि कार्यों से जोड़ने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

102. प्रदेश में महानरेगा में जिस प्रकार से राजा, महाराजाओं के समय में

निर्मित कुओं, बावड़ी, पक्के घाट, तालाब स्थित हैं इसी प्रकार के स्थाई कार्यों के प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर):

103. प्रदेश में नरेगा के तहत 100 दिन का रोजगार सबको प्राप्त नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

104. प्रदेश के गांवों में स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिये पर्याप्त कोष उपलब्ध न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

105. प्रदेश में ग्रामीण रोजगार की वृद्धि के लिये कृषि क्षेत्र में निवेश न बढ़ाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

106. प्रदेश में गांवों में लघु उद्योगों एवं अतिलघु उद्योगों के विस्तार के वातावरण के अभाव में रोजगार के अवसर उपलब्ध न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

107. प्रदेश में ग्रामीण रोजगार की विशेष योजना के अभाव में घटते रोजगार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री कन्हैयालाल (मालपुरा):

108. मालपुरा व टोडारायसिंह के ग्रामीण व्यक्तियों को विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत ग्रामीण रोजगार की सुविधाओं का लाभ दिलवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री ओमप्रकाश (महुवा):

109. विधान सभा क्षेत्र महुआ के पंचायत मुख्यालय पर युवाओं को रोजगार के साधन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री जगसी राम (रेवदर):

110. विधान सभा क्षेत्र रेवदर में मनरेगा के माध्यम से चल रहे ग्रामीण रोजगार को परिवर्तित कर कृषि कुओं पर तारबन्दी की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ओटाराम (सिरोही):

111. विधान सभा क्षेत्र सिरोही में मनरेगा में कम भुगतान करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर):

112. विधान सभा क्षेत्र खींवसर की पंचायत समिति मुंडवा व नागौर में पंचायतों को बकाया मनरेगा के भुगतान के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

113. विधान सभा क्षेत्र खींवसर की नागौर एवं मुंडवा पंचायत समिति के जिला कलक्टर नागौर द्वारा बिना शिकायत के ही द्वेषतापूर्ण मनरेगा कार्यों की बेवजह जांच कर सरपंचों को परेशान करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

114. प्रदेश में मनरेगा योजनान्तर्गत पक्के निर्माण कार्यों को विशेष महत्व देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

115. प्रदेश में नरेगा में पक्के निर्माण कार्यों एवं सी.सी. ब्लाक में चौड़ाई की सीमा खतम करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

116. प्रदेश में नरेगा कार्यों में मजदूरी बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती शिमला बावरी (अनूपगढ़):

117. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ के स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान कर स्वरोजगार को बढ़ावा देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

118. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ के घड़साना में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोल कर स्वरोजगार के लिये प्रेरित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर):

119. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में सरकारी कार्यों पर मजदूरों को रोजगार देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा):

120. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

121. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के ग्रामों के अन्दर की सड़कें मनरेगा के अन्तर्गत पक्की सी.सी. सड़कें बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री नाना लाल अहारी (खैरवाड़ा):

122. विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा के गरीब परिवारों को रोजगार देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

123. प्रदेश में जन जाति के लिये खेतों को समतल करने, मेड़बन्दी कराने एवं जीन उपजाऊ करके रोजगार देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

124. विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा के ग्रामीणों को रोजगार देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

125. विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा के ग्रामीणों को सस्ते दर पर ऋण दिलाकर स्वरोजगार को बढ़ावा देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री धनसिंह रावत (बांसवाड़ा):

126. प्रदेश में वर्षा कालीन समय में कृषि के कार्यों में रोजगार गारंटी का काम देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

127. प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को समय पर रोजगार नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

128. प्रदेश के ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

129. प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने के लिये ग्रामीण युवाओं को समय-समय पर प्रशिक्षण देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

130. प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध करवाने के लिये महिला समूहों का गठन कर उन्हें प्रशिक्षण देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री राज कुमार रिणवां (रतनगढ़):

131. विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ में कामकाजी महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी):

132. प्रदेश में ग्रामीण महिलाओं व युवाओं को रोजगारोन्मुखी बनाने हेतु प्रशिक्षण शिविर लगाकर प्रशिक्षित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

133. प्रदेश के गांवों में रोजगार सृजन करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर):

134. प्रदेश में वन क्षेत्र के निवासियों के लिये वनों से होने वाले उत्पादन से सम्बन्धित विशेष प्रशिक्षण देकर रोजगार उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

135. प्रदेश में स्वरोजगार उत्पन्न करने के लिये सब्जी व फल-फूल उत्पादन के लिये प्रोत्साहित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

136. प्रदेश में रोजगार गारंटी योजना में व्यक्तिगत लाभ के कार्य शामिल कर रोजगार के अवसर बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

137. प्रदेश में छोटे-छोटे उद्योग धन्धों के लिये पंचायत स्तर पर प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार के लिये प्रोत्साहित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

परिशिष्ट-4

लिखित वक्तव्य

(मांग संख्या-28 ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम मांग संख्या-49 स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और समनुदेशन व मांग संख्या-50 ग्रामीण रोजगार पर माननीय सदस्य श्री मानिक चन्द सुराना एवं श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल द्वारा सदन पटल पर रखे गये वक्तव्य जो पढ़ा हुए माने गये)

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) : नरेगा सामाजिक क्षेत्र का महत्वाकांक्षी सृजन कार्यक्रम है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (National Rural Employment Guaranty Act) को संक्षेप में नरेगा कहा जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक ग्रामीण जो अकुशल श्रम करने को तैयार है वह नरेगा में प्रत्येक वर्ष में 100 दिन का रोजगार पाने का कानूलन अधिकारी है। नरेगा असम्पन्न व सम्पन्न सभी परिवारों को 100 दिन के रोजगार की गारंटी प्रदान करता है। नरेगा का कार्यक्रम भारत की संसद द्वारा पास किए गए अधिनियम/कानून पर आधारित है। यह किसी सरकार का कार्यकारी आदेश नहीं है, जिसे सरकार अपनी मनमर्जी से चाहे तब समाप्त कर दे। कानून पर आधारित होने के कारण और भारत के प्रत्येक ग्रामीण को 100 दिन के राजगार की गारंटी प्रदान करने के कारण यह एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यक्रम है।

जो भी ग्रामीण परिवार अकुशल श्रम करने को तैयार है, उसे नरेगा में एक प्रार्थना पत्र ग्राम सेवक को प्रस्तुत करना होता है कि उसे रोजगार दिया जाए। नरेगा में साधारणतया 100 दिन मजदूरी देने की बात कही गई है लेकिन कार्य को टास्क या मान से जोड़ा गया है। एक दिन में एक अकुशल श्रमिक का टास्क 10'/10'×1' फीट की गहराई की मिट्टी निकालने पर माना जाता है कि उसने निर्धारित माप का काम कर दिया है।

नरेगा एक मांग आधारित (Demand Driven) रोजगार उपलब्ध कराने का कार्यक्रम है। अकुशल श्रमिक को ही निर्णय करना है कि वह 100 दिन का काम करने को तैयार है और उसे ऐसा लिखित में देने पर नरेगा में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाना नरेगा एक्ट के तहत सरकार की जिम्मेदारी है।

सरकार द्वारा 2008-09 में प्रथम बार देश के सभी 596 ग्रामीण जिलों में नरेगा के कार्यक्रम का विस्तार किया गया। तत्कालीन वित्त मंत्री श्रीचिदम्बरम ने बजट में 16 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान रखा और यह आश्वस्त किया कि यदि रोजगार की मांग बढ़ेगी तो सरकार रोजगार की कानून में दी गई गारंटी की पूर्ति के लिए प्रावधान में बढ़ोत्तरी करेगी।

सन् 2008-09 के अंत तक नरेगा में वास्तविक खर्च 36 हजार 750 करोड़ रुपये हुआ। वर्ष 2009-10 सरकार ने 39 हजार 100 करोड़ रुपये का प्रावधन किया है।

नरेगा में चयनित परिवार, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के परिवार को व्यक्तिगत लाभ दिये जाने का प्रावधान किया गया है। व्यक्तिगत लाभ में उनके खेत में कुण्ड/टांके/डिग्गी, एनिकट व कुंए का निर्माण करवाया जा सकता है।

अभी तक नरेगा में कुण्ड व टांके के निर्माण के कार्य को व्यापक तौर पर नहीं अपनाया गया है। सभी जिलों में एवं पंचायत समितियों में ग्रेवल सड़क बनाने पर जोर है। ग्रेवल रोड की ग्रामीण उत्पादकता में वृद्धि करने में कोई भूमिका नहीं है।

राजस्थान में 237 पंचायत समितियां हैं जिनमें से करीब 204 पंचायत समितियां डार्क जोन में घोषित हो चुकी हैं।

नरेगा के 11 जिले मरूस्थलीय हैं और हजारों वर्षों से हमारे पुरखों के ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर मरूस्थल में जल भण्डारण से अधिक किसी बात का महत्व नहीं है। डार्क जोन में भी जल भण्डारण का अत्यधिक महत्व है।

आज नरेगा में प्रचुर धन उपलब्ध है, उसके आधार पर मरूस्थलीय 11 जिलों व अन्य जिलों में भी 1 लाख लीटर का कुण्ड प्रत्येक खेत में बनाये जाने की महती आवश्यकता है। उक्त कुण्ड के निर्माण की लागत का आकलन 1 लाख 60 हजार रुपये है। रेगिस्तानी जिलों में नरेगा के तहत चयनित परिवारों, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के परिवारों को यह धन उपलब्ध कराया जा सकता है। कुण्डों के साथ उसका आगोर (CATCHMENT AREA) भी एक आवश्यक अंग है, जिसका निर्माण किया जाना जरूरी है। आगोर के निर्माण से ही कुण्ड में पानी आने के आधारभूत ढांचे का निर्माण होगा।

नरेगा कार्यक्रम में सिरोही जिले की शिवगंज पंचायत समिति में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के खेतों में कुओं के निर्माण पर 5 लाख 70 हजार खर्च करके कुओं की खुदाई व बंधाई की जा रही है व ऐसे खेतों में पानी का होद व सिंचाई हेतु खालों (Water Course) व खेत की मेड़बंदी की जा रही है। उक्त कार्यक्रम जहां भी कुओं का निर्माण सम्भव है, मरूस्थलीय क्षेत्रों के जिलों व शेष जिलों में भी तत्काल किये जाने चाहिए।

नरेगा में पिछले चार सालों में हुए अनुभवों के आधार पर यह स्पष्ट है कि नरेगा कार्य योजना में नीति निर्धारकों के स्तर पर कार्य योजना डिजाइन में 'रिइंजीनियरिंग' किया जाना आवश्यक है।

नरेगा में बने हुए जाबकार्ड के बावजूद कार्य चाहने वाले सभी श्रमिकों को कार्य उपलब्ध नहीं कराया जाता है। सरकार के पास सबसे बड़ा बहाना यह है कि वित्तीय वर्ष में फार्म नं. 6 नहीं भरा है, यानी उन्होंने 100 दिन अकुशल श्रम करने की इच्छा प्रकट नहीं की है। यह राज्य सरकार का दायित्व है कि ग्राम सेवक व सहायक ग्राम सेवक को फार्म नं. 6 को आवश्यक रूप से भरवाने में लगाए।

भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्री सी.पी. जोशी ने एक वक्तय में यह स्वीकार किया है कि नरेगा में 100 दिन की जगह औसत 48 दिन का रोजगार ही उपलब्ध हुआ है। (राजस्थान पत्रिका 8 जुलाई, 2009)

नरेगा के सम्बन्ध में राजस्थान में वर्तमान में मुख्य काम जोहड़ खुदाई व एक गांव से दूसरे गांव के मध्य ग्रेवल सड़क बनाने और इस कारण सड़क के अलाइनमेंट पर पड़ोस की भूमि से मिट्टी खोद कर मिट्टी डालने का कार्य किया जा रहा है। उक्त कार्यों में घटिया स्तर की सामग्री लगाया जाना व मानदंडों से आधी सामग्री लगाये जाने की आम शिकायतें हैं। उक्त प्रकार के कार्यों का हिस्सा 90 प्रतिशत व उपयोगी कार्यों का हिस्सा 10 प्रतिशत के इर्द-गिर्द है।

यह सर्वविदित है कि राजस्थान के जोहड़ अकाल राहत के कार्यों में पिछले 50 सालों से खोदे जा रहे हैं और इन जोहड़ों में से 1 प्रतिशत में भी न तो पानी का संकलन हो रहा है और न ही पानी के ठहराव व टिकाव की स्थिति है। नरेगा के तहत जिले के गांवों की विशेष स्थितियों की समग्र जानकारी के अभाव में प्रशासन द्वारा जोहड़ खुदाई के कार्य को आंख मींचकर प्राथमिकता दी जाती रही है। इसमें किया गया समस्त खर्च बिना किसी प्रतिफल के है।

राजस्थान के लिए तीसों अकालों के तहत जोहड़ खोदने के लंबे अनुभवों के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना अत्यधिक विवेकसंगत व तार्किक है कि नरेगा के तहत जोहड़ खोदने की बजाय प्रत्येक चयनित परिवार व अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति (तत्पश्चात् ए.पी.एल.) के खेतों में जलकुण्ड व सिंचित क्षेत्र में डिग्गी निर्माण को प्राथमिकता दिये जाने से स्थायी विकास के साथ-साथ लोगों को रोजगार भी उपलब्ध होगा। साथ ही पूरा प्रदेश (व पूरा देश) स्थायी विकास (Sustainable Development) की तरफ अग्रसर होगा।

सभी इस बात से पूर्णतया वाकिफ हैं कि पूरे प्रदेश में (व देश में) पेयजल का गम्भीर संकट है। राजस्थान का क्षेत्रफल पूरे देश के क्षेत्रफल का 10.4 प्रतिशत है। वहां प्रदेश से सतही जल की मात्रा 1.16 प्रतिशत ही उपलब्ध है। वर्तमान में नरेगा के तहत जलकुण्ड बनाए जाने का प्रावधान अवश्य है, लेकिन अधिकतर सरपंच ग्रेवल सड़क बनाने व जोहड़ खोदने में ही अपनी रुचि का प्रदर्शन करते हैं। कुण्डों के निर्माण में नरेगा का वर्तमान खर्च न्यूनतम है। बाड़मेर जिले के कलक्टर श्री जैन के नेतृत्व में वर्ष 2012-13 में 37,000 कुंडों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। उक्त कुंडों की क्षमता 42,000 लीटर पानी संरक्षण की है, जिसे तत्काल कम से कम दुगुना किया जाना आवश्यक है।

जोहड़ खोदने के निरर्थक कार्य को सार्थक बनाने के उद्देश्य से उसकी मंजूरी तभी दी जानी चाहिए जबकि सम्बन्धित गांव के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत जिला प्रशासन को प्रस्ताव पारित कर आश्वस्त करे कि विशेष जोहड़ की खुदाई व मरम्मत के फलस्वरूप जोहड़ में गांव की आवश्यकता के लिए या गांव के पशुधन की आवश्यकता के लिए दो-तीन-चार महीने का पानी उपलब्ध हो जाएगा। पंचायत पर इस जिम्मेदारी को पूरा करने की बाध्यता हो। पूरा नहीं होने पर दंडात्मक प्रावधान हो।

प्रत्येक ग्राम में एक से अधिक जोहड़ उपलब्ध हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए यह आवश्यक कर देना चाहिए कि वह नरेगा के तहत पहले एक जोहड़ में कार्य इस प्रकार सम्पन्न कर ताकि उसमें जल का भण्डारण सुनिश्चित हो जाए। ऐसा करने से पूर्व उन्हें अन्य जोहड़ों के कार्य करने की इजाजत भी नहीं दी जानी चाहिए ताकि उपलब्ध सीमित संसाधनों का सर्वाधिक उचित उपयोग हो जाए।

राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में सार्वजनिक जोहड़ों के पुनरुद्धार से भी अधिक चयनित परिवार व अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के खेतों में व (तत्पश्चात् रेगिस्तानी क्षेत्रों में ए.पी.एल. के खेतों में भी) नियम-कानून को संशोधित कर वर्षा जल के संरक्षण के उद्देश्य से प्रत्येक खेत में जलकुण्ड का निर्माण नरेगा के तहत कराया जाना आवश्यक है।

उक्त उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भारत सरकार व राज्य सरकार से अपील है कि वे नरेगा के तहत नीति निर्देश फरमाने की कृपा करें कि प्रत्येक ग्राम पंचायत को नरेगा के तहत उपलब्ध कराई गई राशियों का 65 प्रतिशत उपयोग (दो तिहाई उपयोग) जलकुण्डों के निर्माण में व जल भण्डारण को सुनिश्चित किये जाने वाले कार्यों में ही खर्च किया जाए।

खेत-खेत में जलकुण्ड बनाने का सपना तब ही सम्भव है जब हम इस विचार व परिकल्पना से प्रेरित हों कि हमें सर्वदा के लिए जलसंकट व जल अभाव को पूर्णत: समाप्त करना है। हमें इस सपने से प्रेरित होना है कि इन्दिरा गांधी नहर परियोजना में उपलब्ध जल का 20 प्रतिशत भाग आगामी दस वर्षों में जलकुण्डों के माध्यम से अब नई जल भण्डारण क्षमता सृजित करने में समर्थ हो सकें और उसके माध्यम से पेयजल के संकट को समाप्त कर रेगिसतान के 11 जिलों व शेष जिलों से गरीबी व भूखमरी को पूर्णरूपेण समाप्त कर सकें।

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना में मार्च, 2009 के अन्त तक 3443.73 करोड़ रुपये (प्रथम चरण में 475.09 करोड़ रुपये व द्वितीय चरण में 2968.74 करोड़ रुपये) खर्च हुए हैं और उसके माध्यम से 15.73 लाख हैक्टेयर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हुई है। उक्त सारा खर्च 1958 से लगातार मार्च, 2009 तक पिछले 51 साल में किया गया है। नरेगा में हमें वर्ष 2009-10 में 9250 करोड़ रुपये उपलब्ध हैं और यह उम्मीद की जानी चाहिए कि आगामी 11 वर्षों में नरेगा, कृषि व आयोजना मद के समन्वय से यह राशि हमें प्रत्येक वर्ष 10-15 प्रतिशत बढ़ाकर उपलब्ध हो सकती है।

जलकुण्डों के निर्माण के लिए जो 2,00,000/- रुपये की स्वीकृति वर्तमान में है उसमें एक लाख लीटर क्षमता का जलकुण्ड बनाया जाना अपेक्षित है।

उक्त राशि को ग्राम पंचायत की एजेन्सी के मार्फत खर्च न करके यदि लाभार्थी के हाथ से खर्च किया जाए तो एक सुदृढ़ व अत्यधिक मजबूत कुण्ड का निर्माण होना सुनिश्चित है। लाभार्थी द्वारा बनाये गये जलकुण्ड निश्चित रूप से गुणात्मक दृष्टि से ग्राम पंचायत के माध्यम से बनाये जाने वाले जलकुण्डों की अपेक्षा अधिक गुणात्मक व अधिक मजबूत होंगे। लाभार्थी को यह हमेशा ध्यान रहेगा कि ऐसा जलकुण्ड बनाना है जो पचासों वर्ष तक उसके खेत की सेवा कर सके।

कुण्डों की लागत (मय आगोर) का सही आकलन किया जाना व करवाया जाना अत्यन्त आवश्यक है। विशेषज्ञों की राय के आधार पर दो लाख रुपये की राशि की लागत से एक लाख लीटर क्षमता के कुण्ड का निर्माण किया जा सकता है।

मरूस्थलीय क्षेत्रों में एक लाख लीटर के कुण्डों का निर्माण ही

दूरदर्शिता है। एक लाख लीटर का कुण्ड एक परिवार का पेयजल के साथ पशुपालन में 4/5 गाय, भैंस हेतु पर्याप्त पेयजल या 150 फलदार पौधे की आवश्यकता हेतु पर्याप्त जल उपलब्ध करेगा। जब तक एक गांव में एक लाख लीटर के कम से कम 50 से 100 जलकुण्डों के निर्माण का लक्ष्य नहीं रखा जाता तब तक जलकुण्डों के निर्माण का काम एक आन्दोलन के तौर पर आगे नहीं बढ़ सकता है और न ही राजस्थान को हरियाला बनाने का सपना साकार हो सकता है। रेगिस्तान में पानी का सर्वाधिक उदगम स्रोत वर्षा ही है। तीसों वर्षों से वर्षा जल का संरक्षण बड़े पैमाने पर किये जाने की योजना आयोग से लेकर बड़े-बड़े अर्थशास्त्री व कृषिशास्त्री जोर देते रहे हैं लेकिन उस नीतिगत समझ को बड़े पैमाने पर कार्यान्वित किये बिना कोई बड़ी उपलब्धि जल के मोर्च पर होने वाली नहीं है।

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना से राजस्थान के विभिन्न जिलों को औसतन करीब 11 हजार क्यूसेक पानी देने की क्षमता है। एक क्यूसेक पानी की क्षमता का पानी यदि एक लाख लीटर के जलकुण्ड में डाला जाए तो यह जलकुण्ड 60 मिनट में भर जाता है यानी एक घण्टे में एक लाख लीटर के जलकुण्ड को एक क्यूसेक के बहाव का पानी भर देता है और 24 घण्टे में एक क्यूसेक पानी की क्षमता 24 घण्टों में 24 जलकुण्डों को भरने में सक्षम है। इन्दिरा गांधी नहर से राजस्थान को एक वर्ष में करीबन 160 दिन पानी उपलब्ध होता है। इसलिए यदि हम एक लाख लीटर के 24×160=3840 जलकुण्डों का निर्माण करें तो पूरे वर्ष इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के 160 दिन के एक क्यूसेक पानी के भण्डारण की क्षमता का निर्माण हो जाता है।

राजस्थान में सन् 2008-2009 में नरेगा के तहत 6175 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है। वर्ष 2009-2010 में 9250 करोड़ रुपये का प्रावधान राज्य सरकार को उपलब्ध है। प्रत्येक ग्राम पंचायत नरेगा कृषि व आयोजना के तहत दो तिहाई रुपया जलकुण्डों में ही व्यय करने का मानस बना ले, तो नरेगा में 6200 करोड़ रुपये जल कुण्ड, डिग्गी, कुएं व एनीकट निर्माण व जल संरक्षण के लिए उपलब्ध हो जाता है। दो करोड़ रुपये में एक लाख लीटर के 100 जलकुण्ड और 200 करोड़ रुपये में दस हजार जलकुण्ड और 1000 करोड़ में 50 हजार जलकुण्डों का निर्माण किया जा सकता है, 8000 करोड़ में चार लाख जलकुण्डों का निर्माण हो सकता है। जन प्रेरणा से राजस्थान के सभी जिलों की ग्राम पंचायत इस विचार और समझ में पूरी भागीदारी करे और ऊपर

का प्रशासन उनका सही मार्गदर्शन करे तो प्रति वर्ष 8000 करोड़ रुपये में वर्तमान वित्तीय वर्ष में ही चार लाख जलकुण्डों के माध्यम से राजस्थान में जल की भारी कमी के समाधान की दिशा में द्रुत गति से आगे बढ़कर ऐसा कार्य कर सकते हैं जिसे मील का पत्थर कहा जा सकेगा व जिसके माध्यम से हम एक वर्ष में सौ क्यूसेक पानी भण्डारण की क्षमता जलकुण्डों के माध्यम से अर्जित कर लेंगे। ऐसे जलकुण्डों से हमें साल में 5-6 औसत वर्षा के कुण्ड की क्षमता का 5 गुणा पानी यानी 500 क्यूसेक पानी सालभर में उपलब्ध हो जाता है। ऐसे जलकुण्डों के माध्यम से यदि आधे जलकुण्डों का उपयोग बागवानी में 100-125 पौधे लगाकर किया जाए तो 4 करोड़ से 5 करोड़ लाख फलदार पौधों की नींव लगाने व पुष्पित पल्लवित करने में समर्थ हो जाएंगे जो आगामी तीन वर्ष में पल्लवित होकर सम्बन्धित किसान को 30-35 हजार रुपये का फल प्रदान कर सकेंगे। बकाया आधे कुण्ड 4-5 गाय पालकर या अन्य पशुधन को पालकर पशुपालन को भारी बढ़ावा देने में समर्थ हो सकेंगे। जिन काश्तकारों के खेतों में जलकुण्ड, डिग्गी, कुएं व एनीकट बनेंगे व उसका बागवानी या पशुपालन में उपयोग कर नरेगा में पुन: 100/- की मजदूरी करने शायद कभी नहीं आएंगे और उन्हें धारणीय (Sustainable) बागवानी का व पशुपालन का रास्ता अपने आप दृष्टिगोचर हो जायेगा। आगामी दस वर्षों में कुण्ड निर्माण की उपरोक्त गति से चयनित परिवारों की 18 लाख की सूची व अजा व अजजा परिवारों की सूची 50 प्रतिशत रह जाएगी और जल के मोर्चे पर राजस्थान बहुत आगे चला जाएगा।

ऐसे जलकुण्ड तीन वर्ष बाद हमें प्रति कुण्ड 30-35 हजार रुपये का उत्पादन फलदार पौधों के माध्यम से प्रत्येक वर्ष उपलब्ध करवाते रहेंगे। राजस्थान का प्रत्येक बारानी खेत उक्त कार्यक्रम को 10 वर्षों तक क्रियान्वित किये जाने पर हरित राजस्थान या हरियाला राजस्थान के आन्दोलन को मूर्त रूप देने में सफल हो जाएगा व ग्रामीण स्थायी विकास का आर्थिक मार्ग-पशुपालन व बागवानी क्षेत्र में प्राप्त कर लेंगे और राजस्थान को जल के मोर्चे पर 80 लाख किसानों के खेतों में 10 वर्ष में कुण्ड निर्माण कर जल के अभाव से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी) : अध्यक्ष महोदय, गांवों का विकास किये बिना देश के विकास की कल्पना अधूरी है। हमारे देश के गांवों में सामाजिक आर्थिक व राजनैतिक क्षेत्रों में पंचायतों की भूमिका महत्वपूर्ण है। सच्चा लोकतंत्र वही है जो निचले स्तर पर लोगों की भागीदारी पर आधारित है। यह तभी सम्भव है जब गांव में रहने वाले आदमी को भी शासन के बारे में फैसला करने का अधिकार मिले।

कई पंचायतों के पास अपने स्वयं के आफिस की इमारत नहीं है और कई पंचायतों के इमारतों की मरम्मत होनी बाकी है। पंचायतों के पास अपनी इमारत न होने का अर्थ है कि पंचायती राज या तो सरपंच की आलमारी में है या ग्राम सचिव के थैले में है। अत: सभी पंचायतों के कार्यालय ठीक व उचित सुविधाजनक हों, पंचायतों को अधिकार व शक्तियां दी जाएं। जब उनके पास न अधिकार न शक्तियां हैं। और न उनकी क्षमता है। तो ग्रामीण योजनाएं प्रभावी ढंग से लागू नहीं हो सकती हैं। जमीनी स्तर पर नौकरशाही का बोलबाला है।

पंचायती राज में महिलाओं की प्रभावी सहभागिता विशिष्ट कुशलता ज्ञान एवं दृष्टिकोण की मांग करती है। इसलिए व्यवस्थित प्रशिक्षण एवं अभिनवीकरण की आवश्यकता है। ताकि महिलाएं वर्तमान स्थितियों को बदलकर सत्ता सेवा के प्रयोग द्वारा महिला सशक्तिकरण को शीघ्रता से सम्भव बना सकें केवल महिला आरक्षण ही महिला सशक्तिकरण को सम्भव नहीं बना सकता महिला प्रतिनिधि शिक्षा, सूचना के माध्यम से ही अपने कार्यों एवं दायित्वों को सम्भाल सकती है। अत: निकाय चुनाव लडने वाली महिला 10वीं पास होना आवश्यक किया जाए। क्योंकि पंचायती राज के गर्भ में कई सम्भावनाएं विद्यमान हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास और गरीबी दूर करने के लिए बेहतर सड़क सम्पर्क होने चाहिए और सभी पंचायतों को परिवहन सेवा से जोड़ा जाए।

इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत पिछली कांग्रेस सरकार ने बी.पी.एल. परिवारों को घर बनाने के लिए दी गई सहायता में पहली किस्त तो आ गई लेकिन कई परिवारों को आज तक दूसरी किस्त नहीं मिली है। लोगों ने अपने कच्चे मकान भी तोड़ दिये उनकी जगह पक्के बना रहे थे यह दूसरी बरसात का मौसम चल रहा है। बी.पी.एल. परिवारों के घर अधूरे पड़े हैं। अत: सरकार उनके बारे में सोचते हुए बकाया दूसरी किस्त जारी करवाये।

स्कूल, आंगनबाड़ियों व ग्रामीण क्षेत्रों की पेयजल विहीन और खराब गुणवत्ता वाले पेयजल वाली बस्तियों को सुरक्षित और आवश्यक मात्रा में पेयजल आपूर्ति निश्चित की जाए।

जल बजट बनाकर तथा ग्राम जल सुरक्षा योजना बनाकर परिवार स्तर पर पेयजल सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।

वर्तमान समय में वर्मी कम्पोस्ट को ग्रामीण क्षेत्र में कृषि पर आधारित एक महत्वपूर्ण उद्योग के रूप में विकसित किया जा सकता है। जिससे किसान अच्छी आय अर्जित कर अपना, अपने परिवार व देश के विकास में अपना योगदान दे सकता है। साथ ही पर्यावरण को रासायनिक खादों के दुष्प्रभावों से बचाकर हम पर्यावरण संरक्षण में भी अपना योगदान दे सकते हैं।

वर्मी कम्पोस्ट के उपयोग से कृषि उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार आता है। जिससे ऊंचे मूल्य पर बिक्री होने पर आय में भारी वृद्धि होती है। कृषि आधारित उद्योग हमारी अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण अंग है। ताकि गांवों से शहरों की ओर हो रहे पलायन को रोका जा सके।

चीनी उद्योग प्रमुख कृषि आधारित उद्योगों में से एक है। केशोरायपाटन शुगर मिल को वापस चालू कराया जाए।

ग्रामीण रोजगार-50 पर चर्चा हो रही है। मैं भी अपने कुछ विचार व सुझाव यहां रखना चाहूंगी।

प्रदेश में क्रियान्विति की जा रही लगभग सभी योजनाएं अर्थव्यवस्था के ग्रामीण अंचल को पर्याप्त लाभ प्रदान कर रही हैं।

ग्रामीण विकास की ओर विशेष ध्यान दिये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा पृथक से ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की स्थापना की गई है, जो पंचायती राज संस्थानों के माध्यम से राज्य के ग्रामीण विकास हेतु विशेष कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने का कार्य कर रहा है।

फिर भी हमें बहुत सारे सुधार और करने की भी आवश्यकता है आज भी हम देखें तो कोटा जिले में ही नहीं सभी जगह आज बी.पी. एवं इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत समय पर राशि नहीं पहुंच पाती इसमें भी अधिकारियों द्वारा राशि वसूल कर भ्रष्टाचार किया जाता है। कृपया इस पर भी अंकुश लगाया जाए।

विधायक स्थनीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम व सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रमों के तहत समय पर कार्य नहीं किये जा रहे। 2 वर्षों से स्वीकृत राशि का कार्य भी रामगंजमण्डी विधान सभा क्षेत्र में शुरू नहीं हो पा रहा।

इसी के तहत विधायक कोष की राशि धार्मिक स्थानों पर भी खर्च करने की स्वीकृति भी देंगे तो गांव के विकास में चार चांद लगेंगे।

माननीय अध्यक्षजी, मांग संख्या 49 पर चर्चा और विचार रख रही हूं। मैं राज्य की नगरपालिकाओं के कार्य संचालन, अधोसंरचना, इनसे जुडी विभिन्न सार्वजनिक सेवाओं, शहरी विकास की योजनाओं उनमें लोक भागीदारी तथा इन नगरीय निकायों के अधिकार, इनकी बाध्यताएं एवं कर्तव्यों की ओर सदन का ध्यान आकर्षित कर इस सम्बन्ध में कुछ विचार व सुझावों से अवगत कराना चाहती हूं।

नगरीय निकायों के लिए 74वां संविधान संशोधन विधेयक दिसम्बर, 92 में लोकसभा व राज्यसभा में पारित होने के बाद 23 अप्रैल, 1993 की राजस्थान विधान सभा से अनुमोदित होकर दिनांक 01 जून, 1994 से प्रभावी है।

74वें संविधान संशोधन की 12वीं अनुसूची में नगरपालिकाओं को सशक्त करने के उद्देश्य से अनुच्छेद 243 (ब) के द्वारा नगरपालिकाओं के उत्तरदायित्व एवं शक्तियों के बाबत् जो प्रावधान है, वे इस प्रकार हैं :-

1. नगरीय नियोजन सहित शहरी नियोजन
2. भवन निर्माण भू-उपयोग का नियमन
3. आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए नियोजन
4. सड़कों-पुलों का निर्माण
5. जन स्वास्थ्य सफाई एवं कूडा प्रबंधन
6. अग्निशमन सेवा
7. गंदी बस्ती का विकास
8. शहरी गरीबी का उन्मूलन
9. शहरी सुविधाएं जैसे पार्क, बगीचे, खेल के मैदान की व्यवस्था
10. शवदाह एवं कब्रगाह की व्यवस्था
11. प्रकाश, पार्किंग, बस स्टाप्स की व्यवस्था
12. पशुवध गृह व चमड़ा पकाने सम्बन्धी नियम
13. विकलांगों व मानसिक रूप से अस्वस्थ लोगों सहित समाज के कमजोर वर्ग के हितों की सुरक्षा
14. घर, वाणिज्य व उद्योग हेतु जल आपूर्ति

15. शहरों में सांस्कृतिक गतिविधियों, शैक्षिक गतिविधियों व सौंदर्यता को बढ़ावा

16. जानवरों के प्रति क्रूरता को रोकना व केटल पाऊन्ड्स की व्यवस्था करना

17. जन्म–मृत्यु पंजीयन व आंकड़ों का संधारण

18. नगर के वन पर्यावरण की सुरक्षा व संतुलन

आज हम देख रहे हैं कि अधिकांश नगर निकायें सही ढंग से ना तो अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर पा रही हैं, और ना ही अपनी शक्तियों का पालन कर पा रही हैं। इसके एक से अधिक कारण हैं, जिनकी गम्भीरता को समझना आवश्यक है।

मैं सबसे पहले जन स्वास्थ्य से जुडे सबसे अहम उत्तरदायित्व सफाई एवं कचरा प्रबंधन की वर्तमान व्यवस्थाओं में सुधार हेतु कुछ सुझाव प्रस्तुत करने की अनुमति चाहूंगी। सबसे पहले मैं स्पष्ट कर दूं 74वें संविधान संशोधन विधेयक में जन स्वास्थ्य एवं सफाई कार्य अनिवार्य होने से इसमें कोताही पर नगर निकायों को किसी भी प्रकार की क्षमा देय नहीं है। इसी सफाई व्यवस्था को सुगम व सुदृढ़ बनाने के लिए अपने पूर्व कार्यकाल में माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजेजी ने सन 2007 में इस सम्बन्ध में पालिसी गाइडलाइन जारी की, जिससे हुबहू नए व प्रचलित राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 में समाहित किया गया। अधिनियम की धारा 226 में ठोस अपशिष्टों के प्रबंधन का प्रावधान है।

नगरपालिका क्षेत्रों में सफाई कर्मचारियों की कार्य के अनुपात में पर्याप्त संख्या व जिम्मेदारी का अभाव शहरों, नगरों व कस्बों में गंदगी के बने रहने का प्रमुख कारण है। गत दिनों मनमाने तरीके से सफाई कर्मचारियों की संख्या का निर्धारण कर उसके अनुसार नियोजन हेतु राजस्थान म्युनिसिपेलिटीज (सफाई एम्पलोई सर्विस) रूल्स 2012 बना कर लागू किए गए, किन्तु इन नियमों में नियुक्ति के एक से अधिक विकल्प, परिवार की ठोस परिभाषा एवं कई आदेशों के कारण अत्यन्त विरोधाभासों ने नियुक्ति की प्रक्रिया को ही बाधित कर दिया। कई बिन्दुओं के समाधान के लिए विभिन्न न्यायालयों तक में वाद व याचिकाएं प्रस्तुत हुई, जिनमें से कई अभी भी विचाराधीन हैं।

मेरा अभिमत है कि एक सक्षम कमेटी का गठन कर राजस्थान

म्युनिसिपेलिटीज (सफाई एम्पलोई सर्विस) रूल्स 2012 में आवश्यक संशोधन किया जाना चाहिए, ताकि स्वीकृति अनुसार सफाई कर्मचारियों की भर्ती का मामला निर्विवादित रूप से हल हो, और नगरों में सफाई की व्यवस्था सुचारू हो सके।

गंदगी का दूसरा प्रमुख कारण है कचरे का सही प्रबंधन नहीं होना। कचरा इसलिए सड़कों व नाला-नालियों में फेंका जा रहा है कि उसे घरों से इकट्ठा करने का तंत्र नगरपालिकाएं विकसित नहीं कर पा रही हैं।

इस हेतु मेरा सुझाव है कि जब सफाई कर्मचारियों की आवश्यकता का आधार जनसंख्या को माना गया है तो शहरों, नगरों व कस्बों में रह रहे परिवारों के नगर निकायों द्वारा अधिकृत परिवार समूह गठित कर घरों से कचरा संग्रहण के कार्य में परम्परागत सफाई का कार्य करने वालों को एक योजना व नीति के तहत नियोजित किया जाना चाहिए। ऐसा करने से रोजगार भी सृजित होंगे व घरों से कचरे का संग्रहण भी व्यवस्थित हो जाएगा।

इस क्रम में, दूसरा महत्वपूर्ण बिन्दु है कचरे के परिवहन के लिए संसाधन। नगरपालिकाओं में कचरे के ढेरों को वाहनों में भर कर पुराने ढर्रे से शहर के बीच में होकर शहर के बाहर ले जाया जाता है। ऐसा करते समय नगरीय ठोस कचरा प्रबंधन एवं हथलन नियम 2000 की पालना नहीं हो पा रही है।

मेरा सुझाव है कि वित्तीय आयोगों की राशि केन्द्रीय स्तर पर नियमों के अनुसार डिजाइन किए गए वाहनों के लिए आरक्षित कर कचरा परिवहन के आधुनिक वाहन सरकार द्वारा नगरपालिकाओं को उपलब्ध कराए जाने चाहिए। इसके लिए गलियों, छोटी सड़कों, मोहल्लों आदि को ध्यान में रूख कर अलग-अलग क्षमता के छोटे-बड़े वाहन उपलब्ध कराए जाएं व इसी दौरान घरों से एकत्रित होने वाले कचरे, बडे नालों व नालियों की सफाई से निकलने वाले मलबे के परिवहन का तंत्र एक प्रणाली के रूप से नगरपालिका वार स्वीकृत किया जाना चाहिए और उसी के अनुरूप सफाई कार्य की सुनिश्चितता होनी चाहिए।

तीसरा बिन्दु गंदे पानी की व्यवस्थित व योजनाएं निकासी का है। मेरा सुझाव है कि नगरपालिका की भौगोलिक स्थिति व गंदे पानी के आवक की मात्रा को ध्यान में रख कर प्रत्येक नगरपालिका की इस सम्बन्ध में एक मानचित्रित योजना नेट पर होनी चाहिए। इसकी क्रियान्विति के चरणों का निर्धारण हो, तथा उसकी अक्षरशः पालना सुनिश्चित हो। राज्य स्तर पर

आबंटित किया जाने वाला बजट उसी पर्टिकुलर कार्य के नाम से हो, ताकि आबंटित राशि के उपयोग में असमंजस की स्थिति से बचा जा सके।

चौथा और महत्वपूर्ण बिन्दु है, सीवरेज की व्यवस्था। मेरा सुझाव है कि राजस्थान को निर्मल बनाने की दिशा में सभी प्रकार की नगरीय निकायों में सीवरेज को अनिवार्य किया जाना व उसके निर्माण पर होने वाला व्यय केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं से प्राप्त राशि व राज्य सरकार के इस आशय में वितीय प्रावधानों से किया जाना चाहिए। क्योंकि इस सीवरेज की योजना के निर्माण में तकमीना करोड़ों की लागत का होता है, उसकी न्यूनतम 10 प्रतिशत राशि नगरपालिकाओं से चाही जाती है, वे सक्षम नहीं होती और योजना क्रियान्विति नहीं हो पाती। मेरे विधान सभा क्षेत्र की एकमात्र रामगंजमण्डी नगर पालिका इसका उदाहरण है, जहां सीवरेज योजना की 10 प्रतिशत राशि लगभग 10 करोड़ है, जिसे अंशदान में नगरपालिका वित्तीय सामर्थ में नहीं है।

सार्वजनिक सफाई के बाद में नगरीय सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था, पार्किंग व्यवस्था व बस स्टैण्ड आदि की समस्याओं व उनके समाधान की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं।

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 275, 276, 273, 278 व 279 से इस सम्बन्ध में नगरपालिकाओं के दायित्व निर्धारित हैं। इनमें कब्रिस्तानों और शमशानों का सन्निर्माण, मृतक के निर्वतन के लिए स्थान, शमशान भूमियों पर ईंधन की व्यवस्था सम्मिलित है। इसके लिए आवश्यकता अनुसार भूमियों का आबंटन नगरपालिका के पास भूमि उपलब्ध नहीं होन पर राजस्व विभाग करता है। इस सम्बन्ध में अब तक आदेशों व दिशा निर्देशों से ही काम चलाया जा रहा है।

मेरा सुझाव है कि राज्य सरकार के स्तर पर इसकी नीति घोषित की जानी चाहिए, ताकि प्रदेश के नगरीय निकायों में शमशानों/कब्रिस्तानों व्यवस्था को आदर्श बनाया जा सके। शमशानों (मुक्ति धाम) में वैसे अधिकांश स्थानों पर भारत विकास परिषद ने व्यवस्थाओं को सम्भाल रखा है। मैं इस सम्बन्ध में भारत विकास परिषद का धन्यवाद करना चाहूंगी जो सार्वजनिक क्षेत्र में सामाजिकता का धर्म निभा रहे हैं। सरकार को चाहिए कि वह भारत विकास परिषद या ऐसी ही अन्य समर्पित संस्थाओं को नोडल एजेंसी बना कर इस आशय में पर्याप्त भूमि, कम ईंधन में आधुनिक तकनीक से शवदाह, इनके रखरखाव, सौंदर्यीकरण आदि की व्यवस्थाओं को शहरी निकायों की में एक नियमित एजेंडे के तहत सम्मिलित कराए।

तीसरे अहम विषय अग्निशमन की ओर मैं ध्यान दिलाना चाहूंगी। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 255, 256 व 257 में अग्नि की रोकथाम, आग बुझाने के लिए अग्निशमन दल व उसके रखरखाव के सम्बन्ध में प्रावधान हैं।

राज्य सरकार ने इस हेतु अग्निशमन यान अर्थात फायर ब्रिगेड अधिकांश स्थानीय निकायों को उपलब्ध कराए हैं। किन्तु उनमें प्रशिक्षित स्टाफ के पद स्थापन का अभाव है। नगरपालिकाएं अपने सरप्लस स्टाफ अथवा अन्य व्यवस्थाएं कर आग बुझाने का कार्य करती हैं।

मेरा सुझाव है कि नगरीय क्षेत्र व उसके आसपास की आबादी को सम्मिलित कर एक अग्निशमन उपखण्ड की घोषणा अधिकृत रूप से की जानी चाहिए, तथा आबादी के अनुपात में पर्याप्त क्षमता वाली फायर ब्रिगेड उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

नगरीय क्षेत्र में सार्वजनिक सुविधाओं पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना और इस सम्बन्ध में बिंदुवार सरकार की निगरानी आम जन के लिए राहत की दृष्टि से एक अहम विषय है।

सार्वजनिक सुविधाओं में पार्क, खेल के मैदान, सुविधायुक्त बस स्टैण्ड, सार्वजनिक उपयोग में आने वाले सामुदायिक केन्द्रों को विकसित करने के लिए संभागवार एक योजना बना कर उसे चरणबद्ध लागू किया जाना चाहिए। शहरी जन सहभागी योजना तथा सांसद व विधायक निधि का इसमें महत्वपूर्ण उपयोग हो सकता है।

मेरा सुझाव है कि नगरीय क्षेत्रों में पार्क, खेल मैदान, सामुदायिक केन्द्र, बस स्टैण्ड आदि की विस्तृत योजना सम्बन्धित नगरीय नियोजन विभाग से तैयार करवाये जावे तथा सम्भागवार इसकी समीक्षा कर सार्वजनिक सुविधा से जुडे इन कार्यों को मुख्य कार्यसूची में सम्मिलित करवाया जावे।

गंदी बस्तियों के विकास के लिए वर्तमान में आई.एच.एस.डी.पी. योजना प्रभावशील है। किन्तु इसकी डी.पी.आर. में कई विषमताएं हैं। इनके व्यवहारिक समाधान के लिए सम्बन्धित नगरीय निकायों से सुझाव आमंत्रित कर उनके अनुरूप योजना क्रियान्वयन की नीति में सुधार का प्रस्ताव राज्य सरकार के स्तर पर तैयार किया जाकर केन्द्र सरकार को प्रेषित किया जाना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस महत्वपूर्ण विषय की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगी कि वर्तमान में विद्युत बिलों के माध्यम से 'सेस' के रूप में

उपभोक्ताओं से टैक्स वसूल किया जा रहा हैं। ये व्यवस्था कांग्रेस सरकार के समय की है। किन्तु इसकी विडम्बना यह है कि विद्युत विभाग अपने बिलों में आम जनता से राशि तो वसूल कर रहा है, परन्तु उसका हिसाब नगरीय निकाय व विद्युत विभाग के बीच नहीं हो पा रहा है। ये टैक्स है तो सफाई जैसी व्यवस्थाओं के लिए इसे बिजली बिलों में समायोजन तक सीमित कर दिया गया है।

मेरा सुझाव है कि इस प्रकार की टैक्स वसूली की अधिकारिक तौर पर समीक्षा की जानी चाहिए और इसमें उद्देश्य के अनुरूप उपयोग सुनिश्चित होना चाहिए।

सार्वजनिक विद्युत व्यवस्था में पूर्व में माननीय श्रीमती वसुन्धरा राजे जी के मुख्यमंत्री काल में मुख्य बाजारों में विद्युतीय तारों को भूमिगत किए जाने सम्बन्धी निर्देश जारी किए गए थे, जिनकी पालना में उसके बाद की सरकार ने कोई रुचि नहीं दिखाई। ये विद्युतीय तार आज भी कई दुर्घटनाओं के कारण बने हुए हैं।

मेरा सुझाव है कि इस सम्बन्ध में ठोस नीति बनाई जानी चाहिए जिसमें ऐसे सभी विषयों को सम्मिलित किया जाए।

वर्तमान में वर्षाकाल है, जिसमें बस्तियों में पानी भरना, पानी के वैकल्पिक निकास, सड़कों, नालों, नालियों का इस कारण खराब हो जाना एक प्रकार की प्राकृतिक आपदा है। स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति इस अनिश्चित आर्थिक बोझ को वहन करने जेसी नहीं है। पूर्व में आपदा प्रबंधन के तहत ऐसे कार्यों के लिए राशि आबंटित होती थी, जिसे गत कांग्रेस सरकार ने बंद कर दिया है।

मेरा सुझाव है कि आपदा प्रबंधन विभाग से स्थानीय निकायों के लिए स्वायत्त शासन विभाग के माध्यम से प्राकृतिक आपदा के कारणों से हुई क्षति की पूर्ति के लिए राशि के पुनर्भरण अथवा आबंटन के लिए नीतिगत निर्णय किया जाना चाहिए।